

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUe DTATE	SIGNATURE

भारतीय शासन और राजनीति

डॉ० जे० ए० एल० नोहा,
एम० ए, एल एल० बी०, पी० एच० डी० (विद्वान्)

भारतीय शासन
और
राजनीति

Published by Madhya Pradesh Hindi Granth Academy
under the Centrally Sponsored Scheme of Production
of Books and literature in regional languages
at the University level, of the Government
of India in the Ministry of Education
and Social Welfare (Department of
Culture), New Delhi.

भारतीय शासन और राजनीति

डॉ० जे० ए० एल० नोहा,
एम० ए०, एल एल० बी०, पी एच० डी०
विभागाध्यक्ष एव प्राच्यापक, राजनीति विभाग,
इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर, म० प्र०



गुप्तदेश हिन्दी प्रन्थ अकादमी • भोपाल

भारतीय शासन और राजनीति

प्रकाशक

मध्यप्रदेश हिन्दी प्रग्नथ प्रकाशमी,
६७, मालवीयनगर, भोपाल



मध्यप्रदेश हिन्दी प्रग्नथ प्रकाशमी,

प्रथम संस्करण
१९७३



मूल्य

पुस्तकालय संस्करण १२ रुपये ५० पैसे
साप्ताहिक संस्करण १० रुपये ५० पैसे



मुद्रक

पर्वतीय मुद्रणालय
१८ राय रामचरन दास रोड, इलाहाबाद-

प्रस्तावना

डॉ० जे० ए० एल० नोहा द्वारा लिखित “भारतीय शासन और राजनीति” वस्तुत मारतीय सविधान एवं उसके प्रयोगात्मक पक्ष से सर्वान्धत ग्रन्थ है। भारतीय जनतत्र में बालिग मात्र को मताधिकार प्राप्त है। यैचारिक भभिष्यति की स्वतत्रता के साथ मिलकर इस निर्वाचनाधिकार ने अनेक राजनीतिक पाटियों को अस्तित्व म ला दिया है और प्रत्येक दल को सविधान की सीमा के भीतर बायं करने की पूरी स्वतत्रता है। हमारा सविधान स्वयं विरोधी पक्ष को न केवल सहन करता है, अपितु उसे शासन का सजग प्रहरी भी मानता है। इस दृष्टि से विभिन्न राजनीतिक विश्वासों और वादों के बीच चलने वाले भारतीय शासन के कई मनोरजक पहलू हैं। डॉ० नोहा की पुस्तक इन सब पर प्रबाण ढालती है।

भारतीय सविधान इलेंड और थमेस्का के सविधानों के श्रेष्ठ भ्रशों को लेकर बना है। ये सविधान कई सी वयों से परीक्षित और प्रयुक्त होते आये हैं। इलेंड का सविधान तो विश्व का प्राचीनतम सविधान माना जाता है। अनेक लागों को इस बात पर आपत्ति है कि भारतीय सविधान किन्ही आय सविधानों वा पिछलगा बनकर क्यों रहे। कभी कभी तो यह विरोध काफी प्रबुद्ध वर्ग की ओर से आता है। हमारे सविधान में विधायिका, पालिका और न्यायिक शक्ति वे बीच स तुलन बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है। इनम कोई किसी से घटकर नहीं है। किन्तु कभी-कभी इनके बीच भी संघर्ष की स्थिति आ जाती है। वैको वे राष्ट्रीयकरण और मुल्की कानून के न्यायिक फँसलो एवं नदी योजना विवादोंने इस बात को और भी उजागर कर दिया है। जनमत के दबाव के कारण भी सविधान में सशोधन हुए हैं और स्वामानिक है, वि उससे सब पक्ष संतुष्ट। नहो कोई सविधान स्वयं पूर्ण नहीं होता और न कोई शासन प्रणाली ही सर्वथा निर्दोष हो सकती है। फिर भी भारतीय शासन अर्थात् सविधान और उसके उद्देश्य निम्नतम विवाद-स्पद अचलों को छुते हैं। देश के प्रायः सभी राजनीतिक दल जनतत्र में विश्वास रखते हैं। पचसाला निर्वाचन वे भागदण्ड हैं जिससे इन दलों की शक्ति और प्रभाव का मूल्याकन होता रहता है। जनतत्रीय प्रणाली के प्रति समर्पित होने के कारण ही इस देश को स्वतत्रता के बाद स्थायी एवं सुदृढ सरकार मिल सकी है। शायद भारत ही एक-भाव विकासमान देश है जिसमे इान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए और न कभी कोई ऐसा आन्दोलन हुआ, जिससे जनतत्र की

नीव हिली हो, इस देश की परम्परा, विधान-निर्माताओं की सूझदूरी, शासन चलानेवालों की व्यावहारिक दक्षता, जनता की सहिष्णुता और भावप्रियता इन सब बातों को, इस बात का समुक्त थेय मिलता चाहिए। भारत के साथ स्वातंत्र्य वित्तज पर उद्दित हुए प्राय, प्रत्येक देश को सैनिक शासन का स्वागत करना पड़ा। इस देश में प्रजातन्त्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब इस देश में राजतन्त्र या तो भी उसके नियामक सिद्धान्तों में प्रजातन्त्र के लोक-कल्याणकारी तत्त्व बहुत कुछ समाहित थे। इसलिए इस देश में राजतन्त्र का स्थान लेने के लिए प्रजातन्त्र को नरबलि नहीं देनी पड़ी।

भारतीय सविधान, बेबल शासनकोतथा राजनीतिज्ञों के मार्गदर्शन के लिये ही नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के विभिन्न-अधिकारी की दृष्टि से आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में, जिसका शीर्षक 'भारतीय शासन और राजनीति' है, भारत के सविधान के अतगंत सध तथा राज्य सरकारों के स्वरूप समझन, और कार्यों, सम्बद्ध में प्रतिपक्ष दलों की भूमिका, नागरिकों के मूल अधिकारों, मरठाताओं की भारतीय जनतन्त्र में भूमिका, आदि सामयिक महत्त्व, भारतीय शासन एवं राजनीति की त्रुटियों की व्याख्या करते हुए, उनको दूर करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं।

तथापि, यह स्मरण रखना आवश्यक होगा कि मूलतः भारतीय सविधान के दायरे में ही, अधिक्य में, भारत प्रगति कर सकता है और विश्व के बड़े तथा समृद्धशाली राष्ट्रों में अपना उचित स्थान बना सकता है। यदि राष्ट्रीय प्रगति में रुकावटें आती हैं, तो जैसा हौँ दी० आर० अस्वेदवर ने सविधान-निर्माण के समय वहां था, इसका कारण यह नहीं होगा कि सविधान बुरा है वरन् मह कि मानव कुप्ट है।

इन सब बातों के प्रकाश में यदि हम बतेमान भारतीय शासन-पद्धति और राजनीति का अध्ययन करें तो अनेकों मनोरंजक तथ्य सामने आवेंगे। हौँ नौहा ने अपनी हृति में इन सब बातों पर खुले मन से विचार किया है। उनकी यह हृति विश्वविद्यालयीन अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है।

५. ८. १९८८

(डॉ० प्रभुदयालु अग्निहोत्री)

संचालक
मध्यप्रदेश हिन्दी अन्वय अकादमी

विषयानुक्रमणिका

प्रस्तावना

१. मारतीय संविधान का निर्माण तथा उसके मूल मिठान्ति	१
२. नागरिकता	१३
३. नागरिकों के मूल अधिकार	२०
४. राज्य नीति-निर्देशक तत्व	५७
५. मारत में संसदात्मक प्रणाली	७२
६. भारत में संघवाद और संसदीय प्रजातंत्र	८४
७. संघीय कार्यपालिका :—	१०७
व—राष्ट्रपति,	...
ख—संघीय मंत्री परिषद	१११
८. संघीय संसद	१३७
९. संघीय कार्यपालिका एवं संसद के संबंध	१५३
१०. मारतीय संसद में प्रतिपक्ष दल	१६०
११. मारतीय सर्वोच्च न्यायालय	२१४
१२. राज्य-सरकार	२४३
व—राज्यपाल,	...
ख—राज्य-मंत्री-परिषद,	२६७
१३. राज्य-विधान मण्डल	२७६
१४. <u>राज्य न्यायपालिका</u>	३००
१५. <u>संघ तथा राज्य-संबंध</u>	३०७
१६. <u>लोक सेवा आयोग</u>	३२७
सदमें ग्रन्थों, पत्रों, पत्रिकाओं की तालिका	३३३

भारतीय संविधान का निर्माण तथा उसके मूल सिद्धान्त

स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण-कार्य 'वेबीनेट मिशन-योजना' के अन्तर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के नौ माह पूर्व आरम्भ हो गया था। संविधान समा ये सदस्यों का चुनाव, १९४६ में प्रान्तीय विधान-सभाओं द्वारा आनुप्राप्ति व प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर विया गया। इस संविधान निर्माणी समा में मुख्य सदस्य-संख्या २६६ थी, जिसमें कांग्रेस के २०५, मुस्लिमलीग के ७३ और १८ स्पतंत्र प्रतिनिधि थे।

संविधान समा का प्रथम अधिकार दिसम्बर, १९४६ को डा० राज्यदाम-द सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। तदुपरान्त ११ दिसम्बर, १९४६ को अधिकार में इस संविधान निर्माणी समा के स्थायी अध्यक्ष के पद पर स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद आसीन हुए। २२ जनवरी, १९४७ को संविधान समा ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) पारित किया। यह प्रस्ताव प० जवाहरलालजी नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें संविधान निर्माणार्थं पांच सम्बन्धित उद्देश्यों की ओर संविधान निर्माताओं पा ध्यान आकर्षित किया गया। ये उद्देश्य ब्रामानुसार इस प्रवार थे —

१—भारत में स्वतंत्र एव सार्वभौम गणराज्य की स्थापना और अपना संविधान निर्माण करना।

२—भारतीय संघ एव संघ की इकाईयों (राज्यों) में समस्त सार्वभौम सत्ता का स्तोत जनता होगी।

३—भारत के समस्त निवासियों को (१) सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय (२) पद, अवसर एव कानून के समक्ष समानता तथा (३) विचार, भाषण, अभिव्यक्ति और विश्वास रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

४—अल्पसंख्यक, पिछड़े यर्गों तथा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था बर्जा।

गया था, जिन्होंने इसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों, वर्गों तथा विभिन्न हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। भारतीय रियासतों के मी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित बिये गये थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि वेवल वाग्रेस ही एक राष्ट्रीय दल था, और वाग्रेस को संविधान सभा के २६६ सदस्यों में से स्पष्ट बहुमत (२०५ स्थान) प्राप्त हुआ था, यह वहाँ जा सकता है कि वाग्रेस द्वारा संविधान-सभा में राष्ट्रीय हितों वा व्याप्त प्रतिनिधित्व था। अतएव, संविधान-सभा ने जो संविधान पारित किया, उसको एक लोकतात्त्विक संविधान माना जा सकता है।

ब—यदि संविधान वी प्रस्तावना के पहले और प्रन्तिम वाक्यों के उपयुक्त अशों को जोड़ा जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वयं संविधान वी प्रस्तावना में इस विषय पर बल दिया गया है कि संविधान वास्तव में जनतात्त्विक है। प्रस्तावना के पहले वाक्य वा उपयुक्त हिस्सा है—‘हम भारत के लोग’, और प्रन्तिम वाक्य वा उपयुक्त हिस्सा है—‘इस संविधान को स्वीकृत, निर्मित एवं आत्मापित बरतें हैं’, यदि इन दोनों हिस्सों को साथ-साथ जोड़ा जाये तो पूरा वाक्य इस प्रकार होगा—

‘हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकृत, निर्मित एवं आत्मापित बरतें हैं।’ दूसरे शब्दों में, भारतीय-संविधान भारतीय जनता वा, जनता के लिए, जनता (जनता के प्रतिनिधियों) द्वारा निर्मित संविधान है। यह भारतीय जनता की सार्वभौमिकता को प्रतिबिम्बित बरता है। अमरीकी-संविधान वी प्रस्तावना के आरम्भ और प्रन्त में भी लगभग ऐसे ही शब्दों वा प्रयोग किया गया है। अमेरिका के संविधान के प्रस्तावना के आरम्भ में ये शब्द, इस प्रकार है—

‘हम अमरीका के लोग, इस अमरीकन संविधान को निर्दिष्ट एवं स्थापित बरतें हैं।’ अमरीकी संविधान वी प्रस्तावना के इन दोनों भागों को जोड़ा जाये तो वाक्य यह होगा—

‘हम अमरीका के लोग, इस अमरीकी-संविधान को निर्दिष्ट एवं स्थापित बरतें हैं।’ अत स्पष्ट रूप से यह अमरीकी-संविधान के लोकतात्त्विक स्वरूप का सूचक है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय-संविधान द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है, और प्रत्येक नागरिक को संसद या विसी राज्य-विधान सभा के लिए उम्मीदवार के रूप में, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है।

संविधान के अध्याय तीन में भारत के नागरिकों के सात मूल अधिकारों वा उल्लेख हैं—(१) समानता का अधिकार, (२) स्वतंत्रता का अधिकार, (३) शोपण के विश्वद अधिकार, (४) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (५) सम्पत्ति वा अधिकार, (६) सास्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और (७) संघ-

धानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों से भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का आवश्यक प्राप्त है।

संविधान के दृष्टिकोण में विभिन्न धार्थिक सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनको राज्यनीति निरैक्षक तत्वों की सज्जा दी गयी है, क्योंकि भारत में बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपने कार्यों में इन सिद्धान्तों के मार्ग दर्शन में चलना आवश्यक है। इनका उद्देश्य भारत में अधिक सोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसमें विसी नी आनंदिक के साथ सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय नहीं होगा।

संक्षेप में, संविधान न केवल स्वयं लोकतात्त्विक है विन्तु इसका उद्देश्य भारत में लोकतंत्र को नीति को शक्तिशाली करना है।

प्रस्तावना में इस विषय पर चल दिया गया है कि संविधान का भूत्त्वपूर्ण उद्देश्य भारत में एक सार्वभौम लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना करना है। 'सार्वभौम' शब्द का प्रयोग विषय बान का दोनों है कि भारत के आनंदिक तथा बैद्धिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग इस बान का दोनों है कि भारतीय-संविधान के अन्तर्गत सार्वभौमिकता बनता है। भारतीय जनता का, दयस्वर मनाधिकार के आधार पर अपनी इच्छानुसार सरकार-निर्माण करने का स्वतंत्र अधिकार है, जो आनंदिक तथा बाह्य दोनों मामलों में पूर्णता सार्वभौम तथा स्वतंत्र होगी।

'गणतंत्र' शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश हालता है, कि दो प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं—वशानुगत सोकतंत्र तथा सोकतंत्रीय गणतंत्र, में से भारतीय-संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अनन्याय गया है।

वंशानुगत लोकतंत्र के अन्तर्गत राष्ट्राधिक विसी विरिट वश का होता है, जो अनन्या पद वंशानुगत सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त करता है, विन्तु राष्ट्राधिक के स्वयं में वट केवल नाममात्र का शामक होता है। उदाहरण स्वरूप इंग्लैण्ड में सर्वेषानिक-राजनत्र या लोकतात्त्विक-राजनत्र है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्राधिक (संग्राट या समाजी) को अनन्या पद वशानुगत प्राप्त होता है।

लोकतंत्रीय-नामनत्र में राष्ट्राधिक का निर्वाचन जनता द्वारा प्राप्त का अप्राप्यता न्यून में विषय आता है, असांत यातातिक राज्य में राष्ट्राधिक को अपना पद जनता द्वारा उभें निर्वाचन के पात्र न्यूनता प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका एवं भारत में राष्ट्राधिक का निर्वाचन जनता करती है। अतएव भारत तथा अन्यरक्ता दोनों भारतीय-संविधान हैं।

भारतीय-संविधान की प्रम्मादना में उक्त संविधान के दृष्टिकोण तीन में धर्म-निरेत्र राज्य के मिद्दान्त पर धर्माधिक न्यून में दल दिया गया है। प्रम्मादना में भारत के सभन्त नामदिकों की विभिन्न द्रव्यार्थी वर्ग वृक्तताप्राप्ति पर प्रकाश दाता है।

धर्म-निरपेक्ष राज्य के सन्दर्भ में, प्रस्तावना म उल्लेखित नागरिक वे विश्वास, धर्म तथा उपासना सम्बन्धी स्वतंत्रता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसी प्रकार, संविधान के अध्याय तीन अनुच्छेद २५, २६, २७ और २८ वे अन्तर्गत भारत म सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदत्त की है। इसी प्रकार सामाजिक धर्म अधिकार वे सन्दर्भ म संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, पा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के बारण किसी भी नागरिक को सावंजनिक स्थानों, भोजनालयों, दूकान, कुआँ, तालाब, स्नानघाट तथा सावंजनिक पूजा के स्थान के उपयोग से नहीं रोका जायेगा। शैक्षणिक तथा सास्कृतिक प्रधिकारों के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसकी किसी इकाई को धार्मिक सम्प्राप्ति की स्थापना, पोषण एव उनके प्रबन्ध करने का और चल तथा अवल सम्पत्ति रखने और स्वामित्व वा अधिकार है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी माया के सुरक्षित रखने का तथा शैक्षणिक मम्याओं के स्वापित करने का अधिकार है।

वस्तुतः प्रस्तावना और संविधान के अध्याय तीन में, भारत में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को, जो धार्मिक स्वतंत्रता वा अधिकार प्राप्त है, उसको भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य का ठोस आधार माना जा सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य की सज्जा उस राज्य को दी जा सकती है, जिसमें सभी व्यक्तियों का समान हृप से धार्मिक स्वतंत्रता वा अधिकार उपलब्ध है, अर्थात्, राज्य की दृष्टि म सभी धर्म समान हैं और सावंजनिक मामलों का सवालन किसी विशिष्ट धर्म के सिद्धान्तानुगार न कर लोकतात्त्विक सिद्धान्ता पर किया जाये।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तथा संविधान के अध्याय चार में, जिसमें विभिन्न राज्यनीतिनिर्देशक तत्वों का उल्लेख है, लोक-अल्पाणशारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोक अल्पाणशारी राज्य के सिद्धान्त को मान्यता दी गई। मानव-जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एव धार्मिक पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के डरकिन्ति के सदीर्गीण विकास हेतु उसको जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये। लोक-अल्पाणशारी राज्य का प्रावधिक उद्देश है कि मानव-जीवन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं से सद्वित्ति समस्त सुविधाओं के लिए प्रावधान करे, जिससे व्यक्ति का चहूँमुखी विकास हो सके।

भारतीय-संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, तथा आर्थिक न्याय वा आश्वासन दिया गया है। भारत वे नागरिकों को जीवन के विभिन्न धोनों में न्याय का आश्वासन दिया गया है। नागरिकों को जीवन के विभिन्न धोनों में न्याय उपलब्ध करने के लिए संविधान में विशिष्ट साधनों

का उल्लेख है। सामाजिक न्याय का अर्थ है—सभी नागरिकों को सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हो।

(१) सामाजिक न्याय का आश्वासन, जो सविधान की प्रस्तावना द्वारा दिया गया है, नागरिकों के समानता के मूल अधिकार पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वो कानून के द्वारा समान सरक्षण का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इसके अनिरिक्त, राज्य विसी नागरिक के विस्तृद्व धर्म, वश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर, (क) दूकानों, सार्वजनिक मोबाइलयो, होटलों, और सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जायेगा; (ख) पूर्ण या आधिक आधार पर राज्यनिधि द्वारा बने हुए या जनता के लिए बनवाये गये कूप्यों, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग करने से नहीं रोका जायेगा।

समानता के अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त किये जाने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वश, जाति, लिंग, उत्पत्ति या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी कारण से भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

समानता के अधिकार के अन्तर्गत सामाजिक न्याय उपलब्ध करने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि अस्तृत्यना का अन्त कर दिया गया है और जो व्यक्ति अस्तृत्यना से उत्पन्न किसी अयोग्यता वो लागू करता है, वह दण्ठ का पात्र होगा।

(२) राजनीतिक न्याय का अर्थ है, सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय का आश्वासन प्रस्तावना में दिया गया है; इसके व्यावहारिक स्वरूप मुस्तक दो आमारों पर अवलम्बित है। ये आधार हैं—

(क) नागरिकों के विभिन्न मूल अधिकार, विशेषकर, स्वतंत्रता, तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार और

(ख) प्रत्येक भारत के नागरिक को दृष्ट्वा भवाधिकार के सिद्धान्तानुसार भव देने के अधिकार। सभेप म भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने दिक्षांगों की अभिव्यक्ति वरन्, सगठन बनाना।

भारतीय प्रदेश के एवं हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने वाला घरनी पर्मन्द के प्रत्याशी के लिए मन दने की स्वतंत्रता है।

(३) भार्यिक न्याय का अर्थ है, कि भार्यिक क्षेत्र म सभी नागरिकों वो समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो। भारतीय नागरिकों वो जो भार्यिक न्याय का आश्वासन सविधान की प्रम्मादना में दिया गया है, उसके विचारन्वयन हेतु सविधान में दोन आधार हैं।

भारतीय संविधान का निर्माण

(क) समानता के अधिकार वे भ्रातर्येव नागरिकों को राज्य के अधीन पद प्राप्त करने हेतु समान अधिकार प्राप्त है।

(ख) स्वतंत्रता के अधिकार के घन्तगत प्रत्येव नागरिकों को किसी भी व्यवसाय, वृत्ति व्यापार तथा धर्म करने की स्वतंत्रता है।

(ग) संविधान के अध्याय चार महत्वपूर्ण राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में प्रत्येक नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदत्त करना है। उदाहरण स्वरूप ये राज्य नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं —

१—समस्त नागरिकों, पुरुषों तथा स्त्रियों को अपनी पर्याप्त जीविता अर्जन करने का अधिकार है,

२—समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रबार वितरित हो जिससे सामाजिक रूप से जनहित समव हो,

३—देश की आर्थिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार न हो, जिससे धन का केंद्रीय करण होते हुए सामाजिक हित को हानि पहुँचे,

४—पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो,

५—थमिकों, (पुरुष एवं स्त्री) और कम आयु के बालकों वे स्वास्थ्य तथा शक्ति का शोषण न हो और नागरिकों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी आयु तथा शक्ति वे दृष्टिकोण से अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश होने के लिये वाध्य न होना पड़े,

६—बचपन एवं युवावस्था का शोषण न हो,

७—राज्य थम एवं प्रसूति सहायता से सवधित शर्तों को मानवीय स्वरूप प्रदत्त करने के लिए प्रावधान करेगा,

८—राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के दायरे में नागरिकों के लिए नौकरी, शिक्षा, एवं बृद्धावस्था, वीमारी एवं वेरोजगारी की स्थिति में सावजनिक सहायता करेगा,

९—राज्य बानून या आर्थिक संगठन द्वारा समस्त थमिकों को (इष्टि उद्योग, या आय कार्यों से सत्रधित) उपयुक्त वार्षिक जीविका, एवं कार्यों की शर्तों के लिए प्रावधान करेगा, जिससे जीवन का उत्तम स्तर स्थापित हो।

१०—राज्य नघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा।

११—राज्य विशेष रूप से पिछडे वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का सरकारण करेगा।

उपर्युक्त राज्य-नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में स्थान इसी उद्देश्य से दिया गया है जिससे नागरिकों को आर्थिक न्याय उपलब्ध हो सके। ये ही तत्व आर्थिक न्याय के धाराएँ हैं।

(४) राज्य-नीति निर्देशक तत्वों का महत्व भारतीय संविधान में दिसम्बर, १९७१ में २५ वें संशोधन से और अधिक बढ़ गया है। संशोधन के दूसरे भाग में

यह प्राचीवान किया गया है कि यदि किसी कानून में यह लिखा है कि उसका उद्देश्य किसी राजनीति निर्देशक सत्त्व का क्रियान्वय करना है और यदि उस कानून का संघर्ष किसी मूल अधिकार से है, तो उक्त कानून वो अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। यदि इस अकार वे कानून का उद्देश्य सामान्य हितों के दृष्टिकोण से आधिक न्याय उपलब्ध करना होगा तो वास्तव में यह एक प्रगतिशील बदल माना जायेगा।

सभेप में, सविगत की प्रस्तावना में, सविधान के इस मूल सिद्धान्त का उल्लेख है कि भारत एक लोक राज्यान्तरारों राज्य होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा।

(५) प्रस्तावना में सविगत के एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त वा उल्लेख है। वह यह है कि इसमें राष्ट्रीय एकता पर बल प्रदान किया गया है। भाषा, धर्म आदि वो विविधता के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। इस सदर्म में, प्रस्तावना का महत्व इसलिए अतिक हो जाता है कि इसमें उन दो विशेष भाषारों पर बल दिया गया है, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है।

सर्वप्रथम, प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति को, लोकतत्त्व की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए, राष्ट्रीय एकता वा एक महत्वपूर्ण आधार माना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना की जागृति, व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना से संबंधित है। परन्तु व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य एवं समाज में, उसके महत्व वो स्वीकार करने पर निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज म व्यक्ति का उसकी उचित प्रतिष्ठा तथा अधिकार प्राप्त है, यह स्वाभाविक है कि नागरिक के रूप म देश के प्रति उसकी प्रास्त्या बनी रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावना तथा एकता दृढ़ होगी।

द्वितीय, एक उपसिद्धान्त के रूप म यह भी बहा जा सकता है कि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की स्वीकृति, राज्य तथा समाज म नागरिकों के मध्य बधुत्व या सौहाइ वी भावना प्रज्ञलित करेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता दृढ़ होगी।

इन दो भाषारों पर सविधान निर्माणाधा ने राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने वा आगवासन दिया है।

उपर्युक्त पाँच सिद्धान्तों के अतिरिक्त जिन पर सविधान की प्रस्तावना में प्रकाश ढाला गया है, वहिपर्य मिद्दान्तों वो स्वयं सविधान में उल्लेखित विषय गया है। मुख्यत यह सिद्धान्त मारतीय संघीय व्यवस्था सरकार एवं सविधान में स्वरूप से संबंधित है। इनका अध्ययन विस्तृत रूप से अपते अध्याय में किया जायेगा, जिन्हें यहाँ पर इनका उल्लेख सभेप में किया जा सकता है।

सर्वप्रथम, संविधान के अनुच्छेद १ के अनुसार भारत एक संघ (यूनियन) है। भारतीय-संविधान में संघवाद का सिद्धान्त अपनाया गया है, वयोंकि इसमें राज्य की तीनों आवश्यकताएँ निहित हैं, जो ये हैं १-लियित संविधान, २-संघीय तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ३-संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन, संविधान में उल्लेखित तीन सूचियों (अ-संघ सूची, व-राज्य सूची और स-समवर्ती सूची) के आधार पर किया गया है।

संघीय सूची में ६७ विषय हैं, जिन पर संघ सरकार का धोग्राधिकार है। राज्य सूची में ६६ विषय हैं, जिन पर, साधारणतया राज्य सरकारों का धोग्राधिकार है। समवर्ती सूची में ४७ विषय हैं, जिन पर संघ तथा राज्य सरकारों को विधि निर्माण के लिए समवर्ती अधिकार प्राप्त है, विन्तु यदि इस सूची में उल्लेखित किसी विषय पर संघीय अधिकार प्राप्त है, तो संघ कानून में संघर्ष है तो संघ कानून को ही मान्यता दी जावेगी। अतएव यह स्पष्ट है कि संघीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तय, विशेष परिस्थितियों में संघीय सरकार को और अधिक शक्तियाँ, जो राज्य सूची से सबृहित हैं, प्राप्त हो जाती है। इनका उल्लेख अन्य घट्यावद में किया गया है। अतः संघीय विशेषताओं के होने हुए भी भारतीय संविधान में एकात्मक प्रवृत्तियाँ निहित हैं। परन्तु भारत का संविधान मुख्यतः संघीय सिद्धान्त पर आधारित है।

द्वितीय, सरकार के स्वरूप के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसदात्मक पद्धति को अपनाया गया है। संसदात्मक पद्धति में कार्यपालिका के दो प्रकार होने हैं, नाममात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, तथा वास्तविक कार्यपालिका जो मध्ये मण्डल के रूप में होती है। मध्ये मण्डल का सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होना संसदात्मक पद्धति का मूल सिद्धान्त है। भारतीय-संविधान के अनुच्छेद ७५ उपवन्ध (३) में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। सब के समान राज्यों के मध्ये मण्डल भी अनुच्छेद १६४ (५) के अनुसार सामूहिक रूप से राज्य विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय-संविधान के अन्तर्गत संसदात्मक पद्धति को अपनाया गया है।

तृतीय, संविधान के संशोधन के दृष्टिकोण से भारतीय-संविधान का स्वरूप कुछ मात्रा में नमनीय है और कुछ मात्रा में बठोर। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के दृष्टिकोण से उन्हें तीन मात्रा में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक मात्रा में उल्लेखित संविधान के प्रावधानों के संशोधन के लिए एक पृथक् संशोधन प्रणाली है। संविधान के ये तीन मात्रा निम्नानुसार हैं.—

(क) प्रदम धेणी में सविधान के जो प्रावधान हैं, उनको ससद साधारण बहुमत से विधि निर्माण प्रक्रियानुसार सशोधन वर सकता है। सविधान के इन प्रावधानों के विषय हैं—राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ससद कानून द्वारा नये राज्यों का निर्माण कर सकती है, सघ के किसी राज्य की सीमा वो परिवर्तित वर सकती है; सघ के किसी राज्य के क्षेत्र में वर्मी या बृद्धि वर सकती है, एवं किसी भी सघ राज्य का नाम परिवर्तित वर सकती है। नागरिकता मदधी प्रावधानों में भी ससद को सशोधन वरने का एकाधिकार है। यदि सघ के किसी राज्य में उच्च सदन है किन्तु उसकी आवश्यकता नहीं है तो राज्य की विधान-सभा के अनुरोध पर ससद सविधान में आवश्यक सशोधन वर सकती है। अतएव उपर्युक्त विषयों पर सविधान में सरलता से सशोधन किया जा सकता है।

(ख) द्वितीय धेणी में सविधान के विधिपूर्ण प्रावधान हैं, जो वास्तव में सघ एवं राज्यों, दोनों से सवधित हैं। इनके सशोधनों के लिए सशोधन विधेयक को दो चरणों का पार करना होता है। सर्वप्रथम, सशोधन विधेयक को ससद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ससद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेनेवाले सदस्यों के दो निहाई बहुमत से पारित किया जाता आवश्यक है।

द्वितीय, ससद द्वारा उपर्युक्त प्रक्रियानुसार जब विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसमें उनके मजोधन विधेयक को सघ के राज्यों में से कम से कम आवेद राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा स्वीकृति मिलना चाहिये। तन्नकेचात् राष्ट्रपति की सहमति से सविधान म आवश्यक सशोधन साझा होगा। नविधान सशोधन की यह प्रक्रिया सविधान के उन विनियन प्रावधानों के लिए आवश्यक है, जो निम्नान्ति विषयों से सवधित हैं।

१—राष्ट्रपति का निवाचन (अनुच्छेद ५४)

२—राष्ट्रपति की निवाचन-प्रणाली (अनुच्छेद ५५)

३—मप की वायरालिका शक्ति की सीमा (अनुच्छेद ७३)

४—मप के राज्यों की वायरालिका शक्ति की सीमा (अनुच्छेद १६२)

५—कन्द-प्रशान्ति क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (अनुच्छेद २४१)

६—मधीय न्यायपालिका।

७—मप के विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय।

८—मप एवं राज्यों के व्यवस्थापन मदधी प्रावधान (सातवीं अनुमूली में सघ, राज्य एवं मनवर्गों मूलिकी)

९—मप में राज्यों का प्रनिनियन।

१०—नविधान के पशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद ३६८ में विहित है।

भारत के संविधान वे उपर्युक्त प्रावधानों का संशोधन करने वी प्रक्रिया जटिल है जिसके फलस्वरूप इन प्रावधानों को बठोर माना जा सकता है।

(ग) तृतीय श्रेणी में संविधान वे समस्त प्रावधान रखे जा सकते हैं जो प्रथम दो श्रेणियों में नहीं हैं। इनको संशोधित करने के लिए संसद में विसी सदन में संशोधन के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एक भत्तान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात्, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जायेगा, और संविधान में आवश्यक संशोधन लागू होगा। यह प्रक्रिया घोड़ी जटिल है क्योंकि यह साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से मिलता है।

संक्षेप में, संविधान वे विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के सम्बद्ध में यह व्यवस्था उचित है कि भारत का संविधान कुछ मान्यता में नमनीय है, तथा कुछ मान्यता में बठोर है।

चतुर्थ, भारत का संविधान लिखित होने के साथ-साथ देश वा सर्वोच्च मानून है। अमरीकी संविधान के सदृश मारतीय संविधान दो मूल वानून तथा साधारण कानूनों की भिन्नता के सिद्धान्त के सम्बद्ध में, देश का सर्वोच्च या मूल वानून माना गया है। अमरीकी संविधान में अनुच्छेद ६ के अन्तर्गत संविधान दो देश वे सर्वोच्च कानून की सज्जा दी गई है, किन्तु भारतीय संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि भारतीय संविधान में नागरिक के मूल अधिकारों एवं संघवाद को मान्यता देने के फलस्वरूप संविधान स्वतः देश का मूल कानून (सर्वोच्च वानून) हो जाता है, जिसके संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के बन्धों पर है। अन्य अध्याय में आगे विस्तृत प्रकाश ढाला गया है।

भारतीय संविधान वी प्रस्तावना एवं संविधान के अन्य प्रावधानों के अध्ययनोपरान्त हम संविधान के अधोलिखित उल्लेखनीय सिद्धान्तों वा आभास होता है।—

१—भारत के संविधान वा स्वरूप लोक तत्त्वात्मक है, क्योंकि न केवल इसका निर्माण जनतात्रिक पद्धतिनुसार किया गया है, अपितु इसके आधारभूत सिद्धान्त भी जनतात्रिक है।

२—भारत के संविधान के अन्तर्गत भारत दो एक साधारण लोकतात्रीय गण-राज्य के रूप में अभीकृत किया गया है।

३—संविधान के अन्तर्गत एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना वी गई है।

४—भारतीय संविधान लोक-न्यायाणवारी राज्य के सिद्धान्तों पर आधारित है।

५—भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है।

६—भारतीय-संविधान में सघबाद को मान्यता देने के साथ-साथ कठिपय एकात्मक प्रवृत्तियों को भी स्थान दिया गया है।

७—भारतीय-संविधान के अन्तर्गत सधीय एवं विभिन्न राज्य-सरकारें, सम-दात्मक पद्धति के सिद्धान्त पर आधारित हैं।

८—भारत के संविधान में नवनीय एवं कठोर अशों का समावेश है।

९—भारत का संविधान लिखित होने के साथ-साथ देश का मूल या सर्वोच्च वरन्नून है।

नागरिकता

१९४७ में भारत के दो सार्वभौम देशों से विभाजित होने के कारण, भारत तथा पाकिस्तान में अधिक बड़ी सह्या में नागरिकों का देशातर हुआ। अतएव भारतीय संविधान निर्माताओं को भारतीय नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरण स्वरूप, पाकिस्तान में लाखों शरणार्थियों वो भारत भाना पड़ा, अन्य कुछ लोग पाकिस्तान से भाना चाहते थे, किन्तु नागरिकता सबधी अधिनियम वे निर्मित होने तक उनको भारत भाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, अन्य कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गये थे, किन्तु कुछ समय पश्चात् वे भारत लौट आये, और भन्त में, कुछ लोग विदेशों में रह रहे थे, किन्तु वे भारत की नागरिकता को प्रहण किये रखना चाहते थे। अतः, इन सभी दमों के लिए नागरिकता सबधी व्यवस्था बरना संविधान सभा की प्राप्त समिति के लिए एवं अत्यधिक कठिन कार्य था।

इस सदर्म में संविधान में, संविधान लागू होने के समय केवल इसका उल्लेख किया गया कि, नागरिकता के लिए किन-किन योग्यताओं की आवश्यकता है। नागरिकता से सबधित भविष्य में समस्त मामले, जैसे नागरिकता की प्राप्ति एवं नागरिकता का सुरक्षा, संविधान के अनुच्छेद ११ के भनुसार सध ससद-कानून द्वारा तय करेगी। जिन व्यक्तियों को संविधान के लागू होने के समय से नागरिकता प्राप्त हुई है, वे उस नागरिकता के अधिकार को प्राप्त विये रहेंगे, किन्तु ससद को इस विषय पर कानून, निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। अतः संविधान में नागरिकता के सबध में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है।

संविधान के प्रारम्भ होने के समय पांच श्रेणियों के नागरिकों को मान्यता प्रदत्त की गई। ये श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं।

१ भारतीय उद्भव के समस्त व्यक्ति अर्थात् जो स्वयं या जिनके माता-पिता भारत में उत्पन्न हुए हैं तथा वे समस्त व्यक्ति जो भारतीय धरों में अधिवासी रहे हैं या वे समस्त व्यक्ति जो संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की कूम से कम पांच वर्ष की अवधि तक भारत के निवासी रहे हों। अधिकाश भारत के नागरिक इसी श्रेणी के हैं।

२. वे व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से भारत को जुलाई १६, १९४८ से पूर्व देशातर किया तथा जो देशातर करने के पश्चात् भारत में निवास कर रहे हैं और वे या उनके माता-पिता में से कोई एक या उनके पितामह अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। इस श्रेणी में अधिकाश हिन्दू तथा सिख हैं जिनको भारत विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। जुलाई १६, १९४८ से इस प्रकार देशान्तर के लिये अनुज्ञापन प्रणाली प्रारम्भ की गई थी।
३. वे व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से भारत को जुलाई १६, १९४८ के पश्चात् देशातर किया, और भारत में छ माह निवास करने के पश्चात् उनके अविदेन पत्र देने पर योग्य प्राधिकारी द्वारा संविधान के लागू होने के पूर्व उनका पञ्जीकरण कर लिया गया है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों को कभी से कम छ माह तक संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व, भारत में निवास करना आवश्यक है, अत यह स्पष्ट है कि भारत में उनका निवास जुलाई २५, १९४८ के बाद नहीं प्रारम्भ हुआ हो।
४. सामाजिक वे व्यक्ति जिन्होंने भारत से पाकिस्तान मार्च १, १९४७ के बाद देशातर किया है वे भारतीय नागरिकता के योग्य नहीं होते, परन्तु इनमें से जिनको पुनर्निवास के लिए वापस लौटने के लिए अनुज्ञापन दिया गया है उनकी नागरिकता प्रदत्त की जा सकती है, वशतें वे उन जनों को पूरा करते हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए लागू होती है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत नो जुलाई १६, १९४८ के पश्चात् देशातर किया। यह प्रावधान उन मुस्लिम परिवारों के लिए किया गया था जो सामप्रदायिक उपद्रवों या वाघ्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत छोड़कर चले गये थे, यद्यपि उनकी भारत छोड़ने की विलक्ष्ण इच्छा नहीं थी। इस कारण, भारत सरकार ने उनको वापस लौटने की अनुमति दे दी थी। इन लोगों की सहा दो या तीन हजार से अधिक नहीं थी।
५. यदि विदेशों में रह रहे भारतीय उद्यम के व्यक्ति संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् नागरिकता के लिए आवेदन देते हैं और भारतीय हूलावास द्वारा उनका पञ्जीकरण कर लिया जाता है, तो उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्रहृण कर ली है वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है।

सामाजिक नागरिक के तीन आधार होते हैं। सर्व प्रथम, रक्त संबंधी सिद्धात (जस्ते वैगविनिस) नागरिकता का एक आधार माना जा सकता है। रक्त संबंधी

सिद्धान के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति को उम्बे माता-पिता की नागरिकता के अनुसार प्राप्त होनी है। इस सिद्धान के अतिरिक्त नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म-भूमि सिद्धान या निवास का बोई महत्व नहीं है। पास एवं इटली आदि देश में नागरिकता रक्त सिद्धान के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। इस दृष्टिकोण से प्रान्मोमी या इनालबी माना पिना यो सतान का, उनका जन्म चाह कही बया न हुआ हा, पास या इटली का इमण्ट नागरिक ही माना जायगा।

द्विनीय, जन्म भूमि सिद्धान नागरिकता प्रदान करने का दूसरा आधार है। जन्म-भूमि सिद्धान (जन्म सारो) के अनुसार विभी व्यक्ति की नागरिकता उम्बे जन्म-भूमि के आधार पर निर्धारित की जायगी। दूसरे भूमि में, एवं व्यक्ति उम देश का नागरिक है, जहाँ उसका जन्म हुआ है।

तृनीय, कनिपय देना न रक्त सबधी एवं जन्मभूमि भवधी, दाना सिद्धान के अनुसार नागरिकता निर्धारित की जाती है। उदाहरण स्वरूप, ब्रिटेन में दाना सिद्धानों को मान्यता दी गई है। ब्रिटिश माना-पिना की सनान जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटिश नागरिक हो भाने जायेगे। इसके अनिरित, विदेशिया की सनान जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, को भी ब्रिटिश नागरिक माना जायेगा।

मुच्चन भारतीय सविधान निर्भानापा ने नागरिकता के जन्म-भूमि-सिद्धान (जस सोरी) को ही मान्यता प्रदत्त की है, क्योंकि, प्रायमिक स्वर में भारतीय सविधान द्वारा नागरिकता निम्नलिखित श्रेणिया के व्यक्तियों को प्रदत्त की गई है।

(व) जो व्यक्ति भारत के स्वाधी निवासी हैं, और वे या उनके माता-पिना भारतीय भू भाग में पैदा हुए हैं, या

(स) वे व्यक्ति जो भारतपत्र भारतवर्ष में कम में कम पाँच वर्ष तक निवास कर चुके हैं।

तथापि, कुछ भाना म भारतीय-सविधान द्वारा नागरिकता के रक्त सबधी सिद्धान को भी अपनाया गया है। इसी व्यक्ति की नागरिकता के लिये सविधान के अतिरिक्त यह नहीं आवश्यक है कि वह व्यक्ति स्वयं भारत में पैदा हुआ हो, बिन्तु यदि उसके माता-पिना या उनमें से किसी एक या उसके पितामह का जन्म भारत में हुआ हो तो, उत्त व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत होगा कि कुछ भाना में, भारतीय-सविधान के अतिरिक्त नागरिकता के रक्त सबधी सिद्धान को स्वीकृत किया गया है।

सविधान के नागरिकता सबधी प्रावधान अन्तिम नहीं है। सविधान के अनुच्छेद ११ के अनुसार नागरिकता के विषय पर समद को विस्तृत शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। अनेक १९५५ में ससद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९५५ पारित

किया, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति एवं अन्य सबचित् विषयों का विस्तृत हथ से स्पष्टीकरण किया गया है।

भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ का अवध्यन निम्नलिखित मुद्दों के आनार पर किया जा सकता है :

१. नागरिकता को प्राप्ति—

भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ के अनुर्गत नागरिकता पाँच प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं

अन्म के आधार पर—

जनवरी २६, १९५० को या इसके पश्चात् जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, उसको भारत का नागरिक माना जायेगा। किन्तु विदेशी दूलावास के उन लोगों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, सतान को भारतीय भागरिक नहीं माना जायेगा। इसके अतिरिक्त, विदेशी शत्रु द्वारा दब्जा किये हुए क्षेत्र में पैदा हुए शत्रु की सनान को भी भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा।

उद्भव या विवाहित के आधार पर—

प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जनवरी २६, १९५० को या इसके पश्चात् भारत के बाहर हुआ है, परन्तु उसके जन्म के समय यदि उसके पिता भारत के नागरिक रहे हो, उसको भारत का नागरिक माना जायेगा।

पंजीकरण द्वारा—

पंजीकरण द्वारा निम्नलिखित पाँच प्रकार के व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

- (क) भारतीय नागरिकों से विवाहित मित्रायां।
- (ख) भारतीय नागरिकों की नावालिक सन्नान।
- (ग) वे व्यक्ति जो साधारणतया भारत में निवास कर रहे हों और जो पंजीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र देने से पूर्व इम से कम द्य माह से भारत में रह रहे हों।
- (घ) वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साधारण निवास कर रहे हों।
- (ङ) राष्ट्र महारोप राष्ट्रोत्तमा या आयरलैंड के गवर्नर के वक्तम्।

नागरिकीकरण द्वारा—

नागरिकीकरण या देशीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। उपर्युक्त,

नागरिकता

सध सरकार अपने निर्णयानुसार नागरिकता प्रदत वर सकती है। नागरिकीकरण के लिए विसी विदेशी को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा बरना होगा।

- (क) वह व्यक्ति वालिंग हो।
- (ख) वह जिस देश का है, उसकी नागरिकता को उसने त्याग दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो।
- (ग) नागरिकीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष भारतवर्ष में निवास कर चुका हो या भारत में विसी सरकार की नौकरी में रहा हो, या भारत में निवास या वोई नौकरी भरते हुए कुल एक वर्ष पूरा कर लिया हो।
- (घ) उपर्युक्त उल्लिखित एवं वर्षों से पूर्व सात वर्ष भारत में रह चुका हो या भारत में विसी सरकार के अधीन वार्य वर सकता है अथवा भारत में निवास करने और भारत में किसी सरकार के अधीन वार्य वरते हुए कुल सात वर्ष पूरे कर लिये हो।
- (इ) वह ऐसे देश का निवासी या नागरिक नहीं हो जहाँ भारत के नागरिकों वा, कानून या व्यवहार के अनसार नागरिकीकरण वर्जित है।
- (झ) उस व्यक्ति को विसी एक भारतीय मापा वा ज्ञान हो।
- (ञ) वह व्यक्ति भारत में निवास बरना या भारत में किसी सरकार के अधीन या विसी अतराष्ट्रीय संस्था में, जिसका भारत सदस्य है, या भारत में स्थापित विसी संस्था में या कम्पनी में नौकरी बरने का इच्छुक हो।

यदि आवेदन ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्वशाति एवं मानव-प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा की हो तो भारत सरकार उपर्युक्त सभी या विसी शर्तें को उस व्यक्ति के सबध में समाप्त कर सकती है।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नागरिकीकरण हुआ है भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करना आवश्यक है तथा उसको यह भी शपथ लेनी होगी कि वह भारत के कानूनों एवं अपने (भारत के नागरिक के हृष में) इतिव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा।

भारत में किसी क्षेत्र के निर्गमन द्वारा—

यदि किसी क्षेत्र का निर्गमन भारत क्षेत्र में हो जाता है तो भारत सरकार भादेश द्वारा यह घोषित कर सकती है कि उस क्षेत्र के किन व्यक्तियों को नागरिक माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति घोषणा की तिथि से भारत के नागरिक माने जायेगे।

२ नागरिकता की समाप्ति—

भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रकार से नागरिकता का अत हो सकता है।

स्थान द्वारा—

भारत का कोई भी नागरिक जो किसी विदेश का भी नागरिक है घोषणा द्वारा भारत की नागरिकता स्थान सकता है। जब इस घोषणा का पर्जीकरण, संविधान प्राविकारी द्वारा कर लिया जाता है, इस तिथि से वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता।

समाप्ति द्वारा—

यदि भारत का कोई नागरिक नागरिकीकरण पर्जीकरण या किसी अन्य तरीके से किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगा।

नागरिकता से वचित करने—

भारत सरकार को निम्नलिखित व्यक्तियों को नागरिकता से वचित करने का अधिकार है।

यदि किसी व्यक्ति ने घोषे या भूठ से या तथा को द्विषा कर नागरिकता प्राप्त की है तो भारत सरकार उसको नागरिकता से वचित कर सकती है या

यदि कोई नागरिक अपने व्यवहार या भाषण द्वारा भारतीय संविधान के प्रति अपन का आन्दोलन तथा द्वोहा प्रदर्शित करता है तो भारत सरकार उसको नागरिकता से वचित कर सकती है, या

यदि किसी नागरिक न एम बुड़ म जिसम भारत सम्मिलित है, जातु से अर्थधानिक रूप से व्यापार या सम्पर्क किया या उसक जीत होन पर भी कि वह कार पनु को बुड़ म सहायता पूँजावगा, उसम भाग लिया या यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाच बर्षों म दश व त्रिसी न्यायालय द्वारा उस कम-स-कम दो बर्ष का दण्ड मिला हा, या

यदि कोई नागरिक सात बर्षों तक लगातार साधारणत भारत से बाहर निवास करता रहा हो और इस समयावधि म भारत के बाहर विदेश म दिसा झौंझिल स्थान म विद्यार्थी नहीं रहा हो या भारत म किमी सरकार या किसी अवरीष्टीय स्थान के, जिसका भारत एक सदम्य है, अधीन सबा म न रहा हो, और न ही उसन भारत के नागरिक बन रहन के लिए

मिंदेश में भारतीय दूतावास में पजीवरण बराया है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता से बचित बर सकती है।

विसी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से बचित बरने के पूर्व भारत सरकार को उसकी लिपित नोटिस देना आवश्यक होगा, जिसमें उस नागरिक को, नागरिकता से बचित बरने के कारण बतलाय जाना आवश्यक है; भारतीय नागरिकता अधिनियम में एक जांच समिति के लिए प्रावधान विया गया है, जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। साधारणतः भारत सरकार इस विषय पर जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अपना निर्णय देगी।

भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ द्वारा राष्ट्र मण्डलीय नागरिकता के लिए भी प्रावधान विया गया है। इस अधिनियम की पारा ११ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रिटेन, आस्ट्रेलिया, बनाड़, लबा, न्यूजीलैण्ड पाकिस्तान, रोडेशिया एवं न्यासालैण्ड सघ तथा आयरलैण्ड के गणनाम का नागरिक है, इस प्रवार की नागरिकता के आधार पर भारत में राष्ट्र-मण्डलीय नागरिक माना जायेगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की पारा १२ के अनुसार भारत सरकार परस्पर सम्बन्धों के आधार पर उपर्युक्त राष्ट्र मण्डलीय देशों के नागरिकों को भारत के नागरिक के समस्त एवं कुछ अधिकारों को देने के लिए प्रादेश द्वारा प्रावधान कर सकती है।

भारत के सविधान के अतर्गत केवल एक ही नागरिकता के लिए प्रावधान विया गया है। समूर्ण देश के लिए भारतीय सविधान एकल नागरिकता को ही मान्यता देता है, पौर डॉ॰ अम्बेदकर के शब्दों में यह भारतीय नागरिकता है। समूत राज्य अमरीका एवं स्थिटजरलैण्ड में, जो सभ राज्य है दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, सभ नागरिकता भीर सघ के जिस राज्य में एक व्यक्ति अधिवासी है, उस राज्य की नागरिकता। भारत में प्रांतीय एवं सकौर्ण मावनाथों को रोड़ने तथा राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति की मावनाथों को सशक्त बरने हेतु सविधान में एकल नागरिकता को ही मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक को भारत के सविधान के अतर्गत समान अधिकार एवं वर्तन्व प्राप्त है।

नागरिकों के मूल अधिकार

सामान्यतः, एक जनतात्रिक राज्य की दो मूल आवश्यकताएँ होनी हैं। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सरकार के तीन धरो—वायंपात्रिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के सम्बन्ध तथा शक्तियों का आधार जनतात्रिक सिद्धात हो। द्वितीय, यह भी आवश्यक है कि राजसत्ता तथा नागरिकों द्वे मूल अधिकारों के मध्य जनतात्रिक सञ्चुलन हो। जनतात्रिक सरकार अपने कार्यों और नीतियों में जनता की इच्छाओं वा प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, जनतात्रिक सरकार का यह कर्तव्य है कि नागरिक के मूल अधिकारों वा अन्य नागरिकों या स्वयं सरकार के अतिक्रमण से सरक्षण करें। इस प्रबार सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि नागरिकों एवं राज्य के हितों का समन्वय तथा सञ्चुलन जनतात्रिक आधार पर करें, क्योंकि वास्तव में राज्य और नागरिकों के हितों में कोई अतदृष्टन्द नहीं है। सरकार अपने इस कार्य को देश के मूल कानून (संविधान) के प्रमुख कूल ही सफलतापूर्वक कर सकती है, न कि अपनी इच्छानुसार। एक जनतात्रिक राज्य में न तो राज्य और न ही नागरिकों के असीमित अधिकार हो सकते हैं। यदि राजसत्ता और नागरिकों के मूल अधिकारों में जनतात्रिक सञ्चुलन नहीं है, तो जनतत्र वा कोई मूल्य नहीं हो सकता है।

"एक कानूनी अधिकार एक ऐसा हित है जिसका सरक्षण कानून द्वारा होता है और जिसको न्यायालय लागू करते हैं। जबकि एक साधारण कानूनी अधिकार वा सरक्षण और लागू करना देश के साधारण कानून द्वारा होता है, एक मूल अधिकार वा सरक्षण और आश्वासन राज्य के लिखित संविधान द्वारा होता है। इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि साधारण अधिकारों को व्यवस्थापिका द्वारा साधारण विधि-निर्माण प्रक्रियानुसार परिवर्तित किया जा सकता है जबकि एक मूल अधिकार को संविधान-संशोधन प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर मूल अधिकार देश के मूल कानून (संविधान) द्वारा आश्वासित होते हैं अतः सरकार का कोई भगा वायंपात्रिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, इनके विपर्द वाद नहीं कर

सकता है और इस प्रवार का कोई भी राज्य-वायं जो मूल अधिकारा के विषद है अवैध होना चाहिये।”^१

यह स्पष्ट है कि किसी भी अधिकार को मूल अधिकार नहीं बहा जा सकता है यदि व्यवस्थापिका या कायपालिका उसका उल्लंघन करती है और संविधान के अन्तर्गत इसके लिए कोई सर्वेधानिक उपचार न हो। मुख्य-न्यायाधीश श्री शास्त्री ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के प्रबरण में इस विषय पर बहा था— मूल अधिकारा को संविधान के आरम्भ में और साथ म व्यवस्थापिका के इन अधिकारों म हस्तक्षेप के सबध मे एक विशिष्ट मुमानियत (अनुच्छेद १३) रखना और इस मुमानियत को लागू करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का सर्वेधानिक प्रावधान (अनुच्छेद ३२) रखना इस बात का स्पष्ट दोतक है कि यह अधिकार साधारण कानूनों म सर्वोच्च है।^२

एक लिखित जनतात्रिक संविधान में मूल अधिकारा के लिए प्रावधान बरने के निम्नलिखित बारण होते हैं, जिनसे मूल अधिकारों की महत्ता भी स्पष्ट हो जाती है।

सर्वप्रथम, संविधान में मूल अधिकारों को रखने के पीछे यह तक है कि जनतात्र मे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है। बास्तव मे जनतात्रिक राज्य का समस्त दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता पर आधारित है। इस पारण के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बरते हुए समस्त समाज के वल्याण की प्राप्ति करना है। परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी समव है जब प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों के उपभोग के लिए समान अवसर प्राप्त हो और इन अधिकारों की सुरक्षा का सबसे प्रभावशाली आश्वासन इनको संविधान मे रखना है।

द्वितीय, मूल अधिकारों को संविधान मे स्थान देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित होता है। “संविधान भ मूल अधिकार वह यत्र है जिनके द्वारा सरकार की निरकुशता रोकी जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति के ‘प्राकृतिक अधिकारों के’ क्षेत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुरक्खित किया जाता है।”^३ राज्य द्वारा इस क्षेत्र मे प्रतिक्रमण नि मदेह अवैध होगा। विशेषकर, भारत मे जहाँ एक राजनीतिक दल का विशेष बहुमत है जहाँ कोई प्रतिपक्षी दल इस

^१ डौ० डौ० बसु-‘कमेन्ट्री आन द कान्स्टीट्यूशन आफ इडिया’, भाग—१, १९६५ पृ० १२६।

^२ शास्त्री—गोपालन बनाम मद्रास राज्य।

^३ सौ० जे० फाइडिक—‘कान्स्टीट्यूशनल एवेट एण्ड डेस्क्रेसी’, १९५०, पृ० ४२६।

स्थिति में नहीं है कि बेन्द्र ने वैकल्पिक सरकार का गठन कर सके, सविधान में उल्लिखित मूल अधिकार ही प्रतिपक्षी दलों के लिए उस हथियार के हृप में हैं, जिनके आधार पर इन्हें विचारों तथा मायण की स्वतंत्रता हारा, वे सत्तारूप दल की निरकुश प्रवृत्ति को रोक सकेंगे। प्रथमतः और जलकल्पाम वे नाम में सत्तारूप दल ऐसे कई बार्य कर सकता है जो नागरिक के अधिकारों के विरुद्ध हों। अतएव, मूल अधिकारों को सविधान में रखना तथा उनको सविधान में उल्लिखित सशोधन-प्रक्रिया के अनुसार ही समीक्षित करना, नागरिकों को, मूल अधिकारों के लिए एक ठोस आश्वासन है कि सरकार में परिवर्तन के बाबजूद भी, उनके अधिकारों में दिना सशोधन-प्रक्रिया को उपयोग में लाये हुए, परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं। श्री एम॰ सी॰ द्यागला ने ढीक ही कहा है—“भारत में एक और ढर है, हमारे यहीं प्रतिपक्षी दल का एक जनताविक शोषक के हृप में अमाव है। हमारी संसदीय संस्थाओं में, ड्रिटेन की संस्थाओं पर आधारित होने के उपरान्त भी, उस अवरोध की बड़ी है जो इचलैप्ड में निरकुश शासन के विरुद्ध पार्द जाती है। हमारे यहीं एक राजनीतिक दल का शासन है, जिसके स्थान पर अन्य दल सत्तारूप हो सकता है। निरकुश तबों में धर्मिक सत्तरनाम निरकुश तत्र थह है जो जनताविक आवरण में है। एक निरकुश तत्र नो, जो जनता के मत हारा सत्तारूप है, न किसी भी दरले की, न पछतावे की आवश्यकता है, अतएव हमारे सविधान निर्माणाधीन को येय देना चाहिये कि उन्होंने व्यवस्थानिका की, जो एवं या कहासी दल के आविष्य में है, सम्भावित निरकुशता के विरुद्ध रक्षा के लिए प्रावधान किया।”^१

तृतीय, नागरिकों के मूल अधिकारों को सविधान में रखने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सविधान में, जो देश का सर्वोच्च कानून है, मूल अधिकारों के रहने से इनको राजनीतिक भरभरेदों के दादरे से ऊपर उठा दिया जाता है। “व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, प्रेस-न्यूतंत्रता, पूजा करने की और इच्छा होने की स्वतंत्रता, सम्पत्ति तथा मायण देने की स्वतंत्रता और अन्य मूल अधिकार मनुदान के लिए प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं, वे किसी चुनाव के परिणामों पर निर्भर नहीं हैं।”^२

नालिखितों के मूल अधिकारों को सविधान में रखने के लिये उपरोक्त तबों के दृष्टिदृष्टि से स्वाभाविक हृप में यह प्रमुख खड़ा होता है कि ड्रिटेन में, मूल अधिकारों को लिखित एवं न्याट हृप से बयो नहीं रखा गया है? ड्रिटेन में लिखित सविधान

१. एम॰ सी॰ द्यागला—‘द इनडिपिन्डेंट एन्ड द स्टेट’, १६५८ पृ० ११।

२. जै० जैक्सन—‘वेस्ट वर्किंग्स राज्य शिक्षा मन्डल बनाय बानेंट’, ३१६, पृ० एस॰ ६२४, १८४३।

नहीं है। वास्तव में ब्रिटिश संविधान के सिद्धान्तों वा विकास ऐतिहासिक हृषि से ब्रिटिश नागरिकों वे मूल अधिकार व विधि शासन में निहित हैं। इगलैण्ड म संविधान के सिद्धान्त संविधान में (जो लिपित संविधान नहीं है) पैदा नहीं होते, परन्तु स्वयं संविधान की उत्पत्ति तथा आधार मूल अधिकारों म है।”^१ ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों के प्रस्तित्व की ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में इतनी अधिक गहरी जड़े हैं, वि ब्रिटेन म प्रश्न यह नहीं पैदा होता है वि अधिकार है पर यह कि अधिकारों वो लागू करवाने वे लिए बौन से प्रभावशाली बदम उठाने चाहिये।

भारत मे मूल अधिकारों के अस्तित्व को ब्रिटेन की तरह बोई काल्पनिक या भावात्मक आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता था। अतएव भारत वे संविधान मे नागरिकों के मूल अधिकारों को एक विशेष स्थान दिया गया है, और माथ ही व्याप्तिकालिक वो इन अधिकारों के सरखण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मूल अधिकारों के प्रकार

भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय मे भारत के नागरिकों के सात मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वे हैं १-समानता का अधिकार, २-स्वतंत्रता का अधिकार, ३-शोषण के विरुद्ध अधिकार, ४-धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ५-सास्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, ६-सम्पत्ति का अधिकार, और ७-सर्वधार्मिक उपचारों का अधिकार।

उपर्युक्त उल्लिखित मूल अधिकारों को दो श्रेणियों मे उनके स्वरूप वे आधार पर रखा जा सकता है।

प्र-पृथक् सत्तापूर्ण या सकारात्मक अधिकार, जैसे १-समानता का अधिकार, २-स्वतंत्रता का अधिकार, ३-शोषण के विरुद्ध अधिकार, ४-धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ५-सास्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ६-सम्पत्ति का अधिकार। इनमे प्रत्येक अधिकार का स्वरूप सकारात्मक है, वयोंकि इनके माध्यम से नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास मे सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, इसमे से प्रत्येक अधिकार की पृथक् सत्ता एवं अस्तित्व है।

ब-उपचार सबधी या वार्यविधिक अधिकार। भारत के संविधान मे सातवें अधिकार, सर्वधार्मिक उपचारों के अधिकार का स्वरूप इस प्रकार का है। इसका उद्देश्य नागरिकों के सकारात्मक या पृथक् सत्तापूर्ण अधिकारों के उल्लंघन होने पर एक विशिष्ट कार्य विधि के अनुसार पर्याप्त उपचार प्रदत्त करना है।

जबकि सकारात्मक या पृथक् सत्ताधारी अधिकारों द्वारा नागरिकों के लिए ऐसे क्षेत्र का निर्धारण होता है, जिसमे सरकार कोई ऐसी पक्षपात फूर्ण कार्यवाही

१. जी० एन० जोशी-‘द कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया’, १९५२, पृ० ६१।

नहीं कर सकती, जिससे इन अधिकारों का उल्लंघन हो, सर्वेधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत उस कार्यविधि को निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार राज्य का, नागरिकों के किसी सञ्चारात्मक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति म, यह कर्तव्य होगा कि पीडित नागरिक के लिए उपचार की व्यवस्था करे। भारत के संविधान के अन्तर्गत सर्वेधानिक उपचारों का अधिकार एक प्रभावशाली श्रीविधि के रूप में है, जिसके उपयोग से किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप पीडित नागरिक को पर्याप्त उपचार तुरन्त प्राप्त हो सकेगा। अतः सर्वेधानिक उपचारों का अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के समवत् दुरुपयोग पर, जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, एक महत्वपूर्ण अवरोध है।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता एवं विद्वता का परिचय देते हुए राज्य एवं नागरिकों के उपर्युक्त सबबों की पृष्ठभूमि में, राज्यसत्ता पर दो महत्वपूर्ण जनतात्रिक अवरोधों को रखा, जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षित रखा जा सके।

सर्वप्रथम, नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान में रखते हुए इन अधिकारों की मौतिता पर प्रकाश ढाला गया है। संविधान में इन अधिकारों को एक विशेष स्थान देने के फलस्वरूप इनको संविधान की पवित्रता एवं सर्वोच्चता का सरक्षण प्राप्त होगा है।

द्वितीय, संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में रखने के अतिरिक्त, कतिपय प्रावधानों द्वारा स्पष्ट माया में यह निर्धारित किया है कि इन अधिकारों का, राज्य सत्ता में दुरुपयोग द्वारा उल्लंघन न हो। अनुच्छेद १२ के अन्तर्गत राज्य से तात्पर्य है भारत सरकार एवं भारतीय संसद, प्रत्यक्ष राज्य की सरकार तथा राज्य विधान-सभा, तथा भारत में स्थानीय या अन्य अधिकारी। इस प्रकार अनुच्छेद १२ द्वारा 'राजसत्ता' का उपर्युक्त शर्य बतलाया गया है। अनुच्छेद १३ के अनुसार राज्य (जिसका अर्थ अनुच्छेद १२ में दर्शाया गया है) द्वाया निर्मित कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, अवैध माने जायेंगे। अनुच्छेद १३, उपचर्य २ के अनुसार कोई कानून राज्य द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को समाप्त करना है या उसमें विषट्ठन बरता है और इस प्रकार का कानून अवैध होगा। "संविधान के अध्याय तीन में निहित मूल अधिकार, राज्य के समस्त अग्रा के विरुद्ध इसे की दीवार है। 'राजसत्ता-व्यवस्थापन, बायंपालिका' एवं न्यायपालिका सबबों — पर यह कई अवरोधों के हृष में निर्मित किये गये हैं।"

१. एम० सौ० शास्त्री—'हान्टीट्यूशन घाक इविड्या', १६५८ पृ० १४६।

२३ फरवरी, १९६७ को सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम प्रजाव राज्य के प्रबरण में एवं महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके प्रनुसार सप्तद वो मूल अधिकारा म सशोधन करने का अधिकार नहीं रहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ प्रबरण में दिया गया निर्णय, उसके पूर्व वे दो निर्णयों के विशद था, जो प्रकरी प्रसाद बनाम भारत सर्व एवं सञ्जनसिंग बनाम राजस्थान राज्य के दो प्रबरणों में दिये गये थे और जिनम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि सप्तद को सविधान म उल्लेखित मूल अधिकारा का सशोधन करने का अधिकार है। अतएव जब फरवरी १९६७ म सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ प्रबरण में यह निर्णय दिया कि सप्तद को सविधान के अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत मूल अधिकारा म सशोधन करने का अधिकार नहीं था, राजनीतिज्ञों ने, विशेषकर श्रीनाथपाई ने मुझाव दिया कि सविधान के अनुच्छेद ३६८ वो सशोधित कर इसम स्पष्ट रूप से यह अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाये कि सविधान के अध्याय तीन म उल्लिखित मूल अधिकारों को सशोधन करने का अधिकार सप्तद को प्राप्त है। अन नवम्बर ५, १९७१ को सविधान का २४वाँ सशोधन पारित किया गया, जिसके प्रनुसार अनुच्छेद ३६८ में यह प्रावधान जोड़ दिया गया है कि सप्तद को मूल अधिकारों में सशोधन करने का अधिकार है। सविधान के २४ वें सशोधन के पलस्वरूप सप्तद को पुन मूल अधिकारों के सशोधन का यह अधिकार प्राप्त हो गया है जो उसको सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ प्रबरण में दिये गये निर्णय के पूर्व प्राप्त था।

मूल अधिकारों के सवध में यह भी याद रखना आवश्यक है कि यह अधिकार असीमित नहीं है। यह एवं राजनीतिक सत्य है कि असीमित अधिकारो का जनतात्रिक राज्य में कोई स्थान नहीं हो सकता है। विशेषकर, यह ब्रिटिश एवं प्रमरीकी सविधानों के अन्तर्गत स्थापित जनतात्रिक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में सत्य है। प्रमरीका में नागरिकों के सीमित अधिकारो के सिद्धान्त को प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी।^१

भारत में भी नागरिकों के सीमित अधिकारो के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है। मुख्य न्यायाधीश दास ने, गोपालन बनाम मद्रास राज्य के प्रबरण में बहा है—‘गवत वार्य करने की एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिवन्ध लगाना, यास्तव में पीढ़ित होने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अतएव स्वतंत्रता पर प्रतिवन्ध लगाने की जांच न बेवल व्यक्ति परव दृष्टिकोण से, जैसा क्तिपय व्यक्तियों के सवध म लागू किये जाने से विदित होता है, की जाना चाहिय, अपितु वस्तु

१. ऐडकीन्स बनाम चीलरनस हास्पिटल, १९२३, २६१ मू० एस० ५२५।

परक दृष्टिकोण से भी कि इसके द्वारा अधिक सख्त में व्यक्तियों की समानता प्राप्त होती है।”^१

अत जब वि राज्य सत्ता पर एक और नागरिकों के मूल अधिकारों के सम्बन्ध में सीमाएँ सविधान द्वारा लगाई गई हैं, दूसरी ओर नागरिकों के मूल अधिकारों पर भी सर्वेजनिक सीमाएँ लगाई गई हैं, जिससे जनतद एवं राज्य का अस्तित्व बिद्यमान रहे।

अब यहाँ उचित होगा कि भारतीय सविधान द्वारा सात मूल अधिकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाये।

समानता का अधिकार

सविधान के अनुच्छेद १४-१८ में नागरिकों के समानता के अधिकार का विवरण दिया गया है। इस अधिकार के सम्बन्ध में राजसत्ता पर वर्तिपय विशेष अवरोध लागू किये गये हैं। राजसत्ता के प्रश्न के दृष्टिकोण से समानता का अधिकार निषेधात्मक है। इस मुद्दे पर विशेषकर अनुच्छेद १४, १५, व १६ में बत दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं।

अनुच्छेद १४ के अनुसार राज्य द्वारा विस्तीर्णता वो कानून के समक्ष समानता का या कानून द्वारा समान सरकार के अधिकार का, भारतीय प्रदेश पर, निषेध नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद १५ (१) के अनुसार राज्य विस्तीर्णी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद १५ के उपबन्ध २ के अनुसार धर्म, वश, जाति, लिंग, एवं जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिक के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में भेदभाव नहीं किया जायेगा —

१—दूकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरजनगृहों वे प्रवेश के संबंध में।

२—पूण्य या आश्चिन्ता आधार पर राज्य निधि द्वारा बने हुए या जनता वे लिए बताये गये कुऐं, तालाद, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों वे उपयोग के संबंध में।

अनुच्छेद १५ के दो अद्याद हैं। सर्वप्रथम, राज्य इतिहासों तथा वच्चा की प्रगति के सिए विशेष बदल उठा सकता है। द्वितीय, अनुच्छेद १५ में उल्लिखित विस्तीर्णी भी सविधान से या अनुच्छेद २६ के उपबन्ध २ से राज्य को शिक्षा एवं

^१ गोपलन बनाम मद्रास राज्य, १९५०, एस० सी० आर० द८, (२६२)।

नागरिकों के मूल अधिकार

सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्गों एवं अनुसूचित जातियों की उपतिथि वे लिए बाईं विशेष व्यवस्था बरने में विसी प्रकार की आधा नहीं होगी।

अनुच्छेद १६ (१) के अनुसार समस्त नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति वे लिए समान अवसर उपलब्ध होंगी। अनुच्छेद १६ (२) के अनुसार वेवल धर्म, वण, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर विसी नागरिकों को सरकारी नौकरी या पद से वचित नहीं किया जायगा और न मेदमाव किया जायेगा। सक्षेप में अनुच्छेद १६ राज्य पर एक प्रतिदन्पत्र के सदृश है, जिसके बारण सरकारी नौकरी या पदों के सबध मध्यम, वण, जाति, लिंग, उत्पत्ति एवं जन्म स्थान के बारण मेदमाव नहीं किया जा सकता है। परन्तु इसके सबध में कठिपय अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं।

(क) सप्तद विवि द्वारा राज्य-सेवाओं से सञ्चित पद या स्थानीय पद का बहुं वे निवासियों के लिए आरक्षित बर सकता है।

(ख) यदि राज्य की राय में पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों को राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो राज्य इनके लिए नियुक्तियों या पदों को आरक्षित कर सकता है। परन्तु अनुच्छेद ३३५ द्वारा यह स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गों की नियुक्ति करते समय प्रशासन की कुशलता वो ध्यान में रखना आवश्यक है।

समानता के अधिकार के सन्दर्भ में सविवान के अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अस्पृश्यता से उत्पन्न वीर्ग नियोग्यता को लागू बरना अपराध होगा, जो बानून के अन्तर्गत दण्डनीय है।

सप्तद ने, १६५५ में, समानता के अधिकार को प्रभावशाली हृषि से लागू करने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १६५५ पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के साथ किये जाने वाले मेदमाव को अवैध घोषित करना और उचित दण्ड के लिए प्रावधान बरना है। वस्तुतः जो सुविधाएँ जनसाधारण एवं सर्वांहिन्दुओं को प्राप्त हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत वे सुविधाएँ अनुसूचित जातियों को भी प्रदत्त हैं। यदि वीर्ग व्यक्ति किसी हरिजन को सार्वजनिक पूजास्थान में पूजा या प्रार्थना करने से या किसी तलाव, कुएँ या जलझोल में स्नान बरने से रोकता है तो उसे ६ माह की कैद या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं। यह दण्ड उनको भी दिया जा सकता है, जो हरिजनों को दूकान, सार्वजनिक जलपानगृह, होटल, घरमंगाला, सराय, नदी, कुएँ, नानधाट, शमशान, निवास स्थान, अस्तनाल शैक्षणिक संस्थाएँ एवं द्यावादास के उपयोग से वचित बरने का प्रयत्न करेंगे।

अन्त में अनुच्छेद १८ के अनुसार उपाधियों को समाप्ति वे लिए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं—

१—सेना या शिक्षा सबधी उपाधि के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी।

२—भारत के किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जायेगी।

३—कोई विदेशी जो भारत में राज्य के ग्रामीण सभान के विसी पद पर है, राष्ट्रपति द्वी सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

४—भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भेट या उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

तथापि, जनवरी २६, १९५० को राष्ट्रपति ने यह आदेश प्रसारित किया कि राष्ट्रसभा (कामनबेल्य) के किसी भी देश के नागरिक को विदेशी नहीं समझा जायेगा, जब तक कि यह बात संसद द्वारा पारित किसी विधि के विरुद्ध न हो। अतएव इस आदेश के फलस्वरूप भारतीय नागरिक राष्ट्रसभा (कामनबेल्य) के किसी देश की उपाधि स्वीकार वर सकता है।

भारत के नागरिकों के समानता के अधिकार के दृष्टिकोण, राज्य की भूमिका वे दो पहलू हैं। सर्व प्रथम, राज्य को अपनी शक्तियों का उपयोग सीमित रूप से करना आवश्यक होगा, जिससे उसके द्वारा नागरिकों की कानून के समक्ष समानता या बानून के द्वारा समान रूप से प्रदत्त सरकार को धर्म, वश, जाति, लिंग, तथा जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेद-भाव के कारण आघात न पहुँचे। द्वितीय, राज्य द्वी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग नागरिकों के अवसर के समानता के अधिकार के अनुकूल ही उपयोग में लाना होगा।

समानता के अधिकार के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को एक विशेष वर्तन्य, सविधान द्वारा सौंपा गया है जो कि अस्तृशयता-निवारण से सबधित है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता द्वी स्थापना करना है। वस्तुत अस्तृशयता-निवारण सबधी प्रावधान उन व्यक्तियों के आचरण पर समर्थत, एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में रखे गय हैं जो सविधान में निहित जनतानिक मूलयो—स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय वा, दून छात के व्यवहार से, विनाश करने वा प्रपत्त करें।

स्वतन्त्रता का अधिकार

भारतीय सविधान ने अनुच्छेद १६ से २२ में नागरिकों की स्वतन्त्रता के अधिकार का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। “एक प्रकार से इनको व्यक्ति के

नागरिक अधिकार माना जा सकता है परन्तु एवं दृष्टिव्योग से इनकी राजनीतिय महत्त्वात्मविक है वयोंकि ये व्यक्ति एवं जनतन्त्र के लिए अति आवश्यक हैं और जनतन्त्र इनके माध्यम से तथा इनके आधार पर ही जीवित रहता है। जब एवं व्यक्ति को समुदाय एवं राजनीतिक दल निर्माण करने का अधिकार है, अपने विचारा को प्रसारित करने की स्वतन्त्रता है और विना सत्तारूढ़ दल के हस्तधेष्ठ ये चुनाव जीतने तथा सरकार निर्माण करने का अवसर है, तब ही हम जनतन्त्र के अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं अत ये (स्वतन्त्रता के अधिकार) सविधान का जीवन और आत्मा हैं।^१

भारत के नागरिकों के स्वतन्त्रता के अधिकार के दो पहलू हैं। सर्वप्रथम नागरिकों को सविधान द्वारा सात मूल स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद १६ (१) के अनुसार इन सात स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं।

१—वाक् स्वातन्त्र्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।

२—शान्ति पूर्वक एवं अस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतन्त्रता।

३—समुदाय और सभ निर्माण करने की स्वतन्त्रता।

४—भारतीय प्रदेश में स्वतन्त्रता पूर्वक भ्रमण करना।

५—भारतीय प्रदेश के विसी मी हिस्से में निवास करने तथा वसन की स्वतन्त्रता।

६—सम्पत्ति के अजंत वरने, रखने और वेचने की स्वतन्त्रता।

७—कोई व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या धन्धा करने की स्वतन्त्रता।

भारतीय सविधान द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सविधान द्वारा इस अधिकार पर वर्तिय 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगाई गई हैं जो इस सिद्धान्त के अनुकूल है कि कानून और स्वतन्त्रता में वास्तव म कोई विरोधाभास नहीं होता है और वास्तविक स्वतन्त्रता बानन के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती है। यह सावधानी रखते हुए कि स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलता में परिवर्तित न हो जाये, सविधान निर्माताओं ने राज्य को शक्ति प्रदत्त की, जिससे सामान्य जनता के हित में अधिकारी पर सीमाएँ रखी जा सकें। "जो बात रुचिपूर्वक ज्ञात करने योग्य है, वह यह है कि उन्होंने इनको सीमाओं को युक्तियुक्त अर्थात् न्याय योग्य निर्धारित किया है, जिससे भविष्य में कोई न्यायालय अपने को इस अधिकार से सकोच पूर्वक विचित म कर सके।"^२

१. यी० के० राव—'पार्लियामेंटरी इमोरेसी इन इंडिया, १९६१ मृ० १४६-१४७।

२ यही-पृ० २११।

अतएव सविधान मे नागरिकों के स्वतंत्रता का जो आशासन है, उसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त सीमाएँ भी रखी जा सकती हैं और राज्य जिस कानून द्वारा इन सीमाओं को लागू करेगा, वह कानून 'न्याय-योग्य' होगा, अर्थात् उक्त कानून को न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। बस्तुतः जिन सीमाओं को राज्य द्वारा अनुच्छेद १६ के अन्तर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर लागू किया जायेगा, वे निरकुश नहीं परन्तु युक्तियुक्त होगी। इस न्यायिक अकूल के कारण व्यवस्थापिका, स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकेगी।

असीमित तथा अनियमित स्वतंत्रता अवश्य ही उच्छृंखलता मे परिवर्तित हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप न केवल अन्य व्यक्तियों बी स्वतंत्रता को हानि पहुँचाती है परन्तु इससे राज्य की सुरक्षा एवं अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता का सही विभिन्न ऐसी स्वतंत्रता से है, जो कानून से नियमित है, क्योंकि कानून जनतात्त्विक राज्य मे जनता को इच्छा का ठोस रूप होता है। दूसरे शब्दों मे कानून द्वारा ही जनतात्त्विक राज्य मे जनता की इच्छा का विद्यान्वय सम्बन्ध है। अतएव जनतात्त्विक पढ़ति से नियमित कानून के दायरे मे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता सम्बन्ध है, जिससे अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन न हो सके। परन्तु इसके साथ ही यह आवश्यक है कि राजसत्ता का उपयोग भी सीमित तथा जनतात्त्विक रूप से किया जाना। चाहिये, विशेषकर जब कि राजसत्ता के उपयोग का उद्देश्य लोक कल्पणाकारी राज्य की स्थापना के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से नागरिकों के अधिकारों का सविधान मे स्पष्ट उल्लेख करना राजसत्ता पर आवश्यक सीमाएँ निर्धारित करना है, जिनका राज्य सत्ता द्वारा उल्लंघन करना स्पष्ट रूप से अवैधानिक होगा। मारतीय सविधान मे मूल अधिकारों के उल्लेख करने के साथ उन सीमाओं को स्थापित किया गया है जिनसे ये अधिकार सीमित रहेंगे। हमारे सविधान से प्रदत्त मूल अधिकार अतएव असीमित नहीं हैं। "प्रत्येक मानसे मे अधिकार, न कि सीमाएँ मूल हैं और देश मे सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि इन अधिकारों की उत्ताहमूर्दक चौकसी और रक्षा करे।"

नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार मे निहित सान स्वतंत्रताओं पर इस दृष्टि-बोध से आवश्यक युक्तियुक्त सीमाएँ सविधान द्वारा लगाई गई है, जिनका उल्लेख मारत मे नागरिकों की स्वतंत्रता और राजसत्ता के मध्य मे जनतात्त्विक सन्तुलन स्थापित करना है। नागरिकों की स्वतंत्रता पर इस प्रकार की सीमाएँ, प्रत्येक स्वस्य समाज मे पाई जानी हैं, जिनके बिना समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता।

है। कोई राज्य अपने नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता नहीं दे सकता है। मारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की यह एक विशेषता है कि इनमें संघर्ष में संविधान म ही युक्तियुक्त सीमाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया है। विन्तु यह ज्ञात करने के लिए कि किसी कानून द्वारा सगाई य सीमाएँ न्यायालिक हैं या नहीं न्यायपालिका को अनिम अधिकार प्राप्त है। मारतीय नागरिक वा अनुच्छेद १६ के अन्तर्गत प्रदत्त सात स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित सीमाएँ हैं।

१—वाक् स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएँ। वाक् स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में जनतंत्र वा कोई मूल्य नहीं है। अतः प्रत्यक्ष जनतानिक संविधान के अन्तर्गत वाक् स्वतंत्रता एव विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मान्यता दी जाती है। परन्तु जैसा देखा जा चुका है, असीमित स्वतंत्रता न बेबल अर्थात् हो जायेगी विन्तु यह जनता के सामान्य हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।

प्रारम्भ म मारतीय संविधान द्वारा बेबल चार विषयों पर संघर्ष म नागरिकों की वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएँ रखी गईं (अ)—अपमान-लेप, (ब) न्यायालय की निर्दा, (स) शिष्टाचार और नैतिकता एव, (ट) राज्य की सुरक्षा। संविधान के लागू होने के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि उपर्युक्त चार विषयों संघर्षी सीमाओं के बावजूद भी स्वतंत्रता का अधिकार इतना अधिक विस्तृत था कि न केवल हृत्या और अन्य हिसात्मक अपराधों के लिए उत्तेजित करने के बायं इन सीमाओं के धोने में नहीं आते हैं, विन्तु जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के प्रबरण में अपने निर्णय म घतलाया है कि राज्य की नीति पर आधार पड़ौंचाने वाले या राज्य दो समाप्त करने के कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के आधार पर वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर सीमा लगाना उचित नहीं होता। फलस्वरूप १६५१ में प्रथम संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नागरिकों की वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त सीमाओं के धोने म वृद्धि की जा सके। अतः उपर्युक्त उल्लिखित चार विषयों में तीन और विषय जोड़ दिये गये, जिनसे नागरिक स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त सीमाओं के धोने म वृद्धि हुई। ये निम्नलिखित हैं।

(एक)—विदेशी राज्यों से मिलता पूर्ण संघर्ष रखने के लिए,

(दो)—सार्वजनिक सुरक्षा के लिए और,

(तीन)—अपराध को न प्रोत्साहित करने के लिए।

संझेप में, राज्य नागरिकों के वाक् तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित सात विषयों के सन्दर्भ में प्रतिबन्ध लागू कर सकता है।

(१) अपमान लेख, (२) न्यायालय की निम्ना (३) शिष्टाचार तथा नैतिकता (४) राज्य की सुरक्षा, (५) विदेशी राज्यों से मौत्रीपूर्ण-सवध (६) अपराधों के सम्बन्ध में (७) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए।

१—इन सीमाओं को युक्तियुक्त सीमाएँ इसलिये माना गया है कि यदि इसी उपयुक्त न्यायालय की सम्पत्ति में यदि किसी कानून या आदेश द्वारा युक्तिहीन प्रतिबन्ध, दण्ड व विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू किये गये हैं, इनको अवैध माना जा सकता है। अतएव नागरिकों की स्वतंत्रता पर सीमाएँ लगाने का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अधिकार अन्तिम नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका इन सीमाओं के अधिकार की जांच कर उन्हे अवैध ठहरा सकती है। 'यहाँ पर भारतीय संविधान ने भ्रमरीकी संविधान से व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कामों का न्यायपालिका द्वारा निरीक्षण के सिद्धान्त को अपनाया है। यह न्यायालय को निर्धारित करना है कि सीमाएँ युक्तियुक्त हैं या नहीं।' १ चिन्तामणराव बनाम मध्यप्रदेश नामक प्रदरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित 'युक्तियुक्त सीमाएँ' अन्तिम नहीं हैं। न्यायपालिका को यह जांचने का अधिकार है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित सीमाएँ युक्तियुक्त हैं या नहीं हैं।

२—शान्तिपूर्वक तथा अस्वरहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार नागरिकों को राजनीतिक या अन्य प्रकार के सम्मेलन करने का अधिकार है, परन्तु यह शान्ति पूर्वक होता चाहिये जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को आपात न पड़ते। अनुच्छेद १६ उपबन्ध ३ के अनुसार राज्य को नागरिकों के इस अधिकार पर सार्वजनिक सुरक्षा के हित में 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगाने का अधिकार है।

३—समुदाय एवं संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद १६ (१) (सी) द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार वो स्वतंत्रता के आधार पर नागरिकों को राजनीतिक दल, व्यापार संघ, और समाजों के लिए व्यवस्था करने का अधिकार है। इस प्रकार वो स्वतंत्रता पर अनुच्छेद १६ उपबन्ध (४) के अन्तर्गत राज्य सार्वजनिक सुरक्षा एवं नैतिकता के हित में 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगा सकता है। इस दृष्टिकोण से यदि कोई संगठन किसी कानून के विधान्यन में दृस्तक्षेप करता है या सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध है, तो राज्य द्वारा उस संगठन को अवैध ठहराया जा सकता है।

४—भारतीय प्रदेश में एक हिस्से से अन्य हिस्से में भ्रमण करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद १६ (१) (टो) के अन्तर्गत प्राप्त

१. दो० दो० अमु—'प्रवौक्त पुस्तक', पृ० ५६३।

नागरिकों के मूल अधिकार

है परन्तु इस स्वतंत्रता पर भी राज्य 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगा सकता है। ये सीमाएँ अनुच्छेद १६ (५) के अन्तर्गत सार्वजनिक या अनुसूचित जनजातियों वे हित में राज्य द्वारा लगाई जा सकती हैं।

५—भारतीय प्रदेश के विसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद १६ (१) (इ) के अन्तर्गत भारत के नागरिकों वो प्रदत्त है। परन्तु अनुच्छेद १६ उपबन्ध ५ के अनुसार सार्वजनिक या जनजातियों वे हितों से दृष्टिकोण से, इस स्वतंत्रता पर भी राज्य द्वारा 'युक्तियुक्त सीमाएँ' लगाई जा सकती है।

६—सम्पति का अर्जन करने, रखने और बचने की स्वतंत्रता, भारत के नागरिकों वो संविधान के अनुच्छेद १६ (१) (एफ) के अन्तर्गत प्राप्त है। परन्तु इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद १६ (५) द्वारा यह युक्तियुक्त सीमा लगाई गई विं इस स्वतंत्रता का उपमोग सार्वजनिक और जनजातियों वे हितों वो ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है। उदाहरणार्थं जुआ घर, अनधिकृत अस्त्र, शराब की अनधिकृत भट्टियाँ राज्य द्वारा जब्त की जा सकती हैं। यही उत्तेजनीय है कि सम्पति अर्जित करने तथा रखने का यह अधिकार अनुच्छेद ३१ (ग) या (२) के अन्तर्गत राज्य के व्यक्तिगत सम्पति तो लेने के अधिकार के अधीन है अर्थात् यदि अनुच्छेद ३१ के अंतर्गत राज्य विसी व्यक्ति की सम्पति वो प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद १६ (१) (एफ) द्वारा प्रदत्त सम्पति अर्जित करन एवं रखने के अधिकार वो राज्य वो अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत सम्पति प्राप्त करने के अधिकार के अधीन माना जायेगा।

७—विसी व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या धन्या करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों वो अनुच्छेद १६ (१) (जी) के अन्तर्गत प्राप्त है। विन्तु यह स्वतंत्रता अनुच्छेद १६ उपबन्ध (६) के अनुसार राज्य द्वारा, सार्वजनिक हितों से दृष्टिकोण से युक्तियुक्त सीमाओं के माध्यम से सीमित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों वी इस प्रकार की स्वतंत्रता से राज्य के इस अधिकार पर, वि वह विसी भी व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या धन्ये के सम्बन्ध में वानून द्वारा व्यवसायिक या तकनीकी योग्यता निर्धारित करे, कोई रोक नहीं लगती है। राज्य को व्यवसायिक या तकनीकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार इस कारण दिया गया है कि अनेक व्यवसाय, विशेषकर चिकित्सा या इंजीनियरिंग, न केवल इनमें कार्यस्त व्यक्तियों से सम्बन्धित है विन्तु प्रत्यक्ष रूप से इनका सम्बन्ध जनता से भी है।

भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार का दूसरा पहलू विशिष्ट रूप से वानून एवं स्वतंत्रता के सम्बन्ध पर प्रबाध ढालता है। यह वर्णन अनुच्छेद २०

से अनुच्छेद २२ तक मे दिया गया है। बस्तुतः इन तीन अनुच्छेदों मे भारतीय संविधान मे विटिश संविधान के सदृश 'विधि-शासन' के सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है।

प्रो० डायसी ने विटिश संविधान के अन्तर्गत विधि शासन के तीन सम्बन्धित अर्थ निर्दिष्ट किये हैं, जो निम्नानुसार हैं,

१—विसी नागरिक को न हिरासत मे लिया जा सकता है और न ही उसके जीवन एव सम्पत्ति पर अतिक्रमण ही किया जा सकता है, जब तक कि उस नागरिक ने विसी कानून का उल्लंघन न किया हो,

२—कानून की दृष्टि मे समस्त नागरिक समान है; एव

३—संविधान के सामान्य सिद्धान्त ऐसे न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे विशिष्ट प्रकरणों मे, जो न्यायालयों के समक्ष लाये गये थे, नागरिकों के अधिकारों वा निर्धारण किया गया है।

द्विटेन भे विधि शासन के अन्तर्गत नागरिकों के अधिकारों के अस्तित्व को भान्नता देने और कानून तथा नागरिक के अधिकारों का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि राजसत्ता का उपयोग, नागरिक के अधिकारों के सन्दर्भ मे तभी होगा, जब वि नागरिक न किसी कानून का उल्लंघन किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २० से अनुच्छेद २२ तक मे यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए कानून की भूमिका थया है। यह तीन प्रकार की है।

सर्वप्रथम, अनुच्छेद २० (१) के अनुसार कोई व्यक्ति विसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं माना जायगा, जब तक वि उसने अपराध करने के समय विसी स्थापित कानून का अतिक्रमण न किया हो और न ही कोई व्यक्ति उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उसको अपराध करने के समय स्थापित कानून के अधीन किया जा सकता था।

अनुच्छेद २० (२) के अनुसार विसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार स अप्रिक अभियोजित तथा दण्डित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद मे 'दण्ड से अभियाप्त न्यायान्तर द्वारा दिया गया दण्ड है, न कि विसी विभाग द्वारा दिये गये दण्ड से है। अनएव विसी प्रशासकीय वर्तन्वारी को न्यायालय द्वारा दण्ड मिलने के प्रतिरिक्ष, उसके विरुद्ध सरकार अनुशासनात्मक वायंवाही कर, दण्ड दे सकती है।

अनुच्छेद २० (३) के अनुसार विसी व्यक्ति को जो वि विसी अपराध के लिए अभियुक्त है, स्वय के विशद साक्षी देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। यह अधिकार भारत म दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों के लिए है, जब वि अपराध मे घड़ वेवल फौजदारी मामलों के लिए है।

द्वितीय, अनुच्छेद २१ के अनुसार वोई व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से 'विधि सम्पन्न प्रक्रिया' द्वारा, न यि विसी अन्य प्रक्रिया से, विचित किया जायेगा। राष्ट्रोच्च न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य पे गामते मे 'विधि सम्पन्न प्रक्रिया' का अर्थ स्पष्ट परते हुए, यह निर्णय दिया यि यदि व्यवस्थापिका समा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विचित परने का पानून पारित करती है तो न्यायालय इस पानून को चुनौती नहीं दे सके। भूत्य न्यायाधीश कानिया ने निर्णय देते हुए यहा—“विधि सम्पन्न-प्रक्रिया” शब्दों को अपाने के परिणाम स्वरूप, सविधान द्वारा व्यवस्थापिका समा को पानून निर्धारित परने मे अन्तिम अधिकार दिया गया है।”^१

वित्तिय लेखको ने व्यवस्थापिका समा के हाथ मे इस विषय पर अन्तिम अधिकार छोड़ने के औचित्य पर गका व्यक्ति यी है। प्रो० थीनियागण का वर्णन है—“विधि सम्पन्न प्रक्रिया शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत, स्वतंत्रता के रक्षात्मक प्रावधानों को धीण कर देते हैं, क्योंकि एक व्यवस्थापिका विसी प्रक्रिया का, जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है अपनी सीमाओं मे ही रहकर वायं परते हुए, निर्धारण कर सकेगी।”^२

यह सत्य है कि भारतीय सविधान मे 'विधि सम्पन्न प्रक्रिया' (प्रोसीजर इस्टेटलिशट चाय ला) शब्दों के उपयोग के बारण न्यायपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून के अन्तर्वर्ती गुण और दोष के आधार पर पानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रह जाता है। यदि न्यायपालिका इस निष्पर्प पर पहुँचती है कि व्यवस्थापिका ने सबैधानिक देश मे रह कर, सविधान के अनुसार पानून पारित किया है, तो उक्त पानून को वैध मानना ही होगा। इससे आगे न्यायपालिका नहीं जा सकती है और पानून को मैवल उसके अन्तर्वर्ती दोष के कारण अवैध नहीं ठहरा सकती है। इस दूषिकोण से यदि भारत मे व्यवस्थापिका व्यक्ति के बन्दी, कैद और नजरखन्दी करने का कानून पारित करती है, न्यायपालिका को इस प्रकार के कानून को अवैध ठहराने का अधिकार नहीं है। न्यायालयों को, 'विधि सम्पन्न प्रक्रिया' शब्दों के दूषिकोण से केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि यह ज्ञात करे कि विसी व्यक्ति के जीवन, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिरिक्त विसी कानून के अनुसार हो रहा है या विसी कानून के हो रहा है। यदि यह सबैधानिक पानून के अन्तर्गत हो रहा है तो न्यायालय वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

१. गोपालन बनाम मद्रास राज्य—ए० आई० आर०, १६५०, एस० सी० २७।

२. एन० थीनियासन—डेसोकेटिक गवर्मेन्ट इन इंडिया, पृ० १७३, १६५४।

अमरीका में, सविषान के पांचवें और चौदहवें संशोधनों में 'वैधिक प्रक्रिया' (ड्यूप्रोसेस आफ ला) शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सरक्षण के लिए किया गया है। 'वैधिक प्रक्रिया' के अनुसार अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सरक्षण के लिए, अन्तिम अधिकार है। क्योंकि, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय 'वैधिक प्रक्रिया' के सन्दर्भ में किसी भी कानून की जांच दो बासौटियों के आधार पर कर सकता है।

सर्वप्रथम, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय कानून की जांच इस आधार पर कर सकता है कि क्या व्यवस्थापिका समा ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कानून पारित किया है।

द्वितीय, यदि व्यवस्थापिका ने कानून अपने सुवैधानिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया है तो सर्वोच्च न्यायालय यह भी जांच कर सकता है कि उनके कानून के प्राकृतिक न्याय के सन्दर्भ में क्या अन्तर्वर्ती गुण और दोष हैं। यदि इस दृष्टिकोण से कानून में दोष हैं, तो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। यहाँ पर अमरीकन सर्वोच्च न्यायालय, 'वैधिक प्रक्रिया' के अनुसार ही, प्राकृतिक न्याय की क्सीटी पर अपने अधिकारों का उपयोग करेगा।

अत यह स्पष्ट है कि भारत में 'विधि सम्बन्ध प्रक्रिया' के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय पर व्यवस्थापिका की शक्ति अन्तिम है, और अमरीका में 'वैधिक प्रक्रिया' के अनुसार न्यायपालिका को अन्तिम शक्ति प्राप्त है।

तथापि, यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सविषान के अनुच्छेद २१ में 'विधि सम्बन्ध प्रक्रिया' का प्रावधान वरके वया वास्तव में सविधान निर्माणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका द्वारा अन्तिम शक्ति प्रदान करना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अस्तित्व व्यवस्थापिका की इच्छा पर ही निर्भर रहे।

यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि 'विधि सम्बन्ध प्रक्रिया' को अपनाने से व्यवस्थापिका द्वारा अन्तिम शक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के लिए प्राप्त है, जिन्हें इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिये कि व्यवस्थापिका स्वयं सविषान के प्रावधाना द्वारा वितरित है। अतएव, व्यवस्थापिका अपनी शक्ति का उपयोग सविषान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुकूल ही कर सकती है। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन के मूल अधिकार के सम्बन्ध में, सविषान के अनुच्छेद २२ में उस प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिसके आधार पर ही देवल नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मूल अधिकार से वचित निया जा सकता है। अत अनुच्छेद २२ में 'प्रक्रियात्मक-कानून' (प्रोसेजरल-ला) को समावेशित किया गया है जिसके 'विधि सम्बन्ध प्रक्रिया' के अनुसार व्यवस्थापिका को व्यक्तिगत

नागरिकों के मूल अधिकार

स्वतंत्रता और जीवन के मूल अधिकार के सम्बन्ध में जो शक्ति प्राप्त हुई, उससे बधित किया जाये।

अनुच्छेद २२ में निहित 'प्रक्रियात्मक कानून' इस प्रकार संविधान था, जो कि देश का मूल कानून है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और जिससे साधारण विधि द्वारा व्यवस्थापिका परिवर्तित नहीं कर सकती है। अतएव, यह स्पष्ट है कि, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी प्रक्रिया, नागरिक को उसक स्वतंत्रता और जीवन के मूल अधिकार से बचित करने वे लिए निर्धारित वीजाती है, उसका अनुच्छेद २२ में उल्लिखित प्रक्रियात्मक कानून' व अनुबूत ही होना चाहिये। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार वे सम्बन्ध में व्यवस्थापिका की शक्ति अमीमित है।

अनुच्छेद २२, उपबन्ध १ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बन्दी किया गया है, उसको बन्दीकरण के कारणों से यथाधीश अवगत कराये विना हवालात में रोका नहीं जायगा और न ही उसको इस अधिकार से बचित किया जायेगा ति वह अपनी पसन्द के बकील से परामर्श करे तथा अपना बचाव करदाये।

अनुच्छेद २२, उपबन्ध २ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिससे बन्दी किया गया है और हवालात में रखा गया है, बन्दी बनाये जाने वे २४ घण्टे के अन्दर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जायेगा, और वाई ऐसा व्यक्ति जिना न्यायाधीश वी सहमति वे उक्त अवधि से अविव समय तक हवालात में नहीं रखा जायेगा।

अनुच्छेद २२, उपबन्ध ३ के अनुसार, उपबन्ध १ एव २ में उल्लिखित वोई वात किसी विदेशी शनु या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस निवारक निरोधी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है, लागू नहीं होगी।

सधीय मे, अनुच्छेद २२ के द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का निर्धारण किया गया है जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर लागू है। यह निम्नलिखित है।

१—बन्दी व्यक्ति को बन्दीकरण के कारण से अवगत कराया जाना चाहिये।

२—बन्दी व्यक्ति को अपने पसन्द के बकील की सलाह लेने तथा बचाव कराने वा अधिकार है।

३—किसी व्यक्ति को बन्दी करने के २४ घण्टे की अवधि में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

४—बन्दी को, जिना न्यायाधीश की अनुमति के २४ घण्टे से अधिक समय तक हवालात में नहीं रखा जायेगा।

अनुच्छेद २२ में निहित, उपर्युक्त 'प्रक्रियात्मक कानून' मे कतिपय दृष्टियाँ

है, जिनके फलस्वरूप अभियुक्त को कदाचित् स्वाय प्राप्त न हो। य नुटियाँ निम्नलिखित हैं।

१—सविधान में यह प्रावधान नहीं है कि मुकदमे की सुनवाई जल्दी और सर्वजनिक रूप से हो, और न ही यह प्रावधान है कि अभियुक्त वो अपने बचाव के लिए अपील करने का अधिकार है।

२—यहाँ इस प्रकार वा कोई प्रावधान नहीं है कि मुकदमा कम खर्चीला हो, जब कि अनुच्छेद २२ के उपर्यन्थ १ एवं २ का विषय साधारण बन्दीवरण है, इस अनुच्छेद के उपच-घ ४ से ७ तक वा विषय निवारक निरोध है। निवारक निरोध भारतीय सविधान वा एक अत्यन्त मतभेदपूर्ण विषय है, जिसकी बड़ी आलोचना हूँड़ है। यह कदाचित् अजीब-सा लगता है कि निवारक-निरोध—जैसा विषय सविधान के तीसरे अध्याय म, जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों वा उल्लेख है, सम्मिलित विषय गया हो। परन्तु निम्नलिखित दो तक्तों के प्राघार पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसा क्यों किया गया।

सर्वप्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा एवं एकता के विशिष्ट भूत्त्व के बारण, सविधान निर्माताओं ने निवारक-निरोध सम्बन्धी प्रावधान हमारे भविधान में रखे। बिना राज्य के अस्तित्व के मूल अधिकारों की बल्पना करना, बेमतलब होगा। मूल अधिकारों वो असीमित नहीं होना चाहिये, बिन्तु राज्य की सुरक्षा एवं अपाङ्गता के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त सीमाओं में ही इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। स्वतन्त्र भारत के इतिहास से दिदिन हाता है, कि इसको आनंदित और बाह्य सतरों वा सदा सामना करना पड़ा है। बल्कि आज य सतरे विवराल रूप बारण किये हुए हैं। विशेषकर १६६२ म चीनी आङ्मण, नवराजान् १६६५ में पाकिस्तानी आङ्मण और बागला देश के सन्दर्भ में, पाकिस्तान से हुए मुद्दे के रूप में देश को एवं निरन्तर सतरे का सामना करना पड़ा है। “जनतातिक स्वतन्त्रता भारत में एक नये तथा बोमल पौधे के सदृश है जो उन तत्वों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अतिक्रमणों से स्वयं वीरका बरते में असमर्थ लगता है, जिनको जनतातिक स्वतन्त्रता एवं प्रगति से कोई सहानुनूति नहीं है, कठिनाई से प्राप्त राष्ट्र की स्वतन्त्रता को तोड़ पाए बरने वाले और हिसात्मक तत्वों से बचाने के लिए चौकसी की आवश्यकता है। जब तक प्रत्येक दल या समूह अपने द्वेषों की प्राप्ति के लिए सर्वधानिक साधनों को स्वीकृत नहीं कर सकता है, निवारक-निरोध—जैसा विशेष प्रावधान भारत के लिए आवश्यक है।”^१

द्वितीय, यदि जिसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखने की आवश्यकता हो, तो यह सविधान म उन्निलिखित प्रक्रिया के अनुमार ही किया जाना चाहिये, जिससे

^१ एम० बी० पायली—‘इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन’, १६६२, पृ० १०५।

व्यवस्थापिका या कार्यपालिका सर्वेधानिक क्षेत्र से बाहर जावर सत्ता का निरकुश दुरुपयोग न कर सकें। इसी कारण डा० अम्बेदकर ने सर्विधान सभा के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। वे निवारक निरोध के अन्तर्गत बन्दी व्यक्ति के 'प्रक्रियात्मक अधिकारो' दो सर्विधान में सुरक्षित रखना चाहते थे। परन्तु साध ही उनका ध्यान राज्य की सुरक्षा की ओर भी था। इसलिए जहाँ अनुच्छेद २२ में राज्य की सुरक्षा पर वल दिया गया है, वही साथ ही बन्दी के प्रक्रियात्मक अधिकारों को भी स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे उसको न्याय प्राप्त हो मरे।

अनुच्छेद २२ के उपबन्ध (४) के अनुसार निवारक-निरोध सम्बन्धी कोई कानून द्वारा तीन माह से अधिक समय तक विसी व्यक्ति को हवालात में रखने के लिए अविहृत नहीं विया जा सकता है, तिवार निम्ननिमित परिस्थितियों में :—

अ—जब एक परामर्श मण्डल ने, जिसके सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या रहे हैं या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वी योग्यता रखते हैं, उपर्युक्त उत्तिलित तीन माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व, यह प्रतिवेदन दिया है कि बन्दी के निरोध के पर्याप्त बारण विद्यमान है। परन्तु उपबन्ध (७ व) के अन्तर्गत ससद द्वारा निर्मित कानून द्वारा जो बन्दीकरण की अधिकतम सीमा निर्धारित वी जायेगी, उससे अधिक समय तक बन्दी को निरोध में नहीं रखा जायेगा। या,

ब—जब बन्दी को ससद द्वारा, अनुच्छेद २२ उपबन्ध (७ अ) के अनुसार एवं (व) के अन्तर्गत बन्दी रखा जा रहा है।

अनुच्छेद २२ उपबन्ध (५) के अनुसार जब किसी व्यक्ति का निरोध, निवारक-निरोध कानून के अन्तर्गत किसी आदेशानुसार किया गया है, जिस अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया है, उसका यह बताव्य है कि बन्दी व्यक्ति को उसके बन्दीकरण के बारण शीघ्र बताये जिससे वह उस आदेश के विरुद्ध शीघ्रातशीघ्र अभिवेदन कर सके।

अनुच्छेद २२ उपबन्ध (६) के अनुसार उपबन्ध (५) में किसी विषय पर आदेश देने वाले अधिकारी के लिए उन तथ्यों को प्रकट करता आवश्यक नहीं होगा जिनको वह जनहित के विरुद्ध समझता है।

अन्त में, अनुच्छेद २२, उपबन्ध (७) के अनुसार ससद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि

क—किन परिस्थितियों में और किस प्रकार की श्रेणी या श्रेणियों के प्रकरण में एक व्यक्ति का निरोध तीन माह से अधिक समय के लिए निरोध-निवारक कानून के अन्तर्गत परामर्श मण्डल की सम्मति के बिना किया जा सकता है।

ख—किसी व्यक्ति का निरोध, निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किस थेणी या थ्रेणियों के प्रकरण में अधिक से अधिक कितनी अवधि किया जायेगा।

ग—परामर्श मण्डल द्वारा उपबन्ध (४ अ) के अन्तर्गत किस प्रक्रिया को अपनाया जाये।

संक्षेप में, सविधान द्वारा सघ और राज्यों की सरकारों को, व्यक्तियों का निवारक निरोध, सविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार करने का अधिकार प्रदत्त किया है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का निरोध करते हुए यदि अनुच्छेद २२ में उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया की सीमाओं का पालन नहीं किया जाना है, यह बन्दी के मूल अधिकारों के विषद् होगा, जो उसको अनुच्छेद २१ और २२ उपबन्ध ५ द्वारा प्राप्त हैं। निवारक निरोध सम्बन्धी अधिकारों का सरकार द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए भारतीय सविधान में निम्नलिखित सर्वेचानिक अवरोधों के लिए प्रावधान किया गया है।

१—साधारणतया, किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाकर तीन माह से अधिक समय के लिए निवारक-निरोध में, जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और शेष दो सदस्य ऐसे होंगे जो कि उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश रह चुके हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। यदि परामर्श मण्डल की राय है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के लिए बन्दी बनाये रखने का कोई कारण नहीं है तो उस व्यक्ति को तत्काल रिहा बरना होगा। बस्तर के महाराजा प्रवीणचन्द्र भजदेव द्वारा परामर्श मण्डल के निर्णयानुसार बन्दी रखने वे कोई कारण नहीं थे, अतः उनको रिहा कर दिया गया। सविधान में परामर्श मण्डल के लिए प्रावधान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार द्वी निरकुशता वे विषद् एक ठोस प्रावधान है।

२—निवारक निरोध में रखे गये किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद २२ उपबन्ध ५ के अनुसार उसके बन्दी बनाये जाने के कारणों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बन्दी को शीघ्रातिशीघ्र यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे वह निरोध के विषद् प्रमावपूर्वक अभिवेदन कर सके। इस उद्देश्य से कि बन्दी अपने निरोध के विषद् प्रमावपूर्वक अभिवेदन कर सके, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि “यह प्राप्ति कि बन्दी वो उसके निरोध के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, एक न्यायिक प्रश्न है और इस विषय पर न्यायपालिका को निर्णय देने का अधिकार है।”^१

^१ शिव्वनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० आई० आट०, १९५४, ए० सौ० १३६।

अतएव किमी व्यक्ति का निरोध बरने वाले अधिकारी वा यह दर्तन्व है कि बन्दी को उसके निरोध बरने के कारणों का सम्बन्ध भूर्जक घटनाय, अन्यथा बन्दी के अपने निरोध के विश्वद अभिवेदन बरने के अधिकार वा याई मूल्य नहीं होगा। न्यायपालिका दो महे निर्धारित बरने का अन्तिम अधिकार है कि निरोध बरने के कारण विशिष्ट और स्पष्ट हैं या नहीं हैं। यदि बन्दी वा जा जानकारी उसके निरोध के सम्बन्ध म दी गई है वह अनिश्चित है तो उसका निरापद म नहीं रखा जा सकता है।

३—अनुच्छेद २२ उपबन्ध (३ ए) के अनुसार ससद का बानून द्वारा यह निर्धारित बरने का अधिकार है कि विन परिस्थितिया म और इस श्रेणी या श्रेणियों के प्रबरण म किमी व्यक्ति को निवारक-निरोध म, तीन माह से अधिक अवधि के लिए परामर्श मण्डन की सलाह के तिन रग्म जा सकता है। इसी प्रकार ससद इसी व्यक्ति का इसी श्रेणी या श्रेणिया के प्रबरण के अन्तर्गत निवारक निरोध म रखने के लिए अधिकतम सम्भाविति निर्धारित कर सकती है।

इसी प्रकार, ससद अनुच्छेद २२ उपबन्ध (३ वी) के अनुसार इसी व्यक्ति के विसी प्रबरण के अन्तर्गत निरोध के लिए अधिकतम समय की सीमा निर्धारित बर सकती है। ससद उम प्रक्रिया का भी निर्धारण कर सकती है, जिसके अनुमान परामर्श मण्डल को अपने कार्य बरने होंगे। साधारणतया, ससद को निवारक-निरोध के सम्बन्ध में जा शक्तियां प्रदत्त वी गई हैं, उपयुक्त हैं, परन्तु ससद में एक दल का ठोस प्रमुख है, और प्रतिपक्षीय दलों की स्थिति वा निरीक्षण बरते हुए यह जात होता है कि कोई भी प्रतिपक्षी दल एक सुदृढ़ एव सागळित ससदीय प्रतिपक्ष के रूप में नहीं है, जिससे निकटतम नविप्प में वह एक वैदलिक सरकार वा निर्माण कर सके। अतएव वर्तमान स्थिति में सरकार पर प्रतिपक्षी दलों का अद्वृश अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता है और इसने फलस्वरूप, इस सम्मानना वी, दृष्टि से थोकन नहीं किया जा सकता है कि ससद एक ही राजनीतिक दल के प्रमुख में रह बर अपनी शक्तियों वा दुष्प्रयोग बरें।

४—“डॉ० अम्बेदकर के अनुसार सबसे बढ़ा सुरक्षण यह है कि निवारक-निरोध बानून के अनुसार ही किया जा सकता है। यह कार्यपालिका की इच्छानुमार नहीं किया जा सकता है।”^१

इन सब वचाव या सुरक्षा के प्रावधानों के होने हुए भी निवारक-निरोध सम्बन्धी शक्ति आवश्यक होते हुए भी खतरनाक है। इस विचार को स्पष्ट बरते हुए

१. एम० बी० पाण्डी—पूर्णित पुस्तक, पृ० १०३-१०४।

दौ० एम० पो० शर्मा कहते हैं—“स्थापित सरकारों की यह प्रबूति ही सही है कि वे उनके स्थापित रहने के प्रश्न को वे राज्य के स्थापित एवं सुरक्षा ने प्रश्न से मिला दें। राज्य के शत्रुओं को उन्हें अन्तर्गत स्वतंत्रता की मान बरने का कोई अधिकार नहीं है, पर यह आवश्यक है कि उनमें तका सत्ताहट दल वे विरोधियों में अन्तर लिया जाए, और यह नागरिक का कर्तव्य है कि यह देखे कि प्रतिष्ठी दिन जो सर्वेषानि भासना भ विश्वास बरने हैं उनमें ही स्वतंत्रता के पात्र ही, जिनमें सत्ताहट दल के नमरेंका का प्राप्त है। सविधान म, जो बिना मुनावाद के निरोप में रखे जान री चाहिए है वह जनमन द्वारा अन्तर्म्यापिका पर प्रभाव दाल दूर की जा सकती है। हम यह नहीं भूत जाना चाहिए कि व्यवहार में जनता ने उनमें ही स्वतंत्रता प्राप्त हानी, जिसके बहुलायक है और जो वह अपने चौकों में प्राप्त करती है।”^१

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जनता और समूद की सतर्कता के कारण निवारक-निराप बानून १९५० के अन्तर्गत भारत में बन्द्रोप और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न का निवारक-निरोध बरने का अधिकार है, यदि उनको संतोष हो जाना है कि उस व्यक्ति ने १—भारत की सुरक्षा, विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध या, २—राज्य की सुरक्षा एवं शान्ति या, ३—राष्ट्र के लिए आवश्यक बम्बुदों द्वारा भेजाया वो बनाव रखने के विरुद्ध कार्य किये हैं।

१९५० के मूर बानून के अनुमार उपर्युक्त केवल तीसरे दण्ड के अन्तर्गत बन्दी किये हुए व्यक्तियों के लिए परामर्श मण्डल का उपयोग लिया जा सकता था, जब वे प्रथम और दूसरे दण्ड के अन्तर्गत बन्दी बनारे गये व्यक्तियों को यह सुविधा नहीं ही रई थी। इस बानून द्वारा विलायीश (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) एवं उप-मण्डलीय न्यायाधीश (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) दाना का उपर्युक्त कानून प्रक्रिया-नुमार किसी व्यक्ति वा बन्दी बरन का अधिकार था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य नामक प्रकरण भ सर्वोच्च न्यायालय न यह नियंत्रण किया कि निवारक-निरोध अधिनियम की वारा १८ अवैध थी क्योंकि इसके द्वारा निराप बरन के बाराना को बनानाना बढ़ाव दिया गया था, जो कि अनुच्छेद २२ (५) के विरुद्ध था। निवारक निराप अधिनियम १९५० के सम्बन्ध में अधिक असनोष व्यवन किया गया। अन्तम्यन इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए। अत अप, प्रत्येक निवारक निराप के मामले द्वारा परामर्श मण्डल के ममक्ष किसी व्यक्ति वे दण्डी बरन के तीस दिन के अन्दर रखना चाहिए। बांदी को यह अधिकार भी प्राप्त होगा है कि वह स्वयं परामर्श मण्डल के ममत उपस्थित हार अपन तर्क

^१ एम० पो० शर्मा—इ गवेमेन्ट अफ द इंडियन रिपब्लिक, १९६१ पृ० ४५।

दे सके। यदि परामर्श-मण्डल की राय यह है कि विसी व्यक्ति को बन्दी रखने के बोई कारण नहीं है तो सरकार उस व्यक्ति को रिहा कर देगा। इसी भी व्यक्ति को अधिनियम की धारा (११ ए) वे अनुसार बन्दी बनाये जाने वी तिथि से १२ माह से अधिक समय के लिए बन्दी नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार निरोध आदेश की सम्पादित समाप्त होने के पश्चात् उसी व्यक्ति के निरोध के लिए नया आदेश नये तथ्यों के आधार पर ही दिया जा सकेगा।

इसने यावज़द भी न्यायिक पुनरखलोकन का धोष निवारक-निरोध के दृष्टिकोण से सीमित है, जिन्हुंने न्यायपालिका इस मामले में विलुप्त अमर्हाय नहीं है। न्यायपालिका निवारक-निरोध मम्बन्धी आदेश का पुनरखलोकन आलिगित शाधारों पर कर सकती है।

क—यदि निवारक-निरोध सम्बन्धी आदेश के लिए यह कहा जाना है कि यह अपकारी (मेलेफाइड) है। आदेश के अपकारी होने से यह तात्पर्य है कि यह निवारक-निरोध अधिनियम के उद्देश्यों के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में आदेश का अवैध किया जा सकता है।^१

ख—न्यायालय इस बात की भी जांच कर सकता है कि जो निवारक-निरोध वे वारण बतलाये गये हैं, वे इतने अनिश्चित हैं कि उनको अपकारी माना जाय।^२ या उनका स्वरूप इस प्रकार का है कि व्यक्ति के इस अधिकार का हनन होता है।^३ बन्दी व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको बन्दीकरण के वारण बतलाये जायें।

ग—न्यायालय इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि क्या निवारक-निरोध के कारणों का विवेकयुक्त सम्बन्ध निवारक-निरोध के उद्देश्यों से, सविधान या निवारक-निरोध अधिनियम के अन्तर्गत है या नहीं।^४ यदि न्यायालय द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रकार का विवेकयुक्त सम्बन्ध नहीं है तो बन्दी को छुटकारा प्राप्त हो जायेगा।

घ—न्यायालय इस बात की भी जांच कर सकते हैं कि निवारक-निरोध के लिए कानून द्वारा जिस प्रक्रिया का निर्वापन किया गया है, उसका निवारक-

१. गोपालन बनाम मद्रास राज्य—ए० आई० आर०, १६५०, एस० सी० २७।

२. शिवनलाल बनाम उत्तर प्रदेश—ए० आई० आर०, १६५४, एस० सी० १७६।

३. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए० आई० आर०, १६५०, एस० सी० २७।

४. शिवनलाल बनाम उत्तर प्रदेश—ए० आई० आर० १६५४, एस० सी० १७६।

निरोध आदेश जारी करते हुए पालन किया गया है या नहीं। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो बन्दी को रिहा किया जाना चाहिये।^१

शोपण के विरुद्ध अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २३ तथा २४ शोपण के विरुद्ध अधिकार के सम्बन्ध में हैं। जनतात्रिक मूलधों के अनुकूल यह अधिकार समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व पर खल देता है। बस्तुतः यह मानवता के उस सिद्धान्तानुसार है जिस पर जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक बाट्ट ने इन शब्दों में प्रकाश ढाला है कि मानव के व्यक्तित्व को साधन के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य सदश मानव चाहिये। अनुच्छेद २३ (१) द्वारा मानव क्रय विक्रय और बगार की प्रथा तथा अन्य बाध्यकारी थम बंजान किया गया है और साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन के लिए कानून के अन्तर्गत, दण्ड दिया जायेगा। अमरीका के संविधान में भी संविधान के तेरहवें संशोधन द्वारा ऐसा ही प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार न तो दास प्रथा और न ही बाध्यकारी थम का, सिवाय एक अपराध के फलस्वरूप जिसके लिए यह दण्ड दिया गया है, अमेरिका में अतिरिक्त रहेगा।

भारत के संविधान भ इस अधिकार को समावेशित करने का कारण यह था कि इसके द्वारा भारतीय समाज में से बाध्यकारी थम की बुरी सम्बन्धवादी प्रथा भी समाप्त किया जाय। इसके अतिरिक्त, इस अधिकार का उद्देश्य स्त्रियों एवं बच्चों का संरक्षण करना है, जिससे उनको ऐसा कोई कार्य करने या वृत्ति अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सके, जो नीतिकृता के विरुद्ध हो।

परन्तु अनुच्छेद २३ (२) में सार्वजनिक उद्देश्यों के सन्दर्भ में एक अपवाद का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा की व्यवस्था कर सकता है। यद्यपि संविधान म, 'सार्वजनिक उद्देश्य' का स्पष्टीकरण नहीं है, किन्तु इसका अर्थ संतिक-सेवा एवं राष्ट्र निर्माण वार्य से संबंधित है। परन्तु सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य सेवाओं की व्यवस्था करते हुए, धर्म, वश, जाति, वर्ण या इनमें से किसी एक के कारण मेंदमाव नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद २४ के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों वो कारखानों, घटानों, या ऐसे कार्यों में जिनसे उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य वो खतरा

^१. वर्मसिह बनाम घटान राज्य—ए० आई० आर०, १९५८, एस०सी० १५२।

है, नियुक्त नहीं किया जायेगा। संक्षेप में शोपण के विषद् अधिकार के प्रन्तमें न बैबल राज्य परन्तु अन्य नागरिकों के वैतिपय घतेंव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

धार्मिक स्वतन्त्रता वा अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ है, वह राज्य जो किसी धर्म विशेष के सिद्धान्तों पर आधारित न हो कर न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं पारस्परिक सोहाइ वे सिद्धान्तों पर आधारित है जो जनताव के सिद्धान्त हैं, भारत के संविधान मधम-निरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं।

सर्वप्रथम, संविधान वो प्रस्तावना मन केन्द्र भारतीय गणतान्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों का, जैसे न्याय, स्वतन्त्रता समानता एवं भ्रातृत्व आदि, उल्लेख किया गया है, वरन् यह भी स्पष्ट रूप से यतनाया गया है कि प्रत्येक नागरिक वो अन्य स्वतन्त्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धान्तों में विश्वास और उपाधन करने की भी स्वतन्त्रता प्राप्त है।

द्वितीय, संविधान भधर्म निरीक्षण राज्य का दूसरा आधार नागरिकावा धार्मिक स्वतन्त्रता के मूल अधिकार के रूप महें। संविधान अनुच्छेद २५ से २८ नागरिकावे के धार्मिक स्वतन्त्रता के मूल अधिकार वा उल्लेख वरत हैं।

अनुच्छेद २५ (१) के अनुसार समस्त व्यक्तियों को स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करन तथा प्रचार करन का अधिकार प्राप्त है किन्तु इस अधिकार का उपभाग सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा अध्यायतीन के अन्य प्रावधानों के अधीन रहेकर ही किया जायगा। अनुच्छेद २८ (२) के अनुसार राज्य निम्नलिखित विषयों पर कानून निर्माण कर सकता है।

(व) जिससे किसी धार्मिक प्रथा से सम्बद्ध आर्थिक, वितीय, राजनीतिक या अन्य किसी कारंवाई को नियन्त्रित या सीमित किया जा सके, और

(ख) जिससे सामाजिक-कर्तव्याण एवं सुधार या सार्वजनिक स्वरूप की हिन्दू धार्मिक मस्ताओं म समस्त वर्गों के हिन्दूओं के प्रवेश के लिए व्यवस्था की जाये।

अनुच्छेद २८ के अनुसार प्रत्येक धार्मिक इकाई या उसके किसी हिस्से को सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता तथा स्वास्थ्य की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित अधिकार हैं।

व—धर्म और दान के उद्देश्यों से सत्याग्रो का निर्माण और धोपण करना,

स—धार्मिक भाषणों में स्वयं प्रबन्ध करना,

ग—चन एवं अचल सम्पत्ति के स्वामित्व और प्राप्ति करने का अधिकार, और

घ—इस प्रकार की सम्पत्ति का सचालन कानून के अनुसार करना।

अनुच्छेद २७ के अनुसार किसी व्यक्ति का ऐसे धन के लिए कर नहीं देना होगा जो कि किसी धर्म विशेष या धार्मिक इच्छाई, की प्रणति या पोषण पर खर्च हुआ है।

अन्त में अनुच्छेद २८ (१) के अनुसार जिस शिक्षा संस्थान को सम्पूर्ण सर्व राज्य निवि से प्राप्त हो रहा है, वहाँ कोई धर्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। अनुच्छेद २८ (२) के अनुसार किसी शिक्षा संस्थान का प्रशासन राज्य द्वारा की गई है, जिसकी शर्त है कि उसने संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाये, वहाँ अनुच्छेद २८ (१) नहीं लागू हाया, अर्थात् उसने शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। अनुच्छेद २८ (३) के अनुसार यदि किसी शिक्षा संस्थान को जिसे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसका राज्य निवि से अनुदान मिल रहा है, किसी व्यक्ति को जो वहाँ पढ़ रहा है, धार्मिक शिक्षा भ, जो वहाँ दी जा रही है, या उस संस्था में या उससे सत्तान जगह में की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता है, सिवाय, जबकि उस व्यक्ति ने और यदि वह व्यक्ति न हो तो उसके अभिभावक ने सहमति दी है।

यह स्पष्ट है कि भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की नीड़, सविधान की प्रस्तावना और नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित है। इन दोनों आधारों पर स्थित है, नागरिकों की 'समान रूप से प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता'। भारत में राज्य वो धर्म निरपेक्षता इसी से विदित होती है कि राज्य के बिना हस्तधेय के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और जो भी सीमाएँ नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर सविधान द्वारा रखी गई है, वे समस्त नागरिकों के लिए समान हैं।

मार्लीय नागरिकों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सविधान के अनुच्छेद २५ व २६ में उन कारणों का उल्लेख है, जिनके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता में अधिकार वो राज्य द्वारा, सार्वजनिक शान्ति, नीतिकृता एवं स्वास्थ्य के हित में सीमित विद्या जा सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय वो आम रास्ते पर जुलूस निकालने का अधिकार है, परन्तु इसका द्वारा वे उस आम रास्ते को उपयोग में लाने के अधिकार से जनता को बचित नहीं कर सकत है। यदि उस समय न्यायालीक ने सार्वजनिक शान्ति बनाय रखने के लिए बतिष्ठ आदेश दिये हैं तो वे उनका भी उल्लंघन नहीं कर-

सकते हैं। यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा पार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर समाज के हित में, सविधान के अनुसार प्रतिबन्ध समाये जा सकते हैं। इस प्रकार पार्मिक स्वतंत्रता के कारण किसी व्यक्ति को, इस पर भी कि मानव-वलिदान किसी धर्म द्वारा स्वीकृत है मानव-वलिदान करने नहीं दिया जा सकता है। (जंरों कुच्छ तथा मे) या आई ऐसा कार्य जो बानू के अन्तर्गत एवं अपराध है, या उसी वर्ग की धार्मिक मानवान्ना का जानवूभक्त आपात पहुँचाना।^१ अत जैसे श्री टोप वा कथन है—‘धार्मिक या अन्त करण की स्वतंत्रता पर आधुनिक समाज में विशेषवर मारतीय समाज जैसे विविध-स्वरूपी समाज में, सीमाएं अवश्यभावी है।’^२

सास्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार

मारतीय सविधान में सास्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य अल्पसंख्यकों पे हितों की रक्षा करना है। भारत एक बहु धर्म, और बहु-भाषी राष्ट्र है, अतएव भारतीय भण्टतश म अल्पसंख्यकों की विशेष स्थिति के सन्दर्भ में, उनके हितों की रक्षा के लिए सविधान द्वारा सास्कृति और शैक्षणिक अधिकार दिय है। इन अधिकारों की एक यह विशेषता है कि इनके अन्तर्गत ‘अल्प संख्यक’ शब्द का विस्तृत अर्थ माना गया है। इस सन्दर्भ में अल्प सरयक शब्द से तात्पर्य वेदन धर्म सम्बन्धी अल्पसंख्यकों से ही नहीं है, बिन्तु भाषा, लिपि, और सस्कृति सम्बन्धी अल्पसंख्यकों से भी है। भारत में एक दर्जन से अधिक विवित भाषाएँ हैं अत इस अधिकार का विशेष महत्व है।

अनुच्छेद २६ (१) के अनुसार भारत या भारत के किसी भी भू-भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी ऐसे जन-समूह जो जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या सस्कृति है, यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि या सस्कृति को बनाये रखे। अनुच्छेद २६ (२) के अनुसार यदि कोई शैक्षणिक संस्था राज्य द्वारा या राज्य की सहायता से सचालित की जा रही है तो उसमे प्रवेश हेतु वश, जाति, धर्म और भाषा या इसमे से किसी एक के आधार पर भैद-भाव नहीं किया जा सकता है।

अल्प सरयको के हित मे अनुच्छेद ३० (१) द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि सामस्त अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा सम्बन्धी क्यों न हो अपने इच्छा की शैक्षणिक संस्थाओं का सचालन करने का अधिकार है। अनुच्छेद ३० (२) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य इस बारण

१. डो० डो० वसु—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १५४।

२. टी० के० टोपे—द कान्स्टीट्यूशन अफ इंडिया, १६६३ पृ० १३३।

मेंद-भाव नहीं करेगा कि किसी शैक्षणिक संस्था का सचालन किसी घर्म या भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों द्वी इकाई में हाथों में है।

नागरिकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल अधिकारों की एक अन्य विशेषता पह है कि राज्य तथा नागरिक वे सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह अधिकार असीमित है अर्थात् इन अधिकारों द्वारा राज्य को बिना किसी सीमा के वाध्यकारी हूप से मानना होगा।

सम्पत्ति का अधिकार

समस्त अधिकारों में, जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चिन्तन में प्राचीन समय से इन अधिकारों के महत्व पर समय-भग्य पर बल दिया गया है। सम्पत्ति का अधिकार, वास्तव में उस यत्र के हूप में है, जिससे मानव व्यक्तित्व का विकास होता है। अरस्तू जो राजनीति दर्शन का जनक माना गया है, व्यक्तिगत सम्पत्ति को मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझता है।

इश्वरैण्ड, अमरीका, फ्रांस, आयरलैण्ड आदि देशों के सर्वधानिक कानून में व्यक्तिगत सम्पत्ति का महत्व दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार भारतीय सर्वधान के अनुच्छेद १६ (१) (एक) के अनुसार प्रत्येक नागरिक द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने और व्यवहार करने वा अधिकार है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सर्वधान के अनुच्छेद ३१ के अन्वर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार प्रदत्त है। अनुच्छेद ३१ (१) के अनुसार इसी भी व्यक्ति द्वारा सिवाय कानून के अनुसार इसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति से बचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद ३१ (२) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सम्पत्ति द्वारा राज्य के बल सार्वजनिक उद्देश्य के लिये कानून के अनुसार, जो उपयुक्त मुझावजे के लिए प्रावधान करता है, अद्यत कर सकता है तथा इस कानून द्वारा या तो मुझावजे की राशि या उन सिद्धान्तों तथा तरीकों का निर्धारण किया जाना चाहिये जिनके अनुसार मुझावजा निर्धारित किया और दिया जायेगा। इस प्रकार के कानून द्वारा न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि कानून द्वारा निर्धारित मुझावजा पर्याप्त नहीं है।

अब यह स्पष्ट है कि मुझावजे वा निर्धारण करने में व्यवस्थापिक सभा को ही अनितम अधिकार है।

क्षेत्र में अनुच्छेद ३१ (१) व (२) द्वारा निम्नलिखित तीन मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

१—किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी सम्पत्ति से बचित नहीं किया जा सकता है।

२—सरकार किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए अर्जित बर सकती है और इसवे लिए उसे मुआवजा देना होगा ।

३—मुआवजे की राशि का निर्धारण व्यवस्थापिका द्वारा होगा और न्यायालय को इसे उचित या अनुचित ठहराने वा अधिकार नहीं है । अमरीका में सरकार द्वारा सम्पत्ति अर्जित बरने पर जो मुआवजा दिया जाता है, उसवे सम्बन्ध में न्यायालयों को अधिकार है कि यह निर्धारित बरें विं मुआवजा उचित है या अनुचित ।

अनुच्छेद ३१ (३) के अनुसार यदि विसी राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसी विधि, जिसका उल्लेख अनुच्छेद ३१ (२) में किया गया है, निमित्त वी गई है, तो यह तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तब वी राष्ट्रपति ने उस विधि को आपनी स्वीकृति न दे दी हो ।

अनुच्छेद ३१ (४) ने अनुसार भी यदि कोई विधेयक विसी राज्य विधान सभा के समक्ष सविधान के लागू होने के समय रखा गया है, और उसका विधान, सभा द्वारा पारित होकर उसे राष्ट्रपति वी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो उस विधि पर विसी न्यायालय के समक्ष इस बारण आपत्ति नहीं वी जायेगी फि यह अनुच्छेद ३१ (२) के विपर्द है ।

अनुच्छेद ३१ उपबन्ध ५ के अनुसार उपबन्ध २ में उल्लेखित मुआवजे सम्बन्धी कानून का निम्नलिखित विषयों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

क—विसी भी स्थापित कानून पर, वेवल ऐसे कानून को छोड़कर जिस पर उपबन्ध ६ लागू होता है ।

ख—ऐसा कानून जो राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयों पर निमित्त हुआ है—

१—कोई बर या अर्थ ३७ लगाने के लिए ।

२—सार्वजनिक स्थान्य को उभत करने अथवा जीवन या सम्पत्ति के माहौल के निवारण के लिए ।

३—ऐसे समझौतों वी शर्तों को पूरा करने के लिए जो भारतीय डोमीनिया की अथवा भारत सरकार एवं विसी अन्य देश की सरकार के मध्य किया गया है, अथवा निष्कान्त सम्पत्ति से सवधिया कानून ।

अनुच्छेद ३१ (६) के अनुसार यदि कोई कानून सविधान के लागू होने के १८ माह से अंतिक समय पूर्व राज्य द्वारा बनाया गया है, तो तीन महिनों के अंदर उस कानून को राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित करा देता है, तो किसी न्यायालय में उस कानून पर इस आवार पर आपत्ति नहीं की जावेगी कि वह उपबन्ध २ के विपर्द है ।

संविधान लागू होने के पश्चात् यह अनुमति किया गया कि अनुच्छेद ३१ के विभिन्न उपबन्ध मारत मे विभिन्न सरकारों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जब विभिन्न राज्यों की, जैसे— बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सरकारों ने जमीनदारी उन्मूलन के लिए कदम उठाये, न्यायालयों ने इसे अनुचित ठहराया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार-भूमि-सुधार अधिनियम १९५० को इस कारण अवैध घोषित किया गया कि वह अनुच्छेद १४ द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसार समानता के अधिकार के विरुद्ध है। इसके फलस्वरूप संविधान संशोधन अधिनियम १९५१ द्वारा संविधान मे संशोधन कर दो नये अनुच्छेदों ३६ (अ) और ३१ (ब) एवं एक अन्य अनुसूची (नवी) को जोड़ा गया।

अनुच्छेद ३१ (अ) के अनुसार यदि किसी कानून द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामी या जमीनदार के अधिकारों को सीमित या समाप्त किया जाता है तो उक्त कानून को केवल इस कारण अवैध नहीं माना जायेगा कि उसके द्वारा अध्याय तीन मे प्रदत्त मूल अधिकारों मे कभी कर दी गई है या उन्हे समाप्त किया गया है। अनुच्छेद ३१ (ब) नवी अनुसूची मे उल्लिखित अधिनियम इस आधार पर अवैध नहीं ठहराये जा सकते हैं कि अध्याय तीन के अनुच्छेदों एवं नियमों का उल्लंघन करते हैं। और किसी भी न्यायालय के विपरीत निर्णय, डिक्टी या आदेश के बावजूद भी इनको वैध माना जायेगा। अनुच्छेद ३१ (ब) द्वारा स्थापित नवी अनुसूची मे इस प्रकार के १३ अधिनियम हैं।

परन्तु राज्य द्वारा अंजित की हुई सम्पत्ति के लिए, जमीनदारी सम्पत्ति को छोड़कर मुआवजा देने के लिए अभी भी कठिनाइयाँ थीं। सन् १९५४ मे जब सरकार ने अस्थायी रूप से शोलापुर के मूर्ती मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अवैध ठहराया कि कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। इसके फलस्वरूप संविधान संशोधन अधिनियम १९५५ (चौथा संशोधन) पारित किया गया, जिससे उपर्युक्त उल्लिखित कठिनाइयों को दूर किया जा सके। चौथे संशोधन अधिनियम १९५५ के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किये गये।

(१) जो सम्पत्ति अनिवार्यतः अंजित की गई है उसके लिये मुआवजे का निर्धारण राशि के रूप मे निर्धारित किया जाये या विशिष्ट सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाये जिनके आधार पर मुआवजा दिया जायेगा। किसी भी कानून को जिसके द्वारा राज्य अनिवार्य रूप से सम्पत्ति का अबंग बरता है किसी न्यायालय मे इस वारण चुनौती नहीं दो जायेगी कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है।

(२) जहाँ पर कानून द्वारा राज्य को सम्पति के प्रमुख और रखने का अधिकार हस्तान्तरित नहीं किया गया है, किन्तु केवल प्रबन्ध करने का ही अधिकार दिया गया है, उदाहरण स्वरूप शोलापुर मिल प्रबरण में, वहाँ यह नहीं माना जायेगा कि उक्त कानून द्वारा सम्पति के अनिवार्य अनेक के लिए प्रावधान किया गया है, चाहे उक्त कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पति से बचित किया गया है, और ऐसी स्थिति में मुआवजे का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

(३) जो उन्मुक्ति अनुच्छेद ३१ (अ) के द्वारा जमीदारी उन्मूलन के कानूनों द्वारा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से, ऐसे वानूनों द्वारा भी अधिकारों से संघर्ष में होन की स्थिति म, दी गई थी, उस प्रकार की उन्मुक्ति द्वारा निम्नलिखित विषयों के लिए भी लागू किया गया।

(क) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य किसी सम्पति या उसस सम्बन्धित अधिकारों को अजित करता है या जिसके द्वारा ऐसे अधिकारों को समाप्त या परिवर्तित करता है, या,

(ख) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य किसी सम्पति का प्रबन्ध अपने हाथ मे लेता है, या,

(ग) ऐसा कानून जिसके द्वारा दो या अधिक निगमों को सावंजनिक हित मे या इनमे से किसी निगम के उचित प्रबन्ध के लिए साथ मिलाया जाता है, या,

(घ) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी प्रबन्धक अभिकर्ता, सचिव या निगमों के प्रबन्धकों के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, या,

(ङ) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी ऐसे अधिकारों को समाप्त या परिवर्तित किया जाये, जिनकी उत्पत्ति किसी समझौते, पट्टे या लायसेन्स से खनिज पदार्थ या खनिज तेल खोजने और प्राप्त करने से हुई है, या ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी समझौते पट्टे या लायसेन्स को उसकी समयावधि पूरी होने के पूर्व ही समाप्त किया गया है।

सन १९५५ के चौथे संविधान संशोधन के फलस्वरूप नवी अनुसूची मे उल्लेखित १३ अधिनियमों की सह्या मे वृद्धि करके कुल २० अधिनियम कर दिय गये।

संक्षेप मे, १९५५ मे चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप राज्य द्वारा सम्पति अधिगृहीत करने पर मुआवजे के प्रश्न पर अधिग्रहण कानून को न्यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती है। मुआवजे के विषय पर अवस्थापिका का निर्णय अनितम होगा। “यदि सम्पति का अधिकार न्याय नहीं है तो अब वह मूल अधिकार नहीं रहा है। क्योंकि मूल अधिकार की विशिष्टता यह है कि इसको न केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता किन्तु विधायी बहुमत

की निरक्षणता के विरुद्ध भी प्रत्याभूत किया जाता है। यह पहलू अब सम्पत्ति के अधिकार पर, जो मूल अधिकारों के अध्याय में निहित है, कम लागू होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ तक सम्पत्ति के अधिकार का सम्बन्ध है, ससद ही सार्वभौम है।^१

अतएव अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत यदि राज्य विसी सम्पत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिगृहीत करता है, तो १६५५ के चौथे सशोधन अधिनियम के अनुसार मुआवजे के प्रश्न पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु ससद ने जब वैक राष्ट्रीयकरण कानून पारित किया तो इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद ३१ की व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि मुआवजा अमपूरक नहीं होना चाहिये मुआवजे के निर्धारण में न तो गलत सिद्धान्तों को लागू करना चाहिये और न ही सही सिद्धान्तों की उपेक्षा करनी चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि मुआवजे के प्रश्न के सम्बन्ध में न केवल अनुच्छेद ३१ परन्तु अनुच्छेद १६ (१) (एफ) की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिये। अनुच्छेद १६ (१) (एफ) प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति रखने का अधिकार प्रदत्त करता है, परन्तु सार्वजनिक हित में तर्क संगत सीमाएँ लगाई जा सकती हैं। वैक राष्ट्रीयकरण कानून के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के कारण श्रीमती गाधी की सरकार ने अपनी सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यकता महसूस की कि ससद को मूल अधिकारों में सशोधन बरने का अधिकार होना चाहिये और सम्पत्ति के अधिकार में कुछ और सशोधन किये जाने चाहिये। अत २४वें संविधान सशोधन अधिनियम वो ५ नवम्बर १९७१ से लागू करने के परिणाम स्वरूप ससद को पुनः मूल अधिकारों के सशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे उसको १६६७ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोत्रकनाय प्रकरण में दिये गये निर्णय के आधार पर, वचित किया गया था। इस २४वें सशोधन अधिनियम के लागू होने के तत्काल बाद २५वां सशोधन अधिनियम पारित किया गया जिससे सम्पत्ति के अधिकार में कुछ और सशोधन दिये गये।

पञ्चीसवें सशोधन के दो मुख्य भाग हैं। पहले भाग का उद्देश्य ३१ में सशोधन करना है। जैसा देखा जा चुका है, अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत यदि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सम्पत्ति अंजित करता है तो उसके लिए मुआवजा देना होगा। यद्यपि, मुआवजा न्याय नहीं होगा। पञ्चीसवें सशोधन अधिनियम के अनुसार

^१ एम० बी० पायसो—‘पूर्वोक्त पुस्तक’ पृ० १३०।

संविधान में से 'मुम्रावजा' शब्द वो हटाकर उसके स्थान पर 'राजि' शब्द रखा गया है।

पच्चीसवें सशोधन अधिनियम का दूसरा भारा अनुच्छेद ३१ में एक नई धारा ३१ (सी) जोड़ता है। इस नई धारा ३१ (सी) के अनुसार यदि किसी बानून में यह लिखा है कि इसका उद्देश्य उन राज्य नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करना है जिनका उल्लेख अनुच्छेद ३६ (बी) एवं (सी) में है और जिसका उद्देश्य समाज के भौतिक साधनों के वितरण द्वारा सामाजिक हित की प्राप्ति करना एवं धन तथा उत्पादन के साधनों के एकत्रीकरण द्वारा सामाजिक हित की प्राप्ति करना एवं यह अधिकार नहीं होगा कि ऐसे कानून को अनुच्छेद १४, १६ एवं ३१ के आधार पर चुनौती दे। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के कानून को, जिसका उद्देश्य उपर्युक्त राज्य नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करना है, किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि उसके द्वारा उक्त नीति का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

पच्चीसवें सशोधन अधिनियम की बड़ी भालोचना की गई है, जिसके निम्नलिखित आधार हैं।

१—इसके परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों की वस्तुस्थिति यह हो गई है कि इनको राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अधीन वर दिया गया है।

२—इस सशोधन अधिनियम द्वारा धारा ३१ (सी) जोड़ने से एक ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि यद्यपि मूल अधिकार संविधान में तो है, परन्तु वास्तव में इस नई ३१ (सी) धारा की आड में मूल अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है।

यह विचित्र-सा लगता है कि जबकि किसी मूल अधिकार में सशोधन के लिए सदसद के उपस्थित और मतदान वरने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है, अनुच्छेद ३१ (सी) के अन्तर्गत बानून, जो मूल अधिकारों के विषद् हो सकता है, व्यवस्थापिका समा के केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

३—इस नई धारा ३१ (सी) से न केवल सम्पत्ति के अधिकार का अतिरिक्त होता है, परन्तु अन्य अधिकारों का जो कि सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित नहीं है, जैसे—भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय व सम्पन्नता की स्वतंत्रता भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता का भी अतिरिक्त, आधिक सत्ता के केन्द्रित होने के बहाने, किया जा सकता है।

४—ऐसे कानून को, जिसका उद्देश्य राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन करना है नागरिक इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है कि वास्तव में

उक्त कानून द्वारा नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन हो सकेगा या नहीं। समवत् इसका परिणाम यह हो सकता है कि ऐसे कानून से यदि मूल अधिकार राजनीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के प्रयत्न में समाप्त होते हैं परन्तु वास्तव में राज्य नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो जनता को एक साथ दो अन्यायों को सहना होगा।

५—धारा ३१ (सी) के अनुसार राज्य विधान सभा भी ऐसे कानून पारित कर सकती हैं जिनसे मूल अधिकारों का हनन होगा। यद्यपि साधारणतया किसी राज्य विधान सभा को एक मूल अधिकार में भी सशोधन करने का अधिकार नहीं है, किन्तु धारा ३१ (सी) के अनुसार यदि कोई विधान सभा ऐसा कानून पारित करती है जिसमें यह लिखा है कि उक्त कानून का उद्देश्य किसी नीति-निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन करना है, तो इसके बावजूद कि यह कानून मूल अधिकारों का हनन करता है, वह वैध होगा।

६—धन्त में, पञ्चीसवें सशोधन अधिनियम से अल्पमतो के अधिकारों पर जो कि सविधान के अनुच्छेद २५ से ३० में निहित हैं, आधात पहुँच सकता है। धन तथा आधिक सत्ता के बेन्द्रीयकरण को रोकने के बहाने अल्पमतो के विभिन्न अधिकारों का कानून द्वारा अतिक्रमण किया जा सकता है।

अतः पञ्चीसवें सविधान सशोधन के फलस्वरूप, सम्पत्ति के अधिकार का अस्तित्व पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर हो गया है।

सर्वधानिक उपचारों का अधिकार

नागरिकों के उपर्युक्त छ. मूल अधिकार जिनका अध्ययन किया गया है, पृथक सत्तापूर्ण या सकारात्मक अधिकार हैं। परन्तु नागरिकों को प्रदत्त सातवाँ मूल अधिकार, वास्तव में 'प्रक्रियात्मक अधिकार' है क्योंकि इस अधिकार के अन्तर्गत, अन्य किसी अधिकार के लिए उपचार प्राप्त करने के लिए नागरिक उपर्युक्त न्यायालय को शरण में जा सकता है। इस अधिकार के अनुसार सविधान में उल्लिखित प्रक्रियानुसार नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायालय में जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस सन्दर्भ में अनुच्छेद ३२ (१) के अनुसार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है। अनुच्छेद ३२ (२) के अनुसार, मूल अधिकारों के लिए उपचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय शो निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। यह रिट विभिन्न प्रकार की है।

१—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) बन्दी प्रत्यक्षीकरण वे लिए अपेक्षित Habeas Corpus जैसी भाषा के शब्द का अर्थ है, 'शरीर दो।'

यदि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया गया है, तो न्यायालय इस रिट द्वारा बन्दी व्यक्ति को पेश करने की आज्ञा देता है। अत यह रिट वस्तुत बन्दी बनाने वाले व्यक्ति को न्यायालय के एक आदेश के रूप में है कि बन्दी व्यक्ति को २४ घण्टे में न्यायाधीश वे समझ उपस्थित किया जाये।

भारत में इस रिट को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जारी कर सकता है।

२—परमादेश (Mandamus) परमादेश के लिए प्रयुक्त शब्द Mandamus सैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है—‘हम आज्ञा देते हैं।’ इस रिट द्वारा उपयुक्त न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को यह आदेश दे सकता है कि वह अपने कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्यों तथा दायित्वों का समुचित, रीत्यानुसार निर्वाह करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी मिल में अपना कार्य करते हुए कोई श्रमिक हताहत हो जाता है तो मिल अधिकारियों को श्रमिक को श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत उचित मुआवजा देना चाहिये। यदि यह मुआवजा नहीं दिया जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी कर मिल अधिकारियों को उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

३—प्रतिपेध (Prohibition) यह रिट एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न-न्यायालय के लिए निम्नलिखित कारण बश जारी की जा सकती है।

- (i)—यदि निम्न न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, या,
- (ii)—प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है।

यह रिट किसी ऐसी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जिसको अद्यन्यायिक अधिकार प्रदत्त है।

४—उत्प्रेषण (Certiorari) Certiorari शब्द का अर्थ है—‘पूर्णतया सूचित होना।’ इस रिट के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या अद्यन्यायिक अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि जो मुकदमा उसके समक्ष विचारार्थ पड़ा है उसे उच्चतर न्यायालय के समुख भेज दे। उत्प्रेषण रिट को जारी करने के दो कारण हैं।

(क) यदि किसी निम्न न्यायालय या प्राधिकारी को कानून के अन्तर्गत मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है, या

(ख) यदि अन्याय होने का ढर है।

५—अधिकार पूँछा (Quo Warranto) Quo Warranto का अर्थ है—‘किस अधिकार से।’ इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को, जो किसी पद पर कानून के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त नहीं हुआ है, परन्तु जो उस पद को ग्रहण किये हुए है, या उस पर दावा करता है, यह

आदेश दे सकता है कि वह व्यक्ति यह स्पष्टीकरण दे कि किस अधिकार से वह प्रपत्ते दावे का समर्थन करता है। अत यह स्पष्ट है कि अधिकार-मूल्यांका रिट को लागू करते का उद्देश्य किसी पद के अवैधानिक रूप से धारण किये जाने को रोकना है।

सर्वेधानिक उपचारों का मूल अधिकार दो प्रकार के आश्वासन देता है।

सर्वप्रथम, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका पर सविधान में इस अधिकार के होने से एक प्रकार का भनोवैज्ञानिक अवरोध है जिसके कारण वे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वे लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

द्वितीय, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के कार्यों द्वारा हत्तन होता है तो पीड़ित नागरिक को सर्वेधानिक उपचार का आश्वासन है। “जो रिट (लेख) हमारे सविधान में उल्लेखित हैं, वे मूल हैं। यह व्यवस्थापिका पर एक सीमा के रूप में हैं। सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, और इन रिट को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि स्वयं सविधान का सशोधन ऐसे साधनों द्वारा जो व्यवस्थापिका को प्रदत्त है, नहीं किया जाता है।”^१

नि सदेह सर्वेधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों का पोषक है। सविधान सभा में, अनुच्छेद ३२ के सम्बन्ध में प्रपत्ते विचार प्रकट करते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा—“यदि मुझ से सविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के लिए पूछा जाय—ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना सविधान निरर्थक हो जायेगा, तो मैं सिवाय इस अनुच्छेद के किसी अन्य अनुच्छेद की ओर सकेत नहीं कहूँगा। यह सविधान की आत्मा है, उसका हृदय है।”^२

१०. एम० जी० गुप्ता—प्रास्पेक्ट्स आफ द कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, पृ० १३८, सन् १९६४।

२। श्री० भार० अम्बेदकर—कान्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली डिवेट्स, भाग—६ स० २३ पृ० ६३३।

राज्य नीति-निर्देशक तत्व

भाषुनिक युग म लोकतत्र के सन्दर्भ म राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत यह सत्य है कि लोकतत्र के दो पहलू होते हैं (i) राजनीतिक और (ii) आर्थिक। साधारणतया एक लोकतात्त्विक सविधान का उद्देश्य राजनीतिक लोकतत्र की स्थापना करना होता है जिसमें आर्थिक समानता की अनुपस्थिति म राजनीतिक स्वतत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा। अतएव राजनीतिक लोकतत्र के लिए सविधान में प्रावधान अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। इस कारण राजनीतिक लोकतत्र की जड़ों को सशक्त करने के लिए आर्थिक लोकतत्र का होना अत्याहत आवश्यक है। जिस देश म राजनीतिक लोकतत्र को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक लोकतत्र नहीं है वहाँ निरकुणता की स्थापना में निश्चय ही देर नहीं होगा। यदि मूल भविकारों द्वारा भारत म राजनीतिक लोकतत्र का आश्वासन दिया गया है तो राजनीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतत्र के विकास के लिए आश्वासन दिया गया है जिसमें उसको (राजनीतिक लोकतत्र) पोषण मिल सके। अतएव राजनीति निर्देशक तत्व भारत में वास्तविक लोकतत्र के लिए सबसे बड़ा आश्वासन है।”^१

अब प्रश्न यह है कि राजनीतिक लोकतत्र का क्या अर्थ है? राजनीतिक लोकतत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से है, जो जनता द्वारा अभिव्यक्त बहुमत के आधार पर स्थापित है, अर्थात् ऐसी सरकार जिसके निर्माण के लिए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतत्रताओं का पूर्ण उपयोग किया है और जो विधि शासन पर आधारित होते हुए नागरिकों के विचारों की अभिव्यक्ति तथा समर्थन निर्माण करने की स्वतत्रता प्रदत्त करती है।

नि सदैह, राजनीतिक लोकतत्र को आवश्यकतामात्रा को भारत के सविधान के अन्तर्गत मान्यता दी गई है। परन्तु आर्थिक लोकतत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत म विभिन्न सरकारों पर सविधान द्वारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रखा गया है। जैसे डा० एस० सी० डेश का कहना है—‘सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में

१. एम० बी० पायलो, ‘इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन, १९६२ पृ० १५४।

अभी भी भारत का गंभीर उत्तरदायित्व है। राजनीतिक लोकतंत्र का समाज की उन समाजों को जो समाज के विभिन्न बगों में भेदभाव स्थापित करती है, दूर किय दिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार, गरीबी तथा जीवन का अत्यधिक निम्न स्तर भारत की जनता के राजनीतिक पिठड़ैपन के बारण थे। मामलतावादी जमीदार और पूजीयति सरलता पूर्वक राजनीतिक अधिकारों में व्यापार करके जनता के राजनीतिक जीवन को घट्ट कर सकते हैं, यदि सामाजिक नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं और मूल से छूटवारा प्राप्त नहीं होता है।^१

वस्तुतः, दिना आधिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र बेदल इन्द्रनाल के गदृश ही होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रताएँ अर्थहीन हैं, जब तक नागरिकों का समाज आधिक अवसर नहीं प्राप्त है। १० जवाहरलाल नेहरू न इस विषय पर अपने विचार प्रवर्त करते हुए कहा है—‘हम स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, इन्तु जब तक आधिक स्वतंत्रता नहीं है, तब तक बेदल राजनीतिक स्वतंत्रता ही हमें मिले नहीं से जा सकती। बास्तव में, एक अक्ति जो मूला मर रहा है या एक देश जो गरीब है, उसके लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है।’^२

समाज में आधिक असमानताओं के विद्यमान होने से, राजनीतिक अधिकार अन्यावहारिक हो जाते हैं। प्रो॰ हेरलैंड लास्की का वचन है—‘इसका तात्पर्य है कि कभी भाग्यवानी अनियतों की भौतिक तथा बीड़िक परिव्यतिया का निरकुश-सापूर्वक नियारण करना। इसका तात्पर्य है भारतारी-यशा का नियन्त्रण, उनकी हानि के लिए करना।’^३

इसके अनिरित प्रा० लास्की कहते हैं—“राजनीतिक समानता बास्तविक नहीं है, यदि इसके साथ आधिक समानता नहीं है, अन्यथा राजनीतिक सत्ता (अधिकार) आधिक सत्ता के बबत साधन के रूप में हा जायगी।”^४

राजनीतिक क्षेत्र में अधिकारों का कोई उपयोग नहीं रह जाना है—बच्चे प्राय दुष्यकाग ही होता है, यदि नागरिकों की आधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आम चुनाव के दौरान प्राय पैसा के बर

१. एम० सी० डेंग—‘द कान्टीट्यूशन आफ इण्डिया’, १९६०, पृ० ४३२।

२. प० नेहरू—‘द बोन्टेप्रेसेन्स आफ नेहरू’ (क० टी० नरसिंह चर द्वारा सम्पादित) १९६१, पृ० १४६।

३. एच० लास्की—‘ए आमर आफ पालिटिक्स’, १९३७ पृ० १६१।

४. एच० लास्की—‘पूर्वांकित मुस्ताक’ पृ० १६२।

पर आधिकारों से सदे हुए गरीब मतदाताओं की विमिन्न प्रदार के सोगों से किसी एक पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित तथा अट्ट बरते के प्रयत्न किय जाते हैं, जिससे बुरे परिणाम इस सत्य की पुष्टि बरते हैं कि राजनीतिक सोबत्र वो समक्त बनाने के लिए नागरिकों की आधिकारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य को प्रायमिक महत्व दिया जाना चाहिये।

राजनीति विज्ञान की इन धारणाओं के सन्दर्भ में जननामिन्न भवित्वान्। सन्नामिन्नों के राजनीतिक एव आधिकारों को महत्वपूर्ण सम्भाल दिये। जाना है। इन राजनोत्तिव एव आधिकारों के सम्बन्ध में सरकार की भूमिका के दो पृष्ठक स्पष्ट होते हैं। सविधान में उल्लिखित राजनीतिक आधिकारा द्वारा हमें प्रेयंगा देव स्वापित किया जाता है, जिसमें राज्य (सरकार) का हमें प्रेयंगा आधिकार भाना जाता है। अतएव राज्य (सरकार) की भूमिका, राजनीतिक आधिकारों के समय में नवारामक है। केवल, ऐसी परिमिति में जड़ जिसी भूमि राजनीतिक आधिकार का उल्लंघन हूमाहै, आधिकारिकों की भूमिका का प्रस्तु पैदा होता है।

इससे विपरीत, सविधान में उल्लिखित विमिन्न आधिकारों, उदाहरण स्वरूप-मारतीय सविधान में राज्य नीति-निर्देशक तत्वों में निहित आधिकारिक आधिकारों का क्रियान्वय राज्य सरकार की सरारातमक भूमिका से ही समव है। इन आधिकारों को सविधान में अपने के फलस्वरूप, राज्य के नागरिकों के प्रति इतिपय महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वारण होता है। "सरकार वा सरकार आधिकार का किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेवल एक साधन ही है। स्वतन्त्रा भी बेवल एक साधन है, जबकि उद्देश्य है—सोर कर्त्याण, मानव प्रगति व गरीबी, दीमारी और पीड़ा को समाप्त करना और प्रत्येक व्यक्ति को भीति का तथा बोद्धिक दृष्टि से 'अच्छें-जीवन, व्यतीत बरने वा अवसर प्रदान बरना।'" बन्नुत सरकार एव अमिकरण है जिसका उत्तरदायित्व नागरिकों के 'अच्छें जीवन' को सविधान में निहित राजनीतिक, आधिक और सामाजिक आधिकारों के अनुरूप व्याप्तिक हृषि देना है। यह नि सदैह सत्य है कि राजनीतिक स्वतन्त्रा एव साधन और एक आवश्यक साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक-आधिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। "परन्तु राजनीतिक स्वतन्त्रता अपने में बेवल एव उद्देश्य नहीं हो सकती है। वास्तव में राजनीतिक स्वतन्त्रता का इस देश के करोड़ों लोगों के लिए और महत्व नहीं जगति के गरीबी तथा उससे उत्पन्न विमिन्न सामाजिक बुराइयों

से पोड़ित हैं और जब तक उनको राजनीतिक स्वतंत्रता में निहित सामाजिक-आधिक अधिकार आशासित न किये गये हैं।”^१

राजनीतिक स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप देने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। जैसा पूर्व में देखा जा चुका है, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के ये अधिकार प्रतिविम्बित होते हैं। मुख्यतः संविधान के अध्याय तीन में जिन मूलाधिकारों का वर्णन है, उनके द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की नीव स्थापित की गई है। राजनीतिक लोकतंत्र के विचार का संविधान के अनुच्छेद ७५ (३) और अनुच्छेद ८१ (१) (ए) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिनके द्वारा क्रमशः मत्रीमठल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त तथा संसद के निचले सदन को लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्धारण प्रणाली को मान्यता दी गई है।

इसी प्रकार आधिक लोकतंत्र की नीव मुख्यतः भारतीय संविधान के अध्याय चार में समावेशित राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में है। अतएव भारतीय संविधान में नागरिकों के दो प्रकार के अधिकारों पर बल दिया गया है (१) राजनीतिक तथा (२) आधिक एवं सामाजिक। ये एक दूसरे के पूरक हैं।

भारतीय संविधान के अध्याय चार में उल्लिखित राज्य नीति-निर्देशक तत्व के लिए संविधान निर्माताओं को आयरलैण्ड के संविधान संप्रेरणा मिली। आयरलैण्ड के संविधान के अनुच्छेद ४५ के आधार पर भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। परन्तु भारतीय संविधान में राज्य नीति-निर्देशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान की तुलना में, अधिक सत्या में और विभिन्न प्रकार के हैं। भारत में जिस जनतात्रिक आधिक व्यवस्था को स्थापित करना है, उसके लिए ये राज्य नीति निर्देशक तत्व पथ प्रदर्शन का बायं करते हैं। “राज्य नीति-निर्देशक तत्व, जैसा प्रो० एल्केजेन्डरोविक्ज का कथन है, भारतीय संविधान-सभा की जो संविधान के उपयुक्त प्रावधानों में निहित है, सामाजिक एवं आधिक नीतियों को प्रतिविम्बित करते हैं।”^२

राज्य नीति निर्देशक तत्वों द्वारा एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य (विभिन्न सरकारों) की सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। संविधान के

१. पी. बो गजेन्द्रगढ़कर—जा, लिबर्टी एड सोशल जस्टिस, १६६५, पृ० १२४-१२५।

२. सी० एल्केजेन्डरोविक्ज—कान्हटीट्पूरानल इवलपमेन्ट्स इन इण्डिया, १६५७ पृ० १०६।

अनुच्छेद ३७ के अनुसार ये सिद्धान्त (राज्य नीति-निर्देशक तत्व) देश के प्रशासन में मूल हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि बानून-निर्माण कर इन सिद्धान्तों को सागू करें। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा इस बात के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए है कि आधिक लोकतंत्र वी प्राप्ति के लिए उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए राज्य नीति-निर्देशक तत्वों रूपी साधनों के लिए भी प्रावधान किया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्राप्त बिया जा सके। थीटों के टोपे के अनुसार—“एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(१) सरकार के कार्य धोन, मे निजी स्वामित्व की आधिक स्थाप्तों के नियन्त्रण के लिए व्यापक वृद्धि।

(२) राष्ट्रीय समाज के प्रत्येक सदस्य पो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदत्त करना-बेरोजगारी तथा सेवा निवृत्ति सबधित लाभ, परिवार सदृशी मने, वम रचन पर गृह-निर्माण, चिकित्सा सेवा आदि।

(३) ऐसे उद्योगों एवं व्यापार मे सरकार के स्वामित्व तथा वायों मे वृद्धि जिनका सचालन व्यक्तियो या निजी निगमो द्वारा निजी लाभ प्राप्त करने के लिए हो रहा था, या, होगा।^१

राज्य नीति-निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनके द्वारा जनता के प्रति सत्ताहृष्ट तथा अन्य राजनीतिक दलों के कर्तव्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। “इनके द्वारा राजनीतिक दलों की भाव-नाओं के सदा परिवर्तनशील नमूने पर, जब इनको संविधान के अनुसार सरकार सचालित करने के लिए आमत्रित किया गया है, अबरोध लगाया जाता है। यह सत्य है कि यह न्याय नहीं है, किन्तु ब्रिटेन मे मेनाकार्ट एवं अमरीका मे स्वतं अता के घोषणा पत्र के सदृश इन सिद्धान्तों से न्यायाधीश, संविधान तथा देश के कानून की व्याख्या करते समय अवश्य प्रभावित होगे।”^२

भारतीय संविधान के चौथे अध्याय मे अनुच्छेद ३६ से ५१ तक विभिन्न राज्य-नीति निर्देशक-तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनमे भारतीय नागरिकों के वति-पय महत्वपूर्ण आधिक तथा सामाजिक अधिकार निहित है। संविधान के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपने दैनिक प्रशासन मे इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना आवश्यक है। राज्य नीति-निर्देशक तत्व निम्नलिखित है।

१—राज्य, विशेषकर, अपनी नीति का निर्धारण, इस हेतु करेगा कि,

१. टी० के टोपे—‘द कन्स्टट्यूशन आफ इण्डिया’ १६६३ पृ० २००।

२. ‘बहो’ पृ० २००-२०१।

(क) समस्त नागरिकों, पुरुष तथा स्त्रियों को पर्याप्त जीविता अर्जन करने का अधिकार हो;

(ल) समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार वित्तित हो जिससे सामान्य रूप से जनहित समर्प हो।

(ग) देश की आर्थिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार न हो जिससे घन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हित को हानि पहुँचे।

(घ) पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान बेतन मिले,

(ड) श्रमिकों, (पुरुष एवं स्त्री) तथा कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का शोषण न हो और नागरिकों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी आयु तथा शक्ति के दृष्टिकोण से अनुप्रयुक्त व्यवस्थायों में प्रदेश करने के लिए बाध्य न होना पड़े,

३—बचपन एवं युवावस्था का शोषण न हो, तथा नैतिक एवं भौतिक परिस्थाग से उनका सरक्षण हो (अनुच्छेद ३६)

२—राज्य द्वारा प्राम-पचायतों को संशोधित करने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे और राज्य उनको प्रावश्यक शक्तियाँ प्रदत्त करेगा जिससे वे स्वायत्-शासन की इकाइयों के सदृश कार्य कर सकें। (अनुच्छेद ४०)

३—राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं के दायरे में नागरिकों के लिए नौकरी और शिक्षा की व्यवस्था करेगा और बृद्धावस्था, बीमारी एवं देरोजगारी या अग्नि हानि होने पर सार्वजनिक सहायता करेगा (अनुच्छेद ४१)

४—राज्य अम तथा प्रमूलि सहायता से सबधित शर्तों को मानवीय स्वरूप देने के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद ४२)

५—राज्य कानून या आर्थिक सगठन द्वारा समस्त श्रमिकों को हृषि, उच्चोग या अन्य कार्यों से सबधित उपयुक्त जीविका एवं कार्यों की शर्तों के लिए प्रावधान करेगा जिससे जीवन का उत्तम स्तर स्थापित हो सके तथा नागरिक सामाजिक और सास्कृतिक अवसरों वा उपयोग कर सकें। राज्य व्यक्तिगत और सहकारिता के आधार पर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। (अनुच्छेद ४३)

६—राज्य सम्पूर्ण मार्तीय प्रदेश में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार सहिता उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगा। (अनुच्छेद ४४)

७—राज्य सविधान के लागू होने के दस वर्षों में चौदह वर्ष तक वी आयु के समस्त बालकों को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद ४५)

८—राज्य दुर्बल घरों के विशेष कर अनुमूलित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के, शिक्षा और आर्थिक हितों वी उन्नति के लिए व्यवस्था करेगा और उनका सामाजिक अन्याय तथा अन्य प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। (अनुच्छेद ४६)

६—राज्य अपनी जनता के आहार सबधो एवं जीवन के स्तर को ऊँचा करने के तथा सावंजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कार्यों को प्राथमिक महत्व देगा तथा यह प्रयत्न करेगा कि उन मादक पेयों को छोड़वार, जो चिकित्सा में आवश्यक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका नियेष हो । (अनुच्छेद ४७)

१०—राज्य कृषि एव पशुगालन का आवृनिक और वैज्ञानिक प्रापार पर सचालन करेगा, विशेष तौर से गोवश के सरकण और नस्त में सुधार के लिए तथा गाय, बछड़े, दूध देने वाले भारतवाही पशुओं के वध का नियेष करने का प्रयास करेगा । (अनुच्छेद ४८)

११—राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक स्मारक या वलात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान या वस्तु का, जिसको समर्दीय बानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का निर्धारित कर दिया गया है, सरकण करे । (अनुच्छेद ४९)

१२—राज्य द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

१३—राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयों के सबध में प्रयत्न किये जायेंगे ।

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति के लिए,

(ख) राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण सबधों को बनाये रखने के लिए,

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विधि और और सधियों में निहित वर्त्तव्यों के प्रति राष्ट्रों के व्यवहार में आदर बढ़ाने के लिए,

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वाद-विवादों को पच-निर्णय द्वारा निवारने के लिए ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश राज्य नीति-निर्देशक तत्वों का सबध नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों से है । ये आर्थिक अधिकार लोकतन्त्र के मूल आधार हैं । राज्य नीति-निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से इस दृष्टि से मिन है कि मूल अधिकार न्याय हैं, अर्थात् इन के पीछे न्यायालयों की शक्ति है, किन्तु राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय नहीं है । तथापि, देश के प्रशासन का ये मूल आधार हैं । मारतीय सविधान में नागरिकों के मूल अधिकार तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व, आवृनिक समय में जनतन्त्र के दो सबधित पहलुओं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और लोक कल्याण को प्राप्त करने के लिए सबधानिक साधन हैं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 'चूंकि लोकतन्त्र में 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' और लोक-कल्याण एक दूसरे के पूरक हैं, मारतीय सविधान के अन्तर्गत लोकतन्त्र के इन दो पहलुओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित साधन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भी एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही भारत में सही शर्य भ लोकतन्त्र स्थापित किया गया है । प्रायः राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों की

आलोचना की जानी है, कि यदि राज्य इनका पालन नहीं करता हैं तो इनका क्रियान्वयन न्यायालयों द्वारा, मूल अधिकारों के सदृश नहीं बिया जा सकता है। इम दृष्टि से, आलोचकों का बहना है कि इनको संविधान में रखने का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है; किन्तु ये सिद्धान्त बताना और भविष्य में सत्तारूढ़ होने वाले राजनीतिक दलों के लिए एक निरन्तर चेतावनी है कि इन सिद्धान्तों का दैनिक प्रभासन में उपयोग होना आवश्यक है, यद्यपि जनता प्रति पांच वर्ष के बाद आम चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हटा सकती है। अतः यह सत्य है कि राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालयों की शक्ति नहीं है, परन्तु सत्तारूढ़ दल पर इनके क्रियान्वयन के मदर्म में नीतिक तथा मनो-वैज्ञानिक अवरोध हैं, क्योंकि ये सिद्धान्त राष्ट्रीय उद्देश्यों के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अन्त करण के ठोस प्रतीक वे रूप में हैं। चूंकि राज्य नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालयों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन सिद्धान्तों के पीछे इनके क्रियान्वयन के लिए कोन-कौन सी ज़रूरियाँ हैं? इसके लिए मुख्यतः दो ज़रूरियाँ हैं।

(१) मनदातागण द्वारा

(२) व्यवस्थापिका समा।

सप्तदीय लोकतंत्र में मनदाताओं की शक्ति सरकार पर एक ऐसे महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में मानी जा सकती है जिससे सरकार को संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के विश्व जान से रोका जा सकता है। मनदाताओं तथा व्यवस्थापिका की मूलिका पर प्रबाल ढालते हुए डा० बी० आर० अम्बेदकर ने वहा—“प्रत्येक सरकार दैनिक मामलों में तथा एक निश्चित समय पश्चात् किसी न सौटी पर रखी जायगी जबकि मनदाताओं और निर्वाचितों द्वारा दिये गये कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है जबकि हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्वापना की है, हमारी यह भी इच्छा है कि आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को निर्धारित करें।”^१ “संविधान निर्माण करने में हमारे दो उद्देश्य रहे हैं राजनीति उद्देश्य तथा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की उपलब्धि बराना।”^२

सर्वप्रथम—प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण समय में संसद सदस्यों द्वारा बिया जाता है। द्वितीय, चुनाव के समय सरकार द्वी नीतियों तथा कार्यों का परीक्षण और मूल्यांकन स्वयं मनदाता करते हैं। सरकार की नीतियों तथा कार्यों का परीक्षण

१. बी आर. अम्बेदकर-बास्टीट्यूएन्ट असेम्बली दिवेट्स-भाग ७ पृ० ४६२-४६५।

२. वही पृ० ४१।

(द्वितीय परीक्षण) संविधान मे निर्धारित कसीटियो के आधार पर ही किया जाता है और यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि सरकार की क्या उपलब्धियाँ क्या क्या असफलताएँ रही हैं। यदि सरकार ने संविधान के अनुसार जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया है तो निष्ठय ही जनता द्वारा सत्ता की वागडोर पुन उसको सौंपने की प्रवल समावना होगी। इन्तु यदि सरकार ने संविधान म उल्लिखित जनता की आवश्यकताओं की अवहेलना की है तो मतदाताओं को सरकार को बदन्तने का पूर्ण अधिकार है।

अब जैसा कि पूर्व म देखा जा चुका है, राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व देश के प्रशासन के लिए आधार हैं। नोई सरकार इस मूल सिद्धान्त की, जिन पर आधिक स्वतंत्र निर्भर है, अवहेलना नहीं कर सकती है? 'यदि जनता एव व्यवस्थापिका समाजों म उनके प्रतिनिधि इन सिद्धान्तों के सन्दर्भ म वायंपालिका के कायों के हित-प्रहरी के रूप मे कार्य करते हैं तो वे सामाजिक राजनीतिक, एव आधिक सुधारा का एव प्रभावशाली स्रोत सिद्ध होगे।'^१ राज्य नीति-निर्देशक के पीछे सबसे प्रभाव-शाली सत्ता लोकमत है। यह सत्य है कि बानूनी दृष्टिकोण से इन सिद्धान्तों का वर्म उपयोग है, किन्तु जिस सरकार ने सिद्धान्त का उल्लंघन किया है यह जनता के समक्ष दोषी ढहराई जा सकती है। य जनता तथा सरकार के लिए एक स्थायी स्मरणवर्ती के सदृश हैं, जिससे स्मरण रह सके कि क्या किया जाना चाहिये।^२

अतः राज्य नीति निर्देशक तत्त्वों के पीछे बानूनी नहीं बल्कि लोक-मत के रूप मे, राजनीतिक शक्ति है। प्रत्येक पांच वर्षों के आम चुनाव के समय मतदाता इस घान के लिए स्वतंत्र होगे कि एक ऐसी सरकार को जिसने इन सिद्धान्तों की अवहेलना की है, पुन सत्ता न सौंपे।

इस बारण संविधान सामूहोने के पश्चात् बैन्ड्रीय एव रिमिन्स राज्यों की सरकारों ने इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने के प्रयत्न किये हैं। यह प्रयत्न विभिन्न पञ्च वर्षीय योजनाओं मे विशेष रूप से प्रतिविभित है। संविधान के लागू होने के पश्चात् तीन पञ्च वर्षीय योजनाओं म तथा वर्तमान चतुर्थ पञ्च वर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास का जो नमूना है वह संविधान म निहित उद्देश्यों से समर्पित है। राज्य नीति-निर्देशक तत्त्वों के अनुकूल जिस लद्य नो प्राप्त करना है, वह है 'समाजवादी ढाँचे पर आधारित समाज' और इसको दूसरी पञ्च वर्षीय योजना मे इन शब्दों मे स्पष्ट किया गया है, "इससे तात्पर्य है कि प्रगति के लिए कसीटी निजी साम नहीं किन्तु सामाजिक साम होना चाहिये और विकास का नमूना तथा सामाजिक आधिक सबधों का ढाँचा इस प्रकार नियोजित किया जाये कि न बेदल

१ टी० के० टोये—'पूर्वोक्त वृस्तक' पृ० १६५।

२ एम० पी० शर्मा—द गर्वमेन्ट आफ ब इण्डियन रिपब्लिक, १९६१, पृ० ६०।

राष्ट्रीय आय और रोजगारी में ठोस वृद्धि हो जिन्तु लोगों की आय तथा घन में अधिकतर समानता हो। आर्थिक विकास के लाभ अधिकतर समाज के पिछड़े हुए वर्गों को उपलब्ध हो आय, घन तथा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण में क्रमिक रूप से कमी होनी जाये।”^१

द्वितीय एवं तीसरी योजना के उपर्युक्त उद्देश्य तथा राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के उद्देश्य वी समानता को देखते हुए, यह विदित होता है कि इन सिद्धान्तों को एक अव्यावहारिक आदर्श के रूप में नहीं माना गया है, किन्तु इनको व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाने के सफल प्रयत्न विद्ये गये हैं। कठिपय उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि वास्तव में इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। ये उदाहरण निम्नलिखित हैं।

(i) पिछले वर्षों में समाज के नीतिक साधनों को काफी मात्रा में राज्य के नियन्त्रण में लाया गया है। जीवन वीमा तथा दैनंदी-राष्ट्रीयकरण इसके क्षेत्रपय उदाहरण हैं। इसके अनियन्त्रित, बहुउद्देश्यीय नदी योजनाएँ, जैसे—मानवरा-नगल, दामोदर घाटी योजना, हीराकुण्ड बाध, मिलाई, राडरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने, विश्वस्त्रापट्टनम का जहाज-निर्माण कारखाना, सिन्दी स्तर बारखाना, हिन्दुस्तान भूशील टूल्स, चित्ररजन का रेलवे इंजिन का कारखाना, हिन्दुस्तान ऐयरड्राफ्ट, आदि द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। राज्य ही इनके सचालन तथा प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है।

(ii) यद्यपि रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है किन्तु राज्य द्वारा रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाये गये हैं।

(iii) राष्ट्र के कई हिस्सों में, सामुदायिक विकास योजनाओं को ग्रामों की अपेक्षाकृत्या में सुधार के लिए लागू किया गया है, इसका प्रभाव कृपय तथा पशुपालन के क्षेत्रों में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

(iv) अनिवार्य प्रायमिक शिक्षा की दिशा में भी प्रगति हुई है।

(v) भार्यक क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्गों की सहायता के लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है।

(vi) अनर्नार्प्टीय क्षेत्र में भारत ने पचशील के सिद्धान्त के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राज्य नीति-निर्देशक तत्वों में पीछे दूसरी शक्ति व्यवस्थापिका समा है। व्यवस्थापिका समा वा कार्य, देश में लोक कल्याणकारी राज्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के आधार पर कानून निर्माण करना

है। इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत में रासदात्मक पद्धति को भाराया गया है, इस वानूनों के क्रियान्वयन के लिए वार्यपात्रिका को उत्तरदायी टहराने का प्रश्न अधिकार भी व्यवस्थापिका को प्राप्त है। रासदात्मक पद्धति में वार्यपात्रिका (मन्त्रीमंडल) व्यवस्थापिका का एक हिस्मा होती है। ऐसा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। साधारणतया वार्यपात्रिका का निर्माण रासद के निर्माण सदा में घटुपा प्राप्त रिये राजनीतिक दल भे रिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रासद के निवेदन सदन पर उक्त राजनीतिक दल का आधिकारिक तथा गिरिषण रहता है। चूंकि सविधान के अनुच्छेद ३७ के अनुसार राज्य नीति-निर्देशक तत्त्व को देश में प्रशासन में आधार स्वरूप माना गया है, जिस दल को सत्ता की बागड़ोर प्राप्त है, उसका यह विशेष उत्तरदायित्व है कि इन निर्दान्तों को व्यवहारिक रूप प्रदान करें। अब, यहीं पर प्रश्न यह पैदा होता है कि रासद में घटुपा दल ने, इस निर्दान्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस कराने के लिए कौन सी गस्ता है? यह स्पष्ट है कि यह अधिकार प्रतिपक्षीय दल या दलों का है।

“यह प्रतिपक्ष के हाथों में एक शक्तिशाली हृषिकार होगा कि यह सरकार की निन्दा इस आधार पर करे कि उसका वार्यपात्रिका या व्यवस्थापाद गवर्धी बोई वार्य राज्य नीति-निर्देशक तत्त्व के विरुद्ध है।”^१

व्यवहारत रासद में प्रतिपक्षीय दलों ने राज्य नीति-निर्देशक तत्त्व के आधार पर सरकार की समय-ममत्य पर कड़ी भलोक्यना की है। उदाहरण स्वरूप इस निर्दान्तों के क्रियान्वयन के लिए सरकार के उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से १९५८ में लोकसभा में श्री तुयार चटर्जी (साम्यवादी दल के सदस्य) द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में पढ़ा है सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का गुम्भाव दिया गया, जो यह जीव बरती कि विस हृद तक, राज्य नीति-निर्देशक तत्त्व का रासदार ने क्रियान्वयन दिया। परन्तु ३१ अगस्त १९५८ को लोकसभा ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुति कर दिया। इस प्रस्ताव को सदन में रखते हुए श्री तुयार चटर्जी ने वहा कि सामान्य नागरिक के लिए समध्याओं का, जैसे-साचा, शिशा और स्वास्थ्य, समाधान नहीं हुआ है और साधारण जनता का जीवन और मारपूर्ण व कठिन हो गया है और के ऐसा महागूस करने लगे हैं कि सविधान में नीति-निर्देशक तत्त्व एवं गमीर घोषणा नहीं बल्कि केवल सजावट मात्र ही हैं।^२ इस आलोकना का उत्तर देते हुए गृह मन्त्रालय के श्री दी० एन० दातार ने वहा कि नीति निर्देशक तत्त्व एवं “उद्देश्यों की सहिता” के सदृग हैं और इनकी तत्त्वाल प्राप्ति होना समव-

१. दी० दी० यसु—समेन्ट्री आम द बास्टीट्यूशन आफ इंडिया भाग—२ १९६५ पृ० ३१२।

२. द्वितीय, सितम्बर १, १९५८।

नहीं है, किन्तु सरकार न मदैव अपनी नीनियों में इन मिदान्तों को सम्बोधित करने का प्रयत्न किया है और इन मिदान्तों के प्रभावों को योजना ग्राहण करायें तथा निर्गायों में स्पष्ट स्पष्ट में देखा जा सकता है।

निस्मद्दहन ता सरकार इन मिदान्तों के विश्वद कोई कार्य करेगी न ही इन मिदान्तों में अनन्तिकर रहकर प्रशासन का सचालन कर सकती है। ससद में प्राप्त मामले पर जा राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों से सबैधिन है, सरकार को अपने कार्यों तथा नीनियों का धीर्घित बताना होगा, अन्यथा सरकार के विश्वद समझ में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके अनितिक, सरकार को मनुदाताना का आम चुनाव के समय ममर्यन उम स्थिति में ही मिल सकेगा, यदि सरकार न अपने कार्यकान में जनता के हृतों को ध्यान में रख कर कार्य किये।

सक्षेप में, मनदाता तथा व्यवस्थापिका सभा राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों के पीछे आवश्यक भासि है। अन् इनके पीछे कानूनी नहीं किन्तु राजनीतिक शक्ति है। भारत के सवित्रान के अन्यंत नागरिकों के मूल अविकारों तथा राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों में भिन्नता बेबत्य यह है कि मूल अविकारों का उल्लङ्घन होने पर न्यायालय की भरण सी जा सकती है, परन्तु राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों का उल्लङ्घन होन या पालन न किये जाने की स्थिति में न्यायालय की भरण नहीं सी जा सकती है। तथापि नीनि-निर्देशक तत्वों के सवित्रान में रखे जाने के कारण न्यायपालिका इनके अन्तर्गत में अनन्तिकर अपने निर्णय नहीं दे सकती है। भारतीय सवित्रान में, मूल अविकारों के विवेयकर स्वतंत्रता के मूल अविकार तथा सम्पत्ति के अविकार पर सीमाएँ लगाई गई हैं।

स्वतंत्रता के मूल अविकार के सवयमें सवित्रान में 'युक्तियुक्त' सीमाओं स्वतंत्रता उपयाग किया गया है, सम्भवि के अविकार के सवयमें यह द्वावधात किया गया है कि सम्भवि का प्रविष्ट्या राज्य बेबत्य 'सार्वजनिक उद्देश्य' से ही कर सकता है। इस बात को निर्धारित करने के लिए कि 'युक्तियुक्त सीमाओं' तथा 'सार्वजनिक उद्देश्य' में क्या वान्यमें है न्यायपालिका का निर्णय अतिम होगा। इस सन्दर्भ में न्यायपालिका वो राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा। वास्तव में, पिछो वर्षों में जब कानूनों द्वारा व्यवित्रण स्वतंत्रता पर सीमाएँ लगाई गईं, न्यायपालिका ने यह बीचने के लिए कि ये सीमाएँ युक्तियुक्त थीं या नहीं, राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों का मार्ग दर्जन लिया। न्यायपालिका को यह धारणा रही है, कि जिन मिदान्तों का सवित्रान द्वारा मान्यता प्रदत्त है वे युक्तिरहित नहीं हो सकते ह। तिसमद्दहन मूल अविकार तथा राज्य नीनि-निर्देशक तत्वों के मार्गदर्शन में, आवृन्ति नाम्न में सवित्रान को लागू होने के समय से ही न्यायपालिका को एक ममर्यन गमोर तथा महावूर्ध्न भूमिका प्राप्त हुई है, जिससे व्यवित्रण स्वतंत्रता, एवं नोन वल्यानकारी राज्य के मध्य पैदा हुए विरोधों को दूर कर इन दोनों में

ममन्यय स्थापित किया जा सके। दूसरे शब्दों में व्यवस्थापिता तथा वार्यपालिका के अतिरिक्त, सविधान द्वारा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र तथा भार्धिक सोसातन को, व्यवहार में एवं दूसरे के पूरव बनाने वी महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालि। तो भी सोची गई है। मुख्यत न्यायपालिका ने इस वार्य को नागरिकों के मूल अधिकारा द्वारा एवं ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, जिसम राज्य हस्तांग कर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अत यदि अत्याधिक उत्साह म सरकार ने लोक व्याणवारी राज्य के आदर्श वी प्राप्ति के लिए ऐसा बानून पारित किया जिससे किसी मूल अधिकार या अधिकारों का अतिरिक्त हृषा तो न्यायपालिका ने ऐसे बानून को अवैध घोषित किया। इसी प्रकार न्यायपालिका ने सविधान द्वारा लोक व्याणवारी राज्य के लक्ष्य को ध्यान म रखते हुए जब किसी बानून वी जीव मूल अधिकारों के सम्बंध में इस आधार पर की थी उक्त कानून द्वारा अनुच्छेद ३१ (२) के अनुसार सम्पत्ति का अधिप्रहण राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया था या नहीं, तो न्यायपालिका ने सविधान में उल्लिखित नीति-निर्देशक तत्वों का मार्गदर्शन लिया। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कानून को न्यायालय के समझ इस तर्फ पर चुनौती दी गई है तो इसम अनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के विरुद्ध युक्तिरहित गीमाएँ लगाई गई हैं, तो न्यायपालिका उक्त तर्फ बो स्वीकार नहीं करेगी, यदि ये गीमाएँ राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के आधार पर हैं क्योंकि यह मानना स्वामाकिं द्वारा निर्दिष्ट कोण मे कई कानूनों द्वारा नीति-निर्देशक तत्व के आधार पर ऐसे कानून को न्यायपालिका द्वारा वैध घोषित किया गया जिसके द्वारा मादक द्रव्यों के रखने तथा ब्रय बरने पर प्रतिबन्ध समाया गया था। अनुच्छेद ४८ मे निहित निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार गो-ब्रय नियेष के विद्वान्त पर आधारित बानून का न्यायपालिका ने वैध माना।^१

इसी प्रकार सम्पत्ति के मूल अधिकार के सम्बंध मे अनुच्छेद ३१ (२) के अनुसार यदि राज्य निजी सम्पत्ति का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कानून द्वारा अधिप्रहण, अनुच्छेद ३६ (ब) एवं (स) मे निहित राज्य नीति-निर्देशक तत्वों (३६ (ब) समाज के भीतिक साधनों का स्वाभित्व तथा वितरण इस प्रकार का

^१ भोहम्मद हनीफ और अन्य बनाम विहार राज्य और अन्य—ए० आई० आर० १९५८ एस० सी० ७३१।

हो कि जिससे सामान्य रूप से जनहित हो; ३६ (स) देश की आर्थिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार न हो जिससे धन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हिन को हानि पहुँचे) की प्राप्ति के लिए करता है तो ऐसे कानून को अवैध नहीं मानना चाहिये। इस सिद्धान्त को सविधान सशोधन पञ्चीसवें अधिनियम में अपनाया गया जो दिसम्बर १९७१ में पारित दिया गया। इस सशोधन के अनुसार यदि विसी कानून में यह उल्लिखित कर दिया जाता है कि उक्त वानून का उद्देश्य किस राज्य नीति-निर्देशक तत्व को लागू करना है तो इसके बावजूद कि वह कानून किसी मूल अधिकार के विरुद्ध है उक्त कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। पञ्चीसवें सशोधन, राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के, विशेष-कर अनुच्छेद ३६ में निहित निर्देशक तत्वों के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सशोधन के अनुसार साधारण कानून द्वारा व्यवस्थापिक सभा ऐसे नीति-निर्देशक तत्व को जिसका उल्लेख उक्त कानून में है, मूल अधिकारों से उच्च स्थान प्रदान वर सकती है जो २५वें सशोधन लागू होने की नीति निर्देशक-तत्वों की पूर्वक स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। पञ्चीसवें सशोधन लागू होने के पूर्व कानूनी दृष्टि से नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन थे।

न्यायालिका की इस विशेष भूमिका का महत्व दिसम्बर १९७१ तक रहा जबकि सविधान में पञ्चीसवीं सशोधन लागू किया गया। सक्षेप में तब तक राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के सबव भे न्यायपालिका के दो प्रकार के अधिकार थे, सर्वप्रथम, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्व पर आधारित किसी वानून तथा नागरिकों के किसी मूल अधिकार में संघर्ष होता, तो ऐसे कानून को अवैध ठहराना, क्योंकि मूल अधिकार न्याय है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व न्याय नहीं है, और द्वितीय, कई मूल अधिकार 'युक्तियुक्त सीमाओं' द्वारा सीमित हैं तथा सम्पत्ति के मूल अधिकार के अन्तर्गत सम्पत्ति का अधिप्रहण, 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए ही किया जा सकता है। मूल-अधिकारों से सबधित 'युक्तियुक्त सीमाओं,' तथा 'सार्वजनिक उद्देश्य' की व्याख्या बरने का अधिकार न्यायपालिका को है और इस कार्य में कि 'युक्तियुक्त सीमाओं' तथा 'सार्वजनिक उद्देश्य' से क्या तात्पर्य है, न्यायपालिका का नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा पथ प्रदर्शन किया गया, जैसा कि कतिपय महत्वपूर्ण प्रकरणों से ज्ञात होता है। विहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह नामक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री दास ने कहा कि 'सार्वजनिक उद्देश्य' से तात्पर्य उस लोक-बल्याण से है, जिसका उल्लेख राज्य नीति-निर्देशक तत्वों में है। इसी प्रकार हनीक कुरेशी बनाम विहार राज्य के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद ४८ में उल्लिखित गोवध सबधी राज्य नीति-निर्देशक तत्व के प्रकाश में गाय तथा बैल, जो दुधारू तथा उपयोगी हैं के बघ वा पूर्ण नियेध युक्ति-युक्त है। सक्षेप में कानून द्वारा सरकार ने नागरिकों के अधिकार पर जो सीमाएं

लगाई, तो यह विदित करने के लिए कि वे सीमाएँ युविनयुक्त थीं या नहीं, न्यायपालिका ने राज्य नीति-निर्देशक तत्वों का सहारा लिया।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत के सविधान में राज्य नीति-निर्देशक तत्वों का आधिक लोकतन्त्र के साधनों के हृषि में अत्याधिक महत्व है। सविधान वे पञ्चवीसवें संशोधन (१९७१) से इनका महत्व और अधिक हो गया है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप सरकार वा उत्तरदायित्व आधिक लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए स्पष्ट हृषि से सामने उमर आता है। राज्य नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा सविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक तथा आधिक उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है। “ये एक बस्तीटी के सदृश हैं जो मतदाताओं द्वारा सत्तारूढ़ दल सरकार पर लागू की जा सकती है। इनके द्वारा वह बस्तीटी प्रदत्त की जाती है जिससे एक राजनीतिक दल की सफलता या असफलता ज्ञात की जा सकेगी।”

१० एस० पी० अद्यपर—‘कान्स्टीट्यूशनलिंगम इन इण्डिया’ इन स्टूडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी १९६५, पृ० ७१८।

भारत में संसदात्मक प्रणाली

आधुनिक युग में सरकारों के वर्गीकरण का मुख्य आवार सरकार दो भग, व्यवस्थापिका समा एव कार्यपालिका-समा, के सबको के स्वरूप पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से जननांचिक सरकारों को दो बर्णों में रखा जा सकता है।

संसदात्मक सरकार, जिसमे कार्यपालिका (मत्रीमण्डल) का उत्तर-दायित्व संसद के निम्न-सदन के प्रति होता है।

द्वितीय, अध्यक्षात्मक सरकार जिसमे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका-समा भरकार के दो अलग-अलग और स्वतंत्र भग हैं। अनेव इस पद्धति मे कार्य-पालिका और व्यवस्थापिका मे बोई घनिष्ठ सबब नहीं होता है, जबकि संसदात्मक पद्धति मे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ सबब होता है कि कार्यपालिका के बीच व्यवस्थापिका के विवासर्यन्त ही पदासीन रह सकती है। साथ ही, कार्यपालिका (मत्रीमण्डल) का कार्यकाल व्यवस्थापिका मे बहुमत पर निर्भर रहता है।

संसदात्मक सरकार को 'उत्तरदायी सरकार' की सज्जा भी दी जाती है। संसदात्मक सरकार के मूल उद्दान्त को हम वास्तविक वार्यपालिका (मत्रीमण्डल) एव व्यवस्थापिका के सबको मे निहित देवते हैं क्योंकि वास्तविक वार्यपालिका का वायकाल व्यवस्थापिका मे बहुमत पर ही आधारित रहता है। अन संसदात्मक सरकार के अन्तर्गत यदि व्यवस्थापिका, वास्तविक कार्यपालिका (मत्रीमण्डल) के कार्यों एव नीतियों के प्रति बहुमत से अपना अविवास व्यक्त करती है तो कार्य-पालिका (मत्रीमण्डल) वो अपना द्यावपत्र देना आवश्यक होगा।

प्रो० गेटेल ने संसदात्मक सरकार की परिमाण इस प्रकार दी है—“मत्री-मण्डलात्मक सरकार, वह सरकार है जिसमे वास्तविक कार्यपालिका, जिसमे एक प्रणाल मत्री एव मत्रीमण्डल का समावेश होता है अपने कार्यों के लिए विधिवत रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है।”^१

१. भार० जी० गेटेल—‘पोलिटिकल साइन्स’ १९५४, पृ० २१।

डा० गार्नर ने संसदात्मक सरकार की परिमापा देने हुए कहा है—“मध्य-मण्डलात्मक सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका (बोर्डों या अधीक्षणों) प्रत्यक्ष एवं विधिवत् रूप से व्यवस्थापिका या उसके एक मदन के पति (साधारणतया प्रतिनिधि सदन) और अप्रत्यक्ष या अन्तिम रूप से निर्वाचितों वे प्रति अपने राजनीतिक नीतियों एवं कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि घटगमात्र या नाममात्र की कार्यपालिका (राज्याध्यक्ष) की स्थिति उत्तरदायित्वहीन होती है।”^१

संसदात्मक सरकार की आवश्यक शर्तें

उपर्युक्त परिमापाओं से यह विदित होता है कि संसदात्मक सरकार वे अन्तर्गत वास्तविक कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होना—इस सरकार वा मूल सिद्धान्त है। व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त के दो पक्ष हैं।

प्रथम—वास्तविक कार्यपालिका विधिवत् एव प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका वे प्रति उत्तरदायी होती हैं।

द्वितीय—अप्रत्यक्ष एवं अन्तिमरूप से कार्यपालिका वा उत्तरदायित्व मन-दाताओं वे प्रति हैं।

इन दोनों पहलुओं की व्यावहारिक सफलता के लिए न बेवल व्यवस्थापिका एवं मनदाताओं को अपने राजनीतिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति मतत सजग और सक्षम होना आवश्यक है, परन्तु यह भी आवश्यक है कि व्यवस्थापिका सभा और निर्वाचिकों में (मनदाताओं में) वह धमता हो, जिसके द्वारा वे कार्यपालिका (सरकार) को उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित बर सके। वास्तव में संसदात्मक प्रणाली में व्यवस्थापिका एवं मनदाताओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इन दोनों में ऐसी शक्तियाँ निहित हैं, जो आवश्यक जनतात्रिक अवरोधों के रूप में कार्यपालिका की शक्तियों वो वैधानिक दायरे में सीमित रखते हुए, उसकी निरकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाती है तथा मनदाताओं का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य में, संसदीय प्रणाली की आवश्यकतानुसार सुलूलन की स्थिति स्थापित करती है। इसमें सदैह नहीं कि कार्यपालिका पर यदि बुद्धि निश्चित और आवश्यक अवरोध न हो तो कार्यपालिका निरकुशता की ओर अप्रसर होगी। संसदात्मक प्रणाली में व्यवस्थापिका और मनदाताओं को अपने राजनीतिक कार्यों के प्रति सजग होना आवश्यक है।

१. डा० डल्टन गार्नर—प्रॉफेसर ऑफ रेस्ट्रेट्ड गवर्नेंट १९३२ पृ०—३२३।

भारत में संसदात्मक सरकार

भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्र और विभिन्न राज्यों में संसदात्मक प्रणाली की स्थापना की गई है। "शासन वा स्वरूप केन्द्र और राज्यों में विटिश प्रणाली के सदृश संसदात्मक उत्तरदायी सरकार है। संघीय और राज्यों की कार्यपालिका विटिश पद्धति के अनुसार सामूहिक रूप से उत्तरदायी रखी गई है। यह भारतीय परिस्थितियों में स्वामादिक या, क्योंकि भारत जिस जनतात्रिक शासन से परिचिन था वह—विटिश संसदात्मक प्रणाली वा ही था। इस प्रणाली के अन्तर्गत जनता वार्यपालिका के कार्यों को प्रभावपूर्वक नियन्त्रित कर सकती है। इसने अन्तर्गत सरकार के उत्तरदायित्व वो दैनिक और सामयिक समीक्षा होती है।"^१

विटिश संसदीय प्रणाली के विपरीत जिसका विकास ऐतिहासिक आधार पर जने जाने, मुख्यतः अभिसमयों के आधार पर हुआ, भारत में संसदात्मक सरकार वो उत्पत्ति लिखित संविधान के विशिष्ट प्रावधानों पर आधारित है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जबकि इगलैण्ड में संसदात्मक सरकार मुख्यतः संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित है, भारतवर्ष में संसदात्मक सरकार संवैधानिक कानूनों पर आधारित है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में संसदात्मक प्रणाली के विकास में अभिसमयों के लिए बोई स्थान नहीं है। तथ्य तो यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संसदीय सरकार के विकास के लिए विभिन्न विषयों के सबध में, अभिसमयों को मान्यता देने की अत्यधिक प्रावश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, संविधान में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रीमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ, निश्चित रूप से, एक अभिसमय वो प्रावश्यकता महसूस होती है। 'हमारे संविधान ने विटिश संविधान का अनुकरण किया है और हमारी संसदीय पद्धति और परम्पराएँ विटिश संसदीय पद्धति एवं परम्पराओं पर आधारित हैं।'^२

यह निर्धारित करने के लिए कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का क्या स्वरूप है हमें संविधान के चुन्डी विशिष्ट प्रावधानों का अध्ययन करना होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५२ के अनुसार केन्द्र में एक राष्ट्रपति वे पद की स्थापना की गई है। अनुच्छेद ५३ (१) के अनुसार सभा की कार्यपालिका संचयित समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और इन शक्तियों को

१. एन० थीनिवासन—'इमारेटिक गवंमेण्ट इन इण्डिया', १९५४, पृ० १४४।

२. एव० एम० एटेल—'विलिनेट गवंमेण्ट इन इण्डिया' (स्टॉलीज इन इण्डियन एंजीनर्स से), सम्पादित प० इयूपर घ० २० निवासन द्वारा १९५५, पृ० १६७।

राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संविधान के अनुसार अपने अधीन वर्तमानियों और सहायता से उपयोग में लायेगा। अनुच्छेद ७४ (१) के अनुसार प्रधान मंत्री वी अध्यक्षता में एक मंत्रीमण्डल होगा जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सहायता एवं सलाह देगा। अनुच्छेद ७५ (३) के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मंत्री-मण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद ७६ के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति व दो सदन होंगे—राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद ७५ (५) के अनुसार यदि कोई मंत्री समातार ६ माह तक संसद के किसी एक सदन का सदस्य नहीं बनता है तो इस समय के पश्चात् यह मंत्री पद पर नहीं रह सकता है।

भारतीय संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों का संसदात्मक सरकार की परिभाषा और आवश्यकताओं के सदर्म में अध्ययन करते हुए यह निश्चयपूर्वक वहा जा सकता है कि भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। संसदात्मक सरकार की परिभाषा से ज्ञात होता है कि इस सरकार में दो प्रकार की कार्यपालिकाओं का होना आवश्यक है। संवर्पणम्—नाममात्र या ध्वजमात्र की कार्यपालिका, जिसका मूर्त्तिव्य राज्याध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के ५३ (१) के अनुसार कार्यपालिका से सबधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से करेगा। परन्तु इस अनुच्छेद के प्राधार पर यह वहना गलत होगा कि राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार साधारण स्थिति में कार्यपालिका—सबधित शक्तियों को प्रयोग में ला सकता है। अनुच्छेद ५३ (१) के अवैधानिक अर्थ को सही सदर्म में समझने के लिए, इसका अध्ययन अनुच्छेद ७४ (१) और अनुच्छेद ७५ (३) के साथ करना उचित ही नहीं अपितु अत्यावश्यक है। यह वहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वस्तुत उपर्युक्त में तीन अनुच्छेद भारतीय संसदीय प्रणाली के जीवन-आधार हैं। अनुच्छेद ७४ (१) के प्राधार पर संघीय मंत्री मण्डल का निर्माण होता है जो प्रधान मंत्री वी अध्यक्षता में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करेगा। परन्तु भारतीय संसदीय ढाँचे का रीढ़हप्ती सहारा अनुच्छेद ७५ (३) में पाया जाता है, जिसके अनुसार मंत्रीमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार यदि लोकसभा द्वारा बहुमत से, मंत्रीमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है तो मंत्रीमण्डल को त्यागपत्र देना आवश्यक है। देश की सरकार और प्रशासन वो दक्षतापूर्वक चलाने का सारा उत्तरदायित्व मंत्रीमण्डल का प्रत्यक्षरूप से संसद के प्रति और अप्रत्यक्षरूप से भत्तातातागण के प्रति है। संविधान द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्रीमण्डल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं सौंपा गया है। अतः सरकारी एवं प्रशासकीय श्रुटियों के लिए

दोप केवल मत्रीमण्डल का ही होगा। अत यह तर्कसंगत बात है कि चूंकि सरकार का नीतियों एवं कार्यों के सबव्य म सारी जवाबदारी मत्रीमण्डल की ही है, राष्ट्र-पर्ति साधारण पारम्परिकों में केवल नाममात्र का राज्याध्यक्ष ही रहेगा।

द्वितीय, ससदात्मक सरकार के अन्तर्गत वास्तविक कार्यपालिका मत्रीमण्डल के रूप में होता है। वास्तविक कार्यपालिका की समा मत्रीमण्डल को दी जाती है क्योंकि व्यावहारिकता में सरकार वो नीतियों एवं कार्यों के लिए, इसका उत्तर-दायित्व वास्तविक है। यह सत्य है कि अनुच्छेद ७५ (१) के अन्तर्गत प्रधान मत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होनी है, और अन्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री के परामर्शानुसार नियुक्त होत है। परन्तु यह केवल एक भौपरवारिकता है क्योंकि साधारणतया राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है, जो लोकमान में बहुमत दल का नेता है। इसके अतिरिक्त, मत्री पद के लिए प्रधानमन्त्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति को राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त जो भारतीय संसदीय प्रणाली की चुरी है, दो मून आवारो पर, व्यावहारिकता की दृष्टि से निर्भर है।

(क) केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति मत्री पद पर हो, जिन्हे प्रधानमन्त्री मनोनीत करता है।

(ख) उन व्यक्तियों को मत्रीपद से पदब्युत किया जाये, जिन्हे प्रधानमन्त्री मत्रीमण्डल में नहीं रखना चाहता है।

उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार साधारणतया प्रधानमन्त्री के परामर्शानुसार, एक संवैधानिक राज्याध्यक्ष के रूप में ही बायं बरेग। अत त्रिटिश राजा वो तरह राष्ट्रपति के बल एक नाममात्र का ही शासक है और भारतीय मत्रीमण्डल, त्रिटिश केबीनेट के सदृश संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायित्व रखते हुए, वास्तविक कार्यपालिका है। मत्रीमण्डल के वास्तविक कार्यपालिका ने स्वरूप वो ससदात्मक सरकार के अन्तर्गत स्पष्ट करते हुए प्रो० चेटल का वर्णन है—‘चूंकि अधिकतम आवृत्तिक राज्यों म व्यवस्थापिका समा द्विसदनात्मक होती है, मत्रीमण्डल विशेषकर उस सदा के नियन्त्रण में बायं करता है, जिसका बिन सदब्यो मामलो पर अधिक अधिकार है—प्राय, वह सदन, जो प्रत्यक्ष रूप से सतदातागण का प्रतिनिवित्व बरता है। यदि मत्रीमण्डल वो व्यवस्थापिका द्वारा प्राप्ती नीतियों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है तो उसे व्यापार देना चाहिये या व्यवस्थापिका को भग कर अपने अस्तित्व वो नये चुनाव के नीतियों पर छोड़ देना चाहिये। मत्रीमण्डल का कार्यकाल, व्यवस्थापिका, बहुमत दल के नेताओं या उसे समुद्रत संगठन पर निर्भर है, जिसके द्वारा बहुमत दल का निर्भाय होता है।—व्यक्तिगत रूप से मत्रीमण्डल के सदस्य प्रगतासन के विभिन्न

भारत में सप्तदात्मक प्रणाली

विमागा के अध्यक्ष रहने वाले वरते हैं। एवं सम्बन्धों में वे राज्य की विधि-निर्माण एवं वित संघीय नीति वा निर्देशन वरते हैं।^१

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'रायसाहूप राम जयंता यगूर एवं भाय बराम पजाव राज्य' के प्रकरण म १२ अप्रैल १९५५ म निर्णय देते हुए निम्ननिम्न शब्दों में भारतीय सरकार वे सप्तदात्मक स्वरूप पर प्रवाग ढाला है।

"भारतीय संविधान व अन्तर्गत वायंपालिका वा जिन सोमाप्त्रा के दायर में कार्य करना है, उनका निर्धारण उस सरकार व स्वरूप व मदर्म में किया जा सकता है, जिसकी स्थापना संविधान द्वारा की गई है। हमारा संविधान संगठनात्मक दृष्टि से संघीय होने के बावजूद इटिंग सप्तदात्मक प्रणाली के आधार पर निर्मित है जिसमें यह माना गया है कि वायंपालिका वा प्रायंपिक उत्तरदायित्व नीति-निर्माण वरना तथा उसको कानूनी व्यावहारिकता देना है परन्तु इस भर्त पर कि वह राज्य की व्यवस्थापिका की विश्वास-प्राप्त बनी रहे। कार्य-प्रालिका वा कार्य नीति निर्धारण एवं उसको कार्यान्वयित करना है।"^२

यह सिद्ध करने के पश्चात् कि भारतीय समदीय प्रणाली की स्थापना संविधान द्वारा की गई है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति साधारणतया नाममात्र वा शासक है और वास्तविक वायंपालिका भवीमण्डन है यह आवश्यक है कि हम इस संघीय जनतत्र में मतदातागण की भूमिका पर प्रवाग ढालें, क्योंकि विसी मी जनतत्र का मूल आधार उसके मतदातागण हैं। विशेषकर संघीय प्रणाली में मतदातागण का महत्व अत्यधिक है क्योंकि समदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त वायंपालिका वे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—एक निरन्तर जीवित—सिद्धान्त है और इस सामूहिक उत्तरदायित्व की सिद्धान्तरूपी शृखला में तीन मुख्य बड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, मत्री-मण्डल (वास्तविक कार्यपालिका) शिखर पर, व्यवस्थापिका मध्य में और सबसे नीचे किन्तु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, मतदातागण की है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक संस्था जनतत्र के प्रति उदासीन हो जाती है तो जनतत्र प्रवश्य ही खतरे में पड़ जायेगा। यह सत्य है कि विसी मी जनता को ऐसी ही सरकार प्राप्त होती है, जिसके योग्य जनता है। यदि मतदातागण अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं तो सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सचेत रहेगी, पर ऐसी मतदाता अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हैं, तो ऐसी दशा में सरकार पर से वह अकुण निकल जाता है, जिससे वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रही जा सकती है। यह

१ आर० जी० नेटेल—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २१८

२ मुक्ती भूम्य न्यायाधीश—सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स १९५५, भाग—१ जुलाई अगस्त १९५५ पृ० २३०-२३७।

एवं मतदातागण को कायंपालिका वे नियन्त्रण के लिए देनिक तथा सामयिक शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

भारत में मतदाताओं का विशेष महत्व है। वास्तव में यह वहा जा सकता है कि भारत में संसदीय प्रजातत्र की सफलता मतदाताओं की निष्ठा, क्षमता और सज्जगता पर ही निर्भर है। यह भूमिका, विशेषकर आम चुनावों में समय में महत्वपूर्ण है, जब देश के बानून-निर्माताओं और शासकों के निर्वाचन का प्रश्न जनता वे समझ भाता है। मतदातागण अपने राजनीतिक कार्यों को विस हृद तक सफलतापूर्वक करते हैं, यह इस बात पर निभर करती है कि वे विस हृद तक निष्ठावान्, सज्जग तथा सक्रिय हैं। मतदातागण यदि अवर्मण्यता, निरक्षरता, उदासीनता और आधिक विपन्नता (विषमता) के शिकार हैं तो जनतत्र को विफल कर देते हैं। इन दोपों और त्रृटियों के बारण वे अपने प्रतिनिधियों और शासकों वा चुनाव सही रूप से नहीं कर सकते। भारत में संविधान द्वारा संसदात्मक प्रणाली की स्थापना की गई है, इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ पर मतदाताओं का शिक्षित, सज्जग और ईमानदार होना नितान्त आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२४-३२६ निर्वाचन संघीय मामला पर प्रकाश ढालते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो २१ वर्ष की आयु का है मत देने वा अधिकार है। परन्तु उसको पागल तथा अपराधी नहीं होना चाहिए। इस तरह, स्वयं संविधान द्वारा भारतीय मतदाताओं वे लिए प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार, विसी भी राष्ट्रीय प्रान्तीय, तथा स्थानीय बानून द्वारा, सिवाय संविधान द्वारा निर्धारित प्रणाली वे, अपहृत नहीं किया जा सकता है। संविधान द्वारा जनता वो प्रदत्त वयस्क मताधिकार, संविधान निर्माताओं के उस विष्वास का ढोतब है, जिसके आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली की नीव ढाली गई है।

स्वतत्रता के पश्चात् भारत में अभी तक पौच आम चुनाव (१९५१-५२, १९५७, १९६२, १९६७ एवं १९७१) सम्पन्न हुए हैं। इन चुनावों में पूर्व जनतात्रिक सरकार वी कायंप्रणाली का भारतीयों वो बौद्ध अनुमत नहीं था। अत प्रथम आम चुनाव के समय यह अनुमत दिया गया कि भारतीय जनता वो न केवल जनतात्रिक प्रणाली का कम अनुमत था, परन्तु यह भी देखा गया कि अधिकाश मतदाता निरक्षर थे और वह विभिन्न मामलों में अपने विभिन्न राजनीतिक अधिकारों के सच्चे जनतात्रिक तरीकों के अनुसार प्रयुक्त वरने में असमर्थ रहे। इसके बावजूद, यह वहना गलत होगा कि इन सद कठिनाइयों के रहते हुए भी भारत में जनतत्र की स्थापना तथा दृढ़ता वे लिए आवश्यक कदम एक सही दिशा में नहीं उठाये गये। वास्तविकता तो यह है कि प्रथम आम चुनाव और इसके बाद अन्य चुनावों के नतीजे इस बात के प्रतीक हैं वि भारत में जनतत्र का

आरम्भ सही दिशा में हुआ। डा० नामंन पामर कहते हैं—“जबकि बहुत से उदाहरण, मतदान के उद्देश्यों तथा प्रणाली के न समझने के और इनके उल्लङ्घन के पाये गये, प्रथम दो आम चुनाव अधिकाश निरक्षर जनता के बुद्धिपूर्ण मतदान करने की क्षमता के प्रभावशाली प्रदर्शन थे।”^१

परन्तु इस में कोई सदैह नहीं है कि चार आम चुनावों के अनुभव के आधार पर भारतीय निर्वाचिकों की भूमिका में कुछ गमीर त्रुटियाँ उभर कर सामने आयी, जिनको जनतत्र के हित में दूर करना आवश्यक है। इन विभिन्न त्रुटियों को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है।

सर्वप्रथम—एवं प्रमुख त्रुटि का यह अनुभव विद्या गया कि एक औसत निर्वाचिक भारत में राजनीतिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, वास्तविकता से अधिक दूर रहता आया है। यह भारतीय जनतत्र प्रणाली का एक गमीर दोष है। इसका केवल यह तात्पर्य नहीं है कि कितने नागरिक मत देते हैं, पर यह कि वे मत कैसे देते हैं। यदि मतदान किसी प्रलोभन या दवाव या व्यक्ति-विशेष या सम्प्रदाय के हित पर आधारित है तो निश्चय ही यह राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं की वास्तविकताओं से दूर है और इसके प्रभाव राष्ट्र के लिए वास्तव में मताभिवाह को प्रयोग में नहीं लाने के प्रभाव से अधिक हानिकारक सिद्ध होगे। जानरोच इस सदर्भ में बहते हैं—“भारतीय राजनीति में एक तरह से वास्तविकता की कमी इसलिए है कि जनता को रचि किसी भूल बात में बहुत कम है।”^२ यद्यपि यह सत्य है कि संविधान के लागू होने के बाईं वर्ष पश्चात् तक अधिकाश भारतीय निर्वाचिकों का रक्षण राजनीतिक मामलों के प्रति उदासीन रहा है, किन्तु पिछले वर्षों के राजनीतिक अनुभवों के कारण निर्वाचिकों की राजनीति में दिलचस्पी अधिक बढ़ी है। किन्तु यह विदित रहे कि यह दिलचस्पी प्राय उन मूल मुद्दों से ही संबंधित नहीं रही है जिन पर राष्ट्रीय हित आधारित हैं, परन्तु यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यदि कुछ निर्वाचिक राजनीतिक जीवन के प्रति उदासीन हैं तो कुछ निर्वाचिक ऐसे भी हैं जिनमें अपने राजनीतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति स्वस्थ देनाना की जागृति हुई है। “यही कारण है कि अब संसदात्मक जनतत्र के भविष्य के प्रति आशा की जा सकती है।”^३ इसमें सदैह नहीं है कि यह आशा अधिकाश निर्वाचिकों के अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने पर निर्भर है।

१. एन० पामर—‘इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम,’ पृ० २१७, स० १६६१।

२. जे० रोच—‘इण्डियाव १९५७ इलेक्शन्स’ फार इस्टर्न सर्वे, २६ मई, ५७।

३. आर० बर्नहैम—‘पालिंयामेन्ट इन इण्डियन डेमोक्रेसी’ स्टडीज इन इण्डियन मोड़ों से—प्रथ्यर और थोनिवासन १६६५ प० १७०-७१।

द्वितीय-राजनीतिक जागरूकता के लिए निरक्षरता एवं अनभिज्ञता का दूर करना अत्यावश्यक है। निरक्षरता एवं अनभिज्ञता, भारतीय जनतम में उन बुराइयों के रूप में हैं जिनसे भारतीय निर्वाचिकों के जनतम के प्रति स्वस्य रुप के निर्माण में बाधा पहुँचती है। भत्तान के अधिकार का उपयोग निर्वाचक की उमा कार्यकुशलता एवं क्षमता पर निर्भर है, जिससे वह प्रपत्ते दायित्वा को समझ सकता है। निर्वाचिक की इस योग्यता का विकास शिक्षा एवं ज्ञान के माध्यम से ही विद्या जा सकता है। चूंकि भारत की अधिकांश जनता आज भी निरक्षर और अशिक्षित है, परिणम स्वरूप अधिकांश निर्वाचकमण अपने भत्ताधिकार का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इस कारण, भारत के विभिन्न आम-चुनावों में बढ़ियाइयों को दूर करने के लिए, निर्वाचिक अधिकारियों ने कुछ विशेष चिन्हों और प्रतीकों को, निर्वाचिक की सहायता के लिए प्रयुक्त किया है। डॉ पामर का वर्णन है—“करीब अस्ती प्रतिशत निर्वाचिकों की निरक्षरता ढारा उत्पत्त हुई कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए चिन्हों एवं वहु मतदान पेटियों को रखा गया है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें प्रदत्त किये हुए चिन्हों से अधिक लाभ हुआ। उदाहरणार्थं बायोरा दल को, बैस जोड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ जिसके अनेक प्रवक्तर के लाभपूर्ण अर्थ संग्रह जा सकते हैं। वही भारतीयों को यह समझाया गया कि वे बैला के विरुद्ध मतदान न करें क्योंकि बैल उनकी जीविका, शक्ति, यानायात और वदाचित उनके धार्मिक विश्वास के द्योतक थे। साम्यवादियों को हयोडा और हाँसिया के लिए सहमति प्राप्त नहीं हुई, उनको हाँसिया और गेहूँ की वाली चिन्ह के लिए सहमति मिली जो भारतीय किसान के लिए एवं वहुत आवर्पक चिन्ह है।”^१ इन चुटियों के बावजूद भी पच आम चुनावों के आधार पर, वह निश्चयपूर्वक इहा जा सकता है कि भारत में जनतम सबधीं जा परीक्षण हुआ, वह पर्याप्त मात्रा में सफल रहा। परन्तु पूर्ण सफलता के लिए चर्तमान चुटियों को दूर करना आवश्यक है। “वयस्क” भत्ताधिकार की दायें सबधीं उपयुक्तता को स्वतंत्र एवं गुप्त मतदान प्रणाली के अन्तर्गत जाँचने के लिये अद्दं शिक्षित या अद्दं प्रगतिशील देवों के दृष्टिकोण से, जिनकी जनता अधिकार अनपठ रीति-त्वाज से दबी और भत्तान के विचार तथा व्यावहारिकता और जनतम के तरीकों एवं सिद्धान्तों से अपरिचित हो, भारत एक महत्वपूर्ण प्रयोग शक्ता है।^२

तृतीय—राजनीति-विज्ञान का यह एक सत्य है कि आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति में, राजनीतिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। यह सत्य है कि सरकार

^१ एन० पामर—‘पूर्वोंति पुस्तक’ पृ० २१८।

^२ एन० पामर—यही पृ० २१६।

के प्रयत्नों के बावजूद भी, एक ओसत नागरिक की आधिक स्थिति भारत में दयनीय है।

आधिक विपन्नता के कारण नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर सकता है। आधिक विषमता एवं असमानता के चलते जबके होने से निर्बाचक नो इतना भी समय नहीं मिलता कि वह अपने प्राप्त राजनीतिक अधिकारों को स्वस्य तथा सतुलित निर्णय लेने में प्रयुक्त कर सके। इसके परिणाम स्वरूप मतदान के समय वह घूस आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है। आम चुनाव के दौरान अक्सर यह देखा गया है कि निर्बाचक घूस से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। मतदाता की स्वतंत्रता की भावना को दृढ़ बनाने के लिए उपर्युक्त दो बुराइयों को दूर करना आवश्यक है। सधेष में ये दो बुराइयाँ हैं—
(क) आधिक असमानता तथा (ख) मत देने के लिये घूस देने और लेने की प्रवृत्ति।

भी सन्धानम का कहना है—"सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि निर्बाचकों वो घूस देने पर दोक लगाई जाये। घूस के अपराधों को जात करने और अपराधियों को सजा देने के लिए विशेष सी० आई० डी० जट्यो बा गठन बिया जाना चाहिये। यह भी प्रावधान होना चाहिये कि चुनाव-प्रत्याशी द्वारा या निर्बाचिकों की न्यून संख्या, उदाहरण के लिए एक हजार निर्बाचकों, को मोग करने पर विषेष जांच दी जाय। जब तक इस दिशा में छड़े बदम न लिये जायेंगे, चुनाव जुमा के रूप में विषय जायेंगे, जिसमें केवल घनी और उनके अभिकर्ता ही भाग ले सकेंगे।"^१

उपर्युक्त मुख्य चुटियों के अतिरिक्त, अन्य अनेक चुटियों भी आम चुनावों के समय दुष्टिगोचर हुईं। उदाहरण स्वरूप, विचारों की सकोणता, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, प्रान्तीयता की भावना आदि। कुछ बठिनाइयाँ नामकरण-सबबो भी देखने में आईं थीं। आरम्भ में नामाक सूची में करीब ४०,००,००० हितियों के नाम बैचल इस तरह लिये गये—'किसी की पत्नी' या 'किसी की पुत्री' और जब नामकरण अधिकारियों ने थो सुकुमारसेन के निर्देशानुसार इन हितियों के सही नाम जानने काहे, इनमें से २८,००,००० ने अपने नाम बताने से इन्हाँकर कर दिया। पलस्वरूप, इनके नाम नामकरण सूची में से निकाल दिये गये। कुछ बठिनाइयों का सामना, विस्यापित व्यक्तियों के वास्तविक स्तर को निर्धारित करने में बरता पड़ा। यहीं यह कहना गलत होगा कि केवल शिक्षा और आधिक प्रगति द्वारा ही निर्बाचकों की समता के स्तर, और उनके दायित्व-सबबो भावना में बुद्धि होगी। अद्वितीय चुटियों, सही और गलत बातों में अन्तर जानकर सही बातों वा

१. एन० सन्धानम, 'इनकीशन इन इंडिया', १६६४ पृ० ६१-६२।

भारत में संसदात्मक प्रणाली

स्वतन्त्रता पूर्वक अनुकरण करने की क्षमता, तथा हिंसा के घजाय अहिंसा रूपा जनताँत्रिक सिद्धान्तों और प्रणालियों में असीम विश्वास आदि आवश्यकताओं पर भारतीय जनतन्त्र का अधिक्षय और सफलता प्राप्तारित है।

संघेप में, संसदात्मक पद्धति की सफलता के लिए भारत में निर्वाचिकों द्वा अपने राजनीतिक अधिकारों एवं पर्तीध्यों को इमानदारी और निष्ठापूर्वक प्रयुक्त परना अत्यावश्यक है। विशेषवर, जब देश में आम धूनाव का समय आता है, निर्वाचिकों वे वैयक्ति मतदान के अधिकार का ही प्रश्न नहीं है, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनके इस बत्तेव्य का प्रश्न है कि पिछ्के पाँच वर्ष देश के राजनीतिक अधिकारियों ने राजतन्त्र अपने हाथ में रखते हुए जा याएँ रिये हैं, उनकी निष्पक्ष हृषि से समीक्षा करते हुए मतदान करें। मतदान का प्रयोग, इस रूप में विवरित के हाथ में एक अनुभव के समान होगा, जिससे देश के शासकों के राजनीतिक आचरण को नियन्त्रित किया जा सकेगा। अतः मतदान का अधिकार जनतन्त्र में एक जाताँत्रिक अवरोध के रूप में है, जिससे व्यवस्थापिता, और व्यवस्थापिता के माध्यम से कांपालिका पर, जनता का नियन्त्रण बास्तविक और निरन्तर रखा जा सकता है। "बुढ़ो-विलगन वृद्ध वरते थे, जनतन्त्र एक अति धृष्टिन प्रणाली है। यह विदित है कि इससे लिए पुरुष राजनीतिक परिपक्षता की आवश्यकता है, पर यह बात प्राय विवास-उन्मुख देशों में नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, पुरुष प्रश्न में शिक्षा, पुरुष मात्रा में आधिकार सुदृढ़ता, उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व और पर्याप्त नागरिकता की भावना जिसमें जनता सोबत याई में अधिक हिंगा में भागी और प्रूस को बम बर सके। ये कोई असम्भव बाने नहीं हैं। यह सती है कि बहुत से उनमें से उमरते हुए देशों को जनतन्त्र की पुरुष या सभी मूल आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं है। पर यह विदित है कि इसमें से अधिक को (यहाँ उदाहरण के लिए मनेशिया, भारतवर्ष और किलिपीन का उल्लेख किया जा सकता है) जनतन्त्र की मुख्य आवश्यकताएँ उपलब्ध हैं। इनको प्रेरित किया जाना अधिक आवश्यक है।"

अन्त में यह बहना उचित होगा कि भारत में जनसत्र के सफल सञ्चालन के लिए विभिन्न आवश्यकताएँ उपलब्ध हैं, पर भारत की जनता और राजनीतिक नेतृत्व को यह चुनीनी है कि इन आवश्यकताओं का उपयुक्त प्रयोग करें भव्यता यह समझ है कि जनतन्त्र की मूल आवश्यकताएँ ज्ञाहे ये अपनी अधिकृति इस में ही क्यों न हो एवं वे पश्चात एक समाप्त होनी चली जायेंगी।

भारत में संघवाद और संसदीय प्रजातंत्र

संघवाद वह यत्र है जिसके द्वारा राज्य की सारी शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरकारें—वेन्ड्रीय और राज्यों की (सप्त की इकाइयों) सरकारों के रूप में होती हैं। प्रौ० डायसो ने सप्त वाद पर प्रकाश डालते हुए कहा है—“यह वह राजनीतिक यत्र है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता और राज्यों (इकाइयों) के अधिकारों में सामर्जस्य स्थापित किया जाता है।”^१

संघवाद राष्ट्रीय सार्वभौमिकता और राज्यों (इकाइयों) के अधिकारों की पृथक मार्गों में जिस साधन द्वारा समन्वय और एकता स्थापित करता है—वह है लिंगित संविधान, जिसके अन्तर्गत सार्वभौमिकता सबधी शक्तियों का विभाजन केन्द्रीय एवं राज्यों की सरकारों के मध्य किया जाता है। वास्तव में, संघवाद का सिद्धान्त सीमित सरकार के सिद्धान्त में संविधित है। सीमित सरकार से तात्पर्य है कि सरकारों (वेन्ड्रीय तथा राज्यों) की विभिन्न शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से लिखित संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। इन सीमाओं से निवल-कर शक्तियों का प्रयोग करना अवैधानिक होगा। “विशिष्ट रूप से सीमित सार्वभौमिकता प्राप्त राज्य ही सध राज्य है, जिसमें सीमाओं का निर्धारण इसकी इकाइयों की मुरक्कित सार्वभौमिकता के द्वारा ही किया जा सकता है। सधीय राज्य की सार्वभौमिकता सीमित होने के बावजूद भी वास्तविक होती है।”^२

इस तरह संघवाद के अन्तर्गत सरकारों के सीमित होने का मूल कारण शक्ति के विभाजन का सिद्धान्त है। डा० चिह्नियर के अनुसार—“सधीय सिद्धान्त से मेया तात्पर्य शक्ति के विभाजन के तरीके से है जिससे सामान्य (सधीय) एवं क्षेत्रीयिकारी (राज्यों) सरकारे अपने क्षेत्र में समान एवं पृथक होती हैं।”^३

१. प्रौ० ए० डो० डायसो—‘ला प्राफ द बाम्स्टीट्युशन’, १९३८ पृ० १३८।

२. डा० मैकाइवर—‘मार्डन स्टेट’ १९२६ पृ० ३८०।

३. डा० चिह्नियर—‘हेइरल गवर्नमेण्ट’, १९५१ पृ० ११।

"संघ सरकार वह है जिसमें सार्वभौमिकता या राजसत्ता का विभाजन बेन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारों के मध्य में हुआ हो, जिससे इसमें से प्रत्येक एवं दूसरे से अपने धोन में स्वतंत्र हो।"^१

यह स्पष्ट है कि संघवाद द्वारा लिखित संविधान वे दायरे में विभिन्न सरकारों पर संवैधानिक सीमाओं वा निर्धारण होता है। संघवाद द्वारा निर्मित ये सीमाएँ केन्द्रीय एवं राज्यों की सरकारों के संघीय संबंधों में एवं आवश्यक संतुलन एवं समन्वय स्थापित करती हैं, जिसके बिना सारा संघीय ढाँचा एक पद्धीय हो रहता है। साधारणतया बेन्द्रीय सरकार-संबंधित सीमाओं वा उल्लेख निम्नलिखित हैं।

१. ऐवल संघीय व्यवस्थापिका संविधान का संशोधन नहीं वर सत्ती है।

२. संघीय व्यवस्थापिका को ऐवल संविधान द्वारा निर्धारित धोन में ही कानून बनाने की क्षमता है।

३. संघीय वायंपालिका को भी ऐवल संविधान द्वारा सीमित दायरे में भादेश तथा डिग्री घोषित करने वा अधिकार है।

उपर्युक्त सीमाएँ राज्यों की विधान सभाओं और वायंपालिकाओं पर भी लागू होती हैं। इस सदमें में न्याय विभाग की भूमिका ग्रन्थन्त महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में संघीय राज्य में न्यायपालिका को संविधान वे सरकार या अधिकार होता है। न्यायिक पुनरवलोकन या अधिकार इस उद्देश्य से प्रयोग में लाते हुए, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या वायंपालिका द्वारा पारित बानूओं या आदेशों को अवैधानिक ठहरा सकती है। किसी भी संघीय व्यवस्था या अस्तित्व, वही वे लिखित संविधान वी सरकार से आवश्यकता होती है। इसका बारण प्रो० डायसी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—'एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस सेत-भूमि से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उस की स्थापना हुई है। अत प्रत्येक शक्ति जो राय-पालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है, चाहे वह सम्पूर्ण राष्ट्र की हो या किसी एक राज्य की, संविधान के अधीन नियन्त्रित है।'^२ संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता निम्न लिखित तरयों पर आधारित है।

सर्वप्रथम—संविधान का लिखित स्वरूप होना आवश्यक है, जिससे इसमें स्पष्टता रहे और संघीय मामलों में मतभेद होने की समावना बहुत घम हो जाये।

१ भार० गेरेन—इ रिपोर्ट आफ द रायल कमीशन आन आस्ट्रेलियन कानून्टी-द्रूयान।

२ प्रो० ए० यो० डायसी—'पूर्णोष्ट पुस्तक पृ० १४०।

सधीय सविधान वास्तव में एक अनुबंध के रूप में है, जिसमें कुछ आवश्यक शर्तों को, विभिन्न सधीय इकाइयों की सहमति से, केन्द्रीय एवं राज्यों की सरकारों द्वी प्रक्रियों द्वारा उल्लिखित एवं परिमाणित करने के लिए वर्णित किया गया है। लिखित सविधान का महत्व सधीय प्रणाली में इस दृष्टिकोण से पापा जाता है कि इसके मन्त्रगत सध और राज्यों के सदबोरों में गड़बड़ी और सन्देह की समावृत्ति नहीं रहती है। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित सविधान स्थायी है। इसके द्वारा सरकारों के समठन और कायदों का कानूनी और सर्वेषानिक आधार तथा सध और राज्यों के सदब और क्षेत्राधिकार निर्धारित किये जाते हैं।

द्वितीय चूंकि लिखित सविधान सध और राज्यों के सर्वेषानिक समझौतों के सदृश है अत इसे बार-बार संशोधित नहीं करना चाहिये। सविधानों को निरन्तर संशोधनों की बाड़ में यदि ढंगे ला गया तो निश्चय ही सधीय ढंगे के नष्ट होने की समावृत्ति पैदा हो सकती है। अब, प्रायः यह देखा याहे है कि जिन राज्यों ने सध व्यवस्था को अपनाया है उनके सविधान संशोधन के दृष्टिकोण से बढ़ोर है। इन राज्यों में सविधान का संशोधन साधारण कानून निर्माण प्रणाली से नहीं बल्कि एक विशेष संशोधन प्रणाली से किया जाता है। प्रो० डायसो^१ ने बयन है—“सविधान को बढ़ोर या अनन्तरीय होना चाहिये। सविधान के कानून को या तो अपरिवर्तनशील होना चाहिये या उसे केवल ऐसी सत्ता से संशोधित किया जा सके जो साधारण व्यवस्थापिका समाप्ति (सधीय या राज्यों) से सर्वथा विभाजित हो।”^२

भाषुनिक युग में लोक कल्याणकारों राज्य को मूर्त रूप देने के लिए प्रायः यह आवश्यक हो जाता है कि सविधान का संशोधन, सामाजिक और प्रायिक न्याय के आधार पर राष्ट्र की आवश्यकतानुसार किया जाये। परन्तु यह घ्यान म रहे कि सधीय राज्यों में सविधान का संशोधन केवल सविधान में दी हुई संशोधन प्रणाली के अनुसार ही हो सकेगा। “यह निश्चिन है कि जहाँ वही भी सध सरकार है, वही सरकारों के निर्माता सधीय प्रणाली को विद्यमान रहने देने को प्रायिक महत्व देते हैं। सम्पूर्ण सार्वभौम व्यवस्थापन सत्ता सविधान के मन्त्रगत सुरक्षित रूप से किसी साधारण व्यवस्थापिका सत्ता म निहित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस तरह से सार्वभौमिक व्यवस्थापन सत्ता वा निहित करना, राष्ट्रीय और राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन के, जो सधबाद का उद्देश्य है, प्रतिकूल होगा।”^३

सधीय राज्य भ प्रत्यक्ष व्यवस्थापिका समा, सधीय सविधान के मन्त्रगत एक अप्रधान विधि निर्माणात्मक स्थाया है, जिसके द्वारा निमित्त कानून, उपनियमों, के

१ प्रो० डायसो—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १४२।

२ वही पृ० १४३।

वा मुग़ल एवं दक्षिणी, और नागरिकों और सरकार के जनतावित संबंधों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तीन मुख्य प्रावस्थकाराएँ होती चाहिए—
 (१) संविधान का नियंत्र होना, (२) संविधान का अनमनीय या बड़ोर होना, और (३) न्वेत्र एवं शक्तिजानी संघीय न्यायालिका का होना।

उपर्युक्त विवेचन के आगार पर हमारे समझ दो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सर्वदयन—नारत के संविधान के अनुगंत संघीय व्यवस्था विन हृद तक स्पष्टित की गई है, और, द्वितीय, क्या भारत का संविधान मनेरिका के संविधान के तुच्छ देश का संबोच्च कानून समना जा सकता है।

भारत में सर्वदार की प्रावस्थकाराएँ—प्रथम प्रश्न के सदर्व में यदि भारत के संविधान के विनियन प्रावस्थानी की मनोक्षण की जाए, तो उनके आगार पर यह निश्चिन्पूर्वक इहा जा सकता है कि भारत में सब राज्य की व्यवस्था की गई है। परन्तु संविधान में, विनियन स्पष्ट में सब (फेडरेशन) इष्ट का उपयोग कही नहीं किया गया है, अनुच्छेद १ के अनुसार भारत राज्यों का एवं 'मूनियन' माना गया है। ठां अम्बेदकर ने, जो प्रावस्थ समिति के अध्यक्ष थे, 'फेडरेशन' शब्द की अपेक्षा 'मूनियन' का ही उपयोग किया। उन्होंने कहा—“किसी नाम को उपयोग में लेने से बाहर अनुच्छेद १ होता है। समिति न त्रिटिया नार्थ अमेरिका एफट १८६७ को भाषा का अनुवरण करना ही पन्न लिया है, और वह निर्णय लिया है कि भारत को 'मूनियन' की सज्जा देने में कुछ लाभ है, परन्तु भारत का संविधान स्वस्प न सधातक है।”^१

व्यावहारिकता के दृष्टिकोण ने यही मूल प्रश्न यह है कि चूंकि भारत को संविधान द्वारा 'मूनियन', न कि 'फेडरेशन' की सज्जा दी गई है, तो क्या संविधान में संघीय प्रणाली की बुनियादी व्यावस्थकाराएँ निहित हैं? संघीय प्रणाली के परम्परा-वादी निदान के अनुसार संघीय संविधान को लिखित होना भावनमत है, संविधान में सब और राज्यों की सरकारों के काल्पनिक स्पष्ट हृद संज्ञिकों का बैठकाय होना चाहिए, और अन्त में, संघीय व्यवस्था के मन्त्रपंत संबोच्च न्यायालय के लिए प्रावस्थान होना चाहिए, जिसके बारें संविधान का सरकार किया जा सकेगा। भारत के संविधान में इन तीनों भावनाकारों को मान्यता दी गई है। यद्यपि यह कहना सही होगा कि भारतीय संविधान में संघदार के निदान को भरनामा दिया गया है। उपर्युक्त तीनों विशेषताओं की दृष्टि से, निम्नलिखित स्पष्ट में भारत के संविधान का विश्लेषण किया जा सकता है, जिसके संघीय स्वस्थ पर प्रकाश दाना जा सके।

मारतीय सधीय सविधान व्यवस्था की प्रथम आवश्यकता, निमित सविधान के रूप में नियमान है। निमित सविधान में न केवल गप सरकार और राज्यों की सर-भारो वे लिए प्रावधान किया गया है, परन्तु इनके मध्य म शक्ति का विभाजन भी सट्ट रूप से किया गया है। इसरे अनिरिक्त, राज्य और नागरिकों पे सभ्यों के मूल सिद्धान्तों का उल्लेख, विशेषतया भाग तीन भ अनुच्छेद १३-३५, मूल अधिकारों एव भाग चार में अनुच्छेद ३६-५१ तक राज्य नीति-निदेश तत्त्वों पे रूप म किया गया है। अन्य नागरिकों के प्रधिकार, सविधान में इधर-उधर समावेशित हैं। उदाहरण स्वरूप, नागरिकों का धरम सवाधिकार तथा सामाजिक, आधिक एव राजनीतिक न्याय के अधिकार, जिनका उल्लेख सविधान की प्रमाणात्मा म किया गया है। सधीय प्रणाली के मिद्दलन के अनुरूप मारतीय सविधान भ जिस गशोधन प्रणाली का उल्लेख है, वह दृढ़ एव बठोर है, जिससे सविधान की बठोरता या अनमनीयता प्राप्त होती है। यह संघवाद के लिए आवश्यक है। सक्षेत्र में भारत का सविधान लिखित है, जिसके ३६५ अनुच्छेद एव ६ अनुगूचियाँ हैं।

भारत में सधीय प्रणाली की द्वितीय आवश्यकता सध एव १३-३५ शक्तियों का सट्ट और प्रिस्तृत विभाजन है। सविधान वे अनुच्छेद २४५-२६३ सब और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर प्रकाश डानते हैं। “भारत के सविधान में सध और राज्यों के मध्य सत्ता-विभाजन से दो विशिष्ट परन्तु पृथक् सत्तापुत्र शक्ति केंद्रों का निर्माण हुआ है।”

सविधान की सातवी अनुसूची के द्वारा विस्तारपूर्वक शक्तियों के विभाजन या उल्लेख किया गया है। भविन-विभाजन के जिस नमूने का सविधान में उपयोग किया है, वह भारत सरकार अधिनियम १६३५ के अन्तर्गत सध एव इकाइयों के थेप्राधिकारों के विभाजन के सदृश है जो तीन सूचियों द्वारा निर्धारित किया गया था। ये तीन सूचियाँ, इस प्रकार थीं।

(क) सधीय सूची—इसरे अन्तर्गत ६७ विषय हैं। सविधान, केवल सध सासद को, इस सूची में उल्लेखित विषयों पर विधि-निर्माण करने का अधिकार देता है।

(ख) राज्य सूची—इसमें ६६ विषय हैं। साधारणतया इस गूची में वर्णित विषयों पर राज्य-विधान समाप्ति के होते हुए भी, सविधान में कुछ

१ आस्ट्रेलिया—डेमोक्रेसी इन इण्डिया ‘इन डायलाग्स आफ डेमोक्रेटिक पालिटिक्स इन इण्डिया’—सम्पादित जी० हुलप्पा द्वारा १९६६ पृ० २१७।

अपवादो को मान्यता प्रदान की गई है, जिनका वर्णन विस्तृत रूप में, आगे किया जायेगा।

(ग) समवर्ती सूची—इस सूची में ४७ विषय हैं, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद और राज्यों की विधान समाजों को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदत्त हैं। अनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि सधीय कानून और किसी राज्य कानून में समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर मतभेद या संघर्ष होता है तो ऐसी दशा में सधीय कानून को, राज्य कानून की अपेक्षा मान्यता प्राप्त होगी, परन्तु यदि राज्य कानून को पूर्ववत्, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में राज्य कानून को ही मान्यता प्राप्त होगी।

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के लिए भी उचित प्रावधान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से है, जो शक्ति-विभाजन संबंधी सूचियों में उल्लिखित नहीं है। यह मात्र बुद्धि के लिए समव नहीं है विं भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या या विषय का सही रूप से अनुमान लगाकर, संविधान में उसके लिए प्रावधान कर सके। इस समावना का सामना बरने के लिए प्रत्येक सधीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य ही किया जाता है। भारत के संविधान में भी अवशिष्ट शक्तियों के लिए उचित प्रावधान किया गया है। यदि कोई ऐसा विषय निकल आता है, जिसका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं किया गया है उक्त विषय पर संघ संसद को अनुच्छेद २४६ के अनुसार कानून निर्माण करने का अधिकार होगा। इसमें कोई सदेह नहीं विं भारत के संविधान के अन्तर्गत शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य इस प्रकार से होगा है कि सधीय सरकार को इसके परिणाम स्वरूप राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ उपतत्व होई हैं। इस कारण भारतीय सधीय सरकार में एकात्मक सरकार की आत्मा की झलक पाई जाती है।

भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली—सधीय संविधान की स्थिरता के लिए विशेषता संविधान के शक्ति-विभाजन संबंधी प्रावधानों की स्थिरता के लिए, संविधान में कठोरता या अनमनीयता वास्तव मरमि आवश्यक है। यह सत्य है विं यह अनमनीयता वास्तव में संघ और राज्यों के क्षेत्राधिकार से, जिनका निर्धारण शक्ति विभाजन द्वारा होता है संविधिन होना चाहिये। भारतीय संविधान के कुछ हिस्से जिन पर भारतीय संघवाद का अस्तित्व निर्भर करता है कठोर या अनमनीय हैं। भारत के संविधान को कुछ हद तक नमनीय और कुछ हद तक अनमनीय या कठोर माना जा सकता है। यह जात बरने के लिए विं भारत का संविधान कहाँ तक नमनीय है और कहाँ तक कठोर है, हमें उसकी संशोधन प्रणाली का अध्ययन करना होगा।

भारतीय संविधान के संशोधन के दृष्टिकोण से इसके विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न लोन श्रेणियों में रखा गया है। प्रत्येक श्रेणी में रखे गये संविधान के प्राव-

यान सविधान के अनुच्छेद ३६८ में उल्लिखित एक विशिष्ट प्रणाली के अनुसार सशोधित किये जा सकते हैं।

यस्तुत मारत के सविधान के अन्तर्गत तीन पृष्ठव् प्रकार की संशोधन प्रणाली हैं। सविधान सशोधन की इन प्रणालियों को सरवित्रा प्रावधानों के अनुसार इन प्रकार दर्शाया गया है।

(क) भारतीय सविधान के कुछ प्रावधानों को येवन सप्तद में गायारण विधि-निर्माण प्रणाली के उपयाग द्वारा सशोधित किया जा सकता है। इसका यह तात्पर्य है कि सप्तद के द्वारा ऐसे प्रावधानों के सशोधन के लिए वेत्तल गायारण बहुमा गे विधेयक पारित करना ही पर्याप्त रहेगा। यह सशोधन प्रणाली ट्रिडिग सविधान की सशोधन प्रणाली से मिलनी-जुनती है, क्योंकि इगलैण्ड में सविधान का सशोधन वेत्तल सप्तद द्वारा गायारण बहुमत द्वारा पारित कानून से किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, सविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार सध के नये राज्य की स्थापना और राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन सप्तद द्वारा पारित किये कानून में किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद १६६ के अनुसार सध के उन राज्यों में जहाँ द्वितीय सदन नहीं है, वहाँ उनकी स्थापना और जिन राज्यों में द्वितीय सदन है, परन्तु अनावश्यकता के बारण, उनका समापन वेत्तल सत्तदीय कानून के माध्यम से किया जा सकता है। सविधान के नागरिक सभी प्रावधान एवं अनुगूचित दोनों और अनुसूचित जातिया सभी प्रावधान सप्तद के द्वारा ही सशोधित किये जा सकते हैं। भारतीय सविधान के ये प्रावधान सविधान में नमनीयता की क्षलक प्रदशित करते हैं क्योंकि इनके अनुसार सशोधन सरलतापूर्वक सप्तद में गायारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। सधवाद के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके सशोधन की अन्य विधि है।

(ख) सशोधन की दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधानों को रखा गया है जिनका सवैधानिक एवं राजनीतिक महत्व इनके सधीय स्वरूप से प्रदर्शित होता है। वास्तव में सविधान के ये प्रावधान भारत में सधवाद के जीवन-रक्त के तुङ्ग हैं। इनमें निम्ननिखित प्रावधान विचारणीम हैं।

१—अनुच्छेद ५४ एवं ५५ जिनके गायार पर राज्यों की विधान समाजों के निर्वाचित सदम्य राष्ट्रपति के निर्वाचित में हिस्सा ले सकते हैं, अनुच्छेद ७३ एवं १६२, राज्यों की कार्यपालिकाओं के सधम में, और अनुच्छेद २४१, सधीय भू-भाग पर स्थापित उच्चतम न्यायालय के सधम में।

२—सविधान के चौथे अध्याय वा पांचवाँ माग, सधीय न्यायपालिका के सधम में। सविधान के ११वें माग वा पहला अध्याय, सध और राज्य के अवधस्थापन सधीय मामलों के सधम में।

३—संविधान के वे प्रावधान जिनके आधार पर राज्यों को सहद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं।

४—संविधान का अनुच्छेद ३६८, सशोधन प्रणाली के संबंध में।

चूंकि उपरोक्त प्रावधान, भारत के संविधान के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिन पर भारतीय संघ का सम्पूर्ण द्वारा आधारित है, इनके सशोधन के लिए एक विशेष बड़ी पद्धति को अपनाया गया है। यह कहता उपर्युक्त होगा कि भारतीय संविधान के इन प्रावधानों की सशोधन प्रणाली अमरीकी संविधान की सशोधन प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है, क्योंकि अमरीकी संविधान में भी संघवाद के सिद्धान्तों को समाविष्ट बिया गया है। अमरीकी संविधान के अनुच्छेद ५ के अनुसार कायेस (संघीय व्यस्थापिका) द्वारा दो-तिहाई बहुमत के आधार पर सशोधन प्रस्तावित कर सकेंगी या विभिन्न राज्यों के दो तिहाई राज्यों के विधायकों की मांग पर, संविधान में सशोधन के लिए, एक सम्मेलन बुलाया जायेगा। यह बिधित रहे कि उपर्युक्त दोनों ही तरीकों में से किसी भी एक के अनुसार अमरीकी संविधान में सशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। परन्तु यह अमरीकी संविधान की सशोधन का प्रथम चरण ही है। द्वितीय या अनिम चरण संविधान में सशोधन को पारित रखता है। जब उपर्युक्त दोनों में से किसी एक तरीके के द्वारा सशोधन प्रस्तावित किया गया है, निम्नलिखित दो में से किसी एक तरीके के अनुसार प्रस्तावित सशोधन पारित किया जा सकता है। प्रस्तावित सशोधन तीन-चौथाई राज्यों के विधायकों द्वारा या तीन-चौथाई राज्यों में तथा संघीयक सम्मेलनों द्वारा पारित किया जा सकेगा।

इसी प्रकार भारतीय संविधान के उपर्युक्त प्रावधान, जिनका बर्णन द्वितीय श्वेतों में किया जा चुका है, एक विशेष एवं जटिल प्रणाली द्वारा ही सशोधित हो सकते हैं। इस सशोधन प्रणाली के अनुसार सशोधन विधेयक वो संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों के बहुमत से एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों दो-तिहाई बहुमत से पारित बिया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् यह भी आवश्यक है कि संसद द्वारा पारित उक्त सशोधन विधेयक वो संघ के बम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति प्राप्त हो। “भारत में संविधान के उन विषयों के संबंध में जो राज्यों (इकाइयों) के विभिन्न अधिकारों और शक्तियों से संबंधित नहीं हैं, वे बल संसद के एवं पक्षीय बायं द्वारा सशोधन बिया जा सकता है। और जहाँ राज्यों के अधिकार एवं शक्तियाँ हैं, वहाँ संघ और राज्यों के द्विपक्षीय कायं द्वारा ही सशोधन नियम जा सकेगा।”^१ परिणाम स्वरूप, संविधान

१. एम० पी० शर्मा—द गर्डमेंट आफ दो इण्डियन रिपब्लिक, १९६० पृ० ।

में सघातमक विषयों से सबधित प्रावधानों में सविधान की सर्वोच्चता की भस्क विशेष रूप से पाई जाती है। सविधान की इस विशेषता के सदन में श्री जी० एन० जोगी वा क्यन है कि ‘यह प्रावधान सघातमक सिद्धान्त के अनुकूल है कि प्रस्तावित सशोधन यदि सधीय प्रणाली के मूल सिद्धान्तों को जिनको मूल सधीय समझीते में मान्यता दी गई है, प्रनावित करता है, राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है।’^१

(ग) सविधान के सशोधन के दृष्टिकोण से हमने उपर्युक्त दो थेपियों में निहिन सविधान के प्रावधानों तथा उनके सशोधन के लिए दो सबधित सशोधन प्रणालिया का अध्ययन किया। इन दो थेपियों से सप्तांश प्रावधानों के प्रनिरित भारत के सविधान में कुछ अन्य प्रावधान शेष रह जाते हैं। बस्तुतः इन प्रावधानों को तृतीय थेपी में रखकर हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि इन प्रावधानों को जिनको हमने तृतीय थेपी में रखा है किस विनिट प्रणाली द्वारा सशोधित किया जा सकेगा। सविधान में इन प्रावधानों के सशोधन के लिए जिस प्रणाली का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है कि सप्तद के विसी एव सदन में प्रस्तावित सशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि इसका दत्त सदन में सदन की कुल सदस्य सख्त्या के बहुमत से एव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो निहाई अशो के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो उक्त विधेयक को दूनरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जायेगा, जहाँ पहले सदन द्वारा अपनाये उपर्युक्त तरीके के अनुसार पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् इसको संवैधानिक बानन वा रूप प्राप्त हो जायेगा, जिससे सविधान में आवश्यक सशोधन लागू हो सकेगा। यह सशोधन प्रक्रिया योड़ी जटिल है, क्योंकि यह कानून निर्माण करने की सरल प्रक्रिया से योड़ी निम्न है, जिसके लिए सप्तद में साधारण बहुमत ही आवश्यक होता है।

भारत के सविधान में सशोधन के दृष्टिकोण से उसे उपर्युक्त तीन थेपियों में विभाजित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम थेपी में उल्लिखित सविधान के प्रावधानों का सशोधन सरल सशोधन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सामान्यतः यदि विसी सविधान की सशोधन प्रणाली साधारणतः सरल है तो यह निष्कर्ष निकासा जाता है कि सविधान को अवश्य ही नमनीय या लचीला होना चाहिये। चूंकि भारत के सविधान के कुछ प्रावधान, जिनका उल्लेख उपर्युक्त प्रथम थेपी में किया गया है, सरल प्रणाली द्वारा सशोधित किय जा सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि सविधान कुछ हद तक लचीला है।

१. जी० एन० जोगी—दृष्टिकोण अफ इंडिया, १९५२ पृ० ३७४।

संविधान के प्रावधानों की द्वितीय श्रेणी में दिये गये प्रावधानों का संशोधन एक जटिल प्रणाली के द्वारा ही हो सकता है, जिसके अनुसार संघ संसद और कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है। किसी संविधान को अनमनीय या कठोर संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी संशोधन प्रणाली जटिल है, और साधारण कानून निर्माण प्रणाली से सर्वथा भिन्न है। इस बारण मारत के संविधान के कुछ अप्प, जिनका संशोधन की जटिल प्रणाली से होता है, संविधान की अनमनीयता या कठोरता के दोतक हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान कुछ हृद तक नमनीय है और कुछ हृद तक कठोर है। कुछ हृद तक कठोर या अनमनीय होने के कारण भारत के संविधान में संघवाद की वह आवश्यकता विद्यमान हो जाती है, जिससे संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में कायम रहने में सहायता होती है। भारत में संघ और राज्यों के मध्य में शक्तियों के विभाजन के अध्ययन के पश्चात्, यह कहना गलत न होगा कि शक्ति विभाजन की प्रणाली, भारतीय संविधान में संघवाद की नीव है।

अब हमें यह देखना है कि भारतीय संविधान में संघवाद की तीसरी और अतिम आवश्यकता के लिए क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १२४ के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा और, जब तक संसद कानून द्वारा नहीं निर्धारित नहीं है, सात अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्रीम कोटि अधिनियम १६५६ द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दस अन्य न्यायाधीशों के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के सरकार के रूप में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों का आधार संविधान में निम्नलिखित दो स्रोतों के रूप में पाया जाता है।

(क) अनुच्छेद १३१-१३३ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूची में उल्लिखित विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि इस कानून का निर्माण संसद ने संविधान के अनुसार न किया है तो सर्वोच्च न्यायालय, व्यवस्थापन संबंधी धेत्राधिकार की आवश्यकता के बारण उक्त कानून की अवैधानिकता पर अपना निर्णय दे सकता है।

(ख) अनुच्छेद ३२ (२) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को नवेंवल यह अधिकार है किन्तु उसका उत्तरदायित्व भी है कि नागरिकों वे मूल अधिकारों की रक्षा करें।

इसमें नहीं कि उपर्युक्त दो अधिकारों के बारण सर्वोच्च न्यायालय भारत में संविधान की सर्वोच्चता को मुद्रित बनाये रखने के लिए, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। अतः मुख्यत भारतीय संघवाद वा अस्तित्व इस न्यायालय की अपर्युक्त संघीय मूलिका पर ही आधारित है। इस अध्ययन के आधार पर यह

निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में संघवाद की तीनों आवश्यकताएँ विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं।

- (क) लिखित संविधान,
- (ख) सध एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, और
- (ग) सर्वोच्च संघीय न्यायालय

“भारत का गणराज्य एक सध है, परन्तु इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं जिनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के शुद्ध संघीय स्वरूप में कुछ परिवर्तन-सा हुआ है।”^१

भारत में संघवाद एवं संसदीय सार्वभौमिकता

संघवाद और नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान में समावेशित करने के फलस्वरूप संविधान देश के सर्वोच्च कानून का रूप धारण कर लेता है। लिखित रूप में संविधान में, संविधान की सर्वोच्चता का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है। कदाचित् संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में विशिष्ट रूप में संविधान की सर्वोच्चता के लिए प्रावधान करना इसलिए अनावश्यक समझा कि संविधान ही सध एवं राज्यों की सरकारों के विभिन्न ग्रंथों की शक्तियों एवं अधिकारों का स्रोत है और संघवाद के सिद्धान्त के अनुकूल संविधान का सशोधन बेवल एवं विशिष्ट जटिल सशोधन प्रणाली से ही किया जा सकेगा। अर्थात् संविधान को साधारण विधि निर्माण करने की प्रक्रिया से सशोधित नहीं किया जा सकता। यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतीय संविधान में लिखित प्रावधान के न होने पर भी, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और जनता की सार्वभौमिकता का दर्पण है।

भारत में संघवाद की मान्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव सध और राज्य की सरकारों के सीमित सरकारों के रूप में कार्य करना है। संघवाद द्वारा राज्य-सत्ता का विभाजन होता है और विभाजित राज्य-सत्ता उन सरकारों एवं उनके विभिन्न ग्रंथों को सीमित रूप से ही प्रदत्त की जाती है, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत स्वयं संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद की शक्तियों का सीमित होना आवश्यक है। अतः भारतीय संसद की सार्वभौमिकता और ब्रिटिश संसद की सार्वभौमिकता में मूल भिन्नता है। इगलैड में ब्रिटिश संसद की सार्वभौमिकता न कि ब्रिटिश संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का महत्वपूर्ण विषय है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता न की भारत की संसद की सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण विषय है। ब्रिटिश संसद के द्वारा समयानुसार पारित

१. एन० पामर—इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, १९६१ पृ० ६४।

सर्वेधानिक वानूनों को ग्राज विटिश सविधान का एक हिस्सा माना जाता है। इसलिये विटिश संसद वही सर्वेधानिक वानून की स्रोत है। वास्तव में विटिश संसद व्यवस्थापिका समा होने के साथ सविधान समा भी मानी जा सकती है। यह एक निरन्तर प्रस्थायी सविधान समा है। परन्तु भारतीय संसद भारतीय सविधान की शिशु है। और इसको बेबल वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सविधान द्वारा दी गई हैं। सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करके भारतीय संसद के लिये कानून निर्माण करना अधिकानिक होगा। विटिश सविधान का सशोधन विटिश संसद सरलता पूर्वक साधारण कानून निर्माण प्रणाली के अनुसार कर सकती है, जब की भारतीय संसद को सम्पूर्ण सविधान के सशोधन के लिए एक पक्षीय अधिकार नहीं है। भारतीय संसद के अधिकार एवं शक्तियों की तुलना में सीमित हैं क्योंकि भारत में संसदात्मक प्रणाली और संघवाद लिखित सविधान की, जो कि देश का सर्वोच्च कानून है। संघवाद भारत में संसद की सावंगीमिकता पर अधरोघ है जिसकी अभिव्यक्ति लिखित सविधान के अनुसार होती है।

भारतीय सविधान के अन्तर्गत एकात्मक तत्व

भारत में संघवाद की स्थापना के साथ ही सविधान के अन्तर्गत बेन्द्रीय सरकार को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके कारण यह वहा जाता है कि भारत के सविधान का ढाँचा साधात्मक है, बिन्तु आत्मा एकात्मक है। भारत के राजनीतिक इतिहास को सविधान निर्माताओं ने अपनी दृष्टि में रखते हुए और इतिहास द्वारा यह सबक सीखत हुए कि जब कभी भी भारत में केन्द्रीय सरकार निर्दल रही मारतीय सुरक्षा एवं एकता को धारात पड़ौचा सविधान के अन्तर्गत सधीय व्यवस्था के लिए प्रावधान करते हुए इस बात पर बेल दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ देना आवश्यक था। साधारणतया यह देखा गया है कि संसार के मुह्य सभ राज्यों में किसी न किसी तरीके द्वारा सधीय सरकार ने राज्यों की सरकारों की अपेक्षा स्वयं को शक्तिशाली बनाने में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। अमरीका का उदाहरण इस सदर्भ में उचित है। मूलभूत रूप से सविधान के अनुसार अमरीकी सभ सरकार को बेल १८ शक्तियाँ और अन्य समस्त शक्तियाँ राज्यों की सरकारों को प्रदान की गई हैं परन्तु यह सर्व विदित है कि आधुनिक युग में अमरीकी सभ सरकार ने अपने व्यवस्थापन थोकाधिकार में अधिक बढ़ि रखने में सफलता प्राप्त की है। इस दिशा में अपने प्रयत्नों में बांग्रेस (सधीय व्यवस्थापिका) को अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण सहायता मिली है। सधीय में सर्वोच्च न्यायालय ने अमरीका में निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए, यह निर्णय दिया कि बांग्रेस को १८ मूल शक्तियों

के अन्तर्गत संविधान के अनुकूल वृद्धि निहित शक्तियों प्राप्त हैं, जो संविधान के दायरे में हैं। काय्येत वो इन शक्तियों के आधार पर विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार होगा। फलस्वरूप आज अमरीकी यायेस वा विधि-निर्माण करने के थोक में संविधान द्वारा, १८ मूल शक्तियों के निर्धारित थोक में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसी तरह, आधुनिक समय में संघ राज्यों में बेन्द्रीय सरकार की शक्तियों की, जनकत्याण, सुखदा आदि महत्वपूर्ण मामला के दृष्टिकोण से, अधिक वृद्धि हुई है। “सारे सभ राज्यों के आधुनिक संविधानों में बेन्द्रीयवरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।”^१

संविधान निर्माताओं पर भारतीय इतिहास का प्रभाव बेन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णयायक तत्व था, क्योंकि भारतीयों के लिए इतिहास से जो अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई, वह यह है कि विषटनवारी एवं पृथक्ता प्रवृत्तियों ने देश को प्रारम्भ से ही फूट और दासता को याई में घेरेला। विभिन्न विषटनवारी प्रवृत्तियों, उदाहरण के लिए—साम्राज्यविकास, जातियाद, प्रान्तीयता, भाषावाद, ने न बेवल द्विटिश राज के समय भारत की एकता को नष्ट किया बरन आज भी इन तत्वों ने अपना सिर इतना ऊँचा उठा लिया है कि यदि इनको सरकार विशेषकर संघीय सरकार कुलचने में हिचकिचाहट दर्शाती है तो ये तत्व देश की स्वतंत्रता, और एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। बेन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली रखने के पक्ष में श्री के० एम० मुशी ने संविधान समा में एक ऐतिहासिक तथ्य पर प्रवाण ढालते समय बहा था.—“भारत के लिए बेवल वे ही गोरखपूर्ण दिन थे जब कि देश में एक शक्तिशाली बेन्द्रीय सरकार स्थापित रहती थी और सर्वाधिक दुखमय दिन वे थे, जब देश में एक बेन्द्रीय सरकार प्रान्तों के विरोध के कारण नष्ट हो जाती थी।”^२

इन मुख्य कारणों के आधार पर संविधान समा में बाद-विवाद वा मुख्य प्रवाह केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में ही था। डा० अम्बेदकर स्वयं शक्तिशाली केन्द्र स्थापित न रने के पक्ष में थे। उन्होंने बहा—“मैं एक शक्तिशाली एकता सम्प्रभ केन्द्र चाहता हूँ, जो १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित केन्द्र से अत्यधिक शक्तिशाली होगा।”^३

भारत के संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित तत्वों ने एकात्मक प्रवृत्तियों को, और उनके फलस्वरूप एक शक्तिशाली केन्द्र को जन्म दिया है।

१. एन० पामर—पूर्वोक्त पृ० ६५।

२. के० एम० मुशी—कान्स्टीट्युशन असेम्बली डिवेट्स भाग ८ पृ० ६२७।

३. डा० अम्बेदकर—कान्स्टीट्युशन असेम्बली डिवेट्स भाग १ पृ० ६६।

सर्वप्रथम— सध एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बेंटवारा इस तरह किया गया है कि सध सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित-विश्लेषण से यह और अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

(क) संविधान के २४३ से २६५ तक के अनुच्छेदों में और सातवीं अनुसूची में, सध एवं राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियोंद्वारा किया गया है।

(१) सध सूची—जिसके अनुसार सध को ६७ विषयों के अधिकार दिये गये हैं।

(२) राज्यसूची—जिसके अनुसार राज्यों को ६६ विषयों के अधिकार दिये गये हैं।

(३) समवर्ती सूची—जिसके अनुसार सध व राज्यों, दोनों को ४७ विषयों के समवर्ती अधिकार दिये गये हैं। अनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि किसी राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित कानून वा कोई माग सध संसद द्वारा निर्मित कानून से संघर्ष में है, राज्य विधान सभा द्वारा उक्त निर्मित वानून को उस हृद तक अवैध माना जायेगा, जिस हृद तक वह संघीय कानून से संघर्ष में है। संक्षेप म, सध सरकार के अधिकार समवर्ती सूची के सबध में, राज्यों की सरकारों के अपेक्षा सार्वभौम है, इससे यह भी तत्पर्य है कि जब सध संसद $67 + 47 = 114$ विषयों पर सार्वभौम रूप से कानून निर्माण कर सकती है, राज्य सरकारों वा क्षेत्राधिकार स्वतंत्रतापूर्वक वेवल राज्य सूची में उल्लिखित, ६६ विषयों तक ही उपयोग में लाये जा सकते हैं। राज्य सरकारों के अधिकार समवर्ती सूची म उल्लिखित ४७ विषयों पर इस बात पर निर्भर रहे हैं कि इनका संघर्ष संघीय कानूनों से नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, अवशिष्ट शक्तियों पर, अनुच्छेद २४६ (१) के अनुसार केवल सध सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है।

(ख) सधवाद की कसौटी मुख्यमन्त्री एवं राज्यों में शक्तिविभाजन के सिद्धान्त को लागू करना है। जहाँ सध एवं राज्यों की सरकारों में शक्तियों वा विभाजन स्वयं निर्धारित संविधान द्वारा कर दिया गया है, राज्यों को उनके क्षेत्र में कानून निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और साधारणतया राज्यों वे क्षेत्र में सध सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। परन्तु भारतीय संविधान के अन्तर्गत शक्तिविभाजन सिद्धान्त के सदर्भ में ही अतिपय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रावधान विध गये हैं, जो शक्तिविभाजन सिद्धान्त के अपवाद माने जा सकते हैं, और जिनके अनुसार सध सरकार को राज्यों के क्षेत्राधिकार (राज्य सूची) में हस्त-क्षेप करना चाहिये है। यह भपवाद निम्नानुसार है।

(१) अनुच्छेद २४६ के अनुसार यदि राज्य सभा के दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाये कि राज्य सूची में अवित्त विषय का राष्ट्रीय महत्व

हो गया है तो सध संसद को उक्त विषय पर बानून निर्माण बनाने वा अधिकार प्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार के प्रस्ताव की अवधि एक वप से अधिक नहीं होगी परंतु राज्य समा द्वारा प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव की अवधि में एव वप के लिए और बृद्धि की जा सकती है ।

(२) अनुच्छेद २५० (१) के अनुसार सध संसद वो जब देश म सकटकालीन स्थिति वी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है, सम्पूर्ण देश के लिए बानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है । संघीय संसद तीनो सूचियों म लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है । चूंकि सकटकालीन स्थिति वे दोरान संघीय संसद को समस्त विषयों पर बानून निर्माण बनाने के अधिकार प्राप्त होने यह स्पष्ट है कि के द्वीय सरकार का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक म परिवर्तित हो जायेगा । राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत सकटकालीन स्थिति के घोषणा द्वारा सध संसद राज्यों के लिए अनुच्छेद २५० दे अनुसार विनृत शक्तियों को उपयोग मे ला सकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप के द्वीय सरकार वा स्वरूप संघीय सरकार से एकात्मक सरकार मे सकटकालीन घोषणा वे कायदान तब परिवर्तित रहेगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति म संघीय संसद को संविधान म उल्लिखित तीनो व्यवस्थापन संबंधी सूचियों (सध राज्य एव समवर्ती) पर बानून बनाने वा अधिकार रहेगा । अनुच्छेद ३५३ ३५४ के अनुसार सध बायपालिंवा को राज्य वी बायपालिकाओं को उनके कायपालिका संबंधी शक्तियों को उपयोग म लाने के लिए निर्देश दिये जा सकते हैं ।

इस तरह सकटकालीन घोषणा के दोरान संसद विसी भी विषय पर बानून बना सकती है चाहे वह विषय सध-सूची के अतिरिक्त आय दोनो सूचियों म क्यों न उल्लिखित हो ।

(३) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत यदि विसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है कि राज्य वा संघेधानिक यन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है राष्ट्रपति उक्त राज्य मे सकटकालीन घोषणा द्वारा राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है । ऐसी परिस्थिति म राष्ट्रपति के सकटकालीन घोषणा के दुरुगमी कानूनी प्रभाव होगे क्योंकि सध वे द्वारा राज्य की समस्त कायपालिका संबंधित शक्तियों का ग्रहण किया जा सकता है और यह घोषणा की जा सकती है कि राज्य की विधान समा की शक्तियाँ संसद द्वारा या संसद के अधीनस्थ उपयोग मे लाई जा सकती हैं ।^१

^१ सी० एल्केजे-डरोविकज—कान्सटीट्युशन डब्ल्युमेट् इन इण्डिया, १९५७, पृ० ६२ ।

१६५० म संविधान के लागू होने के पश्चात् समय-समय पर भारत के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत लागू किया जा चुका है परन्तु कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन की तीव्र आलोचना की गई है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के ग्रीष्मित्य का प्रश्न विशेषकर उस परिमिति में उत्तर हाता है जहाँ वह एक ऐसे राज्य में स्थापित किया गया है जहाँ सत्ताहृष्ट दल केन्द्रीय सत्ताहृष्ट दल से भिन्न है। प्रायः ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की आलोचना वा बारण यह होता है कि वेन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को गिराने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लागू किया है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति तब ही पैदा हो सकती है, जब वेन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के नियन्त्रण में हो। आलोचकों वा यह तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद ३५५ एवं ३५६ के अन्तर्गत राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के सलाहानुसार करता है और अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत यदि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह गूचना दी गई है, कि राज्य की शासन व्यवस्था भग हो चुकी है और इसको संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य में सकटकालीन स्थिति वी घोषणा कर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकता है और चूंकि राज्यपाल प्रायः केन्द्रीय सत्ताहृष्ट दल से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन को लागू करवाने में उन्होंने वेन्द्रीय सरकार को अपना सहयोग दिया है। श्री नम्बूद्रीपाद ने कहा है कि “वह व्यक्ति जो जीवन पर्यन्त कायेस में रहा है, जाहे कितना भी निष्पक्ष होने का प्रयत्न करे परन्तु राज्यपाल के हृष में उमेर राजनीतिक दबावों को सहन करना ही होगा।”^१

१६५७ के आम चुनाव में केरल में, साम्यवादी दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए। कुछ निरंतीय सदस्यों ने सहयोग से विवान सभा में बहुतम प्राप्त कर साम्यवादी दल ने केरल सरकार की स्थापना की। जब कायेस को साम्यवादी सरकार को गिराने में दूद मरीन तक सफलता नहीं मिली, तब उसने केरल की साम्यवादी सरकार को गिराने के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रत्यक्ष कायेवाही को उपयोग में लान का निष्पत्र किया। इस प्रत्यक्ष कायेवाही से कायेस वा तात्पर्य राज्य के विदालमा, यात्री-यात्रिवाहना एवं दफ्तरों का धेराव करना था। अगस्त १९१६ को केरल की सरकार के विरोधी दलों ने कायेस के नतृत्व में सरकार के विरुद्ध यात्रालम को धोर प्रयित्र उप्र बनाने का निर्णय लिया। राज्य के गवर्नर डॉ. रामहरण रामाराव ने आन्तरिक अगान्ति होने की समावना का देखते हुए। राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन भेजा कि राज्य में आन्दोलन की स्थिति इस

१. ई० एम० एम० नम्बूद्रीपाद—हिन्दुस्तान टाइम्स, मई दिल्ली, अगस्त २२, १९५६।

स्थिति तक पहुँच चुकी थी कि राज्य में शासन एवं मरकार का गुणात्मक रूप में चलाना ममता नहीं है।

इस प्रतिवेदा का भेजने के पूर्व वे रूप के मुख्यमंत्री थीं नमूद्रीपाद ने मध्यावधि चुनाव कराने में इन्कार कर दिया था क्योंकि उनका लक्ष्य था कि उनकी सरकार को विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। वेरन में राजनीतिक स्थिति इच्छित एवं जटिल हो गई थी क्योंकि जहाँ एक ओर राज्यवाच रामद्वारा रामाराम ने राष्ट्रपति को वह प्रतिवेदन भेजा था कि राज्य की मरकार ॥। विधान के अनुगार चतुर्मासी ममता है तो दूसरी ओर वेरन के मुख्यमंत्री का वक्ता था कि उनकी मरकार को विधान सभा में बहुमत प्राप्त था और उनके स्त्रीओं देने का कोई प्रबन्ध नहीं था।

इस दृष्टिकोण से यहाँ यह देखता आपस्या है कि इन परिस्थितियों में राज्य के क्षेत्र में सर्वीयहस्तक्षेप उचित माना जा सकता है। विधान के अन्तर्गत, राज्यों के क्षेत्रों में सर्वीयहस्तक्षेप तेजत निम्ननिमित्त दो परिस्थितियों में ही उचित माना जा सकता है।

(i) अनुच्छेद ३१२ के अनुमार जब राष्ट्र में गमीर मक्ट पैदा हो जायें, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा पर आधान पड़ूँचने का डर रहता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देने में मक्टकालीन स्थिति की अर्थात् आपन्त्रानीन घोरता की जा सकती है। विधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय जीवन में यह गमीर मक्टकालीन स्थिति जब ही मानी जा सकती है, जब देने पर वाहू आत्मा हुआ हो या आत्मरिक अवानिन पैदा हो गई है या यदि राष्ट्रपति के मनानुमार ऐसी स्थिति के पैदा होने की ममानना है तो भी राष्ट्रपति मक्टकालीन स्थिति की उद्दोग्या कर सकता है।

उपर्युक्त स्थिति में यह मरकार का हस्तक्षेप राज्यों के क्षेत्र में वेद माना जा सकता है।

(ii) मन के किमी राज्य में सर्वीयहस्तक्षेप अनुच्छेद ३१६ के अन्तर्गत तभी उपयुक्त तथा वेद माना जा सकता है जब राज्य का सर्वेतानिक शासन-नश गमाप्त हो चुका है। राज्य सरकार के शासन-नश के गमान्त होने से यह ताप्त्य है कि राज्य मरकार का बहुमत उत्तर राज्य की विधान सभा में गमाप्त हो चुका है और राज्यवाच इस बात में सतुर्द है कि अन्य किमी राजनीतिक दल या दलों द्वारा विधान सभा में बहुमत पर आवारित सरकार नहीं बनाई जा सकती है। इसमें यह भी ताप्त्य है कि यदि राज्य की सरकार ने विधान सभा में बहुमत प्राप्त है परन्तु कुछ राजनीतिक दल निजी स्थायी के स्थूल अवानिन या उपर्युक्त मड़वाने का प्रयत्न करते हैं, तो विधान के अनुच्छेद ३५५ व अनुपार मन शासन का यह

कर्तव्य है कि राज्य सरकार की सुरक्षा करे, जो बहुमत पर आधारित है और जिसकी स्थापना सर्वेश्वानिक रूप से हुई है। सक्षेप में, सभ सरकार का यह कर्तव्य है कि अनुच्छेद ३५५ के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार का जो बहुमत पर आधारित है, वाहू आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से रक्षा करे, न कि ऐसी राज्य सरकार को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बर्खास्त करे।

वस्तुतः उपर्युक्त विवेचन से यह विदित होता है कि राज्यों के क्षेत्रों में राष्ट्रपति-शासन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप केवल दो ही परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि १९५६ में जब राज्यपाल रामबृहण रामाराव ने केरल के सबूध में राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन भेजा कि राज्य सरकार का शासन तत्र टूट चुका है तो वह केरल की सर्वेश्वानिक सर्वेश्वानिक स्थिति के अनुकूल नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री मम्मूद्रीपाद की सरकार को बर्खास्त किये जाने के समय तक राज्य विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था।

प्रत्येक राज्यपाल को पद ग्रहण करने के समय यह शपथ दी जाती है कि 'मैं अपनी पूरी पार्श्वता से सर्विधान एवं कानून के अस्तित्व को बनाये रखूंगा एवं उनका सरकारण करूँगा।'

इसी प्रकार वी शपथ राष्ट्रपति को भी पद ग्रहण करने के पूर्व सेना आवश्यक है। अत यह स्पष्ट है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति दोनों का थी नम्मूद्रीपाद के भवीमण्डल की रक्षा करना सर्वेश्वानिक कर्तव्य था। नि सदैह यह कहा जा सकता है कि थी नम्मूद्रीपाद के भवीमण्डल को सर्वेश्वानिक कारणों के बजाय राजनीतिक कारणों से बरकास्त किया गया था।

भारत में किसी भी राज्य में, राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए राज्यपाल को भूमिका का अत्यधिक महत्व है। राज्यपाल वी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अत इस शब्द से बचना बठिन होगा कि राज्यपाल पर वेन्द्रीय सरकार का प्रभाव नहीं होया। स्वस्य जनतमत तथा जनतत्र के लिए यह अत्यावश्यक है कि राज्यपाल वी शक्तिया पर इस सदर्भ मुद्दे विधानिक अवरोध हो। वास्तव में, यह सर्वेश्वानिक अवरोध को एक परम्परा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जिसका निरन्तर पालन करना आवश्यक है। परम्परा यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य की सरकार, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत है, की सलाहानुसार किया जाय।

४—संघवाद के सिद्धान्त का एवं संघवाद और संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) में उल्लिखित है, जिसके अनुनाद यदि संघ के दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के लिए यह वाद्यनीय प्रतीत होता है कि ऐसे विधयों पर जिन पर

सिवाय अनुच्छेद २४६ एवं २५० के अन्तर्गत सध ससद को कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार उक्त राज्यों वे सबंध में सध ससद को प्रदत्त किया जाये और यदि इस उद्देश्य के लिए उक्त राज्यों की विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित किये जाते हैं, तो सध-ससद को ऐसे विषयों के सबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होगा। सरल रूप में यह वहा जा सकता है कि अनुच्छेद २५२ (१) के अन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राज्य सूची में उल्लिखित विसी विषय पर सध-ससद उन राज्यों के लिए कानून निर्माण करे तो सध ससद राज्य सूची वे उक्त विषय पर कानून बना सकेगी।

५—अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद २५३ के अन्तर्गत सधवाद का एवं अन्य अपवाद देखा जा सकता है। उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत सध सरकार को किसी देश के साथ की गयी सधि, समझौते या उपसधि और किसी अन्तर्राष्ट्रीय समा, सम्या या अन्य सगठन द्वारा लिये गये निर्णय वो कार्यान्वित कराने के लिए कानून निर्माण वर्ते का अधिकार है। इस अनुच्छेद २५३ में उपयोग में लाये गये शब्द 'अन्य सगठन' अस्पष्ट है और इस स्पष्टता के कारण इनकी व्याख्या एवं उपयोग सध सरकार द्वारा किसी सीमित और राष्ट्रविरोधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डॉ जैनिङ्ज का कहना है कि "अन्तर्महाविद्यालयीन मण्डल, जो एवं ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन है, जिसमें बर्मा तथा लका के महाविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं, के निर्णय के सरल माध्यम द्वारा महाविद्यालयीन शिक्षा पर सध सरकार अपना क्षेत्राधिकार स्थापित कर सकती है। 'कामिनफार्म एवं फोर्म इण्टरनेशनल' भी अन्तर्राष्ट्रीय सगठन हैं। इस अनुच्छेद में कतिपय शब्दों के रखे जाने से यह राज्यों के अधिकारों का, चौकानेवाला अतिक्रमण है कि इसकी उपयुक्तता सदेहप्रद लगती है।"

६—अनुच्छेद २५६ के अनुसार सध सरकार को राज्यों के सबंध में कुछ प्रशासकीय शक्तियाँ भी प्रदत्त की गई हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार सध सरकार राज्यों पर अपना नियन्त्रण रखती है।

इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये कि सध ससद के कानूनों को मान्यता मिल सके और सध की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग इस दृष्टिकोण से, राज्यों को निर्देशन देने के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद २५७ के अनुसार सध के किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस तरह से करना चाहिये कि जिससे

१. डॉ आर्द्दो जैनिङ्ज—'सम केरेक्टरस्टिक्स आफ दी कान्स्टीट्युशन आफ इण्डिया, १९५२ गु ० ६६।

(ii) उन सिद्धान्तों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में, जिनके आवार पर सप्त सरकार राज्यों को अनुदान देगी ।

(iii) सध तथा किसी राज्य के मध्य किये गये किसी वित्तीय समझौते को कायम रखने या उसमें परिवर्तन करने के सम्बन्ध म ।

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित बोई भी विदय जो वित्त की दृष्टि से महत्व-पूर्ण है ।

(ग) अनुच्छेद ३६० के अनुसार राष्ट्रपति बो वित्त सरबी सबटवालीन स्थिति के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदत्त वी गई हैं । यदि राष्ट्रपति आश्रित हो जाता है कि राष्ट्र में परिस्थिति इस प्रकार बी हो गई है कि जिससे भारत या भारत के किसी हिस्से की वित्तीय व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पहुँचा है, वह भारत में वित्तीय सभट की घोषणा कर सकता है । इस प्रकार दी सबटवालीन स्थिति में सप्त की वार्षिकानिका भवित या उपयोग राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देश दिये जाने के लिए किया जा सकता है, जिनके अन्यर्थ राज्यों के बर्म-चारियों के बेतन तथा भत्तों में कमी को जा सकती है । राष्ट्रपति राज्यों को यह निर्देशन भी दे सकता है कि राज्य विधान सभाओं से पारित वित्त विधेयक उसके (राष्ट्रपति) विचार के लिए भेजे जायें । वित्तीय सबटवालीन परिस्थिति के सबव में श्री हृदयनाथ कुजल ने वहां या कि वित्तीय सबट सरबी प्रावधान से राज्यों की स्वायत्तता को एक गमीर खतरा है ।

तृतीय—राज्या की स्वायत्तता को एक भ्रम्य कारण से भी हानि पहुँचने की समावना है । राष्ट्रीय योजना आयोग की वार्षिकानी के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि इससे भी भारत में केन्द्रीयकरण की भावना तथा एकात्मक प्रवृत्तियों को शमिलगाली होने भे सहयोग मिला है । राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना १९५० में हुई, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय साधनों का सतुरित उपयोग करते हुए राष्ट्र का विकास करना है । राष्ट्रीय योजना आयोग की भूमिका जो सामने उभर बर आई है उसका बर्णन श्री सन्धानम ने निम्नलिखित शब्दों में किया है, और जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यों को विस हृद तक केन्द्रीय सरकार पर अपनी विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए निभंर रहना पड़ना है । उनका बहना है—“कुछ समय पूर्व राज्य समा भे एक केन्द्रीय मशी के इन वशनव्य दो सुनकर मैं धारक्य-विन हो गया कि यदि राष्ट्रीय योजना आयोग किसी योजना को स्वीकृत कर लेता है तो वह भी उसकी योजना को स्वीकृत कर लेंग । योजना आयोग का सविधान मैं उल्लेख नहीं है और न ही इसकी स्थापना किसी संसदीय कानून से हुई है । तब भी इसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सारी योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए, निर्णय देने की भवित्व है । योजनाओं को वित्तीय अनुदान देने या न देने से वार्षिकीत किया जा नहीं किया जा सकता

है। नि सदेह, राज्य सरकार विसी भी योजना को बंगेर योजना ग्रामोग के प्रेरित किये, आरम्भ वर सकती है, यदि वह वैन्द्रीय सहायता के न प्राप्त होने के, न बैंबल उसी योजना के लिए, परन्तु अन्य योजनाओं के लिए भी, परिणामों का सामना करने को तैयार है।^{११}

चतुर्थ—सविधान के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त तत्व विद्यमान हैं, जिनसे भारतीय सधीय व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियों के दृढ़ होने में सहायता पहुँचती है।

उदाहरण स्वरूप (क) भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों भी नियुक्तियाँ सधीय तोक सेवा ग्रामोग के मुकाबानुसार, गृहमालय को बरने का अधिकार है। इन अधिकारियों की नियुक्ति, अखिल भारतीय स्तर पर होती है। इन विभेदना के कारण सम्पूर्ण भारत में, प्रशासन के क्षेत्र में समानता तथा एकता पाई जाती है, जिससे एकस्वरूप वैन्द्रीय शासन को दृढ़ता प्राप्त होती है।

(ल) भारतीय न्यायपालिका का सगठन एवं वायों का निर्वाचन सविधान के अन्तर्गत एवं त्रिकोणात्मक आचार पर किया गया है, जिसके प्राधार पर इस नियोग के शिखर पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सविधान के अनुच्छेद १२४ के द्वारा मान्यता दी गई है। सध के प्रत्येक राज्य में सविधान के अनुच्छेद २१४ के अनुसार उच्च न्यायालय की राज्य में स्थापना की गई है। सविधान के अनुच्छेद १३२, १३३ व १३४ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश या नियंत्रण से सर्वधानिक दिवानी तथा फौजदारी मामलों में द्योग्य नहीं जा सकती है।

यहाँ यह स्पष्ट है कि भारतीय न्यायपालिका के सगठन तथा वायों के दृष्टिकोण से, न्यायिक क्षेत्र में एक स्पना स्थापित की गई है।

(ग) भारत के सविधान में बैंबल एक नागरिकता (भारतीय नागरिकता) का प्रावधान किया गया है। निसदेह इस प्रावधान का उद्देश्य भारत की सधात्मक प्रशासनी में, मनोरंजनानिक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण भारत के प्रति नागरिकों की आस्था को शक्तिशाली बनाते हुए एकात्मक प्रवृत्ति के धारारों हो जकिनशाली करना है। अमरीका में इसके विपरीत दो प्रकार की नागरिकता प्रदत्त है (एक सध की नागरिकता तथा दूसरी सध के उस राज्य की नागरिकता जहाँ पर व्यक्ति निवास करता है)।

उन्युक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हाता है कि भारतीय सध व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियों द्वारा जकिनशाली है, परन्तु इसने यह नियर्थ्य निवालना कि इन एकात्मक प्रवृत्तियों द्वारा भारतीय सध व्यवस्था का सधीय स्वरूप लुप्त हो गया है, गलत होगा। बास्तव में भारतीय सविधान के अन्तर्गत एक सध राज्य की स्थापना की गई है, जिसने मध्यैत्र सरकार अद्यन्त शक्तिशाली है।

१. २० अप्रैल १९४८ द्वारा इम इंग्लिश, १९६४ मृ० २०।

संघीय कार्यपालिका

पूर्व अध्यायों के अध्ययन से यह जात हो चुका है कि भारत के सविधान वे अनुच्छेद ५३ (१), ७४ (१) तथा ७५ (३) भारतीय संसदीय प्रणाली के मूल आधार हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन वे सभ्य भारतीय नेताओं वा उद्देश्य ब्रिटिश राज्य से स्वतन्त्रता प्राप्तकर भारत में संसदात्मक प्रणाली स्थापित करना था। लोक सभा में इस विषय पर १९५७ में प० नेहरू न कहा था—“हमने इस संसदात्मक प्रणाली को सोच समझकर चुना है। हमने यह प्रणाली बेबत इस लिए नहीं चुनी है कि पूर्व म हम प्राय इस विषय पर विचार करते रहे, परन्तु हमने यह सोचा कि यह हमारी प्राचीन परम्पराओं के भनुकूल है। हमने इसे चुना—जहाँ पर हमें थेय देना है, हम देना चाहिये—क्योंकि हम इसकी कार्य प्रणाली से, जैसी दूसरे देशों में, विशेषकर ब्रिटेन में है, सहमत थे।”^१

इसी वे फलस्वरूप, भारत की संसदीय प्रणाली भ संघीय कार्यपालिका के दो भाग हैं। (व) भारत का राष्ट्रपति-राष्ट्राध्यक्ष, और (स) संघीय मंत्री परिषद—एक उत्तरदायी मंत्री मण्डल के रूप में, जिसका सामूहिक उत्तरदायित्व अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए संसद के निचले सदन के प्रति है। भारत में कार्यपालिका की शक्ति पर सबसे महत्वपूर्ण अवरोध भारतीय संसदीय प्रणाली वे अन्तर्गत मंत्री मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। इस अवरोध की विशेषकर अभिव्यक्ति कार्यपालिका एव व्यवस्थापिका (संसद) के सम्बन्धों में प्रदशित होती है। यहाँ पर इस विषय को ध्यान म रखना प्रति भावशयक है कि संघीय कार्यपालिका दोनों हिस्सों (राष्ट्रपति व मंत्रीपरिषद) के सम्बन्ध, सविधान की चार दीवारों में, विभिन्न सर्वेधानिक प्रावधानों और अभिसमयों द्वारा निर्धारित तथा नियन्त्रित किये जाते हैं।

संघीय कार्यपालिका वा अध्ययन निम्नलिखित तीन आधारों पर किया जा सकता है।

१. प० नेहरू-जवाहरलाल नेहरू ज स्पीचेज खड ३, अगस्त १९५७, पब्लिकेशन्स डिविडन मिनिस्ट्री ऑफ इन्कारमेशन एड दाढ़कास्टींग।

- १—राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद की स्थिति तथा सम्बन्ध ।
- २—संघीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति तथा मंत्री मण्डल) की शक्तियाँ ।
- ३—मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५२ के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है और अनुच्छेद ५४ के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा, जिसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, (क) संघ के विभिन्न राज्यों के विधान समाजों के निर्वाचित सदस्य, और (ख) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य । इस निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को समान सत्यामें मत प्राप्त नहीं हैं । यहाँ महदान का सिद्धान्त ‘एक व्यक्ति एक मत’ वा नहीं है, परन्तु यह है कि प्रत्येक मतदाता को उस अनुपात में मत प्राप्त हो, जिसमें कि वह एक विशिष्ट जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है ।

चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दो प्रकार के सदस्य हैं अतः राष्ट्रपति वे निर्वाचन के लिये इन दोनों प्रकार के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने मत प्राप्त हैं, यह जात करने के लिए निम्नलिखित दो मूलों को, संविधान के अन्तर्गत मान्यता दी गई है ।^१

(क) राज्य विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की सत्या =

$$\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों}} \div 1000$$

की सम्पूर्ण सत्या

(ख) संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की सत्या =

समस्त राज्य विधान समाजों के निर्वाचित सदस्यों को

प्रदत्त मतों की सत्या

$$\frac{\text{संसद के सारे निर्वाचित सदस्यों की सत्या}}{\text{संसद के सारे निर्वाचित सदस्यों की सत्या}} \div$$

राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसा संविधान में उल्लिखित है, अनुरातिक प्रतिनिधित्व पद्धति वे एकल सब्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है ।^२

राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी नतीजों को मालूम करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं । सबंधित, सही मतों को प्रथम विकल्पों के आधार पर अलग-अलग करना और प्रत्येक प्रत्याशी वे प्रथम वरीयता (विकल्प) के मतों की गणना करना ।

१. भारतीय संविधान अनुच्छेद ५५ ।

२. भारतीय संविधान—अनुच्छेद ७१-७३ ।

द्वितीय, यह निर्धारित बरना वि निर्धाचित होने की न्यूनतम मत सख्ता बया है ? इस न्यूनतम मत सख्ता को निम्नलिखित मूल के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है । उदाहरणार्थ जहाँ यदि सही मतों की सख्ता २०,००० है तो निर्धाचित के लिए बोटा $\frac{20,000}{2} + 1$ के बराबर होगा । इसाए अर्थं यह है कि विसी भी प्रत्याशी को १०,००१ मतों के प्राप्त होने पर निर्धाचित घोषित किया जायेगा ।

यह विदित रहे कि यदि बेबल दो प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिये हैं तो उपर्युक्त सूचनानुसार, दोनों में से विसी एक को न्यूनतम मत सख्ता के रूप में बहुमत प्राप्त हो सकता है । परन्तु यदि प्रत्याशियों की सख्ता दो से अधिक है तो यह समव हो सकता है कि उनमें से विसी को न्यूनतम बोटा न प्राप्त हो । उदाहरणार्थ, यदि चार प्रत्याशी हैं, मतों का विमाजन निम्नलिखित रूप से हो सकता है —

अ-	७,०००		} मतों की पूरी सख्ता २०,०००
ब-	६,४००		
स-	३,६००		
द-	३,०००		

यहाँ पर विसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम मत सख्ता या १०,००१ मत प्राप्त नहीं हुए हैं । ऐसी स्थिति में जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, उसके मत उन पर उल्लिखित दूसरी वरीयता के आधार पर शेष प्रत्याशियों को हस्तातरित किये जायेंगे ।

यदि मान लिया जाये कि दूसरी वरीयता के आधार पर यदि अ-को ३००, ब-को २,६०० और स-को १०० मत, द-को ३,००० मतों में से दूसरी वरीयता के अनुसार दिये गये हैं तो निम्नलिखित स्थिति हो जायेगी —

अ-	७,०००	+	३००	=	७,३००
ब-	६,४००	+	२,६००	=	९,०००
स-	३,६००	+	१००	=	३,७००

परन्तु अब भी विसी को न्यूनतम बोटा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुनः स के मत, क्योंकि इसको सबसे कम मत प्राप्त हुए है, अगली वरीयता के अनुसार, शेष प्रत्याशियों को हस्तातरित कर दिये जायेंगे । यदि स के ३,७०० मतों में से २,४०० अ- को, और १,३०० ब- को अगली वरीयता के अनुसार हस्तातरित कर दिये जाते हैं तो स्थिति निम्नलिखित होगी —

अ-	७,०००	+	३००	+	२,४००	=	११,७००
ब-	६,४००	+	२,६००	+	१,३००	=	१०,३००
स-	हस्तातरित						
द-	हस्तातरित						

यहाँ वे को स्पष्ट रूप से, निर्वाचन कोटा (१०,००१) से अधिक मन प्राप्त होने से उमड़ा निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा, क्योंकि अ—को उत्तर कोटे से कम मन प्राप्त हुए हैं।

दा० एम० पी० शर्मा ने इस निर्वाचन पदनि की दो बठिनाइको पर प्रकाश डाला है।^१

सर्वप्रथम, परावित प्रत्याशी को हटाने की प्रक्रिया में कभी ऐसा होना समव छ है कि सबसे कम मन प्राप्त किये दो प्रत्याशी ऐसे हों, जिनके मतों की सम्भासमान हों। ऐसी स्थिति में इन दोनों में से उस प्रत्याशी को परावित घोषित किया जायेगा, जिसे प्रथम वरीयता में सबसे कम मन मिले हों। यदि इन दोनों प्रत्याशियों को प्रथम वरीयता के भी समान मन मिले हों, तो इसका निर्णय लाट (चिट) द्वालकर किया जायेगा।

द्वितीय, यदि कुछ मन पत्रा म द्वितीय, तृतीय या अगली वरीयता का उल्लेख नहीं है, तो एकी स्थिति में योग प्रत्याशियों को, मतों का हस्तानन्नरण असमव हो जायगा। जिन मन पत्रा पर द्वितीय, तृतीय या अगली वरीयता का उल्लेख नहीं किया गया है, उनको समाप्त माना जायेगा।

सविधान के अनुच्छेद ५८ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित रख तक ही किया जायेगा यदि (क) वह भारत का नागरिक हो, (ख) ३५ वर्ष की उम्र हो, (ग) जा लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और (घ) जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्वानीय अधिकारी के अदीन किसी वैतनिक पद पर नियुक्त न हो। परन्तु कुछ पद ऐसे हैं जिन पर यह प्रतिवन्य लागू नहीं होना है, जैसे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मनियों के पद। राष्ट्रपति का कार्यक्रम पाच साल का होना है।^२ यदि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महामियोग द्वारा रित दा जाता है तो अनुच्छेद ६२ (२) के अनुसार ६ महीने में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये। नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य का वरेया। राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह १०,००० रु० है। समझ को उम्मेद वेतन, जहाँ तया विशेषाधिकार के सबसे में निर्णय लेन का अधिकार है। अवकाश प्राप्ति के परवान् उसको प्रतिवर्ष १५,००० रु० पेंशन एवं १२,००० रु० भत्ते के हर में मिलता है। प्रधाने पद को प्रहर करने के पूर्व राष्ट्र-

१. एम० पी० शर्मा—'द गवर्नेंट ग्राफ द इंडियन रिपब्लिक,' १९६१ दृ० १०८।

२. भारतीय सविधान—अनुच्छेद ५६ (१)

सधीय कार्यपालिका

पति को यह शपथ प्रहण करना आवश्यक है, “मैं अद्वापूर्वक का पालन करूँगा तथा अपनी पूर्ण योग्यता से सविधान तथा एवं प्रतिरक्षण करूँगा तथा मैं भारत की जनता की सेवा तथा वल्याण रहूँगा।”^१

इस दृष्टिकोण से, यदि राष्ट्रपति सविधान वा उल्लंघन बरता है तो उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत विद्या जा सकता है।^२ ससद वे विमी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत रिया जा सकता है, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर उक्त सदन वे वम से वम एवं चीयाई सदस्यों वा हस्ताधार होने चाहिये। इस प्रकार वे प्रस्ताव वो सदन के दो तिहाई वे बहुमत से पारित होने पर महाभियोग वी शर्तें पूरी मानी जाती हैं। इस प्रस्ताव के लिए लिखित नोटिस वम से वम चौदह दिनों के पूर्व दिया जाना चाहिये। यदि यह प्रस्ताव सदन के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति पर अभियोग लगा दिया गया है और दूसरा सदन इन आरोपों की जाच बरेगा। राष्ट्रपति स्वयं सदन में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा इस प्रक्रिया में हिस्सा लें सकता है। यदि दूसरे सदन में दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति पर लगाये गये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो महाभियोग वा प्रस्ताव सिद्ध माना जायेगा, और फलस्वरूप, राष्ट्रपति प्रस्ताव स्वीकृत होने की विधि से पदच्युत हो जायेगा।

राष्ट्रपति की सर्वेवानिक स्थिति और मन्त्री मण्डल से उसका सबध

सधीय वार्यपालिका वी शक्तियाँ भारतीय सविधान के अनुच्छेद ५३ (१) के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद ७४ (१) के, अनुसार एवं मन्त्री मण्डल की स्थापना राष्ट्रपति वो उसके वार्यपालिका संबंधी वायीं में सहायता तथा सलाह देने के लिए वी जायेगी। मन्त्री मण्डल वा अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होना। परन्तु, भारत में ससदात्मक प्रणाली वा मूल सिद्धान्त, सविधान के अनुच्छेद ७५ (३) में निहित है। इस सिद्धान्त के अनुसार मन्त्री मण्डल सामूहिक रूप से ससद के निचले सदन, लोकसभा, के प्रति उत्तरदायी है—जो ससद वा प्रतिनिधि सदन है वयोवि इसका निवाचन सावंजनिक वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार होता है। राष्ट्रपति तथा मन्त्री मण्डल के सबधों वी वस्तु स्थिति वो जात बरने के लिए अनुच्छेद ७५ (३) में निहित सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की भूमिका

१. भारतीय सविधान—अनुच्छेद ६०,

२. वहो —अनुच्छेद ६१,

एवं महत्व को समझना अति आवश्यक है। सरकार की नीतियों तथा कार्यों के दृष्टिकोण से, मंत्री मण्डल प्रत्यक्षरूप से लोकसभा और अप्रत्यक्षरूप से या अन्तिम रूप से भतदातागण के प्रति उत्तरदायी है। चूंकि संविधान में स्पष्ट रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है, इसका केवल यह अर्थ ही नहीं है कि मंत्रीमण्डल को संसद (लोकसभा) में बहुमत की इच्छानुसार सरकार की नीतियों एवं कार्यों को चलाने का कर्तव्य है, परन्तु यह भी अधिकार है कि सरकार की नीतियों एवं कार्यों को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार उपयोग में लाने के लिए इस सिद्धान्त की कार्य-प्रणाली में किसी का हस्तक्षेप तब तक न होने दे, जब तक उसे बहुमत प्राप्त है, अन्यथा संसदीय सरकार का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, वयोंकि वास्तव में संसदीय सरकार की आत्मा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। यदि इस सिद्धान्त को नष्ट किया जाता है तो संसदीय पद्धति नष्ट हो जायेगी। साधारण परिस्थितियों में, जब मंत्रीमण्डल को लोकसभा के बहुमत प्राप्त हैं राष्ट्रपति केवल नाम मात्र घ्वज मात्र का कार्यपालिका के रूप में मंत्रीमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, वयोंकि यदि राष्ट्रपति इसके विपरीत कार्य करता है तो मंत्रीमण्डल के समक्ष सिवाय अपने स्तीके देने के कोई विकल्प नहीं रहेगा। यदि आम चुनाव में पुनः पुराने मंत्रीमण्डल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को मंत्रीमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य होना होगा। सधीय मंत्रीमण्डल के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को संविधान द्वारा मान्यता देने का कोई अर्थ ही नहीं रहता, यदि मंत्रीमण्डल को लोक सभा में बहुमत रहते हुए, सरकार के नीतियों एवं कार्यों के लिए अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। संविधान निर्माताओं की आवक्षियों को सही रूप से मालम करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद ७८ उपबन्ध (अ) एवं (स) जिनसे, मंत्रीमण्डल के निर्णय लेने के अधिकार पर प्रकाश ढाला गया है, व्यान में लेना आवश्यक है। अनुच्छेद ७८ (अ) के अनुसार प्रधान मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री मण्डल के लिए गये सारे निर्णयों से अवगत कराना आवश्यक है। अनुच्छेद ७८ (स) के अनुसार यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि प्रचान मंत्री किसी मुद्रे को जिस पर केवल एक मंत्री द्वारा निर्णय दिया गया है, परन्तु जिस पर मंत्रीमण्डल द्वारा विचार-विमर्श नहीं किया गया है, तारे मंत्री-मण्डल के विचार के लिए प्रस्तुत करे, प्रधान मंत्री का यह बत्तेव्य होगा कि उक्त मुद्रे को मंत्री मण्डल के समक्ष रखे। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद ७८ उपबन्ध (अ) एवं (स) दोनों में 'निर्णय' शब्द का उपयोग किया है, जो इस बात का खोलक है कि 'निर्णय' लेने का अधिकार मंत्रीमण्डल को ही सौंपा गया है। ५० मेहरू ने कहा है कि "हमारे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को इगलेंड के राजा या रानी के समान रखा गया है। यदि ऐसा नहीं हो, तो मंत्रीमण्डल

और संसद के उत्तरदायित्व के सारे प्रश्न पर आधार पड़े जेगा। संसद सार्वभौम है।^१

संविधान वे प्रमुख निर्माता डा० अम्बेदकर ने इसी पक्ष पर बल देते हुए संविधान समा में चार नवम्बर १९४८ बो यह कहा— राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो, राजा की ग्रिटिंग संविधान म है। वह राज्य का, न कि वार्यपालिका का अध्यक्ष है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है न कि शासन करता है। वह राष्ट्र वा प्रतीक है। शासन मे उसका स्थान उस यत्र के भौहर के समान है जिससे राष्ट्र के निर्णय प्रदर्शित होते है।^२

अपने भाषण मे डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २६ नवम्बर, १९४६ को संविधान समा मे कहा—“स्वयं संविधान मे ऐसे प्रावधान नही है जो राष्ट्रपति को मंत्री-मण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य करते है, परन्तु यह मान्य है कि ग्रिटिंग संविधान की यह परम्परा है कि राजा प्राय मंत्री मण्डल के सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, इस देश मे भी स्थापित की जायेगी, और राष्ट्रपति सब मामलो मे सर्वेधानिक राष्ट्रपति (अध्यक्ष) ही रहेगा।^३

इस दृष्टिकोण से यह कहना उचित है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पद के सर्वेधानिक स्वरूप को सही रूप से समझना है, तो यह आवश्यक है इस मामले को भारतीय संसदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्त—मंत्रीमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के सदर्म मे ही समझा जाना चाहिये। यदि राष्ट्रपति के पद के सर्वेधानिक स्वरूप की व्याख्या, इस तथ्य से पृथक् रहकर की जाती है कि संविधान द्वारा संसदात्मक प्रणाली स्थापित की गई है, तो राष्ट्रपति के पद के वास्तवित स्वरूप के सम्बन्ध मे सही ज्ञान प्राप्त न हो सकेगा। अनुच्छेद ७४ (१) की कठोर तथा सकीर्ण व्याख्या करने से यह गलती हो सकती है कि संविधान द्वारा स्थापित संसदात्मक प्रणाली को ध्यान मे न रखा जाये, और राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्तियो की केवल अपूर्ण या एक तरफी जानकारी प्राप्त हो। यह सत्य है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री मण्डल की सलाह मानने के लिए संविधान मे लिखित कोई बाध्यकारी प्रावधान नही है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रीमण्डल की सलाह मानना कानूनी दृष्टिकोण से आवश्यक होगा। जैसे प्रो० डो० एन० बैनर्जी का कहना है—“मुख्य विषय है कि राष्ट्रपति कानूनत अनुच्छेद ७४ (१) के अन्तर्गत अपने मंत्रीमण्डल वी सलाह, सारी परिस्थितियो मे, स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।

१ प० नेहरू—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, ८ जुलाई १९५६।

२ घो० प्रार० अम्बेदकर—कान्स्टीट्युशन असेम्बली डिवेट्स भाग ७ पृ० ३२।

३ डा० राजेन्द्र प्रसाद—कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली डिवेट्स भाग १०, पृ० ६८८।

मन्त्रीमण्डल की उत्पत्ति, रागठन, तथा बार्यं प्रणाली, अमरीकी प्रतिनिधि सदन के स्पीकर (ग्राम्यका) की शक्तियों का विभास और राष्ट्रपति के विरचन प्रणाली का अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में परम्परागत परिवर्तन। भारत में भी राजियाँ ने अन्तर्गत परम्पराओं के विवित होते के दृष्टिकोण से बोई बिनार्द दृष्टिकोचर नहीं होती है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० राधाकृष्णन्, डा० जाविर हुंगेन और थी बाराह गिरी बकट गिरी, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामी त इन परम्परा को विवित और पुष्ट किया है कि यदि मन्त्रीमण्डल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति मन्त्रीमण्डल के परामर्श के अनुसार बायं वरेगा।

१० नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान निर्मातामा का उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं देना था, परन्तु उत्तरी शक्ति वो प्रतिष्ठापूर्ण बनाना था।^१

केंद्रों के संविधान के अनुसार भवनंर जनरल को कुछ शक्तियाँ स्व-विवेक-नुसार उपयोग में लाने के लिए प्रदत्त हैं और इन्हीं शक्तियों का। यह शक्तियों के परामर्श पर उपयोग में लाता है, परन्तु यास्तव में ऐसोंदा ग एक परम्परा की स्थापना हो गई है, जिसके अन्तर्गत गवर्नर-जनरल सारे मामलों पर—उन मामलों पर भी जो उसके स्वविवेक के दायरे में है, मन्त्रीमण्डल की सलाह अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। इसलिए मे निटिश राजा संदानित दृष्टिकोण से निरुत्तर है, कई पर शतांशियों से, कुछ विशिष्ट परम्पराओं के आधार पर उसने निरुत्तर शक्तियों को त्याग कर मन्त्रीमण्डल की सलाह अनुसार ही बायं विष्ये हैं। मुख्यतः निटिश संविधान वी परम्पराओं से ही निटिश राजतत्र का संविधानिक परिवर्तन सीमित या संविधानिक राजतत्र में हो गया है, जिसके फलस्वरूप, वहाँ राजतत्र के हार्ड-कारक प्रभावों को दूर करके इसको आधुनिक युग में निटिश संसदात्मक प्रणाली में उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह भारत में राष्ट्रपति तथा मन्त्रीमण्डल के सबधों के लिए भी विशिष्ट संविधानिक प्रावधान के अभाव में, यह परम्परा स्थापित हो गई है कि यदि मन्त्रीमण्डल को संसद के निजले सदन का बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को मन्त्रीमण्डल के परामर्श के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिये।

तृतीय, संविधान में विशिष्ट बाध्यकारी प्रावधान, जिसके होने से राष्ट्रपति को मन्त्रीमण्डल की सलाह के अनुसार समस्त परिस्थितियों में कार्य करना होता, का शब्द इसनिए नहीं रहा गया कि यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को स्वतंत्रता-पूर्वक कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो वह संविधान के अनुकूल ही हो। सशेष में राष्ट्रपति के राष्ट्र के हित में स्वतंत्रतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए संवि-

^१ १० नेहरू—'कान्स्टीट्यूशन असेम्बली डिवेट्स भाग ४ पृ० ७३४।

• वान निर्माता प्रो. न किनी सर्वेधानिक रक्षावट को सविधान में नहीं रखा। परन्तु ऐसी परिस्थितियाँ बहुत कम होगी और राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति में इस वान से साम्बाहित होना चाहिये कि सत्तद एवं राष्ट्र दोनों उसके साथ हैं, और जिसको ज्ञान बरने के लिये तत्काल आम चुनाव करवाना आवश्यक होगा। ऐसा प्रतीन होता है कि हमारे सविधान निर्मान। इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि हमारी सपात्यक प्रणाली वे स्वरूप के बारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ राष्ट्रपति के लिए मत्रीमण्डल की सलाह न मानना आवश्यक हो। ऐसी परिस्थिति वो कल्पना करना कठिन नहीं है, जहाँ सचिय मत्रीमण्डल वा भत किसी राज्य की सर्वेधानिक यत्र के समाप्त होने के कारण राजनीतिक हो, और जिसके आधार पर वह ऐसा निष्पद ले जो उसके राजनीतिक हित में हो, पर राष्ट्र के हित में न हो। ऐसे मामले में राष्ट्रपति का भारत सभ के अध्यक्ष के रूप में यह चर्चा हो जाता है कि वह यह देखे कि राज्यों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाये और केन्द्रीय सरकार का निर्णय, ऐसे मामले के सबसे में राजनीतिक प्रस्तर में न किया जाये। कुछ ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से ही सविधान में दोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे राष्ट्रपति को सदा मत्रीमण्डल की सलाह के अनुसार चलना होगा। परन्तु यह निश्चित है कि इस तरह के मौके बहुत बहुत ही होंगे। साधारणतया राष्ट्रपति मत्रीमण्डल की सलाह के अनुसार ही अपने कार्य करेगा। इस विषय के सदम में ग्रन्तिपत्र टोरे ने कहा है—‘यह सभावना समाप्त नहीं की जा सकती है कि राष्ट्रपति सविधान के अन्तर्गत अत्यन्त जकिताली घन सके, न ही कि राष्ट्रपति निरकुश हो सके। लोकसभा वे प्रत्येक पात्र दर्पण के पश्चान् भग करने वा प्रावधान, राष्ट्रपति पर सत्तद द्वारा महाभियोग संशाने का प्रावधान, मत्रीमण्डल व लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के तिए प्रावधान, इन सारे प्रावधानों से यह निष्पत्ति—निकला जा सकता है कि राष्ट्रपति बठिता से ही निरकुश हो सकेगा। इस तरह भारत के सविधान में राष्ट्रपति के निरकुश न होने हतु न तो उसे अधिक गतिशाली बनाया है न ही, प्रधान मत्री एवं मत्रीमण्डल को दें वा प्रशासन उन्हें राजनीतिक दल दे हितों में न चलाने देने के लिए राष्ट्रपति को बमजोर बनाया है।’^१

राष्ट्रपति एवं सचिय मत्रीमण्डल के सबों के दृष्टिकोण से, भूत में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के राय साहब ‘राम जग्या बपूर और अन्य बनाम प्रजाव राज्य के प्रकरण में दिय गय निर्णय को प्रस्तुत किया जा सकता है, ‘भारत में इंग्लैण्ड के सुल्तान्यांपालिका को अपने बायं, व्यवस्थापिका वे नियन्त्रण में रहकर चलना है। हमारे सविधान के अनुच्छेद ५३ (१) के अनुसार सभ की बायंपालिका शक्तियाँ

^१ टो० बे० टोपे—इंग्लैण्ड यूनियन आफ इंडिया, १९६३ मृ० २५१।

सधीय कार्यपालिका

राष्ट्रपति में निहित हैं, परन्तु अनुच्छेद ७५ के अन्तर्गत (इसको अनुच्छेद ७४ (१) के साथ पड़ा जाना चाहिये) एक मन्त्रीमण्डल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए होना चाहिये। राष्ट्रपति इस तरह कार्यपालिका का आधिकारिक या सर्वेधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मन्त्रीमण्डल या मन्त्री परिषद में निहित हैं। इसनिए भारत ने संविधान भ इंगलैंड के समान संसदात्मक कार्यपालिका है, जिसमें व्यवस्थापिका समा के सदस्य हैं, जिससे ब्रिटिश मन्त्रीमण्डल के समान एवं हाइफन और एक बक्सुए के रूप में राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दो जोड़ा और बांध जाता है।^{११}

सधीय—कार्यपालिका की शक्तियाँ

भारतीय सधीय कार्यपालिका के संसदात्मक स्वरूप से यह विदित होता है कि इसकी शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण इमरे दो हिस्सों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ये दो हिस्से निम्नलिखित हैं :—

(क) राष्ट्रपति—जो आधिकारिक कार्यपालिका है, और

(ख) मन्त्रीमण्डल—जो वास्तविक कार्यपालिका है।

(क) राष्ट्रपति की शक्तियाँ—ब्रिटिश संविधान ने अन्तर्गत सिद्धान्त कि राजा कोई 'गलती नहीं कर सकता है', इस प्रसंग में उपयोग में लिया जाता है कि राजा कानून से परे है और अपने आचरण के स्पष्टीकरण के लिए, किसी व्यायालय में उपस्थित होने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इस सिद्धान्त का अपने सर्वेधानिक दृष्टिकोण से यह है कि सिवाय मन्त्रीमण्डल के सलाहानुमार राजा अपने स्व-विवेकानुसार न तो कोई सावंजनिक कार्य बर सकता है, न ही किसी शक्ति का उपयोग बर सकता है, क्योंकि प्रत्येक कृत्य के लिये, जो राजा के नाम ऐ किया जाता है, मन्त्रीमण्डल उत्तरदायी है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद ७८ (स) के अनुसार मन्त्रीमण्डल को 'निर्णय' लेने का अधिकार है, जिससे साधारणतया, राष्ट्रपति बाध्य माना जायेगा। इस तरह भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के समान सिवाय मन्त्रीमण्डल के सलाहानुसार कोई ऐसा सावंजनिक कार्य नहीं करेगा, जिसमें उसका स्व-विवेक निहित है। थी अल्लादी कृष्णस्वामी मध्यर (संविधान रूपरेखा समिति के सदस्य) ने यह सही ही कहा था कि मन्त्री-मण्डल सोकसमा के प्रति उत्तरदायी है, और यदि कोई राष्ट्रपति, मन्त्रीमण्डल वे दायित्वों को लोकसमा के प्रति निभाने के पथ में रक्षावट के रूप में आता है तो

२. डी० एन० बैनर्जी—'सम भास्येष्टस भाक द इण्डियन कान्स्टीट्युशन' १६६२, पृ० ६६।

वह संविधान का उल्लंघन करने का दोषी होगा और उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो विभिन्न शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं, उनका उपयोग वह मन्त्रीमण्डल के परामर्शानुसार करेगा। निम्नलिखित ध्येयियों के अन्तर्गत इन शक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है।

१—वार्यपालिका शक्तियाँ

भारत का राष्ट्रपति एवं ऐसे राज्य का अध्यक्ष है, जहाँ पर संसदात्मक सरकार की स्थापना की गई है। फलस्वरूप राष्ट्रपति के नाम से ही श्रौपचारिक रूप से, सरकार तथा शासन के कार्य सम्पन्न किये जायेंगे। संविधान के अनुच्छेद ७७ के अनुसार भारत सरकार के वार्यपालिका सदबी कार्य राष्ट्रपति के नाम से सम्पादित किये जायेंगे। अनुच्छेद ५३ के अनुसार संघ की वार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद ७४ के अनुसार संघीय मन्त्रीमण्डल, वित्तवा अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होगा, राष्ट्रपति वो उसकी वार्यपालिका शक्तियों वो उपयोग में लेने के लिये, सलाह तथा सहायता देगा। अनुच्छेद ७५ के अनुसार प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मन्त्रीमण्डल के संघ प्रशासन एवं व्यवस्थापन सदबी प्रस्तावों की सूचना दे, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार प्रधान मन्त्री द्वारा ऐसे मामले को जिस पर विवेक विसी मन्त्री ने निर्णय लिया, मन्त्रीमण्डल के विचार के लिए रखा जा सकता है। बची-बची अनुच्छेद ७६ की व्याख्या करते हुए, यह गलतफहमी हो सकती है कि राष्ट्रपति सरकार वे वार्यों के दोषों में अपना स्व-विवेक उपयोग में लाए सकता है। प्रो॰ एलेजेन्ट्रो-विक्ज का बहना है—“अनुच्छेद ७६ की व्याख्या इस रूप में बरने में कोई इटिनाई मही होगी कि राष्ट्रपति को अपने स्व-विवेक को उपयोग में लाने दिया जाये, वह (राष्ट्रपति) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री से विसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए और वर्गीर मन्त्रीमण्डल की सलाह के कोई भी बदम उठाने के लिए दूरंतव्य स्वतन्त्र है।”^१ परन्तु यह याद रहना चाहिये कि दिना ग्नीर परिणामों के अनुच्छेद ७६ की व्याख्या संसदात्मक प्रणाली के मूल तिदान्तों के विरोध में नहीं बीजा सबनी है। अतः यह परम्परा, जो इतनैष्ठ में स्थापित है कि साधारणता राष्ट्राध्यक्ष मन्त्रीमण्डल की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, भारत में भी दिना विसी सदैह और मतभेद के स्थापित भी जाना चाहिये, क्योंकि इस परम्परा के न होने से जो जननाविक संवृलन संसदात्मक प्रणाली

१. एलेजेन्ट्रोविक्ज—कान्स्टीट्यूशनल डेवलपमेन्ट्स इन इंडिया, १९५७ पृ० ११४।

में श्रीपद्मारिका एवं वास्तविक कार्यपालिका के मध्य होना चाहिये, वह नहीं रह सकेगा। कार्यपालिका मध्यों राष्ट्रपति की भक्तियाँ निम्नलिखित हैं।—

१—मध्य की निम्ननिमित्त मुख्य नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है।

(क) अनुच्छेद ७५ (१) के अनुमार आम चुनाव म विजयी राजनीतिक दल के नेता की नियुक्ति प्रधान मंत्री के पद पर करता है।

(ख) अनुच्छेद ३६ (१) के अन्तर्गत महान्यायाधिकारी (एटनी जनरल) की नियुक्ति करता है।

(ग) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षण की नियुक्ति अनुच्छेद १४८ (१) के अन्तर्गत करता है।

(घ) सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद १२४ एवं अनुच्छेद २१७ के अन्तर्गत करता है।

(ङ) अनुच्छेद २६३ के अन्तर्गत, एवं अन्तर्राज्यीय परिषद (इंटर स्टेट कीमिट) की नियुक्ति करता है।

(च) अनुच्छेद ३१६ के अन्तर्गत मध्य सोष मेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति बृद्ध राज्यों के एक समूह के लिए एक समूत्र आयोजन-की भी नियुक्ति कर सकता है।

(छ) वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद २६० के अन्तर्गत करता है।

(ज) चुनाव आयोग की नियुक्ति ३२४ (२) के अन्तर्गत करता है।

(झ) अनुमूलिक प्रदेशों पर प्रतिवेदन देने के लिए अनुच्छेद ३३६ (१) के अन्तर्गत आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

(झ) प्रनुच्छेद ३३८ (१) के अनुमार अनुमूलिक जातियों तथा अनुमूलिक जन-जातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

(ट) अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत पिछडे वर्गों की दमा वा जांचने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है।

(ठ) ३४४ (१) के अनुमार भाषा आयोग नियुक्ति वरने का अधिकार रखता है।

भारत म सदात्मक सरकार के प्रमग म यहाँ यह वहना आवश्यक होगा कि य सारी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति भवीमण्डल के परामर्श पर ही करेगा।

२—राष्ट्रपति को संघ के निम्नलिखित अधिकारी गण के पदच्युत करने का अधिकार है—

व—अनुच्छेद ७५ (२) के अन्तर्गत मन्त्रियों वा

ष—अनुच्छेद ७६ (४) के अन्तर्गत भारत के महाचिवता को ।

ग—अनुच्छेद १५६ (१) के अन्तर्गत राजपाल को ।

घ—अनुच्छेद १२४ (४) व २१७ (१) की के अन्तर्गत सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को ।

इ—संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया में अनुच्छेद ३१७ (३) तथा (४) के अन्तर्गत सधे लोद सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को, संविधान में उल्लेखित प्रक्रियानुसार ।

२—सैनिक शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५३ (२) के अनुसार राष्ट्रपति को देश की विभिन्न सेनाओं (जल, थल और नम) का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है । राष्ट्रपति के द्वारा इस शक्ति का उपयोग विधिवत् किया जाना चाहिये । ससद को ही (अनुमति सात, सूची एक विषय त्रिमास १, २, १५ के अन्तर्गत) सेना, युद्ध तथा शान्ति के लिये विधि निर्माण करने वा अधिकार है । अतः राष्ट्रपति को उपर्युक्त विषयों पर जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, उनका उपयोग वह ससद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार करेगा । ससद की अनुमति विना, राष्ट्रपति न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाओं का प्रयोग वर सकता है । अमरीका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति की तरह विधि द्वारा नियन्त्रित नहीं हैं । यद्यपि अमरीकी संविधान में यह उल्लिखित है कि युद्ध की घोषणा अमरीकी कांग्रेस ही करेगी, तथापि अमरीकी राष्ट्रपति विदेशी मामलों के क्षेत्र में कार्यों का सम्पादन इस रूप से कर सकता है कि कांग्रेस के समझ, सिवाय युद्ध की घोषणा करने के कोई विकल्प नहीं रहे । आरम्भ में, जब राष्ट्रपति जानकारी ने वियतनाम में अमरीकी सैन्य शक्ति में बूढ़ि करने की आवश्यकता महसूल की तब कांग्रेस भी अनुमति प्राप्त करने के लिए उन्होंने वियतनाम की टोरिन की खाड़ी के मामले को, जिसमें अमरीकी जहाज पर सम्पदादियों द्वारा आक्रमण के आरोप संगाये गये थे, कांग्रेस के समझ रखा । इस तरह उन्हें प्रत्यक्ष हृप से वियतनाम युद्ध में अमरीकी सैन्य शक्ति के उपयोग के लिये, कांग्रेस भी अनुमति लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई ।

भारत में यद्यपि युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी विषयों के लिए अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार संसद को है फिर भी भारतीय संघीय कार्यपालिका (संघीय मत्रीमण्डल) के हाथ में धर्माधिक शक्तियाँ हैं । अपनी शक्तियों को उपयोग में लाने में मत्रीमण्डल ऐसी अनुरोधीय परिस्थिति पैदा कर सकता है, जिसमें संसद के समझ युद्ध

की घोषणा करने के अलावा बोई विकल्प ही नहीं रहे। अतः युद्ध एवं शान्ति के सम्बन्ध में सप्तद द्वारा अन्तिम निर्णय लेने वा अधिकार एक औपचारिक मान्य है। परन्तु यह विदित रहे कि वास्तविक रूप में इन शक्तियों वा उपयोग राष्ट्रपति नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री (मंत्रीमण्डल के अध्यक्ष वे नाते) करेगा।

३—राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के वैदेशिक मामलों वा सचालन होता है। उसी के नाम से समस्त अधिकारों वा प्रयोग होता है। राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों के राजदूत, कूटनीतिज्ञों तथा वाणिज्य दूतों वो औपचारिक समारोह में उनके प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर राष्ट्रपति ही उन्हें मान्यता देता है। विदेशों में राजदूतों, वाणिज्य दूतों तथा प्रतिनिधियों वो नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के लिये वार्ताएँ राष्ट्रपति के नाम से ही सचालित की जाती है। इस प्रकार वी सधियों तथा समझौतों के लिये अनुच्छेद ७३ के अनुसार सप्तदीय अनुसमर्थन आवश्यक है। इगलैण्ड में सप्तदीय अनुसमर्थन उन सधियों या समझौतों के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा घनराशि वा दिया जाना आवश्यक है।

अमरीका में सिनेट (वाप्रेस वा उच्च सदन) में, उन सधियों को दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृति होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने अन्य देशों से वार्ता वी है, अन्यथा वे अवैधानिक मानी जायेंगी।

४—राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार भारतीय सध के लिए सप्त सप्तद वी स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं। उच्च सदन, राज्य सभा है, तथा निचला सदन, लोक सभा है। सप्तद के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में व्यवस्थापन सम्बन्धी निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

(क) राष्ट्रपति को, अनुच्छेद ८५ (१) (२) (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत सप्तद वो आमत्रित एवं स्थगित करने और लोकसभा को मग करने का अधिकार है। परन्तु सप्तद आमत्रित करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की शक्ति का नियन्त्रण इस शर्त से,

को घोषणा करने के प्रभाव कोई विचार ही नहीं रहे। अतः मुझ एवं शानि के सम्बन्ध में समृद्ध द्वारा अनियन्त्रित लेने का अधिकार एवं अधिकारिता मात्र है। परन्तु मैं इन विविध रूप में इन गतियों का उपरोक्त राष्ट्रपति नहीं, वर्त्तक प्रधान मरी (मरीमउल्लन के अन्दर के नाम) करेगा।

३—राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ

राष्ट्रपति के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के वैदेशिक मानवों का सचानन होता है। उमी के नाम से सम्बन्ध अधिकारों का प्रयोग होता है। राष्ट्राभ्यर्थ होने के नामे राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी के राजदूत, कूटनीतिज्ञों तथा वाणिज्य दूतों को अधिकारित समारोह में उनके प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर राष्ट्रपति ही उन्हें मान्यता देता है। विदेशी में राजदूतों, वाणिज्य दूतों तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही को जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय समियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के लिये वार्ताएँ राष्ट्रपति के नाम से ही सचानित की जाती है। इस प्रकार की समियों तथा समझौतों के लिये अनुच्छेद ७३ के अनुसार समीक्षक अनुभवर्यत आवश्यक है। इकलौट में समीक्षक अनुभवर्यत उन समियों या समझौतों के लिए आवश्यक है, जिनमें राज्य की भूमि का हस्तान्तरण होता है या जिनके द्वारा धनराजि का दिया जाना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय समियों की वैदेशिक शक्तियों को दो-क्रिहाई वहनन ने स्वीकृति होता चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने अन्य देशों से वार्ता की है, अन्यथा वे अवैधानिक मानी जायेगी।

४—राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ

संविधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार भारतीय संघ के लिए संघ समिति को स्थानना का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं। उच्च सदन, राज्य सदन है, तथा निचला सदन, लोक सदन है। संघ सदन के एवं संघ वित्तीय हिस्से के रूप में और राष्ट्राभ्यर्थ होने के नामे राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रगती में व्यवस्थापन सम्बन्धीय नियन्त्रित शक्तियाँ प्रदत्त हैं।

(क) राष्ट्रपति दो, अनुच्छेद ७५ (१) (२) (द) एवं (ब) के अन्तर्गत समिति को आनंदित एवं स्वयंसित करने और सोकमभा को नग करने का अधिकार है। परन्तु समिति करने सम्बन्धीय राष्ट्रपति की शक्ति का नियमण इस गति से,

एज पासीबल) का भर्य अनुच्छेद १११ के अन्तर्गत यह हो सकता है कि जितने अधिक समय तक राष्ट्रपति चाहता है। (एस लाग एज दि प्रेसिडेंट चूजेब)"^१ राष्ट्रपति के अवलम्बन के नियेधाधिकार का वास्तव में, भारतीय संसदामक प्रणाली में विशिष्ट महत्व है। यह एक संवैधानिक, अवरोध न कि रोडे (ब्रेक) के रूप में है। इस नियेधाधिकार को राष्ट्रपति को देते हुए संविधान निर्माताओं का कदाचित यह विचार था कि संसद-जैसी व्यस्त सत्थाएँ यदि राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होकर इसी विधेयक पर पूर्णतया विचार राष्ट्रहित में नहीं कर सकी हैं तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते अपने अनुभव ज्ञान तथा परिषक्तता के आधार पर विधेयक पर गहराई से विचार करने वे उपरान्त उपयुक्त सुझाव दे सकेंगा।

अमरीकी संविधान के अन्तर्गत जब काप्रेस से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आता है तब राष्ट्रपति दस दिन में अपने विचारों सहित विधेयक को काप्रेस के पास वापिस लौटा देता है। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो विधेयक अधिनियम या कानून बन जायेगा। परन्तु यदि राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियाँ प्रकट की हैं, और यदि विधेयक काप्रेस द्वारा पुनः पारित किया जाता है, (संशोधन या बिना संशोधन के) तो उक्त विधेयक को अधिनियम माना जायेगा। भारत के राष्ट्रपति के समान अमरीका के राष्ट्रपति का यह अधिकार अवलम्बन का नियेधाधिकार माना जा सकता है। संविधान के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति, काप्रेस द्वारा पारित विधेयक वो दस दिन तक अपने विचार के लिए रख सकता है अतः यह समझ है कि काप्रेस ने किसी विधेयक को अपने अधिवेशन के अन्तिम दिनों में—जो कि दस दिन से कम है, पारित किया हो, ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति वो उक्त विधेयक पर कोई आपत्ति है, तो उसके द्वारा कोई कार्यवाही करने के बिना ही विधेयक स्वतः समाप्त हो जायेगा, व्योकि दस दिन समाप्त होने के पूर्वे ही काप्रेस वा अधिवेशन समाप्त हो चुका होगा। अतः अमरीकी राष्ट्रपति वे इस अधिकार वो 'पाकेट नियेधाधिकार' (पाकेट बॉटो) की सत्ता दी गई है।

(ध) भारत के राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक अत्यन्त ही व्यापक शक्ति प्रदत्त की गई है। संविधान के अनुच्छेद १२३ (१) के अनुसार जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लागू किये गये अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के समान होगी। परन्तु संसद के अधिवेशन के आरम्भ होने पर तत्काल अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों वे समझ रखना आवश्यक है। यदि संसद उस अध्यादेश से असहमत है तो अध्यादेश

१. डा० के० खी० राव—'पालिंयामेन्ट्रो डेसोके सी इन इरिडिया। १६६१ पृ० ४६।

संघीय कार्यपालिका

समाप्त हो जायेगा, परन्तु यदि समद अध्यादेश से असहमत नहीं है तो अध्यादेश को, समद की बैठक के ६ सप्ताह पश्चात् समाप्त माना जायेगा।

(इ) राष्ट्रपति को अनुच्छेद ८० (३) के अन्तर्गत राज्य सभा वे १२ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति इन १२ सदस्यों को उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा वे धोर में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। राष्ट्रपति एग्लो-इण्डियन सम्प्रदाय भा व्यक्तियों को लोक सभा के लिए मनोनीत कर सकता है यदि लोकसभा में उक्त सम्प्रदाय में से कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है।

(क) सघ के राज्यों से सबधिन राष्ट्रपति की व्यवस्थापन सबधी शक्तियाँ

(i) सविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, किसी नये राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में पारवर्तन करने के लिए किसी भी विधेयक को समद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उसकी अनुमति के बाद ही उक्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है। इस सबध में राष्ट्रपति के लिए सबधित राज्यों की विधान सभाओं के विचार ज्ञात करना आवश्यक है परन्तु यह राष्ट्रपति पर निर्भर है कि उन विचारों का पालन करे या न करे।

(ii) राज्यों की विधान सभाओं में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही कुछ विधेयक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जैसे—अनुच्छेद ३०४ के अन्तर्गत यदि कोई विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य या अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों पर प्रतिवन्ध लगाता है।

(iii) राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित ऐसा विधेयक जिसका सघ अनुच्छेद ३१ के दृष्टिकोण से सम्पति के अधिग्रहण से हो, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून का रूप दिया जा सकता है।

(iv) राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित ऐसे विधेयक जिनके द्वारा उन वस्तुओं पर कर लगाया गया है, जो समद द्वारा, अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत पारित विधि के अनुमार सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई है।

(v) राज्य विधान सभा द्वारा, समवर्ती सूची में दिये गये किसी विधि पर पारित विधेयक—जिसका सघयं समद द्वारा पारित किसी विधि से है, अनुच्छेद २५४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थं रखा जाना चाहिये।

(ग) जब किसी राज्य का संवैधानिक तत्र असफल हो जाता है तब राष्ट्रपति उक्त राज्य में सकटकालीन स्थिति, अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत, घोषित कर राज्य सरकार के किसी भी अंग की, सिवाय उच्च न्यायालय की, शक्तियों को अपने हाथ

- (क) जहाँ दण्ड विसी मैनिर न्यायालय द्वारा दिया गया है।
 (ख) जहाँ दण्ड उस बानूत के विहङ्ग अवरोध में लिए हैं, जो सघ की बार्य-पालिका के धोनाधिकार में है।
 (ग) जहाँ दण्ड मृत्यु दण्ड वे हृष में हो।

राष्ट्रपति वी शक्तियों, इस दृष्टिवोण से सघ-सूची तक ही सीमित हैं। “न प्रतियों को समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय वे सबध में उपयोग म नहीं नाया जा सकता है तिवाय उन मामलों वे जिनमी सदसद वे स्पष्ट हृष में राज्य वी कायपालिका शक्ति वे धोनाधिकार से भ्रतग ररा दिया है।

भनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति विसी भी सावजाना महत्य वे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मालूम वर सकता है। एव विशिष्ट दृष्टिवोण से, राष्ट्रपति वा यह अधिकार व्यवस्थापिका सभा पर एव सर्वेधानिक अवरोध वे रूप में है, वयोंकि इस अधिकार वे उपयोग द्वारा राष्ट्रपति विसी विधेयक वो, जिसके सर्वेधानिक स्वरूप वे सबध में शका है, सर्वोच्च न्यायालय की राय ले तो वे लिए भेजवार यह मालूम वर सकता है वि विधेयक वास्तव म सविधान वे भनुवूल है या नहीं है।

इसी प्रकार, राष्ट्रपति व्यवस्थापिक के विसी वाय वे सबध में यह मालूम करने के लिए कि वह सर्वेधानिक है या नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय वी राय ले सकता है। उदाहरण स्वरूप, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका सभा तथा न्यायपालिका वा मामला १६६४ मे राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय वे पास उसकी राय प्राप्त करने के लिए भेजा था। मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्र-गडकर ने सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत की राय की भविष्यत्कित करते हुए, एव महत्यरूप सर्वेधानिक सिद्धान्त पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा यदि उत्तरप्रदेश विधान सभा वे दावे वो, कि विधान सभा को विसी न्यायाधीश के विहङ्ग वारन्ट जारी करने का अधिकार है भीर न्यायालय को इस बायंवाही की वेदता को ज्ञात वरने वा अधिकार नहीं है, मान्यता दी जाती है, तो इससे न्यायालय वी स्वतत्रता वे भूल सिद्धान्त पर आधात पहुँचेगा।

अत् यह स्पष्ट है वि राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का सविधान वे सरकार हेतु उपयोग कर सकता है।

५—राष्ट्रपति वी आपत्तिकालीन शक्तियाँ

सविधान के अन्तर्गत, (भनुच्छेद ३५२, ३५६ एव ३६०) राष्ट्रपति वो, सीन प्रकार की आपत्तिकालीन स्थितियों वा सामना करने के लिए आपत्तिकालीन शक्तियों प्रदत्त की गई है। प्रत्येक राज्य मे सकटकाल मे उसने अस्तित्व को

बनाये रखने के लिए विसी ऐसे जक्षित-सम्पद अधिकारी का होना आवश्यक है, जिसको सकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता आवश्यक रूप दी जा सके।

'संघीय देश में यह सत्ता आवश्यक रूप से, राष्ट्रीय सरकार में निहित वी जाती है—यहाँ यह भी उल्लेखित किया जा सकता है कि सकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही होता है।'"^१

राष्ट्रीय कार्यपालिका में सकटकालीन परिस्थिति के दौरान अत्यधिक शक्तियों निहित कर दी जाती है अब यह समव है कि कार्यपालिका निरकुश रूप धारण करने का प्रयत्न करे। संविधान में इस सदमें में प्राय कुछ विशेष 'रक्षक-प्रावधान' समावेशित किए जाते हैं, जो कार्यपालिका के निरकुश बनने की प्रवृत्ति पर अवरोध के रूप भ कार्य करेंगे। सामान्य रूप से इन रक्षक प्रावधानों का उद्देश्य यह होता है कि सकटकाल में राज्य का हस्तक्षेप नागरिकों के अधिकार में न्यून ही और सीमितकाल के लिए हो। परन्तु इनके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सज्ज हो। सक्षेप में, जनतात्त्विक संविधान में राज्य के अन्तर्बोर्ड को बनाए रखने के लिए, यदि सकटकाल में जब एक और यह आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका को सकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जनताली किया जाये, तथा नागरिकों के अधिकारों में सीमित समय के लिए सीमाएं लगाई जायें, तो दूसरी ओर यह स्वीकार करना भी अत्यावश्यक है कि ये सब बातें उन साधनों के रूप में हैं; जिनका संक्षय यह है कि जनतात्त्विक मूल्यों का अस्तित्व बना रहे।

भारत के संविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार की सकटकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है—

सर्वप्रथम अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाये कि राष्ट्र पर सुरक्षा को बाह्य भाक्षण, युद्धावस्था, या आन्तरिक अशान्ति का सकट है तो वह सकटकालीन स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। यह उद्घोषणा राष्ट्रपति उपर्युक्त सकट वी समावना में भी कर सकता है। इस प्रकार की उद्घोषणा या अन्त, यदि जिन चारों से यह भी गई थी तो समाप्त हो जावे है, राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा द्वारा कर सकता है। इस आपत्तिकालीन उद्घोषणा को संसद वे समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। उद्घोषणा करने के दो माह पश्चात्, यदि इसके पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे सहमति नहीं दी गई हो,

१. एम० श्रीतिवासन—डेमोक्रेटिक गर्डमेन्ट इन इंडिया, १९५४ पृ० ३६१।

यह उद्घोषणा समाप्त मानी जायेगी। यदि उद्घोषणा के पूर्व लोक सभा भग हो जाये या दो माह की अवधि में भग होती है, तो केवल राज्य सभा की स्वीकृति ही आवश्यक है। परन्तु राज्य सभा की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् आपतिकालीन उद्घोषणा को नई लोक सभा की प्रथम बैठक के तीस दिन के अन्दर स्वीकृति मिल जानी चाहिये, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी।

राष्ट्रपति के, अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत, उद्घोषणा करने के प्रभाव

व—संघ समिति को सम्पूर्ण भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर उन विषयों पर भी जिनका उल्लेख राज्य सूची में है, विधि निर्माण करने का अधिकार होगा। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद २५० (१) के अनुसार है, अनुच्छेद २५० (२) के अनुसार आपतिकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने के ६ माह पश्चात् संसद द्वारा इस तरह निर्मित विधि को समाप्त माना जायेगा। अनुच्छेद २५१ के अन्तर्गत यदि राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित कोई कानून संसद द्वारा निर्मित कानून से सघर्ष में है तो राज्य का कानून अवैध माना जायेगा। यदि संकटकाल में संसद का अधिकार नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्यसूची में उल्लिखित विषयों के सबध में अध्यादेश लागू कर सकते हैं। संघ-संसद अनुच्छेद ८३ (२) के अनुसार अपने कार्यकाल में एक समय में एक बर्ष तक वी बृद्धि कर सकती है। इस प्रकार की बृद्धि आपतिकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने की तिथि से ६ महीने से अधिक समय तक नहीं की जा सकती है। संसद अनुच्छेद २५३ (व) के अन्तर्गत भारतीय सरकार और उसके अधिकारी गण को, विधि द्वारा कुछ अधिकार तथा कर्तव्य सौप सकती है, जिससे वे आपतिकाल में संसद द्वारा निर्मित विधियों के कार्यान्वित करा सके।

ख—संघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को, कार्यपालिका की शक्तियों के उपयोग के लिए आदेश दे सकती है और संसद संघीय अधिकारियों को राज्याधिकारियों के किसी भी अधिकार तथा कर्तव्य सौंप सकती है। संसद को यह अधिकार अनुच्छेद ३५३ (अ) एवं (ब) के अन्तर्गत प्रदत्त है।

ग—राष्ट्रपति वो अनुच्छेद ३५४ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि संकटकाल में, आदेश द्वारा अपनी इच्छानुसार संविधान के अनुच्छेद २६८-२७६ में निहित आय वितरण प्रणाली के सबध में परिवर्तन करे, परन्तु यह आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अनुच्छेद ३५८ के अनुसार आपतिकालीन उद्घोषणा के दौरान, अनुच्छेद १६ में उल्लिखित स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित हो जायेगा। इसी तरह, संकटकाल में राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुच्छेद ३५६ (१) के अनुसार स्थायालयों द्वारा

मूल अधिकारों के लागू करने के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है और इस सदमें में न्यायालयों के समक्ष जो कार्यवाही है, वह नी सकटकाल के दौरान या निर्दिष्ट अवधि तक के लिए स्थगित मानी जायेगी।

सक्षेप म, अनुच्छेद ३२ म उल्लिखित सबैधानिक उपचारों के अधिकार को सकटकाल में राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्थगित कर सकता है। परन्तु इस प्रकार का आदेश सदाचार के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यह स्पष्ट है कि सबैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का अधिकार अतिम नहीं है, क्योंकि सदाचार विधि द्वारा ऐसे आदेशों को समाप्त कर सकती है।

द्वितीय, सविवान के अनुच्छेद ५६ के अन्तर्गत किसी राज्यपाल से यह प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें राज्य सरकार को सविवान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उस प्रतिवेदन से सतुष्ट हो जान पर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के समस्त या कुछ कार्य ग्रहण कर सकता है, जिसमें सिवाय राज्य विधान सभा की शक्तियों के राज्यपाल या राज्य की अन्य संस्था या सत्ता के काय सम्मिलित हाँगे। राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालयों के अधिकारों को ग्रहण नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य की विधान सभा की शक्तियों को सदाचार या सदाचार अधिकृत सत्ता द्वारा उपयोग में लाया जाये। राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा का अन्त या उसमें परिवर्तन दूसरी उद्घोषणा द्वारा बर सकता है। राज्य के सबैधानिक तत्र के असफल होने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई उद्घोषणा को सदाचार के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है।

यदि लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सचित निवि में से व्यव के लिए आदेश भी दे सकता है।

सघ के किसी राज्य में अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत सकटकालीन उद्घोषणा ने सदमें में सघ सरकार एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सविवान के मार्गदर्शक अनुच्छेदों एवं परम्पराओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

१—अनुच्छेद ३५५ के अनुसार सघ सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक सघ के राज्य को, बाह्य आहमण एवं आन्तरिक अशान्ति के समय संरक्षण दें। इस तरह सघ सरकार यह सुनिश्चित बरेगी कि राज्य सरकार सविवान के अनुसार चलायी जाये। सक्षेप में यदि राज्य सरकार का विधान सभा में वहुभत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में सघ सरकार का यह कर्तव्य है कि जनताविक प्रणाली

के अनुसार निवाचित राज्य सरकार का, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, वाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक ग्राशान्ति से सुरक्षा वरे, न कि राजनीतिक मतभेदों वे वारण राज्य सरकार को गिराने का प्रयत्न वरे।

२—अनुच्छेद ३६५ के अनुसार सध सरकार वे, सविधान के अन्तर्गत दिये गये आदेशों का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने के फलस्वरूप यह सकट-कालीन उद्घोषणा की जा सकती है कि राज्य सरकार का शासन तन सविग्रान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। अतः राज्य सरकार के लिए वेवल विग्रान सभा में बहुमत होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि सध सरकार द्वारा सविधान के अन्तर्गत दिये गये आदेशों का पालन भी करे।

३—संसदात्मक प्रणाली में इस परम्परा को मान्यता प्रदत्त की गई है हि यदि प्रवान मन्त्री या मुख्य मन्त्री को यह प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका सभा में उसे बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी आम जनता का खेल उसकी सरकार के प्रति द्विविधापूर्ण है, तो प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री आम चुनाव के माध्यम से जनता की इच्छा मालूम कर सकता है।

केरल में ३१ जुलाई १९५६ में, जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब सारे देश में इसके औचित्य के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के तक प्रस्तुत किये गये। साधारणतः केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने वी तीव्र आलोचना की गई। आलोचकों का कहना था कि केरल में राष्ट्रपति शासन राजनीतिक, न कि संवैधानिक, कारणों से लागू किया गया। डा० एम० पी० शर्मा का कहना है,—“ऐसी परिस्थितियों में आम चुनाव द्वारा जनता को अपील करने के जनताविक तन को परख कर देखा जा सकता है। इसके पूर्व कि राज्य के संवैधानिक तन को उपर तरीके द्वारा समाप्त किया जाये, संघीय अधिकारियों का जनता के प्रति यह वर्तन्य है कि उनको, आम चुनाव के दौरान अपने सार्वभौम जनताविक मतदान के अधिकार द्वारा, स्थिति को सुधारने के लिए अवसर प्रदत्त करें। यदि आम-चुनाव द्वारा भी स्थायी सरकार स्थापित करने में असफलता मिलती है, तो राष्ट्रपति द्वारा सकटकालीन शक्तियों के उपयोग करने का औचित्य अत्याधिक प्रबल हो जायेगा।”^१

इसी दृष्टिकोण से डा० एस० सी० डेश का कथन है—“मध्यावधि चुनाव जनता की इच्छा, चुनावों के मध्यकाल में, ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर रूपी यन्त्र के समान है, और इस्लैण्ड तथा भारत जैसे देशों में यह सरकार की वृत्ति सुधारने

१. एम० पी० शर्मा—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १२३।

के लिए, जो इन चुनावों से मतदातागण पर अपने प्रभाव को मालूम कर सकती है, उपर्युक्त अवरोध है।”^१

अनेक किसी राज्य में यह मालूम करने के लिए दि, वास्तव में, अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राज्य का सर्वेषानिक यत्र समाप्त हो चुका है या नहीं, उपर्युक्त सीन मुद्रों के मार्ग दर्शन में ही संघ तथा राज्य के अधिकारियों को अपने वार्य करना चाहिये।

तृतीय, संविधान के अनुच्छेद ३६० (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को, वित्त-संबंधी सङ्कट वालीन स्थिति के लिए, यदि वह सतुर्ज हो जाता है, तिएसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिति के स्थायित्व को खतरा है तो वह वित्तिय सङ्कट की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति दो महीने में प्राप्त होना आवश्यक है। यदि संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होनी है तो उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी। यदि इस दो महीने की अवधि के दौरान सोइसभा भग हो जाये तो राज्य सभा की स्वीकृति लेनी होगी, और उत्पन्नवात् नई लोकसभा के प्रबन्ध अधिकारेश्वर के तीस दिनों के मीठतर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिये, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी।

वित्त संबंधी उद्घोषणा के फलस्वरूप संघीय सरकार, राज्य सरकारों को आर्थिक निर्देश दे सकती है, जिनके अनुसार राज्य सरकारों को वित्तिय वित्तीय मूल सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। इन आर्थिक निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा राज्य सेवा के सारे या किसी भी वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेतन या भत्तों में कटौती भी जा सकती है। इन निर्देशों के अन्तर्गत राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित वित्त विवेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, सुरक्षित किया जाना आवश्यक है।

इस वित्तीय सङ्कटकालीन स्थिति के दौरान राष्ट्रपति को, संघ सेवाओं में वार्यरन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बेतन तथा भत्तों की कटौती के लिए निर्देश देने का अधिकार है। इन अधिकारियों में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सम्मिलित किया जायेगा। यह स्पष्ट है कि वित्तीय सङ्कट कालीन उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता नष्ट हो जाती है।

इलांड भ., मुड या आन्तरिक अशान्ति के समय, सङ्कटकालीन शक्तियाँ कार्य-पालिका वो मृदु द्वारा अधिकृत की जाती हैं। अमरीकी संविधान में लिखित है कि, किसी सङ्कटकालीन स्थिति का वर्णन नहीं है। तथापि मुद्र के समय आप:

१. एस० सी० देश, व कास्टोट्युशन आफ इण्डिया, १६६० पृ० १६८।

संघीय कार्यपालिका

कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सकटवालीन स्थिति का सामना करने के लिए विधि पारित कर, विशेषाधिकार प्रदत्त किये। अत. इन दोनों राष्ट्रों म सकटवालीन शक्तियों, के उपयोग करने के लिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा अधिकृत किया जाता है।

इंग्लैण्ड तथा अमरीका म नागरिक के मौलिक अधिकार पर सकटवालीन स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित रूप म देखा जा सकता है।

इंग्लैण्ड म संसद ने कायपालिका वो विभिन्न प्रबार की विधिया को पारित कर सकेहास्यद व्यक्तियों को हिरासत म लेने का अधिकार प्रदत्त किया है। उदाहरण के लिए डिफेन्स आफ रेल्म एक्ट १९१४ (Defence of Realm Act 1914) इमरजन्सी पावर डिफेन्स एक्ट १९३९ (Emergency Power Defence Act 1939) अत इंग्लैण्ड म नागरिकों के मूल अधिकारों के सदर्म म संसद को ही अतिम शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमरीका के संविधान के अनुच्छेद १ उपचन्द्र ६ (२) के अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, सिवाय आन्तरिक विद्रोह या बाहु आक्रमण की स्थिति म, स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस वो ही प्रदत्त है, और न्यायालयों वो यह निर्धारित करने का अधिकार है जि स्थिति कांग्रेस द्वारा इस अधिकार को उपयोग म लाने के अनुकूल है या नहीं है। अमरीकी संविधान म कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे राष्ट्रपति या कांग्रेस को युद्ध या अशान्ति म मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार प्रदत्त है।

भारत म सकटवालोंन उद्घोषणा करने का अधिकार संविधान द्वारा कार्यपालिका वो प्रदत्त है। इस सदर्म म, उद्घोषणा विना संसद वो प्रेपित किये दो माह तक वैध रहेगी जबकि इंग्लैण्ड तथा अमरीका म सकटवालीन स्थिति म व्यवस्थापिका वी भूमिका प्रत्यक्ष एव तत्काल है।

भारत म, अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत सकटकालीन उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद ३२ म प्रदत्त संवैधानिक उपचारा के अधिकार को अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत आदेश द्वारा स्थगित कर सकता है। इसी तरह आपत्तिकालीन उद्घोषणा अनुच्छेद ११ द्वारा प्रदत्त नागरिकों को विभिन्न सात स्वतंत्रताएँ स्थगित हो जाती हैं। संवैधानिक उपचारा के अधिकार को स्थगित करने के आदेश को संविधान के अनुसार राष्ट्रपति यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखेगा। इससे यह प्रतीत होता है जि संवैधानिक उपचारा के अधिकार को आपत्तिकालीन स्थिति म स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति वो जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, वे अन्तिम नहीं हैं। इस प्रकार वे आदेश वो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। परन्तु यहीं संविधान की एक युटि दृष्टिगोचर है। संविधान निर्भाताओं ने राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के आदेश को संसद के समक्ष किसी विशिष्ट अवधि मे-

रहने के बजाय राष्ट्रपति के निर्णय हेतु छोड़ दिया है कि वह आदेश को 'व्याचीप्र' ससद के समक्ष रखे।

इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, यदि उसकी ऐसी इच्छा है तो ससद को इस मामले से अवगत करने के अवसर को टालने के लिए प्रयत्न बर सकता है।

संक्षेप में, संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त राष्ट्रपति वी विभिन्न शक्तियों के उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसी समादनाएं दृष्टिगोचर होती हैं जिनके दुरुपयोग से सधीय कार्यपालिका निरकुञ्ज बनने का प्रयत्न बर सकती है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं —

१—सकटकालीन धोपणा विना ससद को प्रेषित किये दो माह तक बैंध रहेगी। ससद को दो माह तक सकटकालीन उद्धोषणा के सम्बन्ध म बार्यवाही करने से अलग रखा जा सकता है।

२—अनुच्छेद १६ के अनुसार सात स्वतन्त्रताएं सकटकालीन उद्धोषणा के फलस्वरूप स्थगित हो जायेगी। राष्ट्रपति नागरिकों के सर्वेतानिक उपचारों के अधिकार को भी, आदेश द्वारा स्थगित बर सकता है।

३—राज्यों के सर्वेतानिक तत्र के सबष्य में राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्ति वा अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत दुरुपयोग ऐसी स्थिति में भी समव है, जबकि राज्य सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। बेरल म १९५६ में राष्ट्रपति द्वारा सकटकालीन उद्धोषणा लागू करने के समय भी नमूद्रीपाद को बेरल विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था।

इन वृद्धियों का निवारण स्वम्य परम्परा, शक्तिशाली जनमत, तथा ससद में सुदृढ़ विरोधी दल (दलो) द्वारा किया जा सकता है। डा० पायली का कथन है, 'यह स्वामानिक है कि सकटकालीन दशा म कार्यपालिका अविभासितशाली हो जाती है। सरकार की यह प्रवृत्ति सधात्मक या एकात्मक प्रणाली में समस्त ससार में पाई जाती है। ससदात्मक प्रणाली जिन देशों में है, उनके अनुभव इस दात के दोतक हैं कि ससद सतके हैं और विरोधी दलों के सदस्यों के भाग्यम से बार्यपालिका को उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए बाध्य करती है। जबकि कार्यपालिका इसनी सीमाओं से बाहर जाने वा प्रयत्न करती है तब ससद उस पर प्रतिदब्द लगाती है। सकटकालीन स्थिति से सबधित प्रावधान ससद की भूमिका वा कन्त नहीं कर देते हैं। ससद को सर्वदा कार्यपालिका को सचेत करने का अधिकार है, यदि ससद को यह विदित होता है कि कार्यपालिका ने सीमा के बाहर जाकर अपनी शक्तियों की सकटकालीन विधियों को बार्यान्वित करने के प्रावधानों

का प्रयोग किया है तो वे (संसद) मनी मण्डल को पदच्युत तथा वर सबते हैं और उसके स्थान पर दूसरे मनी मण्डल को रख सकते हैं।”^१

भारतीय मनी परिषद और प्रधान मनी

भारत में संसदात्मक प्रणाली के अन्तर्गत संघीय कार्यपालिका वा दूसरा हिस्सा मनी मण्डल है, जिसका अध्यक्ष प्रधान मनी है। भारतीय मनी मण्डल वो उत्पत्ति संविधान के बहिर्भव विशिष्ट प्रावधाना पर आधारित है। इग्लैण्ड में, मनी मण्डल का उद्भव एवं समस्त कार्यप्रणाली अलिङ्गित परम्पराओं पर आधारित है। भारतीय संविधान वे अनुच्छेद ७४-७८ में मनी मण्डल के रागठन कार्यों तथा मूल दायित्वों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद ७४ वे अनुसार प्रधान मनी की अन्यक्षता में एक मनी मण्डल होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह तथा सहायता देगा।

अनुच्छेद ७५ (१) में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधान मनी की नियुक्ति करता है। अन्य मनियों की नियुक्ति प्रधान मनी की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति करेगा। इस अनुच्छेद के उपबन्ध २ के अनुसार मनियों वा कार्यवाल राष्ट्रपति वो इच्छापर्यन्त रहेगा। इस सदर्म में भारतीय संविधान वे अन्तर्गत सिद्धान्त एवं व्यवहार में मूल अन्तर पाया जाता है। संसदात्मक पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति वेवल उसी व्यक्ति को प्रधान मनी के पद पर नियुक्त कर सकता है, जिसके संसद के निचले सदन में वहुमत प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद ७५ (३) के अनुसार मनीमण्डल वा सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के निचले सदन वे प्रति है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त करने के कारण राष्ट्रपति वे पास इसके सिद्धाय कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि उसी व्यक्ति को प्रधान मनी के पद पर नियुक्त किया जाय, जिसको संसद के निचले सदन (लोकसभा) में वहुमत प्राप्त है, अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान मनी नियुक्त करने से राष्ट्रपति द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अवश्य उल्लंघन होगा और राष्ट्रपति पर संविधान वे उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है। अतएव, राष्ट्रपति को प्रधान मनी नियुक्त करने वा अधिकार तो है, विन्तु इस अधिकार का उपयोग संसदात्मक पद्धति के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही किया जाना चाहिये। इसी प्रकार संविधान वे अनुसार मनियों का कार्यवाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है किन्तु जब तक मनी परिषद को लोकसभा में वहुमत है, राष्ट्रपति उनको संबोधनिक रूप से पदच्युत नहीं कर सकेगा।

१. एम० यो० पापली—‘इंडियान कान्स्टीट्युशन’ १६६२, पृ० ३०८।

हथापि कठिनम पर्तिव्यविद्यों ने राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री की नियुक्ति के लिए अपनी स्वेच्छा को उत्तोष में लाने का अवसर मिल जाता है। सर्वश्रम, यदि सोहनना ने किनीं एवं राजनीतिक दल को स्वाइ दृष्टिप्राप्त न हो, राष्ट्रपति दल व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद को प्रहृण करने के लिए आमतित कर सकता है, जिसको दृष्टिप्राप्त पर आवारित एवं सदुकृत मंत्रीमन्त्र निर्माण करने की जगता प्राप्त हो गई है, परन्तु यहीं राष्ट्रपति की स्वेच्छा नीमित है, क्योंकि सदुकृत मंत्री-मानन का निर्माण विनिन राजनीतिक दलों की इच्छा पर है, न की राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्माण करता है।

यदि सोहनना न दृष्टिप्राप्त दल का नेता अपना लाय पत्र दे देता है और यदि दल ने नेटून्ड के लिए उपर्युक्त है, या दल ने नेटून्ड के सबप में किसी एवं व्यक्ति का नाम निश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी व्यिति ने राष्ट्रपति घनने विवेच का उत्तोष कर सकता। नात्तवर्ष ने उत्तर्युक्त दोनों शक्ति की एटिलियतिकी अन्तर्वक्तव्य नहीं हूँदे हैं।

मतिदों की नियुक्ति उथा मंत्री परिषद के बड़न के लिए नी अनुस्तिति मह है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के परामर्श का पापन करने के लिए बाह्य है। इन मुद्दों के नवाय न सुन्दर लिये एवं कानूनी संघ यह है कि य साथी शक्तियाँ राष्ट्रपति में विहित हैं, परन्तु राजनीतिक एवं आदानप्रदान संघ यह है कि यदि प्रधान-मंत्री की लोकना न दृष्टिप्राप्त है, तो ये अतिरिक्त वान्नव म प्रधान मंत्री के ही हैं।

मतिदों के नवाय ने भवित्वन के कठिन अनुद्देश और हैं, जिन्हों ध्यान में रखता आवश्यक है। अनुच्छेद ३५ (४) के अनुनार नवीं वा पद घटा करने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा उत्ते प्रति पद के कानूनों को निष्ठापूर्वक एवं गोपनीयता से करन वी गति दिलाई जानी। इनी अनुच्छेद के उत्तर्वक्तव्य (५) के अनुनार यदि कोई मंत्री ६ माह तक नानार नवाय के किनीं नी सदन वा सदस्य नहीं रहता है, तो उत्ते पदस्थुत किया जा सकता। अन्त ने अनुच्छेद ३५ (६) के अनुनार मतिदों के वेतन वथा नने सुनानुभार सहित उत्ते विवि द्वारा निर्वाचित किये जानें और यदि उत्ते सदृश इन्हें निर्वाचित न कोई इन्हों सवित्वान वी दूसरी अनुभूतों न दम्भियति रूप से दिया जायेता।

उत्तर्युक्त नदनों ने इन वात का सकेत दिया जा सकता है कि नारतोय मंत्री-परोपाद की कानून प्रयत्नों का मूल निदान—सान्तुष्टि उत्तरदातित का निदान है। इन निदान के प्रयुक्ति वर्तने तोक्तना के समझ करने सम्मु कानों के लिए सान्तुष्टि एवं उत्तरदाती है। भवित्वन निर्वाचितों ने इच्छा निदान का स्पष्ट रूप अनुच्छेद ३५ (३) में वक्तु करते हुए इच्छा नारतोय उत्तरीय वहति की

आधार शिला माना है। प्रो० श्रीनिवासन वा कहना है—“परम्परानुसार सखार के प्रस्तुत में जिसकी स्थापना सविषयान द्वारा की गई है, राष्ट्रपति की इच्छा को सम्मान तथा मतदातागण की इच्छा—पे अनुसार उपयोग में लाना होगा।”^१

संघीय मंत्री परिषद का समाचार : मंत्रीमण्डल एवं मंत्री परिषद (केवीनेट व मिनिस्ट्री)

इलैण्ड में मंत्रीमण्डल तथा मंत्री परिषद में अन्तर है। मंत्रो परिषद एक वृहत् सम्मिलित समिति है जिसमें लगभग १०० सदस्य होते हैं। इसमें मंत्रीमण्डल के सदस्य, अन्यमंत्री, संसदीय सचिव एवं घबर सचिव सम्मिलित हैं। भारत में भी मंत्रीमण्डल तथा मंत्री परिषद में अन्तर है। भारतीय मंत्री-परिषद में भी समस्त मंत्री गण तथा संसदीय सचिव होते हैं, जबकि मंत्रीमण्डल में वैयक्ति केवीनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। भारतीय मंत्री परिषद में चार प्रकार के स्तरों के मंत्रियों को मान्यता दी गई है।

सर्वप्रथम, केवीनेट स्तर के मंत्री हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के अध्यक्ष हैं। इन केवीनेट स्तर के मंत्रियों द्वारा मंत्रीमण्डल (केवीनेट) वा निर्माण होता है। ये मंत्रीमण्डल की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। इनको २,२५० रुपये प्रतिमाह वेतन और ५०० रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलता है। इनके साथ, इनको अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

द्विनीय, वर्तिपय राज्य-स्तर के मंत्री हैं, जो निसी न निसी विभाग या उपविभाग के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इनका स्तर केवीनेट स्तर के मंत्रियों से निम्न है। सामान्यतः ये मंत्रीमण्डल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होते हैं, जब तब कि उनको विशेष आमत्रण न दिया गया हो। ये सासद के प्रति उत्तरदायी हैं। इनको केवीनेट स्तर के मंत्रियों के सदृश २,२५० रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है; परन्तु इनको कोई भत्ता प्राप्त नहीं है।

तृतीय, वर्तिपय मंत्री उपमंत्री-स्तर के होते हैं। इनका कार्य मंत्रालय के कार्यों में सहयोग या सहायता पहुँचाना होता है। इनको प्रतिमाह १,७५० रुपये वेतन मिलता है।

चतुर्थ, उपमंत्रियों से नीचे संसदीय सचिव होते हैं। उपमंत्री एवं संसदीय सचिव विभी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं विभी इनका कार्य मंत्रियों को, जिनमें वे संबधित हैं, प्रशासनीय एवं संसदीय कार्यों में सहायता पहुँचाना है। ये मंत्रीमण्डल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होते हैं।

१. श्री एन० श्रीनिवासन—‘पूर्वोक्त पुस्तक’, पृ० २१८।

विभिन्न स्तरों के मत्रियों के बेतन तथा भत्तों का निर्धारण ससद द्वारा पारित मत्रियों के बेतन एवं भत्ते का अधिनियम १९५२ (सेलेरीज) एण्ड अलाउन्सेज आफ मिनिस्टरस् एकट १९५२) द्वारा विया गया है।

भक्ति परिषद अपने अस्तित्व को लोक सभा के बहुमत समर्थन पर ही बनाये रख सकती है, और इस तरह अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए लोकसभा के प्रति वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी।

मत्री परिषद की वास्तविक कार्यपालिका के रूप में सर्वधानिक स्थिति इस थात से और दृढ़ हो जाती है कि इसके सदस्य ससद सदस्य भी होंगे और प्रत्यक्ष रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह देखा जा चुका है, कि प्रधान मंत्री तथा अन्य मत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, परन्तु इन अधिकारों का उपयोग राष्ट्रपति स्वेच्छापूर्वक नहीं बर सकता है। सरकार के कार्यों तथा नीतियों के लिए, प्रत्यक्ष एवं प्रायमिक उत्तरदायित्व मत्री परिषद वा है। अत मत्री परिषद के कार्यों एवं शक्तियों का अध्ययन इसी प्रस्तुति में बरना बाध्यनीय ही नहीं, अपितु आवश्यक भी है। इस दृष्टिकोण से भारतीय मत्री परिषद तथा त्रिटिश मत्री मण्डल में कोई अन्तर नहीं है।

इन्हें म, १९१८ मे हालडेन समिति (त्रिटिश सरकार दे तन पर नियुक्त समिति) ने अपना प्रतिवेदन त्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया, जिसमे त्रिटिश मत्रिमण्डल के कार्यों एवं शक्तियों का विश्लेषण किया गया है। यह इहने मे कोई अनिष्टयोंका नहीं होगी कि भारतीय संविधान दे अन्तर्गत मधीय मत्री परिषद के कार्य तथा शक्तियाँ, त्रिटिश मत्रीमण्डल के हालडेन समिति द्वारा उल्लेखित कार्यों तथा शक्तियों के सदृश हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(क) राष्ट्रीय नीतियों का अन्तिम रूप निर्धारण करना, जिसके पश्चात् ससद वे समझ इन्हे रखा जा सके। ससदात्मक पद्धति मे इस विषय के सबवध मे कोई थो मत नहीं हो सकते, कि किसी राष्ट्रीय विषय के सबवध मे, राष्ट्रीय प्रगति तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से नीति के निर्धारण का उत्तरदायित्व मत्री परिषद वा ही होता है। सामारणतथा, किसी राष्ट्रीय उद्देश्य की उपलब्धि के लिए मत्री मण्डल द्वारा नीति का निर्माण होता है, तत्पश्चात् ससद की स्वीकृति के लिए, उनक नीति वो उसके समक्ष रखा जाना चाहिये, विशेष बर जब उनक नीति वो कार्यान्वित करने के लिए ससद द्वारा विधि निर्माण करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब राज्य के पुनर्गठन आवश्यक द्वारा प्रस्तुत सुभावों का सधीय मत्री परिषद ने एक नीति के रूप म स्वीकृत कर लिया कि भारतीय संघ दे राज्यों का पुनर्गठन एक नये आधार पर हो, तो इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य पुनर्गठन विधेयक ससद के समक्ष रखा गया जिसके फलस्वरूप १९५६ मे ससद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून

निमित किया गया। और इसी कानून के आधार पर राज्यों का एक नये आधार पर पुनर्गठन किया गया। अनः प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए विधि-निर्माण बरने की आवश्यकता होती है। मनो-परिपद सरकार के क्षेत्र में वह कड़ी है जो प्रशासन को तथा सम्बद्ध को जोड़नी है, अत राष्ट्रीय नीति निर्माण को विधि द्वारा सामूहिक बदलाव करने में मनो-परिपद कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में सहयोग और समन्वय स्थापित करती है। इस दृष्टिकोण से मनो-परिपद नवा सम्बद्ध एक दूसरे पर क्रियात्मक एवं प्रक्रियात्मक प्रभाव डालत है। मनो-परिपद सम्बद्ध में प्राप्त दृढ़ता के आधार पर सम्बद्ध को कार्यवाही को निर्धारित उद्देश्य की दिशा में राष्ट्रीय नीति को स्वीकृत करने के लिए प्रयाम करती है सम्बद्ध जनता की प्रतिनिधि सम्बद्ध हानि के नाते, मनो-परिपद के कार्यों एवं नीतियों पर आवश्यक नियन्त्रण रखनी है। इस तरह मनो-परिपद एवं सम्बद्ध के सम्बद्धों का जनतानिक सन्तुलन, परम्परा अवरोधों के आधार पर स्थापित किया जाता है। सम्बद्धात्मक पद्धति में इन अवरोधों का दैर्घ्य रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

सम्बद्ध के अधिकारियों के दोरान साधारणता प्रतिदिन, प्रश्न, व्याप्ति प्रश्न आदि रखकर कार्यपालिका (मनो-परिपद) पर प्रतिदिन का अवरोध लगाया जा सकता है।

सम्बद्धीय प्रणाली में कार्यपालिका पर मूल अवरोध या भास्तुनि अवरोध मतदातागण द्वारा सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्, आम चुनावों के समय उपयोग में लाया जा सकता है, जब मतदाताओं को सरकार के कार्यों एवं नीतियों का परीक्षण करने का परोक्ष अधिकार प्राप्त होता है। यदि मतदातागण अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं, तो सरकार पर जनतानिक व्यवस्था में इसमें अधिक महत्वपूर्ण जनतानिक अवरोध प्राप्त होना कठिन होगा। आम चुनाव के समय मतदातागण न केवल सम्बद्ध के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, परन्तु पिछली मनो-परिपद (सरकार) के कार्यों तथा नीतियों का मूल्यांकन करते हुए यह निर्धारित करते हैं कि पिछली मनो-परिपद को पुनः सत्ता की बागड़ोर सीधी जायेगा या नहीं।

(ख) भारतीय मतदातागण पद्धति में मनो-परिपद का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार एवं प्रशासन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखना है, जिसमें मनो-परिपद द्वारा त्रिसित्र और सुलझ द्वारा लमर्शित नीतियों का कहीं सालन हो जाए। प्रत्येक मनो-परिपद एक विभागाध्यक्ष है तो विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। प्रत्येक मनो-परिपद, पर वास्तव में अपने विभाग सम्बन्धी उन नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है, जिनका सम्बूद्ध मनो-परिपद का समर्थन प्राप्त हो गया है। वस्तुतः मनो-परिपद का सरकार एवं प्रशासन के सारे क्षेत्र में सार्वभौम एवं विस्तृत नियन्त्रण रहता है। नि सदैह अपने जक्तियों एवं अधिकारों

का उपयोग प्रत्यक्ष मन्त्री सम्मूर्णं मन्त्री परिषद के निर्देशन में ही करेगा। विसी मी मन्त्री द्वारा इस सिद्धान्त के उल्लङ्घन के परिणाम स्वरूप संसदीय पद्धति के आधार-भूत दलीय प्रणाली के कठोर अनुशासन के सिद्धान्त पर आधार पहुँच सकता है और उससे सबधित मन्त्री को अपने पद पर से स्तीका देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

(ग) मन्त्री परिषद का तृनीय कार्य प्रशासन के विभिन्न विभागों की क्रियाओं म समन्वय स्थापित करते हुए, इन क्रियाओं को सीमांग्रों का निर्धारण करना है। मन्त्री परिषद की यह भूमिका, उसको वास्तविक राष्ट्रीय कार्यपालिका होने के नाते प्राप्त है। यह सत्य है कि प्रशासन के विभिन्न विभाग पृथक् इकाइयों के रूप में रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, न ही इनको प्रशासन की पृथक् या स्वतंत्र इकाई माना जा सकता है। अनिवार्यत सरकार के विभिन्न विभागों म पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है, अन्यथा प्रशासन के विस्तरने का ढर हो सकता है। प्रशासन एवं सम्मूर्ण इकाई है, और इसकी सफलता का दायित्व विभिन्न विभागों के पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि कठिपय परिस्थितियों म दो या दो से अधिक विभागों के असहयोग के कारण राष्ट्रीय हित को हानि पहुँचने की समावना होती है तो सम्मूर्ण मन्त्री परिषद की बैठक में सबधित विभागों के मतभेदों को दूर किया जा सकता है। इसलिए साधारणतया प्रशासन के निरीक्षण, निर्देशन, एवं नियन्त्रण के कार्य मन्त्री परिषद म ही निर्हित हैं।

उपर्युक्त सीन प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त मन्त्री परिषद वे एक अन्य कार्य पर प्रकाश डालना उचित होगा।

(घ) राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को सही रूप से सचालित करने का उत्तरदायित्व मन्त्री परिषद वा है। अन मन्त्री-परिषद, विशेषकर वित्त मन्त्री का नियन्त्रण, राष्ट्र की वित्त व्यवस्था पर होना न केवल स्वामानिक है, परन्तु आवश्यक भी है। वित्त मन्त्री प्रति वर्ष वार्षिक बजट तैयार करता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का विवरण होता है। जब बजट समिति के समझ उपस्थित है, तब मन्त्री परिषद उसमें परिवर्तन करने की माग कर सकती है। बजट पारित होने के पश्चात् इसका क्रियान्वय एवं समस्त वित्त व्यवस्था का सचालन मन्त्री मण्डल करता है। अत वित्त का नियन्त्रक मन्त्री मण्डल होता है।

मन्त्रियों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व

संसदात्मक पद्धति वा मूल आधार मन्त्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है। यास्तव में मन्त्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त उस जनतात्रिक यत्र के सदृश है, जो एक ओर तो संसद तथा मन्त्री मण्डल में और दूसरी ओर राष्ट्रपति तथा मन्त्री

संघीय कार्यपालिका

परिषद में संसदात्मक प्रणाली के अनुकूल आवश्यक संतुलन स्थापित करता है। यह स्पष्ट है कि संसदात्मक पद्धति में कोई संवैधानिक अवरोध इतना प्रभावशाली एवं व्यापक नहीं है, जितना कि मनियों का उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त है क्योंकि एक जनीर के रूप में इस सिद्धान्त द्वारा, संसदीय जनतात्त्विक प्रणाली वे चार स्तम्भा-राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री परिषद, संसद एवं मतदातागण वो पारस्परिक जनतात्त्विक सम्बन्धों से जोड़ा जाता है। संसदात्मक पद्धति में मनियों के निम्नलिखित चार विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व हैं।

तकनीकी या औपचारिक उत्तरदायित्व

औपचारिक रूप से, संसदात्मक पद्धति में प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के प्रति होता है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली में सम्माट के अधिकारों पर प्रकाश ढालते हुए, बाल्टर वेजहाट ने वहा या कि सम्माट के सरकार के सबथ में केवल तीन प्रकार के अधिकार हैं, (क) परामर्श देने वा अधिकार, (ख) प्रोत्साहित करने का अधिकार, और (ग) चेतावनी देने वा अधिकार।

सरकार के सबथ में ब्रिटिश सम्माट के कोई निर्देशक कार्य नहीं है, परन्तु इसके बावजूद भी, मनियों का उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से सम्माट के प्रति होता है। ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सम्माट साम्राज्ञी की सरकार कहते हैं। ब्रिटिश सरकार (मंत्री परिषद) अपने पद पर सम्माट या साम्राज्ञी के प्रसाद-पर्यन्त रहते हैं। इसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद ७५ (२) के अनुसार मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त तब ही रहेंगे। परन्तु संसदात्मक प्रणाली में, सरकार तथा शासन के क्षेत्रों में राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिनाम से तात्पर्य है, संसद की इच्छा। अनेक मनियों का उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के प्रति केवल औपचारिक ही है। औपचारिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिविम्ब भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७८ (अ) के अनुसार प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को मंत्री-परिषद के सारे निष्णयों, जो संघ के मामलों के प्रशासन एवं विधि-निर्माण प्रस्तावों के सबथ में हैं, अवगत कराये यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है। इसी अनुच्छेद के उपबन्ध (व) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है, तो प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को संघ मामलों के प्रशासन एवं विधि संबंधी प्रस्तावों पर सूचना दें। इसी अनुच्छेद के उपबन्ध (स) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है तो प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि किसी ऐसे मामले को, जिस पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, परन्तु जिस पर मंत्री परिषद ने विचार विमर्श नहीं किया है, मंत्री परिषद के विचारार्थ रखे। नि सदेह, अनुच्छेद ७८ उपबन्ध (अ) (व) एवं (स) में संसदात्मक पद्धति की कठिनपय भूल परम्पराओं को समावेशित किया गया है, जिनके माध्यम से, ब्रिटिश सम्माट के सदृश भारतीय

राष्ट्रपति का सरकार के सबव में परामर्श देने, प्रोत्साहित बरने तथा चेतावनी देने के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों के आधार पर राष्ट्रपति सरकार के परामर्शदाता, मिन, आलोचक एवं दार्शनिक वे हप में अपनी भूमिका निभा सकता है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

इन्हें के सज्जात्मक प्रणाली में, मनिया के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की उत्पत्ति मनी मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पूर्व हुई है। प्रो० डायमी के अनुसार व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के दो श्रेणी हैं। प्रथम श्रेणी यह है कि कानून की दृष्टि से सम्भाट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होना, जिससे यह तात्पर्य है कि सम्भाट द्वारा कार्यपालिक से सवित विषे यथे कार्यों के लिए सम्भाट के हस्ताक्षर के साथ किसी मनी के हस्ताक्षर वा होना आवश्यक है।

द्वितीय श्रेणी यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मनी वा उत्तरदायित्व द्विटिश मसद के निचल सदन, कामस सभा, के प्रति है। फलस्वरूप यदि कामन्त्र सभा किसी मनी के प्रति अविश्वास व्यक्त करे तो मनी घपने पद से स्तीपा देगा।

भारत के सविधान में, मनियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए कोई आधार-भूत लिखित प्रावधान नहीं है। भारत के अर्द्ध विकसित देश होने के नाते यह उत्तम होना, यदि सविधान के निर्माता इस विषय पर सविधान में विशिष्ट हप से प्रावधान रखते। व्यक्तिगत हप से मनियों पर यह एक महत्वपूर्ण सवैधानिक अदरोच होना। चूंकि इस विषय पर सविधान में लिखित प्रावधान नहीं है, इस कारण यह उचित होगा कि इस विषय के सम्बन्ध में एक स्वस्य परम्परा विकसित हो। परन्तु भारत की राजनीतिक प्रणाली में पिछले बुद्ध वर्षों में, विषय उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस विषय पर अत्यन्त ही कम विचार किया गया है। यह सत्य है कि आचुनिक समय में, सरकार की क्रियाओं की जटिलता एवं व्यापकता के कारण प्रत्येक मनी के निर्णय के लिए अन्तिमिभागीय, विचार-विमर्श आवश्यक है। इस दृष्टि से मनी के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रश्न को इस आधार पर जीचना चाहिये कि किस सीमा तक मनी स्वयं दोषी है। यदि मनी का व्यक्तिगत दोष ससद में स्पष्ट हो जाता है तो उसे स्तीपा देने में कोई सकोच नहीं होना चाहिये। इन्हें भ म पिछले बुद्ध वर्षों म व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर मनियों ने व्यक्तिगत भूल, जैसे बजट प्रस्तुत होने के पूर्व बजट सवधी बानों को प्रकट बरना, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या सरकार की खुली आलोचना के कारण स्तीपे दिये। सर सेम्युल होबरने, १९३५ के होमर-लवाल समझौते में भूल होने के कारण अपना पद त्याग दिया, क्योंकि वे उस समय विदेश मनी थे

संघीय कार्यपालिका।

और उन्होंने फ्रान्स के प्रधान मंत्री लवाल के साथ इटली-इथापिया के युद्ध के दोरान, यह गोपनीय समझौता किया जिसे युद्ध का अन्त बरने के लिए आधा इथापिया इटली को दे दिया जाय।

श्री हयु डार्टन ने जो वित्त मंत्री थे, वजट प्रस्तुत बरन के पूर्व, १९४६ में वजट सबधी कुद्द बातों के प्रबट हो जाने के बारण अपना स्तीका दिया। इसी तरह युद्ध मंत्री जान प्राक्षयमा का, बीलर बाण्ड के प्रसग में १९६३ में अपना स्तीका दिया पड़ा।

भारत में भी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के दृष्टिकाण से वित्तप्रधान ने अपना पद स्वयं त्यागने राजनीतिक नीतिका, एवं परिपक्वता का परिचय दिया। श्री लालबहादुर शास्त्री ने एक रेल दुघटना हानि के तुरंत बाद रेल मंत्री से त्याग पत्र दे दिया। श्री चागला न, सररार बी माया सबधी नीति पर मतभेद हानि से, शिक्षा मंत्री का पद त्याग दिया। भारतीय मनिया द्वारा व्यक्तिगत भूल के बारण अपना पद त्याग करने के मामले त्रिभुवन परम्परा बी तुलना में अपवाद है, न कि परम्परागत व्यवहार के बातर है। कइ मामलों में मंत्री भूल प्रबट होन पर भी अपन पद पर बिना सकोच के दृढ़ बन रहे। डा० के० बी० राव वा कथन है—‘वे कई व्यक्तिगत नूलें, जिनके परिणाम स्वरूप इग्लैण्ड में निश्चय ही मनिया न व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर त्याग पत्र दिय, भारत में दग्ध दी जाती है, जब प्रधान मंत्री (मसद म) खड़े होकर घापणा करता है जिस बह सारी जिम्मदारी अपने बधा पर लेता है। जिसका तात्पर्य यह होता है कि प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उसके बहुमत दल की शक्ति का पूर्ण उपयोग उस विषय पर आगे विचार विमर्श को राखने के लिए किया जायेगा। हम यह महसूस करते हैं कि संविधान निर्माताओं ने फ्रान्स के चौथे गणतन्त्र के सदृश, यदि संविधान भव्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को समावेशित किया होता, तो यह उपयुक्त होता।’^१

पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

मंत्री परिषद एक इकाई होती है अतः, मनियों में पारस्परिक एकता तथा समर्थन अनिवार्य है। बास्तव में मंत्री-परिषद का अस्तित्व तब ही बना रह सकता है, जब मंत्री गण पारस्परिक सबधी के इस सिद्धान्त के अनुकूल अपना आचरण रखें कि या तो हम सब साय-साय ही तैरेंगे या सब साय ही ढूँढ़ जायेंगे। मंत्री-परिषद के सदस्यों में एकता और सहयोग ही उसकी दृढ़ता तथा स्थायित्व का

१. के० बी० राव—‘पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ७०-७१।

आचार है। सम्पूर्ण मन्त्री-परिषद को एक संयुक्त मोर्चे के रूप में कार्य करना आवश्यक है, अन्यथा पारस्परिक फूट होने से मन्त्री-परिषद द्विखर सकती है। पारस्परिक उत्तरदायित्व की मानना से मन्त्री-परिषद के आन्तरिक संगठन में एक रूपता एवं एकता स्थापित होती है, जो राजनीतिक भव पर विरोधी दलों के सामना करने के लिए अति-आवश्यक है।

सामूहिक उत्तरदायित्व

मन्त्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से यह अभिप्राय है कि संसदात्मक पद्धति में मन्त्री-परिषद एक इकाई के रूप में अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा और अप्रत्यक्ष या अतिम रूप से संसदातागण के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर ही संसद में, मन्त्री-परिषद के कार्यों का लेखा-जोखा लिया जाता है, जो सत्तारूप दल पर एक महत्वपूर्ण अनतानिक अवरोध है। इसी प्रकार, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर प्रति पांचवें वर्ष (या इसके पूर्व) अपने चुनाव के दौरान, संसदातागण को भी मन्त्री परिषद (सरकार) के कार्यों का लेखा-जोखा लेने का अवसर प्राप्त होता है। यह संसदात्मक पद्धति में कार्यपालिका पर सामयिक अवरोध के सदृश है। पूर्व में, भारत के संविधान में अनुच्छेद ७५ (३) के अन्तर्गत मन्त्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है। दिटिश संविधान में इस सिद्धान्त को एक संवैधानिक परम्परा के रूप में मान्यता दी गई है। सधेय में, इस सिद्धान्त से यह तात्पर्य है कि मन्त्री परिषद के स्थायित्व के लिए उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त रहना आवश्यक है और मन्त्री परिषद के प्रति लोक सभा के विश्वास को अभिव्यक्ति बहुमत द्वारा उस सदन में होनी है।

यहीं यह जात करना उपर्युक्त होगा कि जिन साधनों द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को लागू किया जाता है। डॉ अम्बेदकर ने इस सदर्शन में संविधान सभा में वहाँ था—‘वेदवा प्रधान मन्त्री के अनुमोदन के माध्यम से ही सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को वार्यान्वित किया जा सकता है। मेरे विचार में, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को दो सिद्धान्तों वे लागू करने से ही वार्यान्वित किया जा सकता है। एक तो यह कि किसी भी व्यक्ति को, जिना प्रधान मन्त्री की सलाह के मन्त्री-परिषद पर मनोनीत न किया जाये। दूसरा सिद्धान्त यह कि किसी भी व्यक्ति को मन्त्री-परिषद के सदस्य के रूप में न रखा जाये, यदि प्रधान मन्त्री वहता है कि उसे पदच्युत कर देना चाहिये। उन परिस्थितियों में ही जब मन्त्री-परिषद के सदस्यों को उनकी नियुक्ति तथा उन्हें

पदन्धुत करने के दोस्रे मामनो में प्रधान मंत्री वो नियन्त्रण में रखा गया है, हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व के आदर्श वो प्राप्त तिथा जा सकता है।^१

इसी मुद्दे पर प्रधान ढानते हुए डॉ पापली वा महना है— इस तरह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात का द्विया वय मन्त्रियों वो उनकी नियुक्ति और पदन्धुत के सबर में प्रधान मंत्री के नियन्त्रण में रखने के द्वारा ही समव हुआ है।^२ सराद वी वाय प्रणाली के तिथम १६२० (दि रूल्स आप प्रोसेजर एण्ड बन्डकट आफ विजनेसेज) के अनुसार मंत्री मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात की पुष्टि बरते हुए यह उल्लेख दिया गया है कि पूरी मंत्री-परिषद के विरुद्ध अविश्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है।

भारत में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात के सबध में पुछ वाधाएँ हैं। भारत की अधिकारा जनता अपढ़ है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं दी ससदात्मक प्रणाली के मूल सिद्धान्तों सबधी अनमिङ्गता के पन्न स्वरूप कदाचित सराद में राजनीतिक सन्तुता सही रूप से रह पाये। उदाहरण स्वरूप ऐसी स्थिति सराद में उत्पन्न हो सकती है जब विसी एक ही दन को इतना भारी बहुमत सराद में प्राप्त हो कि प्रतिपक्ष के दनों की स्थिति नाममात्र की रह जाये। भारतीय राजनीति में ७० नेहरू के समय में १६५० से १६६४ तक देखा गया कि वाप्रेश वे बहुमत के बारण सराद में दलीय स्थिति एवं तरक की असतुलन अवस्था में रही। १६७१ मार्च में हुए थाम चुनाव में पुन वाप्रेश को श्रीमती माधी के नवृत्य में लोक सभा में अत्यधिक बहुमत प्राप्त हो गया। स्वस्थ ससदात्मक पद्धति के अनुसार सराद में राजनीतिक दलों की स्थिति में सन्तुतन होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि राजनीतिक दलों की सख्ती तीन से अधिक न हो। यहां पर मतदाताओं के दायित्वों के महत्व का आमाश मिनता है क्योंकि यदि वे अपने मत का उपयोग इस तरह करें, जिससे ति स्थानीय, अप्रजातात्त्व, राष्ट्र-विरोधी वातों तथा धार्मिक अन्य विश्वासों में डूबे रहने वाले राजनीतिक दलों की अवेक्षा राष्ट्रीय, धर्म निरवेद तथा जनतात्त्विक सिद्धाता में रिश्वास करने वाले राजनीतिक दलों को ही उनके मत प्राप्त हो तब ही स्वस्थ प्रजातात्त्व का विवास हो सकता है। सराद में यदि वेवन दो या तीन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं और सत्ताधारी दल का बहुमत इतना अधिक नहीं है कि प्रतिपक्ष दल या स्वस्थ आकाशाश्रा वो रोंद सके, ऐसी

^१ डॉ पापली अन्वेदकर—कास्टीट्युशन, असेम्बली हिवेट्स भाग ४ पृ० ११५८-६०।

^२ एम० डॉ० पापली—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १७६।

स्थिति में मंत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का सही रूप से उपयोग होगा। और सरकार अपने कायदे तथा नीतियों के लिए संसद के प्रति सजग और जागरूक रहेगी। परन्तु मार्च १९७१ में सम्पन्न हुए आम चुनाव के परिणामस्वरूप श्रीमती गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (नई) को पुनर ५० नेहरू के जमाने की ठोस तथा अगाध बहुमत लोक सभा में प्राप्त हुआ है, जबकि प्रतिपक्ष दलों को जिनकी अधिक सश्या होने के कारण प्रत्येक दल को कांग्रेस की तुलना में केवल नाममात्र के स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए हैं। प्रतिपक्ष के आपस में अनेक दलों में विभाजित होने के कारण, भारतीय राजनीति की सदसे बड़ी भूमि आज भी एक स्वत्य एवं दृढ़ प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति है। यह विदित रहे कि एक स्वत्य एवं दृढ़ प्रतिपक्ष द्वारा ही, संसदात्मक पद्धति में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन कराया जा सकता है।

संक्षेप में उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के व्यावहारिक उपयोग के लिए निम्नलिखित दो आवश्यकताएँ हैं —

सर्वप्रथम, मंत्री परिषद के निर्माण तथा विषट्टन के अधिकार प्रधान मंत्री में ही निहित हो। प्रधान मंत्री की इच्छानुसार ही अन्य मंत्री की नियुक्ति तथा पदच्युति की जाय।

द्वितीय, सरकार को जागरूक तथा सजग रखने के लिए, जिससे सामूहिक रूप से वह अपने दायित्वों को निभा सके, संसद में एक ठोस तथा सुदृढ़ प्रतिपक्ष विरोधी दल हो, जिसकी अनुपस्थिति में सरकार लापरवाह, अक्षम तथा निरकुश न बन सकेगी।

प्रधान मंत्री एवं मंत्री परिषद

भारतीय संसदात्मक प्रणाली में, इंग्लैण्ड के समान प्रधान मंत्री का अत्यधिक महत्व है। दोनों देशों में प्रधान मंत्री की सर्वेधानिक स्थिति तथा शक्तियों में समानता पाई जाती है, परन्तु उल्लति के दृष्टिकोण से दोनों में कुछ अन्तर है। ड्रिटेन के प्रधान मंत्री के पद की उत्पत्ति, ड्रिटेन सर्वेधानिक इतिहास की एक रोचकपूर्ण घटना पर आधारित है। सन् १७१४ में सामाजी ऐन की भूम्य के पश्चात् इंग्लैण्ड की राज गद्दी हेनोवर के राजकुमार जार्ज को प्राप्त हुई। जार्ज, अप्रेजी मापा, रीति रिवाज एवं राजनीतिक परम्पराओं से अनभिज्ञ थे। सामाजी ऐन के समय तक मंत्रीमण्डल की अध्यक्षता संभाल या सामाजी द्वारा होती थी। परन्तु जार्ज की अनभिज्ञता के कारण, सबसे वरिष्ठ मंत्री को अध्यक्ष मानने की परम्परा स्थापित हुई। अतएव जार्ज प्रथम के समय रावर्ट वालपोल इंग्लैण्ड के प्रथम प्रधान मंत्री, अपनी वरिष्ठता के कारण बने। वास्तव में प्रधान मंत्री पद का उल्लेख

संघीय कार्यपालिका

ब्रिटिश संविधान में लिखित रूप से कही गी नहीं है। न ही १६०५ तक इस पद का उल्लेख किसी कानून में पाया जाता है। १६०५ में प्रायमिकता क्रम को निर्धारित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया, उसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री को पौचवाँ स्थान दिया गया। यह प्रथम कानून या जिसमें प्रधान मंत्री के पद को सर्वप्रथम लिखित रूप से मान्यता प्रदत्त की गई। वेतन निर्धारण के दृष्टिकोण से ब्रिटिश संसद ने क्राउन के मंत्रियों संबंधी अधिनियम १६३७ में प्रधान मंत्री पद का उल्लेख करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि प्रधान मंत्री का वेतन १०,००० पौण्ड प्रति वर्ष होगा।

अतः इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री के पद का आधार ब्रिटिश संविधान की एक परम्परा के रूप में है। जिसके आधार पर बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्ति किया जाता है।

भारतवर्ष में प्रधान मंत्री के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ७४ (१) में पाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता का दायित्व प्रधान मंत्री १ में निहित किया गया है।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, जैसा देखा जा चुका है, प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परन्तु सावारणतया राष्ट्रपति का यह अधिकार नगण्य है, वयोंकि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के पद के लिए उसी व्यक्ति को आमंत्रित करेगा जिसको संसद में बहुमत दल का नेता माना गया हो; प्रयत्न, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के वरिष्ठ नेता को ही उसे प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त करना होगा।

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के तुल्य, भारत के प्रधान मंत्री का भारतीय संसदात्मक पद्धति में अत्यधिक महत्व है। हेराल्ड लास्की का, ब्रिटिश प्रधान मंत्री के लिए यह कहना है कि, "मंत्री परिषद के निर्माण का वह केन्द्र विन्दु है, मंत्री परिषद के जीवन का वह केन्द्र विन्दु है और मंत्री परिषद के मृत्यु का केन्द्र विन्दु है।"^१ वास्तव में प्रधान मंत्री, मंत्री-परिषद का केन्द्र विन्दु ही नहीं है, परन्तु वह समूर्ण राष्ट्र का केन्द्र विन्दु है, जैसा भीज कहते हैं—“सरकार राष्ट्र का स्वामी है, और वह सरकार का स्वामी है।”^२

प्रधान मंत्री के संबंध में कहा गया है कि वह 'समक्षों में सर्वथेष्ठ' है (Primus inter pares) परन्तु रेसजे भूर का कहना है कि प्रधान मंत्री के लिए

१. एच० जै० सास्की—पार्लियामेन्टरी गवर्नमेंट इन इंग्लैण्ड, १६३८, पृ० २२८।

२. एच० आर० ग्रीव्ह—‘द ब्रिटिश काम्स्टीट्युशन’ १६५१ पृ० १०८-९।

उपर्युक्त कथ्य अर्थमें सावित होते हैं, जबकि उसमें अपने सहयोगियों द्वारा नियुक्त तथा पदच्युत करने की अत्यधिक शक्तियाँ निहित हैं। सर आश्वर जैनिश्च का कहना है कि, "प्रधान मंत्री वेबल समझौते में मर्दानेपठ ही नहीं है, वह उन मूर्यों के तुल्य है, जिनके चारों ओर नक्षत्र पर्यामा बरते हैं।"^१

प्रधान मंत्री की महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति के सबूत में प० नेहरू ने जुलाई ३०, १९५६, में कहा था—“मैं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री के क्या बत्तें हैं और मंत्रिधान के अन्तर्गत प्रधान मंत्री उथ बील के सदृश हैं जो सरकार हूँपी चड़ की घुरी पर सगी है और चड़ को गिरने से रोके रहती है।”^२ सर विलियम बन्नन हार्कोट ने ड्रिटिश प्रधान को जगमगाते सितारों के मध्य चंद्रमा की उपमा दी है (Inter Stellar Luna Minores) प्रधान मंत्री की मंत्रिधानिक स्थिति का महत्व उसकी विमिन्न शक्तियों के आधार पर ज्ञान दिया जा सकता है। ये निम्न-लिखित हैं।

मंत्री परिषद के सबूत में—पूर्व में इम विषय पर बल दिया जा चुका है, कि संसदात्मक सरकार के मूल सिद्धान्त यानी-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के सही क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार बान्धव में प्रधान मंत्री द्वारा निहित हो। अतः दिटेन के प्रधान मंत्री के लिए यह उचित ही बहा गया है कि वह अपने समूह (मंत्री भ्रमण) के सदस्यों दो स्वेच्छा से अदल-बदल सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री ही मंत्री-परिषद का निर्णय करता है। सआट द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार केवल औपचारिक ही है। परन्तु इस अधिकार का उपयोग प्रधान मंत्री निरकृत स्पष्ट में नहीं कर सकता है। प्रधान मंत्री को मंत्रियों की नियुक्तियों के सबूत में अनेक तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण स्वरूप दत्तीय एहता, नौगोलिक प्रतिनिधित्व परम्पराएँ एवं राजनीतिक स्थिति आदि तत्त्वों को मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधान मंत्री वो अपने ध्यान में रखता होगा। अत यह प्रधान मंत्री स्वेच्छा से तो इन अधिकार का उपयोग कर सकता है, परन्तु जैसा डा० फ़ाइर ने कहा है—वह कैसर (जर्मनी के निरदुर्ग शासक) के सदृश नहीं है, इसमें कोई सदैद नहीं है कि अनिम निर्णय प्रधान मंत्री के हाथ में ही है। विनायों का, मंत्रियों में विनरण करने का अधिकार भी प्रधान मंत्री का ही है उदाहरण स्वरूप श्रीमती गांधी ने मार्च १९३१ के आम चुनाव के पश्चात जिसमें उनको सोक्समा भी विनाय बहुमत प्राप्त हुआ विनायों का

१. आई० जैनिश्च—कैबिनेट गवर्नेंट, १९५१, पृ० १८३।

२. प० नेहरू—द ड्रिप्पन, जुलाई ३१, १९५६।

सधीय कार्यपात्रिका

विवरण अपने निर्णयानुसार किया। इस मामले के प्रस्तग में भी प्रधान मंत्री पर वित्तपत्र तत्वों का प्रभाव रहता है। दल के वित्तपत्र सदस्यों के प्रभावशाली, एवं जनता द्वारा प्रबल रूप से समर्थित होने के कारण, इन सदस्यों पर इच्छाओं को ठुकराया नहीं जा सकता है। श्रीमती गांधी की मंत्री परिषद में, जिसवा निर्माण मार्च, १९७१, में हुआ, श्री जगजीवनराम, प्रतिरक्षा मंत्री, श्री चवहाण, वित्त मंत्री, श्री स्वर्णसिंह, विदेश मंत्री, एवं श्री फरहूदीन भ्रह्मद, खाद्य मंत्री, पुन नियुक्त किये गये। इस तरह विभागों के वितरण के समय दल के सदस्यों की वरीयता तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाता है।

प्रधान मंत्री विसी मंत्री के कार्यों या आवरण से असतुष्ट होने के कारण उसरों त्यागपत्र मार्ग सकता है। जैसा श्रीमती गांधी ने उप प्रधान मंत्री एवं तत्कालीन वित्तमंत्री श्री मोरारजी देसाई को १९६६ में मंत्री परिषद पर से इस कारण से हटा दिया जि के उनकी वित्त सचिवी नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थी। यदि मंत्री प्रधान मंत्री से मतभेद होने पर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधान मंत्री उस मंत्री को पदबंद्युत करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। १० नेहरू के कार्यकाल में श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री सी० डी० देशमुख और श्री टी० टी० कृष्णाचारी ने और श्रीमती गांधी के कार्यकाल में श्री चागला, श्री पुनाचा एवं श्री जयगुप्तलाल हायी ग्राहि मंत्रियों ने प्रधान मंत्री से मतभेद के कारण त्याग पत्र दिये थे।

प्रधान मंत्री जो विसी भी मंत्री की पदोन्नति या पदावनति का भी अधिकार है। श्रीमती गांधी ने १९६७ के आम चुनाव के पश्चात् श्री दिनेशसिंह को राज्य मंत्री से केंपीनेट स्तर के मंत्री (विदेश मंत्री) के पद पर नियुक्त किया।

प्रधान मंत्री मंत्री-परिषद का अध्यक्ष या समाप्ति होता है। उसके द्वारा ही मंत्री-परिषद की कार्य सूची निर्धारित भी जाती है। मंत्री-परिषद की सारी गति-विधियों एवं कार्रवाई का सचालन प्रधान मंत्री ही करता है। यद्यपि मंत्री-परिषद के निर्णय मतदान के आधार पर ही लिये जाते हैं, प्रधान मंत्री वा प्रभाव एवं सलाह बहुमत निर्णय पर पहुँचने के लिए निर्णयिक होते हैं। मंत्री-परिषद के अध्यक्ष के नाते प्रधान मंत्री वा एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मंत्री परिषद में एकता तथा सुदृढ़ता कायम रखे क्योंकि मंत्री परिषद के अस्तित्व का आधार निम्नलिखित सिद्धान्तों में निहित भावना भ पाया जाता है। 'हमारा अस्तित्व इसलिए है कि हम सब एक हैं, विभक्त होने पर हमारा अस्तित्व नष्ट हो जायेगा', और 'हम सब एक साथ तैरते हैं या सब साथ-साथ डूबते हैं।' इस एकता की भावना की सुदृढ़ता प्रधान मंत्री के दक्ष नेतृत्व पर ही निर्भर है। यह स्वामानिक है कि कुछ परिस्थितियों में वित्तपत्र मंत्रियों पा विभागों में मतभेद उत्पन्न हो जाये, ऐसी परिस्थिति में प्रधान मंत्री घपने नेतृत्व, व्यक्तिगत तथा मध्यस्थता से स्थिति को सुधार कर पुन एकता स्थापित कर सकता है।

राष्ट्रपति एवं मंत्री मण्डल के मध्य कड़ी के टप मे प्रधान मंत्री की भूमिका

क्रिटिक समझामन प्रगाढ़ी के अन्तर्गत सभाद् के अधिकारों के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए पाठ्य वेजटाट ने कहा था कि औपचारिक प्रधान होने के नाते, सभाद् के केवल तीन ही अधिकार वचे रह गये हैं। के अधिकार इस प्रकार हैं, १-प्रोक्राइट वरने का अधिकार, २-वैनावनी देने का अधिकार, एवं, ३-विचार-विमर्श वरने का अधिकार। यह विदिन है कि वह अधिकार राष्ट्र के सार्वजनिक मामलों के सम्बन्ध में है। चूंकि राष्ट्र की प्रशंसनी का उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्री मण्डल पर निर्भर रहता है अतः राष्ट्राभ्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों की जानकारी का सब से प्रमाणात्मकी माव्यम प्रधान मंत्री ही है, जिसके नेतृत्व में मंत्री मण्डल राष्ट्र की नीतियों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। क्रिटेन में प्रधान मंत्री को राजा एवं मंत्री मण्डल के मध्य एक कड़ी के सदृश, परम्परा के आधार पर, माना गया है। भारतीय सवियान में प्रधान मंत्री की इसी प्रकार की भूमिका को अनुच्छेद ७८ के अन्तर्गत मान्यता दी गई है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत मंत्री मण्डल द्वारा भारत संघ संघर्षी विषयों पर लिये गये नियंत्रण प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेपिन किये जायेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्री मण्डल के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे प्रधान मंत्री, मंत्रीमण्डल के संघ-मम्बन्धी मामलों पर लिये गये नियंत्रणों से राष्ट्रपति को अवगत करता है।

शासन के कर्तिपव महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित प्रधान मंत्री की भूमिका

भारतीय नमदायमन पदनि में प्रधान मंत्री शासन का वाल्विक प्रभान है। वास्तव में, यदि प्रधान मंत्री के दल को मस्ति के निचले सदन में बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्री मण्डल की, जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री है, सलाहानुभार करना आवश्यक है।

भारत के महान्यायवादी (Attorney-General) का पद सधीय कार्यपालिका से संबंधित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह अधिकारी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है। केवल उन व्यक्ति की ही नियुक्ति इस पद पर हो सकती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायारोग के पद के योग्य है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत, ₹५,००० रुपये तथा ₹५० रुपये नते प्रतिमाह स्वीकृत है।

महान्यायवादी के भारत सरकार के कानूनी मामलों के सम्बन्ध में निम्न-
तिलित कार्य हैं —

क—भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना एवं उन कानूनी
कार्यों का सम्पादन करना जो उसको भारत सरकार द्वारा सौंपे गये हैं।

ख—सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के समस्त मामलों का प्रति-
निधित्व करना।

ग—सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसे प्रबन्धणों
के सम्बन्ध में करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद १४३ के
अन्तर्गत प्रेपित किये गये हैं।

घ—महान्यायवादी को ऐसे कार्यों का सम्पादन करना आवश्यक है जो उसको
संविधान या वर्तमान कानून के अन्तर्गत सौंपे गये हैं।

संघीय संसद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका सभा को संघीय संसद की सज्जा दी गई है। संघीय संसद के प्रमुख ग्रंथ राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं। इसमें से निम्न सदन लोकसभा (House of People) और उच्च सदन, राज्य सभा (Council of States) कहा जाता है। राष्ट्रपति के संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने पर भी, उसे संघीय संसद के सबध में संविधान के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं।

संसद का सगठन

क—राज्य सभा (Council of States) भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्य सभा नाम दिया गया है जिसमें २५० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इनमें से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और शेष सदस्यों का निर्वाचित संघ के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल सक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद ८० के अनुसार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद द्वारा निमित विधि में निहित प्रक्रिया के अनुसार आयेंगे। राज्य सभा के १२ सदस्यों को राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुमति है।

राज्य सभा की सदस्यता के लिए संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित अहर्ताएँ होनी चाहिए —

१. भारतीय नागरिक होना चाहिये,
२. तीस वर्ष की आयु होनी चाहिये और

३. अन्य वे सभी अहर्ताएँ जो संघीय कानून द्वारा निर्धारित की गई हो।

जन प्रतिनिधित्व कानून १९५१ (People's Representation Act 1951) के अनुसार राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिये एक व्यक्ति को संघीय निर्वाचक होना आवश्यक है, जहाँ से वह राज्य सभा के चुनाव के लिए बढ़ा होता है।

राज्य सभा एक स्थायी संस्था है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश छहण करते हैं। इस तरह राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ६ वर्षों का होता है।

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का समाप्ति हाना है। अमरीकी उपराष्ट्रपति के सदृश भारतीय उपराष्ट्रपति उच्च सदन वा सदस्य नहीं है और अमरीकी उपराष्ट्रपति के समान ही सिवाय मतदान की समानता भी स्थिति में, उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। राज्य सभा के समाप्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वह किसी भी सदस्य को वादनिवाद में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। उसे सदन में अनुशासन बनाये रखने का भी अधिकार है। सदन के पटल पर प्रश्न रखने और परिणामों दो घोषित करने वा अधिकार समाप्ति को है। अनुच्छेद ८६ (२) वे अनुसार राज्य सभा एक उपसभापति का निर्वाचन करती है। सभापति की अनुपस्थिति में या जब सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) राष्ट्रपति पद पर है, उपसभापति राज्य सभा वी अध्यक्षता करता है। दोना—सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति म, सदन के नियमों के अन्तर्गत, राज्य सभा सभापति नियुक्त करती है।

ख—लोकसभा संसद के निम्न सदन को, जो जनता वा प्रतिनिधि सदन है, लोकसभा (House of People) कहा जाता है। लोक सभा के सदस्यों की संख्या, अनुच्छेद ८१ के अनुसार ५०० निर्वाचित वी गई थी, परन्तु तात्काल संशोधन सन् १९५६ द्वारा यह संख्या बढ़ा कर ५२० कर दी गई है। लोकसभा के सदस्य मतदाताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किये जाते हैं और २० सदस्य संघीय भू-मार्गो (Union Territories) और उत्तरपूर्व सीमान्त क्षेत्रों में से संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार चुने जाते हैं। सविधान के अनुच्छेद ३२६ के अनुसार लोकसभा के चुनाव व्यवस्क मताधिकार सिद्धान्तानुसार सम्पन्न किये जायेंगे। सधेप में, इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक वो, जो २१ वर्ष की आयु का है और किसी कारण सविधान के अन्तर्गत अयोग्य नहीं है, लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य वा निर्वाचित इस तरह होगा, कि वह ५,००,००० से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व न करे। अनुच्छेद ३३१ के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा के लिए दो आग्न—भारतीयों वो भनोनीत बरने वा अधिकार है, यदि उसके विचार में आग्न-भारतीय सभाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त नहीं है। इसी तरह अनुच्छेद ३३० (१) के अनुसार लोकसभा में निम्नलिखित वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं (१) अनुसूचित वर्ग, (२) अनुसूचित जातियों, सिवाय उन जातियों वे जो आसाम के अनुसूचित क्षेत्र म है, और (३) असाम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जातियों।

लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का है, यदि इसमें पूर्ण यह भंग नहीं हो जाती है। अनुच्छेद (२) के अनुसार जब देश में संकटकालीन उद्घोषणा लागू है तब लोकसभा के कार्यकाल में संसदीय कानून द्वारा, एक समय में एक वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में संकटकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद ६ माह से अधिक के लिए यह लागू नहीं की जा सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क-मताधिकार के आधार पर सम्पन्न किया जाता है। लोक सभा के चुनाव के लिए मतदाता की योग्यताएँ इस प्रकार हैं :—

१. वह भारत का नागरिक हो।

२. उसकी आयु २१ वर्ष की हो।

३. वह निर्धारित क्षेत्र में वर्म से कम १६० दिन तक निवास कर चुका हो, और संसद द्वारा घोषित कोई अयोग्यता उसमें न हो।

लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुच्छेद ८४ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अधोतिलित अहर्ताएँ पूर्ण करनी होती है।

१. भारत का नागरिक होना प्रावश्यक है।

२. २५ वर्ष से कम आयु न हो और,

३. वे अन्य अहर्ताएँ होनी चाहिए जो संसदीय कानून द्वारा निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद १०२ (१) के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोक सभा सदस्य नहीं हो सकता है यदि

(१) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, सिवाय उस प्राधिकारी के जिसके संबंध में संसद ने यह कानून पारित किया है कि वह इस अयोग्यता से मुक्त होगा।

सन् १९५१ में जांच समितियों, निगमों तथा आयोगों के सदस्यों, तथा १९५४ में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, संसद के उपप्रधान सचेतकों तथा नेशनल कैडेट कोर और क्षेत्रीय सेन्य दल के अधिकारियों को, इस संदर्भ में उपर्युक्त अयोग्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

(२) वह किसी न्यायालय द्वारा बागल घोषित किया गया है।

(३) वह दिवालिया है।

(४) भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने किसी विदेशी राज्य को नागरिकता प्राप्त करती है, अथवा वह किसी अन्य राज्य के प्रति मतित रखता है।

(५) संमद द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या अन्तर्गत अयोग्य न हो। इस संदर्भ में संसद ने १९५१ में कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण किया है जो निम्नानुसार हैं :—

- (क) यदि उस व्यक्ति ने निर्वाचन संबंधी कोई अपराध किया है।
- (ख) यदि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक की सजा मिली है तथा दण्ड से मुक्ति मिले उसे पांच वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं।
- (ग) यदि उसे किसी सरकारी नौकरी में से भ्रष्टाचार के कारण निकाला गया है।
- (घ) यदि वह सरकार से सवधित किसी अनुबन्ध या वारदाने में मासीदार है।

यदि लोकसभा के सदस्य होने के पश्चात् उपर्युक्त कारण से कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह सकेगा। विसी सदस्य के अयोग्यता संबंधी मामले वा निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिवस तक लोकसभा की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

सदस्यों के विशेषाधिकार

संविधान के अन्तर्गत संसद के सदस्यों को कठिपय विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। अनुच्छेद १०५ के अन्तर्गत सदस्यों को सदन में या सदन को किसी भी समिति में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी और भाषण में अभिव्यक्ति विचारों के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दीवानी मामलों के लिए, संसद के अधिवेशन प्रारम्भ होने के चालीस दिन बाद तक, किसी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। परन्तु फौजदारी मामलों के लिए विसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद के सदस्यों को वेतन तथा मत्ते संसद द्वारा पारित विधि के अनुसार दिया जायेगे।

लोक सभा का अध्यक्ष (स्पीकर)

लोकसभा के विभिन्न पदाधिकारियों में अध्यक्ष (स्पीकर) का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वास्तव में, भारत में अध्यक्ष पद का विकास, व्रिटिश कामनस सभा के अध्यक्ष के पद के आधार पर हुआ है। १८२१ से, जब प्रथम अध्यक्ष सर फेडरिक व्हाइट की नियुक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निचले सदन के अध्यक्ष के रूप में मारतीय गवर्नर जनरल द्वारा चार वर्ष के लिये की गई थी, भारत में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निचले सदन के सात अध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने इस संस्था की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अध्यक्ष (स्पीकर) हैं—सर फेडरिक व्हाइट, श्री विं जै० पटेल, श्री जौ० बी० मवलकर, श्री एम० ए० आव्यगर, सरदार हुकुमसिंह, श्री एन० सजीद रेड्डी,

एवं वर्तमान अध्यक्ष थ्री गुरु दयाल सिंह ढिल्ली । इन्होने अध्यक्ष पद के गौरव और प्रतिष्ठा को अपने अथव प्रयत्नों द्वारा बढ़ाया है ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ६३ के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है । अनुच्छेद ६४ (अ) के अनुसार अध्यक्ष को सदन वा सदस्य होना जरूरी है । अनुच्छेद ६४ (स) के अनुसार, अध्यक्ष को लोकसभा के बहुमत प्रस्ताव से पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु इस प्रस्ताव को पारित करने के पूर्व चौदह दिन की मूर्चना देनी आवश्यक है । अध्यक्ष स्वयं इस्तीफा दे सकता है । संविधान द्वारा उपाध्यक्ष के पद वा भी प्रावधान दिया गया है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति मा या अध्यक्ष पद के खाली होने पर अध्यक्ष के कार्यों को सम्पन्न बरेगा । संसदीय कार्य प्रणाली के नियम १६५० के अनुसार (नियम ७) संसद के आरम्भ होने के समय या समयानुसार अध्यक्ष, संसद के सदस्यों मा से ६ सदस्यों की एक सूची बना लेगा, जिसमें से एक सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता बरेगा । यदि इन ६ सदस्यों में से कोई भी उपस्थित न हो तो सदन अपने सदस्यों में से किसी भी भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर सकता है । अनुच्छेद ६६ (१) के अनुसार न तो अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष उस बबत सदन की अध्यक्षता करेगा, जब उसके स्वयं के पदच्युत करने के मामले पर वादविवाद हो रहा है, परन्तु ऐसी स्थिति में अनुच्छेद ६६ (२) के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विवाद में हिस्सा लेन तथा अपना वचाव करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

अध्यक्ष के बेतन तथा भरो वा निर्धारण संसद करती है । उसको भारत की सचित निधि में से बेतन तथा भरो दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष के कार्य तथा शक्तियाँ

क्रिटेन में, एक सर्वेयानिव अभिसमय के अनुसार विटिश अध्यक्ष को समान मतदान वी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है । भारतीय संविधान अनुच्छेद १००(२) के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को समान मतदान वी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है । लोकसभा की अध्यक्षता, अध्यक्ष (स्पीकर) ही करता है । वह लोकसभा की कार्यवाही की नियम संवधी आपत्तियों पर निर्णय देता है । उसका निर्णय अनितम होता है । लोकसभा में वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए वह सदस्यों को मान्यता देता है । संविधान के अनुच्छेद ११० (३) के अनुसार अध्यक्ष को इस विषय पर निर्णय देने का अधिकार है कि एवं विधेयक साधारण है या वित्त विधेयक । वह संसद के दोनों सदनों की समुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है ।

अध्यक्ष के कार्यों तथा शक्तियों का विस्तृत रूप से उल्लेख संसद की कार्यवाही के नियम १६५० में किया गया है, जो निम्नानुसार है ।

१—सदन के नवा की सचाह से राष्ट्रपति के मापण म उल्लिखित विषयों पर बाद दिवाद के लिए अध्यक्ष द्वारा समन का नियारण किया जाता है। राष्ट्रपति के मापण पर घायबाद प्रस्ताव म संशोधन के स्वरूप वा अध्यक्ष हो निर्धारित करता है। अपने का यह आपकार भी है कि राष्ट्रपति के मापण से सब विन विषयों पर सदस्यावे लिए भाषण वो समयाविधि भा नियमारत करे।

२—पदन के नवा की सचाह अनुसार अन्यत सदन की कारबाइ का इस नियमारत करता है।

३—प्रारम्भ इस विषय पर नियम लेता है कि सदन के समन प्रस्तुत प्रस्त स्वाक्षर करने याप्त है या नहा। नियम विहृद प्रश्ना को वह अस्वाक्षर करता है।

४—किसी म द्वारा सावबानक म भेजे पर बाद दिवाद करने के लिए काम रात्रा प्रस्तुत प्रारम्भ करने के लिए अनुमति आवश्यक है। और ऐसे विषय पर न पाता के लिए अपने द्वारा ही समाव न का नियारण किया जाता है।

५—बाद अपने गजर म किसा विषयके प्रकाशन के आदेश दे देता है तो उक्त विषय का सदन म प्रतुक्त करने के प्रस्तुत वो आवश्यकता नहा हाती है।

६—प्रबन्ध समितिया (संलेक्ष कमीज) के अध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष विनियन समितिया के सदस्या न स करता है।

७—दिसा विषय पर बाद दिवाद स्थगित करने के लिए प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष का सहमात्र आवश्यक है।

८—अध्यक्ष द्वारा पर मापणों के लिए समन सौमा नियोगित करता है और वह वित विषय सबों कारबाइ को पूछ करने के लिए आवश्यक कदम ले सकता है।

१०—प्रथम राष्ट्रपति तथा सचिव के मध्य सम्बन्धान वा बहा के स्प म वाय करता है।

११—उह सदन म सदस्यों को मापण देने के लिए भाष्यता प्रदत करता है। साथ ही वह भाषणों का इस भी नियमारत करता है। सदन के सदस्य आपस म प्रश्न द्वारा एक दूसरे का सवाल न करते हुए अध्यक्ष को हो सवालित करते हैं।

१२—अध्यक्ष सदन की कायदाही की नियम सबकी आनतिया पर नियम देता है और उसका नियम परिवर्तन हाता है।

१३—मध्यक्ष सदन म अनुग्रहन वारान रखता है और इस उद्देश भी पूर्ति के लिए उसका आवश्यक शासन भी दरक्षित है। विभा मरम्य को सदन की व्यवस्या जग करने पर अध्यक्ष उसको चेतावनी दे सकता है। और आवश्यकता-

नुसार ऐसे सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए वाध्य कर सकता है। यदि सदन में, अशान्ति तथा अव्यवस्था से गंभीर स्थिति हो जाती है तो अध्यक्ष सदन की दैठक को स्थगित कर सकता है।

१४—अध्यक्ष सदन में दर्शकों के प्रवेश पर नियन्त्रण रखता है। साथ ही उनको सदन से बाहर जाने के लिए वह सकता है।

१५—अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाल दे जो उसके मतानुसार मानहानिजनक, अणिष्ट या अरासदीय हैं।

१६—जब अध्यक्ष सदन को संवैधित करता है तब सदस्यों को बाहर नहीं जाना चाहिये।

अध्यक्ष के उपर्युक्त कार्यों के दृष्टिकोण से उसको सदन के मुखरूप के तुत्य माना जा सकता है। वह सदन के अधिकारों का अभिभावक है और विशेषकर सदन के अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक है। वह सरकार द्वारा सदन के अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोकता है। जब मंत्री सदन में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में आनाकानी करते हैं या जब उनके द्वारा संदन को प्रयोग्य जानकारी नहीं दी जाती है, तो सदस्यगण अध्यक्ष से सदन के अधिकारों की रक्षा करने की अपील कर सकते हैं। वास्तव में, भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का अध्यक्ष उस संतुलन चक्र के तुल्य है, जिससे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों में जनतांत्रिक संतुलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, अध्यक्ष में ऐसी शक्तियों को निहित किया गया है, जिनसे वह सदन के विरुद्ध कार्यपालिका (शासन) के अतिक्रमणों पर अवरोध लगा सकता है। अध्यक्ष की उपर्युक्त भूमिका को ध्यान में रखते हुए, पं० नेहरू ने, जब वे संविधान सभा में श्री बी० जे० पटेल की तस्वीर का अनावरण कर रहे थे, मार्च ८ सन् १९४८ को निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे—“सरकार की ओर से मैं यह कहूँगा कि हम यह चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष अब और हमेशा सदन की स्वतंत्रता की रक्षा प्रत्येक प्रकार के खतरे से करें—कार्यपालिका के अतिक्रमण के खतरे से भी। यह खतरा हमेशा बना रहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार अल्पसंख्यकों के विचारों के दमन करने का प्रयत्न करे और ऐसी स्थिति में ही अध्यक्ष का यह दायित्व हो जाता है कि वह सदन के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक इकाई की एक प्रभुत्वपूर्ण सरकार से रक्षा करे।... विठ्ठल भाई पटेल ने इन परम्पराओं की नीव डाली जो अब अध्यक्ष पद से स्थायी रूप से संवैधित हो गई।—मैं आशा करता हूँ कि यह परम्परा बनी रहेगी क्योंकि अध्यक्ष का पद किसी व्यक्ति-विशेष की प्रतिष्ठा नहीं है। अध्यक्ष सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है और चूंकि सदन सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अतः अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा सकता है। यह उपर्युक्त है कि अध्यक्ष का पद नियमित पद ही,

एक प्रतिष्ठा पूर्ण पद हो और इस पद पर हमेशा विशेष कामनावान् तथा निष्पक्ष व्यक्ति आसीन हो।"

इन्हें मध्यपने निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् कामना समझ का अध्यक्ष दलगत राजनीति से सन्यास ले लेना है, और संसद के समूर्ण कार्यकाल तब अपने पद पर रहना है। इन्हें मध्यक्ष पद से सर्वित्त कुछ स्वस्थ तथा महत्वपूर्ण परम्पराओं का विकास हुआ है, जो उसके पद को एक अनूठा मर्वानिक एवं न्यायिक महत्व प्रदत्त करती है, जिसे न बेबल अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा बड़ी है परन्तु इनके द्वारा मध्यक्ष पद को एक ऐसे सामने का रूप मिला है जो सदन के सदस्यों के अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रताओं के रक्षक के रूप में सम्मान मिला हुआ है।

भारत में लोकसभा के अध्यक्ष पद की विवेचना करत हुए भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० थी जी० वी० मध्यलक्षण ने अपने कार्यकाल में कहा था—“भारत म अध्यक्ष पूर्ण रूप से राजनीतिक छेत्र से बाहर नहीं है, जैसा कि विटिश कामना समा का अध्यक्ष है। कुछ समय तक भारतीय अध्यक्ष को एक राजनीतिक के रूप में ही रहना चाहिये, परन्तु मात्र ही उसकी करिवाई पर विस्तृत प्रतिबन्ध हो। वह अपने दल का सदस्य रह सकता है, परन्तु उसको दल के कार्यों में बोई हिम्मा नहीं लेना चाहिये। सक्षेप में, अध्यक्ष को ऐसे राजनीतिक प्रचार में सवालिन नहीं होना चाहिये, न ही ऐसी राय व्यक्त करनी चाहिये, जिसमें उसके अध्यक्ष पद को हानि पहुँचने की समावना हो या जिससे यह निष्पर्यं निवाला जाये कि अध्यक्ष दलगत है। भारत के सार्वजनिक खंडन में राजनीतिक चेतना की स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षा बहुत बड़ी होयी कि विभिन्न राजनीतिक शादियों में अद्वा रखने वाले लोग इस परम्परा का पालन करेंगे कि अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव न लड़ा जाये। और यही भारतीय राजनीतिक जीवन का वह पक्ष है जिसके कारण विटिश अध्यक्ष पद से सवालिन परम्पराओं को पूर्णतया नहीं अपनाया जा सकता है”।

अतएव भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से सवालित है। वह एक दल से सम्बद्ध व्यक्ति है। इस कारण उसके पद की इनी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, जिसकी द्विटेन की कामना समा के अध्यक्ष की है। लोकसभा के अध्यक्ष के दलगत होने के गोचित्य के चाहे, जिनने तर्कं क्षयो न दिये आये, यह स्पष्ट है कि इससे भविक गोचित्य उस परम्परा का है जिसके अनुसार द्विटेन का अध्यक्ष निर्दलीय और फलस्वरूप निष्पक्ष होता है। यह स्वामानिक ही है कि यदि अध्यक्ष को लोकसभा के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की उचित रूप से रक्षा

१. जी० वी० अवलक्षण—‘ग्राम्येष्ट्रस ग्राम इटिडेन शास्ट्रोट्पुण्ड’ एम० जी० गुप्ता द्वारा सम्पादित, १९६४, पृ० २४६-४७।

करना है तो उसका निर्देशीय होना अतिं-आवश्यक है। संविधान के लागू विधे जाने के पश्चात् सत्ताहृष्ट वाप्रेत दल के लिए यह श्रेयस्वर होता, यदि उसके प्रयत्नों से अध्यक्ष का पद निर्देशीय स्वरूप म विकसित होता। दलगत मामलों की दृष्टि से ही दिसम्बर १६, १९५४, को अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वा प्रयत्न किया गया था। अत यह अत्यावश्यक है कि निर्धाचन के तुरन्त पश्चात् अध्यक्ष वो समस्त दलगत संबंधों को छोड़कर दलगत राजनीति से सन्यास ले लिया जाये।

भारतीय संसद की सार्वभौमिकता एव संवैधानिक स्थिति

संघीय व्यवस्थापिका के रूप म भारतीय संघीय संसद के लिए, संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद ७६ मे प्रावधान किया गया है। संविधान के अन्तर्गत संसद को संघीय एव समवर्ती गूचियो म उल्लिखित विषय पर विधि निर्माण करने वा अधिकार है, और व तिप्य विशेष परिस्थितियो म उन विषयो पर भी जो राज्य सूची मे हैं। संसद की सार्वभौमिकता वा विचार विटिश संविधान की एव मूल विशेषता है। प्रो० ए० वी० डायसी के अनुसार विटिश संसद की सार्वभौमिकता वा विशिष्ट अर्थ निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट किया गया है।

'विटिश संसद की सार्वभौमिकता वा अर्थ, विटिश संविधान के अन्तर्गत इसको परिभाषित करते हुए, यह है कि संसद वो विसी भी विधि के निर्माण तथा उसे समाप्त करने वा अधिकार है और विटिश विधि के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या संस्था वो संसद द्वारा निर्मित विधि के कुचलने या रद्द करने वा अधिकार नही है। संकारात्मक दृष्टिकोण से, संसद की सार्वभौमिकता इस प्रकार है। संसद के विसी भी अधिनियम या अधिनियम के हिस्सो वो, जिसके द्वारा नई विधि का निर्माण या विसी विद्यमान विधि का यण्डन या संशोधन होता है, न्यायालयो द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी। इसी सिद्धान्त को नवारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस प्रकार से उल्लिखित किया जा सकता है।' 'विटिश संविधान के अन्तर्गत योई व्यक्ति या संस्था ऐसे नियमों का निर्माण नही कर सकती है, जो संसद द्वारा पारित विधि को रद्द करे या तोड़े या जिनको न्यायालय संसद के कानून के विरोध मे लागू करे।'"^१

वास्तु दृष्टिकोण से, विटिश संसद की सार्वभौम शक्तियां असीमित हैं। परन्तु विटिश संसद की सार्वभौमिकता की व तिप्य नैतिक राजनीतिक एव अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। जिनको मिना ध्यान रखे, वह कानूनों का निर्माण नही कर सकती है।

^१ ए० वी० डायसी-सा आफ दी कानूनीट्युशन, १९३८, पृ० ३७-३८।

अतः, यद्यपि ब्रिटिश संसद की कानूनी दृष्टि से सार्वभौमिकता असीमित है, पर वह नेतिके तत्काल जनमत एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की महत्त्व से अनभिज्ञ रहकर विधि निर्माण नहीं कर सकती है। तथापि ये सार्थे सीमाएं, आधुनिक समय में समस्त जनतीव्रिक राज्यों की व्यवस्थापिका समाप्तों पर लागू हैं।

भारतीय संसद की सार्वभौमिकता उपर्युक्त भासान्य सीमाओं के अनिरिक्त हमार लिखित संविधान के विभिन्न प्रावधानों द्वारा सीमित है विशेषकर, संविधान के उन प्रावधानों द्वारा जिनके संशोधन का एकाधिकार मसद को नहीं है। इन प्रावधानों में से, संघवाद सबधी प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। “भारतीय संसद एक मध्यीय संविधान के अन्तर्गत व्यवस्थापिका समा है। ब्रिटिश संसद के सदृश इसकी शक्तियाँ असीमित नहीं हैं।”^१

भारतीय संसद एक लिखित संविधान वा, जो कि देश का सार्वभौम कानून है, जिसु है। अमरीकी प्रणाली के सदृश भारतीय प्रणाली में दो प्रकार के कानूनों न मूल अन्तर पाया जाता है। सर्वप्रथम देश के कानून के रूप में लिखित संविधान, और द्वितीय, साधारण कानून जिनका निर्माण संविधान के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिका समाप्तों द्वारा किया जाता है। अन्य यह स्वाभाविक है कि संविधान द्वारा स्थापित विभिन्न व्यवस्थापिकाएँ संविधान के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती हैं। भारतीय संसद तथा अमरीकी वायेस, दोनों ही वी, यही स्थिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २४५ (१) द्वारा यह स्पष्ट है से बतलाया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग संसद संविधान के अनुसार करें।

तथापि संसद, संविधान द्वारा निर्धारित अपने धोत्र में सार्वभौम है, परन्तु ब्रिटिश संसद की दुरनामें इसकी शक्तियाँ कम हैं। यदि भारतीय संसद इसी ऐसे कानून का निर्माण करती है, तो उसके संबंधित व्यायालय अमरीकी सर्वोच्च व्यायालय की तरह, संविधान विरोधी कानून को अद्वेष घोषित कर सकता है। भारतीय सर्वोच्च व्यायालय द्वारा मान्यता देना आवश्यक है। इसके अनिरिक्त, संविधान द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च व्यायालय की सहायना के लिए सारे राजनीतिक, मिलिल तथा न्यायिक अधिकारी कार्य करें।

संविधान के लागू होने के पश्चात् कई ऐसे अवमर आये, जिनके सर्वोच्च व्यायालय न संविधान के सरकार के लिए संसद द्वारा पारित किये वानूनों को अद्वेष घोषित किया। इनमें से कुछ कानूनों को उदाहरण स्वरूप ध्यान में लिया जा सकता है।

१. टी० के० तोपे-द भास्टीट्यूशन भारत इण्डिया १६६३, पृ० २६८।

(१) हमदर्द दवाखाना तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य—संघ संसद ने १९५४ में 'द डग एण्ड मैजिक रेमेडीज' कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य कतियप, उपचारों के, जिनके लिए यह कहा गया था वि इनमें जादुई गुण है, विज्ञापन पर रोक लगाना था।

(१) इस कानून की वैधानिकता को हमदर्द दवाखाना तथा अन्यों ने इस आधार पर चुनौती दी कि इसके द्वारा अनुच्छेद १६ (१) (अ), और (१६) (१) (एफ), और (जी) में उल्लिलित नामस्त्रियों के मूल अधिकारों (भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार-व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त कानून के बुद्धि हिस्सों को अवैध ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उपर्युक्त कानून के भाग २ उपलब्ध (डी) के द्वारा कार्य-पालिका को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थीं जो प्रत्यायोजित विधि की दृष्टि से गलत हैं।

(ii) उपर्युक्त कानून के भाग ८ को भी न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया। इस सबध में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "अधिवस्थापिका कानून निर्माण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है, अतएव कानूनों का निर्माण वह उनके उद्देश्य के अन्तर्गत करती है।"

(२) यहाँ एक अन्य प्रकरण का अध्ययन वाचनीय प्रतीत होता है। यह प्रकरण है—१० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य। श्री गोपालन को जो १९४७ से बन्दी थे, निवारक निरोध अधिनियम १९५० (जो संघ तथा राज्य सरकारों को विसी व्यक्ति को बन्दी बनाने के लिए जिसने भारत की प्रति रक्षा, भारत के किसी विदेश से सबध, भारत पा भारत के किसी राज्य की सुरक्षा या शान्ति व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं को वायम रखने के विरुद्ध कार्य किया है, आदेश जारी करने के लिए अधिकृत बरता है) के अन्तर्गत उनके विरुद्ध आदेश जारी किया गया था। इस आदेश की वैधता को श्री गोपालन ने न्यायालय में चुनौती दी। उनका तर्क था कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० के द्वारा संविधान के अनुच्छेद १३, १६, और २१ का उल्लंघन किया गया। उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का न्यायाधीशों ने सूक्ष्म अबलोकन किया। उनका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद २२ का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। न्यायाधीशों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि निवारक निरोध अधिनियम वा भाग-१४ संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा अनुच्छेद

१ हमदर्द दवाखाना व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य—१० अगस्त १९५० भारत १९६० एस० स०० ५५४।

२२ (५) का उल्लंघन किया गया था। माग-१४ के अनुसार न्यायालय पर प्रतिवृद्धि समाया गया कि बन्दी को भेजी गई सूचना में उल्लिखित बन्दी बनाने के कारणों के सबै मध्य मध्यालय द्वारा बोई साइद्य था बकवृद्ध नहीं लिया जा सकता है।^१

इस प्रकरण मध्य यह भी स्पष्ट है कि सबै के द्वारा पारित कानून का पुनरबलोकन कर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके एक माम को अवैध घोषित किया। इसी तरह १९६६ मध्य पारित वैक-राष्ट्रीयबरण कानून के एक माम को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया।

अब भारतीय सबै की सार्वभौमिकता सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं मध्ये वैधानिक स्प से उपयोग मध्य लाई जा सकती है। जैसा, न्यायमूलि एस० आर० दास ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में निर्णय देते हुए कहा था—“हमारे सविधान द्वारा, विटिंग सविधान के विपरीत न्यायालयों की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, परन्तु यह सर्वोच्चता अत्यन्त सीमित है क्योंकि यह उस व्यवस्थापन क्षेत्र तक सीमित है, जहाँ व्यवस्थापन सर्वधी शक्तियाँ सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं से नियन्ति हैं। इस सीमित क्षेत्र मध्य न्यायालय, कानून के निरोक्षण के पश्चात् उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, यदि कानून सवैधानिक दायरे के बाहर है। इन सीमित सर्वधानिक सीमाओं के दायरे के बाहर हमारी सबै तथा राज्य सविधान सभाएँ अपने-अपने व्यवस्थापन क्षेत्र में सार्वभौमि हैं। भारत मध्य न्यायालय के लिये अमरीकन सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका वो निम्नों के लिये कोई जगह नहीं है।”^२

लोकसभा एवं राज्यसभा के सम्बन्ध

आनुनिक समय मध्य जनतत्र की सकलता के लिये, विभिन्न देशों ने सबै पर विभिन्न प्रकार के जनतानिक अवरोधों का उपयोग किया है। इस दृष्टिकोण से व्यवस्थापन के सम्बन्ध मध्य द्विसदनात्मक प्रणाली का सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण जनतानिक अवरोध माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण सत्य है कि एक व्यक्ति की निरकृशता की तुलना मध्य बहुसंस्थाकों की निरकृशता अपिक हानिकारक तथा लतारनाक होनी है। चूंकि जनतानिक राज्य मध्य व्यवस्थापन के कार्य व्यवस्थापिका मध्यमन के आधार पर सम्पन्न किये जाते हैं अतः आवश्यक यह

१ ए० वे० गोपालन बनाम मद्रास राज्य—१० आई० आर० १९५० एस० सो० आर० दद।

२. एस० आर० दास० गोपालन बनाम मद्रास राज्य १९५० एस० सो० आर० दद।

है कि इन कार्यों के लिए व्यवस्थापिका का संगठन द्विसदनात्मक सिद्धान्त पर हो, वयाकि ऐसी स्थिति में विना पारस्परिक सहमति के दोनों भें से एक सदन अपनी इच्छा कानून के रूप में पारित नहीं कर सकेगा। यह सत्य है कि आधुनिक समय में द्वितीय सदनों की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं परन्तु सभी जनतानिक देशों में उच्च सदनों का होना इस बात का प्रमाण है कि यह बास्तव भें जनतानि के लिए न केवल उपयोगी परन्तु आवश्यक भी है। उच्च सदन का औचित्य वेवल इसलिए ही नहीं कि यह निम्न सदन द्वारा जल्दबाजी में पारित त्रुटिपूर्ण प्रस्तावों पर रोक लगाते हैं परन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके रहने से निचले सदन में यह चेतना जागूत रहती है कि विधि निर्माण में उसका एवाधिकार नहीं है। जानस्तुअर्ट मिल ने व्यवस्थापिका के संगठन के सम्बन्ध में द्विसदनात्मक प्रणाली की आवश्यकता पर कहा है कि उसके मत में सदसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि द्विसदनात्मक प्रणाली की अनुपस्थिति ऐसा बुरा प्रभाव डालेगी जो सत्ताहृष्ट व्यक्ति या संसद्या वे दिमाग पर इस कारण पहुँचता है कि उसके विचार भें उनके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति या संसद्या से सलाह लेने की वोई आवश्यकता नहीं है। मिल वा यह भी कहना था कि व्यक्तियों के किसी समूह को विना दूसरा की सलाह वे अपने मत को लागू करने वा अधिकार नहीं होना चाहिये। एक संसद्या में यदि कुछ व्यक्तियों का बहुमत स्थायी रूप प्राप्त कर सेता है और जिनको सदन में विजय प्राप्त करने का आश्वासन हमेशा मिलता रहता है वे आसानी से निरकुश बन सकते हैं यदि उनको यह विदित रहता है कि उनके कार्यों वे लिए उनको अन्य सोयों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।^१

जैसा कि देखा जा सुवा है मारतीय संघीय संसद द्विसदनात्मक प्रणाली के सिद्धान्त पर आधारित है। संसद वा निचला सदन लोकसभा, जनता का प्रतिनिधि सदन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद के उच्च सदन, राज्यसभा का संगठन संघवाद के सिद्धान्तानुसार किया गया है। फलस्वरूप राज्यसभा मारत संघ के विभिन्न राज्यों वा प्रतिनिधित्व करती है। परन्तु राज्यसभा और अमरीकी उच्च सदन सिनेट के संगठन में एक अन्तर है, इसके बावजूद कि दोनों सदन अपने संघ के राज्यों वा प्रतिनिधित्व करते हैं। अमरीकी संघ के प्रत्येक राज्य को सीनेट में दो सिनेटरों की राज्यों की जनसभ्या तथा भौगोलिक स्थिति की मिशनाओं के बावजूद भी समान रूप से भेजने का अधिकार है, जबकि मारतीय राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व जनसंघ के आधार पर निर्धारित किया गया है।

^१ जै.० एस० मिल—'रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नेंट' १९८४, पृ० ६७-६८।

द्विसदनात्मक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा होता है कि दोनों सदनों में किस प्रधार के सम्बन्ध होने चाहिये। क्या दोनों सदनों को समान तथा समर्थी अधिकार होने चाहिये? क्या उच्च सदन को केवल एक सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करने चाहिये? भारतीय संविधान निर्माणाप्रौढ़ों ने इन जटिल प्रश्नों का हल बुद्धिमतापूर्ण तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बुद्धि सामग्रों में लोकसभा तथा राज्यसभा को समान अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, परन्तु वित्त सम्बन्धी मामलों में पौर कार्यपालिका के उत्तरदायिक व सिद्धान्त को लागू करने में केवल लोकसभा को ही अधिकार प्रदत्त है। अनेक भारतीय राज्यसभा की स्थिति अमरीकी सिनेट तथा ब्रिटिश लार्ड सभा के मध्य की जा सकती है। राज्यसभा न तो अमरीकी सिनेट के तुल्य शक्तिशाली है और नहीं वह ब्रिटिश लार्ड सभा की जांति कमज़ोर ही है।

राज्यसभा तथा लोकसभा के विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन निम्नलिखित तीन आधारों पर विया जा सकता है।

राज्यसभा तथा लोकसभा की समान शक्तियाँ

(क) वित्त सम्बन्धी विषयों के अन्य विषयों पर लोकसभा तथा राज्यसभा के समान अधिकार हैं। घन (वित्त) विषेयक को छोड़कर अन्य विषय सम्बन्धी विषेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वास्तव में यह समानता केवल सैदानिक ही नहीं है, परन्तु सरकार ने समयानुमार इस समानता को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिये राज्यसभा में विषेयक प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण स्वरूप हिन्दू विवाह (हिन्दू मेरेज) तथा तलाक सम्बन्धी विषेयक राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया गया था। जब तक एक विषेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जाना, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए नहीं मेजा जा सकता है। यदि दोनों सदनों में विसी साधारण विषेयक पर समर्पण है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की समुक्त बैठक बुलावाकर समर्पण का निपटारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद १०८ के अनुमार यदि संसद के दोनों सदनों में किसी विषेयक में संशोधन के भवय में समर्पण है या ६ माह से अधिक दूसरे सदन में विषेयक प्रस्तुत करने के पश्चात् ही चुके हैं, राष्ट्रपति उक्त विषेयक को विचार तथा मतदान करने के लिए दोनों सदनों की समुक्त बैठक में भेजेगा एवं समुक्त बैठक में पारित विषेयक संसद द्वारा पारित माना जायेगा और राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जायेगा। संविधान में समुक्त बैठक का प्रावधान एक रक्षान्तरी के तुल्य है, जिससे दोनों सदन विवाद का निपटारा कर सकते हैं।

ख-राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उस पर महानियोग लगाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा को समान अधिकार हैं।

ग—संविधान के सशोधन के लिए दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है।

घ—सर्वोन्नत न्यायालय के किसी न्यायाधीश, नियन्तक एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदच्युत करने के सबव में दोनों सदनों को समान अधिकार है।

राज्यसभा की वे शक्तियाँ जिनकी दृष्टि से राज्य सभा लोकसभा से कम शक्तिशाली हैं

क—वित्त सबधी मामलों के सम्बन्ध में राज्यसभा में एवं लोकसभा की शक्तियों में स्पष्ट रूप से अन्तर है। सविधान के अनुच्छेद १०६ के अन्तर्गत वित्त विधेयक, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। वित्त विधेयक वेवल लोकसभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उन्हें पारित करने के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद १०६ के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा पारित करती है, उसके पश्चात् विधेयक को राज्यसभा के सुझावों के लिए भेजा जायेगा। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक सबधी सुझाव १४ दिन के अन्दर लोकसभा को भेजे। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा के सुझावों को स्वीकृत करे। यदि लोकसभा राज्यसभा से भेजे हुए वित्त विधेयक सबधी सुझावों से सहमत है तो विधेयक वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जायेगा। यदि राज्यसभा द्वारा दिये गये सुझाव लोकसभा को मान्य नहीं है तो उक्त वित्त-विधेयक को उसी भूल रूप में पारित माना जायेगा, जिसमें उसको सोक्षणा ने पारित किया था। दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर संघर्ष की स्थिति में शमुक्त बैठक के लिए सविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अतः वित्त मामलों में लोकसभा वा निर्णय अनिम है।

ख—सविधान के अनुसार संघीय मंत्रीमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति है। राज्यसभा को मंत्री मण्डल के सबव में कोई विशेष शक्तियाँ नहीं हैं। राज्यसभा मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकती है और न ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सकती है। परन्तु लोकसभा वो सविधान के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे त्यागभन्न देने के लिए वाध्य कर सकती है।

राज्यसभा एवं लोकसभा की इन असमानताओं के होने पर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके द्वारा राज्यसभा सरकार को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकती है। वे तत्व निम्नानुमार हैं।

१—सविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मनियों की नियुक्तियाँ राज्य-सभा से नहीं बो जाये। अतएव समय-समय पर राज्यसभा से भी मनियों बी

नियुक्ति हुई है। उदाहरण स्वरूप प० गो० व० पन्त, जो राज्य सभा के ही सदस्य थे मन्त्री मण्डल में एक महत्वपूर्ण विभाग के मन्त्री थे (गृहमंत्री)। श्रीलालबहादुरजी शास्त्री के मन्त्री मण्डल में थीमंत्री गांधी राज्यसभा से ही सूचना एवं प्रसारण विभाग मन्त्री नियुक्त की गई थी।

२—राज्यसभा के महत्व वा आभास इस परम्परा से भी प्राप्त होता है कि केन्द्रीय मन्त्री प्राप्त राज्य सभा में उपस्थित रहते हैं और विचार विमर्श तथा वाद-विवाद में भाग लेते हैं।

३—राज्यसभा की उत्पत्ति के समय से ही, सरकार ने राज्यसभा के सदस्यों के मन्त्रियों से प्रश्न पूछने के अधिकार वो स्वीकृत किया है। यह भारतीय संसद की एक स्वस्थ एवं महत्वपूर्ण परम्परा है, जिससे सरकार की नीतियों तथा कार्यों का स्पष्टीकरण राज्यसभा में विद्या जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा की प्रतीति होती है।

उपर्युक्त उल्लिखित तत्व राज्यसभा को सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर स्वस्थ तथा जनतात्रिव प्रभाव डालने में भद्र पहुँचाते हैं। परन्तु यहाँ यह व्यान में रखना आवश्यक होगा कि सरकार पर राज्यसभा वा प्रभाव लोकसभा की तुलना में बहुत कम होगा।

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

राज्यसभा को संघ के राज्यों के प्रतिनिधि सदन होने के नाते कठिपय विशेष शक्तियाँ संविधान द्वारा प्राप्त हैं। ये दो प्रकार की हैं।

१—अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित करती है कि किसी विषय (राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर भी) पर संसद को राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करना आवश्यक है तो संसद उक्त विषय पर सम्मूर्ण भारत या उसके किसी भू-भाग या हिस्से के लिए विधि निर्माण कर सकती।

२—राज्यसभा दो तिहाई बहुमत द्वारा किसी अखिल मारतीय सेवा को स्थापित करने का निर्णय ले सकती है।

राज्य सभा की उपयुक्त दो शक्तियों के सन्दर्भ में ढा० एन० बी० पायलो कहते हैं—‘संवैधानिक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।’^१ इन दोनों विषयों के सबब में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की तुलना करते हुए वह कहते

^१ ढा० एन० बी० पायलो—इण्डिया ज कान्सटीट्यूशन १९६२, पृ० १६८।

है—“अत दोनो मामलों में लोकसभा सामने तब ही आती है, जब राज्यसभा निर्णय ले चुकी है, और लोकसभा, राज्यसभा के साथ इन दोनो परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए हिस्सेदार नहीं हैं। संविधान के इन प्रावधानों द्वारा राज्यसभा को सरकारी मशीनरी के एक महत्वपूर्ण हिस्सों न कि विभूषित ढाँचे या प्रनावश्यक अग के रूप में निर्मित किया गया है। इसका छोटा तथा फलस्वरूप ठोस, आकार इसका स्थायी स्वरूप, जिसके द्वारा इसके विचारों व कार्यों में स्थायित्वता और निरन्तरता प्राप्त होती है, और इसका विस्तृत आधार वाला प्रतिनिधि स्वरूप—इन सबके द्वारा इसको भविष्य में न केवल एक प्रतिष्ठित, परन्तु लाभदायक और प्रभावशील स्थिति के रूप में, परन्तु जो सभा के समान शक्तिशाली नहीं होगी, स्थापित होने में सहायता मिलेगी।”^१

प्राय सभी आधुनिक जनतानिक राज्यों में व्यवस्थापिका के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से कार्यों को सम्पन्न करने की शक्ति पर वर्तिय आवश्यक जनतानिक अवरोधों का उल्लेख करते हुए मेकांग्राइवर कहते हैं कि “इनमें से एक व्यवस्थापिका के दो सदनों के रूप में है, क्योंकि प्रत्येक सदन को एक दूसरे की सहमति आवश्यक है। बिना इसके विधि का निर्माण नहीं हो सकता है।”^२

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यसभा तथा लोकसभा की संवैधानिक शक्तियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदन आवश्यकतानुसार एक दूसरे के प्रति जनतानिक अवरोधों के रूप में भूमिका निभा कर वास्तव में जनता की इच्छा को शासन की नीतिया तथा कार्यों में लागू करवाने में सफल होंगे। इस भूमिका का महत्व संविधान में सशोधन करने के समय विदित होता है। संविधान के सशोधन के लिए दोनों सदनों को समान अधिकार है। परन्तु यदि संविधान सशोधन विधेयक लोकसभा में जल्दवाजी और उत्तेजना पूर्वक पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने अनुभव तथा परिपक्वता का लाभ एक शान्तिपूर्ण तथा उत्तेजनारहित बातावरण में, जो प्रायः राज्यसभा में पाया जाता है, उपयोग में लाते हुए, लोकसभा पर किसी मूल संवैधानिक विषय के सदर्भ में अवरोध लगा सकते हैं। १९७० में जिस जल्द वाजी से देशी राज्यों के प्रीविपर्सं विधेयक को लोकसभा ने उक्त विषय पर संविधान सशोधन करने के लिए पारित किया था, राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया, क्योंकि उस बक्त जनमत राजाओं के प्रीविपर्सं के सबध में पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं था। अत यह स्पष्ट है कि इन विशेष शक्तियों से राज्य

१. डा० एम० बी० पावली—इण्डियाज कान्स्टीट्युशन पृ० १६८।

२. आर. मेकांग्राइवर—‘द मार्डन स्टेट, १९२६, पृ० ३०५।

समा को विभूषित करते हुए, भारतीय संविधान निर्माणांग्रो ने अपनी दूरदृश्यता तथा बुद्धिमता का परिचय दिया। हम वो यह विदित है कि राज्यसमा और लोकसमा अपने पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे के प्रति जनतात्रिक अवरोध के समान तो कार्य कर सकती है, परन्तु राज्यसमा, लोकसमा के रास्ते में एक रोड़े के रूप में रहकर उचित रूप से अपने कार्य को कभी भी नहीं कर सकेगी।

भारतीय जनतात्रिक व्यवस्था में, सदन के दोनों सदन एक दूसरे के प्रतिवृद्धन्दी नहीं, बरन जनतत्र को सफल बनाने के कार्य में साझेदार हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्यसमा तथा लोकसमा पारस्परिक संघर्षों का निपटारा, इस उद्देश्य को अपने समक्ष रखत हुए करें, कि इन दोनों को जनता के इच्छानुसार व्यवस्थापन के कार्य, शान्ति पूर्वक सह-अस्तित्व की भावना से प्रेरित होकर बरना है। प्रौढ़ मोरिस जॉन्स का कथन है—“यह स्पष्ट है कि यदि दोनों सदन समान कार्यों को करने के इच्छुक हैं तो शान्तिपूर्वक सह-अस्तित्व की भावना बनी रहना कठिन है। साथ ही यदि इन सदनों की भूमिका में स्पष्ट अन्तर नहीं किया गया तो इनमें प्रतिवृद्धनिदार की भावना बनी रहेगी...। प्रतिवृद्धनिदार, राजनीतिक क्षमता के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसमें जनता की निगाहों में सदन की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।”^१ वर्तिष्य मामलों से यह गतताफ़मी पैदा हो गई है कि राज्यसमा लोकसमा के प्रतिवृद्धन्दी के रूप में कार्य करना चाहती है। सर्वप्रथम १९५३ के दूसरे अधिवेशन के दौरान दोनों सदनों में गम्भीर संघर्ष हुआ। अप्रैल २६, १९५३ को राज्य समा ने आयकर (सशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श आरम्भ किया, लोकसमा द्वारा पारित हो चुका था। लोकसमा के अध्यक्ष द्वारा पूर्व में ही प्रमाणित कर दिया गया था कि यह विधेयक वित्त-विवेयक था, परन्तु राज्यसमा के कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई कि यह विधेयक वित्त-विवेयक नहीं था। विधि मंत्री थी विश्वास ने, जो कि न बेबल राज्यसमा के सदस्य थे, परन्तु उसके नेता भी, ऐसी स्थिति में कहा—‘यदि राज्यसमा वो कहा जाता है कि लोकसमा के अध्यक्ष ने इस प्रश्न का पूर्णरूप से परीक्षण किया है और विवेयक संबंधी प्रमाण सदन में स्वतंत्रता पूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही दिया गया है तो राज्यसमा संतुष्ट हो जायेगी। यगले दिन लोकसमा के एक सदस्य न यह प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया कि विधि मंत्री का वक्तव्य श्रीचित्यहीन था तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। फलस्वरूप सोकसमा के अध्यक्ष ने कहा कि सदन में इस विषय पर वाइ-विवाद के दौरान विधि मंत्री की उपस्थिति बाध्यनीय होगी। तत्त्परश्चात् राज्यसमा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सदन का यह मत है कि सदन के नना वो निर्देश दिये जाये कि विसी भी

१. दस्तऐः एच० मोरिस जॉन्स—पार्लियामेंट दूरदृश्य, १९५३ पृ० २६३।

हैसियत से वह लोकसभा में उपस्थित न हो। तब लोकसभा में राज्यसभा के प्रध्यक्ष की ओर से एवं सदैश पढ़ा गया कि विसी मी, और विशेषवर, राज्यसभा के नेता वी कमी गी यह इच्छा नहीं थी कि लोकसभा के प्रध्यक्ष की सत्यता तथा निष्पक्षता पर शका कर बीचड़ फेंडे। इस सदन का उद्देश्य (राज्यसभा का) हमेशा यह रहा है कि लोकसभा के प्रध्यक्ष की प्रतिष्ठा का, और उस सदन के प्रध्यक्ष की प्रतिष्ठा को, और उस सदन के अधिकार का सम्मान उसी तरह गे करे, जिस तरह हमारी अपेक्षा है वह सदन हमारे अधिकारों का सम्मान करेगा। विधि मंत्री ने राज्यसभा के प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति प्रबट की। परन्तु लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा के इस प्रस्ताव पर घोर आपत्ति प्रबट की। अत मे विधि मंत्री के धमा मानने और प्रधान मंत्री के लोकसभा को अपील करने पर दोनों सदनों में संघर्ष समाप्त हुआ।

राज्यसभा तथा लोकसभा में संघर्ष वा दूसरा महत्वपूर्ण मामला, राज्यसभा के बुद्ध सदस्यों की, राज्यसभा के लिए अपनी प्रावश्यकता तथा लोकलेखा समितियों की मांग से प्रारम्भ हुआ था। उनकी मांग थी कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों को लोकसभा की प्रावश्यकता तथा लोकलेखा समितियों में रहा जाये। जनवरी, १९५३ म राज्यसभा के इस विषय पर एवं संयुक्त समिति स्थापित करने के लिए सुझाव लोकसभा को भेजे गये। साथ ही यह मी सुझाव दिया गया कि चूंकि लोकसभा की लोकलेखा समिति में १५ सदस्य तो थे ही समिति में राज्यसभा के, प्रतिनिधियों को और भिन्नता के लिया जाये। तत्पश्चात् यह मामला लोकसभा की नियम समिति को प्रेपिन विया, जिसके समक्ष पहले ही ही लोकलेखा समिति वा प्रस्ताव था कि संयुक्त समिति, या राज्यसभा के लिए एक पृथक् समिति का गठन करना सविधान में निहित सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। लोकलेखा समिति के उपर्युक्त प्रस्ताव में इसी बात पर बल दिया गया कि लोकसभा के प्रध्यक्ष को सदन एवं लोकलेखा समिति के अधिकारों का सरक्षण करने के लिए बुद्ध कदम उठाना तथा राज्यसभा को सूचित करना, आवश्यक है कि उसके सुझाव अवैधानिक हैं क्योंकि यह लोकसभा के वित्त सबधी मामलों के क्षेत्र में, जिसमें लोकसभा को सर्वाधिकार है, हस्तक्षेप होगा। लोकसभा की नियम समिति द्वारा उपर्युक्त बात की पुष्टि की गई। लोकसभा की नियम समिति ने यह भी बहा कि वित्त क्षेत्र में लोकसभा का विशेष उत्तरदायित्व है, जिसमें वह अन्य किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकती है। अन्त में प्रधान मंत्री ने लोकसभा में प्रस्तावित किया कि राज्यसभा को लोकलेखा समिति पर सात सदस्य मनोनीत करने की अनुमति दी जाये। प्रधान मंत्री ने लोकसभा को सबोधित करते हुए बहा कि इस मामले में लोकसभा की लोकलेखा समिति का डर कि राज्यसभा के अधिकारों का विषयटन होगा, आधार रहित है। परिणाम

स्वरूप दिसम्बर, १९५३ मे उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और राज्यसभा वे प्रतिनिधियों को नई लोकलेखा समिति मे सम्मिलित कर लिया गया। राज्यसभा और लोकसभा के मध्य सघर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण मामला १९५४ मे हुआ। श्री एन० सी० चटर्जी, हिन्दू महासभा के लोकसभा मे नेता, ने एक भाषण के दौरान यह कहा था कि सदन का उच्च सदन जो वास्तव मे वरिष्ठ लोगो का सदन होना चाहिये, उसके सदस्य वच्चो की तरह दायित्वहीन व्यवहार कर रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष ने सचिव को इस मामले के सबध मे सारी जानकारी हासिल करने को कहा। राज्यसभा के सचिव ने थी एन० सी० चटर्जी को पत्र लिखकर जानकारी चाही तब लोकसभा के समक्ष वह बात आई। तत्पश्चात् दोनो सदनो की अधिकार समितियां ने समुक्त बैठक मे कुछ नियमों का निर्धारण किया, जिनके अन्तर्गत किसी भी सदन के सदस्य द्वारा दूसरे सदन के अधिकारो के उल्लंघन के मामले का उचित रूप से निवारण किया जा सके।

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक राज्यसभा तथा लोकसभा के सम्बन्ध का प्रश्न है, मूल आवश्यकता यह है कि दोनों सदन प्रतिसंघर्ष की मावना त्यागकर सविधान द्वारा निर्धारित दायरे में एक दूसरे के प्रति सहयोग तथा सामर्जस्य की मावना के अनुसार अपने कार्य करें। प्रत्येक सदन को, सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं तथा सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों को उचित रूप से निभाना चाहिये। अतः राज्यसभा की जो भी मूर्मिका सविधान के अन्तर्गत दाली जायेगी, वह किसी स्थिति में लोकसभा वे, जो कि जनता का सदन है, अधिकारों तथा दायित्वों के विरुद्ध नहीं हो सकती है। राज्यसभा, जैसा सर सिडनी लो ने ड्रिटिश लार्ड सभा वे तिए वहा है—'राजनीति को साधारण चक्रमार्ग से निपात कर उन मूल सिद्धान्तों तथा दूर के परिणामों पर ध्यान दें जिनके लिए एक व्यस्त जनसभा और दलीय कार्यपालिका को न तो समय, न विचार है।'^१ राज्यसभा में बाद-बिवाद के स्तर पर टिप्पणी देते हुए, 'ओहर सीज स्टेटमेन्ट', ४ सितम्बर १९५४ के राजनीतिक सम्बाददाता ने वहा वि राज्य-सभा के पिछले सप्ताह के विदेशी मामलों सम्बन्धी बाद-बिबाद में विपुलता की भलक पाई जाती है, जो दूसरे सदन के लिए एक उपयोगी आदर्श हो सकती है।

सक्षेप में, जिन विषयों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा दो समान अधिकार हैं, उनमें राज्यसभा लोकसभा से समान अधिकार की माग कर सकती है, परन्तु जिन विषयों के सम्बन्ध में सविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की अधिकारी सीमित शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं या कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं उनके सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा।

੧ ਸਿਫ਼ਰੀ ਲੋ—'ਦ ਗਰੰਤੇਸ਼ ਆਫ ਇੱਕਾਂਡ, ੧੯੩੧ ਪੁ. ੨੫੦।

जनतान में निम्न संसद, उच्च संसद की अपेक्षा प्रकृतिशाली होता है और उच्च संसद के अस्तित्व का श्रीवित्य केवल इसी बात में है कि वह निम्न संसद पर विवेचन पूर्ण प्रभाव डाले। यदि राज्यसभा वो इस मूल बात का अहसास हो जाए है तो भविष्य में दोनों संसदों के मध्य संघर्ष की स्थिति बहुत बड़ा पैदा होगी।

संघ संसद की शक्तियाँ

मारतीय संसद की शक्तियों का क्षेत्र संघीय नियित संविधान द्वारा सीमित है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों वा न्यायिक गुनरायखोकन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की वैधता या अवैधता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। तथापि तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय संघीय संसद की शक्तियाँ अन्य संघीय व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा अधिक हैं। अमरीकी कान्फ्रेस तथा आस्ट्रेलियन संसद राज्य सम्बन्धी विषयों पर कानून निर्माण नहीं कर सकती हैं। परन्तु भारतीय संसद को क्वितिपन परिस्थितियों में राज्यों के लिए कानून निर्माण करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, अनुच्छेद २५३ के अन्तर्गत किसी संघीय या समझौते को लागू करने के लिए संसद कानून घोषित कर सकती है, अनुच्छेद २५० के अन्तर्गत संकटकालीन स्थिति में संसद सम्पूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान में भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख किसी एक अध्याय में नहीं किया गया है। संविधान के भाग पांच के अध्याय तीन में जिसमें संसद के सम्बन्ध, अधिकारियों, सदस्यों की अयोग्यताएँ व्यवस्थापन तथा वित्त प्रत्रियाएँ उल्लिखित हैं, संसद की सारी शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख नहीं है। इस सारी शक्तियों को संविधान के विभिन्न हिस्सों के अध्ययन द्वारा ही मालम किया जा सकता है। चूंकि भारत में संघीय प्रणाली स्थापित ही गई है, अतः यह सरकारा सूचक कहा जा सकता है कि भारतीय संसद के बार्य, उन देशों की संसद के तुल्य हैं, जहाँ संघीय प्रणाली प्रचलित है।

भारतीय संसद की शक्तियाँ तथा कार्यों वा, निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में रख कर, अध्ययन किया जा सकता है।

१—व्यवस्थापन, २—कायपालिका वा नियन्त्रण, ३—न्यायपालिका से सबधित शक्तियाँ, ४—वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ और ५—अन्य शक्तियाँ।

व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियाँ—संविधान के अनुच्छेद २४५ (१) के अनुसार संसद, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए, तथा राज्य विधान समा सम्पूर्ण राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए विधि वा निर्माण कर सकती है। इसी तरह अनुच्छेद २४६ (१) के अनुसार संसद की संविधान की सातवी अनुसूची में उल्लिखित प्रथम सूची (संघ सूची) में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है।

अनुच्छेद २४६ (२) के अनुसार संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीसरी सूची (समवर्ती सूची) में उल्लिखित विषयों पर विधि का निर्माण करने का अधिकार है। अनुच्छेद २४६ (३) के अनुसार किसी भी राज्य की विधान समा को राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए, संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित, दूसरी सूची (राज्य सूची) में उल्लिखित विषयों पर विधि का निर्माण करने का अधिकार है।

संक्षेप में, भारतीय संविधान द्वारा तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचियों का निर्धारण किया गया है, जिनका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में है।

(क) संघमूची-जिसमें ६७ विषय हैं, जिन पर वेवल संघ संसद विधि निर्माण कर सकती है।

(ख) राज्य सूची-जिसमें ६६ विषय हैं, जिन पर साधारणतया, वेवल राज्य विधान समा ही विधि का निर्माण कर सकती है। और,

(ग) समवर्ती सूची-जिसमें ४७ विषय हैं, जिन पर दोनों, संसद तथा राज्य विधान समा को विधि निर्माण करने का अधिकार है। अनुच्छेद २५४ (१) के अनुसार यदि राज्य विधान समा द्वारा निर्मित किसी विधि या, किसी प्रावधान वा, संघ संसद द्वारा निर्मित विधि के किसी प्रावधान से संघर्ष होता है तो संघीय विधि मान्य होगी और जिस हृद तक राज्य विधि का संघर्ष संघीय विधि से है, उस हृद तक राज्य विधि को अवैध माना जायेगा। परन्तु अनुच्छेद २५४ (२) के अनुसार यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय पर निर्मित किसी राज्य विधि का संघर्ष, संघीय संसद द्वारा उसी विषय पर निर्मित विधि से है, और ऐसी राज्य विधि को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हो गई है तो राज्य विधि को ही मान्यता प्राप्त होगी, परन्तु साथ ही उक्त विषय पर निर्मित राज्य विधि में जोड़ने, संशोधन, परिवर्तन या उसे समाप्त करने हेतु विधि पारित करने का अधिकार संसद में निहित है।

संविधान के अनुच्छेद २४६ (१) के अनुसार उपरोक्त तीन सूचियों द्वारा शक्ति के विभाजन के पश्चात् अवशिष्ट शक्तियाँ संघ संसद में ही निहित हैं।

निम्नलिखित कुछ विशेष परिस्थितियों में संघ संसद राज्य सूची सम्बन्धित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है।

क—जब राज्य समा द्वारा दो-तिहाई बहुमत के आधार पर अनुच्छेद २४६ के अनुसार प्रमाणित कर दिया है कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय का महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, परन्तु राज्यसमा का प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है।

ख—अनुच्छेद २५० (१) के अन्यगत संघ संसद सम्बूर्ण देश या उसके किसी द्विस्से के लिए संकटकालीन स्थिति में जल्दी चला जाए तो है।

ग—ग्रन्तुच्छ्रेद २५२ (१) के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्य की विधान समाजों को बाध्यनीय है कि उनके सम्बन्ध में, सभ लासद राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर विधि का निर्माण बरे। संसद को उन राज्यों के लिए और अधिक्षण में ऐसे राज्यों के लिए भी जिनकी विधान समाजों में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये गये हैं, विधि निर्माण करने का अधिकार होगा।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत शक्ति के विभाजन की विशिष्ट प्रक्रिया अपनाने के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि संसद को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संविधान के अनुच्छ्रेद २४६, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, तथा २५३, संघीय सिद्धान्त के बाबजूद भी, भारतीय संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत सभ लासद को एक शक्तिशाली संस्था बनाने में सहायक हुए हैं, जिससे राष्ट्र की चुनियादी एकता के दौरे को स्थायी रखा जा सके।

संसद की व्यवस्थापन सम्बन्धी शक्तियों की भलव संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया में प्रतिविम्बित होती है। संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में बोई विस्तृत उल्लेख नहीं है। साधारण विधेयकों को (वित्त विधेयकों को घोड़ कर) संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और एक विधेयक बो संसद द्वारा पारित तभी माना जायेगा, जब विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जुआ है। संसद के किसी भी सदन के समक्ष विचार के लिए विधेयक संसद के स्थगित होने से समाप्त नहीं हो जायेगा। लोकसभा के विषट्टन से उसके समक्ष जो विधेयक है, या जो उससे पारित होकर राज्यसभा को गया है, समाप्त हो जायेगा, परन्तु ऐसा विधेयक जिसकी उत्पत्ति राज्यसभा में हुई है, लोकसभा के विषट्टन से समाप्त नहीं होगा। यदि लोकसभा के विषट्टन के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है तो विधेयक समाप्त नहीं होगा।

संसद द्वारा विधि निर्माण करने के लिए संविधान में वेवल उपर्युक्त वातों का ही उल्लेख है। विधि निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य वातों को संसद के नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन नियमों के अन्तर्गत दोनों सदनों के लिए समान विधि निर्माण प्रक्रिया वा निर्धारण किया गया है। सदन में प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होने चाहिये। साधारण विधेयक को किसी भी या अन्य सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक सरकारी विधेयक बहलाता है, जब कि साधारण सदस्य द्वारा प्रशाविन विधेयक, साधारण सदस्य विधेयक बहलाता है। प्रत्येक सरकारी साधारण विधेयक को विधि वा हप घारण करने के लिए पांच चरणों को पार करना होगा।

प्रथम वाचन—सदन में विधेयक का प्रस्तुतीकरण ही प्रथम चरण (स्तर) है। सदन के सचिवालय ने विधेयक भी एक प्रति सुपुद्द बरना होता है। तत्पश्चात्

अध्यक्ष द्वारा विवेयक को किसी निश्चित नियि की कार्यवाही की मूल्य में रख दिया जाता है। उस तिथि को प्रस्तावक अपनी जगह खड़े होकर उस विवेयक को सदन में प्रस्तुत वरन की प्राज्ञा मानता है। इस पर अध्यक्ष खड़े होकर कहता है कि विविधव को प्रस्तुत किया गया है। बाल्व में विवेयक का प्रस्तुतीकरण एवं ओपचारिकता मान है। प्राय परम्परानुमार इस स्तर पर विवेयक के सदन में बोई बाद विवाद नहीं होता है। परन्तु पूर्व म, कुछ परिस्थितिया में इस स्तर पर विवेयक का विरोध किया गया है। यदि विवेयक का विरोध सर्वेधानिक आधार पर किया गया है तो अध्यक्ष बाद-विवाद के लिए अनुमति दे सकता है।

विवेयक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, उसका प्रकाशन भारतीय गजट में बर दिया जाता है।

द्वितीय बादन—विवेयक के प्रस्तुतीकरण के दो दिन पश्चात् हो द्वितीय बाचन प्रारम्भ होता है। यदि अध्यक्ष की राय में विवेयक का अत्यधिक महत्व है, तो प्रस्तुतीकरण के तुरन्त बाद, द्वितीय बाचन प्रारम्भ किया जा सकता है। द्वितीय बाचन के दौरान विवेयक सबसी प्राप्त जानकारी तथा सुभाव के समिति रूप सदन के सदस्यों के उपर्योग के लिए वितरित किये जाते हैं। यदि अध्यक्ष अनुमति देता है तो उस विवेयक पर बाद विवाद हो सकता है, परन्तु यह विस्तृत रूप से नहीं होता है। मह चर्चा बेबल विवेयक के मूल मिदानों, मुख्य उपबन्धों तक ही सीमित रहती है। प्रस्तावक सदस्य विवेयक को प्रबर समिति या दोनों सदनों की सम्पुत्र समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव कर सकता है।

क—समिति स्तर—भारतीय संसद में बेबल महत्वपूर्ण तथा जटिल विवेयकों को समिति के पास मेजा जाता है। प्रबर समिति के सदस्यों की संख्या २० से ३० तक होती है। प्रबर समिति म सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों के सदस्य होते हैं। प्राय सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। समिति में विवेयक पर गहराई से विचार-विग्रह होता है। विवेयक के उपबन्धों में सशोधन भी लाया जा सकत है। यदि किसी व्यक्ति को उपस्थिति या बागजान की आवश्यकता होती है तो प्रबर समिति इसकी मारग बरती है। जनता या प्रेस प्रतिनिधि बैठकों में प्रवेश नहीं बर सकते हैं। अन्त म समिति अपना प्रतिवेदन सदन को भेजती है, जो प्रकाशित किया जाता है।

ख—प्रतिवेदन स्तर—जैसा देखा जा चुका है, समिति को विवेयक के सबसे में अपना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है। साधारणतया प्रतिवेदन को तीन माह के प्रन्दर्भ भेजना आवश्यक है, परन्तु यदि सदन द्वारा कोई समयावधि निर्धारित कर दी गई है तो समिति को उसके अन्दर ही प्रतिवेदन देना होगा। प्रतिवेदन पर समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर होना आवश्यक है। प्रतिवेदन स्तर के दौरान

विधेयक पर गहराई से बाद विवाद होते हैं। विधेयक के प्रत्येक माग पर बाद-विवाद होता है तथा सशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। बाद विवाद के पश्चात् विधेयक के प्रत्येक माग और सशोधन पर मतदान होता है। बहुमत से विधेयक तथा उसमें विभिन्न सशोधनों के स्वीकृत होने पर, विधेयक सदन में विधि-निर्माण-प्रक्रिया के अन्तिम चरण पर पहुँचता है।

तृतीय घाचन— सदन में विधेयक पर तृतीय घाचन, उसका अंतिम चरण है। इस अन्तिम घरण में विधेयक के संग्रह में यह प्रस्तावित किया जाता है कि उसे पारित किया जाये। इस रामबाल विधेयक पर गहराई से विवार विमर्श नहीं किया जाता है। परन्तु विधेयक के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं, तथापि इस स्तर में लम्बे भाषण नहीं होते हैं। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विधेयक पारित हो जाता है तो उसे सदन द्वारा परित माना जायेगा। अन्त में विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व रादन के अध्यक्ष या सचिव द्वारा विधेयक का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है।

दूसरे सदन में भी उसी प्रकार की विधि-निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण होगा, जिस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग पहले सदन में किया गया था। दूसरे सदन के समक्ष दो विकल्प हैं। प्रथम, विधेयक को उसी रूप में पारित करना जिस रूप में वह पहले से उसके समक्ष प्राप्त था। द्वितीय विकल्प विधेयक में सशोधन करना है। ऐसी स्थिति में विधेयक पुनर पहले के सदन के समक्ष भेजा जायेगा। यदि दूसरे सदन द्वारा प्रस्तावित सशोधन के फलस्वरूप दोनों सदनों में मतभेद उभरते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का समुक्त अधिवेशन आमत्रित करेगा, जिसका समाप्ति लोक समा का अध्यक्ष होगा। इस प्रकार की समुक्त बैठक में साधारण बहुमत द्वारा ही विधेयक पारित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि लोक समा के सदस्यों की सल्ल्या राज्यसभा के सदस्यों के लगभग दुगुनी होने के बारण, लोक समा का मत ही अन्तिम होगा।

दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात्, विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष दो विकल्प हैं। पहला वह उस विधेयक की स्वीकृति प्रदान वर दे जिसके फलस्वरूप विधेयक की विधि के रूप में अग्री-इत ही जाता है। द्वितीय राष्ट्रपति अपने सुभावों राहित, विधेयक को सप्ताह के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में, यदि विधेयक सप्ताह द्वारा पुनर पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के सुभाव सहित या बिना उन सुभावों के पारित करना होगा। ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए वाध्य होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक, विधि में परिवर्तित हो जायेगा।

साधारण-सदस्य-विधेयक (प्रायच्छेष्ट मेम्बर्स बिल) संघीय विधि निर्माण प्रक्रिया और उपरोक्त उल्लिखित सखारी साधारण विधेयक विधि निर्माण में थोड़ा-सा ही

अन्तर है। साधारण-सदस्य-विधेयक को साधारण-विधेयक समिति (प्रायंच्छेद विधेयक समिति) के पास भेजा जाता है। १६५३ में इस समिति को स्थापित किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष सहित १५ सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष को सदन के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को सदन के सदस्यों को वितरित किया जाता है। यही विधेयक वा सदन में आवृत्तारिक प्रस्तुतीकरण है। इसके बाद विधेयक को पारित करने के लिए उसी प्रक्रिया को उपयोग में लाया जाता है, जो सरकारी साधारण (मवितीय) विधेयकों के लिए उपयोग में लाई जाती है। साधारण सदस्य-विधेयक वो पारित करने के लिए, प्रस्तुतवर्ती को सरकारी सदस्यों के सहयोग वी निरन्तर आवश्यकता रहती है, उनके सहयोग के बिना साधारण-सदस्य विधेयक (प्रायंच्छेद मेम्बर्स बिल) के पारित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

कार्यपालिका को नियन्त्रण करने सबधी शक्तियाँ

संसद की कार्यपालिका सबधी शक्तियों के मुख्यतः तीन खोत हैं, जिनके आधार पर संसद कार्यपालिका वा नियन्त्रण करने में समर्थ है।

सर्वप्रथम, अनुच्छेद ५६ के अन्तर्गत संसद के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित सत्या का एक हिस्सा है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद ६६ के अन्तर्गत, संसद के निर्वाचित सदस्य निवाचिन-सत्या के सदस्य होते हैं।

द्वितीय, संसद की एक अन्य, परन्तु सक्रियात्मक तथा प्रभावपूर्ण शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ६१ में किया गया है, जिसके अनुसार संसद राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महामियोग लगाकर पदच्युत कर सकती है। उपराष्ट्रपति को भी संसद इसी कारण से महामियोग द्वारा पदच्युत कर सकती है।

तृतीय, कार्यपालिका को नियन्त्रित करने की दृष्टि से, संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति सधीय मंत्रीमण्डल के सबूष में है। अनुच्छेद ७५ (३) के अन्तर्गत सधीय मंत्रीमण्डल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति है। मंत्रीमण्डल के विछुड़ अविश्वास-प्रस्ताव पारित कर, लोकसभा उसे त्याग पत्र देने के लिए वाध्य कर सकती है। इसी तरह लोकसभा मंत्रीमण्डल द्वारा प्रस्तावित बजट को भी पारित करने से इन्हाँ कर सकती है जिसके फलस्वरूप, मंत्रीमण्डल को अपना त्यागपत्र देना होगा। संविधान के अनुच्छेद ७५ (३) में, बास्तव म, वह आधारभूत सिद्धान्त निहित है, जिसके अन्तर्गत मंत्रीमण्डल लोकसभा के अधीन स्थित है। इस सिद्धान्त के आधार पर वहा जा सकता है कि लोकसभा बास्तव में आरक्षीय

संसदीय प्रणाली में, मन्त्रीमण्डल की स्वामी है। मन्त्रीमण्डल के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को विभिन्न प्रबार से वार्यान्वित किया जाता है, जैसे मन्त्रियों से सदन में प्रश्न पूछ कर, स्थगन प्रस्ताव रखकर, इत्यादि।

सरकार के तीनों शाखों पर विशिष्ट जनतात्रिक अवरोधों की आवश्यकता वे सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक अग के सबूथ में जनतात्रिक अवरोधों के रूप में कुछ शक्तियाँ उपलब्ध होनी चाहिये जिनसे सरकार के तीन शाखों के पारस्परिक सबूथों का निर्धारण जनतात्रिक आधार पर किया जा सके। मारतीय संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए सभ संसद को न्यायपालिका के सबूथ में कुछ शक्तियाँ प्रदत्त की हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सबूथ में कुछ शक्तियाँ ऐसी दी हैं जो न्यायिक शक्तियों के रूप में हैं। वे निम्नान्वित हैं।

(क) संविधान के अनुच्छेद १२४ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुह्य-न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीश होंगे। परन्तु संसद वो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ाव करने का अधिकार है। अतः, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय प्रधिनियम १९५६ पारित कर न्यायाधीशों की संख्या, मुल्य न्यायाधीश को मिलाकर, ११ निर्धारित कर दी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

न्यायाधीशों को पदच्युत करने भ संसद की भूमिका महत्वपूर्ण है। विसी न्यायाधीश को पदच्युत राष्ट्रपति के आदेशानुसार ऐसी स्थिति में ही किया जा सकेगा, जब संसद का प्रत्येक सदन न्यायाधीश को उसके दुव्यंवहार या अक्षमता के बारण पदच्युत करने के लिए सदन वी सारी सदस्यता के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देता है। संसद को अधिकार है कि न्यायाधीश के दुव्यंवहार या अक्षमता को सावित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिरिक्षा का निर्धारण बरे। यहाँ पर संसद की भूमिका के दो पक्षों पर बल देना आवश्यक है। सर्वप्रथम, जिन संसद वे प्रस्ताव पारित किये हुए, राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार विसी भी न्यायाधीश को पदच्युत नहीं कर सकता है। द्वितीय, संसद वी यह शक्ति न्यायाधीश के अनुत्तरदायी व्यवहार को रोकने के लिए एक प्रमाणशील जनतात्रिक अवरोध के सदृश है।

(ख) संसद को सर्वोच्च न्यायालय के लेनाधिकार में, अनुच्छेद १३८ के अनुसार, बढ़ाव करने का अधिकार है। संसद सर्वोच्च न्यायालय को, संघीय सूची में उत्तिलिखित विसी भी विषय के सबूथ में अतिरिक्त लेनाधिकार विधि द्वारा प्रदत्त कर सकती है।

यदि मारतीय सरकार और विसी राज्य सरकार के मध्य सर्वोच्च न्यायालय को विसी विषय के सबूथ में अतिरिक्त लेनाधिकार प्रदत्त करने के लिए समझौता हुआ है और संसद कानून द्वारा अपनी सहमति देती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उनक विषय पर लेनाधिकार होगा। अनुच्छेद १३८ के अनुसार संसद सर्वोच्च

न्यायालय को, उन उद्देश्यों के अलावा जो अनुच्छेद ३२ (२) में वर्णित है, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिवेष, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा आदि लेख, लागू करने वा अधिकार प्रदत्त वर सवाली है। अन्त में, अनुच्छेद १४० के अन्तर्गत यदि ससद आवश्यक या बाह्यनीय समझती है तो सर्वोच्च न्यायालय वो ऐसे अतिरिक्त अधिकार, जो सविधान के अनुकूल हैं, अपने कार्यों को प्रभावपूर्वक बरने के लिए प्रदान करेगी।

(ग) राष्ट्रपति पर सविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाकर, उसे पदच्युत करने वी शक्ति ससद की एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए ससद के किसी भी सदन द्वारा आरोप प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर और १४ दिवस पूर्व वी लिखित सूचना होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव को ससद की सारी सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित विया जाना चाहिये।

जब आरोप का प्रस्ताव ससद पे एक सदन द्वारा पारित हो जाता है तब दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में उपस्थित हीने या अपना प्रतिनिधित्व करवाने का पूर्ण अधिकार है। यदि दूसरे सदन द्वारा आरोपों के जांच के फलस्वरूप सदन वी सारी सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप सही है तो प्रस्ताव के पारित किये जाने के समय से राष्ट्रपति वी पदच्युत समझा जायेगा। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा कर पदच्युत करने वा ससद का अधिकार, राष्ट्रपति के निरकुल बनने वी प्रवृत्ति पर एक महत्वपूर्ण जनतानिक अवरोध है, परन्तु सविधान निर्माणों का व्याल एक गमीर नुटि की ओर नहीं आवर्तित हुआ। इस बारण कठिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर ससद का उपर्युक्त अवरोध प्रभावहीन हो सकता है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तब ही समव है जब ससद की बैठक हो रही है, यदि ससद की बैठक नहीं हो रही है और राष्ट्रपति ऐसे समय सविधान का उल्लंघन करता है तो यह स्वाभाविक है कि अपने ऊपर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति ससद वी बैठक कदायि नहीं बुलायेगा। अनुच्छेद ८५ (१) के अनुसार ससद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। अत यह अत्यावश्यक है कि इस मदर्म म सविधान वा उचित सशोधन किया जाये। अनुच्छेद ८५ (१) का सशोधन कर ससद का आहूत बरने के लिए न केवल एक उचित प्रणाली वी अपनाया जा सकता है, परन्तु कार्यपालिका पर ससद के एक जीवन विहीन अवरोध वी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। प्रो० टी० के टीपे का मुख्काव है, “तथादि, एक बैधानिक उपचार, सविधान सशोधन करने और प्रावधान करके कि ससद वा अधिवेशन, वर्ष में एक निश्चित दिन स्वत आहूत हो, रखा जा

सकता है। यह अमरोकी सविधान में किया गया है। समवत् लोक सभा के प्रध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों को आहूत करने के लिए प्रधिरूप किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति संसद की बैठक को, अध्यक्ष की प्रार्थना करन पर भी नहीं बुलाता है।^१

वित्तीय सक्तियाँ—सविधान के अन्तर्गत देश की वित्त व्यवस्था पर संसद का पूर्ण अधिकार है। जननानिवार राज्य में किन व्यवस्थाओं का समाज (ममद) की अनुमति के बोई कर नहीं लगाया जा सकता। मारन में ममद द्वारा वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण, निटिश संसद के उस देश की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण के मिदान्त के अनुकूल है।

सर एरस्टीन मध्य संसद द्वारा निटिश वित्त व्यवस्था के नियन्त्रण के मिदान्त का उल्लेख इस तरह करते हैं—“निटिश ब्राउन को मतियों की सत्ताह के अनुसार बायंपालिका जकिन होने के नाते, देश की आय और लोकसेवाओं पर व्यष्ट का प्रबन्ध करने वा उत्तरदायित्व है। अत ब्राउन मर्वेप्रथम, कामन्य सभा को सरकार की वित्त संघीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदत्त करता है। इस तरह ब्राउन द्वारा वित्त की मांग की जाती है और कामन्य सभा अपनी सहमति प्रदत्त करती है।”^२

निटिश परमरा के अनुकूल भारत में, समद को बायंगानिका की वित्त संघीय मांग की स्वीकृत करने का अधिकार है। सविधान के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति समद के समक्ष, बायिव वित्तीय अनुमान प्रस्तुत वर्तवायेगा, जिसमें सध सरकार के वित्तीय वर्ष के निए प्रनुमानित आदव्यय वा उल्लेख होता है। व्यय को दो बगों में रखा जा सकता है।

(क) भारत की सचिन निधि में प्रदर्शित व्यय, और (ख) अन्य व्यय।

भारत की सचिन निधि में निम्नलिखित विषयों संघीय व्यय वा उल्लेख है:—

१—राष्ट्रपति पद के वित्तीय साम, भत्ते, तथा व्यय।

२—लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राजसभा के सभापति तथा उप सभापति के बैठन तथा मर्ते।

३—भारतीय सरकार के अनुग तथा उसका चाज, निशेन निधि व्यय, निष्ठमण व्यय तथा ऐसे व्यय जो भारत सरकार के अनुग में संबंधित हो।

१ टो० के० टोपे—‘पूर्वोक्त पुस्तक’ १६६३ पृ० २५१।

२ टो० ई० मेय—‘अट्रीटाइन इन इन द ला, प्रिवीलेजेज, प्रोसिडिंग्स एण्ड पूजेज आर पार्लियामेन्ट, १३ सहस्रण, पृ० ४६३।

४—सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते और सेवावृत्ति, व सधीय न्यायालय के सचिव में दी जाने वाली सेवा दृतियाँ ।

५—उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते और सेवा-दृतियाँ ।

६—भारत की स्वतंत्रता के पूर्व, भारत क्षेत्र में किसी न्यायालय के न्यायाधीश को सेवावृत्ति ।

७—सधीय सोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा सेवावृत्ति ।

८—भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते तथा सेवा वृत्ति ।

९—सप्तद के सदनों के समाप्ति और अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते ।

१०—किसी न्यायालय या पच न्यायालय के आदेश या निर्णय द्वारा स्थापित दायित्वों को पूरा करने के व्यय ।

११—संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा सचित निधि सबधी व्यय, जैसे- अनुच्छेद १४६ (३) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासकीय व्यय । अनुच्छेद १४८ (६) के अनुसार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रशासकीय व्यय, अनुच्छेद २७३ व २७५ (१) के अनुसार राज्यों की सहायता सदबी व्यय और देशी रियासतों के शासकों के प्रिवीपर्स ।

१२—अन्य व्यय जो समद द्वारा सचिन निधि के अन्तर्गत निर्धारित किया जाये ।

सचिन निधि के अन्तर्गत व्यय के लिए सप्तद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है । अन्य प्रकार के व्यय के लिए सप्तद की स्वीकृति की आवश्यकता है । सचिन निधि में उल्लिखित व्यय पर सप्तद में मतदान नहीं हो सकता है । अन्य व्यय के लिए अनुदान सदबी माग सप्तद में की जाती है । अनुदान की माग को लोकसभा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत पर ही रखा जा सकता है । लोकसभा को अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देने या अनुदान की माग में कमी करने का पूर्ण अधिकार है ।

बजट को पारित करने वा बायं, सप्तद वा एक मुख्य बायं है । सप्तद का बजट अधिवेशन प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के पश्चात् आरम्भ होता है । भारत में सर्वप्रथम, रेल मनी द्वारा लोकसभा में रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है । इसके पश्चात् वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है । इस समय वह अपने बजट भाषण से सरकार वी वित्त तथा अर्थ नीति पर देश की

* व्यवस्था के सदर्म में प्रकाश डालता है ।

बजट की प्रतियोगी संसद के सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए वितरित की जाती है। इस भवस्था में बजट पर वाद-विवाद विस्तार पूर्वक नहीं होता है। परन्तु संसद सदस्य इस भवसर को, सरकार की नीति तथा शासन के विभिन्न विमागों के कार्यों की भ्रातोचना करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

जैसा देखा जा चुका है, संसद की सचित निधि में उल्लिखित व्यय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है अत वाद-विवाद के पश्चात् लोकसभा उन विभिन्न मागों पर मतदान करती है जो सचित-निधि से संबंधित नहीं है। विभिन्न भ्राता-संघों की मागों पर पृथक् रूप से विचार होता है। यहाँ पर लोकसभा को प्रत्येक भ्रातालय के विगत वर्ष के कार्यों तथा नीतियों का भूल्याकान करने का भवसर प्राप्त होता है, क्योंकि अपनी मागों के आधिकार को बतलाते हुए प्रत्येक भ्रातालय अपने विगत वर्ष के कार्यों से लोकसभा को अवगत कराता है।

मागों की मतदान द्वारा स्वीकृत के पश्चात् वापिक विनियोग विधेयक लोक-सभा द्वारा स्वीकृत मागों तथा संचित-निधि संबंधी व्यय को साथ मिलाकर तंयार किया जाता है, जहाँ वाद-विवाद प्रायः सावंजनिक मुद्दों तथा सरकारी नीतियों तक सीमित रहता है। विशेषकर वाद-विवाद उन प्रश्नों पर होता है, जिन पर पूर्व में विचार नहीं हुआ है। किसी विषय पर वाद-विवाद के लिए अध्यक्ष की पूर्वानुमति आवश्यक है, और अध्यक्ष वाद-विवाद में मान लेने वाले सदस्यों को पहले ऐसे विषयों के संबंध में सूचना देने के लिए वह सकता है।

इसके पश्चात् विनियोग विधेयक को उन सब स्तरों को पार करना होगा जो एक साधारण विधेयक के विधि निर्माण के लिए आवश्यक है। लोकसभा जब विनियोग विधेयक पारित कर देती है तब अध्यक्ष प्रभागित करता है कि विधेयक घन विधेयक है। तत्पश्चात् विधेयक को राज्यसभा वे समझ मेजा जाता है। राज्यसभा के लिए, विधेयक पर विचार-विमर्श कर अपने सुभावों सहित, १४ दिन में विधेयक को लोकसभा के पास वापिस लौटाना आवश्यक है। परन्तु यह लोकसभा पर निर्भर है कि राज्यसभा के सुभावों को स्वीकार करे या न करे। विधेयक पर अन्तिम निर्णय लोकसभा का ही है। लोक सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृत के लिए मेजा जायेगा। राष्ट्रपति वो स्वीकृति आपवारिक है। विनियोग विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं लौटाया जा सकता है।

धन विधेयक निर्माण वा अन्तिम घरण संसद द्वारा वित्तीय विधेयक पारित करना है। सरकार के बार संबंधी प्रस्ताव घगले वर्ष के लिए वित्त विधेयक के रूप में लोकसभा के समझ प्रस्तुत किये जाते हैं। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया उपर्युक्त घण्टित विनियोग विधेयक को पारित करने वी प्रक्रिया के समान है। सदन में, विशेषकर समिति स्तर के वाद विधेयक पर विस्तार पूर्वक विचार

किया जाता है। संशोधन, प्रस्ताव करो को समाप्त करने या घटाने वे लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, पर करो को बढ़ाने के प्रस्ताव प्रायः प्रस्तुत नहीं होते। वित्त विधेयक अप्रेल माह में ही पारित किया जाता है क्योंकि प्ररविजनल क्लेबग्रन आफ टेक्सेज एस्ट १६३१ के अन्तर्गत वित्तीय प्रस्ताव, वार्षिक वित्त प्रस्तावों के प्रस्तुत करते ही प्रभावशील हो जाते हैं।

संसद में वित्त प्रक्रिया के अवधयन से यह स्पष्ट है कि देश की वित्त तथा अर्थ व्यवस्थाओं पर संसद का पूर्ण नियन्त्रण है। परन्तु यह सोचना गलत होगा कि संसद का नियन्त्रण वित्तीय विधि निर्माण तक ही सीमित है। बजट के पारित होने के पश्चात् भी संसद का नियन्त्रण देश की वित्त एवं अर्थ व्यवस्थाओं पर लगातार बना रहता है। परन्तु संसद का यह नियन्त्रण अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बास्तव में कार्यपालिका पर संसद के नियन्त्रण का महत्वपूर्ण साधन वित्त है। वित्त व्यवस्था के नियन्त्रण की प्रक्रिया में कनिष्ठ योग्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, जिनके माध्यम से संसद निरन्तर अपना नियन्त्रण कार्यपालिका पर करती है। वे निम्नलिखित हैं।

१—सरकारी लेखों का लेखा परीक्षण—लेखा परीक्षण वह प्रक्रिया है, जिसका उपयोग लेखों का परीक्षण, उनकी या उनके अन्तर्गत, कार्यों की उपयुक्तता विदित करने के लिए किया जाता है। संखेप में, लेखा-परीक्षण द्वारा वित्त सम्बन्धी कार्यों का भौतिक दो आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है।

क—वित्त सम्बन्धी कार्यों को विधि के अनुकूल होना चाहिये, और

ख—वित्त सम्बन्धी कार्यों की वित्त नियमों के अन्तर्गत उपयुक्तता इस दृष्टिकोण से निर्धारित करना कि वित्त सम्बन्धी कार्यों द्वारा अनुयुक्त एवं निरर्थक व्यय तो नहीं हुआ है।

भारतवर्ष में लेखा-परीक्षण के कार्य लेखा परीक्षण विभाग में निहित हैं, जिसका अध्यक्ष नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक है। लेखा परीक्षण, एक सघोष विषय है। संविधान के अनुच्छेद १४१ (१) के अनुसार नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्य तथा शक्तियों को संसद निर्धारित करेगी। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को सघ एवं राज्यों के द्वारा लाये करो से सबधित व्यक्तों का लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, नियन्त्रक तथा लेखा-परीक्षक को सघ तथा राज्यों के अन्य व्ययों का भी लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है। “व्यय पर संसद का नियन्त्रण, अपने अधिकारी नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के माध्यम से किया जाता है। वह व्यवस्थापिका की ओर से लेखों का लेखा-परीक्षण करता है तथा अपना प्रतिवेदन व्यवस्थापिका को प्रस्तुत करता है।”^१

^१. सी. ए. पी. अमरसरो—“एस्ट्रिट्स एडिलिलिस्ट्स” १९६५ भाग ४ पृ० ४२।

२—संसद को वित्तीय समितियाँ—संसद की कार्यपालिका के नियन्त्रण का अन्य साधन, उसकी वित्तीय समितियों के रूप में है। संसद की दो वित्तीय समितियाँ हैं।

क—लोक लेखा समिति—ग्रामम में सधीय लोकलेखा समिति में १५ सदस्य थे, जिनका निर्वाचित लोक सभा अपने सदस्यों में से करती है। परन्तु १९५३ से राज्य सभा के सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाने लगा। इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल में से ही लिया जाता है। लोकलेखा समिति, नियन्त्रक तथा महालेखा परोक्षक के संसद के समक्ष प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकारी लेखों का परीक्षण करती है। प्रत्येक मन्त्रालय या विभाग का एक अधिकारी लोकलेखा समिति के समक्ष, समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण या स्पष्टीकरण करने उपस्थित होता है। जिन मन्त्रालयों या विभागों में अनियमिताएँ हुई हैं उनके सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी, उसके निष्कर्ष तथा सुझाव लोकसभा को समिति-अध्यक्ष द्वारा पहुँचाये जाते हैं। लोकसभा से समिति का प्रतिवेदन वित्त मन्त्रालय को भेज दिया जाता है, जो समिति के सुझावों को भवित्व मन्त्रालय या विभाग से अवगत कराता है। यदि समिति के किसी सुझाव को सरकार अस्वीकृत कर देती है तो उसको ऐसा करने के लिए कारण बनाने होंगे। यह स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति कार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियन्त्रण रखने के लिए संसद को महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाती है। डा० नार्मन पामर का कहना है—“लोकलेखा समिति न केवल नियन्त्रक तथा महालेखा परोक्षक के प्रतिवेदन, और अन्य कागजातों की विभिन्न अनियमिताएँ को जात करने के लिए जाचती है परन्तु साय ही राष्ट्र के वित्त सम्बन्धी प्रशासन से सर्ववित निर्यंक व्यय, भ्रष्टाचार, अक्षमता एव अन्य त्रुटियों में भी रुचि रखती है। अतएव यह सरकारी लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संसद के हितों की रक्षक तथा जनता की सरकाक है। इसके प्रतिवेदन महत्वपूर्ण लेख है।”^१

लोकलेखा समिति की भूमिका के सबव में यहाँ इसके एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन वा उल्लेख करना आवश्यक होगा। यह मामला भारत-चीन युद्ध-१९६२ से सबैधिन है। भारत की पूर्वी सीमा पर हवाई-जहाजों के उत्तरने की हवाई-पट्टी को तैयार करने के लिए मुख्य इंजीनियर ने रु० १०८.८५ लाख का ठेका इस शर्त पर दिया कि सारा कार्य पाँच माह में पूरा हो जायेगा। वास्तव में सारे कार्य का अनुमानतः व्यय रु० ६३०३ हजार ही था। इस पर भी ठेकेदार को सारा कार्य समाप्त करने में एक वर्ष से अधिक समय लग गया। निर्माण कार्य

१. एन० डॉ० पामर—‘द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम’ १९६१ पृ० १२।

आरम्भ होने से पूर्व ही गोलीबार स्थागित हो चुका था। लोकलेखा समिति के समक्ष भेपना साक्ष्य देते हुए सुरक्षा-सचिव ने स्वीकार किया कि यदि युद्ध पुनः आरम्भ होता तो निर्माण कार्य के निर्धारित समय में समाप्त न होने के फलस्वरूप निश्चित भारतीय वायु सेना की कार्य-दक्षता पर आधात पहुँचता। समिति ने अपनी ४८वें प्रतिवेदन में, जो लोकसभा के १६ अप्रैल, १९६६, को भेजा था, सुझाव दिया कि अनुमंड वायर के आधार पर सबक सीखते हुए, प्रतिरक्षा वे अधिकारियों के लिए, भविष्य में ऐसे आपत्तिकालीन कार्य, जिसमें जनता का अत्यधिक यन लगता है, हाथ में लेते समय सतकंतापूर्वक कार्य करना चाहिये।

३—प्राक्कलन समिति—“प्राक्कलन समितियों स्थायी, तथा निरन्तर कार्य करने वाली मशीनरी के समान हैं जो व्यय की दृष्टि से अर्थ-व्यवस्था में बचत की समावना की जांच करती है और उसके लिए सुभाव प्रस्तुत करती है।”^१

भारत में सधीय प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य हैं जो सासद द्वारा एकल सङ्ग्रहणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित किये जाते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा वा अध्यक्ष मनोनीत करता है। प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति कतिपय मन्त्रालयों के वित्तीय अनुभानों की जांच करके लोक सभा को प्रतिवेदन भेजती है। विशेषकर प्राक्कलन समिति विभिन्न मन्त्रालयों में बचत तथा निपुणता हासिल करने के लिए सुभाव देती है। समयानुसार प्राक्कलन समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उदाहरण के लिए अपने प्रतिवेदन २ में समिति ने भारत सरकार के सचिवालय और विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संगठन के लिए सुभाव दिये हैं। प्रतिवेदन ६ में कतिपय प्रशासकीय तथा वित्त संबंधी सुधारों के लिए सुभाव दिये हैं। इसी प्रतिवेदन में समिति ने वित्त मन्त्रालय के लिए सुभाव दिया है कि बहुत काम एक साथ इकट्ठा न हो, विभिन्न प्रशासकीय विभाग अपनी योजनाएँ वित्त मन्त्रालय को कम से कम एक वर्ष पूर्व भेजे। इसी तरह प्रतिवेदन २० में समिति ने सरकार को यह सुभाव भेजा है कि जब भी सरकार झूँण लेने जाये तब सासद को सूचना देना आवश्यक है।

प्राक्कलन समिति के सुभाव सरकार को भेज दिये जाते हैं, जो इनकी कार्यान्वयित करने का प्रयत्न करती है। समिति को, उसके कार्यों में, सासद-सचिवालय द्वारा सहायता मिलती है और विभागीय अधिकारियों को यदि समिति यह चाहती है तो उसके समक्ष उपस्थित होता आवश्यक है। प्राक्कलन समिति लोकलेखा समिति के समान प्रशासन के क्षेत्र में निर्वर्यक व्यय पर रोक लगाती है। प्राक्कलन समिति के महत्व के सम्बन्ध में प्रो० मोरिस जोन्स ने कहा है—

१. एम० पी० ‘शर्मा—प्राक्कलन समिति स्ट्रेशन इन यियोरी एण्ड प्रेविट्स’, १९६० पृ० ३७७

"एक महत्वपूर्ण सीमा तब यह समिति बेवल मितव्यपता या कार्य दक्षता की भावना से प्रेरित होता ही नहीं परन्तु वायंपालिका वी निरकुशता को रोकने के विचार से एक वास्तविक विरोधी दल वी एवजी मे, महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। सचमुच मे एक अधिकसित देश मे इस तरह की व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। अन्त मे यह उल्लेखनीय है कि प्रावक्षलन समिति न यि लोकलेशन समिति दो वार्षीयों को करती है, जो भारत म महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम, यह सदन के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल है। द्वितीय समिति वे प्रतिवेदना का, सदन मे तथा सदन वे बाहर बहुत शैक्षिणिक मूल्य है। इसकी सहायता मे लोकमत के उस स्तर का निर्माण हो सकता है जो शासक और शासित वर्गों वे मध्य की साईं को दूर करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।"

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रशासन पर संसद का नियन्त्रण अन्तरिक तथा वाह्य साधनों द्वारा निरन्तर बना रहता है।

संसद की अन्य शक्तियाँ—संविधान द्वारा संसद को वित्तीय अन्य शक्तियों भी प्रदत्त हैं, जिनका निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है :—

१—संसद की सकटकालीन स्थिति संबंधी शक्तियाँ—संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा धोयित सकटकालीन उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी सहमति के लिए रखना आवश्यक है। जब देश मे सकटकालीन स्थिति है, तब अनुच्छेद २५० के अनुसार संसद को सध तथा समवर्ती सूचियो के अतिरिक्त उन विषयो पर भी विधि-निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो राज्य-भूमी मे उल्लिखित है। ऐसी स्थिति मे संसद को राज्यो के प्रशासकीय अधिकारियो को संविधान के अन्तर्गत कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार है।

२—संविधान मे संशोधन का अधिकार—पूर्व मे देखा जा चुका है कि संविधान मे संशोधन हेतु, संविधान के प्रावधानो को तीन वर्गो मे रखा जा सकता है। सर्व प्रथम, संविधान के ऐसे प्रावधान है, जिनको संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप इस प्रक्रिया-नुसार नये राज्यो का निर्माण या बत्तमान राज्यो के नाम या सीमाओं मे, राज्यो की विधान सभाओं के भूत को जानने के पश्चात् परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यो की विधान सभाओं मे द्वितीय सदन समाप्त किये जा सकते हैं या जिन विधान सभाओं मे द्वितीय सदन नहीं है, वहाँ द्वितीय सदन स्थापित किये जा सकते हैं, नागरिकता अनुसूचित क्षेत्रो का प्रशासन, अनुसूचित जातियो और

१ डब्ल्यु एच० मोरिस जोन्स—पूर्वोंवत, १९५७ पृ० ३०७-३०८।

वेन्द्रीय-प्रशासित क्षेत्र से सबधित विपद्यों से सम्बद्ध सविधान के सारे प्रावधान ससद में साधारण बहुमत के आधार पर पारित विधि द्वारा सशोधित किये जा सकते हैं।

द्वितीय, सशोधन की दृष्टि से, सविधान की द्वितीय श्रेणी में जो प्रावधान रखे गये हैं, उनका मूल रूप से सबध दोनों, सधीय राज्य सरकारों से है। अर्थात् यह सविधान के ऐसे प्रावधान हैं, जो सघडाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अतएव इनके सशोधन में सध तथा राज्यों दोनों को मार्गीदार बनाया गया है। सविधान के ये विषय निम्नलिखित हैं —

(क) अनुच्छेद ५४ तथा अनुच्छेद ५५ जिनके अनुसार राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्राप्ति के निर्वाचन के लिए निर्वाचिक भण्डल का एक हिस्सा माना गया है। अनुच्छेद ७३ तथा अनुच्छेद १६२ जो राज्यों की कार्म-पालिका शक्तियों से सबधित है, और अनुच्छेद २४१ जो सधीय क्षेत्रों में स्थित उच्च न्यायालयों से सबधित है।

(ख) सविधान के पांचवें हिस्से के लौथे अध्याय के अनुच्छेद जो कि सधीय न्यायपालिका से सबधित है, सविधान के छठे मांग का पौचदा अध्याय जो राज्यों में स्थित, न्यायालयों से सबधित है, और सविधान के ग्यारहवें हिस्से का प्रथम अध्याय जो सध राज्यों के सबध पर है।

(ग) राज्यों का ससद में प्रतिनिधित्व।

(घ) सविधान का अनुच्छेद ३६८ जिसमें सविधान सशोधन-प्रक्रिया उल्लिखित है।

सविधान के उपर्युक्त उपरिलिखित ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें सध तथा राज्यों, दोनों के हित निहित हैं, अतएव इन प्रावधानों का सशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियानुसार सध ससद तथा कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है। सर्वप्रथम, इनमें से किसी प्रावधान के सशोधन के लिए ससद के प्रत्येक सदन में विधेयक, सदन की पूर्ण सदस्यता के बहुमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिये। जब ससद ने सशोधन-विधेयक उपर्युक्त रूप में पारित कर दिया, तत्पश्चात् कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा विधेयक को सहमति मिलना आवश्यक है।

तृतीय, सविधान के अन्य प्रावधान (उपर्युक्त दो श्रेणियों में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर) ससद के प्रत्येक सदन में सम्पूर्ण सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित सदस्या से दो तिहाई बहुमत के आधार पर सशोधित किये जा सकते हैं।

अत यह स्पष्ट है कि ससद का एक महत्वपूर्ण कार्य सविधान का (कुछ प्रावधानों को छोड़कर जिनके लिये आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति आवश्यक है) सशोधन करना है।

३—संसद देश वा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर जनता की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न, उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रो० मोरिस जोन्स के अनुसार शिकायते दूर करने के कई प्रवासर हैं, पर निस्सदेह प्रश्न समय सबसे महत्वपूर्ण है। पर यह नहीं यहाँ जा सकता है कि सारे प्रश्नों का उद्देश्य शिकायतों को दूर करना होता है।

उदाहरण स्वरूप संसद के १९५३ के शरदकालीन अधिवेशन में बीस से अधिक प्रश्न निम्नलिखित विषयों पर पूछे गये—सूती कपड़ा, चर्खा तथा खादी-उद्योग, डाक-कर्मचारी, सेना, शक्ति, आकाशवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान, कोयला तथा खदाने, रेलवे दुर्घटनाएँ, मार्ग, एवं सबसे अधिक प्रश्न रेलवे मार्ग पर पूछे गये।

अन्य में हम इस निष्पक्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय संसद को, संविधान के अन्तर्गत संघवाद की सीमाओं में, महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनके द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखकर, उसे अपनी नीतियों, तथा कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकती है। परन्तु भारत में संसदीय प्रणाली की सफलता निर्वाचक गण तथा संसद में जनता के प्रतिनिधियों की सतर्कता तथा कार्यकुशलता पर निर्भर है।

संघीय कार्यपालिका एवं संसद के संबंध

संघीय कार्यपालिका तथा संसद के सबधों का दो सबधित आधारों पर अध्ययन करना उचित होगा। ये दोनों आधार, भारत में संसदीय सरकार के संदान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षों से सबधित हैं। अतः भारत में कार्यपालिका तथा संसद के सबधों को ज्ञात करने के लिए हमारे समक्ष मूल तथा भागीदारक तथ्य यह है कि संविधान द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली को स्थापना की गई है। संसदीय कार्यप्रणाली में संदान्तिक रूप में, वास्तविक कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है, फलस्वरूप कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) संसद के अधीन है। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि, कार्यपालिका तथा संसद के सबधों का विश्लेषण किया जाये तो यह विदित होगा कि बत्तमान काल में, संसद का संदान्तिक रूप से कार्यपालिका पर नियन्त्रण होने पर भी, व्यवहार में कार्यपालिका शक्तिशाली हो गई है।

संक्षेप में संघीय कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) तथा संसद के सबधों का अध्ययन निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है।

१—संसदीय प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार संघीय कार्यपालिका (मंत्री-मण्डल) सबध ।

२—संघीय कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) तथा संसद के संसदीय प्रणाली में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सबध ।

१—संसदीय प्रणाली के सिद्धान्तानुसार संघीय मंत्री मण्डल तथा संसद के सबध—संदान्तिक रूप से, संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत मंत्री मण्डल (वास्तविक कार्यपालिका) प्रत्यक्ष रूप से, संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है, जबकि नाम मात्र कार्यपालिका का, सरकार की नीतियों तथा कायीं के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं है। चूंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं, प्रश्न यह है कि इन दोनों हिस्सों से संसद के विस प्रकार के सबध हैं।

(क) मंत्री मण्डल (वास्तविक कार्यपालिका) के सबध में संसद को शक्तियाँ—संसदीय प्रणाली का आधार भूत सिद्धान्त भारत संविधान के अनुच्छेद ७५(३) में निहित है, जिसके अनुसार मंत्री मण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति

उत्तरदायी है। संविधान के इस अनुच्छेद के अध्ययन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि मन्त्री मण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के अधीन है और लोकसभा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर मन्त्री मण्डल का नियन्त्रण करती है। विभिन्न साधनों के माध्यम से लोकसभा मन्त्री मण्डल पर अपना नियन्त्रण रखती है, परन्तु सबसे प्रभावशाली साधन लोकसभा द्वारा मन्त्री मण्डल के विरुद्ध-अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। संसदीय प्रणाली में मन्त्री मण्डल पर नियन्त्रण रखने के लिए निचले सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, अन्तिम तथा सबसे कठोर तरीका है। श्री लालबहादुर शास्त्री तथा श्रीमती गांधी के कार्यकाल में विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के प्रयत्न किये गये, परन्तु इसमें वे सफल नहीं हुए।

सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त अन्य साधारण साधन भी हैं, जिनका उपयोग संसद में प्रायः प्रतिदिन मन्त्रीमण्डल पर नियन्त्रण रखने के लिए किया जाता है। आगे लिखे हुए साधनों को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाता।

- १—समिति प्रणाली।
- २—संसदीय प्रश्न।
- ३—संसदीय प्रस्ताव।
- ४—संसद में बहस।

समिति प्रणाली

जनतात्रिक राज्य में समितियों को व्यवस्थापिका के कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक माना जाता है। समितियाँ, न केवल व्यवस्थापिका के कार्यों को पूरा करने, परन्तु संसद के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए भी आवश्यक है। संसदीय समितियों को किसी लेखक ने संसद के—‘आँखों तथा कानों’ के रूप में माना है। समितियों के माध्यम से संसद विभिन्न विषयों पर तकनीकी तथा साधारण जानकारी हासिल करती है। “संसदीय समितियाँ प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियन्त्रण रखती हैं। वे प्रशासन की कार्यवाही की जांच तथा निरीक्षण भी करती हैं।”^१ मारतीय संसद में, समितियों की भूमिका का विशेष महत्व है, क्योंकि एक प्रभावशाली विपक्षी दल की अनुपस्थिति में, सरकार की निरक्षण प्रवृत्तियों पर समितियों रोक लगती है। “इन समितियों में ही विपक्षीय दल सरकार की नीतियों को प्रायः प्रभावित कर सकते हैं। इन समितियों के कार्य मारतीय संसदीय

प्रणाली के एक मनोपद्धनक पहलु है। सरकार पर एक प्रभावशारी नियन्त्रण वित्त समितियों का है। प्र० मोरिस जोन्स ने ममद पर अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में यह मन अभिव्यक्त किया है कि “इस प्रवार की समिति न बेबल मिनिस्ट्रियां तथा कार्ड्रिनेना के दिक्षार से, परन्तु एक दमनकारी और निरकुश वार्यशालिका पर अवधोष के रूप में होने के विचार में प्रेरित होकर (ममद में) एक बास्तविक विरोधी दल की एकी में, महत्वपूर्ण स्थान प्रदृष्ट करती है।”^१

भारत में समितियों ने एक महत्वपूर्ण नाम यह भी है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विदेयों पर समितियों में अधिक भट्टोग मिलने की मनावना के साथ विपक्षी दल सरकार को अधिक प्रभावित बर सकते हैं।

ममद में एक मगाटिन तथा प्रभावशारी विधी दल की अनुपमिति में, यह स्वामाविक ही है कि मस्तीय समितियों का महत्व अधिक हो गया है, बतोकि ऐसी स्थिति में समितियों के साध्यम से ही सरकार की नीतियों तथा कार्यों को, जन बल्यान के लिए प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, लोकलेवा समिति की जाँच के पलस्वरूप हीराकृष्ण दाद और जीष वाणी सबधी अनियमितनाएँ प्रकाश में लाई गई। प्राक्कलन समिति सरकार को बचन मवारी मुमाव देनी है। आजवासन समिति नरकार पर सनर्वना पूर्वक निशाह रख कर उसकी निरकुशना पर रोक लगानी है। इसी तरह प्रत्यायोगिताविधि समिति वार्यशालिका की नियम निर्माण शनि पर एक अकुश के मद्दृग है।

लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्यवाही के सचाउन के नियम १६५७ द्वारा ममद की विभिन्न समितियों के लिए प्रावधान किया गया है। इनको दो बर्गों में रखा जा सकता है :— (i) स्थायी समितियाँ, और (ii) विजेय समितियाँ। समितियों की नियुक्ति नदन के प्रभाव पर होती है। समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति बरने की शक्ति अध्यक्ष में निहित है, जिसमें विधी तथा सत्तारूढ़ दलों में से मदम्यों को समितियों में दिया जा सके। ममद की निम्नलिखित समितियाँ महत्वपूर्ण हैं।

१—कार्य संबधी परामर्श समिति—(दिजिनेम एट्वाइडजरी कमेटी) सदन के अधिकारियों के आरम्भ में वार्य सबधी परामर्श समिति का निर्माण ममद के कार्यक्रम के नियांरप के लिए किया जाना है। इसके १५ सदस्य हैं। इनका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष है।

१. आर बन्हेम—‘पालिंयामेन्ट एए डेमोक्रेसी इन इंडिया, (इन स्टडीज इन इंडियन डेमोक्रेसी) सम्पादित एस० पी० अध्यर और आर० श्रीनिवासन, सन् १६६५ पृ० १५८-१६६।

३—साधारण (प्राइवेट) सदन्य-विषेषक तथा सदन्य सदस्यी समिति (हेटो आन प्राइवेट मेम्बर्स दिन एन्ड रिकोर्ड्स)।—इस समिति का कार्य सामाजिक सदन्य-विषेषकों की जांच कर, उन्हें सचिव के विचार-विनाश के लिए प्रस्तुत बताता है। इनमें नीं १५ सदन्य होते हैं। लोकनाना के अन्यभ द्वारा समिति वा अन्यका, दृष्टे सदन्यों ने ने ननोनीति भिन्ना जाता है। यदि सामाजिका का उत्तराधिकार समिति वा सदन्य है, वह स्वतं समिति का अन्यका बन जाता है।

४—प्रबल समिति (सेनेट व्हेटो)।—प्रबल समिति की नियुक्ति उच्च दर्जा होती है, जब सदन न प्रस्ताव पारित किया जाता है कि विषेषक वो प्रबल समिति वे समझ रक्खा जाने। अनन कामों वे निए, प्रबल समिति विषेषकों की नम्मति लेती है, आवश्यकतानुसार साथी लेती है, तथा बागजाना वा नीं निर्योक्तम करती है। प्रबल समिति वो सदन्यवा सदन में राजनीतिक दला की गतिके अनुराग में नियांति की जाती है। लोकनाना का अन्यका समिति के अन्यका वा ननोनीति करता है, परन्तु यदि लोकनाना वा उत्तराधिकार समिति वा सदन्य है तो वह अत् समिति का अन्यका हो जाता है। महन्त्यूर्प विषेषकों के लिए सचिव वे दोनों सदनों की समुक्त समिति में लोकनाना के दो-विहार और राजनाना वे एक-विहार सदन्य होते हैं। समुक्त समिति के सदन्यों की सच्चा, प्राप्त ३० होती है। सामान्यतः एक प्रबल समिति में ३ में १५ तक सदन्य होते हैं।

५—याचिका संबंधी समिति (हेटो आन विटोग्राम)।—उदन वे याचिका गत के मार्गन में, इस समिति के सदन्यों को लोकनाना वे अन्यका द्वारा समोनीत भिन्ना जाता है। याचिका संबंधी समिति के १५ सदन्य होते हैं। समिति वा नाये दलों वे प्रेसित की गई याचिकाओं को जांचना है, यह प्रत्यना प्रतिवेदन सदन वो देती है। समिति सदन के समझ विषेषक वे संबंध में याचिकाएं ग्रहण करती हैं और याचिकाओं की प्रतिकों को सदन में विषेषक पर विचार विनाश करने के पूर्व विवरित बताती है। इन याचिकाओं द्वारा सचिव वे समझ विषेषकों पर उनका वा अत् विदित होता है और प्राक्कल्पन भवित वे सदन में याचिका का योगदाही की जाती है।

६—प्राक्कल्पन समिति (एम्प्रियेट्स व्हेटो)।—सचिव वो दो विनोय समितियों ने प्राक्कल्पन समिति एक है। प्राक्कल्पन समिति वो नियुक्ति सचिव वे प्रस्तुत अन्य-वेदन के ही मार्गन में प्रतिवर्ष होती है। इनके सदन्यों की सच्चा ३० होती है, दिनका चूनाव लोकनाना में अनुरागिक मानार पर होता है। “प्राक्कल्पन समिति का कार्य विज्ञार पूर्वक दृष्ट अनुनानों तथा व्ययों की जांच करना है, इसकिए यह सख्तार वो न बेदन विनोय शेत्र में, वरन् अन्य शेत्रों में नीं प्रकाशित बनने के लिए अक्तिगती स्थिति में है।”

१. एम. वो पापनी—‘इंडियाव वान्ड्रीट्सान, १८६२, पृ० २१२।
१३

लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमो (नियम ३१०) के अनुसार प्रावक्लन समिति के चार प्रमुख कार्य हैं।

(१) यह प्रतिवेदन देना कि प्रावक्लन में उल्लिखित नीति के अनुकूल किस तरह मितव्ययिता, सगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासन में सुधार लाये जा सकते हैं।

(२) प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए चैक्लिक नीतियों का सुझाव प्रस्तुत करना।

(३) यह जांच करना कि प्रावक्लन में निहित नीति के अनुसार घन का उचित वितरण किया गया है या नहीं।

(४) यह सुझाव देना कि प्रावक्लनों को सदसद के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

प्रावक्लन समिति के कार्यों के सबध में, ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि सदसद द्वारा बजट के पारित होने के पश्चात् इसके कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। समिति सारे वर्ष सरकार के विसी नी विभाग या अभिकरण को लेकर सारे वर्ष जांच का कार्य करती है। प्रावक्लन समिति के प्रतिवेदन, सरकार को दिये गये सुझाव के रूप में होते हैं। सरकार इनको स्वीकृत कर सकती है। यदि सरकार इन्हे अस्वीकृत करती है तो सरकार को ऐसा करने के लिए कारण बतलाने होंगे। यदि समिति अपने मत पर दृढ़ है तो अन्तिम निर्णय सदसद के हाथ में होगा।

६—लोकलेखा समिति—“लोकलेखा समिति प्रावक्लन समिति की जुड़वाँ-बहन है। यदि प्रावक्लन समिति प्रावक्लनों की जांच से सबधित है तो लोकलेखा समिति का सबध लोक-निधि के व्यय करने के तरीकों तथा नवीजों से है।”^१

लोकलेखा समिति के २२ सदस्य होते हैं, १५, लोकसभा के तथा ७ राज्य सभा में से। ये सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होते हैं। लोकलेखा समिति के कार्यों का उल्लेख सदसद की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचालन के नियमों में किया जाता है, जो निम्नानुसार है।

भारत सरकार के वित्तीय लेखों और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करके, लोकलेखा समिति निम्नलिखित बातें विदित करती है।

(१) लेखों में जिस घन राशि का वितरण बतलाया गया है, क्या वह वैधानिक रूप से प्राप्त थी या नहीं, और जिस सेवा में या उद्देश्य के लिए व्यय किया गया, क्या वह वैधानिक आधार पर किया गया।

१. एम० बी० पापती—‘पूर्वोपत पुस्तक’ पृ० २१२।

- (ii) व्यय उचित अधिकार के अनुसार है या नहीं ।
 (iii) वित्त का प्रत्येक पुनर्विनियोग, इस संघ में, सक्षम अधिकारी द्वारा निमित्त नियमों के अनुकूल है या नहीं ।
 (iv) लोकलेखा समिति सरकारी निगमों के लिए, व्यापारिक तथा निर्माण योजनाओं की जाँच करती है ।

लोकलेखा समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच वर यह निर्धारित करना है कि संसद द्वारा स्वीकृत घन-राशि वा उपयोग, उचित रूप से किया गया है या नहीं । समिति के प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं, जो प्रायः इन्हे स्वीकृत कर लेती है ।

लोकलेखा समिति की भूमिका वी प्रायः आलोचना वी जाती है कि समिति द्वारा वित्तीय मामलों की जो जाँच होती है, वह देर से होने के बारण व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि इसका बोई प्रभाव नहीं रहता । यह भी वहा जाता है कि समिति के बायं शब-परीक्षा (पोस्टमार्टम) के समान है, क्योंकि घन का व्यर्थ व्यय एक बक्त होने के पश्चात् उम्मो पुन वापिस नहीं पाया जा सकता है । पर जैमा डा० भास्मरी ने बहा है—“यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है कि पोस्ट-मार्टम वी अपनी उपयोगिया है ।”^१ घन के व्यय पर समिति द्वारा निरीक्षण उन लोगों पर एक बड़ी रोक है जिनको घन व्यय बरने का कार्य सौंपा गया है । ‘वेबल इस तथ्य वा अहसास कि जो कुछ किया गया है, उसकी जाँच के लिए बोई है, कार्यपालिका वी सुस्ती और लापरवाही पर एक महान अवरोध है । यदि जाँच उचित रूप में हुई है तो इसके द्वारा प्रशासन में कार्य-युशलता प्राप्त होती है ।”^२

७—प्रत्यायोजित-विधि संबंधित समिति (कमेटी आन डेलिगेटेड लेजीस्लेशन)—इस समिति के सदस्यों की संख्या १५ तव होती है । इन्हे लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है । इसका कार्य विभिन्न नियमों, उपनियमों आदि की जाँच करके संसद को प्रतिवेदन देना है, कि यह संसद या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार है या नहीं । संसद के अभिकर्ता के रूप में इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका वी नियमों को निर्माण बरने की शक्ति का सतकंतापूर्ण निरीक्षण करना है, जिससे यह विदित किया जा सके कि कार्यपालिका ने अपने निर्धारित क्षेत्र में रहकर संसद या संविधान द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति अनुसार विधि निर्माण

१. सौ० धौ० भास्मरी—‘पूर्वोक्त पुस्तक’ भाग ३, पृ० ८२ ।

२. जौ० धौ० भास्मरी—‘स्वीचेज एण्ड राइटिंग—स्पीच टू पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, अप्रैल, १० सन् १६५० पृ० ७६ ।

विया है या नहीं। इन दृष्टिकोण से यह समिति कार्यपालिका की निरक्षण बनन को प्रचुरिं पर एवं प्रभावशाली अद्युत्त है। इस समिति पर मत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

८—विशेषाधिकार समिति (इमेटी आन प्रिवेतेजेज) —इस समिति का गठन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सदन के अधिवेशन के घारमें में हाता है। इसके १५ सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य विशेषाधिकार या विशेषाधिकार उल्लंघन सबधी प्रश्नों की जाँच करना है। जाँच करने के पश्चात् समिति अपना प्रतिवेदन सदन को देनी है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है।

९—सरकारी आश्वासनों-स्वधित समिति (इमेटी आन गर्डमेण्ट एशयुरेन्स) —

इस समिति में १५ सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य मत्रियों द्वारा ससद में दिये गये आश्वासनों तथा वचनों की जाँच, इस उद्देश्य से वरना है कि मत्रियों द्वारा वे वहाँ तक कार्यान्वयित विये गये हैं। श्री एम० एन० बील ने इस समिति की मूलिका पर प्रकाश ढालते हुए कहा है—“इस समिति ने प्रशासकीय कार्य-कुशलता पर चौकसी रखने के साथ पुरानी प्रणाली में से कई दोषों को दूर किया है। मत्री, अब वचन देने में सर्वक रहे, और प्रशासन द्वारा दिये हुए वचन पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। सरकार के मत्री अब ससद के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं।”^१

१०—सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों सबधी समिति (इमेटी आन एव्हसेन्ट मेम्बर्स) —इस समिति को सदस्य सत्या भी १५ ही है, जिनको लोकसभा का अध्यक्ष एवं वर्षे वे निए भनोनीत करता है। सदन के सदस्यों वे, अनुपस्थिति के सबध म, आवेदन पत्रों की जाँच यह समिति करती है। समिति प्रत्यक्ष ऐन मामले की जाँच करती है, जिसमें कोई सदस्य ६० या इससे ज्यादा अधिक दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा है। समिति ऐसे मामल में, सदन को प्रतिवेदन नेतृत्व करती है कि सदस्य को अनुपस्थिति भाष्ट की जाये या उमड़ा स्थान रित घायित किया जाय।

११—नियम समिति (स्लस इमेटी) —इस समिति के १५ सदस्य हैं, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष हाता है। इस समिति का कार्य सदन की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचालन के नियमों की जाँच करना है, जिससे सदन की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचालन में आवश्यक संशोधन किया जा सके।

^१ एम० एन० बील—‘पार्लियामेन्टरी प्रोसिजर सिन्स इन्डिपेन्डेंस (इन रिपब्लिक अफेयर्स) मार्च १९५७, पृ० १४।

भारतीय संसद में विभिन्न समितियों की भूमिका का अध्ययन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि संसद में एक सुसंगठित तथा प्रभावशाली दल के भ्रमाव में समितियाँ कार्यपालिका पर सतुरित तथा जनतात्रिक रूप से प्रभाव पहुँचाने में सहायक हुई हैं।

संघीय प्रश्न

संसद के हाथों में, सरकार पर नियन्त्रण स्थापित रखने के लिए दूसरा साधारण साधन संघीय प्रश्नों के रूप में है। संसद के सदस्यों को मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रश्न, संघीय जनतात्र का एक मूल्यवान साधन है। “प्रश्न समय एक तेज प्रकाश वाले लेख्य के समान है, जिसका प्रकाश मंत्रियों की कार्यवाही पर डाला गया है। यह एक स्वस्थ अवरोध है जो मंत्रियों को कार्यं करने के लिए बाध्य करता है, जिससे वे किसी भी दिन सदन के किसी भी कोने से उठाये गये आलोचनात्मक प्रश्नों तथा अतिरिक्त प्रश्नों का सामना कर सकें। यह सदन के सदस्यों को वह अवसर देता है, जिसके द्वारा न केवल जानकारी हासिल की जा सकती है, परन्तु सत्ता के दुरुपयोग, इसकी असफलता तथा जनता की मांगों की और ध्यान आकर्षित किया जाता है। एक पीड़ित नागरिक के लिए जो अपने प्रतिनिधि को अपनी मांगों के लिये प्रश्न पूछने के लिए कहता है, वह एक मूल्यवान उपचार है।”^१

संसद में प्रत्येक दिन बैठक के पहले घंटे में प्रश्न पूछने के लिए मंत्रालयों को तीन वर्गों में वर्णित दिया गया है। प्रत्येक वर्ग के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए सप्ताह में दिन निर्धारित किये गये हैं। ये तीन वर्ग निम्नलिखित हैं :—

क—विदेशी मामले, वैज्ञानिक अनुसंधान, वाणिज्य-उद्योग कानून तथा पुनर्वास।

ख—कृषि, आवागमन, खाद्य, रेलवे, खदान, और शक्ति।

ग—प्रति रक्षा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, गृह-मामले, व सूचना-प्रसार।

इस तरह प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विषयों पर सप्ताह में प्रश्न पूछने जा सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दो दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सदस्यों को, सदन के नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। प्रश्न,

१. एम० पी० शर्मा—‘द गर्वमेष्ट ऑफ द इण्डियन रिपब्लिक’, १९६१ पृ० १८६।

यदि नियमानुसार नहीं पूछे गये हैं तो इनको सदन की कार्यवाही से अलग किया जा सकता है।

सामान्यत प्रश्नोत्तर मनियों के अधीन अधिकारियों द्वारा तैयार बिये जाते हैं और मनी उत्तरों को सदन में पड़ देते हैं। यदि स्पष्ट या सतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है तो कोई भी सदस्य अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है। अत प्रश्नों द्वारा ससद सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जनता वा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। प्रश्न न बेवल मनियों को सतकं करते, अपितु प्रशासकीय अधिकारियों को भी सतकं तथा वार्य कुशल होने के लिए बाध्य करते हैं। श्री हयु गेट्स्वेल कहते हैं—‘जिस विसी न प्रशासकीय विमान वी आन्तरिक स्थिति को देखा है, वह मुझसे सहमत होगा कि लोक बमंचारियों द्वारा अत्यंत सतकं, भीरु तथा सावधान और अपने लेख प्रमाण तैयार रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्त्व ससदीय प्रश्न का ढर है।’^१

श्रीपचारिक दृष्टि से ससदीय प्रश्न वा उद्देश्य मनियों से जानकारी हासिल करना है। परंतु वास्तव म प्रश्न को इस तरह रखा जाता है, कि विपक्षी दल को सरकार का नीचा दिलाते हुए कोई राजनीतिक उपलब्धि हो, या निससे प्रशासकीय वुराई तथा सत्ता के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित हो। अत ससदीय प्रश्न का यह स्वरूप उनको एक तेज धार वाले अस्त्र के रूप म प्रदत्त है, जिसका उपयोग विपक्षी दल प्रभावपूर्वक न रखते हैं।

ससदीय प्रस्ताव

ससद में विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पारित करके सरकार को प्रभावित किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रश्नों से मिन हैं, और उन्ने प्रभावकारी नहीं होते हैं। “प्रस्ताव प्रश्नों से दो तरह से मिन होते हैं। सर्वप्रथम ये प्रश्नों के समान प्रतिदिन उपयोग में नहीं आते हैं। प्रायव्हेट सदस्य विधेयक के समान मतदान द्वारा इनको प्रायमिकता दी जाती है। द्वितीय, इनका उद्देश्य जानकारी हासिल करना नहीं परन्तु सरकार को कार्य करने का सुभाव देना है।”^२ प्रस्ताव पारित करने के लिए भी पूर्व मूलना देना आवश्यक है। प्रस्तावों को स्वीकृत होने वा अर्थे यह नहीं है कि सरकार इनको मान्यता दे, क्याकि वास्तव में ये सुभाव के स्पष्ट भी होते हैं।

ससद सरकार पर स्थगन प्रस्ताव पारित कर प्रभाव डाल सकती है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य, सामान्य कारों को ढोड़कर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय

^१ एच० गेट्स्केल, हेनरीड०, अप्र० २१, १६४७।

^२ एम० पी० शर्मा—‘पूर्वोक्त पुस्तक’, पृ० १६६।

पर विचार-विमर्श करना होता है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न—समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात् किसी भी दिन रखा जा सकता है। तथापि, जो प्रस्ताव विसी सांवंजनिक महत्व के विषय से संबंधित नहीं हैं, या किसी तरह स्पष्ट नहीं है, या अन्य क्षेत्राधिकार में हैं या विसी न्यायालय वे समझ हैं, वे संदर्भ में अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

स्थगन प्रस्ताव वा संदर्भ द्वारा पारित होना सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित होना है। अतएव सरकार प्रायः प्रयत्न बरती है कि स्थगन प्रस्ताव पर मतदान न हो।

संघीय वहस

संसद में वहस एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा संसद सरकार पर नियन्त्रण करती है। वहस द्वारा संसद सरकार तथा प्रशासन की नीतियों एवं कायों के संबंध में जानकारी प्राप्त बरती है। वहस वा महत्व केवल उस समय होता है, जब संसद के समझ किसी नयी विधि के निर्माण या पुरानी विधि में संशोधन या समाप्ति के लिए विधेयक है। वस्तुस्थिति यह है कि, प्रायः सांवंजनिक महत्व के विषयों पर वहस होती है। 'एवं तरह से हम कह सकते हैं कि संसद के संदर्भ प्रायः किसी न किसी विषय पर वहस बरते हैं। विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध, बजट के मुल्य हिस्से, तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श, वारतव में वहस ही है। एक सुस्पष्ट संघीय परम्परा के अनुसार प्रधान मंत्री कभी भी विषयकी दल के नेता के विसी विषय पर वहस करने के निवेदन को अस्वीकृत नहीं बरता है।'^१

इस प्रवार वहस वा महत्व मह है कि इसके द्वारा सरकार को अपनी नीति के विसी पहलू के स्पष्टीकरण और बचाव करने के लिए बाधित होना पड़ता है। और उसको उक्त विषय पर भिन्न मतों को मापने में सहायता मिलती है। "इनके द्वारा विषयकी दल, किसी नीति के क्षीण तत्वों को प्रकाश में लाकर उनमें सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं। संदर्भ में हुए विचार-विमर्श प्रेस तथा जनता के समझ आते हैं, जिससे उक्त विषय पर जनमत का निर्माण होता है।"^२

संसद में वहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट है। जब संसद विचार विमर्श करने के दौरान विभिन्न विभागों की वित्तीय मांगों की कड़ी जाँच बरती है, उस वक्त प्रत्येक प्रशासकीय विभागों की नीतियों तथा कायों का संसद को निरीक्षण बरने वा अवसर प्राप्त होता है।

१. एम० पी० शर्मा—'पूर्वोक्त पुस्तक', पृ० १६०।

२ वहसी पृ० १६०।

अतएव बजट पर बहस के समय प्रत्येक मंथालय के बार्ये को ससद की कड़ी नजर के समक्ष लाया जाता है। सधेष में, प्रश्नों तथा बहस द्वारा, प्रशासन का निरन्तर एवं अनवरत पुनरीकाण होता है। "छोटे-छोटे विषय के अत्यधिक महत्व-पूर्ण परिणाम होते हैं। क्योंकि विषयकी दलों द्वारा सारा समय, कार्यपालिका की दुर्बलताओं पर दृष्टिपात करने में व्यतीत होता है और यदि एक बार यह विदित हो जाये तो विषयकी दल उनका उपयोग निरन्तर करते हैं!"^१

अतः जैसा भलं एट्ली का कथन है—“मेरे विचार में सदन में प्रश्न का समय वास्तविक जनतत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है—मनियों से प्रश्न पूछने का, और सार्वजनिक रूप से सदन में पूछे गये प्रश्नों का प्रभाव सारी लोकसेवा को सतर्क करना है।”^२

ससद की राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियाँ

भारतीय संविधान द्वारा ससद को, राष्ट्रपति पर नियन्त्रण के लिए कठिपय शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। राष्ट्रपति के संबंध में ससद की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं—

१—राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर ससद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचिक भष्टल का गठन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है।

२—राष्ट्रपति पर अनुच्छेद ६१ के अन्तर्गत महाभियोग लगाकर ससद उसे पदच्युत कर सकती है। परन्तु इस सबध में, जैसे देखा जा चुका है, एक गमीर त्रुटि यह है कि जब ससद का सत्र नहीं हो रहा है और यदि ऐसे समय राष्ट्रपति संविधान का उत्तराधन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना सभव नहीं होगा क्योंकि ससद सत्र में नहीं है और ससद के अधिवेशन आमत्रित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है।

३—विधि-निर्माण-कार्य मुख्य रूप से ससद का ही उत्तरदायित्व है, परन्तु जब ससद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होता है तब उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर या तो अपनी सहमति

१. एन० बी० गाडगिल, अकाउन्टेविलिंग आफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन द इंडियन जनरल आफ द पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन, न्यू देहली भाग—१ न० ३, पृ० १६६।

२. सो० एट्ली—‘सिविल सर्विस इन ब्रिटेन एण्ड फ्रान्स, सम्पादित, डब्ल्यू ए० राबसन द्वारा—१६५६, पृ० २०।

देता है या संसद के पुनर्विचार के लिए वापिस भेजता है। राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के बावजूद भी संसद ही सर्वोच्च है।

४—अनुच्छेद १२३ के अन्तर्गत जब संसद अधिवेशन में नहीं है, तब राष्ट्रपति आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी बर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू करने के अधिकार पर संविधान निर्माताओं ने कठिनपय महत्वपूर्ण अवरोधों के लिए संविधान में प्रावधान किया है। यह अवरोध विशेषबर संसद की उस शक्ति के रूप में है, जिसके द्वारा संसद अपनी बैठक में अध्यादेश दो समाप्त बर सकती है। यह सत्य है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी बरने की शक्ति बो दुष्प्रयोग में लाने से रोकने के लिए संसद को कुछ शक्ति है परन्तु यह स्पष्ट है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संसद को स्थागित रखने का भविक्तम समय छ द्वारा है और इस दृष्टि से एक अध्यादेश का कार्यकाल ६ माह बा हो सकता है। इस अत्यधिक समय में कार्यपालिका अध्यादेश द्वारा असीमित शक्तियों प्राप्त बर निरकुश बन सकती है। “किसी भी देश में जहाँ लिखित संविधान तथा संसदीय सरकार है वहाँ राष्ट्राधिकार को इस तरह की अद्भुत शक्तियों प्राप्त नहीं हैं।”^५

राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति बे माध्यम से, कार्यपालिका असीमित शक्तियों का अपहरण बर सकती है।

इस शक्ति की तुलना, भारत सरकार बे अधिनियम १९१६ तथा १९३५ बे अन्तर्गत गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से की जा सकती है, जिसने त्रिटिश राज म बार्यं पालिका को अत्यन्त शक्तिशाली बनाया था। यद्यपि यह सत्य है कि भारत बे संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति, मंत्री मण्डल की सलाहा-नुसार ही अध्यादेश जारी करेगा, परन्तु संविधान में बोई प्रभावपूर्ण आशवासन नहीं है कि कार्यपालिका इस शक्ति का दुष्प्रयोग नहीं करेगी। केवल राष्ट्रपति ही इस बात का निर्णय द्वारा है कि किन कारणो के बश अध्यादेश जारी किया जाये। न्यायालय, राष्ट्रपति के इस बार्य की उपर्युक्तता के प्रश्न की जाँच नहीं कर सकते हैं न ही इस बात बी भी कि अध्यादेश जारी बरने के लिए आवश्यकता भी थी या नहीं थी। न्यायालय केवल इस प्रश्न की ही जाँच बर सकते हैं कि अध्यादेश संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति को शक्ति बे अनुसार लागू किया गया है अथवा नहीं।

संविधान समा मे बाद-विवाद के दौरान डा० अम्बेदकर ने, यह प्रश्न रखवार, राष्ट्रपति बी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का ग्रोचित्य बतलाने का प्रयत्न

५ ए० थी० लाल-‘द इण्डियन पालिंयामेन्ट, १९५६, पृ० २३।

किया, “जन परिस्थितियों की कल्पना करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, जब वर्तमान कानून किसी अकस्मात् एवं तत्काल रूप से निर्मित परिस्थिति के लिए प्रयोगित न हो। कार्यपालिका तब क्या करे? ऐसी गमीर समस्या का मुकाबला करना होगा, और मेरे मतानुसार इस समस्या का केवल यही समाधान है कि राष्ट्रपति को उक्त समस्या का सामना करने के लिए कानून लागू करने की शक्ति प्रदत्त वी जाये क्योंकि व्यवस्थापिका सत्र में नहीं है।”^१

राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू करने वी शक्ति के ओचित्य का परीक्षण दो विवरणों को ध्यान में रखकर करना आवश्यक होगा। सर्वप्रथम, चूंकि राष्ट्रपति को संविधान के अन्तर्गत संसद को आमत्रित करने का अधिकार है तो क्या संसदीय प्रणाली के सदर्न में यह उचित नहीं होता कि ऐसी महत्वपूर्ण तथा गमीर प्रश्न के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के स्थान पर अमरीकी राष्ट्रपति की शक्ति के समान भारतीय राष्ट्रपति को संघीय व्यवस्थापिका सभा के विशेष सत्र आमत्रित करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त की जानी चाहिये थी, अबता, द्वितीय, यदि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने वी शक्ति प्रदान करना अति आवश्यक है तो क्या संविधान निर्माताओं को अध्यादेश के कार्यकाल को निश्चित रूप से निर्धारित करना आवश्यक नहीं था? और साथ ही, उचित होता कि संविधान में इस विषय पर यह प्रावधान भी रखते कि अध्यादेश के जारी होने के तुरन्त बाद संसद का अधिवेशन आमत्रित किया जाये।

संविधान में इस प्रकार के प्रावधानों का आभाव जनतत्र के लिए हानिकारक है। श्री अनन्त शशन ग्रन्थगार (लोक सभा के एक अध्यक्ष) ने “भारत में विधि तथा जनतत्र”, विषय पर १६५६ में भाषण देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति कि अध्यादेश लागू करने की शक्ति ‘संसदीय पद्धति में निषेधात्मक है।’^२

५—यदि राष्ट्रपति सतुष्ट है वि भारत की सुरक्षा को, युद्ध या धाहा आक्रमण या आन्तरिक व्यवस्था को खतरा है, तो वह संविधान के अनुच्छेद ३५२ (१) के अन्तर्गत, आपत्कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति, अनुच्छेद ३५२ (३) के अनुसार उपर्युक्त वर्णित खतरे की समावना में भी आपत्कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। “आपत्कालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। यह राष्ट्रपति को निर्धारित करना है कि सकटकालीन स्थिति है, राष्ट्रपति को इसकी घोषणा करना है और राष्ट्रपति को इसको समाप्त करना है। आपत-

१. दो० आर० अम्बेदकर, काम्स्टीट्युएन्ट असेम्बली डिवेट्स भाग ८, पृ० २१३।

२. ए० अद्यगर—‘ट्रिव्यून’ अम्बाला, फरवरी ६, १६५६।

बालीन स्थिति में, ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति पर निर्भर है।^१

तथापि, संविधान समा के बाद-विवादो में श्री अल्लादी स्वामी अव्यार ने यह स्पष्ट किया कि 'संविधान गे, वास्तव में, 'राष्ट्रपति' शब्द का तात्पर्य मन्त्री मण्डल, (वास्तविक कार्यपालिका) से है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है'^२ इस विषय पर संविधान में विद्यमान वित्तिय व्रुटियों को ध्यान में रखना चाहिये।

अनुच्छेद ३५२ (२) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वी गई आपत्कालीन घोषणा दो माह के बाद समाप्त हो जायेगी, यदि इसी वीच संसद के दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत नहीं होती है। यदि घोषणा ऐसे समय हुई है, जब लोकसभा विधित हो चुकी है या होने जा रही है, तब घोषणा के लिए दो माह के अन्दर राज्यसभा की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्पश्चात् नई लोकसभा की वैठक के तीस दिन के अन्दर उसकी स्वीकृति होना भी आवश्यक है। यदि नई लोकसभा द्वारा घोषणा अस्वीकृत वी जाती है तो लोकसभा वी वैठक के तीस दिन के बाद घोषणा स्वतं समाप्त हो जायेगी। संविधान वे अनुसार कार्यपालिका को संसद के समक्ष आपत्कालीन घोषणा प्रस्तुत करने के लिए, दो माह की लम्बी अवधि दी गई है। जहाँ तक आपत्कालीन शक्तियों को कार्यपालिका में निहित करने वा प्रश्न है, इसके सबध में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह अत्यावश्यक है कि इसके साथ ही इस विषय पर संसद की भूमिका को और अधिक प्रत्यक्ष, निकट, तथा प्रभावशाली बरना चाहिये था, जिससे आपत्कालीन शक्तियों के कार्यपालिका द्वारा उपयोग पर संसद वास्तविक रूप से अकुश रख सकती है। इग्लैण्ड में कार्यपालिका आपत्कालीन स्थिति वी घोषणा करती है और तत्पश्चात् संसद सहमति प्रदत्त बरती है, परन्तु विटिंग पद्धति, भारतीय पद्धति, से महत्वपूर्ण रूप में भिन्न है। इग्लैण्ड में आपत्कालीन घोषणा वा तात्पर्य संसद का स्वतं पांच दिनों में घामत्रित होता है जबकि भारत में घोषणा के संसद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए दो माह तक रोका रखा जा सकता है। यह यह स्पष्ट है कि संसद का कार्यपालिका पर, आपत्कालीन घोषणा की दृष्टि से, अपर्याप्त नियन्त्रण है क्योंकि यह तत्काल तथा प्रत्यक्ष नहीं है। इसका उपचार यह है कि संसद, विशेषकर लोकसभा, को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाये। जब तक संसद (लोकसभा) सत्र में है और घटुभत इसका विरोध करता है, कोई राष्ट्रपति संविधान वे अनुच्छेद ३५२ का

१ के० वी० राव०—'पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी इन इंडिया, १९६१, पृ० २३१।

२ ए० के अध्यक्ष,--'कान्स्टीट्युएन्ट असेम्बली डिवेल्पमेंट भाग-६, पृ० ५४५-५६।

दुरुपयोग नहीं कर सकता है और, यदि, सविधान निर्माताओं द्वारा पूर्व में, ही कुछ सावधानी के उपाय, जो निम्नलिखित हैं, किये जाते तो उचित होता।

एक—राष्ट्रपति की लोकसभा को आमंत्रित, स्थगित एवं विघटन करने की शक्तियाँ आपत्कालीन समय में स्थगित रह।

दो—यदि संसद सत्र में नहीं है तो ऐसे समय में आपत्कालीन घोषणा होने से संसद की बैठक सात दिन के अन्दर स्वतः आमंत्रित हो,

तीन—यदि ऐसे आपत्कालीन समय में लोकसभा विघटित है और आप चुनाव सम्पन्न नहीं हुए हैं तो पुरानी लोकसभा स्वतः पुनः प्रभावी हो। भविष्य में ऐसी आकस्मिक स्थिति की समावना हो कि राष्ट्रपति लोकसभा को भग करके आपत्कालीन घोषणा करे, दूर करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है,

चार—लोकसभा को अपने को स्थगित करने, या अपना कार्यकाल बड़ाने का अधिकार होना चाहिये। उपर्युक्त प्रावधान सविधान के आपत्कालीन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने एवं संसद की सार्वभौमिकता स्थापी रखने के लिए सविधान निर्माताओं की इच्छा के और अधिक अनुकूल होगे।

६—राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सेनापति है। अनुच्छेद ५३ (२) के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी है। परन्तु इस हेसियत में राष्ट्रपति को संसद द्वारा निमित्त विधि के अनुसार कार्य करने होंगे। अनुच्छेद २४६ के अनुसार संसद को, सातवीं अनुमूली में उल्लिखित प्रथम सूची में दिये हुए सारे विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। इस सूची (सप्त सूची) में विषय क्रमांक १,२ और १५ भारतीय सेना युद्ध तथा जानित विषयों से सबूतित हैं। इत्येष्ट में युद्ध घोषणा तथा जानित स्थापित करने का अधिकार कार्यपालिका का है, परन्तु भारत में राष्ट्रपति विना संसद की अनुमति के या विना संसद की अनुमति के पूर्वज्ञान के न युद्ध की घोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाओं का उपयोग कर सकता है। भले ही राष्ट्रपति भारतीय सेनाव्यक्ष होने पर भी स्वतंत्रपूर्वक संसद की इच्छा के विरुद्ध, सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है।

सधीय कार्यपालिका तथा संसद के विभिन्न सम्बन्धों का सैद्धान्तिक आवार पर अध्ययन करने के पश्चात्, हमारे समझ प्रश्न है कि भारत के सविधान के अन्तर्गत व्यावहारिक दृष्टि से सधीय कार्यपालिका तथा संसद में क्या सम्बन्ध हैं?

व्यावहारिक दृष्टि से सधीय कार्यपालिका तथा संसद के सबूत

सैद्धान्तिक दृष्टि से सधीय कार्यपालिका तथा संसद के विभिन्न सम्बन्धों का विश्लेषण करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि संसद अत्यन्त शक्तिशाली है

और कार्यपालिका सम्पूर्ण रूप से संसद के ग्रंथीन है। परन्तु, संघीय पद्धति वी कार्यप्रणाली की व्याख्या के फलस्वरूप, कर्तिपय ऐसे तत्त्व घ्यान में रखे जा सकते हैं, जिन्होंने मंत्री मण्डल को वास्तव में, एक अत्यन्त शक्तिशाली संस्था बना दिया है। फलस्वरूप संघीय पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्बन्धों वी स्थिति, विलुप्त गई है। १६वीं शताब्दी में विशेषकर प्रिटेन की संघीय प्रणाली की दृष्टि से, संसद वी प्रभुसत्ता पर बल दिया जाता था, किन्तु २०वीं शताब्दी में, मंत्री मण्डल की असीमित शक्तियाँ प्राय चर्चा का विषय है। इसी विषय के सदर्म में प्रो० मोरिस जोन्स वा वर्धन है “भारत म संसद वी एक बाह्य दिखावट के समान बतलाया गया है जो कठिनता से, एक शक्तिशाली निरकुश तत्त्व को छिपा सकता है। इस भ्रत के लिए थ्रेय कुछ तो काग्रेस दल की शक्तिशाली स्थिति को है। तथापि यह बतलाना उपयोगी होगा कि मंत्री मण्डल की निरकुशता के आरोप से, भारत के बाहर भी (लोग) गुपरिचित हैं, वे लोग जिनका यह विचार था कि स्वतंत्रता का अर्थ (सरकारी) कार्यों के शक्तिशाली निर्देशन वा अन्त होगा, उनको यह सीखना होगा कि विटिश संघीय प्रणाली में शक्तिशाली सरकारों को प्रोत्साहन मिलता है।”^१

भारत में केन्द्र में, संघीय कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) की स्थिति अत्यन्त शक्तिशाली है। अतएव कार्यपालिका तथा संसद के सम्बन्धों का व्यवहारिक दृष्टि से विश्लेषण करते हुए हमारा उद्देश्य यहाँ पर उन तत्त्वों का अध्ययन करना है, जिनके फलस्वरूप वास्तविक कार्यपालिका (मंत्री मण्डल) भारतीय राजनीतिक प्रणाली में, एक शक्तिशाली संस्था हो गई है।

संसद के संबंध में मंत्री मण्डल की शक्तियाँ

संघीय प्रणाली में मंत्री मण्डल संसद के निचले सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। आधुनिक समय में मंत्री मण्डल संघीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में एक अत्यन्त शक्तिशाली संस्था बन गया है।

मंत्री मण्डल के अत्यन्त शक्तिशाली होने पर भी, संसद के बल एक शक्तिविहीन संस्था नहीं रह गई है। भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात्, भारतीय संघीय पद्धति की जड़ों को शक्तिशाली करने में एवं सरकार के एक उपयोगी ग्रंथ के रूप में कार्य करने में समय-समय पर संसद ने निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें में भी संसद के अत्यन्त शक्तिशाली तथा उपयोगी संस्था होने

१. डब्ल्यू एच० मोरिस जोन्स-पार्लियामेन्ट इन इण्डिया, १६५७ पृ० ३२८।

पर भी, मंत्री मण्डल की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अत ब्रिटिश मंत्री मण्डल के लिए यह कहा जाता है कि यह निरक्षुश हो गया है। “जब इसको बहुमत प्राप्त है, इसकी स्थिति विज़वित्यो द्वारा नियन्त्रित निरक्षुशता है।”^१

मारत में मंत्री मण्डल की शक्तियों में वृद्धि के निम्नाविन कारण हैं।

१—मारत में, कायेस दल को १९७१ फरवरी-मार्च के मध्यावधि चुनाव में लोकसभा में मारी बहुमत प्राप्त हुआ है। एक राजनीतिक दल के हृष में कायेस दल ने अपने सगठन एवं कार्यों के दृष्टिकोण से एक विशाल यन्त्र का रूप घारण कर लिया है, जिसका सम्पूर्ण अस्तित्व तथा सफलता एक बेन्द्रीय इंजिन पर निर्भर रहता है। डा० एम० पी० शर्मा का कथन है—‘कायेस सगठन का मुख्य आधार व्यवस्थापिका में या बाहर शक्तियों का निम्न-समितियों के अपेक्षा उच्च समितियों में, तथा साधारण सदस्यों की अपेक्षा नेताओं भ बेन्द्रीयकरण होना है। यह इसके दलीय अनुशासन एवं संसदीय पद्धति के अनुसार कार्य करने के लिए जैसा कि ब्रिटेन में समझा जाता है, अत्यन्त उत्तम है।’^२

दल में अनुशासन की कठोरता के परिणाम स्वरूप सदस्यों को अपनी सरकार का सदसद में आंतर्मूद्दकर अनुमोदन के सिद्धान्त से, सदसद में, सामान्य तौर से सरकार के पक्ष में बहुमत बना रहता है। इसी कारण जब श्रीलालबहादुर शास्त्री एवं श्रीमती गांधी की सरकारों के विश्व अविश्वास प्रस्ताव लाये गये, दलीय अनुशासन के कारण प्राप्त हुए बहुमत से इन प्रस्तावों को विफल कर दिया गया।

संसदीय प्रणाली में दलीय अनुशासन के कारणों तथा परिणामों पर प्रो० लास्की के ब्रिटिश संसदीय पद्धति से सबधित करिष्य विचारों को, जिन्हे समान रूप से मारतीय पद्धति में भी उपयोगिता-पूर्वक लाया किया जा सकता है, ध्यान में रखना लाभदामक होगा।

‘दल में अनुशासन की कठोरता में वृद्धि के कारण, साधारण नहीं हैं। कुछ माना भ, पह इस तथ्य के कारण हैं कि आधुनिक ब्रिटेन के लिए विस्तृत दलीय सगठन की आवश्यकता है। कुछ मात्रा में (समाज के कार्यों में) राज्य द्वारा हस्त-क्षेप की आवश्यकता के फलस्वरूप सदसद में सरकारी कार्यों में भी वृद्धि हुई है, और यदि उन कार्यों को समय में ही करना है तो और अधिक कठोर दलीय अनुशासन आवश्यक है। कुछ मात्रा में कदाचित इसलिए भी कि आधुनिक भौतिकागण, सिद्धान्तों पर व्यक्तित्व के सन्दर्भ में विचार करते हैं, वे सदस्यों का निवाचन, उनके स्वयं की अपेक्षा उनके नेताओं के कारण अधिक करते हैं। सम्पूर्ण दलीय व्यवस्था

१. आर० मूर, हाउड ब्रिटेन इन गवर्नेंट, १९३८ पृ० ८६।

२. एम० पी० शर्मा—‘पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २६५।

आवश्यक रूप से व्यावसायिक हो गई है। और उसके बायें के विस्तार के कारण इसको ऐसे अनुशासन दी आवश्यकता है जो कि संनिक अनुशासन के समान है।”^१

भारत म भी मनी मण्डल की स्थिति के शक्तिशाली हो जान का एक कारण यही है कि दलीय अनुशासन दी कठोरता के कारण, मनी मण्डल वो संसद मे सामान्यत बहुमत प्राप्त रहता है।

२—मनी मण्डल दी शक्तिशाली स्थिति का एक अन्य कारण सामूहिक उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त है। मनी मण्डल के एक इवाई के रूप मे बायं करने पर ही सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को सफलतापूर्वक वार्यान्वित किया जा सकता है। लोकसभा के प्रति मनी मण्डल दी उत्तरदायित्व के सिद्धान्त द्वारा न केवल मनी मण्डल मे एकता बनी रहती है, परन्तु इसी से प्राप्त बहुमत व आधार पर मनी-मण्डल संसद दी बायंवाई वा निर्देशन तथा नियन्त्रण कर सकता है।

३—मनी मण्डल दी शक्तिशाली स्थिति वा एक अन्य महत्वपूर्ण कारण संसद को भग करवाने दी उसको शक्ति है। संसदात्मक पद्धति म सामान्यत राष्ट्राध्यक्ष प्रधान मनी के परामर्शानुसार ही संसद के निचले सदन लोकसभा को भग कर सकता है। इसलैण्ड मे यदि मनी मण्डल दी विस्तृ अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो चुका है तो उसको अपना इस्तीफा देना आवश्यक है। परन्तु संसदात्मक पद्धति की एक सुस्पष्ट परम्परा के अनुसार अपना इस्तीफा देने के पूर्व प्रधान मनी संसद के निचले सदन को भग कराने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, जिससे आम-चुनाव करवाये जा सकें। आम चुनाव से यह ज्ञात किया जाता है कि वास्तव मे, मतदातागण, संसद के मनी मण्डल के विस्तृ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाबजूद भी मनी मण्डल के समर्थक हैं या नहीं। सामान्यत, प्रधान मनी के अनुरोध पर संग्राद संसद वो भग करता है। तत्पश्चात्, यदि आम-चुनाव म मनी मण्डल दी बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह पुनः सत्तारूढ हो जावेगा, अन्यथा ननी मण्डल को इस्तीफा देना ही होगा। भारत म भी चूंकि संविधान के अन्तर्गत संसदात्मक पद्धति स्थापित की गई है, इसलिए उपर्युक्त परम्परा को मान्यता दी गई है। संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा को भग करने का अधिकार है। किन्तु सामान्यत राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग प्रधान मनी की सलाह के अनुसार ही करेगा।

संसदात्मक प्रणाली मे, संसद के निचले सदन को भग करने के लिए प्रधान मनी का राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार निश्चय ही ऐसा एक प्रभावशाली साधन है, जिससे मनी मण्डल निचले सदन पर नियन्त्रण करता है। यदि संसद के

१. एच० सास्टी, ‘पालिंयामेण्ट-गवंमेन्ट इन इण्डिया’ १९३८, पृ० ७४।

निचले सदन को मत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है तो मत्री मण्डल को राष्ट्रपति को सदन भग बराने को सलाह देने का अधिकार है। संसदात्मक प्रणाली के इतिहास के अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट हो जायेगा कि मत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि जैसा देखा जा चुका है, कठोर दलीय अनुशासन के बारण मत्री मण्डल को प्राय बहुमत का समर्थन रहता है। ऐसी स्थिति में यदि मत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो मत्री मण्डल इसका बदला सदन को भग करने की सलाह देकर चुका सकता है, क्योंकि संसद के भग होने के परिणाम क्षणिय सदस्यों के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकत है। उनको ज्ञात है कि संसद के भग होने के पश्चात् उनको पुनः आम-चुनाव का सामना बरना होगा, जिसमें उनको समय और धन व्यय करना होगा, और इसके उपरान्त यह भी सम्भव है कि वे निर्वाचित न हो सकें। परिणाम स्वरूप, संसद को भग करने की चेतावनी, सदस्या पर एक महत्वपूर्ण अनुश है जिससे मत्री मण्डल के विरुद्ध उनके कार्य करने पर रोक लगती है। भारतवर्ष में फ्रेंची मार्च १९७१ में मध्याविधि आम-चुनाव कराने के लिए प्रधान मत्री श्रीमती गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति थीं बी० बी० गिरि महोदय ने दिसम्बर १९७० में संसद को भग किया। वैसे तो विरोधी दल संसद भग होने के पूर्व बारम्बार आम-चुनाव भी भाग कर रहे थे, जिन्हुंने जब संसद को प्रधान मत्री को सलाह से राष्ट्रपति ने आम-चुनाव कराने के लिए भग किया तो विरोधी दलों ने एक दद्या राय अलगपना आरम्भ किया कि प्रधानमत्री द्वारा संसद के भग कराने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार नहीं था। विरोधी दलों की इस विचित्र मनोवृत्ति का बारण यह था कि आम-चुनाव चाहते हुए भी उनको चुनाव का भग था, यद्यपि चुनाव के पूर्व अपने बवनव्यों में उन्होंने सदा आज्ञा व्यक्त की कि श्रीमती गांधी की नयी बायेस को वे आसानी से पराजित करेंगे। इस मनोवृत्ति के बारण जब चुनाव द्वारा सामना बरना पड़ा तो उन्होंने प्रधान मत्री पर प्रहार करना प्रारम्भ किये कि प्रधान मत्री को राष्ट्रपति द्वारा संसद भग कराने का कोई अनिकार नहीं था। प्रधान-मत्री द्वारा संसद को भग करने से लिए राष्ट्रपति को दी गई सलाह का औचित्य विशेषकर इसमें है कि संसद को भग करने का उद्देश्य आम-चुनाव समरप्त कराके महादातओं की इच्छा ज्ञात करना था, जिसके आधार पर नयी सरकार की स्थापना की जा सके। संसदीय प्रणाली में, सरेकार के प्रति महादातागण की इच्छा को आम-चुनाव के माध्यम से ज्ञात करने के अधिकार के सबूत में कोई मतुज्जेद नहीं हो सकता है।

अतएव यह स्पष्ट है कि प्रधान मत्री का, आम-चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद भग करने की सलाह देने का अनिकार तथा कठोर दर्शीय

अनुशासन संसद में मत्री मण्डल वी स्थिति वो शक्तिशाली बरने में सहायता है।

३० एच० फार्डनर ने त्रिटिश संसदीय पढ़ति के दृष्टिकोण (ओर यह भारतीय संसदीय पढ़ति पर पूर्णतया लागू होता है) से, निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है कि विस प्रश्नार कठार दलीय अनुशासन के कारण प्रत्यक्ष दलीय सदस्य, सरकार द्वारा प्राप्त समर्थन करता है। “जब मत्री मण्डल दलीय सचेतकों द्वारा यह गूचना प्रतारित करता है कि मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है तब न वेबल दल में हठीले सदस्यों द्वारा पर निचार करना पड़ता है, किन्तु विपक्षी दल वो भी गमीरता पूर्ण विचार करना पड़ता है कि वास्तव में क्या मामला आम-चुनाव की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है और क्या उनके द्वारा सरकार स्थापित की जा सकने की बोई समावना है। यदि राजनीतिक स्थिति उनके अनुरूप नहीं है, तो वे पूर्णतया या बुद्ध मात्रा में समर्पण कर दें—परन्तु जहाँ विपक्षी दल अत्यपक्ति में है या जब तब सरकारी दल में कूट वी समावना नहीं है वहाँ मुश्किल से ही ऐसे प्रश्न सामने आते हैं।”^१

४—इस प्रश्नार मत्री मण्डल वी शक्तियों में बूढ़ि का एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण हमारे समक्ष आता है वह है कि संघीय संसद में एक सगठित तथा शक्तिशाली विपक्षी दल का अभाव। १६५० से, जब भारत के संविधान वो लागू किया गया था, संसद में एक सगठित विपक्षीय दल के स्थान पर वही राजनीतिक दल है, जिनमें सत्ताहांड दल वी आलोचना करने की, किन्तु उसके स्थान पर एक वैकल्पिक सरकार के निर्माण करने की क्षमता नहीं है। यह अभाव वास्तव में भारतीय संसदीय प्रणाली की एक गमीर त्रुटि है, क्योंकि संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका पर कोई प्रमावशील अवृश्च न होने से, कार्यपालिका निरकुशता के पथ पर अप्रसर हो सकती है।

५—प्रत्यायोजित-विधि के नारण भी भारत में कार्यपालिका की शक्तियों में बूढ़ि ही है। रामान्यत विधि के तीन प्रकार हैं।

क—सर्वोच्च विधि—जो लिखित संविधान के रूप में देश का सर्वोच्च कानून है।

ख—साधारण विधि—जिसका निर्माण, संविधान के अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था-विकास समाप्तों द्वारा संविधान के अनुसार किया जाता है।

ग—प्रत्यायोजित विधि—साधारणतया, विधि-निर्माण-कार्य व्यवस्थाप्रणाली समाप्तों द्वारा किया जाता है, परन्तु आधुनिक समय में, जनतायिक राज्य में,

^१ एच० फार्डनर—‘द एपोरो एण्ड ट्रेविट्स आफ मार्डन गर्यमेण्ट’, १६५० पृ० ६२०.

व्यवस्थापिका सभा पर कार्यमार्ग बहुत हो गया है। प्रत्येक सन में व्यवस्थापिका बो एक बड़ी संख्या में विधेयक पारित करने होते हैं। भारतीय संसद भी, देश के विकास के लिए अनेकों विधेयकों की पारित चारती है। भारतीय संविधान का उद्देश्य एक लोक वल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यापक बृद्धि होना स्वामीगिक है। लोक वल्याणकारी राज्य में विधि-निर्माण-कार्य के लिए विशिष्ट तकनीकी निपुणता की आवश्यकता है। अतएव यह आवश्यक है कि तकनीकी विषयों पर नियमों का निर्माण कार्य, प्रशासकीय विशेषज्ञों द्वारा विचार किये जाने वे लिए छोड़ दिया जायें। परन्तु इन विशेषज्ञों को तकनीकी विषयों पर नियमों का निर्माण संसद द्वारा पारित विधि के क्षेत्र में ही करना होगा। अत संसद विधि की रूपरेखा प्रायः निर्धारित करती है, जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका, संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार नियमों का निर्माण करती है। इसको प्रत्यायोजित-विधि बहु जाता है। कार्यपालिका, प्रत्यायोजित-विधि का उपयोग, संसद द्वारा पारित विधि के निर्धारित क्षेत्र में, नियमों का निर्माण बरने के लिए करती है, जिससे संसदीय विधि को प्रभावपूर्वक कार्यान्वयित बिषय जा सते। प्रत्यायोजित विधि के रूप में निमित्त नियमों का प्रभाव संसदीय विधि के समान ही होता है और इनको न्याय-लद्ध में तब ही चुनौती दी जा सकती है जब मूल विधि, जिसके अन्तर्गत इसका निर्माण हुआ है, अवैधानिक हो। अतः अप्रत्यक्ष रूप से, भारत में प्रत्यायोजित विधि से कार्यपालिका की शक्तियों में बृद्धि होई है।

६.—अन्तिम भृत्यवूर्ण भारण, जिससे भारत में कार्यपालिका को शक्तिशाली बनने में सहायता मिली है, प्रशासकीय न्याय है। “चैकि सरकार अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्य करे, अतः प्रशासकीय अगों को विधि निर्माण तथा निर्णय देने के अधिकार प्रदत्त करने की परम्परा बन गयी है।”^१ विभिन्न प्रशासकीय विभागों को नियमों का निर्माण करने वे अतिरिक्त, विभिन्न विवादों पर निर्णय देने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए, आप-हर अपीलीय न्यायाधिकरण का संयठन, अपीलीय सहायक कमिशनरों ने आदेशों से अपील सुनने वे लिए विषय गया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संघीय विधि भवालय, संघीय लोकसेवा आयोग की सलाह से करता है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण रूपी साधन का उपयोग एवं स्थायी न्यायिक तत्र के समान प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में लिया जाता है, जैसे—ओद्योगिक संवध, (धर्मिक न्यायालय, ओद्योगिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण एवं वेतन

१. ए० पो० हस्तमानी-‘सम प्रांबनेम्स औफ एडमिनिस्ट्रेटिव ला इन इंडिया’ १६६४ पृ० ४

आयोग) निर्वाचन सबधी विवाद, (निर्वाचन-न्यायाधिकरण) रेलवे कर, (रेलवे कर न्यायाधिकरण) आदि । कमी-कमी न्यायाधिकरणों की स्थापना किसी तदर्थे उद्देश्य के लिए की जाती है । इस तरह, जीवन-बीमा अधिनियम १९५६ द्वारा केन्द्रीय सरकार को एक या अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो विभिन्न जीवन बीमा कम्पनियों के मुआवजे को, उनके व्यवसाय को नियम के लेने के कारण निर्धारित करेंगे ।^१

एक अन्य उदाहरण प्रशासकीय-न्याय का प्रस्तुत किया जा सकता है । विदेशी मुद्रा अधिनियम १९५७ के अनुसार विदेशी मुद्रा अधिकारी (डायरेक्टर) को यह नियंत्रण देने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा सबधी नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं । डायरेक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है । डायरेक्टर के नियंत्रण के विरुद्ध विदेशी मुद्रा आयोग को, जिसका अध्यक्ष एक सदस्य होता है, अपील की जा सकती है । आयोग के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है । इस आयोग का नियंत्रण अतिम होता है ।

इन उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भारत में कार्यपालिका के प्रशासकीय न्याय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य है । अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपर्युक्त तत्वों के कारण भारत में मत्री-मण्डल (वास्तविक कार्य-पालिका) की स्थिति घटिकाली है ।

संसद के सबध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ

यद्यपि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को संसद के सबध में कठिपथ शक्तियाँ प्रदत्त हैं, फिर भी यह विदित रहना अत्यावश्यक है कि इस शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति, संविधान द्वारा स्थापित संसदीय प्रणाली की पारंभूमि में ही कर सकता है । यह सत्य है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों से संसद पर प्रभाव ढाल सकता है, परन्तु यह प्रभाव संसदीय पद्धति के अनुकूल ही होना आवश्यक है । संसद के सबध में राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं :—

१—संविधान के अनुच्छेद ८५ के अनुसार राष्ट्रपति को संसद को आमंत्रित तथा स्वयंसित करने का अधिकार है ।

२—अनुच्छेद १०८ (१) के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में, विसीं साधारण विधेयक सबधी मतभेद दूर करने के लिए दोनों की सयुक्त बैठक आमंत्रित करने का अधिकार है ।

१. ए० पी० हस्मानो—'सम प्रौद्योगिकी और एडमिनिस्ट्रेटिव ला इन इंडिया' १९६४ पृ० ६ ।

३—राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद ८६ के अन्तर्गत संसद में अभिभाषण देने तथा संदेश भेजने का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा राष्ट्रपति संसद को, जन वल्याण के लिए, अपने अनुमत तथा अधिकार से प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय के विवेयक के संबंध में समझ द्वारा संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति के भाषण देने तथा संदेश भेजने के अधिकार की आलोचना करते हुए प्रायः मह कहा जाता है कि संसदीय पद्धति की दृष्टि भूमि में यह अधिकार असंगत है। परन्तु वास्तव म इमड़ी उपयोगिता इस तथ्य में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को अपने अनुमतानुसार संसद को भागदर्शन देने का अवसर प्राप्त होता है जिसमें वह जनता के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार प्रात्साहित करे, सलाह तथा चेतावनी दे।

४—संसद के संबंध में राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसको नियेधाधिकार कहा जा सकता है। राष्ट्रपति के नियेधाधिकार का उद्देश्य संसद द्वारा जलदयाजी भ पारित विवेयक पर एक सतुलित एवं जनतानिव अवरोध लगाना है, जिसमें संसद उक्त विवेयक पर पुन विचार कर सके। जब संसद एक विवेयक को पारित करती है, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उक्त विवेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या यदि वह घन विवेयक नहीं है तो संसद के पुनविचार के लिए वापिस लौटा सकता है। अनुच्छेद १११ के अनुसार यदि संसद उक्त विवेयक को पुन पारित कर भेजती है तो राष्ट्रपति को सहमति देना आवश्यक होगा। यह राष्ट्रपति के नियेधाधिकार को जनतानिव कहना उचित है क्योंकि उसके उपयोग द्वारा वह संसद को जनता की इच्छा के अनुकूल पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकता है। किन्तु विवेयक को वह न ले स्वयं ही सज्जाधित कर सकता है, न समाप्त ही कर सकता है। विवेयक पर संसद की शक्ति अतिम है। अमरीका में, जहाँ पर संघीय सरकार की कार्यप्रणाली शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध तथा सन्तुतन के सिद्धान्तों के अनुभुत मिथ्या पर आधारित है, अमरीकी राष्ट्रपति की भी, संविधान के अन्तर्गत नियेधाधिकार के दृप में, व्यवस्थापिका सभा (वायेस) का विधि निर्माण शक्ति पर एक जनतानिव अवरोध है। अमरीका में यदि वायेस किसी विवेयक को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार किय जाने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति को दस दिन के अन्दर अपनी सहमति देना चाहिये।

भारतीय संविधान ने अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति विवेयक के संबंध में अपने नियेधाधिकार का प्रयोग करता है और संसद उस विवेयक को अपने दो तिहाई बहुमत से पुन पारित कर देती है, तो विवेयक, राष्ट्रपति की आपति के बाबजूद भी विधि हो जायेगा।

संघीय कार्यपालिका एव संसद के संबंध

५—अन्त में अनुच्छेद १२३ (१) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति वो अध्यादेश लागू कराने का अधिकार है। जब संसद सभा में नहीं है और ऐसी परिस्थिति में किसी विषय पर कानून निर्माण करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसा, पूर्व में देखा जा चुका है, राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू करने की शक्ति संसद की कानून निर्माण शक्ति का अपहरण नहीं तो उस पर अतिरिक्त तो है।

इस विषय के अध्ययन के अन्त में इस मूल बात पर वल देना आवश्यक है कि अन्य संसदीय प्रणालियों के समान, भारत में भी संसद के कार्यपालिका पर नियन्त्रण के मूल सिद्धान्त वो संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, चाहे व्यावहारिक जीवन में मंत्री मण्डल शक्तिशाली यथोन बन गया हो। भारतीय संविधान के अन्तर्गत संसद तथा वायंपालिका के सबंधों का विश्लेषण करते हुए हमने देखा कि इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अवरोध के रूप में कठिपय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे संघीय सरकार वे ये दोनों अग्र संसदीय सीमाओं में उचित रूप से कार्य कर सके। संविधान में इस विषय पर कठिपय नुटियाँ हैं, जिनको दूर बरना आवश्यक है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में संसद की भूमिका अपूर्ण है, उस स्थिति में जब कि संसद के विराम-काल में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन विषया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू करने की शक्ति भी, कुछ परिस्थितियों में गम्भीर सिद्ध हो सकती है। भारतीय संसद में एक अन्य महत्वपूर्ण नुटि यह है कि एक और तो वाप्रेस दल को भारी बहुमत प्राप्त है तो दूसरी ओर इस भारी बहुमत को जनतात्त्विक रूप से सम्मुलित बरने के लिए कोई संगठित तथा प्रभावशाली विपक्षी दल नहीं है। ऐसी स्थिति में संसद की स्वतन्त्रता केवल सतास्थ दल की जनतात्त्व में ग्रास्या पर ही निर्भर है। अस्तु, इन परिस्थितियों में, भारत में वायंपालिका पर संसद की स्वतन्त्रता स्थापित रखने वा, विषेष उत्तरदायित्व है।

भारतीय संसद में प्रतिपक्ष दल

लोकतन्त्र की एक थोड़ परम्परा तथा आवश्यकता यह है कि उसमें जनता की सरकार के कार्यों की उन्मुक्त आलोचना प्रत्यालोचना करने की स्वीकृति दी जाती है, उन लोगों को नई सरकार बो निर्वाचित बरने के लिए नियमित रूप से अवसर एवं स्वतन्त्रता दी जाती है, जो प्रचार कार्य द्वारा सगठन निर्माण करते हैं तथा जिनका उद्देश्य शान्तिपूर्ण तरीकों से जनमत को परिवर्तित कर सरकार में परिवर्तन लाना है।^१

लोकतन्त्र में सार्वजनीकिता जनता में ही निहित होती है। जनता का अधिकार है कि अपने शासकों का सामयिक निर्वाचन करें। मतदाताओं को, प्रायः एक / निश्चित अवधि के बाद अपने शासकों की नीतियों तथा कार्यों की समीक्षा करते हुए यह अधिकार है कि वे निर्णय दें कि उन्हें पुनः सत्ता सौंपी जाये अथवा नहीं? अर्थात् आम-चुनाव के समय प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को मतदाताओं की सामयिक जांच का सामना करना होता है। “इस प्रकार राजनीतिश को अपने कार्यों का देखा देने की आवश्यकता स्पष्टी पुनर्जीवित-अवरोध का सामना करना होता है।”^२

परन्तु लोकतन्त्र में सरकार के कार्यों तथा नीतियों के जांचने का वा^३ यदि केवल आम चुनाव के दौरान ही किया जाये, तो सत्तारूढ़ दल को दो आम चुनाव के दरम्यान निरबुश बनने में आसानी रहेगी। लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की बीमत जनता का निरन्तर सतर्क होना है। लोकतन्त्र की इस-आवश्यकता की पूर्ति में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलेण्ड तथा अमेरिका जैसे जनतात्विक देशों में मुख्यतः दो-दलीय पक्षता पाई जाती है। यूरोप के विपक्ष देशों तथा भारतवर्ष में वह दलीय पक्षता है। राजनीतिक दलों की सह्या चाहे कितनी हो, मूल बात तो यह है कि लोकतन्त्र में जनता वो व्यवस्थापिका में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। जनता का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपयोग द्वारा जनता प्रतिपक्षी दल को सत्तारूढ़ और सत्तारूढ़ दल को प्रति-

१. एम० स्टूफ्ट—ग्रिटिश एप्रोच टू पॉलिटिक्स, १६३८ पृ० २१५।

२. बी० वाई०—डेसोफोसी ईस्ट-वेस्ट, १६४६ पृ० १०।

पक्षी दल में परिवर्तित कर सकती है। अतएव एक सगठित प्रतिपक्षी दल भावी बैंकल्पिक समा शासक दल हो सकता है, जिसका अस्तित्व 'सरकार पर एक आवश्यक जनतात्रिक अवरोध' वे रूप में है।

अत लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता वे दो बारण हैं।

सर्वप्रथम राजनीतिक दलों वे माध्यम से जनता अपने शासकों का निर्वाचन करती है।

द्वितीय, राजनीतिक दल द्वारा विभिन्न प्रकार की बैंकल्पिक नीतियों तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखे जाते हैं, जिनसे जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और वे यह निर्णय ले सकते हैं कि विस प्रकार की सरकार स्थापित की जायेगी।

'एक राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य जनता वे ऐसे संगठन से है जो कतिपय राजनीतिक सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को मानते हुए, सर्वधानिक साधनों के माध्यम से एक साथ कार्य करते हैं।'^१ लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल यदि आम-चुनाव में जनता का विश्वास अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त कर लेता है, तो सरकार की बागडोर को सम्हालने का उत्तरदायित्व उसे सौंपा जाता है। अन्य राजनीतिक दल, जो भविष्य में सरकार निर्माण करने की क्षमता रखता है और जिसकी नीतियाँ व कार्यक्रम हैं, व्यवस्थापिका में प्रतिपक्षी दल के रूप में होगा।

संसद में सत्तारूढ़ दल की नीतियों की सतत जाँच करने वे लिए एक प्रतिपक्ष दल की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रजातंत्र में निरकुशता वे प्रवेश का सदैव भय बना रहेगा। अत संसदीय पट्टियां में राजनीतिक दलों की भूमिका का अपना विशिष्ट महत्व है। जैसा कि लार्ड लिण्डसे का कथन है—'उत्तम प्रतिनिधि सरकार के लिए न बैठल एक शक्तिशाली प्रतिपक्षी दल की आवश्यकता है किन्तु उसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रतिपक्षी दल बैंकल्पिक सरकार के सदृश हो।'^२

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों वा महत्व दो प्रकार का है। सर्वप्रथम, वे जनता को राजनीतिक विषयों वे सबघ में शिक्षित तथा सजग करते हैं जो सरकार की निरकुश प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक है। द्वितीय, व्यवस्थापिका में वे स्वयं सरकार पर एक अकुश के रूप में हैं, और विभिन्न साधनों द्वारा सरकार को उसके दायित्वों के प्रति सजग रखते हैं। वस्तुत लोकतंत्र का अस्तित्व प्रतिपक्षी दल या दलों की स्वतंत्रता पर निर्भर है, जिसके आधार पर वे सरकार की नीतियों

१. एम० पी० शर्मा—व गवर्नमेन्ट आफ इण्डियन रिपब्लिक १९६० पृ० २७७।

२. ए. डी. लिण्डसे—इस्सेन्शल्स आफ डेमोक्रेसी १९४८ पृ० ४३-४४।

तथा कायों में निहित त्रुटियों की आलोचना करते हैं और मतदाताओं के समक्ष वैकल्पिक नीतियों तथा कार्येक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं। “लोकतंत्र की मान्यता है कि एक सुरक्षित तथा निश्चित प्रतिपक्ष सरकार के विरुद्ध हो। विना इस प्रकार के प्रतिपक्ष के, निरकुशलता की ओर अप्रसर होते हुए लोकतंत्र का विनाश होगा।”^१

संसदीय लोकतंत्र विना संसदीय प्रतिपक्ष के सफल नहीं हो सकता है। ब्रिटिश संसदीय-पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ‘संसदीय प्रतिपक्ष’ को आधिकारिक मान्यता ‘सामाजी वा प्रतिपक्ष’ के नाम से प्रदत्त है। प्रो० लाग्नेल के मतानुसार ब्रिटिश संसद में प्रतिपक्ष को ‘सामाजी का प्रतिपक्ष’ सज्ञा देना उन्नीसवी शताब्दी में राजनीति-विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश संसद में प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को सर सिडनी लो ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है—“इगलैण्ड में प्रायः यह समावना है कि संसद में बहुमत एक शक्तिशाली तथा अविदेकी मन्त्री मण्डल से प्रेरित होकर आवेशपूर्वक व्यवस्थापन वा कार्य करे। एक हठी सरकार तथा जलदबाज व्यवस्थापिका पर वास्तविक अवरोध एक वैकल्पिक दल के विचारान होने में है, जिसके सदस्य हूजारो-हूजारों की संस्था में निर्वाचित क्षेत्रों में और नेता कामन्स सभा में हैं। पदासीन मन्त्रीमण्डल पर अवरोध ‘पद से बाहर मंथी मण्डल’ (वैकल्पिक दल) है।”^२ प्रतः बस्तु स्थिति यह है कि जबकि बहुमत दल जनता के समर्थन से सता की बागडोर अपने हाथों में लेता है, अन्य दल प्रतिपक्षी (विरोधी) दल का कार्य करता या करते हैं। यदि आम चुनाव में प्रतिपक्षी दल जनता का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो सता उसे सौंपी जायेगी।

यदि किसी राज्य में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं तो जिन दलों के हाथ में सता नहीं है, उनको प्रतिपक्षी (विरोधी) दल की भूमिका निभाना पड़ती है। प्रतिपक्षी दल का कार्य यह नहीं है कि सर्वदा सरकार का विरोध करे। अनेक समय यह देखा गया है कि प्रतिपक्षी दल सरकार को अपना सहयोग देते हैं, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में।

यहाँ यह समझ लेना उपयुक्त होगा कि संसदीय प्रणाली में प्रतिपक्ष की परिमापा क्या होगी? संसदीय प्रतिपक्ष की एक उपयुक्त परिमापा थी एस. वी. राजू (स्वतंत्र दल के केन्द्रीय कार्यालय के कार्यकारिणी-सचिव) द्वारा थी गई है, जो निम्नानुसार है।

१. के० सौ. जेना-योतिटिकल अप्पोजीशन इन इण्डिया, इण्डियन रिव्यू १९५६। पृ० ४५६।

२. एस० लो० ‘द गर्डनेंस आफ इंग्लैण्ड-१९३१ पृ० १२५।

“जिस सन्दर्भ में यहाँ प्रतिपक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, उसका अर्थ एक समाजिक समुदाय जो (क) जनतानिक मूलयों तथा परम्पराओं में आस्था रखते हुए सरकारी नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है, (ख) इस स्थिति में है कि सत्ताहृष्ट दल से भिन्न वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत कर सके, (ग) राज्य तथा कन्द्रीय स्तरों पर आवश्यक प्रभाव तथा सगठन रखता है, जिससे कि राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सके, एवं (घ) जिसका नतृत्व दक्ष एवं स्वस्थ है, जिससे न बेबल उसकी उत्तम तर्फीर प्रस्तुत हो बर्दू जब सत्ता की बागड़ोर सम्हालने के लिए मतदाता नेतृत्व भागते हैं, तो नेतृत्व बरने की क्षमता नहीं हो।”^१

श्री के० बी० राजू कहते हैं—“इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि कोई भी विरोधी दल देश में (भारत) वास्तविक प्रतिपक्ष दल (विरोधी) होने का दावा नहीं कर सकता है।”^२

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में संसदीय पद्धति की स्वापना की गई है। किन्तु भारतीय संसदीय पद्धति की यह एक गमीर नुटि है कि संविधान के लागू होने के इनते वर्षों बाद भी एक समाजित एवं सशक्त संसदीय प्रतिपक्षी दल (विरोधी) का विकास नहीं हुया है। यह सत्य है कि संसद में, विरोधी दल है, परन्तु इनमें से एक भी संसदीय प्रतिपक्षी दल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रतिपक्षी दल में वैकल्पिक सरकार स्वापित करने की क्षमता नहीं है। भारत में एक समाजित एवं प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल के होने की कितनी आवश्यकता है यह निम्नलिखित मुद्दों के विस्तृत अध्ययन द्वारा विदित हो सकता है।

१—प्रतिपक्षी दल के कार्य ।

२—भारतीय संसद में प्रतिपक्षी दल का स्वरूप ।

१—प्रतिपक्षी दल के कार्य-सर्वप्रथम, राजनीतिक दलों का प्राथमिक कार्य लोकमत को समाजित करना है। आम-चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं—प्रचार द्वारा मतदाताओं में अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम के प्रति विश्वास पैदा करना। राजनीतिक दलों के अन्य कार्य भी हैं, जो उन्हे आम-चुनाव के समाप्त होने पर भी करने पड़ते हैं। इनको ये कार्य निरन्तर करने होते हैं। सत्ताहृष्ट दल, जिसने आम-चुनाव के दौरान मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया है, प्रचार तथा अन्य कार्यों द्वारा उस विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए

१. के० बी० राजू—‘प्रॉवेलेम्स ऑफ डेवलेपिंग’ एन अपोजिशन इन इण्डिया’ स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, १९६५, पृ० ६१७।

२. वही पृ० ६१७।

प्रयत्न करता है क्योंकि वह अगले आम-चुनाव में पुनः विजय प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रकार विरोधी दल और अधिक संगठन, प्रचार तथा कार्यों द्वारा मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। “अतएव यह कहा जा सकता है कि सत्ताखंड या प्रतिपक्षी दल विचारों के दलाल हैं, जो दल की विचारधारा को निरन्तर स्पष्ट करने एवं प्रतिपादित करने में लगे हैं—वे मतदाता की शिक्षा में नुद्दि करते हैं, उसकी स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव चरने की प्रकृति को और तीखा करते हैं।”^१

यदि आगामी आम चुनाव में मतदाताओं को प्रतिपक्षी दल की नीतियों एवं विचारधारा पर विश्वास हो जाता है, तो वे उसको सत्ता सौंप सकते हैं। नि सदैह, एक संगठित तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल के विद्यमान होने से, मतदाताओं के समक्ष एक बैकलिपक सरकार विद्यमान रहती है। अतएव मतदाता सत्ताखंड तथा प्रतिपक्षी दलों की नीतियों और विचारधाराओं वीर तुलनात्मक समीक्षा करके निर्णय दे सकते हैं कि सत्ता विस दल को सौंपा जाये। वस्तुतः इस तुलनात्मक आधार पर मतदाताओं के लिए यह समव है कि प्रत्येक विषय को सही परिपेक्ष्य में देख सकें।

द्वितीय—प्रतिपक्षी दल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह वास्तव में जनता तथा सरकार वे बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चूंकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता की बागड़ोर पर कब्जा करना होता है, अतः इस राजनीतिक सघर्ष के परिणाम स्वरूप राजनीति के क्षेत्र में दो विभिन्न वर्गों का निर्माण होता है।

इन दलों को हम सत्ताखंड और सत्ताविहीन दर्गे में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह समव है कि सत्ताखंड वर्ग सत्ता के उन्माद में भ्रष्ट होकर जनता की आवश्यकताओं से सम्पर्क छोड़ दे। अनुत्तरदायी सत्ताखंड दल प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा होता है। इसी कारण से प्रतिपक्षी दल का अत्यधिक महत्व होता है। वह जनता को जाग्रत करता है। विलोमतः यह भी मत्य है कि आम-चुनाव में हार जाने से प्रतिपक्षी दल सत्ताखंड दल वीर नकारात्मक आलोचना करने में सतोप प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ऐसी स्थिति में सत्ताखंड दल, को सरकार व जनता दो जाड़ने वाली कड़ी माना जा सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार तथा प्रतिपक्षी दल एक दूसरे पर आवश्यकतानुसार अवरोध तथा सन्तुलन का कार्य करते हैं। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सत्ताखंड तथा प्रतिपक्षी दल समसात्मक पद्धति द्वे दो फैफड़ों द्वे सदृश हैं और यदि एक में भी कुछ त्रुटि हो जाती है तो समसात्मक सरकार के संतुलन की

स्थिति विगड़ जायेगी। ग्रिटिंग संसदात्मक पद्धति के दृष्टिकोण से सर आइवर जैनिंज का व्यन है—“सरकार प्रतिपक्षी दल को, एक ऐसी मोटर पर श्रेक के सदृश मानती है, जो पहाड़ पर चढ़ रही है, जबकि प्रतिपक्षी दल वा विचार है कि मोटर पहाड़ से उतर रही है।”^१

“नि सदेह संसदात्मक पद्धति में प्रतिपक्षी दल वा वार्य जटिल है। प्रतिपक्षी दल, व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बार्य अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के बाधों से सबैधित है। प्रतीरक्षी दल वा उद्देश्य सरकार वीर रचनात्मक आलोचना करते हुए उसको उचित पथ पर चलने के लिए बाध्य करना है।”^२ यह तो स्पष्ट है कि यदि प्रतिपक्षी दल वा अस्तित्व न हो, सत्तारूढ़ दल जनता वीर मौलिक स्वतंत्रताओं को कुचलते हुए निरखुण बन सकता है। बस्तुत, प्रतिपक्षी दल सरकार को सजग सक्रिय तथा सजीव रखने में सहायता है। प्रतिपक्षीय दल के सदस्य अपने भाषणों द्वारा जनता को आश्वस्त करने वा प्रयत्न करते हैं कि उनके दल की नीतियाँ तथा नायंत्रम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यह स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल को अपनी नीतियों तथा कार्यक्रम को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से रखना आवश्यक है, क्योंकि तब ही वह सत्तारूढ़ रह सकेगा। सर आइवर जैनिंज ने ग्रिटिंग पद्धति के दृष्टिकोण से बहा है—“प्रतिपक्षी दल सरकार के स्थान पर एक दिव्यता है और जनता के असन्तोष को बेन्द्रभूत करता है। इसके बार्य सरकार के कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रतिपक्षी दल नहीं है तो जनताव भी नहीं हो सकता है। इम्फैण्ड वीर साम्राज्ञी के प्रतिपक्षी दल के महत्व का स्थान सरकार के महत्व से दूसरे स्थान पर है।”^३

आधुनिक युग में संसदात्मक पद्धति में संसद की शक्तियों में परिवर्तन हुआ है। संसद में सत्तारूढ़ दल वा बहुमत होता है, जिसमें से मत्री मण्डल (सरकार) का निर्माण होता है। चूंकि साधारणतया बहुमत सरकार के पक्ष में ही होता है अतः सरकार पर संसद का नियन्त्रण अत्यन्त कम हो गया है आधुनिक समय में संसद अधिकतर बाद विवाद व आलोचना के मध्य के रूप में ही रह गई है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य सरकार वीर आलोचना बहुत कम करते हैं। यह बार्य अब प्रतिपक्षी दल ही करते हैं। “प्रतिपक्षी दल से जो अपेक्षा की जाती है, वह ही प्रभावशाली आलोचना।”^४

१. आई जैनिंज—‘पार्लियामेन्ट’ १९५७, पृ० १६७।

२. आई जैनिंज—‘केबीनेट गर्वमेण्ट’ १९५६ पृ० १५।

३. वही पृ० ४०६।

४. आई जैनिंज—‘पार्लियामेन्ट’ १९५७ पृ० ८२।

सप्तदात्मक सरकार को सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सत्ताहृद दल तथा प्रतिपक्षी दल के मध्य परस्पर विश्वास हा तथा सविधान के सिद्धान्तों से वे पूर्णतया परिचित हों, जिससे व्यावहारिक जीवन में, राष्ट्रहित के लिए इनका पालन किया जा सके। प्रतिपक्षी दल या दलों को अपने विभिन्न दायित्वों को समझने हुए, हिसात्मक साधनों को नहीं अपनाना चाहिये।

सध्ये म, प्रतिपक्षी दल को एक उत्तरदायी प्रतिपक्षी दल होना चाहिये। क्योंकि अनुत्तरदायी प्रतिपक्षी दल से उतनी ही हानि हो सकती है, जितनी एक अनुत्तरदायी सरकार से।

व्यावहारिक राजनीति म प्रतिपक्षी दल के अत्यधिक महत्व के कारण, इग्नैशंड भ मणियों के देने परिविष्ट १६३३ के ग्रन्थरूप प्रावधान किया गया है कि प्रतिपक्षीय दल के नेता को २,००० पौष्ट्र प्रति वर्ष वेतन मिले। कामन्स समा के स्वीकर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस घटि को प्रतिपक्षी दल का नेता स्वीकृत कर यह वेतन दिया जाये। यह वेतन सचित निवि मे से दिया जाता है, जिस पर भत्तान नहीं हो सकता है। यद्यपि इग्नैशंड मे प्रतिपक्षी दल के कार्यों का आपचारिक रूप से निर्धारण न तो कानून, न ही सदन के नियमों द्वारा किया गया है, उसकी स्थिति अत्यधिक अस्तित्वात् है। “साधकी या प्रतिपक्षीय दल सामाजिकी की वैकल्पिक सरकार है। प्रतिपक्षी दल का नेता सामाजिक वा वैकल्पिक प्रबन्धन मन्त्री है।”^१

सप्तदात्मक पद्धति मे प्रतिपक्षी दल के कार्यों तथा भूमिका के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्तदीय प्रजातन्त्र वा कोई मूल्य नहीं होगा यदि वहाँ उत्त्युक्त, परिपक्व, तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल नहीं है। “वस्तुतु गैर-सम्यवादी राष्ट्रों गे प्रतिपक्षी दलों का स्थान तथा शक्ति आज एक उच्च स्तर पर है।”^२

भारतीय सप्तद मे प्रनिपक्षीय दल

यह विदित करने के लिए कि भारतीय सप्तद मे विभिन्न विशेषी दलों द्वारा भारतीय सप्तदात्मक पद्धति के आवश्यक तत्त्वों के रूप म भूमिका विभाई जाती है या नहीं यहाँ पर आवश्यक है कि इन विभिन्न विशेषी दलों की स्थिति का अध्ययन किया जाय।

वहाँ वर्ष पूर्व ५० नेहरू ने कार्यस तथा प्रजा सोशलिस्ट दलों के पारस्परिक सहयोग के विषय पर श्री जयप्रकाश नारायण से वार्ता करने के बच्चात्, भारत की राजनीतिक स्थिति पर एक वक्तव्य दिया, जो आज की राजनीतिक स्थिति क सबव में भी सही माना जा सकता है। वह इस प्रकार है।

^१ आई जनियज—‘पालिंपामेर्ट’ १६५७ पृ० ६७।

^२ क० स०० जेना ‘पूर्वोत्त पुस्तक’ पृ० ४५७

"कांग्रेस को छोड़कर, जो राजनीतिक दल भारत में विद्यमान है, उनको चार बगों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ दल हैं जिनकी विचारपारा आविष्कार है। अपने सबैधित संगठनों के साथ साम्यवादी दल हैं। विभिन्न साम्प्रदायिक दल पृथक नाम के हैं जिन्हें जो सभीं माम्प्रदायिक विचारपारा का अनुमरण वर रहे हैं, और कई स्थानीय दल और संगठन हैं जिनका आधार बेवल प्रान्तीय वर्तिक स्थानीय है।"^१

भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का अध्ययन, यदि प० नेहरू द्वारा किय गये राजनीतिक दलों के उत्तर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर किया जाय तो राजनीतिक दलों को मुख्यतः निम्नलिखित गर्भ में रखा जा सकता है।

(क) पहले बगं में उन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों को रखा जा सकता है जिनको न बेवल आविष्कार विचारपारा हैं हैं परन्तु जिन्होंने जनतत्र तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य का पोषण बरना अपना उद्देश्य मान रखा है। उदाहरण स्वरूप कांग्रेस, सोशलिस्ट दल एवं स्वतत्र दल।

(प) दूसरे बगं भवे दल रखे जा सकते हैं जिनकी उत्पत्ति पर्म तथा सम्प्रदाय के आधार पर हुई है। ये हैं भारतीय जनसंघ तथा मुस्लिम लीग।

(स) तीसरे बगं में उन राजनीतिक दलों को रखा जा सकता है, जो हिंमा में विश्वास करते हैं, और सविवान में जिनकी आम्या सदेहप्रद हैं, जैसे साम्यवादी दल (मानवंवादी)।

१६५० में सविवान लागू होने के पश्चान् कई राजनीतिक दलों द्वारा उत्पत्ति हुई। वर्तमान समय में निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दल हैं —

(१) कांग्रेस—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय सन् १८८५ में हुया। उस समय इमंवा उद्देश्य समस्त भारतवासियों के लिए एक सामान्य मध्य की स्थापना बरना था जिससे राष्ट्रीय आदोलन की प्रगति हो सके। बीसवीं मदी वे दूसरे दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह एक अत्यत शक्तिशाली दल बन गया। १८८५—१९४७ तक राष्ट्रीय आदोलन की बागडोर, मुख्यतः कांग्रेस के हाथों में ही रही और इस दौरान कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से जनता से सम्पर्क स्थापित करने के अवसर प्राप्त हुए। अनेक यह स्वामानिक था कि जेप कांग्रेस ने स्वतत्र भारत की सरकार की बागडोर सम्हाली, जनता को इसका अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त था, वयोंविं जनता की दृष्टि कांग्रेस राष्ट्र की एकता तथा आकांक्षा का ठोस प्रतीक थी। सविवान के लागू होने के पश्चात तीन आम चुनावों (१९४७, १९५७, और

^१ 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' नंबर १०, १६८३ में प्रकाशित प० नेहरू का भाषण।

१९६२) में कांग्रेस को विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। जिसके फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान सभाओं में (केरल को छोड़कर) कांग्रेस का पूर्ण आधिकार्य रहा। परन्तु १९६७ के आम चुनावों में कांग्रेस को गहरा घराना पहुँचा, जबकि न केवल कई राज्य विधान सभाओं में इसका बहुमत समाप्त हो गया बिन्तु 'संघ संसद' में भी इसका बहुमत घटकर केवल ५४% ही रह गया। तत्पश्चात् आतंरिक द्वन्द्व तथा भवभेदों के कारण १९६९ में कांग्रेस में बड़ी फूट हुई, जिसके फलस्वरूप संसद में कांग्रेस के एक हिस्से ने डा० रामसुमणीसिंह के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों का स्थान, संगठन कांग्रेस के नाम से ग्रहण किया। कांग्रेस का शेष परन्तु प्रमुख हिस्सा, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, नई कांग्रेस के नाम से सरकार की बागडोर दिसम्बर १९७० तक, कठिपय निर्दलीय सदस्यों तथा विरोधी दलों ने समर्थन के आधार पर सम्हाले रहा। दिसम्बर १९७० में राष्ट्रपति थी गिरी ने, आम चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु, संसद को प्रधानमंत्री की सलाह पर मण किया। १९७१ फरवरी-मार्च में चुनाव सम्पन्न हुए, जिनके आधार पर श्रीमती गांधी की नई कांग्रेस को लोकसभा में विशाल बहुमत प्राप्त हुआ है। कांग्रेस की शक्तिशाली स्थिति का एक मुख्य कारण यह है कि न केवल इसके साथ राष्ट्रीय आदोलन द्वा० इतिहास जुड़ा है और एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसकी जाखाएँ देश के कोने-कोने में हैं, वरन् कांग्रेस नाम के साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के नाम जुड़े हैं।

अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में नई कांग्रेस का संगठन राष्ट्रब्यापी है, जिससे जनता तक पहुँचना आसान हो जाता है। नई कांग्रेस की बत्तमान आर्थिक विचारधारा के मौलिक पहलू, जनता की आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। इनमें गांधीजी के सर्वोदय के आदर्श के साथ समाजवाद के विचार कि, उत्पा दक के साधनों को राज्य के अधिकार में होना चाहिए, निहित हैं। इसके अतिरिक्त, निजी आर्थिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहन देने के सिद्धान्त पर बल दिया गया है। कांग्रेस द्वारा इस आर्थिक विचारधारा को अपनाने के फलस्वरूप समाजवादी तथा साम्यवादी दलों की भूमिका के महत्व में कभी हो जाती है, जबकि जनता न तो उत्तरवादी नीतियों के पक्ष में है न ऐसे राजनीतिक दलों के जो विस्तीर्णी राजनीतिक दल से प्रेरणा लेते और उनके सलाहानुसार कार्य करते हैं।

राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से भी, कांग्रेस वी आस्था लोकतंत्र तथा धर्म-निर्लेप राज्य में है। अन्य राजनीतिक दलों के इतिहास को देखते हुए, जनता को, इन राजनीतिक मूल्यों के सदर्म में कांग्रेस पर अधिक विश्वास है।

सक्षण में, इन तत्वों के कारण कांग्रेस भी स्थिति विशेषकर संसद में, अत्यंत शक्तिशाली है। इस बात की मुख्य कांग्रेस द्वारा प्रत्येक भाग चुनाव में जितने स्थान लोक सभा में प्राप्त हुए हैं, उनसे कों जा सकती है।

पहला आम चुनाव १९५२
दूसरा आम चुनाव १९५७
तीसरा आम चुनाव १९६२
चौथा आम चुनाव १९६७
पाँचवा आम चुनाव १९७१

लोकसभा में स्थान प्राप्त ३६४
लोकसभा में स्थान प्राप्त ३७१
लोकसभा में स्थान प्राप्त ३६१
लोकसभा में प्राप्त स्थान २८१
लोकसभा में प्राप्त स्थान ३५०

(२) प्रजा सोशलिस्ट दल—सितम्बर १९५२ में समाजवादी एवं किसान मजदूर दल के मिलने से प्रजा सोशलिस्ट दल की उत्पत्ति हुई। वस्तुत सोशलिस्ट दल की उत्पत्ति १९३४ में कांग्रेस में से ही हुई, क्योंकि श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन एवं श्री अशोक भेहता जैसे नेताओं को कांग्रेस पर पूजीपतियों का आधिपत्य प्रदान नहीं था। स्वतंत्रता के पूर्व इस दल को कांग्रेस-सोशलिस्ट दल बहा जाता था। १९४२ में भारत छोड़ो आदोलन के समय इस दल के नेता भूमिगत हो गये। मार्च १९४७ में इस दल के नेताओं की बैठक बानपुर में हुई जिसमें उन्होंने कांग्रेस से पृथक होकर एक स्वतंत्र एवं भिन्न दल के निर्माण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि इन नेताओं की राय में कांग्रेस का स्वरूप एक राष्ट्रीय संगठन से बदल कर एक राजनीतिक दल का हो गया था। इन नेताओं का यह विश्वास भी था कि चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई थी अतः एक प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल का निर्माण करना अत्यत आवश्यक था, जो कि सत्तारूढ़ दल की निरकुश प्रवृत्तियों पर अबुश लगा सके। इसके अतिरिक्त, सोशलिस्ट दल का यह विश्वास भी था कि कांग्रेस द्वारा प्रभावपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक सुधार लाना असम्भव था।

प्रजा सोशलिस्ट दल का विश्वास लोकतात्रिक समाजवाद में रहा है और उनके मनुसार विकेन्द्रित लोकतत्र, जनता के सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य एक नियोजित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे—कोयला, इस्पात आदि का राष्ट्रीयकरण हो। अतः प्रजा सोशलिस्ट दल तथा कांग्रेस के सिद्धान्तों में मुख्य अन्तर यह है कि कांग्रेस द्वारा स्वीकृत आर्थिक व्यवस्था एक मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक व्यवस्थाओं को समान रूप से स्थान प्राप्त था; जबकि प्रजा सोशलिस्ट दल का विश्वास केवल ऐसी व्यवस्था में रहा है जिसका स्वरूप सार्वजनिक ही होगा।

१९५२-में किसान मजदूर दल तथा समाजवादी दल का एकीकरण हुआ, जो भविक लाम्प्रद सिद्ध नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि किसान मजदूर दल का उद्देश्य 'सर्वोदय' प्राप्त करना था, समाजवादी दल की प्रेरणा का

सोत मात्र संवाद था। फलस्वरूप, शीघ्र ही दल में दरारे पड़ने लगी और दल दो भागों में विभाजित हो गया।

(क) दक्षिणपथी-जो बायेस के साथ सहयोग के पक्ष में थे, एवं (ख) बामपथी-जो बायेस से कोई सबध नहीं रखना चाहते थे। इसलिए जब १० नेहरू ने थी जयप्रकाशनारायण वो राष्ट्र निर्माणात्मक वार्यों में प्रजा सोशलिस्ट दल के सहयोग के लिए आमनित दिया तो प्रजा सोशलिस्ट दल के बामपथी नेताओं में डा० लोहिया तथा थी मधुलिमये को यह बात पसन्द नहीं आई। तत्पश्चात्, प्रजा सोशलिस्ट दल के आन्तरिक भत्तभेद स्पष्ट हप से सामने उभर कर आये। जब बायेस ने अपने अवाडी (मद्रास) अधिवेशन में भारत म समाजवाद स्थापित करने के लक्ष्य को स्वीकृत किया तो प्रजा समाजवादी दल के अध्यक्ष ने इस पर अपना हर्ष व्यक्त किया और कहा कि यह सोक्रातीनिक समाजवाद की प्रगति का एक सबूत था। डा० लोहिया के सहयोगियों ने इसे एक बड़ा धौखा बताया। इसी समय थी मधुलिमये ने, जो डा० लोहिया के निकट के सहयोगी थे, थी अशोक मेहता को कड़ी श्रालोचना की, फलस्वरूप उनको दल से निलम्बित कर दिया गया। परन्तु दल की उत्तरप्रदेश की कार्यपालिका ने थी लिमये का समर्थन किया और उनको गाजीपुर में दल के अधिवेशन वो सचोधित करने हेतु आमनित किया। इस कार्य को दलीय अनुशासन के विरुद्ध मानते हुए समस्त प्रदेश कार्यपालिका को निलम्बित कर दिया गया। अन्त मे जुलाई १९५५ मे डा० लोहिया को दल से निपासित कर दिया गया। दिसम्बर १९५५ मे डा० लोहिया ने समाजवादी दल का निर्माण किया जो कि प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध था, क्योंकि प्रजा समाजवादी दल का बायेस से सहयोग करने मे विश्वास था। इस दल वो संयुक्त सोशलिस्ट दल (एस०एस०पी) के नाम से पुकारा जाता है। मई १९६३ मे डा० लोहिया लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।

प्रजा समाजवादी दल को विभिन्न आम-चुनाव मे न तो सदस्य में न ही राज्य विधान सभाओं में अधिक स्थान प्राप्त हुए। १९५२ के आम-चुनाव मे लोकसभा मे इसे २१ स्थान मिले। १९५७ के आम-चुनाव मे इसे लोकसभा मे केवल १६ स्थान ही प्राप्त हुए। १९६२ के आम-चुनाव मे लोकसभा मे केवल १२ स्थान प्राप्त हुए और मार्च १९६७ के आम-चुनाव मे १३ स्थान प्राप्त हुए। मार्च १९७१ के आम-चुनाव मे प्रजा सोशलिस्ट दल को लोकसभा मे केवल २ स्थान ही मिले।

डा० लोहिया वे समाजवादी दल वो १९६२ के आम-चुनाव मे ६ स्थान प्राप्त हुए और १९६७ के आम-चुनाव मे २३ स्थान मिले। १९७१ के आम-चुनाव मे इसे केवल ३ स्थान लोकसभा मे प्राप्त हुए।

३—भारतीय जनसंघ—भारतीय जनसंघ की स्थापना १९५१ मे डा० शपामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा की गई। जनसंघ को दक्षिण पथी दल माना जा सकता है।

समाजवादी एवं साम्यवादी दलों को वास्तविक माना जाता है। जनसंघ वा प्रभाव मुख्यतः भारत में उत्तरी क्षेत्र में है, विशेषरर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। १९५६ में जनसंघ, रामराज्य-परिपक्ष तथा हिन्दू महासभा के एकीकरण दरने के प्रयत्न किये गये, परन्तु यह सफल नहीं हुए। इन तीनों दलों की प्रायः आत्मोचना की जाती है कि ये साम्प्रदायिक हैं।

‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सास्त्रविक समठन होने का दावा करता है, परन्तु इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ जनसंघ द्वारा, सचालित वीं जाती हैं। डॉ मुरर्जी एक महान् राष्ट्रीय नेता थे जिनका राष्ट्रीय सेवा का खिलाफ है। जून १९५३ में उनकी दुर्घट्यां मृत्यु के पश्चात् जनसंघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक मन्त्र बा गया।’^१ यद्यपि इसकी स्थापना के बाद, जनसंघ के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, अपनी सफलता के लिए जनसंघ को आवश्यक है कि अपनी विचारधाराओं को जनतात्रिक एवं धर्म निरपक्ष सिद्धान्तों पर आधारित करें, जिससे ग्रल्पसहयोग का विश्वास इसे प्राप्त हो सके। १९५२ के आम चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में ३ स्थान प्राप्त हुए। १९५७ के आम-चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में ३ स्थान प्राप्त हुए। १९६२ के आम-चुनाव में १४ स्थान-लोकसभा में इसे मिले। १९६७ के आम चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में ३३ स्थान प्राप्त १९७१ मार्च के आम-चुनाव में २२ स्थान लोकसभा में मिले।

१९६२ के आम चुनाव के पश्चात् जनसंघ की लोकप्रियता में थोड़ी घूँटि हुई है बिन्तु एक वास्तविक प्रतिपक्ष दल के रूप में विकसित होने के तिथे, जनसंघ का लोकतात्रिक एवं धर्म निरपेक्ष स्वरूप को अपनाना होगा।

४—स्वतंत्र दल—स्वतंत्र दल की उत्पत्ति १९५६ में एक लोकतात्रिक अनुदार दल के रूप में हुई है। स्वतंत्र दल के उद्देश्य तथा नीतियों का उल्लेख श्रीमती ऐलन रॉय ने निम्नलिखित रूप से विया है, “हमारी राय है कि सामाजिक न्याय तथा लोकवल्याण वो तथावधित समाजवाद के साधनों के अलावा अन्य निश्चिन् एव उपयुक्त साधनों द्वारा प्राप्त विया जा सकता है। सामाजिक न्याय और लोक वल्याण वो हिसा या राज्य शक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता है—विन्तु इनकी स्थापना गांधीजी द्वारा प्रतिपादित न्यास-पद्धति के द्वारा की जा सकती है। सरखार की शैक्षणिक गतिविधियों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे इस बात पर बल दिया जाये कि जिन लोगों के पास धन है, वे इसको समाज की धरोहर के रूप में रखें, और जीवन के ऐसे सिद्धान्त पर भी जो इस नैतिक वर्त्तन पर आधारित है, इसके बजाय कि ऐसे सामाजिक

^१ एम० जी० गुप्ता, ‘पूर्योक्त पुस्तक’ पृ० ४८०

बृद्धि होती गई है। १९७१ के आम चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल (सी० पी० आई०) को २३, भारतीय साम्यवादी दल (माक्संवादी) (सी० पी० एम) को २५ स्थान लोकसभा में मिले हैं।

उपर्युक्त विवरण से भारतीय संसद के निचले सदन (लोकसभा) में मुख्य राजनीतिक दलों की स्थिति स्पष्ट होती है और यह विदित होता है कि इनमें से किसी दल को 'वास्तविक संसदीय प्रतिपक्षी दल' की सज्जा नहीं दी जा सकती है। परन्तु इन मुख्य राजनीतिक दलों के अतिरिक्त लोकसभा में कुछ अन्य स्थानीय एवं छोटे दलों का प्रतिनिधित्व रहा है, जो निम्नलिखित है—

१—गणतन परिषद—१९६२ के आम-चुनाव में लोकसभा में इसे उडीसा से ४ स्थान प्राप्त हुए।

२—किशान एवं मजदूर दल—१९६२ में इसको लोकसभा में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु १९६७ में २ स्थान प्राप्त हुए। यह दल महाराष्ट्र का है।

३—मुस्लिम लीग—१९६२ में इसे २ और १९६७ में ३ स्थान प्राप्त हुए। इसका प्रमाव प्रमुख रूप से केरल में है।

४—अकाली दल—१९६२ में इसको लोकसभा में ३ स्थान प्राप्त हुए, १९६७ में पुनः इसको ३ स्थान प्रमाव से प्राप्त हुए।

५—फारवड ब्लाक—१९६२ में इसको २ स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए, और १९६७ में भी २ स्थान प्राप्त हुए। इस दल का प्रमाव मद्रास और पश्चिम बंगाल में है।

६—द्रविड मुनेश कडगम—१९६२ के आम-चुनाव में इसे लोकसभा में ७ स्थान मिले, और १९६७ के आम-चुनाव में इसे २५ स्थान लोकसभा में मिले। इस दल का प्रमाव मद्रास (तमिलनाडू) में है।

७—भारतवर्ष दल—१९६२ के आम-चुनाव में इसे लोकसभा में ३ स्थान मिले। १९६७ के आम-चुनाव में इसे कोई स्थान नहीं मिला। यह दल विहार प्रान्त का है।

८—हिन्दू महासभा—१९६२ में इसे लोकसभा में केवल १ स्थान मिला, परन्तु १९६७ में इसे कोई स्थान नहीं मिला।

९—राम राज्य परिषद—१९६२ के आम-चुनाव में मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में २ स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए।

१०—रिपब्लिकन दल—उत्तरप्रदेश से इस दल को लोकसभा में १९६२ के आम-चुनाव में ३ स्थान प्राप्त हुए और १९६७ में इसे केवल १ ही स्थान प्राप्त हुआ।

११—१९६२ में लोकसभा के लिये २३ निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए।
१९६७ में ४२ निर्दलीय सदस्य लोकसभा में निर्वाचित हुए।

१२—ग्राम इंजिनियर डिप्लोमा हित लीडर्स काकेन्स-१९६३ में ग्राम से इस दल ने सोक्रातिस के लिए १ स्थान प्राप्त किया था।

१३—महागुवारात जनता परिषद-१९६७ में गुजरात से इस दल को लोक सभा के लिए १ स्थान मिला था।

१४—नेशनल काकेन्स-१९६३ में जम्मू तथा काश्मीर में १ स्थान सोक्रातिस के लिए मिला।

१५—नागा नेशनल आरणनाईवेन्यू-१९६७ में आम-चुनाव में इसको नागा-सेप्ट से लोकसभा में १ स्थान प्राप्त हुआ था।

उपर्युक्त अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि प्रतिपक्षी दलों में से किसी की भी स्थिति इस प्रवार नहीं है कि उसको एक वास्तविक समर्थन प्रतिपक्षी दल की सज्जा दी जा सके। इसके विपरीत १९७१ के आम चुनाव में नई कांग्रेस को एक विजय बहुमत प्राप्त हुआ है। अनेक देवल कुछ समय को छोड़कर, सवियत लापूर होने से आज तक सोक्रातिस का एक पक्षीय आविष्यत्य रहा है, जब कि प्रत्येक विपक्षी दलों को देवल नाम मात्र के स्थान प्राप्त हुए हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय समर्थन पद्धति की कार्यप्रणाली पर इसका हानिकारक प्रभाव हो सकता है; क्योंकि जब कई विपक्षीय दल हैं और इनमें से किसी को नविष्य में सरकार निर्माण करने की उम्मीद नहीं है तो व्यावहारिक जीवन में ऐसे दल प्राप्त अनुत्तरदायी होते हैं। सरकार की नवाचारन्मत इस से आलोचना में लगे रहते हैं, और उनका उद्देश्य देवल यह ही हो जाता है कि विमी प्रकार सरद में कुछ करने का अवसर उनको नहीं मिल सकेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि अनेक विपक्षीय दलों के स्थान पर यदि एक या अधिक से अधिक दो दल हों, तो इनमें सांख्यिक विधियों के सम्बन्ध में, सदसद में एव सदसद के बाहर, दोस उत्तरदायिन्व की नावना जागूर हो सकेगी। इनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में पृष्ठवृत्ता तथा स्पष्टता लायी जा सकेगी जिससे मतदाताओं को भी मतदान के बायं में सहृत्य यत होगी।

दलनु नियन्ति यह है कि लोकसभा में जब नई कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत हो तो वह विपक्षीय दलों के पृथक अस्तित्व के बारण एक 'वास्तविक समर्थन प्रतिपक्ष' का विकास समव नहीं है। इस अनाव की दृष्टि से भारतीय समर्थन पद्धति के सम्बन्ध में एक उपमा दी जा सकती है कि यह एक ऐसी भौटिक गाड़ी के सदृश है जो घाटी में दूर कर या रही है, और जिसके 'बैक' में भ्रुटियाँ हैं। समर्थन प्रति-

पक्षी दा एक 'ब्रेत' के समान है, जिसां पार्म सरतार हवी मोहर पांडी पर आवश्यक विभाग बरता है जिसने बिंग सरतार विभाग से बाहर टोर तिर-बुचना की ओर अप्रसर हो सकती है।

यद्यपि भारतीय संसद में प्रतिपक्षी दलों में वही गुटियाँ हैं जोर 'संसदीय प्रतिपक्ष' का स्वरूप भस्तर्तोषजनक है जिर भी यह नहीं बहा जा सकता है तो सखार पर इन दलों का कोई प्रभाव नहीं रहा है। यह युक्त है तक सरकार पर एक जातीनिधि भवरोप वे हृष में हैं। मुख्य दो प्रतार के ऐसे सापा हैं जिनके आधार पर प्रतिपक्षी दा सरतार पर एक जातीनिधि भवरोप का बांध करते हैं।

१—सखार के विरुद्ध भविश्यास पस्तां पारिता परों का उम सापा। परन्तु यह यह सर्व सामान्य साधन नहीं है, जिससे प्रतिपक्षी दल प्रति दिन सखार का विभाग बरते हैं।

२—कठिपण ऐसे सापन हैं, जिनसे प्रतिपक्षी दा सखार का दैतिय विभाग बरते हैं। ये दैतिय साधन, विभवितिर हैं।

(अ) समिति प्रणाली राय संसद की विभिन्न समितियों पर प्रतिपक्षी दलों वे प्रतिनिधि रहते हैं। जिस है तां सखार के दांओं रो सबप्रिति समितियों का थोगापिचार है, प्रतिपक्षी दल समितियों में इपो प्रतिनिधियों के माध्यम से सखार की गतिविधियों पर विभाग रहते हैं।

(आ) संसदीय प्रश्न,

(ए) संसदीय प्रस्ताव,

(ओ) वाद विवाद,

(ड) स्थगा पस्ताव आदि, ये ऐसे सापा हैं, जिनसे माध्यम से प्रतिपक्षी दा सरतार पर निरन्धार दैतिय विभाग रह सकते हैं।

संसद में प्रतिपक्षी दा सरतार की नीतियों तथा वायों पर विचार विमर्श बरते हैं जिए समझ भी मांग करते हैं। भनएव प्रतिपक्षी दलों को सरतार की नीतियों तथा वायों की भालोचना परते का जो भवितार है यह भारतीय संसद में वाद विवाद की स्वतान्त्रा के सन्दर्भ में एक महत्यपूर्ण जनतानिधि भवितार है। यह भवितार संसद में, सखार की भालोचना तर ही सीमित नहीं है जो वेष्या भवारामा कार्य है। रघातमा या सखारात्मक हृष से संसदीय प्रतिपक्षीय दल का यह कार्य है जि सखार को, राष्ट्रीय द्वितीय से सबप्रिति मूलभूत भुले पर भवता सहयोग दे। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रीय द्वितीय से सबप्रिति वित्ती विधेयक को जब संसद पारित करती है, उसमें प्रतिपक्षी दलों का गृह्योग रहता है। विटिश पद्धति

के सम्बन्ध में विषयीय दल के नेता ने १९३२ में कहा—“यद्यपि यह सरकारी विधेयक है परन्तु इसका निर्माण सदन के सदस्यों के सहयोग से हुआ है जहाँ पर कुछ सदस्य निर्दान्तों पर विधेयक का विरोध करते हैं फिर भी वे उसको डियान्वित करते भी सक्रिय रहते हैं।”^१

अन्य मामला में भी, जो राष्ट्रीय हितों से संबंधित है, प्राय अंतिपक्षी दलों का सहयोग सरकार को मिलना चाहिये १९६५ तथा १९७१ में पांचिस्तानी आड़-मणों के दौरान प्रतिपक्षी दल ने सरकार को अपना ठोन सहयोग दिया।

इसके बादबूद भी हि भारतीय संसद में प्रतिपक्ष डारा सरकार पर कुछ हृद तक अदृश लगाया जाना है, यह स्पष्ट है हि जब तक भारतीय संसद में एक संगठित तथा प्रभावशाली लोकतंत्रीय प्रतिपक्ष का विकास नहीं होता है, तब तक वर्तमान स्थिति सतोप्रद नहीं मानी जा सकती है। भारतीय संसद में एक संगठित एव प्रभावशाली लोकतंत्रीय प्रतिपक्ष की आवश्यकता, श्री एम० आर० भसानी के निम्नलिखित शब्दों से समझी जा सकती है, “मेरे विचार में भारतीय दौदिक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को यह स्पष्ट हो गया होगा कि संसदात्मक जनतत्र प्रभावशाली नहीं हो सकता है यदि एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष का अमाव है। बल्कि, आप में से किन्होंने श्री डी० एफ० एम० डरवीन की पुस्तक पढ़ी है—आपको स्मरण होगा कि वे कहते हैं कि ‘जनतत्र की समस्त कसीटियों में मूल कसीटी यह है कि एक प्रतिपक्षी दल और वैकल्पिक सरकार विद्यमान है या नहीं है। कोई संविधान जनतानिक नहीं हो सकती है, यदि व्यवहार में सिवाय सत्तालृप दल के अन्य कोई दल सरकार की बागड़ोर लेने को तैयार नहीं है। डरवीन सही या।”^२

भारतीय संविधान में विचारों वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, त्रिमुक्ते फलस्वरूप वे सरकार की आनोखना कर सकते हैं। प्रतएव संविधान के अन्तर्गत संसदीय प्रतिपक्ष के विकास के लिए पर्याप्त माध्यम है। प० नेहरू ने कहा है कि—“मेरा विश्वास पूर्णतया ऐसी सरकार में है, जिसके आनोखन निहर हैं, और जिसको विरोध का सामना करना है। विना आलोचना के जनता तथा सरकार लापरवाह हो जाती है। समस्त संसदीय प्रणाली, इस प्रकार की आलोचना पर आधारित है—मैं संसद में (सरकार त्री) आलोचना चाहता हूँ।”^३

१. ए० श्री० कौय—‘द विटिश कॉम्पनीट सिस्टम’, १९५२ पृ० २४२-२४३।

२. एम० आर० भसानी—‘पांडी पालिटिक्स इन इण्डिया,’ (इन बाईटल स्पीचेज एण्ड डाव्युमेन्ट्स आफ द डे) जुलाई, १५, १९५२ पृ० ४६६।

३. प० नेहरू—‘नेहरू स्पीचेज’ भाग-३ अगस्त १९५७ पृ० १५२।

पवित्र शान्ति डिविजन, मिनीस्ट्री आफ इन्कारमेशन एण्ड डाक्टार्स्टिंग।

अतएव भूल प्रश्न यह है कि भारतीय संसद में एक संगठित एवं प्रभावशाली लोकतन्त्रीय प्रतिपक्ष के विकास में बौन-बौन सी बाधाएँ हैं, और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

(१) भारत में राजनीतिक नेतृत्व की मुद्द्य त्रुटि यह है कि यह नकारात्मक तथा काल्पनिक प्रभावों से मुक्त नहीं है। लोकतन्त्र में राजनीतिक नेतृत्व का विकास एवं आसान बायं नहीं है क्योंकि इसके लिए असीम धैर्य एवं चित की स्थिरता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नेतृत्व के लिए आत्म-बलिदान की आवश्यकता होती है, जिससे जनता पर उचित प्रभाव हो सके। परन्तु भारत में यह देखा गया है कि राजनीतिक दलों के कई सदस्यों ने अपने असन्तोष के कारण जल्द ही धैर्य सो दिया है और सतारूढ़ दल में सम्मिलित हो गये। कई सदस्यों ने प्रजा सोशलिस्ट तथा स्वतन्त्र दलों की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश के लिया। इसके अतिरिक्त, कई विपक्षी दलों वा नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हैं जो पूर्व में कांग्रेस में थे। अतएव एक साधारण नामिक के मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार पैदा होता है कि व्यक्तिगत, न कि राजनीतिक वारणों से इन व्यक्तियों ने कांग्रेस छोड़कर विपक्षी दलों में सदस्यता ग्रहण की है। 'यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जनता इनको अव्यावहारिक, भक्तीया या असन्तुष्ट नेताओं के रूप में मानती है। जनता अपना भविष्य ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में छोड़ना सुरक्षित नहीं समझती है।'^१

कई राजनीतिक दलों के नेतृत्व में आन्तरिक कलह तथा भगड़े हैं जिससे उन दलों के सदस्यों में असन्तोष की भावना बढ़ती है और साथ ही जनता पर बुरा प्रभाव पहुँचता है, जैसा डा० सोमजी, प्रजा सोशलिस्ट दल के लिए कहते हैं "नेतृत्व के दूषिकोण से इनको अपने संस्थापकों की असामयिक राजनीतिक सेवा निवृत्त होने से और अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत भेद-भाव तथा भगड़ों के कारण अधिक हानि सहनी पड़ी है।"^२ यह सत्य है कि यदि भारतम् से ही विपक्षी दलों का उचित नेतृत्व तथा कार्यक्रम होता, तो वादाचित संसद में एक संगठित लोकतात्त्विक प्रतिपक्ष के विकसित होने में कई घटनाइयाँ दूर हो सकती थीं। परन्तु जैसा स्पष्ट है भारत में विभिन्न राजनीतिक दल जनतात्त्विक, साम्यवादी तथा साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित होने के अतिरिक्त प्रायः आन्तरिक भगड़ों में उलझे रहते हैं, जिसके

१. जी० धी० कान्तिकर—'प्रोबलेम्स आफ अपोजीशन इन इण्डिया इन स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी' १९५८ पृ० ६२६।

२. ए० एच० सोमजी—'मोटिवेशन्स एण्ड प्रोपेगेण्डा इन सेमीनार' ३० फरवरी १९३२।

फलस्वरूप लोकतंत्र का मूल उद्देश्य—लोक कल्याण, इनकी दृष्टि से ओमल हो जाता है। “एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष वा निर्माण ऐसा कार्य है, जिसके लिए धैर्य की, विशेषकर मारत-जैसे आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश के लिए आवश्यकता है। निरन्तर विरोध में रहना, प्रतिपक्षी दल का उद्देश्य नहीं हो सकता। एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष को सत्ताहट दल का बड़ा विरोध बरते हुए, मतदाताओं में विश्वास की भावना वा निर्माण बरना है जि वह सरकार की बागडोर सम्हालने के लिए तैयार है। इस दृष्टिकोण से प्रतिपक्ष को वैकल्पिक सरकार के सदृश कार्य बरना है। इस बात पर बल दिया जाना आवश्यक है कि एक प्रभावशाली दल के निर्माण के लिए कोई छोटा मार्य नहीं है। इसके पूर्व कि उसके द्वारा लेवर सरकार की स्थापना की गई त्रिटिश लेवर (मजदूर) दल वो प्रतिपक्ष म कई बर्षों तक रहना पड़ा। दुर्मार्यवश वह सहनशीलता तथा धैर्य जो एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक है, मारत वे दलों में नहीं है। प्रतिपक्ष की सदस्यता छोड़कर सत्ताहट में प्रवेश करना मुख्यतः धैर्य की कमी का सूचक है, यद्यपि कई बार यह दर्शाया जाता है कि यह विश्वास से प्रेरित होकर किया गया है।”^१

(२) केवल निष्ठावान एव उत्तम वेत्तृत्व ही एक प्रभावशाली लोकतात्त्विक प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनता को प्रभावित करने के लिए एक अन्य तत्व आवश्यक है।

इस तथ्य को दृष्टि से ओमल नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ि, प्रशासन में लाल फीला-शाही तथा भ्रष्टाचार के कारण जनता में असन्तोष बढ़ा है। परन्तु यह एक विद्यमना है कि इन सब कारणों के होते हुए भी जनता ने लगातार, सविधान लागू होने के पश्चात् केवल एव ही दल (वाप्रेस) को बेन्द्रीय सरकार की बागडोर सौंपी। इस विविध राजनीतिक घटना के क्या कारण हैं यहाँ पर दो कारणों का उल्लेख किया जा सकता है।

सर्वप्रथम, वही प्रतिपक्षी दलों द्वारा पाश्चात्य राजनीतिक, आर्थिक एव सामाजिक आदर्शों या नमूनों को अपनाया गया है। परन्तु आरम्भ से ही वाप्रेस में भी इसी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक एव सामाजिक सिद्धान्तों को अपनाया है। अनेक एक साधारण नागरिक ने लिए कमी-कमी यह समझना कठिन है कि ‘तोकतात्विक समाजवाद’ की घोषणा बरते वाले इतने अधिक राजनीतिक दल

^१ एम० आर० दृष्टवते—प्रोवलेम्स आफ अपोजिशन इन इण्डिया इन स्टडीज इन इण्डियन डेमोक्रेसी, १९६५, ६३।

क्यों हैं, जबकि कांग्रेस ने इस सिद्धान्त की घोषणा बी है और इसको कार्यान्वित करने का दावा करती है। “केवल यह कहना कि हम वही चाहते हैं, जो सत्तारूढ़ दल चाहता है किन्तु हम उसे बेहतर रूप में करेंगे, जनता को आश्रम्भित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।”^१ उदाहरण स्वरूप, प्रजा सोशलिस्ट दल का आनन्द प्रदेश में शासन, साम्यवादी दल का केरल में शासन, उत्तर प्रदेश में संयुक्त विदायक दल का शासन-इनसे विपक्षी दलों के दावों को पुष्ट नहीं होती है कि वे कांग्रेस से बेहतर प्रशासन देने की क्षमता रखते हैं। “सामान्यत जनता में समस्त राजनीतिज्ञों के प्रति एक प्रकार की अविश्वास बी भावना हो गई है। उनको विश्वास है कि केवल सरकार के परिवर्तन का अर्थ एक उत्तम एवं सक्षम प्रशासन नहीं होगा। इसलिए वे नदे तथा अज्ञात सगठन के बजाय एक जात सगठन को समर्थन देते रहते हैं।”^२

द्वितीय, सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) की नुटियों के कारण उसके प्रति असन्तोष होते हुए भी जनता को यह विदित है कि इसके अलावा कोई वैकल्पिक राजनीतिक दल नहीं है जो उनका एक दृढ़, समझ एवं स्वस्य प्रशासन देने की स्थिति में है। अतएव यह विपक्षी दल या दलों के लिए एक चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए उनको जनता के समक्ष अपनी एक प्रभावशाली तस्वीर रखनी होगी। यह प्रतिपक्षी दलों के रचनात्मक कार्यों से ही सम्बन्ध है। उदाहरण स्वरूप, विशेष-कर सहकारिता वे क्षेत्र में राजनीतिक दल योजनाओं की सफलता के लिए अपना योगदान दे सकते हैं और जनता के समक्ष यह सावित कर सकते हैं कि इनके संगठित कार्यकर्ताओं भी प्रशासन एवं प्रबन्ध-सबधी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता है। अतएव प्रतिपक्षी दलों के व्यवहार एवं कार्य ऐसे होने चाहिये जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके।

१६६७ के आम-चुनाव के बाद विभिन्न प्रतिपक्षी दलों ने, विभिन्न राज्यों में संयुक्त सरकारें स्थापित की। ये संयुक्त सरकारें उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश में स्थापित की गई थीं।

परन्तु सिवाय आन्तरिक भगडों में अपना समस्त समय व्यय करने के इन सरकारों ने जनता के हित में कोई विशेष कार्य नहीं किया। “इसके अनिरिक्त, कई राज्यों में, विभान समाजों के कई सदस्यों ने राजनीतिक नैतिकता को ठुकराते हुए अपने स्वायतों की प्रूति के लिए दल-बदल और दलीय निष्ठा में परिवर्तन या खण्डन दलों का निर्माण किया जैसे बंगाल में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फन्ट और विहार-

१. जो० बो० कान्तिकर-भूर्जत पुस्तक' पृ० ६३२।

२ वही पृ० ६३२।

में सोमित्रदल। ऐसे विधायकों के बारें जो उचित या अनुचित भाषणों से मध्यी पद हटाने म ही प्रायमिक रूप से गविर रखते हैं—एवं सामान्य व्यक्ति की मसदीय जननक भै आस्था टगमगा गई है और लोकतंत्र के अभिन्नत्व को ही डर हो गया है।^१

(३) यद्य तक राजनीतिक दलों की मत्त्या अन्याधिक रहेगी और वे साम्प्रदायिक, न्यानीय या अन्य किसी मकीण तम्बो से प्रभावित होकर बायं करेंगे, यह स्पष्ट है कि इनके हारा समझ में बोई किसी प्रभावशाती लोकतात्त्विक प्रतिपक्ष के निर्माण की समावना नहीं है। “राजनीतिक दलों को अन्यन्त तुच्छ बारम्बा के आधार पर तोड़कर कई दलों को पैदा किया है। एवं ऐसा देश जहाँ पर प्रतिपक्ष दल निर्वाल है, इन प्रकार का राजनीतिक विभाजन नहीं हटने कर सकता है। ब्रिटन जैसे देश में, लेवर दल में आन्तरिक घट्ठियरता होने के बावजूद भजदूर दल के नेता थी एन्युरिन बेवन समान बाम पक्षी उथ नेताओं ने उसी भी लेवर दल को विभाजित कर एवं नया भगड़न स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। ब्रिटिश लेवर दल हारा प्रस्तुत भवत भारत के प्रतिपक्षी दलों की दृष्टि में कभी आमने नहीं होना चाहिये।”^२

यह स्पष्ट है कि यदि भारत में एक प्रभावशाती लोकतात्त्विक प्रतिपक्ष का विकास करना है, तो जो राजनीतिक दलों की बहुमान सम्ब्या अन्याधिक है, उसको कम करके दो या अधिक में अधिक तीन तक सीमित करना आवश्यक है। यह एक अन्यन्त बठिन कार्य है, जिन्हुंने अनभव नहीं है। इसे मंसदीय प्रणाली के अस्तिन्द्र के लिए न्योवार करना अत्यावश्यक है। इसके लिए दिन दलों की विचारवारा एवं आदर्य समान हैं, उनका एजोकरण होना आवश्यक है। “यह मत्त्य है कि मन्मूर्ण प्रतिरक्ष की एकता समव नहीं है और तीन प्रवृत्तियों, उदाहरणः साक्षात्त्वात्त्विक सामाजिक, साम्यवादी एवं ‘धर्यामूर्त्ति विद्वादी’ प्रतिपक्ष में बही रहेगी। अमरगत प्रवृत्तियों का एजोकरण अवाक्षर्णाय है। तथापि, इन तीन प्रवृत्तियों के ग्रलावा प्रतिपक्षी दलों का बहुसङ्ख्या म होना, एवं प्रभावशाती तथा मैदानिक प्रतिपक्ष के स्वर्य विवाय में हानिकारक होगा। अतएव बहुमान आवश्यकता यह है कि समान विचार बातें दलों का तम्कान एजोकरण हों। समाजवादी एकता की दिशा में विषय गये प्रयत्न स्वागत योग्य हैं। जनसभ तथा स्वतंत्र दल, जिनके आधिक—सामाजिक समरयाओं के प्रति लगभग नमान विचार

१. क०० सौ० सर्वेना-‘विदर इन्हियन डेसोइसो’ इन सोशलिस्ट कांग्रेसमेन, आवं २५, १९६८।

२. एम० शार० दण्डवते पूर्वोक्त पृष्ठ, पृ० ६३६-६३७।

नि सदैह, इस प्रकार के अस्थायी समझौते, विभी सीमित उद्देश्य की पूर्णि के लिए सख्त नहीं हो सकते हैं। “आदर्शों की एकता, समर्थन, अनुशासन एवं ठोस मेत्रूच सत्तारूढ़ दल के लिए जितने आवश्यक हैं, उन्हें प्रतिष्ठित दल के लिए भी आवश्यक है। इन गुणों को अस्थायी निवाचन सबूती समझौतों के माध्यम से जिनकी निवाचन के बाद तक विद्यमान रहने की समाचारा नहीं रहती है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है।”^१

यह स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रतिष्ठी दलों के समान अस्थायी तथा प्रसंगत समझौते करने की प्रवृत्ति कार्येस (मतारूढ़) दल ने भी भारत के अतिपद राज्यों में प्रदर्शित ही है। १९५७ में कार्येस ने भारती दल से समझौता किया। इनी प्रकार केरल में श्री मू० एन० डेवर के नेतृत्व में कार्येस ने साम्बादी दल से नहरोग करने के प्रयत्न किये। प्रश्न यह नहीं या कि साम्बादी सरकार भच्छीया या बुरी थी, किन्तु प्रबन्ध सोक्रताविक तथा घर्म निरपेक्ष आदर्शों का है, अर्थात् वह एक लोकतात्त्विक, घर्म निरपेक्ष दल वो एवं ऐसे दल के साथ सहरोग करना चाहिये जो एक जननात्त्विक सविपान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का लाभ अनुचित रूप से लेने हुए, स्वयं सविधान तथा जनतंत्र के विनाश करने पर तत्पर है?

संघेप में राजनीतिक दलों द्वारा समझौते किये जाते हैं, उनके लिए निम्न-निम्नित मुद्दों पर ध्यान रखना आवश्यक है।

(क) राजनीतिक समझौते समान विचारधारा, नीतियों एवं उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिये, तब ही वे स्थायी एवं लाभप्रद हो सकते हैं।

(ख) समझौते का उद्देश्य वेदल सत्तारूढ़ दल को पराजित करने का नहीं, परन्तु रचनात्मक नीतियों एवं व्याख्यानों वे धार्यार पर एक लोकत्विक सरकार की स्थापना करना होना चाहिये। यदि मार्टीय राजनीतिक जीवन में विशेष रूप से इन दो मुद्दों पर ध्यान रखा जावे तो इसने सहीय लोकतंत्र की नीति को दृढ़ होने में सहायता मिलेगी।

(ग) भारत में एक समर्थन एवं प्रभावशाली लोकतंत्रीय प्रतिष्ठी दल के विकास में जो एक और उल्लेखनीय रूपावट है, अधिकाय जनता की निरक्षरता है, लगभग ८५ प्रतिशत भारत की जनता निरक्षर है, जिसको जनतंत्र के मार्ग में रोड़ा कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप, चुनूर राजनीतिज्ञों द्वारा उत्तेजना पूर्ण भाषणों से जनता को प्रभावित कर, इनके मन प्राप्त करने में सफलता मिल जाया करती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के तथा कठिन सामाजिक,

१. एनोटेशनों सोसारेज—‘पार्लियामेन्टरी अपोश्नीशन, इन द इंडिपन रिप्पू नव० १९५१ पृ० ५२०।

आधिक, धार्मिक प्रलोभनों, आकर्षणों द्वारा भी निरक्षर मतदाताओं को थोड़े से समय के लिए प्रभावित कर उनपे मत हड्डे जा सकते हैं। प्रिटेन में मताधिकार शनि-जनै दिया गया, जबकि भारत में एक ही बार यह अधिकार भारतीय नागरिकों को सविदान द्वारा दिया गया है। अतएव, ग्रिटन में मताधिकार प्रदत्त करने के पूर्व ग्रिटिंग नागरिकों को पर्याप्त राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई है। भारत में, इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है, अर्थात् भारतीय नागरिक को पहले मताधिकार प्राप्त हुआ और इसके उपयोग में लाने के साथ साथ उनको स्पत कुछ सीमा तक राजनीतिक शिक्षा मिली है। लाक्ष्यन में शिक्षित नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक शिक्षित नागरिक लोकतंत्र की समस्याओं को सख्तता पूर्वक समझकर अपने दायित्वों को निभा सकता है। किन्तु एक निरक्षर या अतपढ़ नागरिक के लिए यह समव नहीं है। अत नागरिक की शिक्षा विशेषकर राजनीतिक-शिक्षा पर लोकतंत्रीय व्यवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिये। श्री एस० बी० राजू इस विषय पर कहते हैं—“मतदाता की व्यापक निरक्षरता और उनके मत के अर्थों को समझने की अक्षमता का, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है, कुशलतापूर्वक कई अन्य तरीकों से शोषण किया गया है।

एक मध्यावधि चुनाव के दौरान लेखक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हुआ कि यह कितनी चतुराई से किया गया। प्रतिद्वन्द्वी दल के समर्थक एक नमूने के मतदान पर एवं रखर की मुहर जिस पर X चिह्नित था लेकर प्रचार कर रहे थे। जब कभी भी वे यह देखते थे कि मतदाता कुछ विरुद्ध है, तो वाक-चपलता से ऐसे मतदाताओं को कहते कि किसी प्रत्याशी के लिए X चिह्न का उपयोग उसके प्रति उनकी असहमति का सूचक था, अतएव जब कोई प्रत्याशी उनको पसन्द नहीं था तो उनको बैंक मह करना था कि उसके नाम के सामने X अंकित कर दे।”^१

श्री एस० बी० राजू एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह विदित होता है कि निरक्षर मतदाता के मत का अनुचित लाभ किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। “उदाहरण-स्वरूप मैसूर के एक निर्वाचित क्षेत्र भ, जर्हा पर लेखक द्वारा जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा कि कितनी भी कठिनाइयों के दावजूद सत्तारूढ़ कांग्रेस दल विजयी होता था क्योंकि उनको बैल तथा जुग्गा, का निर्वाचित चिन्ह प्राप्त था और इस निर्वाचित क्षेत्र में बहुमत उन व्यक्तियों का था जो बैल की पूजा करते हैं।”^२

यह सत्य है कि चुनावों के दौरान निर्वाचित चिन्ह प्रणाली से निरक्षर मतदाताओं के लिए काफी मुश्किल हो गई है, किन्तु जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों से

१. एस० बी० राजू ‘पूर्वोक्त पुस्तक’, पृ० ६२५—६६।

२ वही पृ० ६२६।

उस राजनीतिक दल के सदृश होगा जो स्केण्डीनीविया से स्पेन तथा यूगोस्लाविया तक कार्यरत है। परन्तु इसके अतिरिक्त, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि दैर्घ्य भटदाता निरक्षर है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे, उनकी सुलना में जो पढ़ तथा लिख सकते हैं, कम बुद्धिमान हैं, परन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है कि वे आपका (राजनीतिक दल का) धोषणा पत्र पढ़ने में असमर्थ हैं।

इसका यह अर्थ है कि संसद में दिये गये भाषणों को भी वे नहीं पढ़ सकते हैं जो उन तब शब्दों द्वारा नहीं पहुँचाये जा सकते हैं, और आवागमन के साधन भी अत्यन्त सीमित हैं। यदि टेलीविजन होता तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परन्तु भारत के ग्रामों में टेलीविजन एक दूर का सपना है। अतएव यह अवश्यमानी है कि राजनीतिक दल जनता तक पहुँचने में कठिनता का सामना करें। ऐसी स्थिति में विचारधारा का कम महत्व होता है। सगठन का और अधिक महत्व होता है। १९६२ के आम-चुनाव में अन्य आम चुनावों के समान निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ था, यह निर्णय राजनीतिक दलों के सगठन-तत्त्व की सबधित शक्ति के आधार पर हुआ। यदि कांग्रेस को अधिक भत्ता प्राप्त हुए तो वह इस कारण कि इसका सगठन तत्त्व किसी अन्य राजनीतिक दल के सगठन-तत्त्व से अधिक प्राचीन, शक्ति-शाली और व्यापक है।^१

सगठन तत्त्व के उच्च कोटि के होने के अतिरिक्त, कांग्रेस को वित्तीय साधनों की कमी नहीं है, जिससे उसकी स्थिति और दृढ़ होती है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है। १९५२ से पिछले पाँच आम-चुनाव के अनुगम पर कहा जा सकता है कि आम-चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए प्रर्याप्त वित्त होना अत्यावश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित 'मेन्युअल आफ द इलेक्शन लां' में आम-चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा २५,००० रुपये तक निर्धारित की गई है। वस्तुस्थित यह है कि साधारणतया एक प्रत्याशी के लिए इतना व्यय करना उसकी व्यक्तिगत सीमा के बाहर है। तथापि जो राशि वास्तव में व्यय की जाती है, वह २५,००० रुपये से कई गुना अधिक होती है। यह इसलिये समझ है कि उपर्युक्त सीमा, एक प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये व्यय पर है, जबकि प्रत्याशी के लिए उसके दल द्वारा किये गये व्यय पर कोई सीमा नहीं है। इस कारण एक प्रतिपक्षी दल के लिए यह एक कठिन समस्या हो जाती है, क्योंकि न तो उसके पास अत्यधिक वित्त ही है न ही ऐसे साधन, जो सत्तारूढ़ दल को अपनी स्थिति के कारण उपलब्ध होते हैं। श्री राजनीतिकोठारी का कथन है—“कांग्रेस द्वारा प्रदत्त सरकार,

१. एम० आर० मसानी—‘पूर्वोक्त पुस्तक’ पृ० ८६।

का जाल इनना दूर और अधिक फैल गया है जि इसके दायरों में महवारी समितियाँ, पचायन, समुदाय-विकास प्रशासन, समस्त घर्दं सरकारी संस्थाएँ जो "योजना, विकास, राज्य वायों में सबधिन हैं, समस्त संस्थाएँ, जिनका मबद्दल परमिट, बोटा, व्यापारिक मध्य, शैक्षणिक सम्पाद्याएँ, एवं नागरिक अधिकारियों से हैं—सभी आ जाने हैं। इस सब को इमवद्दु रूप में कार्यस साठन का हिस्सा बनावर एक प्रदेश में राज्य स्थापित किया जाता है।"

जिसी सीमा तक सत्तारूढ़ दल को वित्तिय सहायता महत्वपूर्ण उद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्राप्त होती है, यह टिस्को (TISCO) एवं इस्को (IISCO) द्वारा पूर्व म बायेत को दी गई वित्तिय सहायता से जान हो सकती है। ये दोनों टाटा की औद्योगिक सम्पाद्याएँ हैं। १९५३ के आम चुनाव में 'टिस्को' ने बायेस निधि को १० ३०,००० रुपय तथा "इस्को" ने २,५०,००० रुपय दिये। यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति चागना ने टिस्को से सबधित प्रबलण में निर्णय देने हुए कहा कि जननव की आधार शिला मनदाता है और जब भारत म बदल सवाधिकार का प्रश्न है तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि न केवल एक प्रतिनिधि की निष्ठा वा, जो ससद को निर्वाचित हुआ है, जिन्हें एक मनदाता की निष्ठा का भी पूर्ण रूप म सरकार किया जाय और यह कहा जा सकता है कि यह स्वीकार करना बठिन है कि प्रतिनिधि तथा मनदाता की निष्ठा वा सरकार समव होगा जबकि वडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राजनीतिक-निधियों में योगदान देने की सहमति दी जाती है, जिससे प्रभाव से (आम-चुनाव) म एक विशेष नतीजा प्राप्त किया जा सकता है।

दित का प्रभाव मनदान पर किस सीमा तक होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए थोपी० जो० चौधरी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो पिछले एक मध्यावधि चुनाव में सबधिन है—“यहाँ विशेष तथ्यों का उल्लेख राजस्वान के सदस्य ने किया है। एक मध्यावधि चुनाव में एक कार्यस प्रत्याजी या और दूसरा प्रतिपक्षी दलो द्वारा समर्पित था। उस समय लगभग आधा दर्जन केन्द्रीय मन्त्रियों को आमत्रित किया गया कि वे (बायेस) प्रत्याजी के लिए भाषण दें तथा प्रचार करें। एक मन्त्री विशेष हवाई जहाज से आये। एक या दो मन्त्री विशेष रूप से किए पर तिये हवाई जहाज से आये और एक मन्त्री लगभग तीन दो चार सप्ताह तक, उस स्थान पर, प्रचार करने हेतु ठहरे। इसके अनिरिक्त, राजस्वान के लगभग आधा दर्जन मन्त्रियों को दो माह तक बहाँ रोका रखा। प्रतिपक्षी दल

१. आर-डोरी-डेवलेपिंग पोलिटिकल एटन, (इन सेमोनार, संख्या ३० फरवरी १९६२ पृ० १८)।

वे प्रत्यक्षी वो जो एक स्थानीय वकील था विरीग दुष्टिकोण से काफी हारी हुई। उसास नहा था ति कांपेता प्रत्यक्षी लगभग ३,०००००० रुपये अथवा विषे जयति उसनो उपयुक्त राशि वा एक दशाश भाग भी उपलब्ध नहीं था।^१

सदैप मे यह विषय जिताता जा सकता है ति गुराव मे राष्ट्रो तथा जीतो वे रिए वा भला त आवश्यक है और प्रथमेक घोषणा गुद्धिमाता एक विष्टापूर्ण व्यक्ति को यह मुकिया उपतंड नहीं रखती है। इस नुटि वो दर वरो वा उत्तर उपाय मरी है ति चतारुक दा भपो पर विषय आवश्यक रोत समाप्ते रहे और उसा दृढ़ापूर्ण पाता गरे।

(६) जैसा देता जा गुरा है गारत वी सासदीय पद्धति मे एक और वो आप्रेत वा विशाल यदुमा है वो दसरी और प्राणिकी दता यदुगत्या मे है जिसे भारतीय सारदीय पद्धति मे एक प्रकार वा राज विकास भरा-गुरा या रहता है। ताप्रेते एक तरफी भागिपत्त्व द्वारा, वह राजीतिक स्थापित्य स्पावित विमा गया होगा जो स्वारता मे भारतीय वर्षी मे भारता मे लिए आवश्यक था, जैसा ति प्रो० पार्टे वे यत्ताता है, ति-हु इसे द्वारा एक स्वस्य राजीतिक दरीय प्रणाली वा विकास रोत दिया गया है।^२

प्राएव यहीं पर एक प्रश्न यह है ति सामाज्या एक गतदाता की वरा भूमिका होती आदिये जिसके द्वारा यह उपर्युक्त विजित राजीतिक परा गुरा वो दर वरो त्रै एक गुदुङ एक प्रभावशाली प्रतिष्ठा मे विगति मे राहायता पहुँचाये।

जूति सासदीय पद्धति वी सपत्नामे लिए दो या अधिक रो भागिक तीक राजीतिक दता ही हो आदिये, यह भव्यावश्यक है कि गतदाता भपो गता वेष्या उ ही दतो के प्रत्यक्षियो वो दें, जो तोकरान, विकासावादी समाजवाद एव धर्म विषेधान मे विश्वास वरो है और जो भारतव गे राष्ट्रीय रतार मे दता है। इसके उपरान भी भादाता को यह जाता परा आवश्यक है ति ऐसे राजीतिक दतो मे रो कोइ कोइ रो दत उपगुत्त है धर्मात् यदि दो रो भागिक दतो वी विषारभाराए रामात है तो वेष्या उसी दता वो गत दिये जायें, जिसो भत्ताता भी भप ति प्रतिशासो वो ति स्वार्थ भाव रो पूरा वरो मे लिए रणारम्भ प्रयत्न विषे है। या राजीतिक दता स्वा ही रागाणा हो जायेगे, वयोकि उको जाता वा समधा नहीं भिलेगा। पर तु पूर्व मे यह भारता जा गुरा है ति यह जाता गतदाता वी विकास तथा राजीतिक विषयो रो सवधित जाता पर विभर है, वयोकि विगति

१. पो० शी० खोपरो, पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २५।

२. एग० शी० पामर—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १८४।

राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों, नीतियों तथा कार्यक्रमों में समानता या असमानता तथा गुण-दोष मनदाता तब ही ज्ञात कर सकेंगे, जब उन्हें राजनीतिक विषयों का पर्याप्त ज्ञान है।

संक्षेप में, भारत में एक लोकतंत्रीय एवं प्रभावशाली प्रतिपक्ष के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं —

(१) सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर जनता के प्रशिक्षण के लिए विशेष कर राजनीतिक मामलों के सन्दर्भ में, कदम उठाये जाने चाहिये,

(२) सरकार की शीघ्र ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिये जिससे जनता को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके वयोंकि आर्थिक स्वतंत्रता ही बास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है।

(३) विभिन्न प्रनिपक्षी दलों का, जो बहुसंख्या में हैं, जनता तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि समान विचारधारा रखने वाले दलों को मिलाकर, भारतीय राजनीति में दो या अधिक से अधिक तीन दलीय प्रणाली को जन्म दें जिनका आधार स्पष्ट रूप से सोकतानिक तथा धर्म निरपेक्ष हो।

(४) सत्तारूढ़ दल का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक प्रयत्नों द्वारा एक लोकतात्त्विक प्रतिपक्ष दल के विकास में सहायता करे।

(५) अन्त म, भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व भारतीय जनता पर निर्भर है। निर्वाचन के समय जनता को अपने मत इस प्रकार विभाजित करने चाहिये जिससे दो दलीय प्रणाली को प्रोत्साहन मिले।^१

१. एम० के० रेडडी—‘पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया’ (इन द इण्डियन रिप्पु, नवम्बर १९६४ पृ० ४२२)।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय संविधान एक जनतानिक संविधान है अत इसमें दो विशेष मुद्दों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। सर्वप्रथम, विभिन्न सीमाएं जिनम सरकार के तीन श्रगों (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका समा तथा न्यायपालिका) को संविधान द्वारा स्थापित सधीय व्यवस्था में कार्य करना है। इस सदमें में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका एक सतुलनचक्र के समान है, क्योंकि जहाँ सरकार के अन्य अग्र जनता की उत्तेजित भावना से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ वेवल सर्वोच्च न्यायालय ही सरकार का एक ऐसा अग्र है जो निष्पक्षता एव शान्तिपूर्वक सरकार के कार्यों की व्याख्या संविधान के अनुसार बरके, सरकार के विभिन्न श्रगों में सतुलन स्थापित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, संविधान में सघवाद के सीमित सरकार के सिद्धान्त के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष भूमिका उभर कर सामने आती है। वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या एव संरक्षण करने का अधिकार होता है।

हमारे संविधान-निर्माताओं का यह विश्वास था कि सीमित सरकार जनतान के लिए अत्यावश्यक है। "परन्तु संविधान में उन्होंने उस सिद्धान्त को समावेशित किया जिसको (अमरीका के) मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सीमित सरकार का आवश्यक तत्त्व भाना है कि संविधान द्वारा व्यवस्थापिका की शक्तियों पर लागू की गई सीमाओं का प्रादर किया जाना चाहिये और प्रदि व्यवस्थापिका इन सीमाओं का उल्लंघन करती है तो उसके कार्य अवैध हैं। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अनुच्छेद १३ में वर्णित है।"^१

संविधान के अनुच्छेद २५४ (१) में भी अवैध शब्द का उपयोग किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रदि किसी राज्य विधान समा द्वारा समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विधान पर निर्मित कानून किसी सधीय कानून के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में राज्य विधान समा द्वारा निर्मित कानून अवैध होगा।

^१ डॉ० डॉ० चमु-कमेन्ट्री आन द कान्स्टीट्युशन ऑफ इण्डिया, भाग—१ १६६५ पृ० १५८-५९।

गप राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष महत्व होता है। वह सविधान का रक्षक है। सविधान के किसी प्रावश्यन से सवधित शब्द को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, भारत में सघवाद के विशिष्ट स्वरूप के दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय की मूलिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में, जैसा देखा जा चुका है, तीन व्यवस्थापन सूचियों का उत्तेज किया गया है। वे हैं—संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, जिनके द्वारा संघ और राज्य सरकारों के पृथक्-पृथक् व्यवस्थापन धोनों को स्पष्ट स्वरूप से निर्धारित कर दिया गया है। यह कहने में बोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी शक्ति विभाजन की प्रक्रिया में धोनाविकार के प्रश्न को लेकर संघ तथा राज्यों में वाद-विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ—शक्ति विभाजन की भाषा अस्पष्ट होने के कारण दोनों पक्षों में किसी विषय के सम्बन्ध में विवाद पैदा हो सकता है। “अतएव ऐसे सारे विवादों का समाधान सविधान के जो सर्वोच्च कानून हैं, और जिसमें शक्तियाँ बेन्द्र तथा इकाइयाँ के मध्य विभाजित हैं, सन्दर्भ में किया जाना चाहिये। साथ ही न्याय की माँग है कि इस तरह के विवादों का समाधान एक स्वतंत्र तथा निपक्ष सत्ता द्वारा किया जाये। संघीय सविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार का एक न्यायालय है; अस्तु यह संघीय व्यवस्था का एक प्रावश्यक भाग है। यह सविधान की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संसद है, और संघ तथा इकाइयों के विवादों के समाधान के लिए अनितम न्यायाधिकरण है। भारतीय सविधान द्वारा स्थापित संघ व्यवस्था में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह एक सब से महत्वपूर्ण कार्य है।”^१

द्वितीय, राज्य एवं नागरिकों के सम्बन्धों के सन्दर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय दो सविधान के अनुच्छेद १३ व ३२ के अनुसार नागरिकों के विभिन्न मूल-अधिकारों के सरकार का अधिकार है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह कार्य, सविधान की सीमाओं में राज्य सत्ता तथा नागरिक अधिकारों के मध्य संघर्ष की स्थिति में, जनतानिक सतुलन स्थापित करना है। मूल अधिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण में सामग्री तथा सतुलन स्थापित करना यद्यपि एक अत्यन्त जटिल कार्य है फिर भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सविधान के दो मुख्य आधारों, मूल अधिकारों तथा लोक वल्याण, को ध्यान में रख कर ही सविधान की व्याख्या करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

संविधान के अनुच्छेद १२४ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान किया गया है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और जब तक सप्तद कानून बना कर सख्ता में बृद्धि नहीं करती है, सात अन्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम १९५६ द्वारा, न्यायाधीशों की सख्ता सात से दस कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सप्तद की पूर्वानुमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से तदर्थ न्यायाधीशों वी नियुक्ति की आवश्यकतानुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के गण पूर्ति की बमी के कारण कर सकेगा।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद १२४ (२) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करके करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों वी नियुक्ति इस प्रक्रियानुसार राष्ट्रपति करता है, परन्तु इसके साथ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद १२४ (३) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नीचे दर्शये अनुसार अहंताएँ आवश्यक होंगी।

१—वह भारतीय नागरिक हो।

२—किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अभिमापक रहा हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार प्रसिद्ध विधि-शास्त्री हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल ६५ वर्ष की आयु पर्यन्त माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राष्ट्रपति द्वारा सप्तद के दोनों सदनों में सम्पूर्ण सदस्यता के एव उपस्थित तथा मतदान करने वालों के में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद १२४ (४) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो कारणों से पदच्युत किया जा सकता है; वे कारण इस प्रकार है—सिद्ध दुर्ब्यवहार तथा अक्षमता। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने की प्रक्रिया कठिन है; इस कारण न्यायाधीशों को अपने कायों के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अनुचित प्रभाव नहीं ढाल सकती हैं।

मुख्य न्यायाधिपति का वेतन ५,००० रु० प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन ४,००० रु० प्रति माह है। प्रत्येक न्यायाधीश को रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान और अपने कायों को करने के लिए यात्रा संबंधी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। साधारणतया, न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उनके लिए अहितकारक

परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद ३६० के अन्तर्गत घोषित वित्तीय सकटकालीन स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन तथा भर्तों में कमी की जा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन अनुच्छेद ११२(३)डी(१)के अन्तर्गत विशेषरूप से भारत की सचित निधि में रखे गये हैं। संविधान के ये विभिन्न प्रावधान जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाने तथा वेतन एवं भर्तों से सबधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए अत्याबृशक हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का धेत्राधिकार एवं कार्य।

ब्रिटिश राज्य के समय भारतीय सरकार अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत एक सधीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। परन्तु इस न्यायालय के निर्णयों के लिए ब्रिटिश प्रिवी-परिवद में अपील की जा सकती थी। इस पर भी इस सधीय न्यायालय को १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त था। सधीय न्यायालय के उद्धाटन के अवसर पर, सर मारिस गायर ने इस न्यायालय की भूमिका पर प्रकाश ढालते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के लिए भी उपयुक्त माने जा सकते हैं।—“सरकार एवं दलों से स्वतंत्र, एवं नीतियों के उत्तार-चढ़ाव से न प्रभावित होते हुए, इसका प्राथमिक कर्तव्य संविधान दी व्याख्या करना है और भत्तेदो का जो एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष पक्ष की अनुपस्थिति में उत्तेजित तथा हिसात्मक बातावरण का निर्माण कर सकते हैं, शान्तिपूर्वक और कांकिक समाधान करना है। हमारा यह भी प्रयत्न होगा कि भारत के संविधान को, उसके बत्तमान रूप में या विसी दूसरे रूप में, एक शरीर-व्यवच्छेदक की दृष्टि से नहीं, परन्तु एक जीवित तथा श्वास लेने वाले प्राणी के सदृश देखना है, जिसमें भविष्य के विकास के बीज निहित हैं।”^१

आगे चलकर उनका बहना है—“मेरा निश्चित मत है कि सधीय न्यायालय संविधान की व्याख्या, कोई औपचारिक या रूखी कानूनी भावना से प्रेरित होकर नहीं करेगा। मैं आशा करता हूँ, यह न्यायालय, कि उन राजनीतिक प्रभावों तथा प्रवाहों को जिनके द्वारा संविधान को जीवनशक्ति प्राप्त होनी है, कानून के दायरे में स्वतंत्रता पूर्वक कार्यादित होने देगा।”^२

सर मारिस गायर के उपर्युक्त कथन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी सही है, विशेषकर जबकि भारतीय संविधान द्वारा अमरीकी संविधान के विपरीत

१. एम० गायर—एफ० सी० आर० भाग—१ पृ० ८, १९३८।

२ वही पृ० ८।

न्यायिक सर्वोच्चता (जिसको अमरीकी संविधान में 'कानून की वैधिक प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है) की अपेक्षा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता (जिसको भारतीय संविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया है) को मान्यता दी गई है। इस विषय पर विस्तृत रूप से अध्ययन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरबलोकन के अधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कार्य इसके विभिन्न क्षेत्राधिकार में निहित हैं, जो अधोलिखित हैं।

१—प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—अनुच्छेद १३१ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित मामलों पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

क—सघ सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या

ख—सघ सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक पक्ष में एवं दूसरे पक्ष में एक या एक से अधिक राज्य, या

ग—सघ के दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। ऐसे विवाद में किसी ऐसे कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो, जिस पर कोई कानूनी अधिकार आधारित है।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का भारत में सधीय व्यवस्था की दृष्टि से विशेष महत्व है। सधीय राज्य का मूल सिद्धान्त शक्ति विभाजन का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार सघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य शक्तियों का बैठबारा करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। शक्तियों के विभाजन के फलस्वरूप सघ तथा राज्यों के क्षेत्राधिकारों की पवित्रता को कायम रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति के विभाजन के सबध में उत्पन्न विवादों पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में, उल्लिखित शक्ति विभाजन के सारे प्रावधानों की सूक्ष्म व्याख्या करनी होती है। “इन सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि सघ के दोनों पक्षों के लिए न्याय के तराजू के दोनों पलटों को समान रखे। श्री बङ्गी टेकचन्द का सर्वोच्च न्यायालय की सघ एवं राज्य व्यवस्थापिकाओं का ‘सतुलन चक्र’ कहना उचित ही है।”^१

२—अपीलीय क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों के सम्बन्ध में अपील सुनने का अधिकार है। संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय, दीवानी, फौजदारी एवं

^१ एम० पी० शर्मा—‘द गर्वमेन्ट फ्रॉन्ट द इण्डियन रिपब्लिक’ १९६० पृ० २१४।

सबैधानिक मामलों में अपील सुनने के लिए देश का सर्वोच्च एवं अन्तिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय वा अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्नलिखित प्रकरणों के सबैध में है।

क—सबैधानिक प्रकरण—अनुच्छेद १३२ (१) के अनुसार भारत में स्थापित उच्च न्यायालय के किसी दीवानी, फौजदारी या अन्य जिसी कार्यवाही में दिये गये निणय डिक्री या अन्तिम आदेश से, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि प्रकरण में सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उन प्रकरणों के सबैध में जिनके लिए उच्च न्यायालयों ने प्रमाणित करना अस्वीकृत कर दिया है और यदि सर्वोच्च न्यायालय सन्तुष्ट है कि प्रकरण ऐसा है, जिसमें सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो अनुच्छेद १३२ (२) के अन्तर्गत विशेष अनुमति द्वारा उच्च न्यायालय के निणय, डिक्री या आदेश में अपील सुनने का अधिकार है। अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को सबैधानिक मामलों पर निणय देने का अन्तिम अधिकार है। अनुच्छेद १४५ (३) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय वी सबैधानिक दण्डपोठ के कम से कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिये।

ख—दीवानी प्रकरण—दीवानी प्रकरण के सबैध में, सविधान के अनुच्छेद १३३ के अन्तर्गत यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि प्रकरण अपील करने के लिए उपयुक्त है तो उच्च न्यायालय के निणय, डिक्री, या अन्तिम आदेश से सर्वोच्च न्यायालय को अपील वी जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि प्रकरण में निहित मूल्य २० हजार से कम नहीं है या निणय से सवधित सम्पत्ति का मूल्य २० हजार से कम नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है।

ग—फौजदारी प्रकरण—अनुच्छेद १३४ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को, किसी उच्च न्यायालय के अन्तिम निणय अन्तिम आदेश या दण्ड से अपील की जा सकती है, यदि वह किसी निम्न न्यायालय के वरी करने के आदेश पर —

१—अपील होने पर, उस आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मौत वा दण्ड देता है, या

२—किसी अधीन न्यायालय से मुकदमा लेकर अभियुक्त को मौत वा दण्ड देता है, या ।

घ—प्रमाणित करता है कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए उपयुक्त है।

सम्पद को, अनुच्छेद १३८ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में विधि 'द्वारा जिसी भी ऐसे विषय के सबैध में जो कि सधीय सूची में

न्यायालय ने परामर्श देने से इन्कार नहीं किया और न ही किसी मामले में जब भी इस प्रकार का परामर्श राष्ट्रपति को दिया गया उसने उसका पालन न किया हो। विशेषकर विधि निर्णय के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय अपने परामर्श सबधी क्षेत्राधिकार के माध्यम से व्यवस्थापिका पर एक प्रकार का अवरोध है, वयोंकि जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद १४३ वीं व्याप्ता करते हुए केरल शिक्षा अधिनियम १६५३ के सबध में निर्णय दिया कि एक कानून सबधी प्रश्न जिसकी उत्पत्ति होने की सभादना है, एक ऐसा विधेयक सबधी प्रश्न भी हो सकता है, जो व्यवस्थापिका के समक्ष किसी विधेयक सबध में है। सज्जेप में यदि कोई विधेयक सार्वजनिक महत्व का है, जिसमें निहित कानूनी या तथ्य सबधी प्रश्न पर गमीर भत्तेद पैदा हो गया है तो राष्ट्रपति उक्त विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति जानने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पालन करें।

यहाँ पर कठिपय, ऐसे मामलों के उदाहरण लिये जा सकते हैं, जिनमें राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली।

(३) १६५१ म राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित विधान के सबध में एक मामला प्रेषित किया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह तीन अधिनियमों (देहली लाज एकट १६१२, द अजमेर-मारवाड एकट १६४७ तथा पाटी सी० स्टेट्स लाज एकट १६५०) के बतिपय प्रावधानों की वैधता निर्धारित करने के लिए मार्गी गई थी। न्यायालय सर्वानुमति से कोई सलाह न दे सका। परन्तु विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा दी गई प्रत्यायोजित विधान सबधी सलाह महत्वपूर्ण थी। बहुमत के अनुसार व्यवस्थापन की आवश्यक शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है और व्यवस्थापिका को व्यवस्थापन सबधी नीति का निर्धारण स्पष्ट करना चाहिये। यदि प्रत्यायोजन से व्यवस्थापिका अपनी मूल शक्तियों का हस्तान्तरण करती है तो न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।^१

(४) २ सितम्बर १६५७ को, केरल विधान सभा ने एक विधेयक (केरल राज्य शिक्षा विधेयक) पारित वर केरल राज्य के शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया। विधेयक के बतिपय प्रावधानों द्वारा राज्य सरकार को, निजी विद्यालयों को अपने नियन्त्रण में लेने का अधिकार दिया गया। चूंकि, विधेयक में सम्पत्ति के अधिकार का भी प्रश्न निहित था, अतः इसको पारित वरने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी। केरल विधान सभा में, विधेयक की वैधता

१. द दिल्ली लाज एकट, १६१२, ए० आई० आर० १६५१, ए० सी० ३३२।

के प्रश्न पर वह मतमेद पैदा हो गये। फलस्वरूप राष्ट्रपति से माग की गई कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति न दे, वर्षोंविं इसके कुछ प्रावधान, यह वहा गया, अवधानिक थे।

राष्ट्रपति ने यह भासला, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के लिए मेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया वह इस प्रकार है।

१—मूल अधिकारी के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय राज्य नीति-निर्देशक तत्वों से अनमिज्ज रहकर निर्णय नहीं दे सकता है, परन्तु उसको दोनों (मूल अधिकारी तथा राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बीच) में सामरजय स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

२—अनुच्छेद ३०(१) में उल्लिखित सरक्षण धार्मिक तथा भाषा संबंधी अल्प सख्यकों की सारी शिक्षा संस्थाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, यह सरक्षण अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए भी है।

३—अनुच्छेद ३०(१) के प्रत्यर्गत प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, शिक्षा संस्थाकों के दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। संविधान ऐसी शिक्षा संस्था में पढ़ाये जाने वाले विषयों के संबंध में कोई सीमा नहीं लगाता है।

४—वास्तव में अनुच्छेद ३०(१) का उद्देश्य अल्प सख्यकों को, बहुसंख्यकों से उनके सरक्षण के लिए एक ढाल प्रदान करना है न कि एक तलबार, जिसके दल से वे बहुसंख्यकों से कुछ प्राप्त कर सके।

(ग) १९५८ में भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मनियों ने एक समझौता किया, जिसके फलस्वरूप भारत ने पाकिस्तान को अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दिया। ससद में तथा बाहर इस समझौते की तीव्र आलोचना हुई। राष्ट्रपति ने इस भासले को सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति जानने के लिए मेजा। सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति-अनुसार, भारतीय भू-भाग को, किसी विदेशी राज्य को हस्तान्तरण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है।

(घ) एक अन्य भासला जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के लिए मेजा गया उत्तरप्रदेश वी विधान सभा एवं न्यायपालिका के मध्य हुए संघर्ष से संबंधित है। समाजवादी दल के एक कार्यकर्ता श्री केशवदेवसिंह को विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, विधान सभा में उपस्थित होने को कहा गया, परन्तु श्री केशवसिंह ने ऐसा नहीं किया। अतएव अध्यक्ष द्वारा श्री केशवसिंह को हिरासत में लेकर विधान सभा में पेश करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् विधान सभा ने श्री केशवसिंह को सात दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया। परन्तु उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्ड ने श्री केशवसिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश

दिया। उत्तरप्रदेश विधान सभा ने उच्च न्यायालय के इम आदेश को अपने विभेदादिकारी का उल्लंघन माना। तत्त्वचार्त् विधान सभा ने आदेश दिया कि जिन न्यायाधीशों ने धी केशवसिंह को रिहा करने का आदेश दिया था उनको हिरासत में लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। परन्तु न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाय गये थे। उच्च न्यायालय ने २८ न्यायाधीशों की एक खट्ट के निर्णय से विधान सभा के उपर्युक्त आदेश को कार्यान्वित होने से रोक दिया। विधान सभा ने न्याय मूर्ति बेग तथा सहगल के हिरासत में लेने सवारी अध्यक्ष के आदेश को वापिस ले लिया, किन्तु इसके साथ ही एक प्रस्ताव पारित किया कि उपर्युक्त न्यायाधीशों को उनके बचाव के लिए निर्णय के पहले नियमानुसार अवसर दिया जाये। इसके फलस्वरूप इनाहावाद उच्च न्यायालय के २३ न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने आदेश जारी किया कि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन को रोक दिया जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा न्यायपालिका के मध्य समर्पण के तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे।

१—न्यायपालिका तथा विधानसभा के अधिकार और शक्तियों का समर्पण।

२—विधानसभा के अधिकार तथा शक्तियाँ।

३—यदि अन्य विनी राज्य में इसी प्रकार का समर्पण पैदा होता है तो उसको दूर करने के क्या उपाय हैं?

तत्त्वचार्त् धी यद्यमुखनाल हाथी (राज्यमंत्री, गृह-मन्त्रालय, नारन सरकार) ने लोकसभा में घोषित किया कि राष्ट्रपति ने उपर्युक्त भामले को, सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति प्राप्त करने के लिए भेज दिया है।

मिनम्बर ३०, १९६४ को मुख्य न्यायाधीश धी गजेन्द्रगढ़वर ने सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत द्वारा दी गई राय को निम्नलिखित रूप से घोषित किया।

१—उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय के लक्ष्मण खण्डपीठ को धी केशवसिंह की याचिका, विसम दम्होने विधान सभा द्वारा उनको दिये गए दण्ड को चुनौती दी, मुनों का पूर्ण अधिकार था।

२—धी सोलोमन को, धी केशवसिंह की तरफ से उच्च न्यायालय की याचिका देने का अधिकार था और धी केशवसिंह को, विधान सभा के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार था।

३—उत्तरप्रदेश विधान सभा का दो न्यायाधीशों तथा धी सोलोमन को अपने समझ पेश करवाने का अधिकार, विधान सभा के क्षेत्र में नहीं था। विधान सभा को उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का बोई अधिकार नहीं था।

४—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ को दोनों न्यायाधीशों की याचिका सुनने का तथा विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध जारी किये हुए वारट को स्थगित करने वा पूर्ण अधिकार था ।

मुख्य न्यायाधीश ने इस विषय पर अधिक बल दिया कि यदि विधान सभा के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध वारट जोरी बरने के दावे को, मान्यता दी जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल-सिद्धान्त को गहरा घटका लगेगा । अनुच्छेद ३२ के ब उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के सबध में कोई अपवाद नहीं है । यह तर्क प्रस्तुत करना कि नागरिक अपने मूल-अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, व्यर्थ ही होगा । अतएव, उत्तर प्रदेश की विधान सभा तथा न्यायपालिका के सघर्ष के सबध में सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चय ही एक मूल सिद्धान्त की महत्ता पर अपने परामर्श द्वारा बल दिया है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अग्रो (व्यवस्थापिका सभा तथा कार्यपालिका) से स्वतंत्र रह कर ही अपने कार्य उचित रूप से कर सकेगी ।

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अध्याय तीन में मारत के नागरिकों के सात मूल-अधिकारों का उल्लेख है । अनुच्छेद ३२ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मूल-अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है । यह रिट निम्नलिखित प्रकार की है :—

१—परमादेश (मेन्डेमस), २—बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियास कारपस),
३—प्रतिपेध (प्राहिविशन), ४—उत्प्रेपण (सरटियोरेरी) और ५—अधिकार पृच्छा (क्वो वारण्टो) वास्तव में अनुच्छेद ३२ द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने की स्थिति में नागरिकों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है । यदि किसी नागरिक वे मूल अधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की सहायता ले सकता है ।

संविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको अवैध माना जायेगा । अतः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद १३ तथा अनुच्छेद ३२ के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय की विशेष भूमिका ऐसी स्थिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है, जब कि व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून या कार्यपालिका ने ऐसा आदेश पारित किया है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है । ऐसे कानून या आदेश को अवैध घोषित करने की अन्तिम जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की ही है । “रेश वापर

'बनाम मद्रास राज्य' मे सर्वोच्च न्यायालय का यह भत था कि अनुच्छेद ३२ द्वारा मानविकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आश्वासित उपचार दिया गया है, और इस उपचार के अधिकार को स्वयं संविधान मे एक मूल अधिकार माना गया है। इस तरह यह न्यायालय मूल अधिकारों का सरक्षण तथा आश्वासन है।^१

व्यावहारिक दृष्टि से यदि सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त भूमिका का परीक्षण किया जाये, तो यह ज्ञात होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग, नागरिकों के मूल अधिकारों के सरक्षण के लिए किया है। 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' मुकदमे मे सर्वोच्च न्यायालय ने इस उद्देश्य से निवारक निरोध अधिनियम के खण्ड १४ को अवैध माना। 'बम्बई बनाम बम्बई जिला समाज' मुकदमे ने अल्प सह्यकों के सास्कृतिक तथा ईकानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। ऐसे अनेक मामलों मे सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की है। मूल अधिकारों की संवर्धानिक पवित्रता के सबूत मे सर्वोच्च न्यायालय ने १९६७ मे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गोलकनाय प्रकरण मे दिया। इस निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मूल अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता। परन्तु यह ध्यान मे रखना उचित होगा कि गोलकनाय प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, निर्णय उसके पूर्व मे दो प्रकरणों मे दिये गये निर्णय से विलक्षुल विपरीत है। जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि मूल अधिकारों मे संशोधन किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति

वस्तुत न्यायिक पुनरवलोकन का अधिकार ही सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अन्तर्गत एक सन्तुलन चक्र की भूमिका प्रदान करता है। भारतीय संविधान के सदर्म मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक सन्तुलन तीन प्रकार के मामलों मे स्थापित किया जा सकता है।—

१—मूल अधिकारों तथा राजसत्ता के सबूतों मे।

२—साध तथा राज्यों के सबूतों मे।

३—सरकार के तीन अगों के एक दूसरे के सबूतों मे।

अतः हमारे समझ प्रश्न यह है कि न्यायिक पुनरवलोकन के सिद्धान्त का क्या अर्थ है? श्री ढी. बसु के अनुसार—“पुनरवलोकन का दिक्षनरी अर्थ—किसी

१. रमेश चापर बनाम मद्रास राज्य—ए. आई. भार. १९५० एस. सी. १३४।

कार्य का पुन अवलोकन करना है, जिससे गलती दूर की जा सके। इस शब्द का प्राथमिक कानूनी अर्थ एक उच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों की दण्ड की आज्ञा या डिक्री का पुन अवलोकन करना है।”^१ आगे उनका ही कथन है—“न्यायिक पुनरखलोकन को अमरीका के कानून में एक और तबनीकी महत्व है, जो इंग्लैण्ड में नहीं पाया जाता है। यह दो कानूनों साधारण एवं मूल कानूनों के सिद्धान्त से उत्पन्न होता है। जैसे ही यह मान लिया जाता है कि एक मूल कानून है जो राजनीतिक प्रणाली में सारी व्यवस्थापन सत्ता का आधार तथा स्रोत है, फलस्वरूप यदि किसी भी साधारण विधि निर्माण सम्भव का बायं मूल कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वह अवैध होगा। और इस तरह के व्यवस्थापन कार्य को अवैध घोषित करने के लिए किसी अग को अधिकार होना चाहिए। अमरीकी न्यायपालिका ने सामान्य सहमति से यह कठिन कार्य धारण कर लिया है। यह न्यायिक पुनरखलोकन का प्राथमिक अर्थ है और मुख्य न्यायाधीश मार्शल जो न्यायिक पुनरखलोकन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ने इसी अर्थ को ग्रहण किया।”^२

‘सार्वजनिक कानून में न्यायिक पुनरखलोकन केवल व्यवस्थापिका के कार्यों के पुनरखलोकन तक ही सीमित नहीं है। जब संविधान को एक बार देश का सर्वोच्च कानून मान लिया है और सरकार के सारे अगों की शक्तियों को इसके प्रावधानों द्वारा सीमित समझ लिया गया है, परिणाम स्वरूप न केवल व्यवस्थापिका समा के किन्तु कार्यपालिका के वे सारे प्रशासकीय कार्य अवैध होगे जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और न्यायालयों द्वारा उनको अवैध मानना होगा है।’^३

संक्षेप में जैसा श्री इ एस कारबीन का कहना है, “न्यायिक पुनरखलोकन न्यायालयों की शक्ति है जो उनके साधारण क्षेत्राधिकार में पाई जाती है जिससे वे व्यवस्थापिका के कार्यों की संवैधानिकता पर उनको लागू करने, या ऐसे (कानूनों) को जिनको वे अवैध पाते हैं, लागू करने से इन्कार करने का निर्णय लेते हैं।”^४

जब एक लिखित संविधान द्वारा सधीय व्यवस्था तथा नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए प्रावधान किया जाता है तो वास्तव में संविधान में उन शर्तों

१ डॉ० डॉ० बसु पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १५६।

२ वही पृ० १५६।

३ ई० एस० कारबीन—‘ऐसे आन जुडिसियल’ रिप्प्यु (इन द एनसायक्सोपिडिया भाक सोशल साइम्सेस, भाग—द पृ० ४५७)।

४. वही पृ० ४५७।

को स्थापित किया जाता है जिनके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय मानवशक है। संघवाद तथा नागरिकों के मूल अधिकार इसी भी लिखित संविधान के स्वरूप को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रयाप्त है। यदि स्वयं संविधान में विशिष्टरूप से यह लिखा भी नहीं गया है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, परन्तु संविधान में संघवाद व मूल अधिकारों को रखा गया है। और यदि संविधान ने संशोधन करने का एकाधिकार केवल संसद में निहित न होकर, संसद तथा राज्य विधान सभाओं दोनों को समान रूप से प्राप्त है तो यह कहना सन्य होगा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है, जो किसी कानून या कार्य या आदेश को अवैध घोषित कर सके। अब एवं संविधान वो सर्वोच्चता के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक-पुनरवलोकन-अधिकार स्वतंत्र प्राप्त होता है। “यह अधिकार संदानिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान का आधार भूत सिद्धान्त है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपालन के अवलोकन में स्वीकृत किया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद १३ को केवल अत्यधिक सावधानी के लिए ही रखा गया और विना इस प्रकार के किसी आवधान के भी स्थिति वैसी रहती।”^१

भारत के संविधान में अमरीकी संविधान के विपरीत संविधान की सर्वोच्चता के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, किन्तु चूंकि संघवाद तथा मूल अधिकारों के सिद्धान्तों को भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया है, और संविधान में संशोधन करने का संसद को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार संसद तथा राज्य विधान सभाओं दोनों में निहित है, इनसे संविधान स्वतंत्र ही देश का सर्वोच्च कानून हो जाता है। क्योंकि जिस संविधान में संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन द्वारा सरकारों को सीमित शक्तियाँ प्रदत्त वी जाती हैं, और पृथक क्षेत्राधिकार स्थापित किये जाते हैं, वहीं संविधान वो सर्वोच्चता भी स्वतंत्र निर्धारित हो जाती है अन्यथा संघवाद वा कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। संघवाद के परिणाम स्वरूप सीमित सरकारों वो स्थापना होती है, जो अपने-क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य नहीं कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त संविधान में मान्यता प्राप्त किये मूल अधिकार भी सरकार पर एक प्रतिबन्ध के रूप में हैं, जिनके विरुद्ध निर्मित कानून को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। अमरीका में इसी मुद्दे का स्पष्टीकरण करते हुए, ‘भारतीय बनाम मेडीसन’ प्रकरण में निर्णय देते हुए न्यायिक पुनरवलोकन के

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश माशंत ने मारवरी की, परमादेश जारी करने के लिए दो गई याचिका की ग्रस्तीकृत कर दिया। उनका तर्क था कि मारवरी की परमादेश सर्वधीय याचिका, जो १७८९ के न्यायपालिका अधिनियम पर आधारित थी, अमान्य थी क्योंकि १७८६ का स्थायपालिका अधिनियम स्वयं अद्वैत था। माशंत वा वयन था—“व्यवस्थापिका की शक्तियाँ परिभाषित एव सीमित हैं और चूंकि इन सीमाओं के सर्वध में कोई गलती न हो या उनको मुला न दिया जाय अत संविधान लिखित रखा गया है। यदि सीमाओं का उल्लंघन उन लोगों द्वारा होता है, जिनको रोकने के लिए इन सीमाओं को रखा गया है तो उन सीमाओं को लिखित रूप देने का वया उद्देश्य है? संविधान या तो एक उच्च मूल कानून है, जिसको साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या यह साधारण कानूनों के स्तर का है और अन्य कानूनों के समान परिवर्तनशील है, जब भी व्यवस्थापिका ऐसा परिवर्तन करना चाहती है। यदि पहला विकल्प सत्य है तो एक कानून जो संविधान के विरुद्ध है, कानून नहीं है। परन्तु यदि दूसरा विकल्प सत्य है तो लिखित संविधान उन लोगों के मूल्यांतरपूर्ण प्रयत्न है जिनके द्वारा विसी शक्ति को जो स्वरूप में असीमित है सीमित किया जाता है।”^१

न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार वा ग्रोचित्य दत्तताते हुए, मुख्य न्यायाधीश माशंत ने तर्क प्रस्तुत किया था कि जहाँ कही भी लिखित संविधान है, और ऐसे संविधान द्वारा सीमित शक्तियों की सरकारें तथा व्यवस्थापिकाएँ स्थापित की गई हैं, जैसी एवं सध राज्य में होती हैं, और यदि संविधान में उपयोग में लाई भाषा ऐसी है, जिसके अनुसार निर्धारित सीमाओं को लागू करना अतिग्रावश्यक है, तो समझना चाहिये कि न्यायालयों को यह प्रादेश प्राप्त है कि इन निर्धारित सीमाओं को लागू वरें और न्यायाधीश संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिशानुसार वयित है, जो देश के ‘कानून की सर्वोच्चता’ का प्रयत्न तत्व है।^२

अमरीकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार का विशिष्ट रूप से कही उल्लेख नहीं है, परन्तु मुख्य न्यायाधीश माशंत द्वारा दिये गये ‘मारवरी बनाम मेडीसन’ प्रकरण में निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरवलोकन का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस शक्ति के अनुसार

^१ जै० मार्शस का उद्धरण—जे आइस द्वारा, द अमरीकन कामनबेल्य १८८८ पृ० २४५।

^२ एस० सी० देश, ‘दी इण्डिपन बान्स्टोट्युरन’ १९६०, पृ० ३३६।

सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून, या अन्य अधिकारी द्वारा दिये आदेश या इक्की का, जिनको अमरीकी संविधान के विषद् बतलाया गया है, पुनरवलोकन करने का अधिकार है।

“एक विडान् अग्रेज की एक कहानी है, जिसने यह सुनकर कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संविधान के सरकार और बुरे कानून को अर्द्ध घोषित करने हेतु की गई थी, दो दिन संघीय संविधान के निरीक्षण में उन प्रावधानों को जिनको उसे अद्वा की दृष्टि से देखने को कहा था, ढूँढ़ने में बिता दिये। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन्हें खोज नहीं सका, क्योंकि संविधान में इस विषय पर एक शब्द भी नहीं है।”^१ परन्तु अमरीका में न्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को अमरीकी राजनीतिक प्रणाली में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई है। डा० जेम्स ब्राइस ने अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में समझाया है, जो कुछ मात्रा में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी उपयुक्त है—“सर्वोच्च न्यायालय संविधान की जोविन वाणी है—अर्थात् जनता को दृष्टा की, जिसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा निर्मित मूल कानून (संविधान) में हुई है। यह, जैसा किसी ने कहा है, जनता का अन्त करण है, जिन्होंने स्वयं को जलदबाजी या अन्यायपूर्वक कार्यों से रोकने के लिए अपने प्रतिनिधियों को एक उच्च कानून की सीमाओं में रखा है। यह अल्पमतों के लिए एक आशवासन है, जबकि उनको बहुमत के अदीरण की तीव्रता से छार है, वे इस उच्च कानून को, उसकी व्याख्या लागू करने वाले न्यायालय की, विवादों के प्रभाव से ऊपर है—उपस्थिति में, अपील कर सकते हैं।”^२

भारत में सर्वोच्च न्यायालय पुनरवलोकन के अधिकार का आधार अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में, संविधान में अधिक दृढ़ रूप से है, विशेषकर संविधान के दो प्रावधानों में यह आधार निहित है।

सर्वप्रथम, मूल अधिकारों की दृष्टि से अनुच्छेद १३ के अनुसार यदि किसी कानून द्वारा किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस कानून को अर्द्ध घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संविधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अतएव सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून या आदेश का पुनरवलोकन, संविधान की व्याख्या करते हुए मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार सकता है।

२. डा० ब्राइस—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २४१—५२।

३. वही

पृ० २७२—८३।

द्वितीय, अनुच्छेद २५४ के अनुसार भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन प्रणाली के अन्तर्गत सभ तथा राज्यों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को, जो विसी राज्य द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्मित किया गया है, अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद २५४ में यह प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची में उल्लिखित विसी विषय पर यदि किसी राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित दानून सभ सद द्वारा विसी कानून से सघर्ष में है, ऐसी स्थिति में राज्य कानून को अवैध माना जायेगा। अतएव, यह स्पष्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सविधान के अन्तर्गत किसी भी विधि या नियम या आदेश का पुनरबलोकन करने का अधिकार है, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि वह विधि या नियम या आदेश सविधान के अनुसार है या नहीं है। इसी मुद्दे पर बल देते हुए मुख्य न्यायाधीश पातजलि शास्त्री ने 'मद्रास राज्य बनाम रोड' नामक प्रकरण में कहा—‘हम सोचते हैं कि यह उचित है कि यहाँ यह बतलाया जाये, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, कि हमारे सविधान में विधि के सविधान के अनुकूल होने के प्रश्न के लिए, न्यायिक पुनरबलोकन के लिए अमरीका के विपरीत जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थापिका के कार्यों के पुनरबलोकन करने के लिए विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, विशिष्ट प्रावधान हैं।’^१ सक्षेप में, न्यायिक पुनरबलोकन का अधिकार साधारणतया, प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय को लिखित सविधान की सर्वोच्चता के सरक्षण के लिए प्राप्त होता है। श्री बसु का कहना सत्य है कि ‘जैसे मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने अमरीकी सविधान के लिए कहा है, हमारे सविधान द्वारा भी इस सिद्धान्त को जो कि सारे लिखित सविधानों के लिए आवश्यक है, स्थापित तथा दृढ़ किया जाता है कि वोई भी कानून जो सविधान के विरुद्ध है, अवैध है।’^२

अतएव, भारत के सविधान की सर्वोच्चता के तीन कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१—सविधान में, सधावाद के सिद्धान्त को, अनुच्छेद २४६-२६३ के अन्तर्गत मान्यता प्रदत्त कर सभ तथा राज्यों के लिए पृथक क्षेत्राधिकार निर्धारित करना।

२—सविधान के अध्याय तीन में नागरिकों के मूल अधिकारों को मान्यता देना और अनुच्छेद १३ के आधार पर इस बात पर बल देना कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों पे कमी करता है तो मूल अधिकार समाप्त करता है, तो वह अवैध होगा।

१ पौ० शास्त्री—मद्रास राज्य बनाम रोड, १९५२, एस० सौ० आर० ५६।

२ डौ० बसु—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १५६।

३—संविधान द्वारा संसद को संविधान-संशोधन का एक अधिकार न देते हुए, संसद् तथा राज्य विधान सभाओं को यह अधिकार देना (उन विषयों पर जो, दोनों संघ तथा राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं)।

इन कारणों द्वारा प्राप्त भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्थिर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरबलोकन का अधिकार स्वतं ग्राप्त हुआ है।

भारत तथा अमरीकी सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक पुनरबलोकन के अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरबलोकन का अधिकार इतना विस्तृत नहीं है, जितना अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरबलोकन का अधिकार है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरबलोकन के अधिकार पर संविधान द्वारा स्थापित सीमा के दो पहलू हैं। सर्वप्रथम, सरकार के तीन अगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सबौं तथा संघ तथा राज्यों के सबौं की दृष्टि से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरबलोकन की शक्ति का क्षेत्र, संविधान में इन विषयों पर विस्तृत प्रावधान तथा स्पष्टीकरण होने से सीमित है। भारत के संविधान में न सिर्फ़ सरकार के तीन अगों के संगठन कार्यों तथा शक्तियों का विस्तृत उल्लेख है, किन्तु संघ तथा राज्यों के भव्य तीन सूचियों द्वारा विस्तृत रूप से क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अमरीका के संविधान में इस तरह क्षेत्राधिकार का विस्तृत उल्लेख नहीं है, केवल १८ विषयों पर संघ सरकार को अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष अधिकार राज्यों को प्रदत्त हैं। इस कारण अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते हुए निहित शक्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके संघ सरकार को ऐसी शक्तियों पर अधिकार प्रदत्त किया है जो इन १८ शक्तियों में तो निहित हैं परन्तु संविधान में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान वो विस्तृत रूप से व्याख्या करने का अधिकार अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय अपने 'बौद्धिक मापदण्ड' से संविधान वो विस्तृत व्याख्या कर सकता है। भारतीय न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने के लिए अपनी भीति को उपयोग में लाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। चूंकि दोनों (संघीय तथा राज्य) व्यवस्थापिका सभाओं के क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से, साथ ही एक विस्तृत क्षेत्र पर समर्ती अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ संघ संसद में निहित की गई हैं, भरत, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को पृथक़ करने वाली रेखा में परिवर्तन करने का कोई अधिक अधिकार नहीं है। "भारत में, एक निहित शक्तियों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का अधिकार अत्यन्त सीमित है, क्योंकि एक विषय की विस्तृत व्याख्या करने से किसी विषय से अन्य

स्थान पर सधर्ष हो सकता है। अतएव न्यायपालिका की बौद्धिक कसरत को सविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में ही दिखाना चाहिये। मारत में विधि का न्यायिक पुनरबलोकन अनुच्छेद २४६, जिसके अनुसार अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यवस्थापिका समा सार्वभीम है, के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।^१

अमरीका में सविधान वा सामान्यता के अतिरिक्त, वैधिक प्रक्रिया (इयु प्रोसेस आफ ला) के उपचार्य को अपनाने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय वो सविधान की विस्तृत व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। अमरीकी सविधान में सारे विधयों पर मारत के सविधान के विपरीत, विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जिसके कलस्वरूप अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, अपने 'बौद्धिक मापदण्ड' वा उपयोग वारते हुए सविधान की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अतएव अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने अमरीकी समाज की बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, सविधान की व्याख्या 'वैधिक प्रक्रिया' (इयु प्रोसेस आफ ला) के आधार पर की है। परन्तु भारत वा सविधान एक विस्तार पूर्वक लिखा सविधान है, जिसकी व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय अपने बौद्धिक मापदण्ड का उपयोग अत्यन्त ही सीमित रूप से कर सकता है। "हमने न्यायिक पुनरबलोकन की स्थापना की है, तथा उसको मान्यता देते रहे क्योंकि एक साधन के रूप में इसके द्वारा उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, जिसका समर्थन मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने किया था, अर्थात् सत्ता पर मूल कानून (सविधान) द्वारा सीमाओं को लागू करना, परन्तु इस सीमा से बाहर जाकर हम, एवं न्यायिक महामानव को राजनीतिक वे स्थान पर स्थापित करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जैसा न्यायमूर्ति जेकरन ने कहा है कि, न्यायिक अपहरण अन्य अपहरण की तरह देश के लिए एक स्थाई अच्छाई सिद्ध नहीं हो सकता है।^२

भारतीय सविधान एक विस्तार पूर्वक लिखित सविधान है। सविधान स्वयं जनता की जीवित वाणी है, जिसकी अभिव्यक्ति करना सरकार के तीनों भागों की विशेष जिम्मेदारी है। "अतएव अमरीका के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय को सविधान की जीवित वाणी माना गया है, मारत में स्वयं सविधान, किसी भी समय पर, अपनी अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। नि सदेह न्यायाधीशों को सविधान की वर्तमान स्थिति अनुसार व्याख्या करना है, परन्तु यदि न्यायाधीश गतती करते हैं या जनता के हितों के विवर निर्णय देते हैं, तो यह जनता के प्रतिनिधियों

१. एस० सी० देश—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० ३४५।

२. डॉ० डॉ० बसु—पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४५।

है, अर्थात् (क) सवधित कानून व्यवस्थापिका के क्षेत्र में है या नहीं है, और (ख) वैधिक प्रक्रिया की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून उसके क्षेत्राधिकार में हो सकता है, परन्तु यदि वह 'वैधिक प्रक्रिया' के बिंदु है अर्थात् मान्यता प्राप्त प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त के विरुद्ध है तो अमरीकी न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है। भारतीय संविधान में 'वैधिक प्रक्रिया' उपबन्ध की बजाय 'विधि सम्पन्न प्रक्रिया' का है। यह मूल अन्तर है और इसके द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को 'प्राकृतिक कानून' अर्थात्-किसी विधि में अन्तर्निहित अच्छाइयो-बुराइयों के अनुसार उसकी वैधानिकता निर्धारित करने की क्षमता दी की जा सकता है।^१ यदि भारतीय संसद या किसी राज्य संविधान समा द्वारा विधि का निर्माण अपने क्षेत्र में किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी विधि को मान्यता देना होगा, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी विधि का पुनरबलोकन इसलिए नहीं करना है कि उक्त विधि के अनुचित्य को उसकी अन्तर्निहित अच्छाइया या बुराइया के आधार पर निर्धारित कर सके, बल्कि इसलिए बरना है कि यह निर्धारित किया जा सके कि उक्त विधि संविधान के अनुकूल है या नहीं। सधेष में यह कहना उचित होगा कि अमरीकी न्यायालय वे विधियों ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 'प्राकृतिक कानून' अर्थात् 'वैधिक प्रक्रिया' की क्षमता का उपयोग न कर केवल संविधान को ही किसी विधि की वैधता निर्धारित करने के लिए क्षमता भानकर अपने निर्णय देगा।

अमरीका म, जैसा देखा जा चुका है, 'वैधिक प्रक्रिया' के सिद्धान्त के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने 'बौद्धिक मापदण्ड' का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करता है। यद्यपि वहाँ 'वैधिक प्रक्रिया' को परिमापित नहीं किया गया है, इसके विभिन्न सवधित अर्थ स्पष्ट हैं।

सामान्यत 'वैधिक प्रक्रिया' का तात्पर्य वैधानिकता, तकंपूर्णता, तथा निष्पक्षता से है अर्थात् जो निरकृश, अताकिंव तथा पक्षपातपूर्ण नहीं है। प्रत्येक मामले में अमरीका में न्यायाधीश ही अन्तिम रूप से निर्धारित करते हैं कि क्या कोई विधि, नियम, या भादेश, निरकृश, अताकिंव या पक्षपातपूर्ण तो नहीं है। इसके पलस्वरूप अमरीका में 'न्यायपालिका, की सर्वोच्चता के सिद्धान्त' की उत्पत्ति होती है और संविधान का अर्थ न्यायाधीशों की व्याख्या पर निर्भर हो जाता है। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्चता के सिद्धान्त की अपेक्षा संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। अतएव भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के समान अपने बौद्धिक मापदण्ड को अधिक उपयोग में लाने की समावना नहीं है।

सक्षेप में, भारत के संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के सीमित न्यायिक पुनरखलोकन के अधिकार के बारण निम्नलिखित हैं।

१—संविधान का विस्तारपूर्वक लिखा होना, विशेषकर सब तथा राज्य के मध्य शक्ति विभाजन का तीन सूचियों द्वारा प्रत्यन्त विस्तृत हूप से उल्लिखित होना।

२—संविधान के संशोधन प्रणाली के अनुसार संसद तथा राज्यसंविधान समझों में संविधान के स्वरूप को अन्तिम रूप से निर्धारित करने की शक्ति होना। यहाँ व्यान में रखना उचित है कि अमरीका के विषयीत, भारतीय संशोधन प्रणाली सरल है। प्रतएव भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय संविधान के संबंध में, विशेषकर, संविधान का संशोधन कर पालटे जा सकते हैं। अमरीका में संविधान के संशोधन की जटिल प्रक्रिया होने से यह अन्यन्त बच्चिन है।

३—भारतीय सर्वोच्च न्यायालय वैवल विधि सम्पन्न प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय दे सकता है। वह प्राकृतिक विधि की क्षेत्रों में सामें के लिए स्वतंत्र नहीं है, जबकि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक विधि या वैधिक प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्णय दे सकता है। चूंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के सरकार के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है, यहाँ पर इस बात पर प्रकाश डालना तथा बत देना स्वाभाविक है कि सरकार के अन्य अगो से अपने को स्वतंत्र रखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय अपने दायित्वों का उचित रूप से निभा सकता है। एक जनतात्रिक संविधान की यह मूल आवश्यकता है कि न्यायपालिका स्वतंत्रपूर्वक कार्य कर सके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को विशेषकर दो महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय देने का अधिकार है।

सर्वप्रथम, भारतीय संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा स्थापित विभिन्न सरकारों के संत्रायिकारों की रक्षा करना है। इस सदमें में, सब सरकार एवं किसी राज्य सरकार या सरकारों में मतभेद होने पर सर्वोच्च न्यायालय को इन दोनों पक्षों के लिए निधक्षता पूर्वक निर्णय देना होगा।

द्वितीय, सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के संबंध में भी विवाद की स्थिति में, निर्णय देने का अधिकार है। धार्तव में मूल अधिकार के लिए संविधान में यह प्रावधान बहुमत के निरकुश व्यवहार पर एक निरन्तर अवरोध के रूप में है। प्रतएव एक जनतात्रिक राज्य में जो बहुमत पर आधारित है ताविधान भी मूल अधिकार, अधिकारों के लिए बहुमत की निरकुशता के विरुद्ध एक ठोस भावासन है।

पूर्व में यह देखा जा चुका है कि जहाँ तक न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों तथा पदच्युति का प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा, उपर्युक्त मामलों की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। न्यायमूर्ति सप्त्रू का कहना था—“यह देखना बहुत है कि संविधान निर्माता किस तरह से, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता वे विषय में पुछ और अधिक कर सकते थे।”^१

अतः यह स्पष्ट है कि ‘सर्वोच्च न्यायालय’ द्वारा, अपने न्यायिक पुनरबलोचन के अधिकार का उपयोग, जिससे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अवैध कार्यों पर प्रभावशाली रोक लगाई जा सके, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर निर्भर है। भारत के सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का महत्व तीन और निम्नलिखित कारणों से अत्यधिक हो जाता है।

(१) एक सुविकसित, समठित तथा प्रभावशाली जनमत का न होना।

(२) संसद में कार्यपालिका वा, जो एक राजनीतिक दल द्वारा निर्मित की गई है, अति शक्तिशाली होना। और,

(३) संसद में एक समठित तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल का न होना।

परन्तु संविधान वे सामूहिकों के पश्चात् न्यायपालिकाओं का स्वतंत्रता पर सबसे गमीर अतिक्रमण, अप्रत्यक्षरूप से न्यायाधीशों के कार्यकाल और सेवा निवृत होने के पश्चात् उनको कार्यपालिका द्वारा दिये गये लाभ के रूप में है। “ऐसे भी न्यायाधीश हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे न्यायाधीशों को विसी ऐसे पद के लिए उम्मीद बरने से रोका जा सकता है जो कार्यपालिका वी नियुक्ति के अधिकार के अन्तर्मंत है।”^२ ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों को सेवा-निवृत होने के पश्चात् कार्यपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। उदाहरण स्वरूप सेवा-निवृत होने के पश्चात् श्री सी० सी० विश्वास को पहले अल्पसरकों वे मामलों का मन्त्री और बाद में विधि मन्त्री नियुक्त किया गया। श्री सैयद फजलशर्फी वो उडीसा का राज्यपाल १९५२ में नियुक्त किया गया। श्री धी० एन० राव को १९४८ में संयुक्त-राष्ट्र संघ में भारत का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया; श्री एम० सी०

१. धी० एन० सप्त्रू—जनरल आफ पर्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब्ट० १९४८, पृ० ६७।

२. के० धी० राव—‘पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया’, १९६१ पृ० २१४।

द्वागला को १९५८ म अमरीका म भारत का राजदूत और तत्प्रवात् शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया ।

कार्यपालिका के इस अग्रस्थक अतिरिक्तमण से न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, संविधान में विशिष्ट रूप से यह प्रावधान जोड़ा जाना चाहिये कि सेवारत तथा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक वायों के अलावा किसी और प्रकार के वायों को अपन हाथो में नहीं ले सकेंगे ।

राज्य-सरकार

भारत एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत दो प्रकार की सरकारों के लिए प्रावधान किया गया है। १—संघ (केन्द्रीय) सरकार तथा २—राज्यों की सरकारें। संविधान को २६ जनवरी १९५० को लागू किया गया, उस समय से १९५६ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने तक, भारत में संघ की इकाइयों (राज्यों) को चार श्रेणियों में रखा गया था—

(क)—इस श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया था, जिनको ब्रिटिश राज्य के दीरान ब्रिटिश-भारतीय-प्रान्तों के नाम से पुकारा जाता था। प्रत्येक ब्रिटिश-भारतीय प्रान्त का शासन एक गवर्नर के अधीन होता था। इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे—उत्तरप्रदेश, मद्रास, बम्बई, विहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पजाब, तथा असम। इन राज्यों को 'क' भाग के राज्यों के नाम से पुकारा जाता था। १९५३ में भाषा के आधार पर एक नये राज्य का निर्माण हुआ, जिसका आन्ध्र प्रदेश नाम दिया गया संविधान के अन्तर्गत इन राज्यों का अध्यक्ष गवर्नर होता है।

(ख)—द्वितीय, श्रेणी में वे राज्य रखे गये थे, जिनका निर्माण देशी रियासतों के आधार पर हुआ था। इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे—हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेष्ठा, द्रावनकोर-कोचीन और जम्मू-काश्मीर। इन राज्यों का भाग 'ख' के राज्यों का नाम दिया गया था। इन राज्यों के अध्यक्ष राजप्रमुख कहलाते थे।

(ग)—कठिपय छोटे राज्यों को, या जिनको पूर्व में चीक कमिशनर द्वारा प्रशासित किया जाता था, भाग 'ग' के राज्यों की सज्जा दी गई। इन राज्यों के नाम इस प्रकार थे—दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, कच्छ, भोपाल, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, कूच-विहार, और विध्य-प्रदेश।

(घ)—इस श्रेणी में अष्टमान तथा निकोबार द्वीपों को रखा गया। केवल एक साधारण मिशन्ता को छोड़कर, भाग 'क' एवं 'ख' के राज्यों की सरकारों का समान एक समान था। भाग 'क' के राज्यों के अध्यक्षों को राज्यपाल (गवर्नर) की सज्जा दी गई थी, जब कि भाग 'ख' के राज्यों का अध्यक्ष राजप्रमुख कहलाता था। दोनों इस प्रकार के राज्यों में संसदीय सरकार की स्थापना की गई थी। अतः

दोनों प्रकार के अध्यक्ष नाम मात्र के प्रधान थे, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रीमण्डल के रूप में ही थीं जिसका प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व राज्य विधान सभा के प्रति होता था।

भाग 'ग' के राज्यों के शासन का दायित्व भारतीय राष्ट्रपति पर था, जो अपने प्रतिनिधि उपराज्यपाल (लेफ्टीनेंट गवर्नर) या मुख्य आयुक्त (चीफ कमीशनर) की सहायता से इन राज्यों में विधान सभा तथा मंत्री मण्डल की स्थापना कर सकता था, परन्तु इन विधान सभाओं व मंत्री मण्डलों का संगठन तथा शक्तियाँ भाग 'क' एवं 'ख' के राज्यों से भिन्न थे। संसद की इच्छानुसार भाग 'ग' के राज्यों की विधान सभाओं का संगठन, सदस्यों के निर्वाचन या मनोनयन द्वारा किया जाता था। या कुछ सदस्य निर्वाचित एवं कुछ मनोनीत किये जाते थे। संघ एवं राज्यों के मध्य तीन सूचियाँ (संघ, राज्य तथा समवर्ती) द्वारा शक्ति विभाजन इन राज्यों पर लागू नहीं था।

१९५६ में राज्य-पुनर्गठन आयोग के सुझाव पर, भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ द्वारा एक नये आधार पर किया गया। राज्यों के 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' श्रेणियों में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के सुझाव के अनुसार राज्यों को अब केवल दो श्रेणियों में रखा गया है—

१—संघ के राज्य तथा २—संघीय भू-भाग।

१—संघ के राज्यों के नाम इस प्रकार थे—ग्रान्थप्रदेश, असम, विहार, बम्बई, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिमीविहार, तथा जम्मू और कश्मीर।

२—संघीय भू भागों के नाम इस प्रकार थे—दिल्ली, हिमाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान लक्कादीव एवं मिनिकाय द्वीप।

१९५६ में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी, कर्तिपय नये राज्यों की स्थापना की गई जो इस प्रकार है—

१—१९६० में बम्बई राज्य को विभाजित करके, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई।

२—१९६२ में नागालैण्ड राज्य की स्थापना की गई।

३—१९६६ में पंजाब राज्य को विभाजित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्यों की स्थापना की गई।

४—१९७१ में असम राज्य के कर्तिपय पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर भेषालय राज्य का निर्माण किया गया।

५—१६७१ में मणिपुर तथा अपिरु को सधे वे राज्यों के रूप में मान्यता दी गई।

इसी प्रकार १६५६ के बाद सधीय क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है।

१—१६६२ में गोद्वा, डमन् तथा डूँगो को सधीय क्षेत्र बनाया गया।

२—१६६३ में पाण्डुचेरी को सधीय क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

३—१६६६ में चण्डीगढ़ को सधीय क्षेत्र बनाया गया। परन्तु १६७० में चण्डी-गढ़ को पंजाब में मिला दिया गया।

४—१६७१ में अरुणाचल (नेफा) तथा मिजोराम को सधीय क्षेत्र बनाया गया है।

राज्य कार्यपालिका

सधीय कार्यपालिका के समान, राज्यों की कार्यपालिका का भी स्वतंप संसदात्मक है। राज्य-कार्यपालिका के दो भाग हैं। (क) राज्यपाल—जो कि राज्य कार्यपालिका का नामभान प्रधान है। (ख) मन्त्रीमण्डल—जिसको वास्तविक कार्यपालिका के समान माना जा सकता है क्योंकि राज्य-सरकार की नीतियों तथा कार्यों के लिए, संविधान के अनुमार मन्त्रीमण्डल राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

राज्यपाल

सध के राज्यों के राज्यपाल वी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद १५५ के अन्तर्गत उल्लिखित है। राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जिन्हें औपचारिक दृष्टि से राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद-न्यर्यन्त विद्यमान रहेगा, अर्थात् राज्यपाल वो राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पदच्युत किया जा सकता है। अमरीकी पदति भ सध तथा राज्यों दोनों मध्यकाशमक प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप अमरीकी सध के राज्यों के राज्यपाल नामभान के नहीं, परन्तु वास्तविक शासक होते हैं, और इस कारण उनका निर्वाचित राज्य की जनता बरतता है।

भारत सध के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इससे, भालोचकों का बहना है कि भारतीय राजनीति में कई बुराइयाँ पैदा हो गई हैं। उदाहरण स्वरूप भालोचकों का बहना है कि राज्यपाल वी नियुक्ति करने का राष्ट्रपति का अधिकार वास्तव में केन्द्र में सत्ताहृष्ट दल का अधिकार है, जिससे केन्द्रीय सरकार राज्यों में राजनीतिक परिस्थितियों को, कुछ सीमा तक अपनी

इच्छानुसार मोड़ सकता है। इस सन्दर्भ में, विशेषकर १६५७ के दूसरे भाम-चूनाव के बाद, केरल राज्य में १६५६ में भापतकालीन स्थिति की घोषणा करके राज्य-शासन को केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उस समय केरल विधान सभा में साम्यवादी सरकार को, स्पष्ट बहुमत होने हुए भी, राज्यपाल रामहृष्ण राव की सिफारिश पर कि राज्य में सर्वधानिक तत्र समाप्त हो गई थी, वर्खस्त कर दिया गया।

कभी-कभी सत्ताहृष्ट दल के सेवा-निवृत्त या निर्वाचिनों में हारे हुए सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। यह सम्भव है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दीर्घकाल तक किसी राजनीतिक दल का सदस्य रहा है, वह राज्यपाल नियुक्त होने पर निष्पक्ष नहीं रहे हैं, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब कि राज्य में सरकार की बागडोर ऐसे दल के हाथों में हो, जिसका वह व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के पूर्व सदस्य नहीं रहा है। केन्द्र में सत्ताहृष्ट दल से सवधित जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल के पद पर हुई है, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—श्री अवितप्रसाद जैन, श्री चौ० चौ० गिरि, श्री हार्षिज मोहम्मद इब्राहीम, श्री सत्यनारायण सिंहा, श्री श्रीमन्नारायण एवं श्री मोहनलाल भुजाडिया।

कभी-कभी सेवा निवृत्त लोकसेवा अधिकारी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किये जाने हैं। कार्यरत प्रशासन के अधिकारियों के लिए यह एक लोम के सदृश है, जिससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में कभी-कभी सवधित राज्य सरकार की इच्छा की अवहेलना की गई। १६६७ में परिचम बगाल में श्री घर्मवीर की, तथा विहार में श्री बानुनगो की नियुक्ति राज्यपाल के पद पर भी गई, जबकि बगाल तथा विहार के समुक्त मत्री मण्डलों ने इन नियुक्तियों का तीव्र विरोध किया।

अतएव इन दोषों को समाप्त करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के सघ में केन्द्र सरकार के लिए निम्नलिखित प्रम्पराओं का पालन करना आवश्यक होगा।

एक—राज्यपाल की नियुक्ति, सवधित राज्य की सरकार की सकाहानुसार की जाये,

दो—राज्यपाल के पद पर सेवा निवृत्त या चुनाव में हारे हुए व्यक्तियों की नियुक्ति न की जाये,

तीन—राज्यपाल पद पर, किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाये, क्योंकि, वह स्थानीय राजनीति से ऊपर होगा और निष्पक्षता पूर्वक अपने बायं करेगा। बवहार में इस परम्परा का पालन किया गया है, सिवाय डा० एच० सी० भुजीं जी की नियुक्ति के, जो अपने राज्य, परिचम बगाल, के ही राज्यपाल नियुक्त किये गये थे।

राज्यपाल के पद की योग्यताएँ

भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं।—

१—भारत का नामरिक हो,

२—३५ वर्षों से कम आयु का न हो,

३—राज्यपाल को संसद या किसी राज्य की विधान सभा वा सदस्य नहीं होना चाहिये।

४—वह सध सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ वे अन्य पद को प्रहण न करता हो। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के वेतन तथा भत्तो वे भार को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उन राज्यों को उठाना होगा।

राज्यपाल के वेतन व भत्तो।—राज्यपाल का वेतन संविधान के अनुसार ५,५०० रु० मासिक होगा, जब तक कि संसद द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसके अतिरिक्त राज्यपाल को वे भत्ते प्राप्त होंगे जो भारत में गवर्नर-गवर्नरों को संविधान लागू होने के पूर्व दिये जाते थे। संसद कानून द्वारा राज्यपाल के वेतन, भत्तो एवं विशेष सुविधाओं को निर्धारित कर सकती है। राज्यपाल के कार्यकाल में उसके वेतन तथा भत्तो में कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल को निशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध होगी।

राज्यपाल के पद प्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख यह प्रतिज्ञा लेना आवश्यक है कि वह अपने पद तथा कर्तव्यों का पालन, संविधान तथा कानून की रक्षा और जनता और जनता की सेवा करेगा।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य—यह ज्ञात है कि सध तथा राज्यों में संसदीय पद्धति की संविधान के अन्तर्गत स्थापना की गई है। अत मारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों की सर्वेधानिक स्थितियों में, कर्तिपय अपवादों को छोड़कर, समानता पाई जाती है। संसदीय पद्धति के सन्दर्भ में दोनों नाममात्र के शासद हैं। संविधान के अनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार राज्यों के लिए एक मन्त्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य, सिवाय उन भागों के जिसके सबध में संविधान द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक के उपयोग करने का अधिकार संविधान में इन विषयों के, सिवाय कि भस्म के सीमावर्ती धोनों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति के अमिकर्ता के रूप में, तथा भस्म सरकार एवं किसी अनुसूचित

क्षेत्र वी जिला परिषद के मध्य पनिज से प्राप्त आय सबधी विवाद के निपटारे के लिए, राज्यपाल वी 'स्वविवेद' सबधी शतियों को परिमापित नहीं किया गया है। विरोधी विषय के सवध में राज्यपाल अपना स्वविवेक उपयोग में ला सकता है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार स्वयं राज्यपाल को ही है। अनुच्छेद १६३ (५) के अनुसार जो कार्य राज्यपाल ने अपने स्वविवेकानुसार किया है, उसकी विषयता वे सन्दर्भ में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। परन्तु व्यवहार में अभी तक इस परम्परा को ही भाग्यता दी गई है कि असम के राज्यपाल के सिवाय और उसको भी वेवल असम के सीमावर्ती क्षेत्र तथा खनिज पदार्थों सबधी शुल्क विषयों, पर ही, अन्य राज्यों के राज्यपालों को साधारणतया स्वविवेक के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है। "एक सीमा तक, अनुच्छेद १६३ में इन शब्दों द्वारा (स्वविवेकानुसार) रखना प्राप्ति निर्माण-सबधी एवं अव्यवस्था है।"^१ क्योंकि केन्द्र के सदृश राज्यों में भी सप्तसात्मक सरकार की सविधान द्वारा स्थापना वी गई है, और इस सन्दर्भ में राज्यपाल की स्थिति राज्यों की सर्वेधानिक व्यवस्था में नाममात्र की होनी चाहिये। तथापि, यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सविधान निर्माण के दौरान विवाद में इस विषय पर बल दिया गया कि राज्यों में सप्तसात्मक पद्धति के होने के बावजूद भी राज्यपाल वह कड़ी है जिसके माध्यम से राज्य को केन्द्र से सबधित रखा जा सकता है और जिसके पात्तस्वरूप सम्पूर्ण भारत म सर्वेधानिक एकता समव हो सकती है। यह स्पष्ट है कि वेन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के सर्वेधानिक सबधों की मुहूर्य बड़ी राज्यपाल ही है। जैसा विदित है, भारतीय इतिहास से सबक लेकर, सविधान समा मे बार बार इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया था कि वेन्द्रीय सरकार जय-जय शिथिल हुई, देश की एकता को आधार पहुंचा, अतएव देश में एकता तथा स्थायित्व के लिए राज्यपाल को सघ तथा राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण सर्वेधानिक बड़ी की भूमिका सविधान द्वारा प्रदत्त की गई। इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए प० नेहरू ने सविधान समा मे कहा—"एक निर्वाचित राज्यपाल तुम सीमा तक, पृथक्कारी आन्तरीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है और केन्द्र से सबध कम हो जायेगे।"^२ अतएव सर्वेधानिक एकता तथा स्थायित्व बनाये रखने के लिए राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व के लिए सविधान में दो मूल्य-माधार स्थापित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं १—अनुच्छेद १५५ के अन्तर्गत राज्यपाल वी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तथा २—राज्यपाल कार्यकाल अनुच्छेद १५६ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद-प्रयन्त्र रहेगा। अनुच्छेद ३५६ के अनुसार, यदि किसी राज्य

१. डॉ० डॉ० बमु—'कमेन्ट्री अन द कान्सटीट्युशन आफ इण्डिया 'पृ० ४७५।

२. कान्स्टिटीएट असेम्बली डिवेल्स, मा—द, पृ० ४५५।

के सर्वेधानिक यथा (सरकार) को संविधान के अनुसार चलाया जाना समव नहीं है, तो राज्यपाल यह सूचना राष्ट्रपति को मेजेगा। राष्ट्रपति उक्त राज्य में राज्य पाल के प्रतिवेदन पर सकटकालीन स्थिति की घोषणा करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद ३६५ के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि राज्य सरकारों को उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के उपयोग के लिए निर्देश दे। यदि उन निर्देशों का पालन नहीं होता है तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, सकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यह समव है कि यदि राज्य में किसी ऐसे राजनीतिक दल की सरकार है, जो केन्द्रीय सत्ताखंड दल से भिन्न है तो वह राज्य सरकार कदाचित केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुच्छेद ३६५ के अन्तर्गत दिए निर्देशों को पालन करने में हिचकिचाहट दिखाये, ऐसी स्थिति में संविधान के अनुसार राज्यपाल संघ सरकार के निर्देशों का पालन बरने के लिए स्वविवेक की शक्ति का उपयोग कर सकता है।

राष्ट्रपति के सदूश, राष्ट्रपति के केवल राजनयिक सैनिक तथा आपत्कालीन अधिकारों, को छोड़कर, राज्यपाल की शक्तियों को पांच थेणियों में रखा जा सकता है।

१—कार्यपालिका संबंधी, २—व्यवस्थापन संबंधी, ३—वित्तीय संबंधी, ४—न्याय संबंधी ५—अन्य शक्तियाँ। इन समस्त शक्तियों को राज्यपाल मन्त्रीमण्डल के, जिसको विधान सभा में बहुमत है, परामर्शनुसार ही प्रयुक्त करेगा।

१—कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ—राज्यपाल राज्य-कार्यपालिका का प्रमुख है। राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपयोग राज्यपाल के नाम से ही होता है। यद्यपि राज्य की सारी कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं, बास्तव में, इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल मन्त्रीमण्डल की सलाहानुसार ही करेगा। राज्यपाल वो मन्त्रीमण्डल के अध्यक्ष मुख्यमन्त्री से मन्त्रीमण्डल के निर्णयों संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और मुख्यमन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि मन्त्रीमण्डल के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराये तथा प्रशासन संबंधी विषयों पर वह सारी जानकारी राज्यपाल को प्रदत्त करे जिसकी माग राज्यपाल ने की है। अनुच्छेद १६७ के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमन्त्री को किसी मन्त्री के निर्णय को मन्त्रीमण्डल के समक्ष उसके विचार विमर्श के लिए रखने को कहा जा सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का दायरा उतना ही है, जितना राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण बरने का दायरा राज्य विधान सभा को है। अर्थात् राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं।

राज्यपाल को कठिपथ महत्वपूर्ण नियुक्तियों करने का अधिकार है, जो निम्न-लिखित हैं —

(१) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है।

(२) मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य भवित्वों की नियुक्ति करता है।

(३) अनुच्छेद १६५ के अनुसार राज्यपाल राज्य के महापिधिकता की नियुक्ति करता है।

(४) अनुच्छेद ३१६ के अन्तर्गत राज्यपाल लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

(५) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल से परामर्श लेना आवश्यक है।

राज्यपाल को राज्य में सकटकालीन स्थिति की घोषणा करने के सन्दर्भ में अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत, मुख्य भूमिका प्रदान की गई है। जब राज्यपाल को विश्वास हो जाता है कि राज्य सरकार का सचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार समव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, और यदि राष्ट्रपति इस आधार पर राज्य में सकटकालीन स्थिति घोषित करता है तो राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार के अभिवक्ता के रूप में राज्य-शासन चलाने के लिए कहा जा सकता है।

अनुच्छेद ३७१ (१) द्वारा, राष्ट्रपति को भादेश द्वारा पंजाब तथा आन्ध्र-प्रदेश विधान सभाओं वी क्षेत्रीय समितियाँ स्थापित करने का अधिकार है तथा वह इन क्षेत्रीय समितियों के उचित रूप से कार्य करने के लिए राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान कर सकता है। आन्ध्रप्रदेश तथा पंजाब में इन क्षेत्रीय समितियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में उल्लिखित विषयों पर दिया गया परामर्श, सरकार तथा राज्य विधान सभा को साधारणतया स्वीकृत करना होगा, किन्तु यदि क्षेत्रीय समितियों तथा सरकार में, इस सन्दर्भ में मतभेद हो जाता है तो राज्यपाल को अतिम निर्णय देने का अधिकार है।

२—व्यवस्थापन सदब्धी शक्तियाँ—राज्यपाल को व्यवस्थापन सदब्धी कठिपथ महत्वपूर्ण शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं।

१—राज्यपाल को राज्य विधान-मण्डल के अधिवेशन आमनित करने का अधिकार है, किन्तु उसे अधिकार को इस प्रकार उपयोग में साना होगा कि अन्तिम अधिवेशन के अन्तिम दिन तथा नये अधिवेशन के प्रथम दिन के मध्य ६ माह से अधिक समय नहीं होना चाहिये। राज्यपाल विधान-मण्डल को स्वयंगत कर सकता है। राज्यपाल को विधान सभा के विधायित करने का अधिकार भी

है। साधारणतया, जब विधान सभा में मनीषण्डल को बहुमत प्राप्त है, इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल मनीषण्डल की सम्मति के अनुसार ही करेगा। विन्तु जब मनीषण्डल को विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं रहा है तब राज्यपाल इन शक्तियों के उपयोग के लिए अपना स्वविवेक का उपयोग कर सकता है। इसमें उदाहरण १६६७ में हुए चौथे आम-चुनाव के पश्चात् कई राज्यों में देखने को मिले। जब इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने, जिनको विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं रहा तब राज्यपाल को प्रधान सभाग्रों को भगवरने की सलाह दी, किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने स्वविवेक से ही निर्णय लिया।

२—राज्यपाल को विधान मण्डल को सदोधित वरने का अधिकार है। आम-चुनाव के पश्चात् विधान मण्डल की पहली बैठक तथा प्रतिवर्ष प्रथम बैठक को राज्यपाल सदोधित करता है।

३—राज्यपाल विधान मण्डल के किसी सदन के समक्ष विचारार्थ विधेयक के समय में उक्त सदन को सदेश में सकता है और उस सदन का यह कर्तव्य होगा कि सदेश में उल्लिखित विषय पर शीघ्र विचार करें।

४—जब एक विधेयक राज्य विधान-मण्डल के एक या दोनों सदनों (जिस राज्य में एक सदन है तो एक सदन द्वारा, तथा जिस राज्य में दो सदन हैं, तो दोनों सदनों द्वारा) पारित हो गया हो, तो उसे राज्यपाल के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। राज्यपाल विधेयक को, यातो अपनी सहमति दे सकता है या उस पर अपनी सहमति रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल उक्त विधेयक को विधान मण्डल में पुनः विचारार्थ लौटा सकता है, विन्तु यदि विधान मण्डल पुन उक्त विधेयक को पारित कर देता है तो राज्यपाल को अपनी सहमति देना ही होगा।

५—राज्यपाल जिन विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखना है वे निम्नलिखित विषयों से सन्दर्भित होंगे।

६—जो निजी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए है, या

७—जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कभी करने के लिए हैं।

६—राज्यपाल विधान परिषद के लगभग २५ सदस्यों को ऐसे लोगों में से मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त की है।

७—राज्यपाल, राज्य विधान सभा के लिए आग्न-भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार में इस सम्प्रदाय का विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

५—राज्यपाल, विधान मण्डल के किसी सदस्य की अधोगता की स्थिति में, निर्वाचित आयोग के परामर्शानुसार निर्णय दे सकता है।

६—राज्यपाल को, अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत जब राज्य विधान मण्डल का अधिकेशन नहीं हो रहा हो, अध्यादेश जारी बनने का अधिकार है, जो कि विधान मण्डल की नई बैठक के प्रारम्भ होने से ६ सप्ताह तक बैठ होगे, यदि इसके पूर्व इनको विधान सभा द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है। प्रथेक अध्यादेश की शक्ति कानून के सदृश होती, परन्तु यदि कुछ ऐसे विषयों से सबधित अध्यादेश लागू करना है, जिन पर विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है तो, विना राष्ट्रपति के निर्देश के इन विषयों पर अध्यादेश लागू नहीं किये जा सकेंगे।

३—वित्तीय शक्तियाँ—राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) राज्य विधान सभा में किसी वित्त-विधेयक को बिना राज्यपाल की अनुशासा के राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधेयकों के वित्तीय मामलों से सबधित संशोधन के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। परन्तु राज्यपाल की सहमति किसी कर को कम या समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत संशोधन के लिए आवश्यक नहीं है।

(२) राज्यपाल का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य के वित्तीय दर्पण के लिए, विधान सभा के समक्ष राज्य का व्यापिक आय-व्ययक प्रस्तुत करवाये। बिना राज्यपाल की अनुमति के अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है,

(३) राज्यपाल विधान मण्डल से पूरक, अतिरिक्त या विशेष अनुदान की माँग भी कर सकता है।

(४) अनुच्छेद २६७ के अनुसार राज्य-आकस्मिक निधि को उपयोग में लेने का अधिकार राज्यपाल को ही है। राज्यपाल किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए आकस्मिक निधि में से अप्रियम निधि दे सकता है।

४—व्यापिक शक्तियाँ—राज्यपाल को न्याय के क्षेत्र में कतिपय शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, जो राज्य कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में कानूनों से सबधित हैं। इन कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधी के दण्ड को वह कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तथा उसे क्रमा प्रदान कर सकता है।

५—राज्यपाल की अन्य शक्तियाँ—(१) राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अपना अतिवेदन राज्यपाल को प्रेपित दिया जाता है जो उसको राज्य मंत्री परिषद के समक्ष उसके विचारणे प्रस्तुत करवाता है। मंत्री परिषद की टिप्पणियाँ उक्त

विषय पर प्राप्त होने के पश्चात् राज्यपाल दोनों लेखों को विधान सभा के अध्यक्ष वे पास मेजता है, जिससे उनको विधान सभा के विचार विमर्श के लिए रखा जा सके।

(२) इसी प्रकार राज्यपाल राज्य के आय व्यय पर महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर भी विचार करता है।

(३) यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघीय क्षेत्र (जू-माग) का प्रशासक नियुक्ति किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उक्त संघीय क्षेत्र के सबथ में राज्यपाल मंत्री-मण्डल से स्वतन्त्र रह कर अपने कार्यों का सचालन कर सकता है।

(४) नागालैण्ड के राज्यपाल को संविधान के १३वें संशोधन के अन्तर्गत दस वर्षों तक पिछड़े हुए टु-यान-सान आदिम वासी क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

अन्त में, राज्यपाल की स्थिति तथा शक्तियों की दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राज्यपाल की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल न केवल राज्य वा अध्यक्ष है, जहाँ संसदीय प्रणाली को स्थापित किया गया है, परन्तु कई मामलों में बैन्द्रीय सरकार का अधिकारी भी है, अतः राज्यपाल को निष्पक्ष एवं निष्ठावान होना अत्यावश्यक है।

राज्यों में संसदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रधान है। यद्यपि क्तिपय मामलों में राज्यपाल को स्वविवेक के उपयोग करने की शक्ति है किन्तु इन शक्तियों का प्रयोग जनहित को देखते हुए ही किया जायेगा। वलवत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की स्थिति पर प्रकाश ढालते हुए "सुनील-कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल", नामक प्रकरण में यहा—“वर्तमान संविधान के अन्तर्गत विना मत्रियों की सलाह के राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत स्थिति निम्न थी। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से या व्यक्तिगत आधार पर कार्य करने की उसकी शक्ति को ले लिया गया है। और इसलिए वह मत्रियों की सलाह से ही कार्य करेगा।”

१९६७ में चीथे आम-चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, कई राज्यों में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया। अतः इस परिवर्तित स्थिति में राज्यपाल की भूमिका से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आये हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं।

१—विधान सभा के सभ्र वो युलाने के अधिकार के संबंध में नवम्बर, १९६७ में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। राज्यपाल विधान सभा की बैठक को पहले आमंत्रित करने के पक्ष में थे, जबकि

मुख्यमंत्री का मत था कि बैठक को कुछ समय पश्चात् ही आमंत्रित किया जाये। इन सन्दर्भ में वेन्ट्रीय विधि भवालय ने अनुच्छेद १७४ (१) के अन्तर्गत यह स्पष्टीकरण दिया कि संवैधानिक तथा संदानिक रूप से यह शक्ति राज्यपाल को दी गई है इन्हु अन्तिम निर्णय इस विषय पर मुख्यमंत्री का ही होगा।

अप्रैल, १९७०, में इसी विषय पर बजाव में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री बादल के मध्य भत्तमेद पैदा हुआ। मुख्यमंत्री बादल की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल ने विधान सभा की बैठक आमंत्रित की।

२—विधान सभा को भग बरने के सबध में क्या राज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्शानुसार विधान सभा भग बरना चाहिये? क्या इस विषय पर वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है।

३—क्या राज्यपाल को मंत्रीमण्डल को ऐसी परिस्थिति में भी जबकि मंत्री मण्डल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, बर्खास्त करके, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। परिचम बगाल के राज्यपाल श्री घर्मबीर ने श्री अब्दुलजीद के मंत्री-मण्डल को दिसम्बर, १९६७, में बर्खास्त कर श्री पी० सी० धोप को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। श्री घर्मबीर को यह प्रतीत हुआ कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के मंत्री-मण्डल को विधान सभा का विश्वास नहीं था। उन्होंने भी मुख्यमंत्री को तुरंत विधान सभा की बैठक को, यह जात करने के लिए आमंत्रित बरने को कहा कि उनकी सरकार को वास्तव में विधान सभा में बहुमत प्राप्त था नहीं। चूंकि मुख्यमंत्री ने विधान सभा को आमंत्रित नहीं किया, श्री घर्मबीर ने मंत्री मण्डल को अत्यमत पर अधारित मंत्रीमण्डल भानवर बर्खास्त कर दिया। यह कार्य श्री घर्मबीर ने संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त दो अधिकारों के अधार पर किया।

क—अनुच्छेद १६४ (१) के अनुसार मंत्री अपने दद पर राज्यपाल ने प्रसाद पर्यन्त तक रहेगे।

ख—अनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार राज्य के लिए एक मंत्रीमण्डल होगा, जिसका कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों महायता तथा परामर्श देना होगा, सिवाय उन भागों के जिनके लिए उसको संविधान के अनुसार अपनी स्वेच्छा से कार्य करना है।

तथापि श्रीघर्मबीर द्वारा मंत्री मण्डल को बर्खास्त किये जाने के पलस्वरूप विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हुई। वेन्ट्रीय विधि भवालय ने अत्यमत मंत्रीमण्डल को

बलास्ति करने के राज्यपाल के इस कार्य को सवैधानिक माना। किन्तु ध्वालोचकों का यह कहना था कि मंत्रीमण्डल को पदच्युत करने का अधिकार केवल विधान सभा में निहित है और विधान सभा के इस अधिकार को राज्यपाल नहीं हड्प सकता है। अतएव यह आवश्यक है कि राज्यपाल की स्थिति तथा वार्यों में सवध में स्वरूप ससदीय परम्पराओं का विकास होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, यह भी उचित होगा कि राज्यपाल के स्वेच्छाधिकारों को स्पष्ट रूप से सविधान में परिभाषित किया जाय।

राज्य-मंत्री परिपद

भारतीय सविधान के अनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार राज्यों के लिए एक मंत्री परिपद का प्रावधान विया गया है जो राज्यपाल को उसके वार्यों में सहायता तथा परामर्श देगी, सिवाय उन मामलों के जिनके सवध में सविधान के अन्तर्गत वह 'स्वविवेक' से वार्य कर सकता है। सविधान में 'स्वविवेक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु केवल असम के राज्यपाल में सम्बन्ध में सविधान में उल्लिखित है कि वह स्वविवेकानुसार राष्ट्रपति के अभिवर्ता के रूप में आदिम धोन्हों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रश्न वह स्वविवेक से ही निर्धारित करेगा। स्वविवेक के प्रश्न का अतिम निर्णयिक भी वही होगा। यह सविधान के अनुच्छेद १६३ (२) से ही स्पष्ट है।

केन्द्रीय सरकार के समान राज्य सरकारें भी ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धान्तों पर आधारित हैं। ससदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त यह है कि मंत्री-परिपद (वास्तविक कार्यपालिका) प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के निवेद सदन के प्रति उत्तरदायी है तथा अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता गण के प्रति उत्तरदायी है। सविधान वे अनुच्छेद १६४ (५) के अनुसार राज्य के मंत्री मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व राज्य विधान सभा के प्रति होगा। अतएव, सामान्यतः राज्यपाल को मंत्री परिपद के परामर्शानुसार कार्य करना होगा।

साधारणतया, आम चुनाव के पश्चात् अनुच्छेद १६४ (१) के अन्तर्गत बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तत्पश्चात् राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार, करता है। यह स्पष्ट है कि जब आम चुनाव में किसी दल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त हुआ है तो राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उसको अपने स्वविवेक के उपयोग में लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु जब विसी दल को विधान-सभा में स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल विभिन्न दल के नेताओं से मंत्री मण्डल के गठन के लिए चर्चा करके मुख्य-

मंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। अनुच्छेद १६४ (१) के अन्तर्गत मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के 'प्रसाद पर्यन्त' तक रहेंगे। यदि मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति विधान मण्डल का सदस्य नहीं है तो उसको ६ माह के अन्दर विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है, अन्यथा उसको मंत्री पद पर से हटना पड़ेगा। अपना पद प्रहृण करने के पूर्व प्रत्येक मंत्री को पद के संबंध में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों के बेतन तथा भत्तों का निर्धारण राज्य विधान-मण्डल निर्धारित करती है। अनुच्छेद १६३ (३) के अनुसार इस प्रश्न पर कि मंत्रीमण्डल द्वारा राज्यपाल को कोई सम्मति या किस प्रकार की सम्मति दी गई, किसी न्यायालय द्वारा जाँच नहीं की जा सकती है। इस कारण मंत्रियों की सम्मति संवित कोई प्रश्न न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है।

संविधान द्वारा राज्य मंत्री-मण्डल के सदस्यों की सत्या निर्धारित नहीं की गई है। अतएव विभिन्न राज्यों में मंत्रियों की सत्या मिस्र-मिस्र है। यद्यपि संविधान में मंत्रियों की विभिन्न श्रेणियों को भी उल्लिखित नहीं किया गया है, फिर भी व्यवहारतः चार श्रेणियों में मंत्रियों को वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्नानुसार है —

- (क) केबीनेट स्तर के मंत्री,
- (ख) राज्य मंत्री,
- (ग) उपमंत्री, तथा,
- (घ) संसदीय सचिव,

इन चारों प्रकार के मंत्रियों से मिलकर मंत्री-परिषद का गठन होता है। केवल केबीनेट स्तर के मंत्री ही मंत्रीमण्डल में होते हैं। प्रत्येक केबीनेट स्तर के मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। अन्य श्रेणियों के मंत्रियों का कार्य विधायी तथा प्रशासकीय थोथों में केबीनेट स्तर के मंत्रियों को सहायता देना है।

मंत्रीमण्डल के कार्य तथा अधिकार—मंत्रीमण्डल का कार्य राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण करना है, जिनके आधार पर राज्य शासन का सञ्चालन किया जाता है। यह स्वामानिक है कि नीति-निर्माण का कार्य उन विषयों से संबंधित होगा जो राज्य तथा समवर्ती सूचियों में रखे गये हैं। इन नीतियों के लिए विधान सभा की सहमति आवश्यक है। प्राय, इन नीतियों को कानूनी रूप देना आवश्यक हो जाता है। साधारणतया मंत्रीमण्डल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त रहता है, अत मंत्री-परिषद की नीतियों को विधान सभा में सरलता पूर्वक सहमति प्राप्त हो जाती है।

मंत्रीमण्डल का दूसरा प्रमुख कार्य है, प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य आवश्यक सहयोग तथा समन्वय स्थापित करना, जिससे समस्त प्रशासन को एक इकाई के रूप में सचालित किया जा सके। प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने में पृथक्, स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। उनमें विभिन्न विधयों पर पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय होना अत्यावश्यक है। इस सहयोग पर ही राज्य की प्रगति निर्भर है।

राज्य कार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियन्त्रण रखना मंत्रीमण्डल का कार्य है। चूंकि कार्यपालिका एवं प्रशासन दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं अतः विधान सभा में बहुमत का विश्वास अपने प्रति दृढ़ बनाये रखने के लिए मंत्रीमण्डल को शासन कुशलता, दक्षता एवं सोककल्याण के आधार पर सचालित करना चाहिये। अतएव यह स्वामानिक है कि मंत्रीमण्डल समस्त कार्यपालिका तथा प्रशासन सबधीं क्रियाओं पर निर्गतानी रखे। यदि शासन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो मंत्रियों को इसके लिए विधान सभा के समक्ष जवाब देना होगा।

मंत्रीमण्डल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राज्य के वित्त प्रशासन को सुचाह रूप से सचालित करने वा प्रावधान करे। यह राजनीति विज्ञान का एक सत्य है कि समस्त प्रशासन की सफलता के लिए न केवल पर्याप्त वित्त होना आवश्यक है किन्तु एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था के लिए वित्त प्रशासन का सचालन सही रूप से हो। उत्तम प्रशासन का उत्तरदायित्व मंत्रीमण्डल का है अतः मंत्रीमण्डल का यह भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि राज्य वा वित्त-प्रशासन भी उत्तम हो। राज्य की राजस्व सबधीं नीति वा निर्धारण तथा वार्षिक आय-व्ययक वा निर्माण हेतु राज्य वित्त मंत्री की ही जिम्मेदारी है।

सक्षेप में, राज्य मंत्रीमण्डल राज्य शासन की धुरी है। राज्य शासन की सफलता मुख्यतः मंत्रीमण्डल पर ही निर्भर रहती है। इस कारण मंत्रियों को ससदीय प्रणाली के अनुकूल अपने दायित्वों को समझना तथा निभाना अत्यावश्यक है। सधीय मंत्रीमण्डल के सन्दर्भ में अध्ययन किया जा सुका है कि ससदीय पद्धति में मंत्रियों के चार प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। जो इस प्रकार हैं।

१—मंत्रियों के तत्कालीन या आपचारिक उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त ससदीय पद्धति में मंत्रियों का आपचारिक उत्तरदायित्व राज्याध्यक्ष के प्रति होता है। भारत सघ के राज्यों में मंत्रीगण आपचारिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद १६७ के अनुसार मुख्यमंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि—(क) राज्यपाल को राज्य प्रशासन, व्यवस्थापन के समस्त मामलों से सबधित राज्य मंत्री-परिषद के निर्णयों से अवगत रायें।

(क) राज्य के प्रशासन तथा व्यवस्थापन संबंधी मामलों के संबंध में राज्यपाल को वह समस्त जानकारी दे जो राज्यपाल चाहता है।

(ग) यदि राज्यपाल की ऐसी इच्छा है कि मंत्रीमण्डल के विचार-विमर्श के लिए ऐसे मामले का प्रस्तुत बरे बित्त पर निर्णय विसी मंत्री ने दिया है कि तु जिस पर मंत्रीमण्डल ने विचार नहीं किया था।

२—मंत्रियों के पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—मंत्रीमण्डल एक इकाई के समान है। इसके सदस्यों को एक समर्थित प्रभावशाली तथा एकतापूर्ण इकाई के रूप में बार्य बरना आवश्यक है। यह बहने भी कोई अनियन्त्रित नहीं होगी कि मंत्री मण्डल वा अस्तित्व मंत्रियों के पारस्परिक सहयोग तथा एकता की आवाहना पर आधारित रहता है।

इसके विपरीत, यदि मंत्रीमण्डल में भगड़ा और फूट है तो निश्चय ही वह स्थायी नहीं रह सकेगा।

३—व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—प्रत्यक्ष मंत्री अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। यद्यपि विशिष्ट रूप से संविधान ने कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में निहित है, जिसके अनुसार मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के 'प्रसाद पर्यन्त' तक ही रहता। संसदीय पद्धति के सन्दर्भ में राज्यपाल के 'प्रसाद पर्यन्त' वा तात्पर्य मुख्यमंत्री के 'प्रसाद पर्यन्त' है। अतएव मंत्री व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता। यह उचित होता है कि संविधान में मंत्री के विधान सभा के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की जाती है।

४—संसदीय पद्धति का मूल आवार—मंत्रीमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व का मिद्दान्त है। संविधान के अनुच्छेद १६४ (५) में मंत्रीमण्डल राज्य विधान सभा के प्रति अपनी नीतियों तथा कामों के लिए उत्तरदायी होता। इस सिद्धान्त के अनुसार मंत्रीमण्डल का अस्तित्व तब तक बना रह सकता है जब तक विधान सभा भी बहुमत का विश्वास उत्तरे प्रति है। दूसरे शब्दों में, यदि बहुमत का विश्वास विधान सभा में मंत्रीमण्डल के प्रति न रह, तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री-मण्डल नहीं हो जायगा। प्रत्येक दशा में मंत्रीमण्डल को विधान सभा के समर्थ अपना विश्वास दनाव रखने पर ही स्थिरता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री

भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रीमण्डल का होता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल करता है। परन्तु मुख्यमंत्री

के पद पर केवल उसी राजनीतिक दल के नेता को नियुक्त किया जाता है जिसको आम-चुनाव में राज्य विधान सभा में बहुमत मिला है। यदि आम-चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल कुछ हद तक मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य— १—मनीमण्डल के अध्यक्ष होने के कारण वह मनी-मण्डल का गठन करता है। मुख्यमंत्री की सम्मति पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मनीमण्डल के संगठन में मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री के समान अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वौन व्यक्ति मनीमण्डल में रहे या न रहे।

२—मनीमण्डल के अध्यक्ष के नाते, मुख्यमंत्री मनीमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मनीमण्डल के निर्णयों पर मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

३—मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मनीमण्डल के मध्य संवैधानिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद १६७ के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राज्य-शासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी मनीमण्डल के निर्णयों से अवगत कराता है। इसी प्रकार यदि राज्यपाल राज्य प्रशासन या प्रशासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी विषय पर जानकारी चाहता है तो मुख्यमंत्री का वह वर्तव्य है कि यह जानकारी उसे प्रदत्त करे।

४—मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। समस्त प्रशासन पर उसको निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। वह शासनरूपी गाड़ी का चालक है, जिसके नेतृत्व में शासन का सचालन होता है। मनीमण्डल से सबधित विभिन्न विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही है।

५—मुख्यमंत्री विधान सभा वा नेतृत्व मी करता है। विधान सभा में सर-वारी नीतियों तथा वायों की घोषणा और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री पर ही है। वह विधान सभा में किसी मंत्री द्वारा असतोपपूर्वक उत्तर दिये जाने की स्थिति में, सबधित विषय पर सदस्यों की शका को दूर करता है। वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है और उसके वक्तव्य तथा आश्वासन अन्तिम रूप से आधिकारक माने जाते हैं।

यह स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की स्थिति राज्यों में लगभग केन्द्र सरकार में प्रधान मंत्री की स्थिति के समान है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में संसदीय प्रणाली स्थापित की गई है। अत राज्य में मुख्यमंत्री की महत्ता वास्तविक शासक के रूप में है। राज्य वा पूरा प्रशासन तत्र उसी के सकेतों पर सचालित होता है। वह राज्य मनीमण्डल वा 'कृत्तान' है। अत मनीमण्डल में उसके निर्णयों का अत्यधिक महत्व होता है।

महाधिवक्ता

संविधान के अनुच्छेद १६५ के अन्तर्गत सप्त में प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्री-मण्डल की सलाहे में अनुसार, की जाती है। वेवल उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्च न्यायालय के स्थायाधीन के पद के घोष्य होता है। महाधिवक्ता का वायंकाल राज्यपाल के 'प्रसाद पर्यंत' तक रहेगा। उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता के कार्य राज्य के सम्बन्ध में लगभग ऐन्ड्रीय सरकार से संबंधित महान्यायवादी के कार्यों के समान हैं।

महाधिवक्ता राज्य सरकार को उन समस्त विषयों पर कठनूनी सम्मति देता है जो उसको व्येपित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, बान्नुन द्वारा उसके कार्यों का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में वह उन समस्त मामलों में पैरवी करता है, जिनमें राज्य एक पक्ष मैं है। राज्य की तरफ से वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय या फौजदारी मामलों में पैरवी करता है। महाधिवक्ता अपने कार्यकाल में राज्य के विशद् किसी मामले में कार्य नहीं कर सकता है। वह फौजदारी मामलों में अमियुक्त का बचाव महीं कर सकता है। महाधिवक्ता ऐसे प्रकरणों में, जिनमें उसे सरकार के पक्ष में पैरवी करना है, किसी भल्य निजी पक्ष के लिए पैरवी नहीं कर सकता है। वह किसी कम्पनी में डायरेक्टर के पद को विना सरकार की अनुमति के स्वीकृत नहीं कर सकता है। प्रायः सरकार के परिवर्तन के साथ ही महाधिवक्ता का कार्यकाल समाप्त हो जाता है क्योंकि उसकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती है।

राज्य विधान मण्डल

भारतीय संविधान के अन्तर्गत भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य के लिये व्यवस्थापन कार्यों के लिए एक विधान-मण्डल की स्थापना की गई है। साधारणतया, व्यवस्थापिका सभा के संगठन की दो पद्धतियाँ होती हैं। सर्वप्रथम, द्विसदनात्मक, पद्धति के अन्तर्गत, व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन, द्वितीय, एक सदनात्मक पद्धति में व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन होता है।

विधान-परिषद—भारतीय संघ के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक पद्धति है और अन्य राज्यों में एक सदनात्मक पद्धति वी व्यवस्था की गई है। अतएव कुछ राज्यों में विधान मण्डल का निर्माण राज्यपाल तथा दो सदनों से होता है, और कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा एक सदन द्वारा होता है। जिन राज्यों में दो सदन हैं, वहाँ उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद की सज्जा दी गई है, और निम्न सदन (प्रथम सदन) को विधान सभा कहा जाता है। आरम्भ में, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक पद्धति को अपनाया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं—बम्बई, विहार, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और मैसूर। तत्पश्चात् संविधान संशोधन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनात्मक पद्धति की स्थापना की गई—आध्रप्रदेश, विहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-काश्मीर। चार राज्यों राजस्थान केरल, आसाम, तथा उडीसा में एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद १६६ (१) के अनुसार विधान परिषद (उच्च सदन) समाप्त करने को प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके अनुसार यदि राज्य विधान सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और भत्तान करने वाले सदस्यों के द्वे बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह माँग की जाती है कि विधान परिषद को समाप्त किया जाये, या जिस राज्य में यह सदन नहीं है, उपर्युक्त आधार पर विधान सभा प्रस्ताव पारित करती है कि उक्त राज्य में प्रधान-परिषद स्थापित की जाये तो संसद कानून द्वारा राज्य विधान-सभा के प्रस्ताव के अनुसार विधान-परिषद को समाप्ति या स्थापना के लिए प्रावधान करेगी। यह स्पष्ट है कि

विधान-परिषद की स्थापना या समाप्ति मुख्यत उक्त राज्य की विधान सभा की इच्छा पर निर्भर है।

राज्य विधान-परिषद का सगठन राज्य विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या उक्त राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या की $\frac{1}{2}$ से अधिक नहीं होनी चाहिये, परन्तु इसी स्थिति में विधान-परिषद के सदस्यों की संख्या ४० से कम नहीं होनी चाहिये। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से होगा।

(क) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन एक निर्वाचन-मण्डल द्वारा होगा, जिसके सदस्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (नगरपालिका, जिला मण्डल या संसद द्वारा निर्धारित घन्य स्थानीय संस्थाएँ) के सदस्य होंगे।

(ख) एक बारह घण्टा ($\frac{1}{2}$) सदस्य राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

(ग) एक बारह घण्टा ($\frac{1}{2}$) सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्षों के अनुभव के शिक्षक करेंगे जो राज्य में कम से कम माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।

(घ) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन विधान-सभा के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

(ड) शेष सदस्यों को राज्यपाल भवोनीत करता है, जिन्होंने साहित्य, विद्यि, सहकारिता आनंदोलन तथा समाज सेवा क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव प्राप्त किया है।

कार्यकाल-राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवा निवृत होते हैं, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष का है।

सदस्य की योग्यताएँ

१—प्रत्येक सदस्य नो भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

२—कम से कम ३० वर्ष की आयु का होना चाहिये।

३—घन्य योग्यता, जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है।

कोई सदस्य राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है और न ही दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल का सदस्य हो सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की बैठकों से ६० या उससे अधिक दिनों बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त माना जायेगा।

निम्नलिखित आधारों पर किसी घटकि को विधान परिषद वी सदस्यता के अधोग्रहण ठहराया जा सकता है :—

१—यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ वे पद पर है। यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय या राज्य के मंत्रियों तथा कानून द्वारा निर्धारित किसी अन्य पद पर लागू नहीं होता है।

२—यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया है।

३—यदि वह दिवालिया है।

४—यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी अन्य राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है या वह किसी भी अन्य देश के प्रति राज्य भक्ति रखता है।

५—यदि वह किसी संसदीय कानून के अन्तर्गत अयोग्य होता है। उदाहरण स्वरूप १९५१ में संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया है जो न्यायालय द्वारा दण्डित हुए हैं, या जिनको निर्वाचन के सबध में भ्रष्ट या अवैधानिक कार्यों के लिए दोषी पाया गया।

राज्य विधान परिषद की बैठकों के लिए गण पूर्ति की संख्या उसके कुल सदस्यों का संख्या वे एवं दशांश सरया $\frac{1}{4}$ या १० होगी। (इन दोनों में से जो भी सरया अधिक होगी, वह गणपूर्ति की संख्या होगी)।

विधान परिषद का एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है, जिनका निर्वाचन विधान परिषद वे सदस्य बरते हैं इनको १४ दिन के नोटिस पर विधान परिषद बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पदच्युत बर सकती है। दोनों पदाधिकारियों को बैतन तथा भत्ते मिलते हैं और इनके कार्य लगभग सधीय राज्य सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के सदृश हैं।

विधान परिषद के कार्य तथा अधिकार

विधान परिषद के विभिन्न कार्यों तथा अधिकारों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है।

१—ध्यादस्यापन सबधी कार्य—द्वितीय सदन के नाते राज्य विधान परिषद को कानून निर्माण करने के सबध में सविधान द्वारा कुछ कार्य प्रदत्त किये गय हैं। साधारण—विधेयक (वित्त विधेयक को छोड़कर) को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है जो दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही राज्यपाल वी सहमति से कानून बन सकेगा। यदि दोनों सदनों में विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो विधान सभा द्वारा उसी सबध में या नये सत्र में विधेयक के पुन पारित होने पर राज्यपाल वी सहमति से विधेयक को कानून माना जायेगा।

यदि विदेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद के विचार-विमर्श के लिए यथा है विन्तु विधान परिषद उस पर कोई निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं बरती है तो विदेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत करने के तीन माह पश्चात् विधान सभा उसे पुनः पारित कर सकती है। तब पुनः उस विदेयक को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा विन्तु यदि विधान परिषद विदेयक को अस्वीकृत बरती है या ऐसे संशोधन बरती है जो विधान सभा को अमान्य है तो विदेयक को उस हालत में पारित माना जायेगा, जैसा कि भूलत्। विधान सभा ने पारित किया था। यदि विधान-परिषद विदेयक पर विधान सभा द्वारा छूटे वार पारित होने के पश्चात् भी काइच्छान नहीं देती तो परिषद के समक्ष विदेयक प्रस्तुत करने के एक माह पश्चात् विदेयक का दोनों द्वारा पारित माना जायेगा। अब सापारण विधयको के सबूत में विधान परिषद, विधान-सभा, इनको पारित करने के पश्चात् अधिक ने अधिक चार माह का विलम्ब कर सकती है।

२—वित्तीय कार्य—वित्तीय मामलों में विधान परिषद के अधिकार सम्बन्ध राज्य सभा के अधिकारों के नमान ही हैं। वित्त या धन विदेयक को विधान-परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। विधान सभा में पारित होने के पश्चात् वित्त-विदेयक को विधान परिषद के विचार विमर्श के लिए नेबा जाना है। विधान परिषद को अपने सुभाषों को १४ दिनों में देने चाहिये अन्यथा वित्त विदेयक बिना विधान परिषद के सुभाषों के १४ दिन के पश्चात् कर्तव्य बन जायेगा। अनुच्छेद १६६ (३) के अनुसार विधान सभा विधान परिषद के सुभाषों को अस्वीकृत कर सकती है।

३—कार्य पालिका सम्बन्धी शक्तियाँ—संसदीय प्रणाली में मत्रीमण्डल का उत्तर-दायित्व अवस्थापिका सभा के निचले सदन के प्रति होता है। यद्यपि उच्च सदन द्वारा मत्रीमण्डल की आलोचना बरते से सरकार (मत्रीमण्डल) को अपना इसीपाठ देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथापि इनका प्रभाव नगद्य नहीं हो सकता। अत. “पंचालि” (मत्रीमण्डल) के नियमण के लिए उच्च सदन में प्रभासन के सम्बन्ध न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विधान परिषद में सदस्य सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहुम कर, सरकार का मार्ग दर्जन कर सकते हैं, क्योंकि यह समवृ है कि विधान सभा में मत्रीमण्डल ने अपने बहुमत के आधार पर जलदवाजी में विस्तीर्ण विदेयक को पारित करवा दिया हो जो नुटिपूर्ण है। चूंकि निम्न सदन के सदस्यों को तुनना में विधान परिषद के सदस्य अधिक परिषेव तथा अनुभवी होते हैं, अब: यह स्वानाविक है कि बहुम का स्तर यहीं पर ऊंचा होता है। इस प्रकार विधान परिषद अन्यथा रूप से कार्यपालिका को अपने परिषेवता-तथा अनुभव के आधार पर प्रभावित कर सकती है।

राज्य विधान सभा

राज्य विधान मण्डल का निम्न सदन विधान सभा है। यह राज्यों में जनता का प्रतिनिधि सदन है। इस दृष्टि से यह सधीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के समान हैं।

संगठन——राज्य विधान सभा के सदस्यों की सख्ता सबधित राज्य वी जनसख्ता के सदर्भ में ५०० से अधिक तथा ६० से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक जनगणना के पश्चात्, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के सदस्यों की सख्ता को और राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पुर्णतिधारित किया जाता है। अधिकतर निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्य हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होता है। सदस्यों वा निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पद्धति के अनुसार होता है। सविधान द्वारा अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद ३३२ के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उनकी जनसख्ता के अनुपात में प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। असम की विधान सभा में स्वायत्त आदिम जिलों के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। विसी भी राज्य का राज्यपाल विधान सभा में आगल भारतीय सभाज के प्रतिनिधियों को मनोनीत वर सकता है, यदि उसके विचार में इस सभाज को विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आगल भारतीय प्रतिनिधियों के लिए विधान सभा में स्थान सुरक्षित वरने के सबैधानिक प्रावधान सविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के लिए ये किन्तु सविधान में आठवें संशोधन (संशोधन अधिनियम १९५६) द्वारा इसमें दस वर्ष की वृद्धि की गई है।

विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की सख्ता निम्नानुसार है :—

- १—झान्धा प्रदेश—२८७;
- २—असम—१२६,
- ३—बिहार—३१८;
- ४—गुजरात—१६८,
- ५—हरियाणा—८१;
- ६—जमू-कश्मीर—७५;
- ७—केरल—१३३;
- ८—मध्यप्रदेश—२६६;
- ९—मद्रास—२३४;
- १०—महाराष्ट्र—२७०;

- ११—मैसूर-२१६;
- १२—उडीसा-१४०;
- १३—पंजाब-१०४,
- १४—राजस्थान-१८४;
- १५—उत्तरप्रदेश-४२५;
- १६—पश्चिम बंगाल-२८०,
- १७—दिल्ली-५६;
- १८—हिमाचल प्रदेश-६०;
- १९—मणिपुर-३०;
- २०—विपुरा-३०;

कार्यकाल—सामान्यतः राज्य विधान सभा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। जब देश में सकटकालीन स्थिति घोषित हो चुकी है तब विधान सभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए कितनी भी बार संसद के कानून द्वारा बढ़ाया जा सकता है। परन्तु सकटकालीन उद्योगण के समाप्त होने पर किसी भी स्थिति में विधान सभा का कार्यकाल ६ माह से अधिक समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि विधान सभा में भवीमण्डल को बहुमत का समर्थन समाप्त हो जाता है, तथा अन्य वोई राजनीतिक दल वैकल्पिक सरकार निर्माण करने में असमर्थ हैं तो विधान सभा को पांच वर्ष पूर्व भी राज्यपाल द्वारा भग दिया जा सकता है।

विधान सभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं वे निम्नलिखित हैं।—

(१) वह भारत का नागरिक हो।

(२) उसकी आयु कम से कम २५ वर्ष की हो।

(३) संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो।

अनुच्छेद १७२ के अनुसार कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, और न दो या दो से अधिक राज्य विधान मण्डलों का सदस्य हो सकता है।

निम्नलिखित कारणों के आधार पर कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता:—

१—यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है।

२—यदि वह भ्यायालय द्वारा पांगल घोषित कर दिया गया है।

३—यदि वह दीवालिया है।

४—यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लिया है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या भक्षण रखता है।

५—यदि सप्तद के किसी कानून के अन्तर्गत अयोग्य है।

राज्य विभान समा का निर्वाचन वयस्व मताधिकार के सिद्धान्त पर सम्पन्न होता है। प्रथम् प्रत्येक नागरिक जो जिसकी आयु २१ वर्ष से कम नहीं है, मतदान का अधिकार है। यदि वह उस क्षेत्र का निवासी है, पागल नहीं है, और जिसको ध्रष्ट या अवैधानिक कार्य के लिए दण्डित न किया गया है।

विधान समा के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं—(अ) अध्यक्ष(स्पीकर), (ब) उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर)। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का निर्वाचन विधान समा द्वारा होता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करने का अधिकार विधान-समा को है। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए १४ दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि विधान समा वहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत माना जायेगा। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की सदस्यता छोड़ देता है तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य किये जायेंगे। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रित्त हैं तो राज्यपाल अस्थाई रूप से विधान समा के किसी भी सदस्य को उस पद पर नियुक्त करेगा। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों सदन की बैठक से अनुपस्थित हैं तो सदन के नियमों के अनुसार, वार्यवाहक अध्यक्ष सदन की कार्यवाही सचालित करेगा। सदन की जिस बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदच्युत करने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, तथापि उसे सदन में उपस्थित रहने, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने तथा प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधान मण्डल द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत वेतन तथा मत्ते मिलते हैं। ये वेतन तथा मत्ते राज्य की सचित निधि में से दिये जाते हैं। राज्य विधान समा के अध्यक्ष तथा कार्यों की स्थिति लोकसभा के अध्यक्ष के सदृश है। लोकसभा के अध्यक्ष के समान विधान समा के अध्यक्ष को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना आवश्यक है।

विधान समा के अध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य हैं।

१—वह सदन की अध्यक्षता करता है।

२—सदन में प्रश्नों तथा प्रस्तावों के रखने के लिए उसकी अनुमति आवश्यक है।

३—अध्यक्ष द्वारा ही सदन की कार्यवाहियों के लिए समय निर्धारित किया जाता है।

४—अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाहियों का क्रम तथा आपणों के लिए समयावधि निर्धारित करता है।

५—वह सदन में शान्ति, अवस्था तथा अनुशासन बनाये रखता है और किसी सदस्य को सदन के नियमों के उल्लंघन करने पर उसे निष्पारित कर

सकता है। सदन में गमीर अशान्ति की स्थिति में अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है।

६—अध्यक्ष सदन की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों द्वारा सूची लेयर करता है। वह सदन की प्रवार एवं अन्य समितियों के लिए अध्यक्ष मनोनीत करता है।

७—सदन के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार अध्यक्ष को ही है। उसके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती।

८—विसी विधेयक के सबध में कि वह विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण विधेयक है अध्यक्ष का नियंत्रण है।

संक्षेप में, विधान सभा का अध्यक्ष सदस्यों के अधिकारों का सरकार है। नि सदेह अध्यक्ष की यह भूमिका इस पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष है या नहीं। अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का उत्तर-दायित्व कुछ मात्रा में स्वयं अध्यक्ष का है, और कुछ मात्रा में सदन के सदस्यों पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में, जहाँ तक अध्यक्ष की भूमिका का प्रश्न है, भारत के कई राज्यों में अध्यक्षों ने पद की प्रतिष्ठा को अपने अंजीब कार्यों से गहरा अन्तर पहुँचाया। यहाँ हाल ही के दो उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(१) दिसम्बर १९६७, में राज्यपाल थी धर्मवीर ने मुख्यमंत्री श्री अजय मुकर्जी के मंत्री मण्डल को बखास्त कर दिया क्योंकि श्री मुकर्जी ने विधान सभा की बैठक को बुलाने में और यह जात करने में कि बास्तव में उनके मंत्रीमण्डल को विधान सभा न बहुमत प्राप्त या या नहीं, हिचकिचाहट दिखाई। अतएव श्री धर्मवीर को यह लगा कि श्री मुकर्जी की सरकार को विधान सभा का समर्थन प्राप्त नहीं था। श्री मुकर्जी मंत्री मण्डल को बखास्त कर उन्होंने श्री पी० सी० धोय को मुख्य मंत्री नियुक्त किया। तत्पश्चात् जब विधान सभा की बैठक आमंत्रित की गई विधान सभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चट्टर्जी ने, जिनकी राय में श्री पी० सी० धोय के मंत्री मण्डल का निर्माण अवैधानिक था, विधान सभा को अपनी इच्छानुसार स्थगित कर दिया। यह विदित रहे कि विधान सभा के अध्यक्ष का कार्य सदन की कार्यवाही का सचालन करना है न कि सदन की बैठक को अवैधानिक रूप से स्थगित करना है।

२—दूसरे मामले में पंजाब की विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा का अवस्थात् स्थगित कर दिया, जिसके फलस्वरूप विधान सभा द्वारा वार्षिक आय व्ययक पारित नहीं किया जा सका। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल ने अध्यादेश द्वारा विधान सभा की बैठक आमंत्रित कर आय-व्ययक पारित करवाया। उस अवसर पर विधान सभा को पुलिय का सरकाण दिया गया था।

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कतिपय भामलों में स्वयं अध्यक्षों ने पद की प्रतिष्ठा पर अपने अवैधानिक कार्यों द्वारा आधार पहुँचाया है। इसके

विपरीत वर्ई राज्यों की विधान सभाओं में कुछ सदस्यों ने अपने अमंद व्यवहार से अध्यक्ष पद का अनादर किया है। उदाहरण स्वरूप १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान सभा में विधान सभा मार्शल को अध्यक्ष के आदेशानुसार सशस्त्र पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी कि समाजवादी दल के नेता तथा सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा उनकी सदन के बाहर जाने के आदेश का उल्लंघन किया। इसी प्रकार सितम्बर १९५६ में परिचम वगाल की विधान सभा में स्थिति ने यह रूप लिया कि कांग्रेस दल तथा विरोधी दल (साम्यवादी दल) के सदस्यों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर जूते फेंके। अबनि-प्रसारण यत्र मत्री मण्डल के सदस्यों की ओर फेंके गये। इसके अतिरिक्त, दो सदस्यों ने एक दूसरे को चूनीती देवर आपस में हाथा पाई थी। अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए तथा संसदीय पद्धति को सशक्त करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का यह उत्तरदायित्व है कि विधान सभा में अपने आचरण को संसदीय पद्धति के अनुकूल ढालें।

राज्य विधान सभा के अधिकार—राज्य विधान सभा के विभिन्न कार्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

१—व्यवस्थापन संघी कार्य,

२—वित्तीय कार्य,

३—कायंपालिका तथा प्रशासन का नियन्त्रण तथा,

४—राष्ट्रपति के निर्वाचन संघी कार्य।

१—व्यवस्थापन संघी कार्य—राज्य विधान सभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है। राज्य विधान सभा को राज्य मूची में उल्लिखित विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधान सभा को समवर्ती मूची में उल्लिखित विषयों पर भी वानून बनाने का अधिकार है। वस्तु स्थिति यह है कि संघीय संसद व राज्य विधान मण्डलों को समवर्ती मूची में उल्लिखित विषयों पर वानून निर्माण करने का अधिकार है। बिन्तु इस मूची में उल्लिखित विभी विषय पर किसी राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित वानून का संघीय उसी विषय पर निर्मित संघीय वानून से है, तो अनुच्छेद २५४ के अनुसार संघीय वानून ही वैध माना जायेगा और जिस हृद तक राज्य वानून का संघीय संघीय वानून से है, उस हृद तक उससे अवैध माना जावेगा। तथापि यदि राज्य विधान सभा द्वारा पारित वानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा गया था और राष्ट्रपति न उसे अपनी सहमति प्रदत्त कर दी है तो राज्य वानून वैध होगा।

संविधान द्वारा राज्य विधान मण्डलों पर विधि निर्माण के संबंध में निम्न-नियति सीमाएँ लगायी गई हैं।

(क) कतिपय कानून जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये गये हैं, जिना राष्ट्रपति की अनुमति के बैंध नहीं माने जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद ३० के अनुसार सम्मति अधिवेशन करने के लिए कानून अनुच्छेद २५४ के अनुसार समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय पर पारित कानून जिनका सघर्ष, ससद द्वारा उसी विषय पर पारित, किसी कानून से है। अनुच्छेद २५६ के अनुसार ऐसे राज्य कानून जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति के इष्य-विष्य पर कर सागू विद्या गया है, जो ससद ने कानून द्वारा सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक निर्धारित भी है।

(ख) कतिपय विधेयक राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन में जिना राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति के प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, अनुच्छेद ३०४ (बी) के अनुसार ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य सार्वजनिक हित में राज्य के अन्दर या बाहर व्यापार वाणिज्य या लेन-देन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना है।

(ग) साधारणतया भारतीय संविधान में सघवाद के सिद्धान्त को अपनाने के फलस्वरूप राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर केवल राज्य विधान मण्डल ही विधि निर्माण कर सकते हैं। किन्तु संविधान में उसके कतिपय अपवाद भी हैं, जिसके अन्तर्गत सध ससद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं—

(१) अनुच्छेद २४६ के अनुसार यदि ससद का उच्च सदन (राज्य समा) दो लिहाई बहुमत के आधार पर मह प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर ससद को कानून बनाने वा अधिकार होगा।

(२) यदि देश में सकटकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति ने की है तो अनुच्छेद २५० के अनुसार ससद राज्य सूची में घणित किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है।

(३) यदि सध के किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद २५६ के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल वो स्थगित कर उसकी शक्तियाँ ससद में निहित कर सकता है।

राज्य विधान समा में साधारण तथा घन विधेयक दोनों प्रस्तुत विये जा सकते हैं। प्रस्तुत व्यवस्थापन सबधी शक्तियाँ विधान समा में ही निहित हैं। क्योंकि यदि एक विधेयक विधान समा द्वारा पारित हो जाना है परन्तु विधान परिषद (यदि राज्य में विधान परिषद है) उसका विरोध करती है तो विधान

सभा के उसी या नये सत्र में विधेयक को पुनः पारित करने से तथा राज्यपाल भी सहमति के पश्चात् विधेयक वो बानून का रूप प्राप्त हो जायेगा। यदि किसी विधेयक वो राज्य सभा द्वारा पारित कर विधान परिषद के विचार-विमर्श के लिए भेजा गया है और विधान परिषद उस पर वोई निर्णयात्मक वार्यवाही नहीं बरती है तो विधान सभा उस विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत बरने भी तिथि के तीन माह पश्चात् पुन पारित कर सकती है। तत्पश्चात् विधेयक को विधान परिषद वे समझ प्रस्तुत किया जायेगा, विन्तु यदि विधान परिषद विधेयक वो अस्वीकृत बरती है या ऐसे संशोधन प्रस्तुत बरती है जो विधान सभा को अमान्य है, तो विधेयक वो उसी स्थिति में पारित माना जायेगा, जिस स्थिति में मूलत उसे विधान सभा ने पारित किया था। यदि विधान-परिषद विधेयक पर, विधान सभा द्वारा पुन पारित किये जाने के पश्चात् भी ध्यान नहीं देती है, तो विधान परिषद के समझ विधेयक प्रस्तुत बरने की तिथि से एवं माह पश्चात्, विधेयक वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जायेगा।

२—वित्तीय शक्तियाँ—विधान सभा को राज्य की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। वित्त विधेयकों वो केवल विधान सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि दिसी राज्य में विधान परिषद (उच्च सदन) भी है तो वित्त-विधेयक विधान सभा में पारित होने के पश्चात् विधान परिषद के समझ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। परन्तु विधान-परिषद के वित्त विधेयक के प्राप्त होने के छोदह दिनों में, उसको प्राप्त विधेयक पर विचार कर विधान सभा को वापिस भेजना होगा। यदि इस समयावधि में विधेयक वो विधान परिषद वापस नहीं करती है या विधेयक पर जो आपत्तियाँ उठाती हैं, वे विधान सभा को भान्य नहीं हैं तो विधेयक वो दोनों सदनों द्वारा पारित माने लिया जावेगा।

प्रत्येक द्वितीय वर्ष के आरम्भ में वार्षिक आय-व्ययक को विधान सभा के समझ प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के समस्त प्रस्तावों का विधान सभा के समझ रखना आवश्यक है परन्तु जिस व्यय को राज्य की वार्षिक आय पर दिखाया गया है उस पर पर वेवल विचार विमर्श हो सकता है, परन्तु मतदान नहीं किया जा सकता है। अन्य व्यय सबधी प्रस्ताव विधान सभा वे समझ अनुदान मांगो के रूपों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अनुदान सबधी मांगो पर मतदान करने का अधिकार वेवल विधान सभा को ही है। विधान सभा अनुदान की राशि को अस्वीकृत या बमकर सकती है, विन्तु इसमें वृद्धि नहीं कर सकती। संविधान के अनुसार दिसी भी राज्य में बिना विधान सभा की अनुमति के कोई कर लागू नहीं किया जा सकता है। अतएव राज्य के वित्त पा धन सबधी व्यवस्था पर राज्य विधान सभा का पूर्ण नियन्त्रण है।

(३) कार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियन्त्रण—भारतीय संघीय सरकार की भाँति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली लागू की गई है। दोनों स्तर पर कार्यपालिका तथा प्रशासन को व्यवस्थापिका (निम्नसदन) के प्रति उत्तरदायी माना गया है। राज्यों में कार्यपालिकाएँ (मन्त्रीमण्डल) अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। संसदीय पद्धति की एक विशेषता यह है कि कार्यपालिका (मन्त्रीमण्डल) के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी होते हैं, इस कारण, व्यवस्थापिका कार्यपालिका को, विभिन्न साधनों द्वारा सख्तता पूर्वक तथा प्रभावशाली रूप से नियन्त्रण में रख सकती है।

प्रायः विन साधनों द्वारा विधान सभा कार्यपालिका को अपने नियन्त्रण में रखती है, वे प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन, प्रस्ताव, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन अविश्वास प्रस्ताव के रूप में हैं। सक्षेप में राज्य विधान सभा कार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियन्त्रण रखकर, उसे स्वत्व तथा सक्षम बनाने में सहायक है।

राज्य विधान मण्डल के कार्यों वा अध्ययन करते हुए, यहीं उपयुक्त होगा कि राज्यों में विधि निर्माण का भी अध्ययन किया जाये। विधि-निर्माण-कार्य दो प्रकार के विधेयकों से संबंधित हैं। साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक।

(१) साधारण विधेयक—साधारण विधेयकों को विधान मण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक के विधि के रूप में पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में तीन चरणों से निकलना होता है। इन तीन चरणों को सदन द्वारा विधेयक को तीन बाचनों के रूप में देखा जा सकता है।

विधेयक का प्रथम बाचन तब होता है, जबकि सदन में उसे प्रवृत्त किया जाता है। विधेयक का सदन में प्रवृत्त करना एक औपचारिक कार्य है। जो सदस्य विधेयक को सदन में प्रवर्तन करता है, वह एक संवित्त भाषण देता है। परम्परानुसार इस विधेयक पर कोई वहस नहीं होनी है। यदि सदन विधेयक को प्रवृत्त करने के लिए स्थीरता प्रदत्त करता है तो जो सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है, वह कहता है 'महोदय।' मैं विधेयक प्रवृत्त कर रहा हूँ।' यदि सदन में विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो सदन का अव्यक्त विधेयक को प्रवृत्त करने वाले सदस्य को विधेयक पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करता है। इसके साथ ही विरोधी सदस्य भी अपना वक्तव्य दे सकते हैं। सदन की अनुमति के पश्चात् विधेयक को प्रवृत्त माना जायेगा। विधेयक के प्रवृत्त होने के पश्चात् उसको गजट

राज्य विधान भण्डल

में प्रकाशित किया जाता है। गजट में विधेयक के प्रकाशित होने पर विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है।

द्वितीय वाचन में विधेयक पर दो प्रकार से विचार विमर्श किया जाता है। सर्वप्रथम, विधेयक पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। यहाँ पर जिस सदस्य ने विधेयक का प्रवर्तन किया है, वह निम्नलिखित विसी एवं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है।

(क) विधेयक पर तुरन्त या भविष्य में किसी तिथि से विचार-विमर्श आरम्भ किया जाये।

(ख) विधेयक को सदन की प्रवर्त समिति के समक्ष रखा जाये।

(ग) यदि राज्य में दो सदन हैं तो विधेयक को सदन की संयुक्त समिति के समक्ष रखा जाये, या।

(घ) विधेयक को जनमत ज्ञात करने के लिए प्रसारित किया जाये। इस चरण में विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, तथा विधेयक सबधी आवश्यक जानकारी सदन को देता है। वहस विधेयक के सिद्धान्तों तक ही सीमित रहती है। इस स्तर पर विधेयक में कोई संशोधन नहीं हो सकेगा।

द्वितीय, विधेयक पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है। अर्थात् विधेयक के विभिन्न खण्डों, भागों, अनुसूचियों, तथा संशोधनों पर एक-एक कर विचार विमर्श किया जायेगा। विधेयक को सदन की प्रवर्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रवर्त समिति के प्राय १० से १५ तक सदस्य होते हैं। सदन के अध्यक्ष द्वारा समिति वे अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। प्रवर्त समिति का कार्य विधेयक के विभिन्न खण्डों, तथा भागों का गहराई से परीक्षण करना है। इस सम्बद्ध में समिति आवश्यक कागजात तथा साध्य प्राप्त कर सकती है। समिति उन व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को भी आमतित कर सकती है जिनके हित विधेयक से संबंधित हैं, अन्त में समिति का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् सदन में विधेयक का तृतीय वाचन आरम्भ होगा।

तृतीय वाचन—यह विधेयक का अन्तिम चरण कहलाता है। इस स्थिति में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि विधेयक को पारित किया जाये। साधारणात्या, इस चरण में कोई संशोधन प्रस्तावित या प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। वहस इसी विषय पर सीमित रहती है कि विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाये। जब विधेयक सदन द्वारा पारित हो जाता है, तो उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, यदि राज्य में दूसरा सदन है। उसमें विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया पहले सदन की प्रक्रिया के समान ही होगी। दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के पश्चात्,

उसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने पर विधेयक को सरकारी गजट में राज्य विधान मण्डल के कानून के रूप में प्रकाशित किया जाता है। जिन विशेष विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, वे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर ही कानून बन सकेंगे।

(२) वित्त विधेयक—वित्त विधेयक के बल राज्य विधान मण्डल के निचले सदन में ही प्रवृत्त किये जा सकते हैं, अर्थात् वित्त विधेयक वो विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। किसी प्रश्न के सबब में कि विधेयक वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय हो अन्तिम माना जायेगा। वित्त-विधेयक को विधान सभा में राज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष राज्यपाल राज्य विधान सभा के समक्ष वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत करवायेगा। वार्षिक आय व्ययक (बजट) में, स्पष्ट रूप से सचित निधि में से व्यय की जाने वाली राशि का तथा अन्य व्यय का उल्लेख किया जाना चाहिये। अनुच्छेद २०२ (३) के अनुसार निम्नलिखित व्यवसंचित विधि में उल्लेखित है :—

१—राज्यपाल के वेतन तथा भर्ते तथा उसके पद से सबधित अन्य व्यय।

२—राज्य विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भर्ते।

३—राज्य पर भारित ऋण तथा उसका ब्याज, निष्ठेप निधि व्यय।

४—उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भर्ते।

५—वह घन राशि जो किसी न्यायालय या विवाचन अधिकरण के निर्णय या फिरी के अन्तर्गत देना है।

६—अन्य कोई व्यय जो सविधान या राज्य सविधान मण्डल द्वारा इस निधि में समावेशित व्यय घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त सविधान द्वारा निम्न लिखित व्यय राज्य सचित निधि में से किये जायेंगे।

१—अनुच्छेद २२६ (३) के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रशासकीय व्यय जिसमें उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भर्ते एवं सेवा-निवृति भी सम्मिलित हैं।

२—अनुच्छेद ३२२ के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये व्यय सबधित घन राशि जिसमें आयोग के कर्मचारियों के वेतन, भर्ते और सेवा-वृति भी शामिल हैं।

यद्यपि राज्य की सचित निधि में उल्लिखित व्यय पर राज्य विधान मण्डल में भर्तान नहीं किया जा सकता है; परन्तु राज्य विधान सभा में सचित निधि में

राज्य विधान मण्डल

उल्लिखित व्यय के अनुमानों पर बहस की जा सकती है। अन्य व्यय को विधान सभा में अनुदान की माँगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा को अनुदान की माँगों पर विधार विमण तरने और इनको स्वीकृत या अस्वीकृत या घम करने का अधिकार है। तथापि विधान सभा को नये अनुदान के प्रस्ताव चरने का या अनुदान की माँगों में वृद्धि करने का अधिकार नहीं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राज्य विधान सभा में वित्त मंत्री वापिस आय व्यवक्त्र प्रस्तुत करता है। कुछ दिनों तक इस पर घटना जीती है। विधान सभा के सदस्यों को इस समय सरकार की नीतियों के परीक्षण करने का अवसर मी प्राप्त होता है।

तत्पश्चात् अनुदानों की माग पर मतदान किया जाता है। प्रत्येक विभाग के लिए सदपित मंत्री द्वारा पृथक अनुदान की माँग की जाती है। यह स्थानावित है कि यह एक ऐसा अवसर है जब विधान सभा के सदस्य विभाग की नीतियों तथा वार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। कोई भी सदस्य अनुदान की माँग को घम या अस्वीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

अनुदान की मामों पर मतदान होने के पश्चात् राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत माँगों तथा सचित निधि में निहित व्यय के आधार पर वापिस विनियोग विधेयक बनाया जाता है। इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक में विसी राशि को घम करने या अनुदान के उद्देश्य में परिवर्तन करने का कोई सशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक को बानून निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से सफलता पूर्वक निवलने पर विधान सभा द्वारा पारित माना जायेगा और यदि उक्त राज्य में विधान परिषद (उच्च सदन) है तो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक को वित्त विधेयक प्रमाणित करके विधान परिषद के विचार के लिए भेज दिया जायेगा।

अन्त में विधान सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया जाता है। वित्त विधेयक पारित करने का उद्देश्य राज्य की आय के उन साधनों को निर्धारित करना है, जिनके द्वारा आगामी वर्ष के व्यय के लिए प्रावधान किया जा सके।

राज्य-न्यायपालिका

भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य में संविधान के भन्नर्गत एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के अन्तर्गत संसद को यह भी अधिकार है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे। राज्य की न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय का स्थान शिखर पर है।

उच्च न्यायालय का संगठन—प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी स्वता राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा निर्धारित करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा सबधित राज्य के राज्यपाल के परामर्शनुसार करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्शनुसार करता है।

संविधान संशोधन अधिनियम १९५६ द्वारा राष्ट्रपति को भव्यायी, अतिरिक्त तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दो वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं की जा सकती है। इसी स्थायी न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, पा जब वह न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है।

न्यायाधीशों की घोष्यताएँ—१—भारत का उसे नागरिक होना चाहिये।

२—भारत में किसी न्यायाधिक पद पर कम से कम दस वर्ष तक रहा हो या उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से नम दस वर्ष तक वकालत करने का अनुमत हो।

कार्यकाल—मूलत संविधान में यह प्रावधान था कि एक न्यायाधीश अपने पद पर ६० वर्ष तक रहेगा। परन्तु संविधान के पन्द्रहवें संशोधन (संविधान संशोधन अधिनियम १९६३) द्वारा इस आयु में बढ़िया बढ़िया हो गयी है। यदि संसद दो तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके दुरोचार या अक्षमता के कारण प्रस्ताव करती है तो

राष्ट्रपति उन्न न्यायाधीश को पदच्युत करेगा। वोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर पदन्याग सकता है।

न्यायाधीशों के बेतन—उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चार हजार रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को तीन हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह बेतन दिया जाता है। ससद विधि द्वारा न्यायाधीशों के भर्ते छुट्टियाँ तथा सेवा-वृत्ति सबधी नियम निर्धारित करती हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके बेतन, भर्ते आदि में कटीनी नहीं की जा सकती है। इनके बेतन भर्तों का व्यय राज्य-सचित नियम में से होने के कारण न्यायाधीश स्वतन्त्रा पूर्वक अपने कार्य कर सकते हैं, क्योंकि विधान सभा में सचित नियम में उल्लिखित विषयों पर मतदान नहीं हो सकता है। अतएव ससद तथा राज्य विधान सभा न्यायाधीशों के बेतन में बड़ी नहीं कर सकती है। तथापि, वित्तीय स्फुट काल की स्थिति में न्यायाधीशों के बेतन में कटीनी की जा सकती है।

न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता—उत्तम न्यायिक प्रशासन के लिए यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीश अपने कार्यों को स्वतन्त्रता पूर्वक कर सकें।

संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए वई आवश्यान दिये गये हैं। वे निम्नलिखित हैं।

सर्वप्रथम, नियुक्ति वो दृष्टि से न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशित के परामर्श पर करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा करता है।

द्वितीय, कार्यकाल की दृष्टि से न्यायाधीशों को संविधान के अनुसार ६२ वर्ष वी आयु तक अपने पद पर रहने का अधिकार है। संविधान में स्पष्ट रूप से दो कारणों का उल्लेख है, जिनके आधार पर ही किसी न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। इन कारणों के आधार पर राष्ट्रपति अपने आदेशों द्वारा किसी न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है किन्तु राष्ट्रपति का आदेश ससद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर आधारित होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि न तो राष्ट्रपति को और न ही ससद को किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने का एकाधिकार है।

तृतीय, न्यायाधीशों के बेतन संविधान द्वारा निर्धारित है, और इनका व्यय राज्य-सचित नियम पर भारित है। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों के भर्ते तथा छुट्टियों और सेवा-वृत्ति सबधी अधिकार संसदीय कानून द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, और उनके कार्यकाल में उनकी हानि की दृष्टि से इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

चतुर्वेद, राज्य उच्चन्यायालय के प्रशासकीय व्यव भी राज्य सचित-निधि पर भारित हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के भाषार पर यह कहा जा सकता है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वसंबंध हैं।

उच्च न्यायालयों के कार्य तथा क्षेत्राधिकार

साधारण एवं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सदृशित राज्य तक सीमित है। परन्तु संविधान के सातवें संशोधन से (संशोधन अधिनियम १९५६) दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था दी जा सकती है और इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सदृशित संघीय भू मांग में लागू किया जा सकता है। १९५६ के संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अण्डमान-निकोबार द्वीपों के संघ में, केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संकरीकृत, मिनीक्राय तथा अमीन दीपों द्वीपों के संघ में तथा पजाब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को दिल्ली के संघ में लागू किया गया। १९६० में दिल्ली के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उच्च न्यायालयों के दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं।

१—प्रारम्भिक तथा २—अपोलीय।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—(क) उच्च न्यायालयों को केवल निम्नलिखित विधी के संघ में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।

१—बल सेना विभाग (एडमिरलटी)

२—वसीयत,

३—विवाह संवधी,

४—न्यायालय अपमान तथा,

५—कम्पनी-कानून।

(ख) परन्तु कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्रों में दीवानी तथा फौजदारी मामलों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद २२५ के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वैसा ही होगा, जैसा कि १९५० में संविधान लागू होने के पूर्व था। संविधान लागू होने के पूर्व कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक तथा अपरीसीय क्षेत्राधिकार, दोनों प्राप्त थे।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार इन न्यायालयों को निम्नलिखित मामलों में प्राप्त था—

(१) ऐसे दीवानी मुकदमे इनमें प्रारम्भ किये जा सकते थे जिनका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक होता था।

(२) ऐसे फौजदारी मुकदमें जो प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटों द्वारा मेजे जाते थे, इनके द्वारा सुने जा सकते थे। भारतीय संविधान के अन्तर्गत इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतएव इन तीन उच्च न्यायालयों को उपर्युक्त मामलों में प्रारम्भिक अधिकार प्राप्त है।

(ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद २२५ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को राजस्व तथा उसकी बस्ती से सबधित प्रकरणों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में सुनने का अधिकार भी दिया गया है।

(घ) संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों के मूल अधिकारों के सरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश या लेख लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। विभिन्न लेख इस प्रकार के हैं—(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (२) परमादेश, (३) प्रतिषेध, (४) उत्प्रेषण, (५) अधिकार-पृच्छा।

५. उच्च न्यायालय द्वारा ये लेख अपने क्षेत्राधिकार से सबधित राज्य में किसी भी व्यक्ति, सत्ता या सरकार के विरुद्ध जारी किये जा सकते हैं।

श्रीलीय क्षेत्राधिकार— श्रीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा मालगुजारी मुकदमों पर निम्न थेणी के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील में स्वीकार करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आयकर, विक्रीकर, आदि प्रकरणों के लिए स्थापित न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों को अपील की जा सकती है।

संविधान के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों को अन्य भी कुछ कार्य सौंपे गये हैं जो निम्नलिखित हैं।

अनुच्छेद २२७ के अनुसार अधीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों का (संनिक-न्यायाधिकरणों को छोड़कर) अधीक्षण (निरीक्षण), करने का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है।

१—उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय के कार्यों का विवरण उससे मांग सकता है।

२—उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय की कार्य प्रणाली को निर्धारित करने के लिए नियम बना सकता है।

३—उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के भमिलेखों तथा कागजातों के रखने के लिए आदेश दे सकता है।

४—उच्च न्यायालय किमी प्रबंरण को एक न्यायालय से हूसरे न्यायालय को विचार या निर्णय के लिए मेज सवता है।

५—उच्च न्यायालय अपने धर्मीन न्यायालय मेरिफ, लिपिक तथा आय अधिकारियों तथा बड़ी और अमिमापत्रों के शुल्क निश्चित कर सकता है।

अनुच्छेद २२८ के अनुसार यदि उच्च न्यायालय को निश्चय हो जाता है कि किसी निम्न धर्मी के न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रबंरण है जिसमे सविधान की व्याख्या के लिए कोई वानूनी प्रश्न निहित है तो वह स्वयं उस प्रबंरण पर विचार करके निर्णय दे सकता है, या उक्त वानूनी प्रश्न पर निर्णय देकर अपने निर्णय की एक प्रति धर्मीनस्थ न्यायालय को मेजेगा। ऐसी स्थिति मे धर्मीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही देगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समान प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय भी एक अमिलेख न्यायालय है। एक अमिलेख न्यायालय के नाते उच्च न्यायालय के अमिलेख अन्य न्यायालयों के समान साइय के रूप म प्रस्तुत किया जा सकते हैं। किसी न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर उच्च न्यायालय के अमिलेखों की वंघानिकता पर सदैह नहीं व्यक्त किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा अधिकृत कोई आय न्यायाधीश करता है। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश ही करता है। परन्तु इनके बेतन भर्ते, घटकाश तथा सेवा वृत्ति के सवध मे नियमों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।

सविधान के अनुच्छेद २३५ के अनुसार जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय मे निहित है।

अनुच्छेद २१६ के अनुसार न्यायिक पदों को दो धर्मीयों म रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं (1)—उच्च धर्मी मे जो पद रखे गये है, वे इस प्रकार हैं—जिला न्यायाधीश, सत्रन्यायाधीश, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, सहायक जिला तथा सत्रन्यायाधीश, सपुत्राद न्यायालय के न्यायाधीश एव मुख्य प्रेसीडेन्सी न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट)। इस धर्मी के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सवित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। इस धर्मी मे उल्लिखित किसी पद पर नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसको कम से कम सात वर्ष बकालत का अनुभव हो तथा उसका नाम नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(1) निम्न धर्मी मे जो पद रखे गये है, वे समस्त न्यायिक पद जो जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, सहायक न्याया-

धीश, तथा सत्र न्यायाधीश, समूवाद न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य प्रेसीडेन्सी न्यायाधीश के पदों से निम्न स्तर के हैं। इस दूसरी श्रेणी में न्यायिक पदों पर नियुक्ति राज्यपाल राज्य सोक सेवा आयोग तथा सबधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर करता है।

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय

राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन तीन प्रकार के न्यायालय हैं। वे इस प्रकार हैं —

१—फौजदारी न्यायालय २—दीवानी न्यायालय, तथा ३—मालगुजारी न्यायालय।

१—फौजदारी न्यायालय—प्रत्येक जिले में उच्च श्रेणी का फौजदारी न्यायालय सत्र (सेशन्स) न्यायालय है। इस न्यायालय के न्यायाधीश को सत्र-न्यायाधीश कहते हैं। सत्र-न्यायाधीश की सहायता के लिए सहायक सत्र-न्यायाधीश होते हैं। सत्र-न्यायाधीश के अधीन तीन प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक का कारावास और एक हजार रुपये वा दण्ड दे सकता है। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट छ. माह का कारावास और तीन सौ रुपये का दण्ड दे सकता है, और तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट एक माह का कारावास तथा पचास रुपये का दण्ड दे सकता है। सत्र-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विषद घोषील सुनता है। सत्र-न्यायाधीश को मूल्य दण्ड भर्धिकार है, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा मूल्य दण्ड वा अनुमोदन होना आवश्यक है।

२—दीवानी न्यायालय—प्रत्येक जिले में उच्च श्रेणी का दीवानी न्यायालय, जिला न्यायाधीश का न्यायालय (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) होता है। वस्तुस्थिति यह है कि एक ही व्यक्ति सत्र (सेशन्स) न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश का पद ग्रहण किये रहता है। फौजदारी प्रकरणों को सुनते समय वह सत्र-न्यायाधीश कहलाता है। परन्तु जब दीवानी प्रकरणों को सुनता है तब उसे जिला-न्यायाधीश कहा जाता है। जिला-न्यायाधीश के न्यायालय को दीवानी मामलों में प्रारम्भिक तथा शपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। और विशेष कानूनों के सबध में, जैसे— उत्तराधिकार कानून, भूमिमालक और प्रतिपाल्य कानून, विवाह-विच्छेद कानून तथा प्रान्तीय दिवालिया कानून के सन्दर्भ में इसे विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिला न्यायालय को दीवानी मामलों में क्षेत्राधिकार रखने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण करने का भर्धिकार है।

जिला न्यायाधीश के नीचे सिविल जज, मुसिफ़, लघुवाद न्यायालय, तथा पचामती अदालतें होती हैं।

३—मालगुजारी न्यायालय—रेवन्यु बोर्ड राज्य में सबसे उच्च मालगुजारी न्यायालय होता है। इसके द्वारा कमिशनरी के निर्णयों के विरुद्ध अपील मुनी जाती है। कमिशनर के अधीन, जिलाधीश तथा सहायक जिलाधीश वे न्यायालय होते हैं, और इनके अधीन तहसीलदार तथा नापद तहसीलदार होते हैं। इस न्यायालय द्वारा भूमि या लगान सबधो प्रकरणों पर निर्णय दिया जाता है।

संघ तथा राज्य-संबंध

भारतीय संविधान के लागू होने के पूर्व भारत सरकार अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत भारत में ब्रिटिश राज्य के दोरान, तीन प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं। प्रथम—यारह ब्रिटिश भारतीय प्रान्त थे। इनमें नाम इस प्रकार हैं—मद्रास, बम्बई, बगल, असम, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमान्तरी प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, सिन्ध तथा उडीसा। प्रत्यक्ष ब्रिटिश भारतीय प्रान्त का प्रशासकीय प्रमुख एवं राज्यपाल होता था।

द्वितीय—मुद्द भारतीय नरेशों की रियासतें, जिन्होंने १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकृत घर लिया था।

तृतीय—६ मुख्य आयुक्त प्रान्त थे। उनके नाम इस प्रकार हैं—‘ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग, अण्डमान निकोबार द्वीप और पन्तपिपलोदा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार भारत एक संघ है। जब १९५० में संविधान लागू किया गया तब मूलतः चार प्रकार की राजनीतिक इकाइयों की स्थापना की गई। ये निम्नलिखित हैं।

१—भाग ‘क’ के राज्य असम, आंध्र, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, उडीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बगल। यास्तव में ये राज्य पूर्व के ब्रिटिश भारतीय प्रान्त थे। भारतीय संविधान वे अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक राज्य का प्रशासकीय प्रमुख राज्यपाल होता था।

२—भाग ‘ख’ के राज्य—हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य-भारत, मैसूर, पेस्क, राज्यस्थान, सौराष्ट्र, ओवणकोर बोचीन थे। संविधान लागू होने से पूर्व ये राज्य देशी रियासतों के रूप में थे। भारतीय संविधान वे अन्तर्गत भाग ‘ख’ के प्रत्येक राज्य का प्रशासकीय प्रमुख राजप्रमुख यहलाता था।

३—भाग ‘ग’ के राज्य—अजमेर, भोपाल, कुर्ग, हिमाचल-प्रदेश, पञ्च, मणिपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश।

४—भाग ‘घ’ के राज्य—भण्डमान-निकोबार द्वीप। भाग ‘ग’ तथा ‘घ’ के राज्य केन्द्रीय प्रशासित राज्य थे। ऐन्द्र सरकार द्वारा इनका प्रशासन

उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री या विहीन राज्य सरकार ने नाम्यम से विदा जाना था।

जब भारतीय संविधान वा निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा एक समिति नियुक्ति बी गई। उस समिति वो 'दरन्कमिति' बी सभा दी गई थी। इस समिति वो यह कार्य सौंपा गया था कि भारत के राज्यों दो भाषा के भाषार पर पुनर्गठन के प्रश्न बी जीच दरे। १९४२ में 'दरन्कमिति' ने भाषा वे भाषार पर राज्य के पुनर्गठन वे विश्व अपना प्रतिवेदन दिया। तमसचान् काप्रेस ने १९४२ में अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति बी नियुक्ति बी, जिसमे सीन सदस्य थ, ५० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, तथा डॉ० पट्टानि सीतारामेश्वर। अपने प्रतिवेदन में १९४६ में इस समिति ने वहा 'समिति राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा वे भाषार को स्वीकृत बत्ती है।' किन्तु राज्यों का पुनर्गठन उस समय उपर्युक्त नहीं था, तथापि पारस्परिक समझौतों के भाषार पर निर्धारित धैत्रों में नये राज्यों वा निर्माण विद्या जाना समव था। इम भाषार पर दक्षिण भारत में आध धैत्र में नये राज्य वा भाषापना बरना संभव था। परन्तु कुछ भारणवद, जैसे-'राजधानी' के प्रश्न पर कोई निश्चिन समझौता नहीं हो सका और आध के निर्माण को स्थगित कर दिया गया। परन्तु जनना के आनंदोलन तथा धो रामूलु वे उपवास करने के प्रत्यक्षरूप मृत्यु हो जाने पर भाष्र प्रदेश बी स्थापना १९५३ में हुई।

१९५३ में आधप्रदेश बी स्थापना होने से भाषा वे भाषार पर राज्यों के पुनर्गठन वे भाष्योलन को अधिक गति मिली।

दिसंबर २२, १९५३, को भारत मन्त्री ५० नेहरू जे संसद में घोषणा बी दि राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न बी निषेजना पूर्वक जीवने वे लिए एक उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त विद्या जायेगा। तत्प्रचान् तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त विद्या गया। ३० हृदयनाय कुमार इस आयोग के अध्यक्ष थे। बी संयुक्त अबलभली तथा सरदार के० एम० पणिकर इस आयोग के अन्य दो सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन ३० सितम्बर १९५५ बी प्रस्तुत विद्या। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में भारत सभ को एवना संया एक राष्ट्रीयना पर दिशेष रूप से बन दिया। आयोग ने 'एक भाषा, एक राज्य' के हितान बी इन्होंना पूर्वक अस्वीकृत विद्या। आयोग वे एक महावृष्णुज्ञाव यह भी था कि भारत सभ की राजनीतिक इकाइयों में संदेशानिक एक रूपता होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से आयोग ने सुभाष विद्या वे भारत सभ की केवल दो इकाइयों होना चाहिए, जो निम्नलिखित हैं—

१—दिनिज राज्य, सभ की इकाइयों के रूप के।

२—वे भू-भाग जो केन्द्र द्वारा शासित होंगे ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के विभिन्न सुझावों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ तथा संविधान संशोधन अधिनियम (सातवीं संशोधन) सहित द्वारा पारित दिया गया ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ तथा संविधान संशोधन अधिनियम १९५६ (सातवीं संशोधन) के इन्हनें भारत संघ में राज्यों का पुनर्गठन करने के फलस्वरूप १४ राज्यों तथा ६ संघीय भू-भागों की स्थापना की गई । ये १४ राज्य निम्नलिखित थे ।—

१—आन्ध्रप्रदेश, २—असम, ३—बिहार, ४—बम्बई, ५—केरल, ६—मध्यप्रदेश, ७—मद्रास, ८—मैसूर, ९—उडीसा, १०—पंजाब, ११—राजस्थान, १२—उत्तरप्रदेश, १३—परिचम बाल, तथा १४—जम्मू-कश्मीर ।

इनके अतिरिक्त ६ संघीय भू-भाग इस प्रकार थे ।

१—दिल्ली, २—हिमाचल प्रदेश, ३—मणिपुर, ४—क्रिपुरा, ५—प्राण्डमान-निकोबार द्वीप तथा ६—लकड़दीप-मिनवाय तथा अमीनदीवी द्वीप ।

१ मई १९६० को मारतीय राजनीतिक नवशे में पुनर्वितान हुआ जब बम्बई को दो राज्यों—महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित कर दिया गया । तत्पश्चात् १९६० में पुतंगाल के मुक्त कराये गये दो क्षेत्रों—दादरा नगर-हवेली तथा गोवा-डमन-द्यू—वो संघीय भू-भाग का स्तर दिया गया । इसी प्रकार 'पाण्डुचेरी' को, जो पूर्व में फान्स का एक उत्तरनिवेश था, एक संघीय भू-भाग के रूप में मान्यता दी गई । १९६२ में एक नये राज्य नागालैण्ड का निर्माण किया गया । नवम्बर १९६६ में पंजाब को विभाजित करके दो राज्य पंजाब तथा हरियाणा स्थापित किये गये और इनके साथ ही कुछ समय के लिए चण्डीगढ़ को केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र का रूप दिया गया । संविधान संशोधन अधिनियम १९६६ द्वारा असम राज्य में ही एक स्वायत्त पहाड़ी राज्य की स्थापना की गई जितका नाम 'मेघालय' राज्य रखा गया । मेघालय तथा असम के लिए एक ही राज्यपाल का प्रावधान किया गया । दोनों राज्यों—प्रसम तथा मेघालय के लिए सदृक्त उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई । किन्तु मेघालय के लिए पृष्ठक मध्यी-मण्डल का प्रावधान किया गया । कुछ विषयों पर मेघालय राज्य को कानून निर्माण करने के अधिकार दिये गये । वे निम्नलिखित हैं ।

शिक्षा, हुपि, सहकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातायात, गृह उद्योग, न्याय तथा राजस्व । अन्य विषय, जैसे—सिचाई, विजली, बाढ़ नियन्त्रण, बड़े उद्योग, जल-परिवाहन, बड़े मार्ग आदि असम राज्य के क्षेत्र अधिकार में छोड़ दिये गये ।

जनवरी २५, १९७१ में हिमाचल प्रदेश को सप्त के एक राज्य के स्थ में मान्यता दी गई। दिसम्बर १९७१ में २७वें संविधान सभोधन द्वारा तीन नये राज्यों की स्थापना की गई है। ये हैं—मेघालय, मणिपुर तथा विपुरा।

इनके अतिरिक्त, २७वें सभोधन अधिनियम १९७१ के अन्तर्गत दो सधीय भू-भाग भी स्थापित किये गये। ये हैं—मिजोराम तथा असामचल प्रदेश। अब भारत सप्त में निम्नलिखित राज्य हैं:—

१—आनध्रप्रदेश, २—असम, ३—बिहार, ४—महाराष्ट्र, ५—गुजरात, ६—केरल, ७—मध्य प्रदेश, ८—तमिलनाडु, ९—मैसूर, १०—उडीमा, ११—पञ्जाब, १२—उत्तर प्रदेश, १३—हिमाचल प्रदेश, १४—पश्चिम बंगाल, १५—राजस्थान, १६—जम्मू-कश्मीर, १७—हरियाणा, १८—मेघालय, १९—मणिपुर, तथा २०—विपुरा।

इसी प्रकार सधीय भू-भागों में बढ़ि हुई है; और वे निम्नलिखित हैं:—

१—दिल्ली, २—अण्डमान-निकोबार द्वीप, ३—लक्ष्मीदीव, मिनोक्वाय, तथा अमीनदीवी द्वीप, ४—दादरा नगर हबेली, ५—गोवा-डमन-ड्यु, ६—पाण्डुचेरी, ७—मिजोराम, तथा ८—असामचल प्रदेश।

सधीय भू-भागों का प्रशासन सधीय सरकार द्वारा किया जाता है। इन्हुंने सप्त के राज्यों को संविधान द्वारा पृथक् क्षेत्राधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत सधीय व्यवस्था को मान्यता प्रदत्त की गई है। इस सन्दर्भ में, संविधान द्वारा दो प्रकारों की सरकारों—सधीय और राज्य सरकारों की स्थापना की गई है। दोनों प्रकार दो सरकारों के पृथक् अस्तित्व तथा पृथक् क्षेत्राधिकार हैं। परन्तु संविधान के अन्तर्गत सप्त तथा राज्यों के सबौं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- १—सप्त तथा राज्यों के व्यवस्थापन सम्बन्ध,
- २—सप्त तथा राज्यों के प्रशासकीय सम्बन्ध, और
- ३—सप्त तथा राज्य के वित्तीय सम्बन्ध।

१—सप्त तथा राज्यों के व्यवस्थापन सम्बन्ध

सप्त तथा राज्यों के व्यवस्थापन सम्बन्ध का अध्ययन संविधान में उल्लिखित तीन विभिन्न व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचियों के दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। संविधान के मूल तिद्वान्त (शक्ति विभाजन के सिद्धान्त) को, भारतीय संविधान में तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचियों के आधार पर ठोस रूप दिया गया है अर्थात् इन तीन सूचियों द्वारा सप्त और राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है जिससे इन सरकारों के क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिये गये हैं। ये तीन सूचियाँ निम्न लिखित हैं:—

(क) संघ सूची—संघ सूची में ६७ विषय हैं, जिन पर केवल संघ-संसद का कानून बना सकती है। इनमें मुख्य विषय हैं—प्रतिरक्षा, वैदेशिक संवध, संघीय, युद्ध, शान्ति, सशस्त्र सेना, अणु शक्ति, रेल, समुद्री पथ, वायु मार्ग, डाक-सार और टेली-फोन, संघीय लोक ऋण, मुद्रा और उसका निर्माण विदेशों से व्यापार, अन्तर्राज्य-व्यापार और वाणिज्य, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय नियम, बीमा, खदान और खनिज पदार्थ तंत्र संस्थानों वा विकास, उद्योग नियन्त्रण, संघीय लोक सेवाएं, निर्वाचन (संघ और राज्य), सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और निर्माण, प्रायोगिक, नागरिकता, तथा विदेशियों का नागरिकीय रण, राष्ट्रीय महत्व के उद्योग, नमक उद्योग, दिल्ली, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, संघ और राज्यों का लेखा-परीक्षण और लेखाकान, राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक और संकीर्तकी संस्थान, ऐतिहासिक स्मारक, मत्स्य, अफीम, समाचार पत्र के विक्रय-कर आदि।

(ख) राज्य गूची—राज्य गूची में ६६ विषय हैं। राज्य गूची में उल्लिखित विषयों पर साधारणतया संघवाद के सिद्धान्त के अनुकूल राज्य विधान मण्डलों को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय विशेष परिस्थितियों में जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है, संघ संसद इन विषयों पर कानून बना सकती है। परन्तु संघवाद के सिद्धान्त के आधार पर साधारणतया इन विषयों पर राज्य विधान मण्डलों का ही अधिकार है। राज्य गूची में युद्ध मुख्य विषय इस प्रकार हैं—राज्य लोक ऋण, नाप और तौल, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था, पुलिस और न्याय व्यवस्था, जल, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, पशु छपि, पशुपालन, सिचाई, वन उद्योग और वाणिज्य, ग्राम सुधार मनोरजन कर, छविगृह, राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग, भूमिकर, छपि आय कर, सिवाय समाचार पत्रों के अन्य वस्तुओं पर विक्रयकर, वाहन कर, पशु और नावों पर कर, व्यवसाय तथा जीविका पर कर, विद्युत कर, सट्टा तथा जुआ आदि।

(ग) समवर्ती सूची—समवर्ती सूची में ४७ विषय उल्लिखित हैं। इन विषयों पर संघीय संसद तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा विधि निर्माण करने के समवर्ती अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि इस सूची में उल्लिखित किसी विषय पर संघीय संसद तथा किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून निर्मित किया जाता है और दोनों कानूनों में संघर्ष है तो जिस हृद तक राज्य कानून का संघीय कानून से संघर्ष है, राज्य कानून को उस हृद तक अवैध माना जायेगा। परन्तु यदि संघीय संसद के किसी विषय पर कानून निर्माण करने के पश्चात् यदि कोई राज्य विधान मण्डल द्वारा उसी विषय पर कानून निर्मित किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के पश्चात् उसकी सहमति मिल गई है तो राज्य कानून मान्य होगा। परन्तु संघीय

ससद तत्परचात् उक्त राज्य कानून को परिवर्तित या समाप्त कर सकती है। एम० पी० शर्मा ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। “हम मान सें दि एक राज्य कानून, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विधान सभा का कानून, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये हैं, कानून की पुस्तक में रखा जाना है। सधीय ससद एक कानून पारित करती है जिससे यह प्रतिबंध हटा दिये जाते हैं। अब सधीय कानून लागू होगा और उत्तर प्रदेश का कानून जिस सीमा में सधीय कानून से विरोध में है, उस सीमा तक भवेष होगा। तत्परचात्, उत्तर प्रदेश विधान सभा एक ओर कानून पारित करती है, जिसके द्वारा उन प्रतिबंधों को जो सधीय कानून द्वारा हटा दिये गये थे, पुन लागू कर दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कानून को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना होगा। और यदि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सहमति देना है तो यह कानून (उत्तर प्रदेश का) पहले सधीय कानून से सधर्य में होने के बावजूद भी बैठ होगा। यदि सधीय ससद उत्तर प्रदेश में प्रेस को स्वतंत्र करने के लिए पुनः एक कानून पारित करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है।”^१

समवर्ती सूची में मुहूर्य विषय इस प्रकार है।

इड विधि, दण्ड प्रक्रिया, निवारक निरोध (नजरबन्दी), दीवानी प्रक्रिया, दिवाह तथा विवाह विच्छेद (तलाक), दिवालियापन, उत्तराधिकार, सम्पत्ति का (सिवाय कृषि सबधी) हस्तान्तरण, सविदा, खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं में मिलावट, पागलपन, साइक्ल तथा प्रतिज्ञा, श्रीपविर्याँ तथा विष, श्रीपविर्याँ तथा अन्य वस्तुएँ, भार्यिक तथा सामाजिक परियोजनाएँ, व्यापार संघ, अम विवाद और अम बल्याण, कानून, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसाय, समाचार पत्र तथा प्रेस, पुस्तकें, जीवन मरण के आँखें, श्रीदोगिक वस्तुएँ, खाद्य-पदार्थ, पशु-मोजन वच्ची रई, रई के बीज तथा उन्ने जूट का उत्पादन तथा वितरण, अन्यत्र जाने वाले शरणार्थियों की सम्पत्ति आदि।

भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के लिए अनुच्छेद २४८ में ग्रावधान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के शक्तियाँ हैं, जो उपर्युक्त तीन सूचियों में उल्लिखित नहीं हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियों को सधीय सरकार में निहित किया गया है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा स्वीजरलैण्ड में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकारों को प्राप्त हैं, जबकि केनेडा में ये शक्तियाँ बेन्द्रीय सरकार में निहित हैं।

मारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धान्त को अपनाने के फलस्वरूप संघ और राज्य सरकारों के धोनाचिकार श्रलग-प्रलग निर्धारित किये गये हैं, तथापि कठिपय ऐसी परिस्थितियों का संविधान में उल्लेख किया गया है जिनमें संघ संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकेगी। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं —

१—संघ संसद राज्य-सूची में उल्लिखित किसी विषय पर अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत कानून निर्माण कर सकती है, यदि राज्य विधान सभा न दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है कि उक्त विषय का महत्व राष्ट्रीय हो गया है। राज्य विधान सभा या यह प्रस्ताव एक वर्ष तक रहेगा। राज्य सभा इस प्रकार के प्रस्ताव को अनेक बार पुनर्निर्मित कर सकती है। संघ संसद द्वारा इस प्रकार के जो कानून पारित किय जाते हैं, वे राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की समर्थावधि में समाप्त होने के ६ माह बाद तक वैध माने जायेंगे।

२—अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जब सकटवालीन उद्घोषणा की जायेगी तब सधीय संसद, अनुच्छेद २५० के अनुसार, किसी भी विषय पर, (राज्य सूची में उल्लिखित विषयों सहित) मारत या मारत के किसी प्रदेश के लिए कानून निर्माण कर सकेगी। संसद द्वारा पारित इस प्रकार के कानून सकट-वालीन उद्घोषणा के समाप्त होने के ६ माह के बाद समाप्त हो जायेंगे।

३—अनुच्छेद २५२ के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्य विधान मण्डलों ने प्रस्ताव पारित किया है कि संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय या विषयों पर कानून निर्माण करे तो संसद को उन राज्यों के संवध में राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

४—अनुच्छेद २५३ के अनुसार सधीय संसद को किसी सधि समझते या उपसधि, जो सधीय सरकार ने किसी विदेश या विदेशों से की है या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समुदाय या अन्य संस्था के निर्णय के क्रियान्वयन के लिए कानून-निर्माण करने का अधिकार है। इस प्रकार संसद द्वारा निर्मित कानून संघ के किसी भी राज्य या समस्त भारत में लागू होगा।

५—यदि अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत संघ के किसी राज्य में उक्त राज्य ने संवेधानिक यत्र के असफल होने के बारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा संसद को उक्त राज्य के लिए राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून निर्माण करने के लिए अधिकृत कर सकता है। संसद स्वयं इन शक्तियों के उपयोग करने के बजाय राष्ट्रपति को अनुच्छेद ३५७ (१) व (२) के अन्तर्गत यह शक्ति प्रदान कर सकती है, और उसको अधिकृत कर

सकती है कि किसी अन्य प्राधिकारी को जिसका राष्ट्रपति उल्लेख करता है, यह गहिं प्रदत्त की जाये।

६—सघ के विभिन्न राज्यों में राज्यपाल एवं वही के रूप में है, जिससे सधीय तथा राज्य शासनों को वित्तीय महत्वपूर्ण विषयों के सन्दर्भ में जोड़ा जाता है। राज्यपाल की यह भूमिका उस समय विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राज्य विधान-मण्डलों द्वारा पारित वित्तीय विधेयक, उदाहरण स्वरूप जो समवर्ती सूची में उल्लिखित विसी विषय पर पारित विधेयक जो सधीय विधि से संघर्ष में है, या जो अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है या जो अनुच्छेद २८६ में उल्लिखित विशेष वरों (जो वस्तुओं के इन एवं विक्रय पर जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय, (क) राज्य के बाहर अथवा (म) भारत राज्य क्षेत्र में वस्तुओं के आवात अथवा उससे बाहर निर्यात से संबंधित है) से संबंधित है, उनको राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखेगा, वहोंने विना राष्ट्रपति के सहमति के ऐसा विशेषक कानून नहीं बन सकते हैं।

संविधान के उपर्युक्त प्रावधान भारत में सधीय सरकार को शक्तिशाली रखने में सहायता हुए हैं। इनके बारण संविधान के अन्तर्गत संघवाद के विभाजन होने के उपरान्त भी कुछ एकात्मक प्रवृत्तियों को मारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यावश्यकतानुसार सधीय संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करने के फलस्वरूप इन प्रावधानों का प्रभाव यह होता है कि इससे सघ राज्यों की एक मूल श्रुटि को, जो डायसी ने बताई है, नियन्त्रण में लाया जा सकता है। वह है—“वेन्द्रीय सरकार की शक्ति विभाजन के कारण देश के आन्तरिक तथा बाहर मामलों के प्रबन्ध करने के संबंध में कमज़ोरी।”^१

२—सघ तथा राज्यों के प्रशासकीय संबंध

यद्यपि सधीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन करते हुए दो प्रकार की सरकारों—केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों के लिए स्थेचालिकार पृथक् विधे जाते हैं, संघवाद का उद्देश्य, जैसा प्रो॰ डायसी ने बताया है, राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायतता को हासिल करना है। संघवाद के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायतता दोनों समव ही सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायतता का साधारण तथा समान महत्व रहता है। विन्तु राज्यों के स्वायतता

के दावे उस हृदतव स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता पर आधार पड़ै चले वी समावना होगी। राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में यह पहला सत्य है कि समस्त राष्ट्र को एक प्रशासकीय इवाई मानते हुए ही राष्ट्रीय एकता वी नीच दृढ़ वी जा सकती है।

भारतीय संविधान के अतीत सधीय तथा राज्यों के प्रशासकीय संवधों पर विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि राष्ट्रीय एकता वी दिव्य से सधीय सरकार को राज्यों के संवध में क्तिपव प्रशासकीय शक्तियों प्रदत्त वी गई हैं जिनका अध्ययन दो विषयों के आधार पर किया जा सकता है।

(क) राज्यों पर प्रशासकीय नियन्त्रण हेतु सधीय सरकार में साधन, और

(ख) अतर्राज्यीय संघ सरकार वी भूमिका

उस राज्यों पर प्रशासकीय नियन्त्रण के लिए सधीय सरकार के साधन

सामा यत सधीय सरकार राज्यों की सरकार पर पौच साधनों से प्रशासकीय नियन्त्रण उपयोग में ला सकते हैं।

संत्रेप्रथम संविधान द्वारा सधीय सरकार को राज्यों की सरकारों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद के २५६ के अनुसार राज्य सरकार वा यह क्तिव्य है कि सदृश द्वारा पारित विधि को मान्यता दें। इसी प्रकार अनुच्छेद २५७ के अनुसार राज्य सरकारों का यह भी क्तिव्य है कि अपो क्षेत्र में संघ की कार्यपालिका शक्ति के उपयोग में न कोई एकावट ढाले और न कोई प्रभावत करे। उपर्युक्त अनुच्छेदों के अनुसार संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिये जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद ३६५ में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये कि ही निर्देशों का अनुवर्तन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है तो वही, राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधि समत है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसम राज्य या शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय है कि यदि कोई राज्य, संघ की कार्यपालिका द्वारा दिये गये नहीं बरता है तब राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ के अंतर्गत यह उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक-यज्ञ समाप्त हो चुका है और इससे कनस्वरूप राज्य की सरकार के समस्त या कुछ वायरों को स्वयं ले सकता है।

सधीय सरकार राज्यों की सरकारों को अनुच्छेद २५७ (२) के अनुसार राज्यों में राष्ट्रीय या संनिवेशी समूह व संचार साधनों के नियन्त्रण करने और बनाये रखने के लिए निर्देश दे सकती है। 'संघर साधन' एक ऐसा विषय है, जिसका उल्लेख

पचम, राज्यों की संघीय सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है क्योंकि राज्यों की आय के विभिन्न स्रोत उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। राज्यों को वित्तीय अनुदान देते के लिए अनुच्छेद २७५ के अनुसार संघीय संसद को बानून निर्माण करने का अधिकार है और इस प्रकार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय अनुदान का व्यव भारत की सचित निधि में से दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, संविधान में दो प्रकार के विशिष्ट अनुदानों का उल्लेख है, जो निम्नलिखित हैं।

१—भारत सरकार की सहमति से किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उन्नत करने के लिए अपनाई गई योजनाओं के लिए अनुदान जिसका व्यव भारत की सचित-निधि पर मार्तिमान होगा।

२—असम में आदिम जनजाति के विवास के लिए अनुदान।

वित्तीय अनुदान के माध्यम से संघीय सरकार राज्यों पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखती है।

ख अन्तर्राज्यीय सहयोग तथा संघ सरकार की भूमिका

किसी भी संघीय व्यवस्था में इकाइयों (राज्यों) में पारस्परिक सहयोग होना अति आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को सत्ता की दृष्टि से पृथक् क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, तथापि राष्ट्रीय एकता के लिए राज्यों को पारस्परिक सहयोग तथा सह अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करना होगा। मार्तीय संविधान में राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए निम्नलिखित विषयों पर विशेष रूप से वल दिया गया है।

१—संघ तथा राज्यों की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों की स्थिति अनुच्छेद २६१ (१) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा, संघ की और प्रत्यक्ष राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों, और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विवरण और पूरी मान्यता दी जायेगी। परन्तु इन क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीत और शर्तों तथा उनके प्रभाव का निर्धारण संसद निमित-विधि द्वारा उपनिषित रीत के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त भारत क्षेत्र के किसी भाग के न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णयों या आदेश भारत राज्य क्षेत्र में यहीं भी निष्पादन योग्य होंगे।

२—अन्तर्राज्यीय नदी या नदियों के जलों के संबंध में विवाद—अनुच्छेद २६२ (१) के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय नदी या नदियों

के जल के प्रयोग, वितरण या नियन्त्रण के बारे में किसी विवाद या प्रार्थना पर न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। इस प्रकार के विवाद के सबध में संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय, न अन्य कोई न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग में लेगा।

३—अन्तर्राजीय परिपद—भनुच्छेद २६३ के अन्तर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अन्तर्राजीय परिपद का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि जनहित में आवश्यक है तो वह अन्तर्राजीय परिपद की स्थापना करेगा। इस अन्तर्राजीय-परिपद के निम्नलिखित काय होंगे।

एक—राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श देना।

दो—ऐसी जांच तथा विवेचना करना जिसमें कुछ या समस्त राज्य या सभा या कुछ राज्यों का सामान्य हित निहित है।

तीन—ऐसे विषय पर सुभाव देना और विशेषकर ऐसे विषय के सबध में नीति तथा कार्यों में बेहतर समन्वय के लिए सुभाव देना। राष्ट्रपति, जब इस प्रकार की अन्तर्राजीय परिपद की स्थापना करता है वह उसके कार्यों, संगठन तथा कार्यप्रणाली को निर्धारित करेगा।

४—क्षेत्रीय परिपद—राज्य पुनर्गठन अधिनियम १६५६ के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत सभा के लिए क्षेत्रों की एक परियोजना को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया गया। कठिपय राज्य हैं, जिनके लिए एक क्षेत्रीय परिपद है। सम्पूर्ण भारत के लिए निम्नलिखित पाँच क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं—

१—उत्तरी क्षेत्र—पश्चिम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश है।

२—मध्य क्षेत्र—उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश।

३—पूर्वी क्षेत्र—बिहार, पश्चिम बंगाल, उडीसा, मणिपुर और शियुरा।

४—पश्चिमी क्षेत्र—महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर क्षेत्र।

५—दक्षिणी क्षेत्र—आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, तथा केरल।

प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिपद है जिसमें एक सधीय मत्री रहेगा जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा। क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमन्त्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में से दो मध्यी जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे तथा क्षेत्र के प्रत्येक सधीय भू-माल से दो व्यक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये

जायेंगे, क्षेत्रीय परिपद के सदस्य होंगे। और पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेषकर आदिम जाति क्षेत्र के लिए राज्यपाल का परामर्श दाता भी उक्त क्षेत्रीय परिपद में सम्मिलित किया जायेगा। क्षेत्रीय परिपद में सधीय मत्री क्षेत्रीय परिपद का अध्यक्ष होगा, और प्रत्येक मुख्य मत्री एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेगा।

क्षेत्रीय परिपद में कलिपय परामर्श दाताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं—योजना आयोग का प्रतिनिधि और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव और विकास आयुक्त। इन परामर्श दाताओं को विवाद में भाग लेने वा अधिकार है, किन्तु वे मतदान नहीं कर सकते हैं।

क्षेत्रीय परिपद की बैठक तथा स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। परिपद की बैठक का स्थान, क्षेत्र के किसी राज्य में ही होना चाहिये। परिपद अपने कार्यों के सम्पादन के लिए समितियों का निर्माण कर सकती है। परिपद के सचिवालय के अधिकारियों के व्यय का भार, सचिव के देतन के सिवाय, केन्द्रीय सरकार पर है। क्षेत्रीय परिपदों के कार्य उन समस्त विषयों से सबधित होंगे जिनमें क्षेत्र के समस्त या कुछ राज्य या संघ और एक या अधिक राज्य हचि रखते हैं। क्षेत्रीय परिपद, संघ सरकार या क्षेत्र की किसी सरकार को ऐसे विषयों पर परामर्श देती है। मुख्यतः क्षेत्रीय परिपद निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार विमर्श करती तथा परामर्श देती है।

एक—ग्राहिक तथा सामाजिक योजनाओं से सबधित कोई सामान्य हित का विषय।

दो—सीमा विवाद, भाषा पर आधारित अल्प सर्वत्र, और अन्तर्राज्यीय आवागमन से सबधित कोई भी मामला।

तीन—राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत राज्यों के पुनर्गठन से सबधित कोई भी मामला।

सक्षेप में परिपदों की स्थापना का उद्देश्य सधीय सरकार के सहयोग से अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान करना है।

५—संघ और राज्यों मध्यापार वाणिज्य और लेनदेन—सविधान के अनुच्छेद ३०१ के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और लेनदेन की स्वतंत्रता है। परन्तु अनुच्छेद ३०२ के अनुसार संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अद्यता भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य व लेनदेन की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकेगी, जो लोकहित में भ्रष्टेष्ट हैं।

अनुच्छेद ३०३ (१) के अनुसार संविधान की सातवी अनुमूल्यों में निहित तीन सूचियों में (संघ, राज्य तथा समवर्ती) से किसी में व्यापार-वाणिज्य संबंधी किसी विधय के आधार पर न तो संसद को और न राज्यों के विधान मण्डल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है। परन्तु अनुच्छेद ३०३ (२) के अनुसार संसद को ऐसी विशेष परिस्थिति में पह अधिकार होगा कि कोई ऐसी विधि बनाये जिससे किसी राज्य को यह अधिमान दिया जायेगा या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच विभेद होगा, जब संसद उक्त विधि-द्वारा यह घोषित करे कि मारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लमता के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निवाटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। पह स्परण रखना आवश्यक है कि जबकि अनुच्छेद ३०३ (२) के अनुसार संसद को वस्तुओं की दुर्लमता के कारण ऐसी विधि निर्माण करने का अधिकार जिससे किसी राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान मिलता है या दो राज्यों में विभेद होता है, किसी राज्य विधान मण्डल को कोई ऐसी विधि निर्माण करने का अधिकार नहीं है, जिससे किसी राज्य को व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से दूसरे राज्य से अधिमान प्राप्त हो या दो राज्यों में विभेद हो।

अनुच्छेद ३०४ (क) के अनुसार राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगा सकता है, जो उसे राज्य में निमित या उत्पादित बैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निमित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो। अनुच्छेद ३०४ (ख) के अनुसार राज्य विधान मण्डल को, विधि द्वारा उस राज्य के साथ या उससे व्यापार-वाणिज्य और लेन-देन की स्वतंत्रता पर ऐसे युत्तियुक्त निवन्धन लगाने का अधिकार है जो लोकहित में अपेक्षित है। परन्तु इस उद्देश्य से किसी भी विवेक या सशोधन को विधान-मण्डल में पुन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पुरानुमति आवश्यक है।

अन्त में अन्तर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य से संबंधित संविधान के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद ३०७ के अन्तर्गत संसद एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेंगी तथा उसको ऐसी शक्तियां और वर्तन्य सौंप सकती है जो वह आवश्यक समझे।

३—संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंध

संघीय व्यवस्था में, संघीय तथा राज्यों की सरकारों में संविधान के अन्तर्गत शक्तियों का बैटवारा आवश्यक है, किन्तु शक्ति के बैटवारे के साथ वित्तीय साधनों का बैटवारा भी अत्यन्त आवश्यक है। यद्योंकि बिना व्यवस्थित वित्तीय साधनों के

विभिन्न शक्तियों वा कोई अर्थं नहीं होगा। अत साधारणता प्रत्येक संघीय व्यवस्था संघ में तथा राज्यों की सरकारों का, अपने वित्तीय साधनों पर स्वतंत्र और पृथक् नियन्त्रण होता है जिससे वे अपने क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। 'संघीय वित्तीय व्यवस्था' की प्रादर्शं प्रणाली वह होगी जिसमें स्पष्ट रूप से राजस्व के स्रोतों का विभाजन संघ तथा राज्यों के मध्य में किया गया है जिससे दोनों पक्षों में से प्रत्येक वो एक दूसरे से स्वतंत्र बनाया जा सके। तथापि कुछ ही संघीय देश इसको प्राप्त बार सकें हैं।^१

वस्तुत व्यवहार में संघीय देशों में संघ और राज्यों के वित्तीय संवधों के दृष्टिकोण से वोई एक सामान्य पद्धति को नहीं अपनाया गया है। विन्तु प्रत्येक संघीय राज्य में देश की सुविधा के अनुसार अपनी पद्धति का विकास हुआ है। यद्यपि अमेरिका में संघ तथा राज्यों के लिए पृथक् वित्तीय स्रोतों का प्रावधान है, विन्तु वहाँ पर भी राज्यों को संघीय अनुदान देने की आवश्यकता पैदा हुई। केनेडा तथा आस्ट्रेलिया में संघीय (केन्द्रीय) सरकार राज्यों की वित्तीय स्रोतों में अपना योगदान देती है, वर्णोंकि राज्यों के आय के साधन पर्याप्त नहीं हैं।

भारतवर्ष में संविधान के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों के मध्य तीन सूचियों द्वारा शक्ति विभाजन के साथ जो आय के साधनों का विभाजन किया गया है, वह न तो पूर्णतया स्पष्ट है और न सम्पूर्ण है। इससे राज्यों को उनकी आवश्यकताओं से बहुत कम दिया गया है, और संविधान के अनेक अन्य प्रावधानों द्वारा, जिनका उद्देश्य संघ के स्रोतों के कुछ भाग को राज्यों को विभिन्न रूप में हस्तान्तरित करना है प्रवर्तित तथा पूरा किया जाता है।

भारतीय संघ के राज्यों को पूर्ण रूप से उन करा से प्राप्त आय पर अधिकार है, जो राज्य सूची में उल्लिखित है। संघ सरकार को उन करों से सारी आय प्राप्त होती है जिनका उल्लेख संघ सूची में किया गया है। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार को उन करा से प्राप्त आय पर भी अधिकार है, जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं किया गया है। समवर्ती सूची में करों का वोई उल्लेख नहीं है। राज्यों का राज्य सूची के अन्तर्गत लगाय करा की आय रखने वा अधिकार है, संघ सरकार को संघ सूची के अन्तर्गत लगाये गये कुछ करों की आय को पूर्णतया या कुछ अश म राज्यों को देना होगा।

संघ तथा राज्यों के वित्तीय संवधा का अध्ययन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है।

१. यही पृ० ८६

क सघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण—सघ सरकार को भारतीय संविधान के अन्तर्गत चार प्रकार के करों से प्राप्त आय को पूर्ण हप से या कुछ भ्रष्ट में राज्यों को देना होगी। यह निम्नलिखित है। अनुच्छेद २६८ के अनुसार।

१—सघ सरकार द्वारा लगाये, किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित शुल्क विनियम पत्र, चेक, प्रामेसरी नोट्स, माल, असदाव वा माडा, हुण्डी, चीमा आदि पर स्टाम्प सुलक तथा दबाइयों और ऐसे शृणार साधन जिनके निर्माण में मत्ता का उपयोग होता है।

२—सघ द्वारा लगाये और संगृहीत परन्तु राज्यों को दिये जाने वाले वार—अनुच्छेद २६६ के अनुसार ये निम्नलिखित हैं—

(एक) हृषि-भूमि के अतिरिक्त, अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

(दो) हृषि भूमि के अतिरिक्त, अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क।

(तीन) रेल, समुद्र तथा वायु द्वारा माल और यात्रियों को से जाने पर सीमान्त कर।

(चार) रेल तथा वस्तुओं के भाड़े पर वार।

(पाँच) शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त अन्य कर।

(छ) समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

(सात) अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले में माल के क्रय विक्रय पर कर।

३—सघ द्वारा लगाये व संगृहीत आयकर जिनका विभाजन सघ व राज्यों के मध्य भ होता है। अनुच्छेद २७० के अनुसार सधीय भू-मालों के लिये निर्धारित राशि तथा सधीय व्यय को काटकर शेष आयकर की राशि का विभाजन सघ व राज्यों में राष्ट्रपति वित्तीय आयोगों के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा करता है।

अनुच्छेद २७१ के अनुसार संसद विभिन्न करों की जो कि अनुच्छेद २६६ व २७० में उल्लिखित है। सघ के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु अधिकार द्वारा वृद्धि कर सकेगी।

४—सघ द्वारा लगाये गये तथा संगृहीत कर जिनका विभाजन सघ व राज्यों के मध्य होता है—ये कर इस प्रकार के हैं—दबाई और शृङ्खार सवधी वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर लगाये उत्पादन शुल्क।

ख. संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक अनुदान—भारतीय संविधान में संघ सरकार के राजस्व स्रोत से तीन प्रकार के सहायक अनुदान राज्यों को दिये जाते हैं।

१—अनुच्छेद २७३ के अनुसार असम, बिहार, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल को जूट और जूट से निर्मित वस्तुओं पर निर्याति कर के बदले में संघ सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रपति अनुदान की राशि निर्धारित करता है। इन राज्यों को अनुदान जब तक दिया जावेगा, जब तक भारत सरकार द्वारा जूट या जूट से निर्मित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाता है, या संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, उसके होने तक।

२—अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत संसद को यह अधिकार है कि संघ के किसी राज्य को जिसको वित्तीय अनुदान की आवश्यकता है, सहायता अनुदान प्रदत्त करें। किस मात्रा में यह अनुदान दिया जाना चाहिये, इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद को है। संघीय सरकार का यह अतिरिक्त वर्तमान है कि राज्यों द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों वे कल्याण हेतु प्रारम्भ की गई योजनाओं को पूरा करने के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा करने हेतु सहायक अनुदान प्रदत्त करें। संविधान द्वारा असम के आदिम क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष सहायता अनुदान के लिये प्रावधान किया गया है।

३—अनुच्छेद २८२ के अन्तर्गत संघीय व राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि विसी भी सांवर्जनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक अनुदान प्रदत्त करें। इसके बावजूद भी निवारण संसद व राज्य विधान मण्डल के व्यवस्थापन के दायरे में न हो।

ग. पारस्परिक करों से संघ तथा राज्यों की मुक्ति—१—अनुच्छेद २८५ के अन्तर्गत जब तक संसद कानून द्वारा कोई प्रावधान न करे, राज्य सरकारें संघ की सम्पत्ति पर कर नहीं लगा सकती हैं।

२—अनुच्छेद २८७ के अनुसार भारत सरकार या रेल द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विजली पर बिना संसद की अनुमति के राज्यों द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

३—अनुच्छेद २८८ के अन्तर्गत बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई राज्य, ऐसे प्राधिकरण द्वारा दिये गये या नियन्त्रित पानी या विजली पर शुल्क नहीं लगा सकता जो अन्तरराज्यीय नदियों या नदी-नदौनों (धाटियों) के विकास या विनियम के लिए स्थापित किया गया है।

४—अनुच्छेद २८९ के अनुसार संघ सरकार को राज्यों की सम्पत्ति तथा आय पर वर लगाने का अधिकार नहीं है। परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा किये जाने

वाले व्यापार या व्यवसाय को सधीय करों से मुक्ति तब ही मिल सकेगी, जब सप्तद बानून द्वारा यह घोषित करती है कि एसा व्यापार या व्यवसाय राज्य सरकार के कार्यों का भाग है।

४—सध तथा राज्यों की ऋण लेने को शक्ति—संविधान के अनुच्छेद २६२ के अनुसार सधीय सरकार को भारत की सचितनिधि की प्रतिभूति पर ऋण लेने का अधिकार है। किन्तु इस विषय पर सप्तद बानून द्वारा सीमाएं लगा सकती है। राज्यों को भारतीय प्रदेश में राज्य सचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण लेने का अधिकार है। राज्यों के ऋण लेने के अधिकार पर संविधान द्वारा कुछ सीमाएं रखी गई हैं जो इस प्रकार हैं—

१—राज्यों द्वारा भारत भ ही ऋण लिया जा सकता है।

२—यदि राज्य सरकार ने अपना पुराना ऋण सध सरकार के प्रति चुक्ता न दिया है तो नये ऋण लेने के लिए सध सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।

३—राज्य विधान मण्डल राज्य सरकार के ऋण लेने के अधिकार पर सीमाएं लगा सकती है।

अनुच्छेद २६३ के अनुसार सधीय सरकार राज्यों को सप्तद द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण दे सकती है।

५. वित्तीय सप्तद कालीन उद्धोयण ।—अनुच्छेद ३६० के अनुसार राष्ट्रपति को विष्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे भारत तथा उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय सवट में है तो वह वित्तीय सकटकालीन उद्धोयण कर सकता है। इस सन्दर्भ में सध-सरकार राज्यों की सरकारों को वित्त व्यवस्था के सबूद में आदेश तथा निर्देश दे सकती है। सध सरकार, सध तथा राज्यों के प्रशासन के सबूद में कार्यरत अधिकारियों, जिनम सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, के मत्तो तथा बैठन म बैठोती के लिए आदेश दे सकती है। इस सन्दर्भ में राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित धन-विवेयकों के लिए भी सध सरकार यह आदेश दे सकती है कि उनको राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा जाय।

६—अन्त में, सध तथा राज्यों के वित्तीय सबूदों की दृष्टि से, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा सप्तद द्वारा उसको राज्यों के लेखा के सबूद में कार्य तथा अधिकार सौंपे जाते हैं। राज्यों के लेखा पर नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक का पूरा नियन्त्रण रहता है।

सध तथा राज्यों के विभिन्न सबूदों का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्पर्य निवाला जा सकता है कि तीनों, व्यवस्थापन, प्रशासकीय तथा वित्तीय क्षेत्रों में

संघ सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा प्रत्यधिक ग्रंथिकार प्राप्त हैं। संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार को सशक्त रखने के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त शक्तियाँ दी हैं। संघीय सरकार की स्थिति, उन स्थितियों में और ग्रंथिक शक्तिशाली हो जाती है, जब केन्द्र तथा राज्य सरकार एक ही राजनीतिक दल द्वारा स्थापित हैं। भारतीय राजनीति में १९६७ के चतुर्थ आम-चुनाव के पूर्व लगभग सभी राज्यों में (केरल को छोड़कर) वाप्रेस सरकारें थीं। केन्द्र में भी वाप्रेस दल सत्ताहृष्ट था। केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों की नीतियाँ में एकरूपता थीं, और यदि किसी राज्य तथा केन्द्र में विवाद उठता था तो उसको दलीय अनुशासन के आधार पर राजनीतिक स्तर पर मुस्खाया जाता था। परन्तु चौथे आम-चुनाव के पश्चात् इन्हीं राज्यों में गैर-काप्रेसी सरकारें स्थापित हुईं। कई बार गैर-काप्रेसी सरकारों ने केन्द्रीय सरकार पर उसके प्रति पक्षपात् पूर्ण व्यवहार का आराप लगाया, विशेषकर दूसरे आम चुनाव (१९५७) के बाद जब केरल में थी नम्बूद्रीपाद की साम्यवादी सरकार को, जिसे बर्खास्त किये जाने के अन्तिम क्षण तक केरल विधान-मण्डल में बहुमत प्राप्त था, केन्द्र सरकार ने बर्खास्त बरके राष्ट्रपति शासन लागू किया। केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य की देश में बड़ी आलोचना हुई। इसी प्रकार जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल घर्मवीर ने १९६७ में थोड़ा अज्ञय मुकर्जी की सरकार को बर्खास्त किया तब उसकी भी आलोचना हुई।

इस सन्दर्भ में विरोधी दलों द्वारा राज्यपाल की भूमिका की विशेष स्पष्ट से बड़ी आलोचना की गई। राज्यपाल की भूमिका के संघ में यह वहा गया कि राज्यपाल ने केन्द्र में सत्ताहृष्ट दल के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के विशद् पक्षपात् पूर्ण व्यवहार किया।

अन्त में यह वहना उचित होगा वि विसी भी संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए संघ सरकार तथा राज्यों को सरकारों में सभी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग होना अति आवश्यक है। संघवाद जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों (इकाइयों) की स्वायत्तता के सम्बन्ध तथा सामजिक पर आधारित एक सिद्धान्त है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संघ की इकाइयों का यह झलंध है कि संघिनात् वै झलंधत् झलंध के झलंधत् झलंधपे झलंधे ना प्रपन्न करें, तथा विघटनवारी प्रवृत्तियों को रोकें। संघ के राज्यों की स्वायत्तता के सन्दर्भ में दूसरी ओर केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की स्वायत्तता का संविधान वे अन्तर्गत पोषण करें। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर राजनीतिक तथा वित्तीय क्षेत्रों में संघीय सरकार को राज्यों वे प्रति उदार और सहनशील होना आवश्यक है।

सध एवं राज्यों में, राज्यपालों को नियुक्ति के विषय पर बेन्द्रीय सरकार को गभीरता-न्यूबंक विचार करने के पश्चात् ही राज्यपाल को नियुक्त करना चाहिये। स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित करने के लिए राज्यपाल के पद को निर्वासित या सेवा-निवृत्त राजनीतिज्ञों वा शरणस्थान न बना दिया जाये। राज्य-पाल के पद पर, निष्ठावान् निष्पक्ष, तथा उच्च बोद्धिक तथा नैतिक स्तर के व्यक्तियों को ही मनोनीत करना चाहिये, बदोकि, चौथे आम-चुनाव के पश्चात् परिवर्तित राजनीति में राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में अपने स्वेच्छाधिकारों को उपयोग में लाना होगा। प्रशासकीय सुधार आयोग ने सध तथा राज्यों के सबध के विषय पर अपने प्रतिवेदन में राज्यपालों के स्वेच्छाधिकारों के सबध में सुभाव दिया है, कि खूँकि संविधान में राज्यपाल के स्वेच्छाधिकारों को परिमापित नहीं किया गया है, इसलिए यह कार्य भन्तराज्यीय परिपद को सौंपा जाना चाहिये।

सध तथा राज्यों के वित्तीय सबधों के सम्बद्ध में संविधान में राज्यों के आय के साधन सीमित है। अत राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए सध सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, विशेषकर राज्यों वो पचवर्षीय योजनाओं के लिए प्रशासनीय सुधार आयोग ने सुभाव दिया है कि प्रत्येक पचवर्षीय योजना के आरम्भ में राज्य के आय के सातों को सध और राज्यों के मध्य आवश्यकतानुसार विभाजित करने के लिए एक वित्त प्रायोग की नियुक्ति होनी चाहिये।

भारतीय संविधान के दायरे में सध तथा राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान है, जिसके आधार पर सघबाद के दोनों लक्ष्यों — राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायत्तता को प्राप्त किया जा सकता है।

लोक सेवा आयोग

भारतीय संविधान में अनुच्छेद ३१५ के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग वा प्रावधान किया गया है। परन्तु यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा संसद को उनके लिए एक समृद्ध लोक सेवा आयोग स्थापित वरने का प्रस्ताव पारित कर भविष्यत किया जाता है, तो संसद इन राज्यों के लिए एक समृद्ध लोक सेवा आयोग की स्थापना करेगी। विसी राज्य ने राज्यपाल के निवेदन पर, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् संघीय लोक सेवा आयोग उक्त राज्य के लोक सेवा आयोग के बायीं को करेगा।

सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल—संघ लोक सेवा आयोग तथा समृद्ध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल वरता है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या विसी राज्य सरकार के अधीन वर्म से वर्म दस वर्ष तक सेवा-रत रहे हों।

संघ लोक सेवा आयोग तथा समृद्ध लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित वरता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सात सदस्य हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित वरता है। साधारणतया राज्य लोक सेवा आयोग के तीन सदस्य होते हैं जिनम से एक अध्यक्ष होता है।

संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल छँ वर्ष का या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के ६५ वर्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए ६० वर्ष की आयु प्राप्त होने तक (जो भी इनमें से पहले हो वह लागू होगा) फा है।

संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदव्युति—संघ भीर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चार के कारण भादेश द्वारा, जबकि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने जांच करके राष्ट्रपति को अपना

प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, पदच्युत कर सकता है। जांच के दोरान राष्ट्रपति सदस्य को निसन्वित कर सकता है।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्न-तिवित किसी कारण के आधार पर भी पदच्युत किया जा सकता है, यदि,

क—वह दिवालिया हो, या

ख—वह अपने कार्यकाल में कोई अन्य सर्वेतनिक कार्य स्वीकार कर लेता है, या

ग—राष्ट्रपति द्वी सम्मति में वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो गया है।

अनुच्छेद ३१७ के अनुसार यदि मारन सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या इनके बास्ते किये गये किसी सविदा या करार से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का सम्बन्ध हो तो इसको दुराचार समझा जायेगा, और इस आधार पर उसको पदच्युत किया जा सकेगा।

सध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, अनुच्छेद ३१६ के अनुसार, उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात् सध या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पुन नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सध तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् उसी पद पर पुन नियुक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु सध लोक सेवा आयोग के सदस्यों के नार्यकाल समाप्त होने पर उनको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्त होने पर सध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या उसको किसी अन्य राज्य लाभ सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों वो, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् सध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सिवाय इन नियुक्तियों के सध तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं।

लोक सेवा आयोग के कार्य—शक्तियों तथा क्षेत्राधिकारों के विभाजन के कारण एक सधीय राज्य में, दो प्रकारों द्वी सरकार होती हैं, केन्द्रीय (सधीय सरकार) तथा राज्य सरकारें। अपने विभिन्न वार्यों के सम्पादन के लिए दोनों प्रवार की सरकारों वे लिए पृथक लोक सेवाप्रो की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अतर्गत भी, सधीय व्यवस्था होने के कारण, लोक सेवाप्रो को, मुख्य दो भागों में रखा गया है। यह निम्नानुसार है—

१ सधीय (केन्द्रीय) लोक सेवाएँ—सधीय लोक सेवाएँ सधीय विषयों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। कुछ सधीय विषयों के उदाहरण इस प्रकार है—विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, आयकर, डाक तथा तारे व्यवस्था, रेल आदि। इन सेवाओं से सबधित अधिकारियों वी नियुक्ति, पदोन्तति, प्रशिक्षण, अनुशासन, सेवा-निवृत्ति आदि से सम्बन्धित समस्त मामले बेन्द्रीय (सधीय) सरकार के नियन्त्रण में हैं। मुख्यतः इन विषयों के सबध में केन्द्रीय सरकार सध लोक सेवा के परामर्श से कार्य करती है।

२ राज्य लोक सेवाएँ—राज्य लोक सेवाओं की स्थापना का उद्देश्य राज्य से सबधित विषयों का प्रशासन करना है। राज्यों के द्वेशाधिकार में कुछ विषयों के उदाहरण निम्नलिखित हैं—राजस्व, वृष्टि, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, पुलिस आदि। इन राज्य-सेवाओं से सबधिा अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्तति, प्रशिक्षण, अनुशासन, सेवा निवृत्ति आदि समस्त मामले राज्य सरकार के नियन्त्रण में हैं। इन विषयों के सबध में राज्य सरकार राज्य-लोक सेवा आयोग की परामर्श से काम करती है।

सधीय (केन्द्रीय) यथा राज्य सेवाओं के अतिरिक्त, सविवान में असिल मार्तीय सेवाओं के लिए अनुच्छेद ३१२ वे अनर्गत प्रावधान किया गया है। ये अखिल मार्तीय सेवाएँ केन्द्रीय राज्यों दोनों के लिए समान रूप से हैं। सविवान में दो असिल मार्तीय सेवाओं का उल्लेख है (i) मार्तीय प्रशासकीय सेवा, तथा (ii) मार्तीय पुलिस सेवा। सविवान के अनुच्छेद ३१२ (i) के अनुसार सप्तद अन्य अखिल मार्तीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, यदि वह दो वहमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसी सेवा की स्थापना करना आवश्यक है।

जैसा विदित हो चुका है, मार्तीय प्रशासकीय सेवा, सध तथा राज्यों के समान उपयोग के लिए हैं। मार्तीय प्रशासकीय तथा अन्य अखिल मार्तीय सेवाओंमें नियुक्ति सध सरकार सधीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं वे आधार पर करती है। फिर सध सरकार इन प्रशासकीय अधिकारियों को सध के विभिन्न राज्यों में नियुक्त करती है। इन प्रशासकीय अधिकारियों का थोड़ा कार्यकाल केन्द्रीय सरकार की सेवा से भी सबधित रहता है। प्रशासकीय अधिकारियों के इस आदान-प्रदान से सध तथा राज्यों दोनों को लाभ है, क्योंकि जहाँ इनके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को राज्यों की स्थिति का ज्ञान होता है वही राज्यों को इन से केन्द्रीय सरकार की नीतियों तथा परियोजनाओं के सबध में जानकारी प्राप्त होती है।

मार्तीय प्रशासकीय सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अधिकारी 'सामान्यता-प्रधान' प्रशासकीय अधिकारी होते हैं अर्थात्, उनकी योग्यताओं

तथा सामान्य दक्षता की दृष्टि से उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे विभिन्न प्रवार के पदों पर कार्य करने में सक्षम हैं। उदाहरण स्वरूप भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कभी कानून व्यवस्था, कभी राजस्व, कभी व्यापार-व्यापारियों की विभिन्न जनवत्यागकारों शिक्षा प्रादि में सबधित पदों पर होती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२० के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नानुसार होंगे—

१. सध तथा राज्य लोक सेवा आयोग मध्य तथा राज्यों के अधीन विभिन्न लोक सेवाओं में भरती बरने के लिए परीक्षाधी का आयोजन करेंगे।

२. दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उनके लिए लोक सेवाओं में विशेष योग्यता प्राप्त प्रत्याशियों की भरती के लिए सध लोक सेवा आयोग द्वारा सयुक्त योवनाओं का निर्माण तथा डियान्वयन करना।

३. निम्नलिखित विषयों पर सध लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग सध तथा सबधित राज्य सरकार को सलाह देंगे।

(क) ऐसा कोई भी विषय जो अमैनिक पदों पर अमैनिक लोक सेवा में भरती के लिए उनको प्रेपित किया गया हो।

(ख) उन मिडातों के सबध में जिनके आवार पर नियुक्ति, पदोन्नति तथा एक सेवा से अन्य सेवा में स्थानान्तरण करना है।

(ग) लोक सेवाओं में अनुशासन-सबधी मामले।

(घ) सरकारी कर्मचारियों के उन दावों के सबध में जिनके अनुसार उनके विरुद्ध सरकारी कारों के करने के बारें जो गई कानूनी कारंवाई के पलस्वरूप व्यय बहुत करना पड़ता है।

(ङ) जिसी सरकारी कर्मचारी द्वारा असैनिक वद पर कार्य करते हुए यदि जिसी क्षणि का शिकार होना पड़ता है तो सेवा निवृति सबजी उमका दावा।

४. सेवाओं के सबध में अन्य कोई कार्य जो सनद द्वारा सध लोक सेवा आयोग और राज्य विवाद समा द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है।

इति. सध लोक सेवाओं के लिए सध लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से सबधित सरकार को नुक्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासन, दावों प्रादि मामलों में परामर्श लेना आवश्यक है।

अनुच्छेद ३२० के अनुसार संविधान राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को ऐसे नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है, जिनमें उन विषयों का उल्लेख होगा जिन पर सध सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह,

लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद ३२० के अनुसार, पिछड़े वर्षों, अनुमूलिकता जातियों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों को सुरक्षित करने के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु अनुच्छेद ३२० के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि इस प्रबाल के नियमों को जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन विषयों को निर्धारित करने के लिए बनाये जाते हैं, जिनके सबध में लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है तो उन्हे सद्वित व्यवस्थापिका (सघ के लिए सदसद तथा राज्य के लिए विधान सभा) के समक्ष रखा जाये। सदसद या राज्य विधान सभा को ऐसे नियमों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

सविधान के अनुच्छेद ३२३ के अनुसार सघ आयोग तथा राज्य आयोग का यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत करे जिसमें उनको अपने कार्यों का विवरण देना होगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति और राज्यपाल तुरत ऐसे प्रतिवेदन को सदसद तथा राज्य विधान मण्डल के समक्ष एक स्मरण लेख के साथ रखेगा जिसमें कारणों सहित उन प्रबरणों का उल्लेख होगा, जिन पर लोक सेवा आयोग के सुझाव स्वीकृत नहीं किये गये।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता—लोक सेवाओं में नियुक्ति प्रत्याशियों की योग्यताओं के आधार पर ही की जानी चाहिए, जिसने प्रशासन में स्वतंत्रता तथा दक्षता प्राप्त की जा सके। यदि प्रशासन में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती है तो प्रशासन में इसके कलस्वरूप उत्पन्न हुई वृद्धियों से समस्त राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। अतएव, प्रशासकीय अधिकारियों की योग्यता के आधार पर भरती, नियुक्ति तथा पदोन्नति आदि के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष तथा निष्ठावान संस्था का होना अतिआवश्यक है जो वाह्य प्रभावों से स्वतंत्र रहकर, निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्यों को कर सकेगी। भारतीय सविधान निर्माताओं ने इन मुद्दों की दृष्टिकोण से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

१. सदस्यों का कार्यकाल सविधान द्वारा निर्धारित है, और किसी सदस्य को पुन उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

२. लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को सविधान में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है। अनुच्छेद ३१७ (१) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य के दुराचार के भावले को प्रेपित किये जाने पर यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच करने के उपरात राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन देता है तिने उक्त सदस्य पर लगाया दुराचार का आरोप सत्य है, तो राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा उस सदस्य को पदच्युत कर सकता है।

३. किसी भी सदस्य के पद से सबधित शर्तों को उसके कार्यकाल में उसके गुक्सान के लिए नहीं बदला जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के

वेतन तथा भत्ते और प्रशासकीय व्यय सचित निधि पर मारित हैं। अतएव सध और राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों वे वेतन तथा भत्तों के सबध में सम्पद तथा राज्य विधान मण्डलों में मतदान नहीं किया जा सकता है।

४ सध और राज्यों के लोक सेवा आयोगों वे अध्यक्षों और सदस्यों को कुछ अपवादा को छोड़कर, पुन उसी पद या किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये अपवाद निम्नानुसार हैं।

(क) राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष, सध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को मध लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य वे पद पर नियुक्त किया जा सकता है, या उसे उसी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) सधीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को सध लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

५ लोक सेवा आयोगों द्वारा अपने कार्यों को निष्पक्षतापूर्वक तथा स्वतंत्रता-पूर्वक बरने के लिए सविधान निर्माताओं ने इनके सदस्यों की परिपक्वता पर भी वल दिया। इस कारण उन्होंने सध लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा निवृत्त होने की आयु क्रमम् पंसठ और साठ वर्ष निर्धारित की है।

मारत में लोक सेवा आयोगों के लिए सविधान म प्रावधान बरने से इनको एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए तथा अमरीका म लोक सेवा आयोगों की स्थापना व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून के आधार पर हुई है। तथापि, भारतीय सविधान मे, लोक सेवा आयोग के सबध मे कतिपय महत्वपूर्ण अहतांशों के स्पष्ट उल्लेख की अनुपस्थिति म, लोक सेवा आयोग विशेषकर विभिन्न राज्यों मे, स्वतंत्रता एव निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने मे सफल नहीं हुए हैं। सविधान म लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के सबध म कोई प्रावधान नहीं है। कई राज्य सरकारों ने इसका पूरा लाभ लेते हुए, इच्छानुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की। यह आरोप लगाया गया है कि कभी-भी राजनीतिज्ञों को अपने दल की सेवा बरने वे लिए सत्ताहट दल द्वारा पारितोपक के हृष म, लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। अतएव यह आवश्यक है कि सविधान मे सशोधन करके, लोक सेवा आयोग वे सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति-प्रणाली पर, कतिपय निश्चित प्रावधान जोड़े जायें।

ग्रन्थानुक्रमणिका

- अद्वयर एस० पी० एण्ड श्रीनिवासन आर०—'रट्टीज इन इण्डियन डेमोरेसी'
 (भलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, १९६५)
- अवलेखण्डरोविच सी० एच०—'कास्टीट्यूशनल डेप्लपमेन्ट इन इण्डिया'
 (आक्सफोर्ड युनिं प्रेस, १९५७)
- चेन्जी ए० सी०—'दो भेकिंग आफ द कास्टीट्यूशन जिल्द-२'
 (ए० मुर्जी एण्ड बो० बलकत्ता, १९४८)
- चेन्जी डी० एन०—'सम ग्रास्पेक्ट्स आफ द इण्डिया कास्टीट्यूशन'
 (दो बर्ड प्रेस, बलकत्ता, १९६२)
- चेन्जी डी० एन०—'अवर फँडामेन्टल राईट्स'
 (द बर्ड प्रेस, कलकत्ता, १९६०)
- चमु डी० डी०—'व मेन्ट्री आन दि कास्टीट्यूशन आफ इण्डिया, जिल्द—१, २,
 (एस० सी० सरकार एण्ड सन्त कलकत्ता १९६५)
- भाष्मरी सी० पी०—'प्रिन्टिंग एडमिनीस्ट्रेशन'
 (जय प्रवाशनाथ एण्ड बो० १९६०)
- आइस लार्ड जे०—'मार्डन डेमोरेसी, जिल्द—२,
 (मेकमिलन एण्ड बो, न्यूयार्क १९२६)
- आइस लार्ड जे०—'दि अमेरिकन कमनवेल्थ, जिल्द—१',
 (मेकमिलन एण्ड बो, न्यूयार्क, १९६८)
- चाप्ता एम० सी०—'द इनडिविज्युल एण्ड द स्टेट'
 (एशिया पब्लिशिंग हाउस, १९५८)
- कारविन ई० एस०—'द डोक्ट्राइन आफ ज्यूडिशियल रिब्यू'
 (प्रिन्सटन, १९१४)
- कारविन ई० एस०—'द कोर्ट अरेबर दि कास्टीट्यूशन'
 (प्रिन्सटन, १९३८)
- दास एस० सी०—'द कास्टीट्यूशन आफ इण्डिया, ए कम्प्रेटिवह स्टेटी,
 (चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, भलाहावाद, १९६०)
- दास एस०—'दि कास्टीट्यूशन आफ इण्डिया'
 (भलाहावाद ला एजेन्सी, १९६४)

- दायती ए० बी०—‘ला आक दि कान्स्टीट्यूशन’
 (मेविनन ए०ड को, निपिटेड, लन्दन, १८३८)
- फाइनर एच०—‘व्योरी ए०ड प्रेनिटस आक माउन्ट गवर्नेन्ट’
 (हनरी होन्ट ए०ड को० न्यूयार्क १८५०)
- गाइच हो० आर०—‘एन्हेन प्लानिंग ए०ड प्लानिंग कमीशन’
 (हरान्ड लास्टी इन्स्टीट्यूट आक पानिटिकल सादन
 अहमदाबाद, १८५८)
- ग्रेन्डग्रृहर पी० बी०—‘ला लिवर्टी ए०ड सोसियल जटिल’
 (एगिया पन्नियिऩ हाउम बम्बई १८९५)
- गर्वर चै० डल्पु—‘पोनिटिकल सादन ए०ड गवर्नेन्ट’
 (प्रमोक्त दुः कम्नी, न्यूयार्क, १८३२)
- गेटे आर० सी०—‘पोनिटिकल सादन’
 (द वन्ड प्रेस कलकत्ता, १८५४)
- गेहटित ए०—‘द रिप्पलिक आक इन्डिया’
 (लन्दन, १८५१)
- ग्रीष्म एच० आर०—‘द रिंटिंग कान्स्टीट्यूशन’
 (जार्ज एंनेल ए०ड अन्विन लिमि० लन्दन, १८३८)
- गुप्ता एम० बी०—‘आन्सेन्ट्स आक दि इन्डियन कान्स्टीट्यूशन’
 (सिन्हल दुः दीपो, अलाहाबाद, १८६४ एवं १८५६ दोनों)
 हास्तया जी० ए०—‘टिनेमान आक देमोक्रेटिक पालिटिकल इन इन्डिया’
 (मानक पेपर, बम्बई, १८६६)
- हस्तमनी ए० पी०—‘सन प्रो-जेन आक ए०डिनिन्टेंटिव ला इन इन्डिया’
 (एगिया पन्नियिऩ हाउम बम्बई, १८६५)
- हिंदापन उन्नाह एम०—‘टेमोडेसी इन इन्डिया ए०ड दि एन्ट्रोटिकियल ग्रोउथ’
 (एगिया पन्नियिऩ हाउम, बम्बई, १८६५)
- जेना बी० बी०—‘पार्टियामेन्ट चेन्ट्रील इन इन्डिया’
 (मानक पेपर, दुः एंजेन्ट्स, कलकत्ता, १८६६)
- जेनिए चै० आई०—‘पार्टियामेन्ट’
 (इन्डिय युनिवर्सिटी प्रेस, १८५३)
- जेनिए चै० आई०—‘सम केन्टरन्टिक, आक कान्स्टीट्यूशन आक इन्डिया’
 (प्राक्तनों युनिवर्सिटी प्रेस १८५२)
- जेनिए चै० आई०—‘केन्टरन्ट गवर्नेन्ट’
 (इन्डिय युनिवर्सिटी प्रेस १८५६)

जोशी जी० एन०—'आस्पेन्ट स आफ इण्डियन कान्स्टीट्यूशन ला'
(युनिसिटी आफ वम्बई, १६६५)

जोशी जी० एन०—'दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया'
मेकमिलन एण्ड को० १६५२)

कागजी एम० सी० जे०—'कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया'
(मेट्रोपोलिटन युक चम्पनी, देहली १६५८)

कपूर ए० सी०—'सेलेक्ट कान्स्टीट्यूशन्स'
(चाद एण्ड को० देहली, १६६०)

कश्यप एस० सी०—'दि पालिटिक्स आफ डिफेंशन'
(प्रिलिश अण्टर दि प्राप्तीसिस आफ इन्स्टीट्यूट)

लाल ए० बी०—'दि० इण्डियन पालियामेन्ट'
(चंतन्य प्रिलिशिंग हाउस अलाहाबाद १६५६)

लास्की एच० जे०—'रिप्लेक्शन्स आन दि कान्स्टीट्यूशन'
(मेनेस्टर युनिं प्रेस, १६५१)

लास्की एच० जे०—'ए ग्रामर आफ पालिटिक्स'
(जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमिं लन्दन, १६३८)

लास्की एच० जे०—'पालियामेन्टी गर्डमेन्ट इन इंग्लैण्ड'
(जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमिं लन्दन १६३८)

सौ सर० एस०—'द गर्डमेन्ट आफ इंग्लैण्ड'
(अरनेस्ट वेन लिमिं लन्दन, १६३५)

मैकार्डिवर आर० एम०—'द माडन स्टेट'
(आक्सफोड प्रेस, लन्दन, १६२६)

मेर सर० टो० इ०—'ए० ट्रीटीज आन दि ला, प्रिविलेज, प्रोसिडिंज एण्ड युजेज
आफ पालियामेन्ट'
(वटरवर्थ लन्दन, १२वा सस्करण)

मिल जे० एस०—'आन रिपजेन्टेटिव्ह गवर्नेन्ट'
(लागमेन्स ग्रीन एण्ड को० लन्दन, १६६१)

मिल जे० एस०—'आन लिवर्टी'
(वेसिल ब्लेकबेल, आक्सफोड, १६४८)

कानेनिक बी० बी०—'फीर्य जनरल इलेक्शन प्रोबलेम्स एण्ड पोलिसीज'
(सालवानी प्रिलिशिंग हाउस, १६६७)

मोरिस जोन्स डल्हू० एच०—'पालियामेन्ट इन इण्डिया'
लागमेन्स ग्रीन एण्ड को० लन्दन १६५७)

- आपसी । म्पूर आर०—'हाऊ व्रिटेन इज गवर्नेंट'
(लन्दन, १६३८)
- फाईनर मुशी के० एम०—'दि प्रेसिडेण्ट अण्डर दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'
(नारतीय विद्या भवन, वम्बई, १६६३)
- गाडगिल नरसिंह चार के० टी०—'दि क्वोन्टइसेन्स आफ नेहरू'
(जार्ज एलेन एण्ड अनविन, लिमितेड, लन्दन,
- गजेन्द्रगां न्पूरेन सिगमण्ड—'माइन पोलिटिकल, पार्टीज'
(युनिवर्सिटी आफ शिकागो, प्रेस, १६५६)
- गानंद वे पालमर एन० डी०—'दि इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम'
(जार्ज एलेन एण्ड अनविन, लन्दन, १६६१)
- गेटेल प्र पायली एम० बी०—'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन'
(एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १६६२)
- ग्लैडहिल राय के० बी०—'पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी आफ इण्डिया'
(दि वल्ड प्रेस, कलकत्ता, १६६०)
- ग्लैडहिल सम्यानम के०—'ट्रान्सीशन इन इण्डिया'
(एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १६६४)
- ग्लैडहिल शर्मा एम० पी०—'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस'
(किताब महल अलाहाबाद, १६६०)
- ग्लैडहिल एम० पी० शर्मा—'दि गवर्नमेन्ट आफ इण्डियन रिपब्लिक'
(किताब महल, अलाहाबाद, १६६१)
- हाल्टपा शर्मा एस० आर०—'दि सुप्रिम कोर्ट इन दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन'
(राजपाल एण्ड सन्स, देहली, १६५६)
- हस्तपन थीनिवासन एन०—'डेमोक्रेटिक गवर्नेन्ट इन इण्डिया'
(दि वल्ड प्रेस लिमितेड, कलकत्ता, १६५४)
- हिदायत स्टेपर्ट एम०—'व्रिटिश एप्रोच टू पालिटिकल एनेलीसिस'
(जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमितेड, लन्दन, १६३८)
- जेनर वे सूरी एस०—१६६२ इलेक्शनस ए पोलिटिकल एनेलीसिस'
- जैनिमज मुधा पब्लिकेशन्स, न्यू देहली, १६६२)
- जैनिमज टोपे टी० के०—'दि कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया'
(पापुलर प्रकाशन, वम्बई, १६६३)
- जैनिमज विष्यर के० सी०—'फोडरल गवर्नेन्ट'
- जैनिमज (ग्राम्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १६५६)

संदर्भ अभिलेख तथा मूल स्रोत

ग्रान इण्डिया रिपोर्टर ।

बान्स्टीट्यूगण्ट अमेरिकी डिवेट्स १६४६-४६ ।

ड्राएट बान्स्टीट्यूगन आफ इण्डिया

इलेवशन कमीशन्स रिपोर्ट आम दि फस्ट जनरल इलेवशन इन इण्डिया, जि० १-२

(१६५१-१६५२ न्यू देहली, १६५५)

इस्टीमेट कमटी (सेन्ट्रल) रिपोर्ट न० २ (१६५०-५१)

इस्टीमेट रमेटी (सेन्ट्रल) रिपोर्ट न० ६, (१६५३-५४)

इस्टीमेट कमटी (मेन्ट्रल) रिपोर्ट न० २० (१६५७-५६)

इण्डियन इलेवशन कमीशन्स, रिपोर्ट ग्रान द सेकेन्ड जनरल इलेवशन्स इन इण्डिया
इन १६५७-५८ देहली

नेहरूज स्पीचेज, १६५६-१६५७, जिट्ट-३,

(द पटिनकेशन डिविजन मिनिस्ट्री आफ इन्फारमेसन एण्ड
ग्राहरास्टीग गवर्नेन्ट आफ इण्डिया १६५८)

सेन्ट्रल कार्ड इयर प्लान—ड्राएट आउट लाइन, करवरी, १६५६

मुप्रिम कोर्ट रिपोर्ट्स

दि बान्स्टीट्यूगन ग्राफ इण्डिया १६६३

दि इण्डियन प्रोविजनल पालियामेण्ट डिवेट्स १६५०-१६५२

इण्डिया बोट्स—ए सोस' बुक ग्रान इण्डियन इलेवशन्स,

(समादिल—आर चन्द्रीदास)

डब्ल्यू मोर हाउस, कलाक एण्ड ग्रान्टरा पाप्लर प्राग्नन बमर्द १६६८

सन्दर्भ पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र

एस्ट्री, अलं सी०—मिनिस्ट्रीयल रिसपान्मिन्टीज

दि इण्डियन रिव्यू, जनवरी, १६६०

येनज्ञो डी० एन०—‘पोजिशन आफ द प्रेसिडेण्ट आफ इडिया’

(माहन रिव्यू दिस० १६५०)

चौधरी यो० सी०—‘रियल्स एण्ड इलोमटीरल उमोर्फेसी’

(इन सेमानार न० ३० परवरी १६५६)

दायसी ।

जेना के० सी०—‘पोलिटिकल ग्राहोकीशन इन इण्डिया’

(दि इण्डियन रिव्यू मिनम्बर १६५६)

फाईनर

मसानो एम० एल०—‘पार्टी पोलिटिकम इन इण्डिया’¹⁵

गाडगिल

(दि वाइटल स्पीचेज एंड डाकघूमेन्ट्स ग्राफ दि डे० जिन्स-२
न० १८ जुलाई, १५, १६६२)

रेहो एम० के०—‘पोलिटिकल पार्टीज इन इण्डिया’

(दि इण्डियन रिव्यू नवम्बर १६६४)

ग्रेग्रेगर

रोब जे० ग्रार०—‘इण्डियाज १६५७ इलेक्शन्स-फार इस्टन सर्व० २६, मई १६५७।

गानंर चे

सशेना वे० सी०—‘विदर इण्डियन हेमोक्रेसी सोशियेतिस्ट वाप्रेसमेन’
(जिल्द ७ माहौ २५, १६६८)

मेटेल अ

सप्त्रू पो० एन०—‘इन दि जरनल ग्राफ पब्लिक एंड मिनिस्ट्रेशन’
(अस्ट्रेलियर, १६४८)

लेडहिल

सोमजी ए० एच०—‘सोटीवेशन एंड प्रोग्रेस्डा’
(सेमीनार न० ३०, फर० १६६२)

श्रीबत ए

चर्मा के०—‘मनी एंड बोट्स’
(सेमीनार न० ३२ फरवरी, १६६२)

गुप्ता ए

• • •

हालिया

हस्तूमन

हिदायत

जेना चं

जैनिआज

जैनिआज

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE
